

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report

2021-22



सत्यमेव जयते

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
विश्वास के प्रेरक, सुरक्षित और पोषक आहार के आश्वासक
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
Inspiring Trust, Assuring Safe & Nutritious Food
Ministry of Health and Family Welfare, Government of India



भारतीय खाद्य सुरक्षा और
मानक प्राधिकरण
FOOD SAFETY AND STANDARDS
AUTHORITY OF INDIA

विश्वास के प्रेरक, सुरक्षित और पोषक आहार के आश्वासक

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

Inspiring Trust, Assuring Safe & Nutritious Food

Ministry of Health and Family Welfare, Government of India

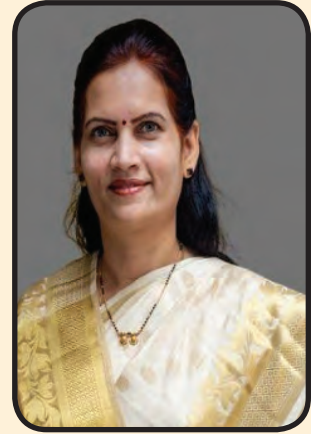
वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2021-22

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
Food Safety and Standards Authority of India



डॉ. मनसुख मांडविया
Dr. Mansukh Mandaviya
माननीय केन्द्रीय मंत्री
Hon'ble Union Minister

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
Ministry of Health & Family Welfare



डॉ. भारती प्रविण पवार
Dr. Bharati Pravin Pawar
माननीय राज्य मंत्री
Hon'ble Minister of State

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
Ministry of Health & Family Welfare

विषय सूची

अध्याय संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
अध्याय 1	झलक	1
अध्याय 2	कर्तव्य, शासन संरचना और मानव संसाधन	10
अध्याय 3	मानक और विनियम	22
अध्याय 4	खाद्य सुरक्षा अनुपालन	42
अध्याय 5	खाद्य परीक्षण और निगरानी	56
अध्याय 6	खाद्य आयात	80
अध्याय 7	खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण	86
अध्याय 8	सामाजिक और व्यवहारगत परिवर्तन तथा ईट राइट की पहल	93
अध्याय 9	कोडेक्स	108
अध्याय 10	अंतरराष्ट्रीय सहयोग	114
अध्याय 11	एफ.एस.एस.ए.आई में डिजिटलाइजेशन, प्रौद्योगिकी का उपयोग और ई-शासन	117
अध्याय 12	राजभाषा	122
अध्याय-13	सूचना के अधिकार मामले	125
अध्याय 14	वित्तीय विवरणियां	127

सारणी सूची

सारणी संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
सारणी 1	वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रवर्तन मैट्रिक्स के संबंध में प्रगति	4
सारणी 2	खाद्य प्राधिकरण के कर्तव्यों और कार्यों का विवरण	11
सारणी 3	खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष से भिन्न अन्य सदस्यगण (धारा 5)	12
सारणी 4	धारा 5(1)(क) के अन्तर्गत 2021-22 के दौरान खाद्य प्राधिकरण के पदेन सदस्य	13
सारणी 5	एफएसएसएआई की पदवार संस्वीकृत संख्या	16
सारणी 6	वैज्ञानिक पैनलों की सूची और वर्ष 2021-22 के दौरान इनके द्वारा की गई बैठकों की संख्या	23
सारणी 7	कार्यकारी समूहों का विवरण	25
सारणी 8	वर्ष 2021-22 के दौरान अधिसूचित अंतिम विनियमों की सूची	34
सारणी 9	वर्ष 2021-22 के दौरान अधिसूचित मसौदा विनियमों की सूची	35
सारणी 10	वर्ष 2021-22 के दौरान पूरी की गई अनुसंधान परियोजनाओं की सूची	37
सारणी 11	वर्तमान में चल रही अनुसंधान परियोजनाएँ	38
सारणी 12	नेटस्कोफेन समूह एवं प्रदत्त खाद्य श्रेणियाँ व फूड-‘ओ’ कोपिया के मोनोग्राफ के लिए वित्तीय सहयोग	39
सारणी 13	एफएसएस अधिनियम, 2006 के तहत राज्यों व संघराज्य क्षेत्रों में प्रवर्तन तंत्र की प्रशासनिक व्यवस्था (31.03.2022 की स्थिति के अनुसार)	51
सारणी 14	वर्ष 2021-22 के दौरान विश्लेषित नमूनों, गैर-अनुरूप पाए गए नमूनों और की गई दंडात्मक कार्रवाई का विवरण	52
सारणी 15	वर्ष 2021-22 के दौरान फॉस्कोरिस के माध्यम से संचालित निरीक्षणों का विवरण	54
सारणी 16	उन प्रयोगशालाओं की सूची जिन्हें विमुक्त किया गया था और जिन्होंने एनएबीएल प्रत्यायन प्राप्त किया तथा वर्ष 2021-22 में पुनः अधिसूचित किया गया	72
सारणी 17	वर्ष 2021-22 के दौरान अधिसूचित अन्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं	72

सारणी संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
सारणी 18	अधिसूचित प्राथमिक तथा रेफरल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की सूची	73
सारणी 19	देश में खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की राज्यवार संख्या	74
सारणी 20	अधिसूचित एनआरएल/एएनआरएल की सूची	75
सारणी 21	वर्ष 2021-22 में राज्य खाद्य प्रयोगशालायों के लिए जारी किया गया अनुदान	76
सारणी 22	फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स का राज्यवार वितरण	78
सारणी 23	01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि में एफआईसीएस के माध्यम से खाद्य आयात निर्मुक्ति संबंधी डेटा	85
सारणी 24	वर्ष 2021-22 के दौरान फोस्टैक प्रशिक्षणों का क्षेत्रवार विवरण	87
सारणी 25	वर्ष 2021-22 के दौरान विनियमाक कार्मिकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण	89
सारणी 26	एफ.एस.एस.ए.आई के कार्मिकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण	91
सारणी 27	वर्ष 2021-22 के दौरान वर्चुली आयोजित कोडेक्स बैठकें एवं उनमें भारत का योगदान	108

आकृति सूची

आकृति संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
आकृति 1	खाद्य प्राधिकरण की संरचना, 2021–22	13
आकृति 2	खाद्य प्राधिकरण का संगठनात्मक ढाँचा	15
आकृति 3	एफएसएसएआई का डे-केयर केन्द्र	19
आकृति 4	जिम और योग की सुविधा	20
आकृति 5	वैधानिक एवं अवैधानिक निकायों के संदर्भ में एफएसएसएआई का वैज्ञानिक कार्य	22
आकृति 6	घोषणापत्र जमा करने के लिए पोर्टल का उद्घाटन	28
आकृति 7	माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा वेगन लोगो का प्रमोचन	31
आकृति 8	एफएसडब्ल्यू वैन का आंतरिक दृश्य	63
आकृति 9	एफएसडब्ल्यू का बाहरी दृश्य	64
आकृति 10	प्रयोगशाला कर्मी इत्यादि के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कुछ झलकियाँ	65
आकृति 11	खाद्य संचालकों के प्रशिक्षण की कुछ छवियाँ	88
आकृति 12	कुछ विनियामक प्रशिक्षणों की झलक	90
आकृति 13	एफ.एस.एस.ए.आई के कार्मिकों के परिचय प्रशिक्षण के दौरान ग्रुप फोटो	92
आकृति 14	चुनौतियों/प्रतियोगिताओं की शुरुआत	101
आकृति 15	भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, 2021 में एफएसएसएआई स्टॉल की झलक	102
आकृति 16	माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का एफएसएसएआई दौरा	103
आकृति 17	माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री चल खाद्य सुरक्षा रवाना करती हुई	104
आकृति 18	जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम मैदान, नई दिल्ली में आयोजित मेगाएक्सपो और विज्ञान पुस्तक मेला, 2022 के कुछ दृश्य	104
आकृति 19	ईट राइट मेला और वॉकेथोन के कुछ दृश्य	105
आकृति 20	सोशल मिडिया पोस्टों के कुछ चित्र	107
आकृति 21	वर्ष 2021–22 के दौरान आरंभ की गई प्राधिकरण की त्रैमासिक हिंदी पत्रिका “खाद्यांजलि” के जनवरी–मार्च, 2022 अंक का कवर पेज	124

अध्याय-1

झलक

- 1.1** भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई), जिसे संक्षेप में “खाद्य प्राधिकरण” के रूप में भी जाना जाता है, की स्थापना सितम्बर, 2008 में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (एफएसएस अधिनियम) के अन्तर्गत प्रमुख रूप से मानव उपभोग के लिए सुरक्षित एवं स्वास्थ्यकर खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सामग्रियों के विज्ञान-आधारित मानक निर्धारित करने और उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री एवं आयात को विनियमित करने के लिए की गई है। इसका विस्तृत कार्यादेश खाद्य सुरक्षा और मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 की धारा 16 में दिया गया है। इस अधिनियम को खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 और छह विनियमों की अधिसूचना के द्वारा दिनांक 5 अगस्त, 2011 से प्रवर्तनात्मक बनाया गया था। तब से लेकर आज तक एफएसएसएआई ने अधिनियम के तहत अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण प्रगति की है।
- 1.2** आदर्श वाक्य “विश्वास के प्रेरक, सुरक्षित और पोषक आहार के आश्वासक” के अनुरूप, निम्नलिखित दृष्टिकोण के माध्यम से अपने कार्यादेश को प्राप्त करने के लिए खाद्य प्राधिकरण ने निरंतर कार्य किया है:
- वैश्विक मानदंडों के अनुरूप विनियमों, मानकों और दिशा-निर्देशों का निर्धारण;
 - अनुज्ञापन और पंजीकरण, निरीक्षण, नमूना, संपरीक्षा, निगरानी एवं बेहतर प्रयोगशाला नेटवर्क के माध्यम से अनुपालन को सुगम बनाना;
 - आयातित खाद्य उत्पादों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आयात का विनियमन;
 - खाद्य कारोबारियों के साथ-साथ खाद्य संचालकों, प्रयोगशाला कार्मिकों एवं विनियामक कर्मचारियों का क्षमता निर्माण करना;
 - एकीकरण की सच्ची भावना से ईट राइट पहलों को बढ़ावा देना;
 - प्रक्रियाओं को सुप्रवाही बनाने के लिए प्रौद्योगिकी अंगीकरण;
 - ज्ञान और बेहतर पद्धतियों के सृजन तथा आदान-प्रदान के लिए कार्यनितिक स्वरूप की साझेदारी का विकास करना;
 - खाद्य मानकों से संबंधित कार्य और अन्य खाद्य सुरक्षा से संबंधित मामलों के समन्वय को बढ़ावा देने के लिए कोडेक्स बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेना और विदेशी सरकारों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ द्विपक्षीय करार करना।

उपर्युक्त वर्णित दृष्टिकोण के अनुरूप इस अध्याय में रिपोर्टाधीन वर्ष 2021-22 के दौरान एफएसएसएआई के कार्याकलापों और उपलब्धियों की प्रमुख बातें संक्षिप्त में दर्शायी गई हैं। विवरण संबंधित अध्यायों में दिया गया है।

- 1.3** वर्ष 2021-22 के दौरान खाद्य प्राधिकरण की पाँच बैठकें आयोजित हुईं और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) और

(छ) के अन्तर्गत उपलब्ध रिक्तियों पर सदस्यों की नियुक्ति के अभाव में सदस्यों की कम संख्या से कार्य जारी रखा। तथापि, प्राधिकरण की बैठकों में यह सुनिश्चित करने के लिए की विचार-विमर्श व्यापक आधार का व परस्पर संवादात्मक हो, बैठक में उद्योग एवं अन्य क्षेत्रों से विशेष आमंत्रितों को आमंत्रित किया गया था।

- 1.4 केंद्रीय सलाहकार समिति (सीएसी) बहुत से विषयों के संबंध में खाद्य प्राधिकरण को सलाह देती है और विभिन्न हितधारकों जैसे खाद्य उद्योग, उपभोक्ता संगठनों, अनुसंधान संस्थानों और राज्य के खाद्य प्राधिकरणों के साथ घनिष्ठ सहयोग सुनिश्चित करती है। वर्ष के दौरान सीएसी की चार बैठकें आयोजित हुईं और कई महत्वपूर्ण मामलों पर विचार-विमर्श किया।
- 1.5 वैज्ञानिक समिति, जोकि प्राथमिक रूप से खाद्य प्राधिकरण को वैज्ञानिक सलाह प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है, की वर्ष के दौरान चार बैठकें आयोजित हुईं और खाद्य प्राधिकरण को विभिन्न सिफारिशें कीं।
- 1.6 वर्ष के दौरान, 21 विषय-विशिष्ट पैनल कार्यात्मक रहे। इन 21 वैज्ञानिक पैनलों की कुल 71 बैठकें आयोजित हुईं और अपने-अपने विषयों से संबंधित मानकों के निरूपण तथा अन्य सम्बद्ध मामलों के बारे में सिफारिशें कीं।
- 1.7 वैज्ञानिक समिति द्वारा विशिष्ट मामलों के लिए जो आठ कार्यकारी समूह गठित किए गए हैं, उनकी वर्ष के दौरान कुल 15 बैठकें हुईं।
- 1.8 एफएसएसएआई विनियमों के निरूपण के साथ-साथ वर्तमान विनियमों की आवश्यकतानुसार समीक्षा के लिए लगातार कार्यरत रहता है। वर्ष 2021-22 के दौरान 11 अंतिम अधिसूचनाएं और 17 मसौदा अधिसूचनाएं जारी की गईं। अंतिम अधिसूचनाएं पहले से अधिसूचित विनियमों में संशोधन हेतु थीं जो प्राथमिक रूप से विभिन्न खाद्य उत्पादों के नए/संशोधित मानकों से संबंधित हैं। यद्यपि इन संशोधित विनियमों के प्रावधानों में बहुस्तरीय खाद्य तेल के लेबलिंग प्रावधान, भारत को निर्यात करने वाले विदेशी खाद्य विनिर्माण सुविधाओं के पंजीकरण और निरीक्षण, पेय जल इत्यादि के लिए अपारदर्शी पैकेजिंग सामग्री के उपयोग इत्यादि भी शामिल हैं।
- 1.9 वर्ष के दौरान जिन अधिसूचित मसौदा विनियमों पर हितधारकों से टिप्पणियाँ माँगी गईं उनमें वेगन फूड और आयुर्वेद आहार पर प्रमुख विनियम भी सम्मिलित थे। वेगन फूड विनियम गैर-पशुमूल के खाद्य की प्रमाणिकता एवं ऐसे उत्पादों के लिए वेगन लोगो के प्रयोग से संबंधित है। आयुर्वेद आहार विनियम आयुर्वेद के प्राचीन सिद्धांतों और प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर बनाए गए खाद्य को महत्व देता है।
- 1.10 खाद्य सुरक्षा और मानक (गैर विनिर्दिष्ट खाद्य और खाद्य संगठकों के लिए अनुमोदन) विनियम, 2017 के अन्तर्गत उत्पादों के अनुमोदन के लिए आवेदनों की जाँच प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए विशेषज्ञ समिति की संख्या 3 से बढ़ाकर 6 कर दी गई है। इन 6 विशेषज्ञ समितियों ने आवेदनों पर विचार करने के लिए वर्ष के दौरान कुल 22 बैठकें कीं। इन आवेदनों की जाँच प्रक्रिया के परिणामस्वरूप 66 आवेदनों को स्वीकार किया गया जबकि 30 को निरस्त किया गया।
- 1.11 खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018 के तहत अमानकिकृत दावों के आवेदनों के अनुमोदन पर विचार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने चार बैठकें की और एक दावा स्वीकार किया। अपील स्वीकार करने के पश्चात एक और दावा स्वीकार किया गया।
- 1.12 एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा खाद्य सुरक्षा को लेकर व्याप्त चिंताओं के संबंध में लोगों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने व बेहतर समझ विकसित करने तथा विशिष्ट खाद्य या विशिष्ट मुद्दे पर जानकारी प्रदान करने के

लिए मार्गदर्शी नोट जारी किए गए। वर्ष के दौरान तीन मार्गदर्शी नोट जारी किए जो खाद्य सेवा प्रतिष्ठान में जानकारी को प्रदर्श करने, ट्रांस फैटी अम्ल को समाप्त करने, और खाद्य वस्तुओं में पेस्टीसाइड्स की अधिकतम अवशिष्ट सीमाओं के निर्धारण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के बारे में थे। खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य या स्वास्थ्य अनुपूरक, न्यूट्रास्युटिकल्स, विशेष आहार विषयक उपयोग के लिए खाद्य, विशेष चिकित्सीय प्रयोजन के लिए खाद्य, कृत्यकारी खाद्य और नूतन खाद्य) विनियम, 2016 एवं क्या मानकीकृत उत्पाद जिसमें खाने के नमक की आवश्यकता है, में आयोडाइज्ड नमक अनिवार्य है, इन दो मुद्दों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न भी जारी किए गए।

- 1.13 खाद्य एवं पोषण के क्षेत्र में कार्य कर रहे अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थान के नेटवर्क के रूप में जनवरी, 2020 में 'नेटवर्क ऑफ साइंटिफिक कॉपरेशन फॉर फूड सेफ्टी एंड अपलाइड न्यूट्रीशन' (नेटस्कोफेन) की स्थापना की गई थी। वर्तमान में नेटस्कोफेन के अन्तर्गत 08 समूह हैं जिसमें खाद्य सुरक्षा एवं अन्य संबंधी विभिन्न क्षेत्रों की 10 अग्रणी संस्थाएँ सहभागी संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य कर रही हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान नेटस्कोफेन गतिविधियों के संचालन के लिए 10 अग्रणी संस्थाओं को कुल 91,40,995 रुपये का अनुदान दिया गया था।
- 1.14 एफ.एस.एस.ए.आई के कार्यदेश और खाद्य सुरक्षा से संबंधित अन्य उभरते मामलों के लिए प्रासंगिक अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) परियोजनाओं के लिए सहायता योजना के अन्तर्गत प्राधिकरण ने अभी तक कुल 23 संयुक्त परियोजनाओं को सहायता प्रदान की है जिसमें से 16 परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है और 7 परियोजनाएँ प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं।
- 1.15 'फूड-ओ-कोपिया' खाद्य श्रेणी आधारित मोनोग्राफ का एक समूह है जो किसी विशिष्ट उत्पाद श्रेणी से संबंधित सभी प्रयोज्य मानकों के लिए एकल संदर्भ के रूप में कार्य करेगा। इस में उस उत्पाद श्रेणी के लिए संपूर्ण मानक, लेबलिंग और दावे की अपेक्षाएँ, विशिष्ट पैकेजिंग अपेक्षाएँ एवं अन्य विनियामक प्रावधान जो उस उत्पाद के लिए आवश्यक हैं, उपलब्ध होंगे। एफएसएसएआई ने विभिन्न खाद्य श्रेणियों के 17 मोनोग्राफ विकसित करने के लिए 8 नेटस्कोफेन समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। इस उद्देश्य की पूर्ती के लिए कुल 85 लाख रुपये का खर्च स्वीकृत किया गया था। एफएसएसएआई को इन मोनोग्राफ का पहला मसौदा प्राप्त हुआ है एवं उनकी जाँच की जा रही है।
- 1.16 एफएसएसएआई में इस समय स्वीकृत पदों की संख्या 824 है। इन पदों में से अधिकतर पद 2018 में ही स्वीकृत हुए थे। इन विभिन्न पदों के लिए भर्ती विनियम 01 अक्टूबर, 2018 में अधिसूचित किए गए थे। इसके बाद ही, भर्ती विनियमों के प्रावधानों के अनुसार इन स्वीकृत पदों पर नियमित आधार पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत जारी किए गए 4 विज्ञापन अर्थात् डीआर-01/2019, डीआर-02/2019 डीआर-03/2019, डीआर-01/2020 के अन्तर्गत 288 पदों के परिणाम घोषित किए गए हैं और 266 चयनित उम्मीदवारों ने अपना कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है जबकि अन्य सफल उम्मीदवार कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया में हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान एफएसएसएआई ने द्वितीय चरण की सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू की है जिसके अन्तर्गत 271 पदों पर भर्ती की जानी है। इन पदों पर चयन की प्रक्रिया अभी कार्याधीन है। इस के अलावा एफएसएसएआई ने प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने के लिए 72 पद एवं अनुबंध के आधार पर 02 पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। इन पदों की भर्ती प्रक्रिया भी अभी कार्याधीन है।
- 1.17 वर्ष के दौरान विशाखापट्टनम, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद, जेएनपीटी, मुंबई में एफएसएसएआई की नई शाखाएँ/पोर्ट कार्यालय खोले गए। इंदौर तथा नासिक में भी नई शाखा/पोर्ट कार्यालय खोलने का निर्णय

लिया गया। जेएनपीटी, मुंबई में एक राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला भी स्थापित की गई है और कार्य कर रही है जबकि दूसरी राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई में स्थापित की जा रही है।

- 1.18** राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं तथा एफएसएस अधिनियम, 2006 के प्रावधानों एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार होते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रवर्तन के लिए अपनी प्रशासनिक स्थापना सुदृढ़ कर रहे हैं। 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, राज्य/संघशासित प्रदेशों में कुल 733 न्यायनिर्णयन अधिकारी, 690 अभिहित अधिकारी (415 पूर्ण कालिक व 275 अंश कालिक) और 2574 खाद्य सुरक्षा अधिकारी (2292 पूर्ण कालिक व 282 अंश कालिक) मौजूद थे। अपीलीय ट्रिब्यूनल 33 राज्य/संघशासित प्रदेशों में स्थापित किए गए हैं।
- 1.19** इस संबंध में किए गए लगातार प्रयास के कारण पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 के दौरान नए खाद्य कारोबारियों को जारी किए गए लाइसेंस और पंजीकरण की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।
- 1.20** एफ.एस.एस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन की जाँच करने के लिए संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा कार्मिकों द्वारा नियमित निगरानी, मॉनिटरिंग, निरीक्षण और खाद्य उत्पादों के यादृच्छिक नमूने लेना जारी रखा गया। वर्ष 2021-22 में विश्लेषित खाद्य के नमूने, अनुरूप नहीं पाए गए नमूने और दोषी खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई का विवरण निम्नलिखित सारणी-1 में दिया गया है:

सारणी 1- वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रवर्तन मैट्रिक्स के संबंध में प्रगति

क्र. सं.	प्रवर्तन मैट्रिक्स	संख्या
1	विश्लेषित खाद्य नमूने	1,44,345
2	अनुरूप नहीं पाए गए कुल नमूने	32,934
	अनुरूप नहीं पाए गए नमूने – असुरक्षित	4,890
	अनुरूप नहीं पाए गए नमूने – घटिया	16,582
	अनुरूप नहीं पाए गए नमूने – लेबलिंग दोष/भ्रामक/विविध	11,462
3	प्रारंभ किए गए सिविल मामलों की संख्या	28,906
4	सिविल मामलों की संख्या जिनमें दोष सिद्ध हुआ	19,437
5	सिविल मामलों में लगाए गए अर्थदंड की राशि	₹53,39,15,801
6	प्रारंभ किए गए आपराधिक मामलों की संख्या	4946
7	आपराधिक मामलों की संख्या, जिनमें अंतिम निर्णय आया और दोष सिद्ध हुआ	671
8	आपराधिक मामलों में लगाए गए अर्थदण्ड की राशि (रुपये में)	₹1,38,22,020
9	आपराधिक मामलों में दोषमुक्त मामलों की संख्या	87

- 1.21** 2021-22 के दौरान एफएसएसआई ने लाइसेंस एवं पंजीकरण प्राप्त करने के संबंध में खाद्य कारोबारियों को सुविधा देने के लिए कई कदम उठाए। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ लाइसेंस के मानदंडों में परिवर्तन होने पर बिना लाइसेंस संख्या बदले राज्य लाइसेंस से केन्द्रीय लाइसेंस या इसके विपरीत की अनुमति प्रदान करना, लाइसेंस/पंजीकरण संख्या में बिना परिवर्तन किए राज्य के बाहर या राज्य के अंदर परिसर

के स्थानान्तरण की अनुमति तथा खाद्य कारोबारियों द्वारा लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद भी उसका नवीकरण करना इत्यादि शामिल हैं।

- 1.22 निरीक्षण एवं प्रतिचयन में पारदर्शिता लाने के लिए एफएसएसएआई ने 'नियमित निरीक्षण और प्रतिचयन के माध्यम से खाद्य सुरक्षा अनुपालन' प्रणाली (फोस्कोरिस)' नामक वैब आधारित मोबाइल ऐप विकसित किया है। यह निगरानी के साथ साथ वास्तविक समय के आधार पर नमूने लेने, आंकड़ों के संग्रहण और आंकड़ों के विश्लेषण के लिए एक सशक्तिकरण माध्यम है। राज्यों को यह सलाह दी गई है कि वे केवल फोस्कोरिस के माध्यम से निरीक्षण आयोजित करें। वर्ष 2020-21 के दौरान फोस्कोरिस के माध्यम से खाद्य कारोबारों के 60,232 निरीक्षण किए गए जो कि वर्ष 2021-22 के दौरान बढ़ कर 2,19,775 हो गए।
- 1.23 खाद्य सुरक्षा के संबंध में राज्यों के निष्पादन के मापन के लिए एफएसएसएआई ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक (एसएफएसआई) की शुरुआत की है और उन्हें बेहतर तरीके से निष्पादन करने के लिए प्रेरित किया है। यह सूचकांक पाँच महत्वपूर्ण मानदंडों अर्थात्— मानव संसाधन और संस्थागत आंकड़े; अनुपालन; खाद्य परीक्षण; अवसंरचना और निगरानी, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, तथा उपभोक्ता सशक्तिकरण पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निष्पादन पर आधारित है। वर्ष 2020-21 के लिए तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 20 सितम्बर, 2021 को जारी किया गया था। इस सूचकांक के अन्तर्गत वृहत् राज्यों में गुजरात, छोटे राज्यों में गोवा एवं संघ राज्य क्षेत्रों में जम्मू एवं कश्मीर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया था।
- 1.24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 2020-21 से एफएसएसएआई ने समझौता ज्ञापन (एमओयू) ढाँचे के अंतर्गत उन्हें तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने की पहल की है। वर्ष 2021-22 के लिए एफएसएसएआई को 35 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से कार्य योजना प्रस्ताव प्राप्त हुए। राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से विचार विमर्श करने के पश्चात इन प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया गया एवं इस उद्देश्य की पूर्ती के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 95.48 करोड़ रुपये दिए गए।
- 1.25 खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य सुरक्षा संपरीक्षण) विनियम, 2018 के तहत एफएसएसएआई ने 33 खाद्य सुरक्षा संपरीक्षण अभिकरण नियुक्त की हैं। ये अभिकरण खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट स्वच्छता एवं साफ-सफाई के अनुपालन के संबंध में खाद्य सुरक्षा ऑडिट करते हैं।
- 1.26 2021-22 के दौरान एफएसएसएआई ने खाद्य परीक्षण अवसंरचना को मजबूत करने के लिए लगातार कदम उठाए हैं। एफएसएसएआई ने 39 राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को जो अधिनियम की धारा 98 के अस्थायी प्रावधान के अन्तर्गत चली आ रहीं थी और जिन्होंने एनएबीएल मान्यता प्राप्ति हेतु आवश्यक कदम नहीं उठाए थे, दिसम्बर, 2020 में एफएसएस अधिनियम की परिधि से हटाया था। इस सख्त कदम ने इन प्रयोगशालाओं को एनएबीएल मान्यता प्राप्ति की पहल करने के लिए बाध्य कर दिया। वर्ष के दौरान ऐसी 14 राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं ने एनएबीएल मान्यता प्राप्ति की तथा उन्हें एफएसएस अधिनियम की धारा 43(1) के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया। 29 अन्य प्रयोगशालाएँ भी प्राथमिक परीक्षण के लिए अधिसूचित की गईं तथा इनकी कुल संख्या 31 मार्च, 2022 को 227 हो गई है। इसके अलावा नई स्थापित राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, नवी मुंबई को भी रेफरल प्रयोगशाला के रूप में अधिसूचित किया गया जिससे रेफरल प्रयोगशालाओं की कुल संख्या बढ़कर 20 हो गई है।
- 1.27 सरकारी खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों जैसे आईसीडीएस, एमडीएम और पीडीएस के माध्यम से सप्लाई किये जाने वाले चावल के लिए सुदृढ़ीकरण अनिवार्य करने के निर्णय के फलस्वरूप देश भर में सुदृढ़ीकृत चावल में मौजूद फोर्टीफिकेन्ट्स के परीक्षण हेतु एक समान मानकीकृत प्रक्रिया अपनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए

गए एवं प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षण प्रक्रिया की सत्यता और निपुणता सुनिश्चित की गई।

- 1.28 एफएसएसएआई ने स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा अपनी 2 प्रयोगशालाओं के साथ-साथ 76 राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का अंतर विश्लेषण किया। मुख्य निष्कर्ष के आधार पर पाये गए अंतर का निवारण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समझौते ज्ञापन के तहत विशिष्ट शीर्ष के अन्तर्गत राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं को अनुदान दे कर किया जा रहा है।
- 1.29 केन्द्रीय क्षेत्र की योजना "चलती-फिरती खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के प्रावधान सहित देश में खाद्य परीक्षण प्रणाली के सुदृढीकरण (सॉफ्टेल)" को वर्ष 2016-17 के दौरान चालू किया था। वर्ष के दौरान राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के सुदृढीकरण के लिए ₹12.54 करोड़ का अनुदान स्वीकृत/जारी किया गया। इससे 31 मार्च, 2022 तक 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 41 राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ करने के लिए कुल ₹327.02 करोड़ का अनुदान दिया गया है। वर्ष के दौरान 3 रेफरल प्रयोगशालाओं को उच्च श्रेणी के उपकरण से सुसज्जित करने के लिए ₹5.53 करोड़ का अनुदान दिया गया जिससे उनका कुल स्वीकृत अनुदान बढ़कर ₹33.18 करोड़ हो गया।
- 1.30 इस योजना के तहत एफएसएसएआई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सुदूर क्षेत्रों में परीक्षण, प्रशिक्षण और जागरूकता संबंधी गतिविधियाँ चलाने हेतु चल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं, जिन्हें 'फूड सेप्टी ऑन व्हील्स (एफएसडब्ल्यू)' कहा जाता है, की सुविधा प्रदान कर रही है। प्रत्येक की लागत लगभग ₹37 लाख (जीएसटी छोड़कर) है। वर्ष के दौरान 83 और एफएसडब्ल्यू प्रदान की गई जिससे उनकी संख्या बढ़कर कुल 173 हो गई है।
- 1.31 योजना का एक अन्य घटक प्रयोगशाला कर्मियों और अन्य हितधारकों की खाद्य परीक्षण एवं विश्लेषण में क्षमता निर्माण से संबन्धित है। वर्ष के दौरान एफएसएसएआई ने विशेष रूप से राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के कार्मिकों के लिए 5 शारीरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए थे जिसमें 45 कर्मी शामिल हुए। एफएसएसएआई ने अपने तीन प्रशिक्षण केन्द्रों एवं एनडीडीबी, आनंद के साथ समन्वय से 197 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों का संचालन किया जिसमें 13,899 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।
- 1.32 एफएसएसएआई द्वारा एफएसएस विनियमों के अनुपालन की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए विभिन्न खाद्य उत्पादों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण किया जा रहा है एवं उनके निष्कर्षों के आधार पर उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। वर्ष के दौरान एफएसएसएआई ने ट्रांस फैटी एसिड, गुड़ एवं मसालों पर अखिल भारत स्तर पर सर्वेक्षण किए थे। इसके अलावा प्राधिकरण ने खाद्य में मौजूद कीटनाशक अवशेषों तथा भारी धातुओं पर डेस्कटॉप सर्वेक्षण किया था।
- 1.33 एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों (एफएसओ) या चल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा मौके पर खाद्य परीक्षण व खाद्य प्रयोगशालाओं में परीक्षण पर होने वाले व्यय को कम करने अथवा उसकी गति में सुधार करने के लिए आरएएफटी योजना के अंतर्गत 'द्रुत विश्लेषणात्मक खाद्य परीक्षण (आरएएफटी) किट', उपकरण एवं पद्धतियों को स्वीकृति देता है। वर्ष के दौरान 19 ऐसे आवेदनों की जाँच की गई जिनमें से 10 को अंतिम रूप से स्वीकृति दी गई व 05 की सिफारिश नहीं की गई। 04 आवेदनों को आवेदकों द्वारा वापिस ले लिया गया। 2019 में आरएएफटी योजना के प्रारंभ से एफएसएसएआई ने 75 आरएएफटी किट/उपकरणों/पद्धतियों को स्वीकृति दे दी है।
- 1.34 20 सितम्बर, 2021 को माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया द्वारा 'बेसिक खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना के लिए मानक विनिर्देश' नामक प्रलेख का विमोचन किया गया। ये विशिष्टताएँ अच्छी

प्रयोगशाला अभ्यासों (जीएलपी) के साथ-साथ प्रयोगशाला द्वारा किए गए परीक्षणों के परिणाम की बारिकियों में वृद्धि करेगा।

- 1.35 यह खाद्य प्राधिकरण की जिम्मेदारी है कि वह भारत में आयात किए जाने वाले खाद्य की सुरक्षा सुनिश्चित करे। 31 मार्च, 2022 तक प्राधिकरण अपने प्राधिकृत अधिकारियों के माध्यम से 13 जगहों के 56 मुख्य प्रवेश केंद्रों पर खाद्य आयात का प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण कर रहा था। वर्ष के दौरान एफएसएसएआई द्वारा 74,12,411.80 मेट्रिक टन वाले कुल 91,694 आयातित खाद्य उत्पाद का संचालन किया गया। सूक्ष्म जाँच, दृष्टि जाँच एवं परीक्षण के आधार पर 73,57,847.25 मेट्रिक टन वाले 89,885 उत्पादों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए गए।
- 1.36 देश में आयातित कच्चे तेल (खाद्य ग्रेड) और दालों की निरंतर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों को दिनांक 13 जुलाई, 2021 के आदेश के द्वारा खाद्य आयात निकासी प्रक्रिया को प्राथमिकता दे कर पूरा करने का निर्देश दिया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि जरूरत पड़ने पर सप्ताहांत/ छुट्टियों का दिन भी उपयोग में लाकर काम निकासी को जल्द से जल्द पूरा करें।
- 1.37 कच्चे काजू के अधिक आयात को देखते हुए, 18 जनवरी, 2022 के आदेश द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जब तक कच्चे काजू के मानक अधिसूचित नहीं किए जाते, इन्हें "अविशिष्ट खाद्य" की श्रेणी में ही रखा जाए तथा वही मानक प्रयोग में लाए जाएँ।
- 1.38 एफएसएस अधिनियम (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 के अनुसूची 4 के अनुसार अच्छी साफ-सफाई और उत्पादन रीतियों पर खाद्य संचालकों के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण हेतु एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण (फॉसटेक) नामक प्रमुख कार्यक्रम की शुरुआत 2017 में की थी। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 262 पैलबद्ध प्रशिक्षण सहयोगियों एवं 2186 प्रशिक्षकों की मदद से ऑनलाइन एवं ऑफलाईन (कक्षा) मोड में चलाया जा रहा है। वर्ष 2021-22 के दौरान खाद्य संचालकों के लिए 9,876 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुए जिसमें 3,63,677 खाद्य संचालक प्रशिक्षित किए गए। इसके अलावा विशेष रूप से कोविड-19 खाद्य सुरक्षा दिशा-निर्देश पर 2 घंटे की अवधि के लिए 106 प्रशिक्षणों का संचालन किया गया था जिसमें 2,233 लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।
- 1.39 वर्ष 2021-22 के दौरान एफएसएसएआई ने विनियामक अधिकारियों अर्थात खाद्य सुरक्षा अधिकारी, अभिहित अधिकारी इत्यादि के लिए आठ प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए जिसमें 535 विनियामक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। एफएसएसएआई ने अपने अधिकारियों के लिए भी 08 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए थे।
- 1.40 एफएसएसएआई ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत एफएसएसएआई सूक्ष्म स्तर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के खाद्य संचालकों को अच्छी स्वच्छता और उत्पादन रीतियों, खाद्य परीक्षण प्रक्रिया एवं अन्य विनियामक आवश्यकताओं पर प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इस ज्ञापन के अनुसार एफएसएसएआई लाइसेंस या पंजीकरण के लिए आवेदन प्रक्रिया हेतु जिला संसाधन व्यक्तियों को प्रशिक्षित करेगा।
- 1.41 एफएसएसएआई अपनी ईट राईट इंडिया पहल की गतिविधियों के अन्तर्गत लोगों को सुरक्षित, स्वास्थ्यकर और सतत आहार उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। ईट राईट इंडिया विनियामक, क्षमता निर्माण, सहयोगात्मक और सशक्तिकरण दृष्टिकोण का उचित सम्मिश्रण है तथा इसका काम यह सुनिश्चित करना है कि लोग सुरक्षित एवं स्वास्थ्यकर आहार लें। इस के अंतर्गत महत्वपूर्ण पहलों में स्वच्छता रेटिंग स्कीम, ईश को आनंददायी भोग, ईट राईट होम, ईट राईट स्कूल, ईट राईट कैपस, ईट राईट स्टेशन,

स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब, 'स्वच्छ और ताजा फल और सब्जी मंडी', रूको इत्यादि शामिल है। वर्ष के दौरान प्रत्येक गतिविधि में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई।

- 1.42** वर्ष के दौरान हितधारकों एवं उपभोक्ताओं को ईट राईट पहलों, खाद्य सुरक्षा और एफएसएस अधिनियम, नियम एवं विनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों से अवगत कराने के लिए विभिन्न सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण (आईइसी) गतिविधियाँ चलाई गईं। 'ईट स्मार्ट शहर चैलेंज' की शुरुआत ईट राईट इण्डिया की पहल को शहर के स्तर पर वृहत रूप से क्रियान्वित करने के लिए की गई थी। इस चुनौती में 109 स्मार्ट शहरों ने हिस्सा लिया था। सर्वोच्च 11 शहरों को चुना गया एवं अब ये चुनौती के अगले चरण पर पहुँच गए हैं जहाँ पाइलट चरण पर शुरू की गई परियोजनाओं को सतत तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा।
- 1.43** एफएसएसआई ने खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में उच्च स्तर के अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों से सहयोग के लिए ईट राइट अनुसंधान पुरस्कार एवं अनुदान का भी शुभारंभ किया है।
- 1.44** विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं चुनौतियाँ जैसे 'नेचर्स स्वीटनेस इन एवरी बाइट' पकवान प्रतियोगिता (कम मीठे वाले पकवान), 'इंडी जिनीयस फूड चैलेंज' (मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए), 'तड़के बिना जायका' (कम तेल एवं वसा से तैयार पकवान) का आयोजन किया गया ताकि लोग अपनी स्वास्थ्यकर पकवानों के साथ आगे आएँ और प्रतियोगिता में हिस्सा लें। ईट राईट पहल एवं अन्य एफएसएसआई कार्यक्रमों की सूचना विभिन्न ऑनलाइन माध्यम जैसे प्रिंट, इलेक्ट्रानिक और सोशल मिडिया के साथ-साथ ऑफलाइन माध्यम जैसे समारोह/प्रदर्शनी, मेले एवं व्यवसायिक मेले इत्यादि द्वारा विभिन्न लक्षित समूहों तक पहुँचाई गयी। कई तरह की संसाधन पुस्तकें और संप्रेषण सामग्रियों का भी विमोचन किया गया। वेबसाइट पर ई-पुस्तकें उपलब्ध कराई गईं ताकि आम जनता आसानी से उन तक पहुँच सके।
- 1.45** वर्ष के दौरान अंतरराष्ट्रीय मानकों के विकास के लिए भारत ने कोडेक्स गतिविधियों में निरंतर हिस्सा लिया। भारत ने वर्चुअल मोड में आयोजित किए जाने वाले कोडेक्स एलिमेंटेरिअस कमीशन की 44वें सत्र तथा उसकी कार्यकारी समिति की बैठकों, अन्य समितियों, उप-समिति एवं कार्यकारी समूहों की बैठकों में हिस्सा लिया। कोडेक्स एलिमेंटेरिअस कमीशन ने अपने 44वें सत्र में भारत की अध्यक्षता में छोटी इलाईची एवं भारत की सह अध्यक्षता में हल्दी के मानक बनाने का नया कार्य अनुमोदित किया। इसने सूखी अदरक, तुलसी, लौंग और ऑरीगेनो के मानकों को भी अपनाया।
- 1.46** एफएसएसआई ने विभिन्न विदेशी सरकार/उनकी एजेन्सियों के साथ कई समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। वर्ष के दौरान कुछ मौजूदा ज्ञापनों पर अनुवर्ती कार्रवाई की गई। एफएसएसआई युनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एवं उत्तरी आयरलैंड के केंद्रीय खाद्य प्राधिकरण, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, वॉटर एंड द इनवाइरोमेंट (डीएडब्ल्यूई), ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रीयन फूड रेगुलेटर और भूटान एग्रीकल्चर एंड फूड रेगुलेटरी ऑथोरिटी (बीएएफआरए) के साथ भी समझौता ज्ञापन के लिए बातचीत कर रहा है।
- 1.47** व्यवसाय सुगमता संबंधित विषयों पर चर्चा करने के लिए एफएसएसआई के अधिकारियों एवं अन्य देशों के दूतावास प्रतिनिधियों के बीच कई बैठकें की गईं। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा से संबंधित मामलों पर भी अन्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई। एफएसएसआई के अधिकारियों ने विदेशी संस्थाओं द्वारा आयोजित कई संगोष्ठियाँ एवं कार्यशालाओं में भी भाग लिया।
- 1.48** एफएसएसआई निरंतर रूप से अपने कार्य के निष्पादन के लिए तकनीकी का भरपूर उपयोग करता रहा है एवं अपनी मुख्य गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के समर्थन हेतु इसके पास कई प्रमुख प्रणालियाँ जैसे फॉसकॉस, एफआईसीएस, इनफोलेनेट, फॉसटेक इत्यादि मौजूद हैं। एफएसएसआई के आईटी प्रभाग ने यह सुनिश्चित

किया की ये प्रणालियां उचित तरीके से कार्य करती रहें। फॉसकॉस में कई नए विशेषताएँ जोड़ी गई। इसके अलावा नए एफआईसीएस एवं नए फॉस्टेक पोर्टल भी विकसित किए गए। कई नए पोर्टल जैसे फूड सेफ्टी मित्र, ईपास, फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स का भी विमोचन किया गया। ईट राइट इंडिया पहल पर एक एकीकृत पोर्टल का विकास किया गया। इस एकीकृत पोर्टल के अन्तर्गत सभी स्वतंत्र ईट राइट पोर्टल शामिल किए जाएंगे। एफएसएसएआई की अन्य सभी गतिविधियाँ भी आईटी प्रभाग द्वारा विकसित पोर्टल एवं प्रणालियों द्वारा समर्थित हैं।

- 1.49** एफएसएसएआई अपने कार्य में हिंदी के बढ़ते प्रयोग का समर्थन करते हुए उसके लिए निरंतर कदम उठा रही है। हर तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें की जाती हैं। राजभाषा की चार कार्यशालाएँ आयोजित की गई तथा नवनियुक्त अधिकारियों के साथ-साथ अन्य अधिकारी भी अपने कार्य में हिंदी का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित हुए। 14 सितम्बर- 28 सितम्बर, 2021 के बीच हिंदी पखवाड़ा भी बड़े धूमधाम से मनाया गया जिसमें हिंदी निबंध, हिंदी अनुवाद, स्वरचित हिंदी कविता, हिंदी में टिप्पण तथा आलेखन, त्वरित भाषण जैसी प्रतियोगिताएँ भी आयोजित की गई। इन प्रतियोगिताओं के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों की ओर से बड़ी संख्या में प्रविष्टियाँ आई थी। विजेताओं को प्रमाणपत्र व नगद पुरस्कार भी प्रदान किए गए थे। एक प्रभागीय हिंदी पत्रिका "खाद्याजंलि" का विमोचन भी किया गया एवं क्रमशः अक्तूबर-दिसम्बर, 2021 एवं जनवरी-मार्च, 2022 अवधि के लिए इसकी दो तिमाही प्रकाशन भी किए गए।

अध्याय-2

कर्तव्य, शासन संरचना और मानव संसाधन

2.1 अधिनियम का अधिनियमन

- 2.1.1** खाद्य नियमों को एक ही विधान के अंतर्गत लाकर उनके समेकन का कार्य कुछ समय से विशेषकर केंद्र सरकार द्वारा तत्कालीन माननीय वित्त मंत्री की वर्ष 2002 के बजट भाषण में अपनी मंशा जाहिर कर देने के बाद से चल रहा था। खाद्य के विनियमन से संबंधित विभिन्न अधिनियमों और आदेशों के समेकन का कार्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को सौंपा गया था। खाद्य सुरक्षा और मानक विधेयक, 2005 को दिनांक 23 अगस्त, 2006 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम संख्या 34) के रूप में अधिनियमित किया गया था। इसके पश्चात, यह अधिनियम 24 अगस्त, 2006 को भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था। इस संबंध में कई अधिसूचनाओं अर्थात् दिनांक 15 अक्तूबर, 2007, 28 मई, 2008, 18 नवंबर, 2008, 09 मार्च, 2009, 31 जुलाई, 2009, 29 जुलाई, 2010 और 18 अगस्त, 2010 की अधिसूचनाओं के माध्यम से इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधान विभिन्न तारीखों को प्रवृत्त हुए।
- 2.1.2** भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अंतर्गत दिनांक 17 सितंबर, 2007 के मंत्रिमंडल सचिवालय की अधिसूचना द्वारा “खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006” के विषय को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से स्थानांतरित करके स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को सौंपा गया था।
- 2.1.3** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिनांक 15 अक्तूबर, 2007 के “खाद्य सुरक्षा तथा मानक (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2007 द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 6 के खण्ड (ग) में उप-धारा (I) जो अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए चयन समिति से संबंधित है, में “स्वास्थ्य” के स्थान पर “खाद्य प्रसंस्करण उद्योग” को प्रतिस्थापित किया गया था।
- 2.1.4** इस अधिनियम की धारा 3, 5, और 6 को खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) अध्यादेश, 2008 दिनांक 07 फरवरी, 2008 द्वारा संशोधित किया गया था जिसे खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) अधिनियम, 2008 दिनांक 28 मार्च, 2008 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।
- 2.1.5** खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (एफएसएस अधिनियम) के बनने के फलस्वरूप 5 सितम्बर, 2008 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना हुई। इस निर्णय से पूर्व में विखंडित की तुलना में एकीकृत खाद्य विनियामक पारितंत्र की स्थापना हुई और पूर्व में मात्र अपमिश्रण निवारण के विपरीत सुरक्षित और स्वास्थ्यकर भोजन सुनिश्चित करने की एक व्यापक समग्र पद्धति की और एक व्यापक परिवर्तन हुआ।

2.2 एफएसएसआई का अधिदेश

जैसा कि एफएसएस अधिनियम में परिकल्पित है, खाद्य प्राधिकरण का अधिदेश मानव उपभोग के लिए सुरक्षित एवं स्वास्थ्य कर खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, उसके भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को और उससे संबंधित मामलों को विनियमित करना है। खाद्य प्राधिकरण के कर्तव्य और कार्य अधिनियम की धारा 16 में निर्धारित है। इनका संक्षिप्त विवरण सारणी-2 में दर्शाया गया है:

सारणी 2-खाद्य प्राधिकरण के कर्तव्यों और कार्यों का विवरण

 निदेशों का निर्धारण	 विज्ञान आधारित	 क्षमताओं का सुदृढीकरण	 उपभोक्ताओं पर ध्यान केन्द्रित करना
- खाद्य पदार्थों की पहचान के लिए मानकों का निर्धारण। - लेबलिंग और दावों के मानकों का निर्धारण। - योजकों, प्रदूषकों, अवशिष्टों आदि के लिए सीमाओं का निर्धारण। - नमूना लेने और विश्लेषण की पद्धति के लिए दिशानिर्देशों का विकास। - आयातित खाद्य वस्तुओं के लिए उपयुक्त सीमा नियंत्रण का कार्यान्वयन। - जोखिम का मूल्यांकन, प्रबंधन और संप्रेषण सहित जोखिम विश्लेषण करना। - प्रयोगशाला प्रमाणन और अधिसूचना के लिए दिशानिर्देशों का विकास करना। - प्रमाणन निकायों के प्रत्यायन के लिए दिशानिर्देशों का विकास। - एफएसएस अधिनियम का प्रवर्तन और कार्यान्वयन का सर्वेक्षण करना।	- नीतियों के निरूपण के लिए वैज्ञानिक परामर्श और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना। - उपभोग और जोखिम सामना, जैविक जोखिमों की घटना और व्यापकता, प्रदूषक, द्रुत चेतावनी प्रणाली आदि के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों में अग्रणी बनना। - खाद्य सुरक्षा के लिए संकट प्रबंधन नयाचार का विकास। - वैज्ञानिक सहयोग, सूचना और विशेषज्ञता का आदान-प्रदान और वैश्विक दृष्टि से श्रेष्ठ पद्धतियों के कार्यान्वयन के लिए ढांचे का विकास। - अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिक परामर्श और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।	खाद्य सुरक्षा इकोसिस्टम के भीतर राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर खाद्य प्राधिकरणों के स्टॉफ, खाद्य कारोबारियों और अन्य हितधारियों की क्षमताओं के सुदृढीकरण के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।	- उपभोक्ताओं और सम्बद्ध हितधारियों को उपयुक्त, सरल, सामयिक सूचना उपलब्ध कराना। - वैज्ञानिक समितियों और पैनलों की समितियों के बारे में सामयिक ढंग से संप्रेषण। - वैज्ञानिक अध्ययनों के परिणामों का आदान-प्रदान करना। - बैठकों की कार्यसूची के संबंध में खाद्य प्राधिकरण, परामर्श समिति, वैज्ञानिक समिति और पैनलों आदि के सदस्यों द्वारा हित संबंधी वार्षिक घोषणाओं का प्रकटन।

 निर्देशों का निर्धारण	 विज्ञान आधारित	 क्षमताओं का सुदृढीकरण	 उपभोक्ताओं पर ध्यान केन्द्रित करना
खाद्य सुरक्षा और मानकों से संबंधित मामलों पर राज्य स्तरीय प्राधिकारियों का मार्गदर्शन करना।	- जोखिम मूल्यांकन पद्धतियों का विकास। - अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मानकों के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देना। - अंतरराष्ट्रीय तकनीकी मानकों के विकास कार्य में योगदान।		

2.3 खाद्य प्राधिकरण का गठन और वर्ष के दौरान इसकी बैठकें

2.3.1 एफ.एस.एस अधिनियम, 2006 की धारा 5 के अनुसार खाद्य प्राधिकरण का एक अध्यक्ष होगा और निम्नलिखित 22 सदस्य होंगे, जिनमें से एक—तिहाई महिलाएं होंगी, अर्थात्—

सारणी 3—खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष से भिन्न अन्य सदस्यगण (धारा 5)

केन्द्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों से सदस्य	कृषि, वाणिज्य, उपभोक्ता मामले, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य, विधायी मामले, लघु उद्योग कार्यों से सम्बद्ध केन्द्र सरकार के मंत्रालयों अथवा विभागों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कम से कम संयुक्त सचिव के स्तर के सात सदस्य जो पदेन सदस्य होंगे।
उपभोक्ता, किसानों और खुदरा विक्रेता संगठनों से प्रतिनिधित्व	उपभोक्ता संगठनों और किसानों से दो-दो प्रतिनिधि तथा खुदरा संगठनों से एक प्रतिनिधि
राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व	अधिनियम की प्रथम अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्षेत्रों में से एक-एक बार प्रथम तीन वर्ष के चक्रानुक्रम से नियुक्त किए जाने वाले पांच सदस्यगण
खाद्य उद्योग और स्वतंत्र एसएमई और खाद्य प्रौद्योगिकीविदों अथवा वैज्ञानिकों से प्रतिनिधित्व	क) खाद्य उद्योग के दो प्रतिनिधि जिनमें से एक लघु उद्योग से संबद्ध हो, ख) तीन प्रख्यात प्रौद्योगिकीविद् अथवा वैज्ञानिक

- 2.3.2** इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 9 के अनुसार, एफ.एस.एस.ए.आई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी खाद्य प्राधिकरण के सदस्य-सचिव हैं।
- 2.3.3** खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सदस्यों की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है। प्राधिकरण का मुख्यालय एफ.डी.ए. भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 पर स्थित है।
- 2.3.4** वर्ष 2021-22 के दौरान खाद्य प्राधिकरण की संरचना निम्नानुसार थी:

आकृति 1-खाद्य प्राधिकरण की संरचना, 2021-22



सारणी 4-धारा 5(1)(क) के अंतर्गत 2021-22 के दौरान खाद्य प्राधिकरण के पदेन सदस्य

क्र. सं.	नाम	पदनाम	मंत्रालय
1	डॉ. रीता वशिष्ठ	अपर सचिव	विधायी विभाग, विधि व न्याय मंत्रालय
2	डॉ. मंदीप कुमार भंडारी	संयुक्त सचिव	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
3	श्री आतिश चंद्र	संयुक्त सचिव	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
4.	श्री दिवाकर नाथ मिश्रा	संयुक्त सचिव	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
5	श्री अनुपम मिश्रा	संयुक्त सचिव	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
6	सुश्री रीमा प्रकाश	संयुक्त सचिव	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
7	श्रीमती अलका नांगिया अरोड़ा	संयुक्त सचिव	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

- 2.3.5** वर्ष 2021-22 के दौरान खाद्य प्राधिकरण की पांच बैठकें निम्नलिखित विवरण के अनुसार आयोजित की गईं:

खाद्य प्राधिकरण की बैठक की संख्या	बैठक की तिथि
34वीं	23.04.2021
35वीं	24.06.2021
36वीं	23.09.2021
37वीं	23.11.2021
38वीं	02.03.2022

खाद्य प्राधिकरण की सभी पांच बैठकें वर्चुअल मोड में हुईं।

2.3.6 चूंकि पिछले वर्ष (वर्षों) में सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति होने पर केंद्र सरकार द्वारा 2021–22 के दौरान एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) और (छ) के तहत कोई सदस्य नियुक्त नहीं किया गया था, खाद्य प्राधिकरण की यह बैठकें कम सदस्यों के साथ आयोजित हुईं। तथापि, प्राधिकरण की बैठकों में यह सुनिश्चित करने के लिए की विचार-विमर्श व्यापक आधार का व परस्पर संवादात्मक हो, उद्योग और उपभोक्ता संगठनों अर्थात् फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की), कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई), ऑल इंडिया फूड प्रॉसेसर्स एसोसिएशन (एआईएफपीए) और मिज़ोरम कन्ज्युमर्स यूनियन से विशेष आमंत्रिती उपस्थित थे। इन बैठकों में भाग लेने के लिए वैज्ञानिक समिति के अध्यक्ष को भी आमंत्रित किया गया था। गुजरात, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, मणिपुर, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को भी प्राधिकरण की 34वीं से 37वीं बैठकों में विशेष आमंत्रितियों के रूप में आमंत्रित किया गया था। प्राधिकरण की 38वीं बैठक में केरल, दिल्ली, झारखंड, पंजाब और मेघालय के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को विशेष आमंत्रिती के रूप में आमंत्रित किया गया था।

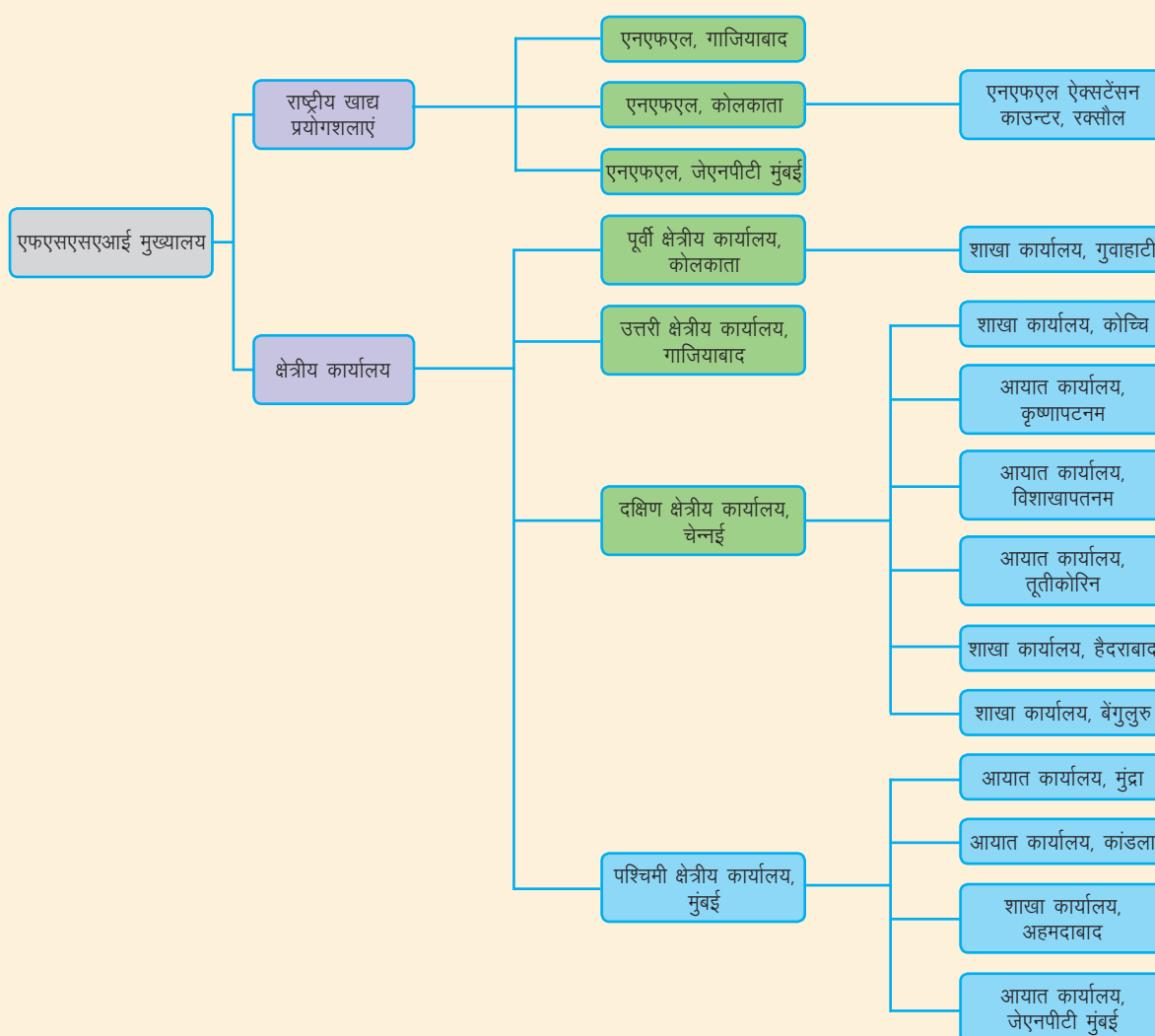
2.4 केंद्रीय सलाहकार समिति (सीएसी)

2.4.1 एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 11 में केंद्रीय सलाहकार समिति (सीएसी) की स्थापना का प्रावधान है और धारा 12 में इसके कार्यों का विवरण है। समिति का प्राथमिक अधिदेश कार्य योजना, कार्य का प्राथमिकीकरण, संभावित जोखिमों की पहचान और ज्ञान प्रबंधन के संबंध में प्राधिकरण को सलाह देना है। सीएसी खाद्य प्राधिकरण, राज्य प्रवर्तन एजेंसियों और खाद्य के क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों के बीच निकट सहयोग और समन्वय सुनिश्चित करती है।

2.4.2 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 11 के अंतर्गत केंद्रीय सलाहकार समिति का 5 जुलाई, 2019 की अधिसूचना द्वारा 3 वर्षों के लिए पुनर्गठन किया गया था। वर्ष 2021–22 के दौरान, सीएसी की चार बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें एफएसएसएआई के अधिकारियों के अलावा खाद्य सुरक्षा आयुक्तों और राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों के अन्य अधिकारियों और विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के प्रतिनिधियों आदि ने भाग लिया और खाद्य सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

2.5 खाद्य प्राधिकरण की संगठनात्मक संरचना

2.5.1 एफएसएसएआई का मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय गाज़ियाबाद, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में स्थित हैं। वर्ष के शुरू में इसके शाखा/पोर्ट कार्यालय गुवाहाटी, कोच्चि, ट्रूटिकोरिन, कृष्णापट्टनम, कांडला और मुंद्रा में थे। वर्ष के दौरान एफएसएसएआई ने कुछ और स्थानों अर्थात् विशाखापत्तनम, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी), मुंबई पर नए शाखा/पोर्ट कार्यालय खोले। इसके अलावा एफएसएसएआई की तीन राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशालाएं भी हैं अर्थात् एनएफएल, गाज़ियाबाद; एनएफएल कोलकाता (जिसका एक्सटेंशन काउंटर रक्सौल में है); और एनएफएल, जेएनपीटी मुंबई। जेएनपीटी, मुंबई स्थित एनएफएल का संचालन वर्ष के दौरान शुरू किया गया। चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई स्थित एक और राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का संचालन 2022-23 में होना अपेक्षित है।



आकृति 2—खाद्य प्राधिकरण का संगठनात्मक ढांचा

2.5.2 वर्ष के दौरान खाद्य प्राधिकरण ने इंदौर में नया शाखा कार्यालय और नासिक में नया आयात कार्यालय खोलने की स्वीकृति दी। ये कार्यालय निकट भविष्य में संचालित हो जाएंगे।

2.6 मुख्यालय में खाद्य प्राधिकरण के प्रभाग

एफएसएसएआई के मुख्यालय में निम्नलिखित प्रभाग हैं:

- मानव संसाधन प्रभाग
- सामान्य प्रशासन और नीति समन्वय प्रभाग (संसद, विधि, राजभाषा और आरटीआई शाखाएं भी शामिल हैं)
- सामाजिक और व्यवहारगत परिवर्तन प्रभाग
- सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग
- विज्ञान और मानक प्रभाग—I
- विज्ञान और मानक प्रभाग—II
- विनियम प्रभाग
- गुणवत्ता आश्वासन प्रभाग—I
- गुणवत्ता आश्वासन प्रभाग—II
- नियामिकी अनुपालन प्रभाग
- प्रशिक्षण प्रभाग
- व्यापार और अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्रभाग

2.7 मानव संसाधन

2.7.1 स्वीकृत संख्या

एफएसएसएआई में विभिन्न स्तरों पर 824 पद स्वीकृत हैं। एफएसएसएआई में सभी पदों का पद-वार विवरण नीचे सारणी-5 में दिया गया है:

सारणी 5—एफएसएसएआई की पद-वार संस्वीकृत संख्या

क्र. सं.	पद का नाम	वेतन स्तर	स्वीकृत संख्या
1	अध्यक्ष	17	1
2	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	15	1
3	कार्यकारी निदेशक	14	2
4	सलाहकार	14	2
5	निदेशक	13	16
6	मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी	13	1
7	मुख्य प्रबंधक	13	1
8	संयुक्त निदेशक	12	32
9	उप निदेशक	11	44
10	सहायक निदेशक	10	22

क्र. सं.	पद का नाम	वेतन स्तर	स्वीकृत संख्या
11	सहायक निदेशक (तकनीकी)	10	60
12	खाद्य विश्लेषक	10	10
13	तकनीकी अधिकारी	7	255
14	केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी	7	74
15	सहायक निदेशक (राजभाषा)	10	1
16	हिंदी अनुवादक	6	3
17	प्रशासनिक अधिकारी	8	25
18	सहायक	6	76
19	कनिष्ठ सहायक ग्रेड-I	4	12
20	वरिष्ठ निजी सचिव	8	7
21	निजी सचिव	7	17
22	निजी सहायक	6	39
23	वरिष्ठ प्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी)	12	2
24	प्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी)	11	2
25	उप प्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी)	10	4
26	सहायक प्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी)	7	10
27	सूचना प्रौद्योगिकी सहायक	6	6
28	वरिष्ठ प्रबंधक	12	2
29	प्रबंधक	11	8
30	उप प्रबंधक	10	16
31	सहायक प्रबंधक	7	8
32	कनिष्ठ सहायक ग्रेड-II	2	12
33	स्टॉफ कार चालक (साधारण ग्रेड)	2	3
34	मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)	1	50
	कुल		824

2.7.2 एफएसएसएआई में भर्ती की स्थिति

सीधी भर्ती- 1 अक्टूबर, 2018 को विभिन्न पदों के लिए भर्ती विनियम अधिसूचित किए गए थे और उसके बाद भर्ती विनियमों के उपबंधों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। तदनुसार, प्रथम चरण में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन विज्ञापन संख्या DR-01/2019 दिनांक 25 जनवरी, 2019, DR-02/2019 दिनांक 26 मार्च, 2019, DR-03/2019 दिनांक 16 अक्टूबर, 2019 और DR-01/2020 दिनांक 1 अगस्त, 2020 के द्वारा माँगे गए थे। इन विज्ञापनों की चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न चरण अर्थात् दस्तावेज जाँच/कम्प्युटर आधारित परीक्षा (सीबीटी)/लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार (यथा लागू) पूरे किए जा चुके हैं। परिणामों के आधार पर 288 पदों में से कुल

266 अभ्यर्थी प्राधिकरण में कार्यग्रहण कर चुके हैं और शेष अभ्यर्थियों द्वारा कार्यग्रहण प्रक्रियाधीन है।

एफएसएसएआई ने विज्ञापन संख्या DR-01/2021 दिनांक 16 अप्रैल, 2021 और DR-02/2021 दिनांक 13 अक्टूबर, 2021 के द्वारा वरिष्ठ स्तर के पदों (वेतन स्तर-11 और उससे ऊपर) और DR-04/2021 दिनांक 30 सितंबर, 2021 के द्वारा कनिष्ठ स्तर के पदों (वेतन स्तर-10 और उससे नीचे) के लिए कुल 271 पदों पर भर्ती का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। इन विज्ञापनों के संबंध में दस्तावेज़ जाँच/सीबीटी/लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार (यथा लागू) की प्रक्रिया चल रही है।

प्रतिनियुक्ति— विज्ञापन संख्या DEP-01/2021 दिनांक 6 अक्टूबर, 2021 के द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर 72 पदों को भरने के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए गए थे। भर्ती की प्रक्रिया चल रही है।

संविदात्मक— विज्ञापन सं. CONT-01/2022 दिनांक 23 फरवरी, 2022 के द्वारा पूर्णतः संविदा के आधार पर खाद्य विश्लेषक के दो पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। भर्ती की प्रक्रिया चल रही है।

2.7.3 कार्यरतों की संख्या

31 मार्च, 2022 को एफएसएसएआई में कुल 545 कार्यरत कर्मचारी थे, जिनमें से 289 कर्मचारी नियमित आधार पर (सीधी भर्ती/आमेलन), 74 कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर, 40 कर्मचारी डीम्ड प्रतिनियुक्ति पर और 142 कर्मचारी संविदा के आधार पर नियुक्त थे।

2.8 महिला कर्मचारियों के लिए आंतरिक शिकायत समिति

विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य (1997) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णय और महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अनुसार एफएसएसएआई में एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) गठित की गई है और यह सुनिश्चित किया गया कि यह हर समय क्रियाशील एवं प्रभावी हो। समिति को वर्ष 2021-22 के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। तथापि, एक विचाराधीन मामले में पत्राचार हुआ था जिस पर समिति ने तुरंत कार्रवाई की थी। नवनियुक्त कर्मचारियों को महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम और लिंग संवेदीकरण पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

2.9 सतर्कता संबंधी मामले

2.9.1 एफएसएसएआई की सतर्कता इकाई अपने मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रयोगशालाओं में कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों के संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करती है। शिकायतों/मामलों की जांच या तो एफएसएसएआई द्वारा या स्वतंत्र एजेंसी (जैसे सीबीआई) के माध्यम से की जाती है। यदि प्रथम दृष्टया, अनियमितताओं के लिए किसी अधिकारी (अधिकारियों) को जिम्मेदार ठहराया जाता है, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के संबंध में आगे उचित कदम उठाया जाता है। दिशानिर्देशों के अनुसार जहां आवश्यक हो सीवीसी से भी परामर्श किया जाता है। 2021-22 की अवधि के

दौरान 116 शिकायतों के संबंध में कार्रवाई/निवारण किया गया।

- 2.9.2** एफएसएसएआई (मुख्यालय) और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रयोगशालाओं में 26 अक्टूबर, 2021 से 1 नवंबर, 2021 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2021 मनाया गया। इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय "स्वतंत्र भारत@75:सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता" था। इस अवसर पर दिनांक 26 अक्टूबर, 2021 को सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी, पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा बनाए रखने की शपथ दिलाई गई। इसके बाद कर्मचारियों के सतर्कता संबंधी ज्ञान के बारे में एक लिखित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। 1 नवम्बर, 2021 को एक कार्यशाला/संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें सतर्कता जागरूकता सप्ताह के विषय पर वार्ता के लिए बाहर से विशेषज्ञ को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को 4,000/- रुपये, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को 3,000/- रुपये, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को 2,000/- रुपये का नकद पुरस्कार और 1,000/- रुपये नकद प्रत्येक के दो सात्वना पुरस्कार देकर सम्मानित किया।

2.10 अन्य कार्मिक और सामान्य सेवा मामले

2.10.1 एफएसएसएआई का डे-केयर केंद्र

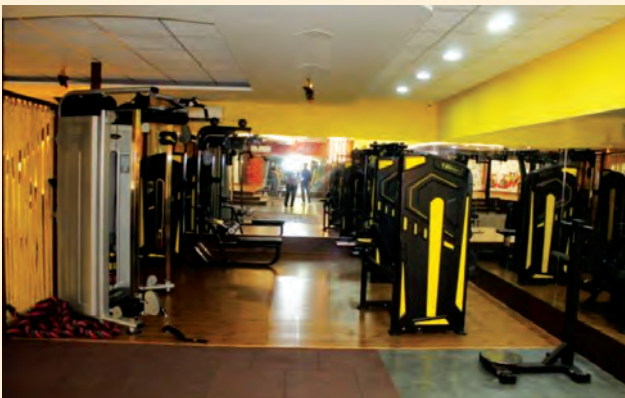
बच्चों के लिए एफएसएसएआई का डे-केयर केंद्र- "नन्हे कदम" एफडीए भवन और पड़ोस के अन्य सरकारी कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों, विशेषकर महिला कर्मचारियों, की सुविधा के लिए एफएसएसएआई मुख्यालय, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली में कार्य कर रहा है।



आकृति 3-एफएसएसएआई का डे-केयर केंद्र

2.10.2 जिम

एफएसएसएआई मुख्यालय और सीडीएससीओ में स्वास्थ्य के प्रति सजग कार्मिकों की आवश्यकता को पूरा करने और आस-पास के क्षेत्र के फिटनेस उत्साही लोगों के लाभ के लिए एफडीए भवन परिसर में एक आधुनिक वातानुकूलित जिम क्रियाशील है। योग की कक्षाएँ आयोजित करने की सुविधा भी बनाई गई है।



आकृति 4—जिम और योग की सुविधा

2.10.3 चिकित्सा की सुविधा

एफएसएसएआई के मुख्य कार्यालय में कार्यरत कर्मिकों के लाभ के लिए एक विशेषज्ञ चिकित्सा परामर्शदाता को अंशकालिक आधार पर (सप्ताह में दो बार, दो घंटों के लिए) लगाया गया है। कर्मचारियों को विशेषज्ञ से मुफ्त चिकित्सा परामर्श मिलता है। परामर्शदाता चिकित्सक द्वारा निर्धारित कुछ मूलभूत आवश्यक दवाएं भी कर्मचारियों को निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। यह सुविधा उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है जो सीजीएचएस के अंतर्गत नहीं आते हैं।

2.11 एफएसएसएआई की कार्यात्मक आवश्यकताओं के लिए अतिरिक्त स्थान प्राप्त करने के लिए 2021–22 के दौरान उठाए गए कदम

2.11.1 वर्ष 2021–22 के दौरान, एफएसएसएआई ने अपनी कार्यात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित स्थानों को अपने आधिपत्य में लिया:

- (i) विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट (वीपीटी) में डीएलबी बिल्डिंग (कार्मिका ज्योति भवन), पोर्ट एरिया (जोन 1A) की 5वीं मंजिल पर 2,198 वर्ग फुट की जगह वीपीटी से जून, 2021 से 10 साल की अवधि के लिए @₹4,30,911 प्रति वर्ष पर लीज पर ली गई;
- (ii) बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज, विजयनगर, बेंगलुरु-560040 में चौथी मंजिल पर 2,423.96 वर्ग फुट की जगह बीएसएनएल से ₹1,81,797 के मासिक किराए पर दिनांक 9 जुलाई, 2021 से तीन वर्ष की अवधि के लिए लीज पर ली गई, जिसे नौ वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
- (iii) दूसरी मंजिल, टेलीफोन भवन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, सी.जी. रोड, अहमदाबाद पर लगभग 3000 वर्ग फुट की जगह बीएसएनएल से लीज पर ₹2,49,000 के मासिक किराए पर 01 दिसंबर, 2021 से 5 वर्ष की अवधि के लिए ली गई जिसे 5 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है।
- (iv) तीसरी मंजिल, सेंट्रल पार्क, हाउसफीड कॉम्प्लेक्स दिसपुर, गुवाहाटी में 4695 वर्ग फुट की जगह रबर बोर्ड से लीज पर ₹1,26,765 के मासिक किराए पर दिनांक 01 अगस्त, 2021 से तीन वर्ष की अवधि के लिए ली गई है।

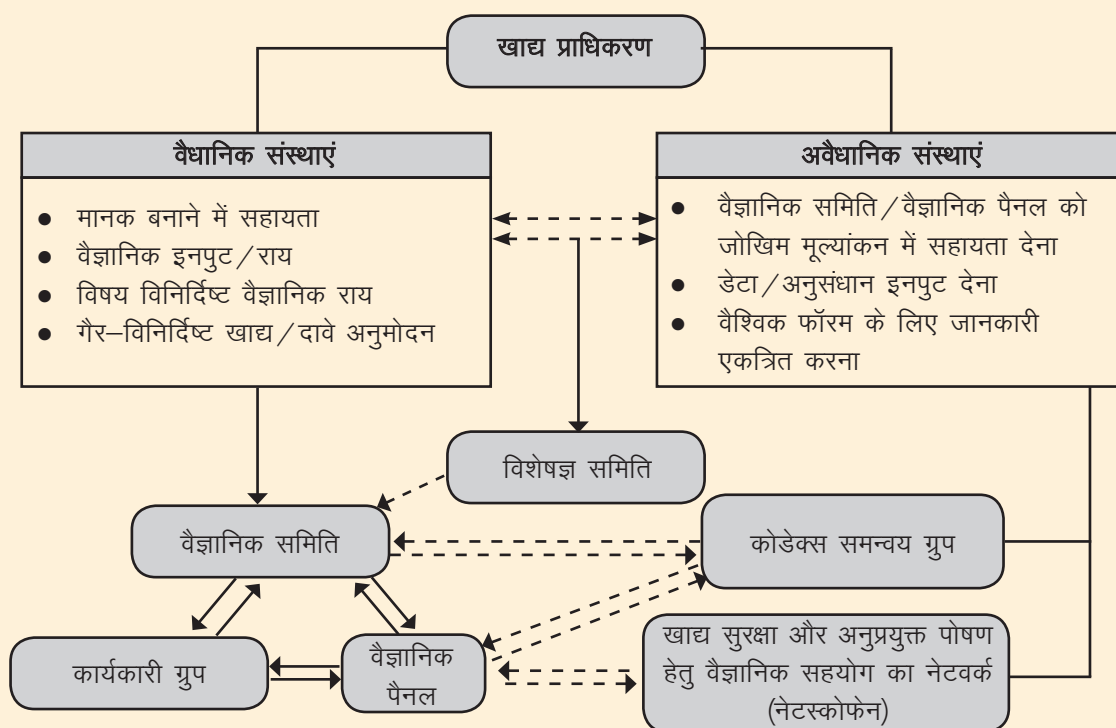
- 2.11.2** एनएफएल, गाजियाबाद परिसर में एक बहुमंजिला इमारत (2 लेवल बेसमेंट+ग्राउंड फ्लोर+2 फ्लोर) का निर्माण किया जा रहा है जिससे ₹46.26 करोड़ की अनुमानित लागत से लगभग 60,000 वर्ग फुट की जगह तैयार हो जाएगी। इस परियोजना के लिए मेसर्स एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता है। निर्माण कार्य प्रगति पर है और इसके सितंबर, 2022 तक पूरा होने की संभावना है।
- 2.11.3** भर्ती किए गए नए लोगों के कार्यग्रहण करने के बाद मुख्यालय में अधिक लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एफडीए भवन, नई दिल्ली के निकटस्थ एमएमयू बिल्डिंग में लगभग 17,000 वर्ग फुट जगह आवंटित की है, जिसे अगस्त, 2020 में आधिपत्य में ले लिया गया था। इस जगह के अधिकांश हिस्से का नवीकरण ₹8.45 करोड़ की लागत से किया गया था और कुछ प्रभाग वहां काम भी कर रहे हैं। इस जगह के शेष भाग का नवीकरण ₹2.51 करोड़ की लागत से किया जा रहा है और संभावित है कि कुछ महीनों में उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाएगा।

अध्याय-3

मानक और विनियम

3.1 खाद्य प्राधिकरण में वैज्ञानिक ढाँचे का अवलोकन

एफ.एस.एस.ए.आई के वैज्ञानिक ढाँचे में वैज्ञानिक समिति एवं वैज्ञानिक पैनल मुख्य वैज्ञानिक शाखाएँ हैं। ये दोनों निकाय आवश्यक वैज्ञानिक राय देते हैं तथा एक सुचारु पद्धति के माध्यम से मानकों के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। इन दो वैधानिक वैज्ञानिक संस्थाओं के अतिरिक्त खाद्य प्राधिकरण ने कुछ अवैधानिक संस्थाओं की स्थापना भी की है जो वैज्ञानिक समिति एवं वैज्ञानिक पैनलों से जुड़ी होती हैं। विज्ञान संबंधित कार्य एवं उनसे जुड़ी शाखाओं का सम्पूर्ण ढाँचा रेखाचित्र के माध्यम से नीचे आकृति-5 में दर्शाया गया है:-



आकृति 5—वैधानिक एवं अवैधानिक निकायों के संदर्भ में एफएसएसएआई का वैज्ञानिक कार्य

3.2 वैज्ञानिक समिति

एफएसएसएआई अधिनियम की धारा 14 में वैज्ञानिक पैनल के अध्यक्षों तथा छह स्वतंत्र वैज्ञानिक विशेषज्ञों, जो किसी भी वैज्ञानिक पैनलों से संबद्ध न हों, को शामिल करते हुए एक वैज्ञानिक समिति के गठन का प्रावधान है। इस समिति पर खाद्य प्राधिकरण को वैज्ञानिक मत प्रदान करने, वैज्ञानिक राय की संगतता सुनिश्चित करने तथा विशेष रूप से वैज्ञानिक पैनलों की कार्य प्रक्रियाओं को अपनाने और कार्य पद्धतियों में सामंजस्य

बैठाने हेतु सामान्य समन्वय का दायित्व होता है। वैज्ञानिक समिति एक से अधिक वैज्ञानिक पैनलों के दायरे में आने वाले बहु-क्षेत्रीय मुद्दों पर अपनी राय देती है तथा ऐसे मुद्दों पर कार्यकारी समूहों का गठन करती है जो उन वैज्ञानिक पैनलों में से किसी पैनल के दायरे में नहीं आता है। वैज्ञानिक समिति अपने सदस्यों में से किसी एक का अध्यक्ष के रूप में चुनाव करती हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान वैज्ञानिक समिति ने चार बैठकें की (38वीं से 41वीं)।

3.3 वैज्ञानिक पैनल

- 3.3.1** खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 13 में विषय-विशिष्ट वैज्ञानिक पैनलों को स्थापित करने का प्रावधान है जिसमें स्वतंत्र वैज्ञानिक विशेषज्ञ होते हैं। वैज्ञानिक पैनल जोखिम मूल्यांकन निकाय के रूप में कार्य करते हैं तथा अपनी सुविचारित वैज्ञानिक राय देते हैं।
- 3.3.2** खाद्य प्राधिकरण नए सदस्यों को जोड़कर अथवा विद्यमान सदस्यों को हटाकर अथवा पैनल के नाम में बदलाव कर, जैसा भी मामला हो, इन वैज्ञानिक पैनलों को पुनर्गठित करने के लिए सक्षम हैं। वैज्ञानिक पैनल अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में चुनते हैं।
- 3.3.3** वर्तमान में 21 विषय-विशिष्ट वैज्ञानिक पैनल कार्यरत हैं। वैज्ञानिकों पैनलों का विवरण और वर्ष के दौरान प्रत्येक वैज्ञानिक पैनल द्वारा की गई बैठकों का विवरण सारणी-6 में दर्शाई गई हैं।

सारणी 6—वैज्ञानिक पैनलों की सूची और वर्ष 2021-22 के दौरान इनके द्वारा की गई बैठकों की संख्या

क्र. स.	वैज्ञानिक पैनल	पैनल के द्वारा की गई बैठकों की संख्या
1	खाद्य सहयोज्य, सुवासकरी पदार्थ, प्रसंस्करण सहायक और खाद्य संपर्क सामग्री	04
2	कीटनाशक अवशिष्ट	05
3	एंटीबायोटिक अवशिष्ट	—
4	अनुवांशिक रूप से परिवर्तित जीव एवं खाद्य पदार्थ	03
5	कार्यमूलक खाद्य, न्यूट्रास्युटिकल्स, आहारिय उत्पाद और अन्य सदृश्य उत्पाद	07
6	जैविक खतरे	03
7	खाद्य शृंखला में संदूषक	03
8	लेबलिंग और दावे/विज्ञापन	07
9	प्रतिचयन और विश्लेषण की पद्धती	04
10	मछली एवं मत्स्य उत्पाद	02
11	अनाज, दाल, फलियाँ एवं उनके उत्पाद (बेकरी सहित)	04
12	फल एवं सब्जियाँ एवं उनके उत्पाद (सूखे फल सहित)	02
13	पोल्ट्री सहित मांस एवं मांस उत्पाद	03

क्र. स.	वैज्ञानिक पैनल	पैनल के द्वारा की गई बैठकों की संख्या
14	दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद	02
15	तेल एवं वसा	03
16	मिठाईयाँ, मिष्ठान, मधुरक, चीनी और शहद	03
17	जल (सुवासित जल सहित) एवं पेय पदार्थ (अल्कोहल रहित)	04
18	पोषण एवं सुदृढ़ीकरण	03
19	मसाले एवं पाक्य जड़ी बूटी	03
20	पैकेजिंग	02
21	अल्कोहलीय पेय	04
	कुल	71

3.4 खाद्य में सुरक्षा एवं प्रभाव संबंधित डाटा उत्पन्न करने हेतु नूतन अथवा गैर विनिर्दिष्ट खाद्य सघटक/उत्पाद पर मानव हस्तक्षेप अध्ययनों के लिए खाद्य कारोबारियों को अनापत्ति या पूर्व नियामक निकासी जारी करने हेतु क्रियाविधी विकसित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। इसने दो बार बैठकों की।

3.5 कार्यकारी समूह

वैज्ञानिक समिति मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एफएसएसएआई) द्वारा विधिवत अनुमोदन के बाद कार्यकारी समूह गठित करती है। इनका गठन विशिष्ट मुद्दों या विशेषतया ऐसे मामले जो किसी भी वैज्ञानिक पैनल के कार्यक्षेत्र में नहीं आते हैं को देखने के लिए एवं/अथवा एक से अधिक वैज्ञानिक पैनलों के अंतर्गत आने वाले बहुक्षेत्रीय मुद्दों पर अपनी राय देने के लिए होता है। कार्यकारी समूहों का गठन करते समय वैज्ञानिक समिति संदर्भ की शर्तों को निश्चित करता है और समय-सीमा का भी उल्लेख करता है, जिसके अंतर्गत उसे कार्य पूरा करना है। वैज्ञानिक समिति ऐसे कार्यकारी समूहों के कार्यों का समन्वय भी करता है। वैज्ञानिक पैनलों एवं वैज्ञानिक समितियों के सदस्यों में से ही कार्यकारी समूहों के सदस्य चुने जाते हैं परन्तु इनमें संबंधित बाहरी विशेषज्ञ भी हो सकते हैं जो किसी भी वैज्ञानिक पैनल और वैज्ञानिक समिति का हिस्सा नहीं है। हाँलाकि किसी भी कार्यकारी समूह में ऐसे बाहरी विशेषज्ञ समूह के कुल सदस्यों की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकते। कार्यकारी समूह के अध्यक्ष की नियुक्ति वैज्ञानिक समिति द्वारा वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल के सदस्यों में से ही की जाती है। वैज्ञानिक समिति ने कुछ कार्यकारी समूह स्थापित किये हैं। इससे संबंधित विवरण सारणी-7 में दिया गया है।

सारणी 7-कार्यकारी समूहों का विवरण

क्रम सं.	कार्यकारी समूह का विवरण	कार्यकारी समूह द्वारा संचालित किए जाने वाले कार्य	वर्ष के दौरान की गई बैठकें
1	खाद्य रंगों पर कार्य करने वाला कार्यकारी समूह। (दिनांक 05.07.2018 के आदेश द्वारा गठित)	खाद्य रंगों का जोखिम मूल्यांकन, शब्दावली, वर्तमान अनुमेष सीमा एवं खाद्य रंगों के वर्तमान मानक की समीक्षा।	01
2	मत्स्य एवं मत्स्य उत्पादों में फॉर्मेलिहाइड संबंधित मसलों के लिए कार्यकारी समूह। (दिनांक 06.12.2019 के आदेश द्वारा गठित)	मत्स्य एवं मत्स्य उत्पादों में फॉर्मेलिहाइड संबंधित मसलों का अध्ययन एवं पुनरावलोकन।	03
3	खमीरयुक्त मत्स्य उत्पादों के मानकों के विकास हेतु कार्यकारी समूह। (दिनांक 11.06.2021 के आदेश द्वारा गठित)	खमीरयुक्त मत्स्य उत्पादों के मानकों का विकास करना।	02
4	प्रसंस्करण सहायकों पर कार्यकारी समूह। (दिनांक 24.11.2017 के आदेश द्वारा गठित)	उद्योगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले एवं संभावित प्रयोग में लाए जाने वाले प्रसंस्करण सहायकों की पहचान करना एवं उनकी सिफारिश करना, अवशिष्ट सीमा की सिफारिश करना। अनुवांशिक रूप से परिष्कृत स्रोतों से प्राप्त होने वाले प्रकिण्वों (एँजाइम) की जाँच करना एवं उनकी सिफारिश करना।	02
5	सुवासकरी पदार्थों के पुनरावलोकन पर गठित कार्यकारी समूह। (दिनांक 01.05.2020 के आदेश द्वारा गठित कार्यकारी समूह)	सुवासकरी पदार्थों के सुरक्षित होने संबंधी मामलों का अध्ययन व समीक्षा और सुवासकारी पदार्थों की एक निश्चित सूची की संस्तुति।	01
6	खाद्य योजकों व प्रसंस्करण सहायकों के मानकों के विकास के लिए गठित कार्यकारी समूह। (दिनांक 08.12.2020 के आदेश द्वारा गठित)	खाद्य योजकों व प्रसंस्करण सहायकों के लिए उपलब्ध राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानक/विशिष्टताएं संग्रहित कर उनके लिए एक तुलनात्मक आधार तैयार करना। एकत्रित जानकारी के आधार पर भारत केन्द्रित मानकों का विकास करना।	01
7	फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग के लिए गठित कार्यकारी समूह। (दिनांक 25.11.2019 के आदेश द्वारा गठित)	फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग के लिए सभी खाद्य श्रेणियों एवं उप-श्रेणियों के संबंध में वसा, चीनी एवं नमक की शुरुआती मान की समीक्षा के लिए कार्यकारी समूह।	04 अब भंग हो गई है।

क्रम सं.	कार्यकारी समूह का विवरण	कार्यकारी समूह द्वारा संचालित किए जाने वाले कार्य	वर्ष के दौरान की गई बैठकें
8	न्यूट्रास्युटिकल्स विनियमों में सम्मिलित उत्पाद और संगठकों के लिए विश्लेषण पद्धति पर गठित कार्यकारी समूह। (दिनांक 10.09.2020 के आदेश द्वारा गठित)	एफएसएस (स्वास्थ्य पूरकों, न्यूट्रास्युटिकल्स, विशेष आहारीय उपयोग के लिए खाद्य, विशेष चिकितीय प्रयोजन हेतु खाद्य, क्रियात्मक खाद्य और नवीन खाद्य विनियम, 2016 के अन्तर्गत आने वाली सामग्रियों/उत्पादों के विश्लेषण की विधियों से संबंधित मामलों को संबोधित करने हेतु गठित की गई।	01

3.6 गैर – विनिर्दष्ट खाद्य/खाद्य सामग्रियों का अनुमोदन

- 3.6.1** खाद्य सुरक्षा और मानक (गैर – विनिर्दष्ट खाद्य और खाद्य संघटक के लिए अनुमोदन) विनियम, 2017 खाद्य प्राधिकरण को किसी भी प्रकार के गैर – विनिर्दष्ट खाद्य (मालिकाना खाद्य को छोड़कर) व खाद्य संघटकों को अनुमति प्रदान करने के लिए सक्षम बनाता है। इसमें नूतन खाद्य, नए खाद्य योजक एवं नए प्रसंस्करण सहायक तथा सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, खमीर, कवक और शैवाल सहित या इनसे प्राप्त खाद्य संगठक सम्मिलित हैं। इन विनियमों में आवेदनों (जिसमें विचाराधीन उत्पाद के बारे में आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से सभी वैज्ञानिक जानकारी दी गई है।) के मूल्यांकन हेतु एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना का प्रावधान है।
- 3.6.2** गैर – विनिर्दष्ट खाद्य के अनुमोदन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए दिनांक 3 सितंबर, 2021 के आदेश से 3 अतिरिक्त विशेषज्ञ समितियों की स्थापना की गई जिससे उनकी कुल संख्या बढ़कर 6 हो गई है।
- 3.6.3** प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए प्राधिकरण ने खाद्य सुरक्षा और मानक (गैर – विनिर्दष्ट खाद्य और खाद्य संघटक के लिए अनुमोदन) विनियम, 2017 में विनिर्दष्ट अपील प्रक्रिया में संशोधन किया है तथा समय सीमा भी बाँध दी है।
- 3.6.4** 2021–22 के दौरान गैर – विनिर्दष्ट खाद्य और खाद्य संघटक की स्वीकृति के लिए कुल 79 आवेदन प्राप्त हुए। वर्ष के प्रारंभ में भी कुछ आवेदन लंबित थे। इस अवधि के दौरान आवेदनों पर विचार करने के लिए 6 विशेषज्ञ समितियों ने कुल 22 बैठकें की। इन बैठकों के फलस्वरूप 66 आवेदन स्वीकृत करने की संस्तुति की 30 रद्द किए गए। 83 आवेदनों को या तो बंद कर दिया गया या वे वापिस ले लिए गए। वर्ष के दौरान 66 उत्पादों/सामग्रियों के लिए स्वीकृति दी गई।

3.7 दावों का अनुमोदन

- 3.7.1** खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावों) विनियम, 2018 को इसलिए अधिसूचित किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खाद्य उत्पादों के बारे में दावों और विज्ञापनों में अतिशयोक्ति नहीं है तथा उपभोक्ता हित को सुरक्षित रखने हेतु ऐसे दावों और विज्ञापनों के लिए खाद्य कारोबारों को जिम्मेदार बनाया जा सके जो स्वास्थ्य और/या पोषण लाभ से संबंधित हैं। विनियम की विभिन्न अनुसूचियों के अंतर्गत ऐसे विशिष्ट दावों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनको खाद्य कारोबारी बिना खाद्य प्राधिकरण की पूर्वानुमति के कर सकते हैं। तथापि, गैर – मानक दावों के अनुमोदन के लिए

विशेषज्ञ समिति ऐसे आवेदनों (तथा दिए गए वैज्ञानिक सबूतों की) जाँच करता है जो पूर्वानुमती के लिए प्राप्त होती हैं।

- 3.7.2** 2021-22 के दौरान कुल आठ आवेदन प्राप्त हुए थे। विशेषज्ञ समिति ने इन आवेदनों पर विचार करने के लिए 4 बैठकें की। विचार करने के बाद केवल एक आवेदन को स्वीकार किया गया। इसके अलावा अपील पर विचार करने के पश्चात एक पूर्व आवेदन को भी स्वीकार किया गया।

3.8 प्रतिचयन एवं विश्लेषण की नियमपुस्तिकाएँ (मैनुअल)/विधियाँ

- 3.8.1** प्रतिचयन एवं विश्लेषण की विधियों पर वैज्ञानिक पैनल एवं वैज्ञानिक समिति की सिफारिशों के आधार पर 2021-22 के दौरान विश्लेषण की निम्नलिखित नियमपुस्तिकाएँ/विधियाँ स्वीकृत हुई हैं:

- खाद्य के विश्लेषण के पुनरावलोकित मैनुअल एवं विधियाँ—अल्कोहलीय बीवरेज
- सेब एवं सेब के रस में पातुलीन के निर्धारण की विधि
- खाद्य उत्पादों में नियासीन के निर्धारण की विधि

- 3.8.2** <https://fssai.gov.in/cms/manuals-of-methods-of-analysis-for-various-food-products.php> पर मैनुअल/विधियों की पूरी सूची उपलब्ध है।

3.9 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

- 3.9.1** वर्ष के दौरान नीचे दिए गए विनियमों पर अक्सर पूछे गए प्रश्न तैयार किए गए और एफएसएसएआई की वेबसाइट पर डाले गए—

- मानकीकृत उत्पादों में जिनमें खाये जाने वाले नमक का प्रयोग विनिर्दिष्ट है, आयोडाईज्ड नमक का प्रयोग सही है या नहीं;
- खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य या स्वास्थ्य अनुपूरक, न्यूट्रास्युटिकल्स, विशेष आहार विषयक उपयोग के लिए खाद्य, विशेष चिकित्सीय प्रयोजन के लिए खाद्य, कृत्यकारी खाद्य और नूतन खाद्य) विनियमावली, 2016, (08.10.2021 को पुनरीक्षित)।

- 3.9.2** विभिन्न मानकों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न <https://fssai.gov.in/cms/standardsfaq.php> पर उपलब्ध हैं।

3.10 मार्गदर्शी नोट

- 3.10.1** हितधारकों के मार्गदर्शन के लिए कुछ मार्गदर्शी नोट/दस्तावेज भी एफएसएसएआई की वेबसाइट पर अपलोड किए गए:

- खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों में सूचना के प्रदर्शन हेतु मार्गदर्शी नोट (23.02.2022 को अपलोड किया गया)।
- ट्रांस फैटी एसिड पर मार्गदर्शी नोट (03.03.2022 को अपलोड किया गया)।
- खाद्य उत्पादों में कीटनाशकों की अधिकतम अवशिष्ट सीमा (एमआरएल) के लिए मानक निर्धारण प्रक्रिया और मार्गदर्शी दस्तावेज (16.03.2022 को अपलोड किया गया)।

3.10.2 हितधारकों की सूचना के लिए एफएसएसएआई द्वारा जारी मार्गदर्शी नोट/दस्तावेज की संपूर्ण सूची <https://fssai.gov.in/cms/guidance-notes.php> पर उपलब्ध है।

3.11 विभिन्न घोषणापत्र जमा करने हेतु पोर्टल

गोपनीयता, द्वन्द एवं विशेष हित इत्यादि के संबंध में घोषणापत्र जमा करने हेतु अध्यक्ष एफएसएसएआई द्वारा 23 अगस्त, 2021 को एक पोर्टल का उद्घाटन किया गया। उक्त पोर्टल में वैज्ञानिक पैनल, वैज्ञानिक समिति, कार्यकारी समूहों एवं विशेषज्ञ समितियों इत्यादि के सदस्यों की सम्पर्क जानकारी, विभिन्न बैठकों के विवरण व गोपनीयता, द्वन्द एवं विशेष हित इत्यादि से संबंधित जमा किए गए फॉर्म भी उपलब्ध हैं। इस पोर्टल के माध्यम से ईमेल eatright-india@fssai.gov.in के माध्यम से सदस्यों को बैठक से पहले फॉर्म जमा करने के लिए एक लिंक साझा किया जाता है।



आकृति 6—घोषणापत्र जमा करने हेतु पोर्टल का उद्घाटन

3.12 परामर्शिकाएँ/आदेश

2021-22 के दौरान निम्नलिखित परामर्शिकाएँ या आदेश जारी किए गए —

- खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 16(5) के अन्तर्गत दिनांक 2 अगस्त, 2021 को रिकमेन्डेड डायटरी अलाउअन्सेज (आरडीए) के संबंध में निर्देश।
- खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 16 (5) के अन्तर्गत दिनांक 11 जनवरी, 2022 को पॉलिनिया कूपाना (गुआराना) का कैफीन के स्रोत के रूप में प्रयोग के संबंध में।
- खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 16(5) के अंतर्गत दिनांक 18 जनवरी, 2022 को खाद्य पैकेजिंग में रिसाइकिल्ड प्लास्टिक के प्रयोग के संबंध में मसौदा खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) संशोधन विनियम, 2022 के प्रचालन के संबंध में निर्देश।
- खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 16(5) के अंतर्गत दिनांक 3 फरवरी, 2022 को विभिन्न आयु वर्ग के लिए रिकमेन्डेड डायटरी अलाउअन्सेस (आरडीए) के प्रतिशत योगदान की घोषणा के संबंध में।

- खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 16(5) के अंतर्गत दिनांक 29 मार्च, 2022 को एफएसएस (खाद्य अनुपूरक, न्यूट्रास्युटीकल्स, विशेष आहारीय प्रयोग के लिए खाद्य और प्रिबायोटिक एवं प्रोबायोटिक खाद्य) विनियम, 2022 (एफएसएस न्यूट्रा, विनियम, 2022) के प्रचालन संबंध में निर्देश।
- दिनांक 19 जुलाई, 2021 को वैज्ञानिक पैनलों के गठन में परिवर्तन संबंधी आदेश।
- 27 जुलाई, 2021 को खाद्य सुरक्षा और मानक (गैर विनिर्दिष्ट खाद्य एवं खाद्य संघटकों के लिए अनुमोदन) विनियम, 2017 के तहत अनुवांशिक रूप से परिष्कृत (जीएम) खाद्य के संबंध में आवेदन हेतु नोटिस।
- 27 अगस्त, 2021 को दावों के अनुमोदन से संबंधित अपील प्रक्रिया के संबंध में आदेश।
- 16 नवम्बर, 2021 को खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018 के संदर्भ में बहु स्रोत खाद्य तेल (एमएसईओ) के प्रयोग के दावों से जुड़ा स्पष्टीकरण।
- 15 दिसम्बर, 2021 को खाद्य सुरक्षा और मानक (गैर विनिर्दिष्ट खाद्य एवं खाद्य संघटकों के लिए अनुमोदन) विनियम, 2017 में विनिर्दिष्ट अपील प्रक्रिया के संबंध में आदेश।
- 13 जनवरी, 2022 को एफएसएस (खाद्य अनुपूरक, न्यूट्रास्युटिकल्स, विशेष आहारीय प्रयोग के लिए खाद्य, विशेष चिकित्सीय प्रयोजन के लिए खाद्य, क्रियात्मक खाद्य एवं नूतन खाद्य) प्रथम संशोधन विनियम, 2021 में विनिर्दिष्ट प्रोबायोटिक के नामों के प्रयोग के संबंध में आदेश।
- 10 फरवरी, 2022 को एफएसएस (शिशु पोषण के लिए खाद्य) विनियम, 2020 के 16(1)(ड) प्रावधान के अनुसार इनबोर्न एर्स ऑफ़ मेटाबॉलिज्म (आईइएम) अवस्थाओं की अनुमोदित सूची।
- 25 फरवरी, 2022 को एफएसएस (शिशु पोषण खाद्य) विनियम, 2020 में विनिर्दिष्ट हाइपोएलरजेनिक शिशु दुग्ध विकल्प से संबंधित स्पष्टीकरण।
- 29 मार्च, 2022 को एफएसएस (शिशु पोषण खाद्य) विनियम, 2020 के कार्यान्वयन के संबंध में आदेश।
- किसान/छोटे उत्पादकों व उत्पादक संगठनों और अंतिम उपभोक्ताओं के बीच विक्रय को सुकुर बनाने वाले एग्रीगेटर व बिचौलियों के लिए मानक संचालित प्रक्रियाएँ (एसओपी)— छूट वाली इकाइयाँ।

3.13 वर्ष 2021–22 के दौरान प्रकाशित नए विनियम/संशोधन अधिसूचनाएँ/मसौदा संशोधन अधिसूचनाएँ

3.13.1 विनियमों के संबंध में इस अवधि के दौरान कुल 11 अंतिम अधिसूचनाएँ और 17 मसौदा अधिसूचनाएँ जारी की गईं। वर्ष के दौरान अधिसूचित अंतिम अधिसूचनाओं की सूची सारणी-8 में दी गई है। वर्ष के दौरान अधिसूचित मसौदा अधिसूचनाओं की सूची सारणी-9 में दी गई है।

3.13.2 डब्ल्यूटीओ-एसपीएस/टीबीटी अधिसूचना

भारत, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के लिए हस्ताक्षरकर्ता है और इस कारण सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी (एसपीएस) व व्यापार में तकनीकी बाधाओं (टीबीटी) पर समझौतों पर भी हस्ताक्षरकर्ता है। इन समझौतों के आवश्यकतानुसार, एफएसएसएआई लगातार अपने मानकों और विनियमों को डब्ल्यूटीओ मंच पर अधिसूचित करता रहा है और सदस्य देशों से सृजनाव और टिप्पणियाँ भी मँगाता रहा है। वर्ष 2021–22 के दौरान 17 डब्ल्यूटीओ अधिसूचनाएँ (एसपीएस और टीबीटी) अधिसूचित

किए गए। इसके अलावा डब्ल्यूटीओ प्रणाली के अन्तर्गत ई विभिन्न देशों के एसपीएस व टीबीटी अधिसूचनाओं पर भी भारत के जवाब के लिए एफएसएसएआ तकनीकी इनपुट लगातार देता रहा है।

3.14 नई प्रधान अधिसूचनाएँ

(क) मसौदा एफएसएस (वेगन खाद्य) विनियम, 2021

3.14.1 खाद्य सुरक्षा और मानक (वेगन खाद्य) विनियम का मसौदा अधिसूचना भारतीय राजपत्र में 6 सितंबर, 2021 को प्रकाशित किया गया था एवं 08 सितंबर, 2021 को अपलोड किया गया था। इसके तहत हितधारकों से टिप्पणियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने के लिए 60 दिन का समय दिया गया था। दिनांक 20 सितंबर, 2021 को डब्ल्यूटीओ-एसपीएस सदस्यों से 60 दिनों के अन्दर टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई थी। विभिन्न टिप्पणियाँ एवं सुझावों की जाँच करने के पश्चात खाद्य प्राधिकरण ने 2 मार्च, 2022 को हुई अपनी 38वीं बैठक में सरकार की स्वीकृति से अंतिम अधिसूचना के लिए अंतिम (मसौदा) अधिसूचना को स्वीकृति दी।

3.14.2 अंतिम (मसौदा) एफएसएस (वेगन खाद्य) विनियम, 2021 की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

- वेगन खाद्य का आशय उन खाद्य या खाद्य सामग्रियों (सहयोज्य, प्लेवरिंग्स, एंजाइम एवं वाहकों सहित) या प्रसंस्करण सहायक से है जो किसी भी प्रकार से पशु मूल के ना हों एवं जिसमें उत्पादन एवं प्रसंस्करण के किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की सामग्री (संयोजक, प्लेवरिंग्स, इनजाइम्स या वाहक सहित) या प्रसंस्करण सहायक जो पशु मूल के हों प्रयोग में ना लाए गए हों।
- वेगन कहे जाने वाले खाद्य उत्पादों में किसी भी प्रयोजन से सुरक्षा आंकलन सहित ऐसी कोई जाँच नहीं की जानी चाहिए, जिसमें पशु परीक्षण शामिल हो, जब तक यह किसी विनियामक प्राधिकरण द्वारा अनिवार्य न किया गया हो।
- वेगन खाद्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली पैकेजिंग सामग्री पैकेजिंग विनियम के तहत विनिर्दिष्ट प्रावधानों का अनुपालन करती हो, बशर्ते कि वे सामग्रियाँ पशु मूल की ना हों।
- खाद्य कारोबारी यह सुनिश्चित करें कि उत्पादन, प्रसंस्करण और वितरण की सभी अवस्थाओं में उचित सावधानियाँ बरती जाएँ तथा अच्छी उत्पादन रीतियों का पालन किया जाए ताकि गैर वेगन उत्पादों की अनचाही उपस्थिति से बचा जा सके। यदि गैर वेगन उत्पादों/सामग्रियों के लिए भी वही उत्पादन प्रणाली प्रयोग में लाई जाती है तो वेगन उत्पादों के प्रवेश से पहले संपूर्ण साफ-सफाई, या जीएमपी (अच्छे उत्पादन रीतियाँ) के अनुरूप अन्य उपाय किए जाने चाहियें। यह प्रक्रिया सभी संबंधित मशीनरी, उपकरण, बर्तनों और सतहों पर अपनाएँ जाएँ। वेगन उत्पादों के तैयार होने, उत्पादन करने एवं पैकेजिंग करने से पहले जीएमपी के अनुपालन के साथ उचित सावधानियाँ बरतनी चाहिए।
- उत्पादक स्तर तक पता लगाने की क्षमता स्थापित की जानी चाहिए। खाद्य कारोबारी खाद्य सामग्री या उत्पादों की वेगन गुणता को बनाए रखने के लिए समय-समय पर खाद्य प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य आवश्यकताओं का पालन करें।

- वेगन खाद्य अनुपालन :
 - खाद्य कारोबारी खाद्य प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट फॉर्मेट में सभी आवश्यक विवरण के साथ एक आवेदन संबंधित लाइसेंसिंग अधिकारी को जमा करेंगे।
 - खाद्य प्राधिकरण वेगन लोगो के अनुमोदन हेतु दिशा निर्देश जारी कर सकती है।
- स्वीकृती के बाद वेगन खाद्य के प्रत्येक पैकेज पर नीचे दिया गया 'लोगो' विद्यमान होना चाहिए:



इस लोगो का अनावरण 20 सितंबर, 2021 को माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा किया गया।



आकृति 7—माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा वेगन लोगो का प्रमोचन

(ख) एफएसएस (आर्युवेद आहार) विनियम, 2022

3.14.3 भारत के प्राचीन आर्युवेद सिद्धान्तों तथा प्राचीन ग्रन्थों के अनुसार तैयार किए गए आहार को पहचान देने के लिए एफएसएसएआई और आयुष मंत्रालय ने आर्युवेद आहार के लिए अलग विनियम तैयार

करने का निर्णय किया। इसे पूरा करने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (आयुर्वेद आहार) मसौदा विनियम, 2021 को 30 जून, 2021 को जन टिप्पणियों और सुझावों के लिए अधिसूचित किया। इन विनियमों को अंतिम रूप देने से पहले प्राप्त टिप्पणियों एवं सुझावों पर वैज्ञानिक पैनल की विभिन्न बैठकों में आयुष मंत्रालय के साथ चर्चा कर आगे विचार किया गया। 2 मार्च, 2022 को खाद्य प्राधिकरण की 38वीं बैठक में अंतिम (मसौदा) विनियमों को रखा गया और इस बैठक में प्राधिकरण ने केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से अंतिम अधिसूचना के लिए अनुमोदित किया।

3.14.4 आयुर्वेद आहार विनियम की मुख्य विशेषताएँ –

- 'आयुर्वेद आहार' का अर्थ इस विनियम की अनुसूची 'क' में दी गई सूची में दी गई आयुर्वेद की प्रामाणिक पुस्तकों में वर्णित विधियों या प्रक्रियाओं या सामग्रियों के अनुसार तैयार खाद्य से है।
- इन विनियमों में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:
 - ड्रग व कोस्मेटिक अधिनियम, 1940 व नियम 1945 की अनुसूची ई-1 में वर्णित आयुर्वेदिक औषधियों या मालिकाना आयुर्वेदिक दवाइयाँ एवं औषधिय उत्पाद, कॉस्मेटिक्स, नारकोटिक्स या साइकोट्रोपिक उत्पाद, जड़ीबूटियाँ।
 - धातु आधारित आयुर्वेदिक औषधियाँ, भष्म या पिश्टी।
 - प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अधिसूचित कोई अन्य सामग्री।
 - दैनिक उपयोग में लाए जाने वाले खाद्य उत्पाद (दालों, चावल, आटा, वनस्पतियाँ) जिनमें किसी भी प्रकार की आयुर्वेदिक सामग्री न हो।
 - 24 महीने के शिशुओं के लिए अपेक्षित आहार।
 - विटामिन/मिनरल के समायोजन की अनुमति नहीं है।
- लेबलिंग –
 - आयुर्वेदिक आहार की लेबलिंग, प्रदर्शन एवं विज्ञापन के दौरान यह दावा नहीं किया जाना चाहिए कि मानवीय रोग के उपचार, बचाव एवं ठीक करने की क्षमता है।
 - लेबल में आशायित उद्देश्य, लक्ष्य समूह एवं प्रयोग संबंधी सलाह का वर्णन किया जाना चाहिए।
 - उत्पाद में 'आयुर्वेद आहार' शब्द वस्तु के नाम के एकदम साथ होना चाहिए एवं फ्रंट ऑफ पाक लाबेल पर विशिष्ट 'लोगो' भी होना चाहिए।



- वैधानिक चेतावनी – ‘केवल आहारिय प्रयोग के लिए’
- उपयोग के दौरान बरतने वाली सावधानियाँ (कुप्रभाव, विपरीत संकेत)
- उत्पाद पर ‘बच्चों की पहुँच से दूर रखा जाना चाहिए’ कथन भी लिखा जाना चाहिए।
- उत्पाद पर यह चेतावनी भी होनी चाहिए कि इसका प्रयोग केवल मुख के द्वारा किया जाना चाहिए आत्रेतर प्रयोग के लिए नहीं।

3.15 नेटस्कोफेन

3.15.1 खाद्य सुरक्षा और अनुप्रयुक्त पोषण हेतु वैज्ञानिक सहयोग का नेटवर्क (नेटस्कोफेन) की स्थापना जनवरी, 2020 में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 16(3) के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं पोषण के क्षेत्र में कार्यरत अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थान के नेटवर्क के रूप में की गई थी। वर्तमान में नेटस्कोफेन के 8 समूह हैं जिनमें 10 अग्रणी संस्थान हैं जो खाद्य सुरक्षा संबंधी क्षेत्रों में कार्य कर रहे अन्य साझेदार संस्थानों के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान परिक्रामी निधि को वार्षिक ₹20 लाख के निश्चित अनुदान में परिवर्तित कर दिया गया। इस वार्षिक अनुदान को दो किस्तों में बाँटा गया, जिसमें से पहली किस्त अप्रैल, 2021 में तथा दूसरी अक्तूबर, 2021 में दी गई। प्रत्येक किस्त में ₹10 लाख (ग्रुप में एक अग्रणी संस्थान की स्थिति में) एवं ₹5 लाख (ग्रुप में 2 अग्रणी संस्थान की स्थिति में) दिए गए। वर्ष के दौरान नेटस्कोफेन की गतिविधियों को चलाने के लिए 10 अग्रणी संस्थानों को ₹91,40,995 अनुदान के रूप में दिए गए।

3.15.2 खाद्य गुणता और सुरक्षा हेतु नेटस्कोफेन के अन्तर्गत चल रही अनुसंधान एवं विकास/सर्वेक्षण परियोजनाएं

खाद्य गुणता और सुरक्षा नेटस्कोफेन के अन्तर्गत हेतु अनुसंधान एवं विकास/सर्वेक्षण हेतु एफएसएसएआई ने 23 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। इनमें से 16 परियोजनाओं को तकनीकी एवं वित्तीय रूप से बंद कर दिया गया है। 6 परियोजनाएँ गत वर्ष ही पूरी कर दी गई थीं जबकि 10 को 2021-22 के दौरान पूरा किया गया। वर्ष 2021-22 के दौरान पूरी की गई 10 अनुसंधान परियोजनाओं का विस्तृत विवरण सारणी-10 में दिया गया है। वर्तमान में कार्यरत 7 अनुसंधान परियोजनाओं का विवरण सारणी-11 में दिया गया है।

3.16 फूड-ओ-कोपिया

3.16.1 फूड-ओ-कोपिया खाद्य श्रेणी आधारित मोनोग्राफ का एक समूह है जो किसी विशिष्ट उत्पाद श्रेणी से संबंधित सभी प्रावधानों के लिए एकल संदर्भ के रूप में कार्य करेगा। मोनोग्राफ में उस उत्पाद श्रेणी के लिए संपूर्ण मानक, लेबलिंग और दावे आवश्यकताएँ, विशिष्ट पैकेजिंग आवश्यकताएँ एवं अन्य विनियामक प्रावधान जो उस उत्पाद के लिए आवश्यक हैं उपलब्ध होंगे। किसी खाद्य पदार्थ/संघटक के नमूने के विश्लेषण के लिए प्रयोगशालायों को जो क्रियाविधि अपनानी है, उसकी सूची भी होगी। कुल 16 विषय विशिष्ट मोनोग्राफ होंगे। इसके अतिरिक्त, सभी विभिन्न खाद्य श्रेणियों के लिए जो सभी पर लागू होने वाली आम अपेक्षाएँ होंगी, उनके लिए एक अलग से मोनोग्राफ होगा। एफएसएसएआई ने 17 मोनोग्राफ विकसित करने के लिए 8 नेटस्कोफेन समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। उस उद्देश्य की पूर्ती के लिए ₹85 लाख का खर्च स्वीकृत किया गया था जिसमें से

80% जारी कर दिया गया। फूड-ओ-कोपिया मोनोग्राफ के लिए वित्तीय सहायता सहित नेटस्कोफेन समूहों एवं प्रदत्त खाद्य श्रेणियों का विवरण सारणी-12 में दिया गया है।

3.16.2 फूड-ओ-कोपिया के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल का भी विकास किया गया जिससे नेटस्कोफेन समूहों को अलग-अलग खाद्य श्रेणियों के मानकों का विवरण देने में सहायता मिली। एफएसएसएआई को इन मोनोग्राफ का पहला मसौदा प्राप्त हुआ है जिसकी जाँच चल रही है।

सारणी 8-वर्ष 2021-22 के दौरान अधिसूचित अंतिम विनियमों की सूची

क्र. सं.	अंतिम विनियम	अधिसूचित किए गए
1.	भैंस के दूध, आयातित निष्काषित तेल को शुद्धिकरण (रिफाइनिंग) से छूट, अंगूर के बीज के तेल, सोयाबीन सॉस, अखरोट गिरि, बेसन, मक्के मॉड, पीले मटर का पाउडर, काली, सफेद और हरी मिर्च, सूखा सेज, ठोस अवस्था में इंस्टेट टी, कैफीन रहित भुनी एवं पिसी हुई कॉफी एवं कासनी का मिश्रण, कैफीन रहित इंस्टेट कॉफी एवं कासनी का मिश्रण, कैलोरी युक्त एवं कैलोरी मुक्त मीठाकारक के संबंध में खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य सहयोग्य) तीसरा संशोधन विनियम, 2021।	26.07.2021
2.	दृढ़ीकृत दुग्ध पाउडर के मानक से संबंधित खाद्य सुरक्षा और मानक (दृढ़ीकृत खाद्य) संशोधन विनियम, 2021।	27.08.2021
3.	बहु स्रोत खाद्य तेल की लेबलिंग आवश्यकताएँ और मीठकारकों हेतु लेबलिंग आवश्यकताओं के पुनरावलोकन के संबंध में खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) प्रथम संशोधन विनियम, 2021।	10.09.2021
4.	सूक्ष्मपोषण तत्वों की सहिष्णु क्षमता के संबंध में खाद्य सुरक्षा और मानक (दृढ़ीकृत खाद्य) द्वितीय संशोधन विनियम, 2021।	27.09.2021
5.	संकलक या मध्यस्थ के लिए निश्चित छूट एवं रूपांतरित उत्पादों की लेबलिंग के संबंध में खाद्य सुरक्षा और मानक (जैव खाद्य) प्रथम संशोधन विनियम, 2021।	14.10.2021
6.	जई उत्पाद मानकों एवं शिशुओं के लिए फॉर्मूला वाले पूरकों की सहिष्णु क्षमता के संशोधन से संबंधित खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य सहयोग्य) चौथा संशोधन विनियम, 2021।	03.11.2021
7.	विदेशी खाद्य उत्पादन सुविधायों के पंजीकरण एवं निरीक्षण के समावेश के बारे में खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) संशोधन विनियम।	03.11.2021
8.	कच्चे खाद्य तेल, बहु स्रोतीय तेल, निर्जलित सब्जियाँ, प्रोटीन प्रचुर गेहूँ का आटा, प्रोटीन प्रचुर मैदा, बहु धान्य आटा, मिश्र मिलेट आटा, चारा, शहद, मीठे तुलसी के सूखे पत्ते, वापिस किए जा सकने वाले डिब्बे में कैलोरी रहित मीठकारक, भांग के बीज एवं उसके उत्पाद, खाद्य बीज उत्पादों के मानकों से संबंधित मानक के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य सहयोग्य) पाँचवा संशोधन विनियम, 2021।	15.11.2021

क्र. सं.	अंतिम विनियम	अधिसूचित किए गए
9.	घी और अन्य दूध वसा उत्पादों के मानकों से संबंधित खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोग्य) संशोधन विनियम, 2021।	27.12.2021
10.	जल के लिए अपारदर्शी पैकेजिंग सामग्री से संबंधित खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) संशोधन विनियम, 2022।	25.01.2022
11.	अपने खपत उपयोग हेतु अथवा शत प्रतिशत निर्यात के लिए मूल्यवर्धित उत्पादों के उत्पादन से संबंधित आयातित खाद्य के प्रतिचयन के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) संशोधन विनियम, 2022।	14.02.2022

सारणी 9-वर्ष 2021-22 के दौरान अधिसूचित मसौदा विनियमों की सूची

क्र. सं.	मसौदा विनियम	अधिसूचित किए गए
1.	खाद्य सुरक्षा और मानक (आर्युवेद आहार) विनियम, 2021 मसौदा अधिसूचना।	30.06.2021
2.	कच्चे नारियल तेल, चीया तेल, एवोकाडो तेल, सूर्यमुखी के बीज का तेल-उच्च ओलिक अम्ल, कुसुंभ के बीज का तेल-उच्च ओलिक अम्ल के दावों से संबंधित खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) संशोधन विनियम, 2021 मसौदा अधिसूचना।	19.08.2021
3.	खाद्य सुरक्षा और मानक (वेगन खाद्य) विनियम, 2021 मसौदा अधिसूचना।	06.09.2021
4.	खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) संशोधन विनियम, 2021 मसौदा अधिसूचना जो विनियम 4, उप-विनियम 4 की तालिका 1 में डीईएचपी एवं एटीमोनी की नई प्रविष्टियाँ से संबंधित है।	06.09.2021
5.	खाद्य सुरक्षा और मानक (स्वास्थ्य अनुपूरक, न्यूट्रास्युटिकल्स, विशेष आहार विषयक उपयोग के लिए खाद्य, विशेष चिकित्सीय प्रयोजन के लिए खाद्य, कृत्यकारी व नूतन खाद्य) संशोधन विनियम, 2021 मसौदा अधिसूचना।	06.09.2021
6.	एफएसएस (विक्रय पर निषेध और निर्बंधन) संशोधन विनियम, 2021 मसौदा अधिसूचना जो शिशु पोषण के लिए खाद्य के उत्पादन, विक्रय, संग्रह अथवा विक्रय हेतु प्रदर्शन से संबंधित है।	06.09.2021
7.	खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) संशोधन विनियम, 2021 मसौदा अधिसूचना जो पान मसाला उत्पादों के लेबल पर दी गई चेतावनी एवं विभिन्न प्रकार की ब्रेडों की लेबलिंग से संबंधित है।	06.09.2021
8.	खाद्य सुरक्षा और मानक (गैर विनिर्दिष्ट खाद्य और खाद्य संघटकों का अनुमोदन) संशोधन विनियम, 2021 मसौदा अधिसूचना जो पूर्वानुमति हेतु प्रक्रिया के संबंध में हैं।	22.09.2021

क्र. सं.	मसौदा विनियम	अधिसूचित किए गए
9.	खाद्य सुरक्षा और मानक (शिशु पोषण के लिए खाद्य) संशोधन विनियम, 2021 मसौदा अधिसूचना।	22.09.2021
10.	खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय पर निषेध और निर्बंधन) संशोधन विनियम, 2021 मसौदा अधिसूचना जो उप-विनियम 2.3.14 के उप वाक्य 11 में 'बहुस्तोती खाद्य वनस्पति तेल' के स्थान पर 'बहु स्तोतीय खाद्य तेल' के प्रयोग के संबंध में है।	22.09.2021
11.	खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) संशोधन विनियम, 2021 मसौदा अधिसूचना जो विभिन्न उप-नियमों में कुछ बदलाव के संबंध में है।	27.09.2021
12.	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) संशोधन विनियम, 2021 मसौदा अधिसूचना जो गिनी कुक्कुट अंडे, डबल टोंड दूध में वसा सामग्री कम करने, फिनफिश एवं शेलफिश में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न फॉर्मेलडीहाइड की सीमा एवं बासमती चावल के मानक इत्यादि के संबंध में।	14.10.2021
13.	खाद्य सुरक्षा और मानक (जीन परिवर्तित अथवा इंजीनीयरित खाद्य) विनियम, 2021 मसौदा अधिसूचना।	15.11.2021
14.	खाद्य सुरक्षा और मानक (अल्कोहालिक पेय) संशोधन विनियम, 2021 मसौदा अधिसूचना जो अल्कोहालिक पेय के गैर अल्कोहालिक समकक्ष एवं सुवासित बीयर के संबंध में है।	22.11.2021
15.	खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) संशोधन विनियम, 2021 मसौदा अधिसूचना जो मानदंड, प्रयोज्यता एवं सामग्री के दावों के पुनरीक्षण से संबंधित है।	27.12.2021
16.	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद और खाद्य सहयोज्य) संशोधन विनियम, 2021 मसौदा अधिसूचना जो प्रसंस्करण सहायकों में अनुवांशिक रूप से परिवर्तित स्त्रोतों से उत्पन्न एंजाइम के शामिल करने के संबंध में है (32वीं एवं 35वीं बैठक में स्वीकृत)।	27.12.2021
17.	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) संशोधन विनियम, 2021 मसौदा अधिसूचना जो भेड़ के दूध के मानक, तेलों के मान, कढ़कस नारियल बूरा, गेहूँ का आटा और परिणामी आटा, मोटे अनाज, मिथुन (बोसफ्रोन्टॉलिस), गन्ने के रस से तैयार गुड़ ताड़ के गुड़ में चीनी की सीमा तय करना, परिष्कृत आयोडाइज्ड नमक, कम सोडियम वाला नमक, शुष्क मीठे मारजोराम, नारियल नीरा, प्राकृतिक रूप से तैयार मिनरल वॉटर एवं पैकेज्ड पीने के पानी में द्रव्य नाइट्रोजन की मात्रा, खाद्य में सम्मिलित सामग्रियाँ, सूक्ष्मजैविक मानक इत्यादि से संबंधित।	27.12.2021

सारणी 10-2021-22 के दौरान पूरी की गई अनुसंधान परियोजनाओं की सूची

क्र.स.	परियोजना का नाम	संस्थान का नाम	परियोजना अन्वेषक	परियोजना की कुल लागत (रुपये)
1	सोयाबीन में कुनिट्रि ट्रिप्सिन इनहिबिटर और फाइटिक एसिड: आकलन और प्रोफाइलिंग के तरीकों का मूल्यांकन	आईसीएआर-भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, इंदौर	डॉ विनीत कुमार	37,80,000
2	गाय के दूध के अलावा गोजातीय दूध में दूध वसा शुद्धता के निर्धारण के लिए आईएसओ 17678:2010 में दी गई जीसी विश्लेषण पद्धति का सत्यापन और मानकीकरण।	आईसीएआर- राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल	डॉ विवेक शर्मा	31,64,000
3	खाद्य उद्योग में इसके संभावित अनुप्रयोग के लिए खट्टे फलों के प्रकार्यात्मक घटकों और एंटीऑक्सिडेंट्स का विश्लेषण।	आईसीएआर- केन्द्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान, नागपुर	डॉ. दिनेश कुमार	35,84,000
4	विभिन्न क्षेत्रों के खाने योग्य वनस्पति तेलों में कीटनाशक अवशिष्टों और धातु संदूषकों पर डेटा तैयार करना।	सीएसआईआर- भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद	डॉ. बी.एल.ए. प्रभावती	29,12,000
5	तलते समय वनस्पति तेलों की गुणवत्ता का आकलन और तले हुए तेलों को बार-बार तलने के लिए सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देश तैयार करना।	सीएसआईआर- भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद	डॉ. एम.एस.एल करुणा	22,92,000
6	कृत्रिम रूप से पकाए गए फलों की रासायनिक संरचना और उनके अवशिष्टों में परिवर्तन की पहचान करने के लिए तुलनात्मक अध्ययन।	सीएसआईआर- भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद	डॉ. यू.वी.आर विजयसारथी	37,16,000
7	बाजार में उपलब्ध चुनिंदा हर्बल उत्पादों में संदूषण और प्रतिस्थापन का पता लगाने के लिए डीएनए बार-कोडिंग का अनुप्रयोग।	सीएसआईआर- उत्तर पूर्व विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, असम	डॉ. दीपनविता बानी	50,00,000

क्र.स.	परियोजना का नाम	संस्थान का नाम	परियोजना अन्वेषक	परियोजना की कुल लागत (रुपये)
8	मिश्रित, अंतरएस्टरीकृत और मिलावटी तेलों में तेलों की पहचान और मात्रा निर्धारण के लिए नवीन पद्धतियों का विकास।	सीएसआईआर— भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद	डॉ. संजीत कांजीलाल	26,16,000
9	मांस में घटिया गुणवत्ता वाले मांस के अपमिश्रण को रोकने के लिए प्रजातियों की पहचान।	आईसीएआर यूनिट, राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र, हैदराबाद	डॉ. एस. वैथियथन	40,50,000
10	भारत के प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों में ऊष्मा प्रेरित खाद्य विषाक्त पदार्थ—एक्रिल एमाइड की उपस्थिति	सीएसआईआर— राष्ट्रीय अन्तर्विषयी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईआईएसटी), तिरुवनंतपुरम	डॉ. पी. निशा	27,68,000

सारणी 11—वर्तमान में चल रही अनुसंधान परियोजनाएँ

क्र. स.	परियोजना का नाम	संस्थान का नाम	परियोजना अन्वेषक	परियोजना की कुल लागत (रुपये)
1	खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन के लिए मत्स्य खाद्य प्रमाणीकरण के लिए मानक प्रोटोकॉल और मॉलिक्यूलर उपकरणों का विकास	आईसीएआर— केन्द्रीय अंतर स्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, कोच्चि	डॉ. बिमल प्रसन्न मोहंती	29,12,000
2	अंगूर के साधारण प्रसंस्कृत उत्पादों की पोषण गुणवत्ता और सुरक्षा मूल्यांकन	आईसीएआर— राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र, पुणे	डॉ. शर्मिष्ठा नाइक और डॉ. अहमेद शबीर	30,74,000
3	प्रसंस्कृत मांस में कार्सिनोजेनिक और म्यूटाजेनिक यौगिकों का आकलन	आईसीएआर यूनिट, राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र, हैदराबाद	डॉ. एम. मुथुकुमार	49,00,000
4	भारतीय तट पर फिनफिश और शेलफिश प्रजातियों में भारी धातु की निगरानी और उसे कम करने के संभावित उपाय	आईसीएआर— केन्द्रीय अंतर स्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, कोच्चि	डॉ. सत्येन कुमार पांडा	50,00,000
5	चॉकलेट और कोको उत्पादों में भारी धातुओं की उपस्थिति से संबंधित डेटा का अल्पावधि अध्ययन	राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (निफटेम), सोनीपत	उपलब्ध नहीं	36,97,000

क्र. स.	परियोजना का नाम	संस्थान का नाम	परियोजना अन्वेषक	परियोजना की कुल लागत (रुपये)
6	ताजा पकड़ी गई फिनफिश और शेलफिश प्रजातियों में फॉर्मलडिहाइड की प्राकृतिक मात्रा	आईसीएआर- केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईएफटी), कोच्चि	डॉ. सत्येन कुमार पांडा	54,00,000
7	एथोक्सीक्विन की जीनोटॉक्सिक क्षमता का मूल्यांकन	भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	डॉ. कौसर अंसारी	10,00,000

सारणी 12-नेटस्कोफेन समूह एवं प्रदत्त खाद्य श्रेणियां व फूड-‘ओ’-कोपिया मोनोग्राफ के लिए वित्तीय सहयोग

क्र. स.	नेटस्कोफेन समूह और लीड इंस्टिट्यूट (एलआई) का नाम	सामान्य अपेक्षाओं पर आधारित श्रेणियों सहित खाद्य श्रेणियाँ	मोनोग्राफ तैयार करना (रु.)	प्रति मोनोग्राफ आकस्मिकता (प्रदान किए गए टेम्पलेट के अनुसार मोनोग्राफ को डिजिटाइज़ करने और उसकी सॉफ्ट प्रतियाँ प्रदान करने के लिए)	प्रति मोनोग्राफ अद्यतन करना (वार्षिक या द्विवार्षिक)	कुल (रु.)
1	बायोलॉजिकल ग्रुप (बीआईजी) लीड संस्था- आईसीएआर- भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई), इज्जतनगर	क) डेयरी उत्पाद और एनालॉग, खाद्य श्रेणी के उत्पादों को छोड़कर। ख) तैयार खाद्य पदार्थ।	7,20,000	80,000	2,00,000	10,00,000
2	केमिकल ग्रुप (सीएचजी) लीड संस्था सीएसआईआर- भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	क) वसा और तेल और वसा पायस ख) बेकरी के बरतन	7,20,000	80,000	2,00,000	10,00,000

क्र. स.	नेटस्कोफेन समूह और लीड इंस्टिट्यूट (एलआई) का नाम	सामान्य अपेक्षाओं पर आधारित श्रेणियों सहित खाद्य श्रेणियाँ	मोनोग्राफ तैयार करना (रु.)	प्रति मोनोग्राफ आकस्मिकता (प्रदान किए गए टेम्पलेट के अनुसार मोनोग्राफ को डिजिटाइज़ करने और उसकी सॉफ्ट प्रतियाँ प्रदान करने के लिए)	प्रति मोनोग्राफ अद्यतन करना (वार्षिक या द्विवार्षिक)	कुल (रु.)
3	पोषण व दावे ग्रुप (एनसीजी) लीड संस्था आईसीएमआर – राष्ट्रीय पोषण संस्थान, (एनआईएन), हैदराबाद	क) विशेष पोषण संबंधी उपयोगों के लिए अभिप्रेत खाद्य पदार्थ; ख) शहद सहित मीठाकारक	7,20,000	80,000	2,00,000	10,00,000
4	पशु मूल के खाद्य ग्रुप (एफएजी) लीड संस्था— आईसीएआर— राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र (एनआरसीएम), हैदराबाद	क) कुक्कुट सहित मांस और मांस उत्पाद; ख) अंडा और अंडा उत्पाद	7,20,000	80,000	2,00,000	10,00,000
5	खाद्य परीक्षण ग्रुप (एफटीजी) लीड संस्था – आईसीएआर— केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईएफटी), कोच्चि व आईआईटी— गांधीनगर	क) मोलस्क, क्रस्टेशियन और एकिनोडर्म्स सहित मछली और मत्स्य उत्पाद; ख) नमक, मसाले, सूप, सॉसेज, सैलेड, प्रोटीन उत्पाद	7,20,000	80,000	2,00,000	10,00,000
6	जल एवं पेय ग्रुप (डब्ल्यूबीजी) लीड संस्था सीएसआईआर— भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद	क) डेयरी उत्पादों को छोड़कर पेय; ख) खाने योग्य बर्फ, शर्बत और सॉर्बेट	7,20,000	80,000	2,00,000	10,00,000

क्र. स.	नेटस्कोफेन समूह और लीड इंस्टिट्यूट (एलआई) का नाम	सामान्य अपेक्षाओं पर आधारित श्रेणियों सहित खाद्य श्रेणियाँ	मोनोग्राफ तैयार करना (रु.)	प्रति मोनोग्राफ आकस्मिकता (प्रदान किए गए टेम्पलेट के अनुसार मोनोग्राफ को डिजिटाइज़ करने और उसकी सॉफ्ट प्रतियाँ प्रदान करने के लिए)	प्रति मोनोग्राफ अद्यतन करना (वार्षिक या द्विवार्षिक)	कुल (रु.)
7	सुरक्षित व धारणीय पैकेजिंग ग्रुप (एसपीजी) लीड संस्था – भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आईआईपी), मुम्बई	क) सामान्य अपेक्षायें श्रेणियाँ जैसे लेबलिंग घोषणाएं, पैकेजिंग, निषेध और सभी मोनोग्राफ का प्रतिबंधन; ख) खाने के लिए तैयार व्यंजन	7,20,000	80,000	2,00,000	10,00,000
8	वनस्पति मूल के खाद्य (एफपीजी) लीड संस्था – राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम), सीएसआईआर- केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सीएफटीआरआई),	क) फल और सब्जियाँ उत्पाद (मशरूम और कवक, जड़ और कंद, दालें और फलियां और एलोवेरा सहित), समुद्री शैवाल, नट और बीज; ख) अनाज और अनाज की जड़ों तथा कंदों से प्राप्त अनाज उत्पाद, दालें फलियां और ताड़ के पेड़ का पिथ या नरम कोर, खाद्य श्रेणी के बेकरी वेयर्स को छोड़कर; तथा ग) मिष्ठान्न	10,80,000	1,20,000	3,00,000	15,00,000
		कुल-पिच्चासी लाख रुपये				85,00,000 / -

अध्याय-4

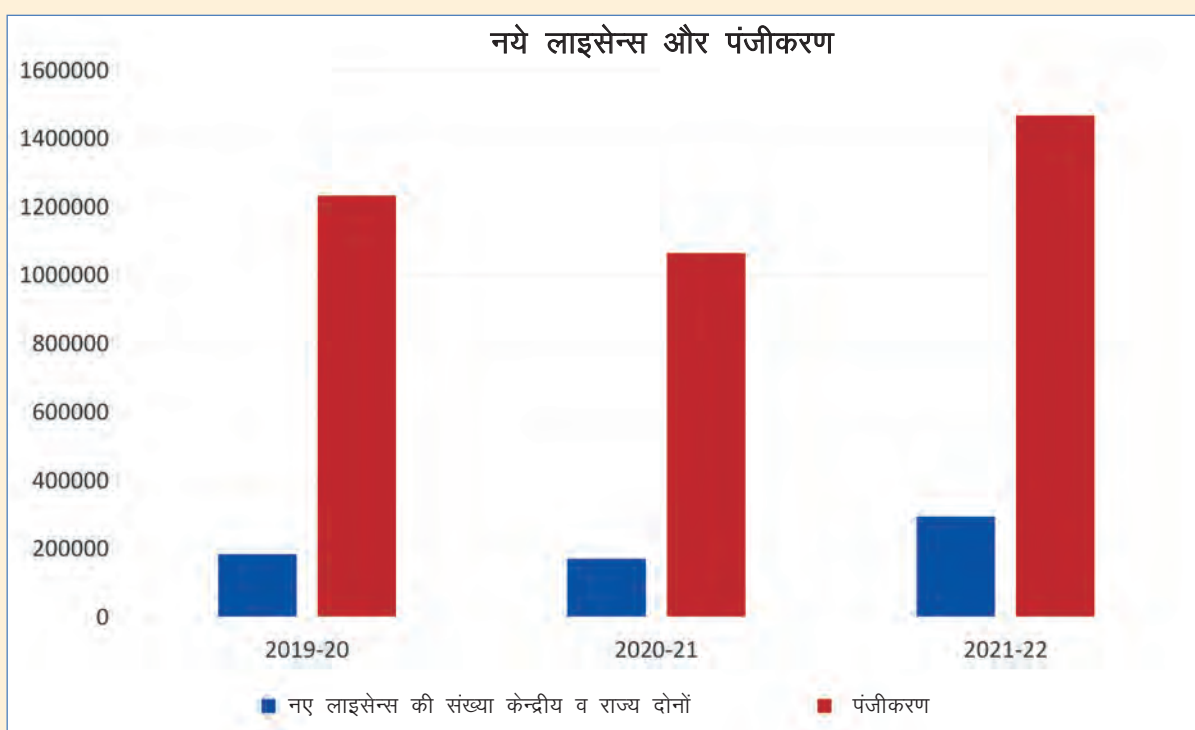
खाद्य सुरक्षा अनुपालन

4.1 लाइसेंसिंग/पंजीकरण

- 4.1.1** देश में सभी खाद्य कारोबारियों (एफबीओ) को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 31 के अंतर्गत किसी भी खाद्य पदार्थ के कारोबार को आरंभ करने या जारी रखने लिए पंजीकृत कराना होता है अथवा लाइसेंस लेना होता है। खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस प्रदान करने अथवा उनका पंजीकरण करने के लिए प्रक्रिया का विनियमन खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है। केंद्रीय लाइसेंस, राज्य लाइसेंस और पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित की गई है। केंद्रीय व राज्य लाइसेंस के मामले में, किसी स्थान विशेष जिसके लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है, पर विभिन्न प्रकार के खाद्य कारोबारों के लिए विशिष्ट लाइसेंस संख्या दी जाती है। खाद्य कारोबारियों द्वारा खाद्य उत्पादों का क्रय या विक्रय केवल लाइसेंसशुदा/पंजीकृत विक्रेताओं से ही करना अपेक्षित होता है और उनका रिकॉर्ड रखना होता है।
- 4.1.2** केंद्रीय या राज्य लाइसेंस या पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड और खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज एफएसएसएआई की वेबसाइट <https://foscos.fssai.gov.in/business-eligibility> पर उपलब्ध हैं।
- 4.1.3** लाइसेंस जारी करने और पंजीकरण की प्रक्रिया को सुगम और सुव्यवस्थित बनाने के लिए, केंद्रीय लाइसेंस, राज्य लाइसेंस और पंजीकरण के लिए एकल खिड़की के रूप में काम करने के लिए वर्ष 2012 में एफएसएसएआई ने मैन्युअल प्रक्रिया के स्थान पर ऑनलाइन खाद्य लाइसेंस और पंजीकरण प्रणाली (एफएलआरएस) की शुरुआत की। इस प्रणाली की धीमी गति का समाधान करने के लिए एफएलआरएस के स्थान पर खाद्य सुरक्षा और अनुपालन प्रणाली (फोस्कोस) नामक नई ऑनलाइन प्रणाली शुरू की गई जिसे सभी राज्यों/संघशासित प्रदेशों में दिनांक 01 नवंबर, 2020 से लागू किया गया। फोस्कोस उन्नत सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के साथ क्लाउड आधारित सर्वर पर कार्य करता है। एफबीओ की लाइसेंसिंग और उनके पंजीकरण के अलावा, विभिन्न मॉड्यूल के एकीकरण के माध्यम से यह खाद्य सुरक्षा के लिए वन-स्टॉप 'अनुपालन पोर्टल' के रूप में भी उपयोगी होगा। कुछ मॉड्यूल जैसे ऑडिट मॉड्यूल, निरीक्षण, ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग मॉड्यूल, स्वच्छता रेटिंग आदि को पहले ही फोस्कोस के साथ समेकित किया जा चुका है। फोस्कोस में प्रवाह एफएलआरएस के समान ही होते हैं, ताकि उपयोगकर्ताओं को फोस्कोस का उपयोग करने में सुविधा बनी रहे। प्रमुख परिवर्तनों में से एक विनिर्माताओं के लिए लाइसेंसिंग पद्धति है जो अब मानकीकृत उत्पाद सूची पर आधारित है। अनिवार्य दस्तावेजों को युक्तिसंगत बनाया गया है और कई कागज आधारित घोषणाओं के स्थान पर ऑनलाइन घोषणा की सुविधा की गई है। फोस्कोस खाद्य कारोबारियों के लिए 'इज ऑफ डूइंग बिज़नेस' को बढ़ाती है।

4.1.4 कोविड-19 महामारी के बावजूद केंद्रीय और राज्य अभिहित अधिकारियों (डीओ) और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य व्यवसायों की निरंतर निगरानी और देख-रेख के कारण वर्ष 2021-22 के दौरान नए एफबीओ को जारी किए गए केंद्रीय/राज्य लाइसेंसों की संख्या में पिछले वर्षों की तुलना में काफी वृद्धि हुई है। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान नए एफबीओ को जारी किए गए केंद्रीय/राज्य लाइसेंसों/पंजीकरणों की संख्या का तुलनात्मक डेटा निम्नानुसार है: —

वर्ष	केंद्रीय लाइसेंस	राज्य लाइसेंस	पंजीकरण
2019-20	6,814	1,78,721	12,34,424
2020-21	8,965	1,63,228	10,66,117
2021-22	14,852	2,81,132	14,68,421



4.2 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रवर्तन तंत्र की प्रशासनिक संरचना

एफएसएस अधिनियम, 2006 के अध्याय VII में अधिनियम के प्रवर्तन से संबंधित प्रावधान हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें खाद्य सुरक्षा आयुक्त के संस्थागत माध्यम से अपने-अपने क्षेत्राधिकार में एफएसएस अधिनियम, 2006 के प्रवर्तन के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। खाद्य सुरक्षा आयुक्त के अधीन टीम में अभिहित अधिकारी (डीओ) और खाद्य सुरक्षा अधिकारी (एफएसओ) शामिल हैं। खाद्य सुरक्षा आयुक्त (एफएससी) अपने अंतर्गत अभिहित अधिकारियों और एफएसओ के माध्यम से अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में लाइसेंसिंग/पंजीकरण और प्रवर्तन का कार्य करते हैं। न्यायनिर्णयन तंत्र में विशेष न्यायालयों और साधारण दीवानी न्यायालयों के अलावा न्यायनिर्णयन अधिकारी (एओ) और अपीलीय न्यायाधिकरण शामिल हैं। विभिन्न

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रवर्तन तंत्र की प्रशासनिक व्यवस्था का विवरण सारणी-13 में दिया गया है।

4.3 लाइसेंसिंग और पंजीकरण को सुकुर बनाना

एफएसएसएआई ने लाइसेंस और पंजीकरण प्राप्त करने के मामले में एफबीओ की सुविधा के लिए वर्ष 2021-22 के दौरान कई पहलें की हैं, जिनमें निम्नलिखित पहलें शामिल हैं:

- लाइसेंस के मानदंड में बदलाव के मामले में लाइसेंस संख्या में बदलाव किए बिना राज्य लाइसेंस को केंद्रीय लाइसेंस और इसके विपरीत स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई है।
- एफबीओ को लाइसेंस या पंजीकरण संख्या में बदलाव किए बिना अपने परिसरों को या तो राज्य के भीतर या अन्य राज्य में स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई है।
- एफबीओ को अपना लाइसेंस निरस्त होने के बाद भी नवीनीकृत करने की सुविधा देना—हालांकि लाइसेंस/पंजीकरण के निरस्त होने से 6 महीने पहले की अवधि में एफबीओ को 10 ईमेल/एसएमएस अनुस्मारक भेजे जाते हैं, फिर भी कुछ एफबीओ निर्धारित अवधि के भीतर अपने लाइसेंस/पंजीकरण को नवीनीकृत करने में विफल रहते हैं। अक्टूबर, 2021 तक, निरस्त होने के बाद लाइसेंस/पंजीकरण नवीनीकृत करने का कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन अब एफबीओ के लिए अपने लाइसेंस/पंजीकरण को निरस्त होने की तारीख से 6 महीने तक (जुर्माना सहित) नवीनीकृत करने का प्रावधान किया गया है ताकि एफबीओ अपने लाइसेंस/पंजीकरण को नवीनीकृत करने के बाद उसी लाइसेंस/पंजीकरण संख्या को जारी रख सकें।
- छोटे खाद्य कारोबारी/स्टार्ट-अप जो पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए पात्र हैं, अब फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप के माध्यम से आसानी से आवेदन दाखिल कर सकते हैं।
- मिठाई और नमकीन उत्पादों जैसे पारंपरिक खाद्य पदार्थों के निर्माता केवल केंद्रीय लाइसेंस के लिए पात्र थे। अब ऐसे उत्पादों के निर्माता पात्रता मानदंड के अनुसार राज्य लाइसेंस या पंजीकरण या केंद्रीय लाइसेंस भी प्राप्त कर सकते हैं।
- लाइसेंस या पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय व्यावसायिक गतिविधि के चयन में किसी भी अस्पष्टता से बचने के लिए एफएसएसएआई ने आपूर्तिकर्ता, विपणनकर्ता, निर्यातक (घरेलू और निर्यात) जैसे कुछ प्रकार के व्यवसायों को हटा दिया है।
- जिन एफबीओ के पास फोस्कोस के लॉगिन क्रेडेंशियल्स नहीं हैं, उनके लिए यूजर क्रेडेंशियल्स/ईमेल और मोबाइल नंबर के अद्यतन के लिए एक एसओपी तैयार किया गया है।

4.4 प्रवर्तन

- 4.4.1** एफएसएस अधिनियम, 2006 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के कार्यान्वयन और प्रवर्तन का कार्य मुख्य रूप से राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की सरकारों का है। खाद्य उत्पादों की नियमित निगरानी, मॉनिटरिंग, निरीक्षण और यादृच्छिक नमूने लेने का कार्य संबंधित राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा विभागों के अधिकारियों द्वारा किया जाता है ताकि यह जांचा जा सके कि खाद्य उत्पादों के संबंध में निर्धारित मानकों का अनुपालन किया जा रहा है या नहीं। ऐसे मामलों में जहां खाद्य नमूने गैर-अनुरूप पाए जाते हैं, एफएसएस अधिनियम, 2006 के अध्याय IX के तहत दंडात्मक प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। वर्ष 2021-22 के दौरान विश्लेषित किए गए

नमूनों, निर्धारित मानकों और मानदंडों के गैर-अनुरूप नमूनों और की गई दंडात्मक कार्रवाई का विवरण सारणी-14 में दिया गया है।

- 4.4.2** एफएसएसएआई ने 08 मार्च, 2021 को अधिसूचना जारी की जिसमें बहु-स्रोतीय खाद्य वनस्पति तेल (एमएसईवीओ) के उत्पादन के लिए सरसों के तेल के सम्मिश्रण को दिनांक 08 जून, 2021 से प्रतिबंधित किया गया। खाद्य कारोबारियों द्वारा इस प्रतिबंध का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, एफएसएसएआई ने 08 जून, 2021 के पत्र के माध्यम से सभी राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों को निगरानी और लक्षित प्रवर्तन करने का निर्देश दिया। किए गए निरीक्षणों की स्थिति निम्नानुसार है:-

एमएसईवीओ बनाने वाले एफबीओ (केंद्रीय और राज्य) की कुल संख्या	निरीक्षित एफबीओ की संख्या	निष्क्रिय एफबीओ	जिन एफबीओ ने अन्य तेलों के सम्मिश्रण का कार्य करना शुरू कर दिया है	सरसों के तेल के सम्मिश्रण का कार्य जारी करने वाले एफबीओ की संख्या
620	620	55	565	0

- 4.4.3** मौजूदा खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 कॉफी और कॉफी-कासनी के मिश्रण के मानकों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करते हैं। यह निर्दिष्ट किया गया है कि कॉफी-कासनी के मिश्रण में कॉफी की मात्रा 51 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए और कॉफी और कासनी के मिश्रण वाले प्रत्येक पैकेज के लेबल पर कॉफी और कासनी की मात्रा का प्रतिशत दर्शाया जाना चाहिए। एफएसएस (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 के अनुसार, 'प्री-पैकेज्ड' खाद्य को किसी भी ऐसे लेबल पर या लेबलिंग तरीके से वर्णित या प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए जो कि भ्रामक हो या जिससे उसकी प्रकृति के बारे में किसी भी प्रकार से गलत धारणा बन सकती हो। साथ ही एफएसएस (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018 में यह निर्धारित किया गया है कि 'शुद्ध' शब्द का प्रयोग केवल एक घटक वाले खाद्य के लिए ही किया जाएगा जिसमें कुछ भी मिलाया न गया हो। यह देखा गया कि बाजार में उपलब्ध उत्पादों में उपरोक्त एफएसएसआर प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है और उनमें या तो कॉफी-कासनी के मिश्रण को शुद्ध कॉफी के रूप में दर्शाया जा रहा है या मिश्रण में कॉफी और कासनी की मात्रा का प्रतिशत अलग-अलग नहीं दर्शाया जा रहा है।
- 4.4.4** तदनुसार, एफएसएसएआई ने पत्र दिनांक 11 नवंबर, 2021 के माध्यम से सभी राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों और केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरणों को उपरोक्त प्रावधानों का आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित करने और कॉफी और कॉफी-कासनी मिश्रण के मानकों संबंधी एफएसएस नियमों के उल्लंघन के लिए एफबीओ के खिलाफ उचित नियामक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कॉफी-कासनी का निर्माण करने वाले सभी 42 केंद्रीय लाइसेंस प्राप्त खाद्य कारोबारियों की पहचान की गई और इन एफबीओ द्वारा कॉफी-कासनी उत्पाद के संबंध में लेबलिंग अनुपालन सुनिश्चित किया गया।

4.4.5 दूध और दुग्ध उत्पाद के लिए निर्दिष्ट लोगो

एफएसएसएआई ने मिश्रित दुग्ध उत्पादों सहित सभी दूध और दुग्ध उत्पादों के लिए 'मिल्क लोगो' (निम्नानुसार) और दूध के एनालॉग्स में "..... युक्त" घोषणा और रिक्त स्थान में उस घटक

का नाम जो दूध से प्राप्त नहीं हुआ है, उसके स्रोत के नाम सहित लिखना अनिवार्य कर दिया है। एफबीओ द्वारा 01 जुलाई, 2022 तक विनियम में दिए गए मानकों का पालन किया जाना चाहिए।



- 4.4.6** एफएसएसएआई ने 'नियमित निरीक्षण और नमूनाकरण प्रणाली के माध्यम से खाद्य सुरक्षा अनुपालन (फोस्कोरिस)' विकसित किया है और सभी राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों से खाद्य सुरक्षा निरीक्षण और नमूनाकरण में पारदर्शिता लाने के लिए इसे अपनाने का अनुरोध किया है। फोस्कोरिस निरीक्षण और नमूनाकरण के लिए वेब आधारित मोबाइल ऐप है। इसका उपयोग मोबाइल फोन, टैबलेट और डेस्कटॉप जैसे हाथ से पकड़े जाने वाले उपकरणों के माध्यम से भी किया जा सकता है। फोस्कोरिस निरीक्षण के साथ-साथ रियल टाइम के आधार पर निगरानी, डेटा संग्रह और डेटा विश्लेषण के लिए सशक्त उपकरण के रूप में कार्य करता है। फोस्कोरिस के माध्यम से निरीक्षण अधिकारी चित्र खींचकर उन्हें सिस्टम में अपलोड कर सकते हैं। इसके माध्यम से उच्च अधिकारी भी निरीक्षण करने वाले अधिकारियों, उनकी भौगोलिक स्थिति, निरीक्षणाधीन खाद्य परिसर आदि से संबंधित जानकारी देख सकते हैं। 2020-21 के दौरान किए गए 60,232 फोस्कोरिस निरीक्षणों की तुलना में 2021-22 के दौरान निरीक्षित खाद्य व्यवसायों की संख्या बढ़कर 2,19,775 हो गई। 2021-22 के दौरान किए गए फोस्कोरिस निरीक्षणों का राज्य-वार डेटा सारणी-15 में है।
- 4.4.7** टैपिओका साबूदाने के निर्माण में मिलावट को रोकने के लिए विशेष प्रवर्तन अभियान नवंबर-दिसंबर, 2021 के दौरान विशेष रूप से तमिलनाडु, केरल, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना राज्यों में चलाया गया। अभियान के दौरान साबूदाना निर्माताओं की इकाइयों का निरीक्षण किया गया और साबूदाने के 135 वैध नमूने उठाए गए। निरीक्षण के आधार पर 1,45,625 किलोग्राम साबूदाना और 752 लीटर ब्लीचिंग एजेंट जब्त किया गया। इसके अलावा, वैध नमूनों की विश्लेषण रिपोर्ट के परिणामों के आधार पर उचित कार्रवाई शुरू की जाएगी।
- 4.4.8** खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 में यह अनुबंध करने के लिए संशोधन किया गया था कि खाद्य उत्पाद जिनमें खाद्य तेल और वसा एक घटक के रूप में उपयोग किए जाते हैं, उनमें उत्पाद में मौजूद कुल तेल/वसा का 2% द्रव्यमान से अधिक औद्योगिक ट्रांस फैटी एसिड नहीं होना चाहिए। यह प्रावधान 01 जनवरी, 2022 से प्रभावी है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उक्त प्रतिषेध 01 जनवरी, 2022 से पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू किया जाए, एफएसएसएआई ने दिनांक 17 दिसंबर, 2021 के पत्र के माध्यम से राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों और केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को वनस्पति तेल/वसा का विनिर्माण/प्रसंस्करण करने के लिए लाइसेंस प्राप्त सभी इकाइयों का अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत 100% निरीक्षण करने और निगरानी नमूनों के माध्यम से विनिर्मित उत्पादों में अनुपालन की जाँच करने की सलाह दी।

4.4.9 एफएसएसएआई ने उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के साथ तिमाही बैठकें आयोजित करने का निर्णय लिया है ताकि नियामक परिवर्तन, उभरते मुद्दों आदि से संबंधित उनकी समस्याओं और मुद्दों को समझकर उनका समाधान किया जा सके और उनके क्षेत्र विशेष के संबंध में एफएसएसएआई द्वारा जारी किए गए आदेशों/निर्देशों के बारे में उन्हें अवगत कराया जा सके। 2021-22 के दौरान थोक व्यापारी, परिवहक, री-पैकर्स, री-लेबलर्स, खुदरा व्यापारी, प्रत्यक्ष विक्रेता, ई-कॉमर्स प्रतिष्ठानों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ ऐसी चार बैठकें आयोजित की गईं।

4.4.10 राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों के साथ इंटरफेस में सुधार करने के लिए एफएसएसएआई राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा विभागों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) सत्र आयोजित कर रहा है। इन सत्रों के दौरान राज्य से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाती है। वर्ष 2021-22 के दौरान एफएसएसएआई ने विभिन्न राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों के साथ 35 वीडियो कॉन्फ्रेंस सत्र आयोजित किए।

4.4.11 एफएसएसएआई ने राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की बैठकों में भाग लेने के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तथा खाद्य सुरक्षातंत्र में सुधार करने हेतु एफएसएसएआई की विभिन्न पहलों के कार्यान्वयन का जायजा लेने के लिए विभिन्न राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों में अध्यक्ष/सीईओ द्वारा उच्चतम स्तर के दौरे के माध्यम से राज्यों के साथ क्रियाकलाप बढ़ाया है।

4.5 प्रयोग किए गए खाना पकाने के तेल (यूसीओ) के संग्रहण के लिए दिशा-निर्देश

एफएसएसएआई ने बायोडीजल विनिर्माताओं द्वारा खाद्य कारोबारियों से प्रयोग किए गए खाना पकाने के तेल के संग्रहण के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों में खाद्य कारोबारियों से प्राधिकृत संग्रहण अभिकरणों के माध्यम से प्रयोग किए गए खाना पकाने के तेल का संग्रहण करने के लिए बायोडीजल विनिर्माताओं के पंजीयन के नियम और शर्तें दिए गए हैं। 31 मार्च, 2022 तक एफएसएसएआई ने खाद्य कारोबारियों से प्रयोग किए गए खाना पकाने के तेल (यूसीओ) के संग्रहण के लिए देश भर से 43 बायोडीजल विनिर्माताओं का पंजीयन किया।

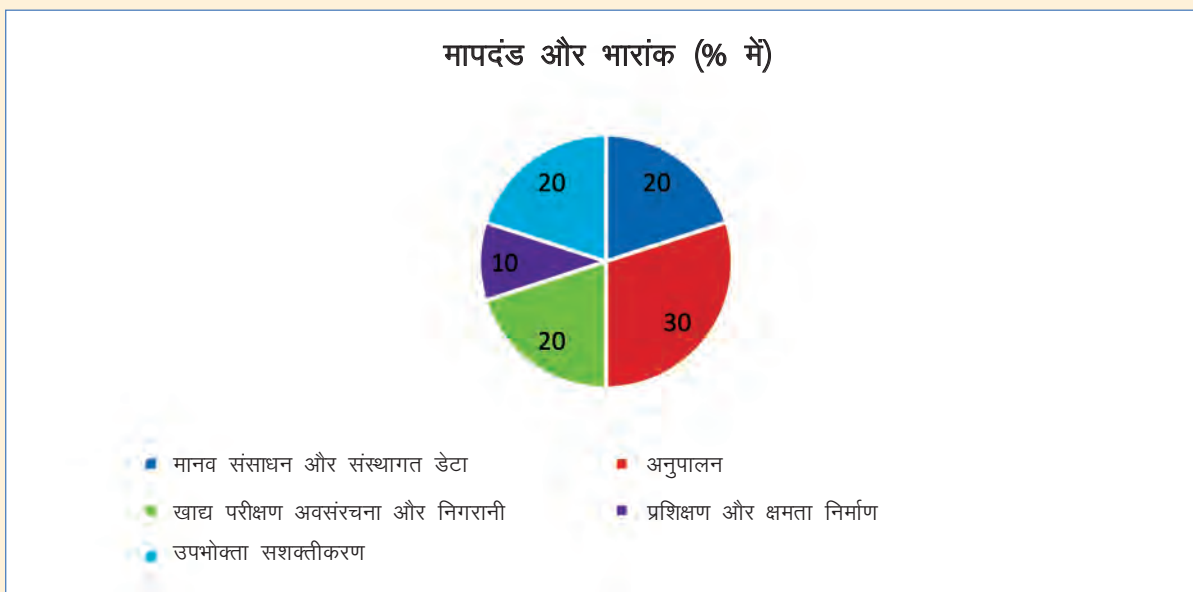
4.6 खाद्य सुरक्षा मित्र योजना

खाद्य सुरक्षा मित्र योजना एफएसएसएआई की एक पहल है जिसके माध्यम से एफएसएसएआई पंजीकरण/लाइसेंस के लिए आवेदन दाखिल करने में खाद्य कारोबारियों की सहायता के लिए सुविधाकर्ताओं का तंत्र बनाने का प्रयास किया गया है। इस पहल के माध्यम से बेईमान सलाहकारों और दलालों को प्रणाली से हटाने में और कम लागत पर मानकीकृत डोर-स्टेप सेवाएँ प्रदान करके एफबीओ को शोषण से बचाने में सहायता मिलेगी। खाद्य सुरक्षा मित्र को सफलता प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए एफएसएसएआई ने 01 दिसंबर, 2021 से प्रभावी होने वाली ऑनलाइन परीक्षा शुरू की है।

4.7 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक (एसएफएसआई)

4.7.1 एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा के विभिन्न मापदंडों के आधार पर राज्यों के निष्पादन का पता लगाने के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक विकसित किया है। यह सूचकांक गतिशील मात्रात्मक और गुणात्मक बेंचमार्किंग मॉडल है जो सभी राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा के मूल्यांकन के लिए वस्तुपरक रूपरेखा प्रदान करता है। यह सूचकांक पांच महत्वपूर्ण मापदंडों अर्थात् मानव संसाधन और संस्थागत डेटा; अनुपालन; खाद्य परीक्षण अवसंरचना और निगरानी; प्रशिक्षण और क्षमता

निर्माण; और उपभोक्ता सशक्तीकरण के आधार पर राज्य/संघराज्य क्षेत्र के निष्पादन पर आधारित है। इन मापदंडों का भारांक (वेटेज) पैटर्न निम्नानुसार है:



4.7.2 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों में सकारात्मक प्रतिस्पर्धी माहौल बनाने के लिए एफएसएसएआई प्रत्येक वर्ष पिछले वित्तीय वर्ष में राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों के समग्र प्रदर्शन के आधार पर राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी करता है ताकि आम जनता को व्यापक स्तर पर सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराया जा सके। वर्ष 2018–19 के लिए पहला राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 7 जून, 2019 को पहले विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर घोषित किया गया था। एफएसएसएआई ने 20 सितंबर, 2021 को वर्ष 2020–21 के लिए तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया। बड़े राज्यों में गुजरात ने प्रथम स्थान हासिल किया और उसके बाद केरल और तमिलनाडु का स्थान रहा। छोटे राज्यों में गोवा ने प्रथम स्थान हासिल किया और उसके बाद मेघालय और मणिपुर का स्थान रहा। संघराज्य क्षेत्रों में जम्मू-कश्मीर को प्रथम स्थान मिला, उसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली का स्थान रहा। संपूर्ण सूचकांक एफएसएसएआई की वेबलिक https://www.fssai.gov.in/upload/uploadfiles/files/Report_SFSAI_20_09_2021.pdf पर उपलब्ध है।

4.8 देश में खाद्य सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के लिए एफएसएसएआई और राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों के बीच समझौता ज्ञापन

एफएसएसएआई ने देश में खाद्य सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन की रूपरेखा के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वीकृत कार्य-योजना प्रस्तावों के अनुसार वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। वर्ष 2021–22 के दौरान उन प्रमुख क्षेत्रों को उजागर करने वाले कार्य योजना प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनमें तकनीकी और वित्तीय सहायता दोनों की आवश्यकता है। संबंधित राज्य/संघराज्य क्षेत्र के साथ विचार-विमर्श करने के बाद कार्य योजनाओं को अंतिम रूप दिया गया और ₹95.48 करोड़ की राशि जारी की गई।

4.9 खाद्य सुरक्षा संपरीक्षण अभिकरणों का नामांकन

खाद्य सुरक्षा निगरानी प्रणाली को मजबूत करने के लिए एफएसएसएआई ने तृतीय पक्ष संपरीक्षण अभिकरणों के माध्यम से खाद्य कारोबारियों का संपरीक्षण शुरू किया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 44 में खाद्य प्राधिकरण को खाद्य सुरक्षा संपरीक्षण करने और खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के अनुपालन की जाँच करने के लिए किसी संगठन या अभिकरण को मान्यता देने के लिए अधिकृत किया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 16(2)(ग) में खाद्य प्राधिकरण को खाद्य व्यवसायों के लिए खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एफएसएमएस) का प्रमाणीकरण करने वाले प्रमाणन निकायों के प्रत्यायन के लिए तंत्र और दिशानिर्देश निर्दिष्ट करने के लिए विनियम बनाने का अधिकार दिया गया है। तदनुसार एफएसएसएआई ने 28 अगस्त, 2018 से प्रभावी खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य सुरक्षा संपरीक्षण) विनियम, 2018 अधिसूचित किया और संपरीक्षण के विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत 31 मार्च, 2022 तक 33 खाद्य सुरक्षा संपरीक्षण अभिकरणों को मान्यता दी है।

4.10 स्वच्छता रेटिंग योजना

4.10.1 स्वच्छता रेटिंग योजना प्रौद्योगिकी आधारित, उपयोगकर्ता-सुगम योजना है जिसमें खाद्य प्रतिष्ठानों को उनकी स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा अनुपालन के लिए 1-5 के स्केल पर (स्माइली प्रतीकों में) रेटिंग दी जाती है। वर्तमान में यह योजना निम्न प्रतिष्ठानों में लागू है:

- खाद्य सेवा प्रतिष्ठान (जैसे कि रेस्तराँ, कैफे, डाइनर और अन्य खाने-पीने के स्थान)
- मिठाई की दुकानें
- बेकरी और
- मांस की दुकानें

4.10.2 खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची-4 के अनुसार स्वच्छता और साफ-सफाई संबंधी मानकों के पालन के लिए खाद्य व्यवसाय के लिए आवश्यक मानदंड पर आधारित व्यापक चेकलिस्ट तैयार की गई हैं। इस जांचसूची के आधार पर खाद्य व्यवसाय का संपरीक्षण किया जाता है और स्वच्छता रेटिंग ऑडिट एजेंसी द्वारा रेटिंग प्रदान की जाती है। इस रेटिंग के आधार पर एक प्रमाण पत्र तैयार किया जाता है जिसे परिसर में उपभोक्ताओं के लिए प्रदर्शित किया जा सकता है। इससे उपभोक्ताओं को यह पहचानने में मदद मिलती है कि वह स्थान स्वच्छ है या नहीं। 3 स्टार और उससे अधिक की रेटिंग को 'अच्छी रेटिंग' माना जाता है।

4.10.3 एफ.एस.एस.ए.आई. ने स्वच्छता रेटिंग ऑडिट करने के लिए 30 तृतीय पक्ष ऑडिट अभिकरणों और 12 अन्य संस्थाओं को मान्यता दी है। देश भर में 200 से अधिक प्रशिक्षित स्वच्छता रेटिंग ऑडिटर स्वच्छता रेटिंग ऑडिट कर रहे हैं। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (क्यूसीआई) ने उन स्वच्छता रेटिंग ऑडिट अभिकरणों को मान्यता देने के लिए एक योजना विकसित की है जो देश में विशेष रूप से स्वच्छता रेटिंग ऑडिट करने का कार्य करेंगी और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगी।

4.10.4 स्वच्छता रेटिंग योजना के अंतर्गत 31 मार्च, 2022 तक 14,122 खाद्य प्रतिष्ठानों को सफलतापूर्वक प्रमाणित किया गया।

4.11 राज्य प्राधिकारियों द्वारा निगरानी

निगरानी विनियामक अनुपालन का एक अभिन्न अंग है और राज्य/संघराज्य क्षेत्र नियमित रूप से निगरानी गतिविधियों का संचालन करते हैं और अपनी निगरानी संबंधी योजनाओं के अनुसार गहन निगरानी अभियान चलाते हैं। एफएसएसएआई ने एक वार्षिक निगरानी योजना तैयार की है और राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों के साथ साझा की है जिससे कि कुछ विशेष कारकों जैसे कि भौगोलिक स्थिति, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, त्योहारों या विशिष्ट अवसरों के दौरान सक्रिय/विशिष्ट निगरानी अभियान, खाद्य वस्तुओं से संबंधित जोखिम की मात्रा आदि को ध्यान में रखते हुए वह उसमें परिवर्तन कर अपनी वार्षिक निगरानी योजना बना सकते हैं। अपने संबंधित क्षेत्रों में की गई गतिविधियों के आधार पर राज्य और संघराज्य क्षेत्र एफएसएसएआई को समय-समय पर निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। बाद में इस निगरानी योजना के बारे में विभिन्न केंद्रीय सलाहकार समिति की बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेंसेज, और राज्यों एवं संघराज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों के साथ अन्य बैठकों में चर्चा हुई।

4.12 शिकायत निवारण

एफएसएसएआई के पास उपभोक्ता शिकायत/समस्या का निपटान करने के लिए एक मजबूत तंत्र है। एफएसएसएआई को विभिन्न चैनलों (वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप, एफएसएसएआई हेल्पलाइन, ईमेल, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंग्राम-राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पोर्टल, पीएमओपीजी, पोस्ट आदि) के माध्यम से प्राप्त उपभोक्ताओं और एफबीओ की शिकायतों/समस्याओं को एफएसएसएआई द्वारा एक पोर्टल अर्थात् फूड सेफ्टी कनेक्ट पोर्टल, जो ऑनलाइन खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली (फोस्कोस) का भाग है, पर समेकित किया जाता है। उपभोक्ता इस पोर्टल पर मिलावटी खाद्य, असुरक्षित खाद्य, घटिया खाद्य, खाद्य में लेबलिंग दोष और विभिन्न खाद्य उत्पादों के बारे में भ्रामक दावों और विज्ञापनों से संबंधित खाद्य सुरक्षा मुद्दों के संबंध में अपनी शिकायतें और प्रतिक्रिया सीधे दर्ज भी कर सकते हैं। खाद्य संबंधी समस्या का सफल पंजीकरण होने पर दर्ज की गई प्रत्येक शिकायत/समस्या संख्या के विरुद्ध एक विशिष्ट कोड उत्पन्न होता है, जो समस्या का पंजीकरण करते समय प्रदान किए गए मोबाइल नंबर पर एसएमएस द्वारा भेजा जाता है। इस संदर्भ संख्या का उपयोग बाद में उपभोक्ता द्वारा ऑनलाइन प्रणाली पर उसके द्वारा दर्ज की गई समस्या को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है। एफएसएसएआई की टीम, राज्य डीओ/एफएसओ और एफबीओ— तीनों भागीदार उपभोक्ताओं द्वारा उठाई गई समस्याओं को ऑनलाइन देख सकते हैं। समस्याओं के उचित निपटान की नियमित रूप से समीक्षा का कार्य राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों द्वारा भेजी गई तिमाही रिपोर्ट, राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों के प्रदर्शन की समीक्षा और आवधिक केंद्रीय सलाहकार समिति की बैठकों के माध्यम से किया जाता है। फूड सेफ्टी कनेक्ट पोर्टल पर उठाई गई 3,920 उपभोक्ता समस्याओं/शिकायतों में से 2,834 उपभोक्ता समस्याओं का समाधान किया गया और 1,086 उपभोक्ता समस्याएँ जांच के विभिन्न चरणों में हैं।

सारणी 13—एफएसएस अधिनियम, 2006 के तहत राज्यों व संघराज्य क्षेत्रों में प्रवर्तन तंत्र की प्रशासनिक व्यवस्था
(31.03.2022 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य का नाम	एफएससी	एसएलएसी	डीएलएसी	एओ की संख्या	डीओ की संख्या		एफएसओ की संख्या		अपीलीय अधिकरण
						पूर्ण कालिक	अंश कालिक	पूर्ण कालिक	अंश कालिक	
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1	हाँ	हाँ	3	2	1	13	0	हाँ
2	आंध्र प्रदेश	1	हाँ	हाँ	13	13	0	44	2	हाँ
3	अरुणाचल प्रदेश	1	हाँ	हाँ	25	1	24	3	0	हाँ
4	असम	1	प्रक्रियाधीन	नहीं	33	6	1	24	0	हाँ
5	बिहार	1	हाँ	हाँ	38	0	14	14	0	नहीं
6	चंडीगढ़	1	हाँ	आवश्यकता नहीं	1	1	0	5	0	हाँ
7	छत्तीसगढ़	1	नहीं	नहीं	28	0	28	59	0	हाँ
8	दादर नगर हवेली और दमन और दीव	1	हाँ	नहीं	3	3	0	3	0	हाँ
9	दिल्ली	1	हाँ	प्रक्रियाधीन	11	8	0	20	0	हाँ
10	गोवा	1	हाँ	हाँ	2	1	0	38	0	हाँ
11	गुजरात	1	हाँ	हाँ	33	25	13	183	0	हाँ
12	हरियाणा	1	प्रक्रियाधीन	प्रक्रियाधीन	22	5	0	15	0	हाँ
13	हिमाचल प्रदेश	1	हाँ	हाँ	12	12	0	16	0	हाँ
14	जम्मू और कश्मीर	1	हाँ	हाँ	23	21	0	71	0	हाँ
15	झारखंड	1	हाँ	हाँ	24	45	0	19	0	हाँ
16	कर्नाटक	1	हाँ	हाँ	30	25	11	37	207	हाँ
17	केरल	1	हाँ	हाँ	27	12	0	119	0	हाँ
18	लद्दाख	1	हाँ	हाँ	2	1	0	1	2	हाँ
19	लक्षद्वीप	1	हाँ	नहीं	1	0	1	0	09	हाँ
20	मध्य प्रदेश	1	हाँ	हाँ	53	0	51	159	0	हाँ
21	महाराष्ट्र	1	हाँ	हाँ	7	43	64	208	0	हाँ
22	मणिपुर	1	हाँ	हाँ	16	10	0	22	0	हाँ
23	मेघालय	1	हाँ	हाँ	11	3	9	5	7	हाँ
24	मिज़ोरम	1	हाँ	हाँ	8	0	3	2	7	नहीं
25	नागालैंड	1	हाँ	हाँ	11	3	0	7	0	नहीं
26	ओडिशा	1	हाँ	हाँ	36	3	34	65	0	हाँ
27	पुदुचेरी	1	हाँ	नहीं	2	1	0	1	0	हाँ

क्र.सं.	राज्य का नाम	एफएससी	एसएलएसी	डीएलएसी	एओ की संख्या	डीओ की संख्या		एफएसओ की संख्या		अपीलीय अधिकरण
28	पंजाब	1	हाँ	हाँ	26	11	11	51	0	हाँ
29	राजस्थान	1	हाँ	हाँ	40	0	0	0	48	हाँ
30	सिक्किम	1	हाँ	हाँ	4	3	0	4	0	हाँ
31	तमिलनाडु	1	हाँ	हाँ	38	32	0	267	0	हाँ
32	तेलंगाना	1	नहीं	नहीं	31	9	0	36	0	हाँ
33	त्रिपुरा	1	हाँ	हाँ	8	0	10	3	0	हाँ
34	उत्तर प्रदेश	1	हाँ	हाँ	75	74	0	615	0	हाँ
35	उत्तराखंड	1	हाँ	हाँ	13	14	0	20	0	हाँ
36	पश्चिम बंगाल	1	हाँ	हाँ	23	28	0	143	0	हाँ
कुल					733	415	275	2,292	282	

एफएससी—खाद्य सुरक्षा आयुक्त, एसएलएसी—राज्य स्तरीय सलाहकार समिति, डीएलएसी—जिला स्तरीय सलाहकार समिति, एओ—न्याय निर्णयन अधिकारी, डीओ—अभिहित अधिकारी, एफएसओ— खाद्य सुरक्षा अधिकारी।

सारणी 14—वर्ष 2021–22 के दौरान विश्लेषित नमूनों, गैर-अनुरूप पाए गए नमूनों और की गई दंडात्मक कार्रवाई का विवरण।

क्र. सं.	राज्य का नाम	उठाए गए नमूनों की संख्या	विश्लेषित नमूनों की संख्या	संख्या जहां विश्लेषण रिपोर्ट प्रतीक्षित हैं	गैर अनुपालन वाले नमूनों की संख्या		गैर अनुपालन वाले नमूने			दीवानी मामले						आपराधिक मामले				
					पिछले वर्ष उठाए नमूने जिनकी रिपोर्ट इस वर्ष मिली	इसी वर्ष उठाए और विश्लेषित नमूने	असुरक्षित	घटिया	लेबलिंग त्रुटि/ भ्रामक/ अन्य	चालू किए गए मामले	मामले जिनमें निर्णय हुआ		लंबित मामले		चालू किए गए मामले	मामले जिनमें निर्णय हुआ			लंबित मामले	
											सिद्ध दोष	अर्थ दंड (रुपये में)	एओ के समक्ष	अपीलीय त्रीबुनल में		सजा व दंड से दोष सिद्ध	बरी	अर्थ दंड		
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	850	850	0	0	4	0	4	0	6	5	65000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	5290	5290	45	5	528	128	167	238	271	484	7313178	1285	87	41	6	13	200000	635	
3	अरुणाचल प्रदेश	330	108	222	1	1	0	0	2	0	0	0	4	0	1	0	1	0	5	
4	असम	523	520	0	2	64	11	37	18	25	5	70000	185	0	3	0	0	0	18	
5	बिहार	2140	555	1585	17	0	3	9	5	23	75	1735000	565	0	9	0	0	0	165	

क्र. सं.	राज्य का नाम	उठाए गए नमूनों की संख्या	विश्लेषित नमूनों की संख्या	संख्या जहां विश्लेषण रिपोर्ट प्रतीक्षित हैं	गैर अनुपालन वाले नमूनों की संख्या		गैर अनुपालन वाले नमूने			दीवानी मामले					आपराधिक मामले				
					असुरक्षित	घटिया	लेबलिंग त्रुटि/ भ्रामक/ अन्य	चालू किए गए मामले	मामले सिद्ध दोष	जिनमें निर्णय हुआ		लंबित एओ के समक्ष	मामले अपीलीय ट्रीबुनल में	चालू किए गए मामले	मामले सिद्ध हुआ		जिनमें निर्णय हुआ	लंबित मामले	
										पिछले वर्ष उठाए गए नमूने जिनकी रिपोर्ट इस वर्ष मिली	इसी वर्ष उठाए गए और विश्लेषित नमूने				अर्थ दंड (रुपये में)	अर्थ दंड			सजा व दंड से दोष सिद्ध
6	चंडीगढ़	388	388	0	1	27	4	17	7	95	60	975000	36	8	61	1	0	30000	111
7	छत्तीसगढ़	1437	1436	1	20	160	16	103	61	118	90	1214000	375	24	39	6	0	20000	312
8	दादर नगर हवेली और दमन और दीव	250	234	29	0	0	0	0	0	10	7	238500	3	0	0	0	0	0	0
9	दिल्ली	1956	1956	0	5	213	52	58	108	196	89	3919500	473	12	48	27	2	1968000	134
10	गोवा	200	200	0	0	14	1	5	8	9	2	60000	12	2	4	0	0	0	6
11	गुजरात	16022	13663	2359	67	757	62	482	280	626	668	39693358	2474	531	79	14	2	327500	499
12	हरियाणा	4344	4235	109	96	1086	113	600	469	587	78	9081400	1057	22	60	21	1	70000	321
13	हिमाचल प्रदेश	1923	1745	205	14	294	11	91	206	248	249	3249100	203	2	15	0	3	0	52
14	जम्मू और कश्मीर	9265	8109	1838	240	1495	29	1047	659	2244	1931	13910840	3829	45	34	4	5	115000	185
15	झारखंड	706	175	531	0	85	24	28	33	67	42	919500	273	0	15	8	0	70000	107
16	कर्नाटक	5965	5844	121	0	150	13	76	61	147	125	1734600	173	0	13	0	0	0	221
17	केरल	7890	7855	35	64	861	460	238	227	599	237	7470700	1471	32	361	10	4	306000	1348
18	लद्दाख	66	47	47	0	19	0	4	15	19	12	113000	5	0	0	0	0	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	15355	16059	3409	889	2011	109	1315	1476	2786	2030	69280500	2548	512	169	72	8	764500	953
21	महाराष्ट्र	13118	9580	3538	320	1134	377	546	531	1587	787	19160750	4085	89	272	12	0	33000	7981
22	मणिपुर	314	236	78	0	3	1	1	1	0	1	40000	0	0	0	1	0	3000	0
23	मेघालय	309	70	239	0	5	0	1	4	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6
24	मिज़ोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	नागालैंड	157	127	30	0	14	0	8	6	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0
26	ओडिशा	1168	1168	0	0	260	66	135	59	63	52	562000	98	0	43	0	0	0	76
27	पुदुचेरी	5	5	0	0	2	0	2	0	2	2	10000	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	राज्य का नाम	उठाए गए नमूनों की संख्या	विश्लेषित नमूनों की संख्या	संख्या जहां विश्लेषण रिपोर्ट प्रतीक्षित हैं	गैर अनुपालन वाले नमूनों की संख्या		गैर अनुपालन वाले नमूने			दीवानी मामले					आपराधिक मामले				
					पिछले वर्ष उठाए नमूने जिनकी रिपोर्ट इस वर्ष मिली	इसी वर्ष उठाए और विश्लेषित नमूने	असुरक्षित	घटिया	लेबलिंग त्रुटि/ भ्रामक/ अन्य	चालू किए गए मामले	मामले सिद्ध दोष	जिनमें निर्णय हुआ अर्थ दंड (रुपये में)	लंबित एओ के समक्ष	मामले अपीलीय ट्रीबुनल में	चालू किए गए मामले	मामले जिनमें निर्णय हुआ			लंबित मामले
																सजा व दंड से दोष सिद्ध	बरी	अर्थ दंड	
28	पंजाब	6768	6768	0	0	1059	81	538	440	784	0	9781600	1147	36	63	8	6	76000	407
29	राजस्थान	12879	10386	2493	0	2891	409	1747	735	1125	626	13101075	499	360	33	1	0	66020	131
30	सिक्किम	66	66	0	5	0	1	0	4	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0
31	तमिलनाडु	19858	16363	8478	1033	2745	946	626	2206	3121	2884	30086000	1804	37	837	360	27	7863000	2249
32	तेलंगाना	3077	3077	0	0	353	72	181	100	281	77	877600	204	0	32	0	1	0	31
33	त्रिपुरा	51	31	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
34	उत्तर प्रदेश	26934	21987	10029	5372	7781	1842	7929	3382	13221	8585	291746400	27307	1505	2694	118	13	1660000	9714
35	उत्तराखंड	2397	2511	800	205	355	17	517	26	574	182	6086700	922	29	13	1	0	200000	52
36	पश्चिम बंगाल	3380	2701	679	67	140	42	70	95	63	52	1420500	43	5	7	1	1	50000	6
योग		165381	144345	36920	8423	24511	4890	16582	11462	28906	19437	₹533,915,801	51095	3338	4946	671	87	₹13,822,020	25730

सार्वजनिक व निजी प्रयोगशालयों से प्राप्त डाटा सम्मिलित है

सारणी 15-वर्ष 2021-22 के दौरान फॉस्कोरिस के माध्यम से संचालित निरीक्षणों का विवरण

राज्य/संघराज्य क्षेत्र	केंद्र अनुज्ञापित एफबीओ	राज्य अनुज्ञापित एफबीओ	पंजीकृत एफबीओ	कुल
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	3	952	1491	2446
आंध्र प्रदेश	160	42	4	206
अरुणाचल प्रदेश	1	40	10	51
असम	115	2898	73	3086
बिहार	16	104	5	125
चंडीगढ़	5	1258	25	1288
छत्तीसगढ़	13	5070	660	5743
दादर और नगर हवेली और दमन और दीव	2	285	321	608

राज्य/संघराज्य क्षेत्र	केंद्र अनुज्ञापित एफबीओ	राज्य अनुज्ञापित एफबीओ	पंजीकृत एफबीओ	कुल
दिल्ली	26	851	78	955
गोवा	22	181	935	1138
गुजरात	123	12111	1997	14231
हरियाणा	16	3466	1357	4839
हिमाचल प्रदेश	9	1232	1049	2290
जम्मू और कश्मीर	10	4321	15719	20050
झारखंड	3	1116	159	1278
कर्नाटक	132	2091	2924	5147
केरल	110	3397	3394	6901
लद्दाख	1	68	356	425
लक्षद्वीप	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	91	4979	1566	6636
महाराष्ट्र	175	11198	5421	16794
मणिपुर	4	240	624	868
मेघालय	3	0	1	4
मिज़ोरम	0	0	0	0
नागालैंड	2	13	19	34
ओडिशा	22	1816	850	2688
पुदुचेरी	4	4	0	8
पंजाब	37	1377	446	1860
राजस्थान	33	257	192	482
सिक्किम	4	245	187	436
तमिलनाडु	106	51218	7745	59069
तेलंगाना	105	8	140	253
त्रिपुरा	3	555	22	580
उत्तराखंड	7	2526	830	3363
उत्तर प्रदेश	101	13941	26807	40849
पश्चिम बंगाल	74	9471	436	9981
कुल निरीक्षण	1,538	1,37,331	75,843	2,14,712
रेलवे और एयरपोर्ट प्राधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण				5063
	कुल योग			2,19,775

खाद्य परीक्षण और निगरानी

5.1 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की अधिसूचना

5.1.1 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 43 के अध्याय VIII के अनुसार एफएसएसएआई द्वारा खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन के लिए खाद्य प्रयोगशालाओं में खाद्य परीक्षण के लिए एक पारिस्थितिकी प्रणाली (ईको सिस्टम) को प्रोत्साहित करना अपेक्षित है।

5.1.2 खाद्य विनियमन तंत्र के अभिन्न अंग के रूप में खाद्य परीक्षण पारितंत्र को निम्नलिखित मुख्य कार्य करने होते हैं:

- निर्धारित गुणता तथा सुरक्षा संबंधी निर्धारित मानदंडों के प्रति अनुरूपता हेतु खाद्य पदार्थों/खाद्य वस्तुओं (देशी और आयातित दोनों) का विश्लेषण और परीक्षण करना तथा खाद्य विधियों/विनियमों के अनुपालन में सहायता करना।
- बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों की निर्धारित मानदंडों के प्रति अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए बाजार पर निगरानी गतिविधियों में सहायता करना।
- जोखिम आकलन ढाँचे का अंग बनना, जिसमें खाद्य संबंधी घटनाओं का आकलन भी शामिल है, तथा इस प्रकार खाद्य मानकों अथवा मार्गदर्शी प्रलेखों के निर्धारण में सहायता करना।
- परीक्षण पद्धतियों के सुमेलन, उनके विकास अथवा वैधीकरण नेटवर्क का अभिन्न अंग बनना।
- खाद्य परीक्षण तथा खाद्य मानकों के बारे में जागरूकता पैदा करना, विशेषकर उपभोक्ताओं में।

खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का उपयोग विनियामक, उपभोक्ता तथा खाद्य कारोबारी द्वारा किया जा सकता है ताकि खाद्य कानूनों का हर स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

5.1.3 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 43(1) के अनुसार खाद्य प्राधिकरण इस अधिनियम के अंतर्गत खाद्य विश्लेषकों द्वारा नमूनों के विश्लेषण के प्रयोजन से राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड अथवा अन्य किसी प्रत्यायन एजेंसी द्वारा प्रत्यायित खाद्य प्रयोगशालाओं तथा अनुसंधान संस्थाओं को अधिसूचित कर सकती है।

5.1.4 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 43(2) के अनुसार खाद्य प्राधिकरण इस अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बने किसी नियम और विनियम द्वारा रेफरल खाद्य प्रयोगशाला को सौंपे गए कर्तव्यों के निर्वहन के लिए रेफरल खाद्य प्रयोगशालाएँ स्थापित करेगी अथवा अधिसूचना के माध्यम से उन्हें मान्यता प्रदान करेगी।

5.1.5 उक्त अधिनियम की धारा 43 के साथ पठित धारा 16 की उप-धारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने नवंबर, 2018 में खाद्य

सुरक्षा और मानक (प्रयोगशालाओं की मान्यता और अधिसूचना) विनियम, 2018 अधिसूचित किए हैं। इन विनियमों में प्रयोगशालाओं की मान्यता और अधिसूचना के लिए सभी प्रक्रियात्मक अपेक्षाएँ हैं, यथा प्रयोगशालाओं का प्रकार, उनकी मान्यता तथा अधिसूचना के मानदंड, नवीकरण, ऑडिट और जाँच, प्रयोगशालाओं के कर्तव्य, निलंबन, अवमान्यन, ऑडिट इत्यादि।

- 5.1.6** कारोबार में सरलता को बढ़ावा देने; पारदर्शिता लाने; तथा खाद्य प्रयोगशालाओं की गतिविधियों की पुनरीक्षा और निगरानी एक ही प्लेटफॉर्म पर करने की प्रणाली के माध्यम से देश में खाद्य परीक्षण की गुणता में सुधार लाने के उद्देश्य से खाद्य प्राधिकरण अब प्रयोगशाला प्रत्यायित करने/उन्हें मान्यता देने/अनुमोदित करने के राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) की एकीकृत कार्रवाई के तहत ही खाद्य प्रयोगशालाओं को मान्यता दे रही है। निर्यात निरीक्षण परिषद् (ईआईसी), कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपिडा), चाय बोर्ड, भारतीय तिलहन तथा फसल निर्यात संवर्धन परिषद् (आईओपीईपीसी) आदि इस एकीकृत प्रणाली के अन्य विनियामक हैं।
- 5.1.7** राज्यों की खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ (एसएफटीएल) जो पूर्व में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम व्यवस्था के दौरान भी थीं, उनमें से अधिकतर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 98 के संक्रमण उपबंध के तहत 10 से अधिक वर्षों से एनएबीएल प्रत्यायन के बिना कार्य कर रही थीं, यद्यपि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत खाद्य प्रयोगशाला के लिए एनएबीएल प्रत्यायन एक प्रमुख मानदंड है। तथापि, बार-बार अनुरोध करने और अनुस्मारक भेजने के बावजूद, कुछ राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों ने एनएबीएल मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की थी। अतः दिनांक 18 दिसंबर, 2020 से 39 एसएफटीएल को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 98 की परिधि से बाहर कर दिया गया था। उन्हें यह भी कहा गया कि एनएबीएल प्रत्यायन लेने के बाद पुनः मान्यता दे दी जाएगी। 39 एसएफटीएल में से 14 एसएफटीएल ने इस अवधि के दौरान एनएबीएल प्रत्यायन प्राप्त कर लिया है और एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 43(1) के तहत अधिसूचित किया गया है। इन 14 एसएफटीएल की सूची सारणी-16 में दी गई है।
- 5.1.8** उपरोक्त के अलावा, खाद्य नमूनों के प्राथमिक परीक्षण के लिए एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 43(1) के तहत वर्ष 2021-22 के दौरान 29 अन्य प्रयोगशालाओं को भी खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के रूप में अधिसूचित किया गया है। इनकी सूची सारणी-17 में दी गई है।
- 5.1.9** इसके अलावा, राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, नवी मुंबई को भी एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 43 (2) के तहत एक रेफरल प्रयोगशाला के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- 5.1.10** 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, खाद्य प्राधिकरण के पास प्राथमिक परीक्षण के लिए 227 प्रयोगशालाओं का नेटवर्क है, जो एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 43(1) के तहत मान्यता प्राप्त और अधिसूचित हैं। साथ ही, एफएसएस अधिनियम 2006 की धारा 43(2) के तहत मान्यता प्राप्त और अधिसूचित अपील (रेफरल) परीक्षण के लिए 20 प्रयोगशालाएं हैं। एफएसएसएआई द्वारा मान्यता-प्रदत्त तथा अधिसूचित सभी प्रयोगशालाओं का क्षेत्रवार विवरण सारणी-18 में दिया गया है।

5.1.11 एफएसएसएआई द्वारा अधिसूचित प्रयोगशालाओं, राज्य/जन खाद्य प्रयोगशालाओं, रेफरल प्रयोगशालाओं की राज्य-वार संख्या सारणी-19 पर है।

5.2 खाद्य प्राधिकरण के सीधे नियंत्रण वाली खाद्य प्रयोगशालाएँ

5.2.1 कुल 20 रेफरल प्रयोगशालाओं में से 3 प्रयोगशालाएँ अर्थात् राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, गाजियाबाद (एनएफएल-जी), राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला-कोलकाता (एनएफएल-के) तथा राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला-जेएनपीटी, नवी मुम्बई (एनएफएल-जेएनपीटी) एफएसएसएआई के सीधे नियंत्रण में हैं। एनएफएल-जी तथा एनएफएल-जेएनपीटी सरकारी-निजी-भागीदारी (पीपीपी) मोड में अधुनातन आदर्श खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में विकसित की गई हैं। इसी प्रकार एनएफएल-के का भी नवीकरण किया जा रहा है और उसे अधुनातन आदर्श खाद्य प्रयोगशाला के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है। एफएसएसएआई पीपीपी मोड में चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट (सीपीटी), चेन्नई में जल्द ही एक और राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला शुरू करने जा रहा है। एनएफएल जेएनपीटी और सीपीटी में निजी भागीदार राजस्व बंटवारे के आधार पर प्रयोगशालाओं को चलाने के लिए सभी पूंजी और संचालन संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार हैं।

5.2.2 राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, गाजियाबाद

राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, गाजियाबाद (एनएफएल), जिसे पहले खाद्य अनुसंधान और मानकीकरण प्रयोगशाला (एफआरएसएल) के रूप में जाना जाता था, की स्थापना दिसंबर 1971 में की गई थी। यह प्रयोगशाला वर्ष 2011 तक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के अधीन काम कर रही थी। इसके बाद यह भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के अधिकार क्षेत्र में आ गई। इस प्रयोगशाला को एक विशिष्ट सार्वजनिक-निजी-सहभागिता (पीपीपी मॉडल) के तहत नवीनीकृत और संचालित किया गया था। दिनांक 10 सितंबर, 2018 को इस प्रयोगशाला का नाम बदलकर “राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, गाजियाबाद” कर दिया गया था। यह एनएफएल रासायनिक और जैविक खाद्य परीक्षण, दोनों के क्षेत्र में एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशाला है जिसके प्रत्यायन के दायरे में कुल 1965 मापदंड हैं। इस प्रयोगशाला में एफएसएस अधिनियम और नियमों/विनियमों के अनुपालन की जाँच करने के लिए किसी भी खाद्य नमूने का परीक्षण करने के लिए अधिकतम विश्लेषणात्मक क्षमता है। इसके अंतर्गत अत्याधुनिक सहयोगी प्रशिक्षण केंद्र जैसे खाद्य सुरक्षा समाधान केंद्र (एफएसएससी) और सूक्ष्मजैविक विश्लेषण प्रशिक्षण केंद्र (सी-मैट) भी हैं। एनएफएल गाजियाबाद खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत प्राथमिक के साथ-साथ रेफरल खाद्य प्रयोगशाला के रूप में कार्य कर रही है। नमूनों के परीक्षण के अलावा एनएफएल-जी खाद्य उत्पादों और खाद्य सहयोजकों की परीक्षण विधियों के मानकीकरण के लिए अनुसंधान और विकास कार्य भी करता है। यह खाद्य मिलावट निगरानी, खाद्य सुरक्षा और खाद्य विश्लेषण के क्षेत्र में विभिन्न राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों के खाद्य नियामक कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है। एनएफएल ने विभिन्न मैट्रिक्स में खाद्य मिलावट के विश्लेषण के लिए 33 विधियों को मान्यता दी है। एनएफएल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में वाणिज्यिक नमूनों के साथ-साथ कुल 1564 कानूनी और निगरानी नमूनों का भी विश्लेषण किया है।

5.2.3 राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कोलकाता

राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कोलकाता (एनएफएल), जिसे पहले केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला के नाम से जाना जाता था, की स्थापना जून, 1955 में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और पीएफए नियम, 1955 के उपबंध के तहत पहली खाद्य प्रयोगशाला के रूप में की गई थी। वर्ष 2009 तक यह प्रयोगशाला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के अधीन काम कर रही थी। इसके बाद यह भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के अधिकार क्षेत्र में आ गई। राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला (एनएफएल), कोलकाता खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत प्राथमिक के साथ-साथ रेफरल खाद्य प्रयोगशाला के रूप में कार्य कर रही है। प्रयोगशाला में एक गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली है और यह आईएसओ/आईसी 17025:2017 के अनुपालन में एनएबीएल द्वारा प्रत्यायित है। रेफरल प्रयोगशाला के रूप में रेफरल नमूनों के नियमित विश्लेषण के अलावा यह आयातित खाद्य उत्पादों के नमूनों, निगरानी खाद्य नमूनों और अन्य सरकारी एजेंसियों से प्राप्त खाद्य नमूनों का भी विश्लेषण कर रही है। एनएफएल खाद्य विश्लेषकों, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों आदि को भी प्रशिक्षण प्रदान करती है।

5.2.4 राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, नवी मुंबई

राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, नवी मुंबई, जो जेएनपीटी टाउनशिप शेवा, नवी मुंबई में स्थित है, ने विमटा लैब्स लिमिटेड के साथ जनवरी, 2022 में पीपीपी मोड में काम करना शुरू कर दिया है। यह प्रयोगशाला रासायनिक और जैविक खाद्य परीक्षण दोनों के क्षेत्र में एनएबीएल द्वारा प्रत्यायित है। इस प्रयोगशाला में खाद्य विश्लेषण के लिए रासायनिक, पोषण और सूक्ष्मजैविक संबंधी परीक्षण करने की सुविधा है। इस प्रयोगशाला में एलसी-एमएस, आईसीपी-एमएस, एएएस, जीसी-एमएस, एचपीएलसी, एफटीआईआर जैसे उन्नत उपकरण भी हैं, जो रासायनिक और जैविक दोनों विषयों के लिए लगभग सभी मैट्रिक्स में खाद्य नमूनों का परीक्षण करते हैं। एनएफएल प्रति माह लगभग 2000 नमूनों का विश्लेषण कर रही है। यह प्रयोगशाला पीपीपी मॉडल के तहत विमटा लैब्स लिमिटेड के साथ राजस्व बंटवारे के आधार पर काम कर रही है। इसमें स्टाफ सहित 52 प्रशिक्षित और योग्य तकनीकी और प्रशासनिक कर्मचारी कार्यरत हैं।

5.3 राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशाला

5.3.1 खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशालाओं की मान्यता और अधिसूचना) विनियम, 2018 के विनियम 3 के अनुसार, खाद्य प्राधिकरण किसी भी अधिसूचित खाद्य प्रयोगशाला या रेफरल खाद्य प्रयोगशाला को राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशाला (एनआरएल) के रूप में परीक्षण पद्धतियों के विकास, वैधीकरण, दक्षता परीक्षण तथा प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशाला के रूप में मान्यता दे सकती है। उक्त विनियमन के अंतर्गत, एफएसएसएआई ने 2019 में 12 अधिसूचित खाद्य प्रयोगशालाओं को एनआरएल और 2 अधिसूचित खाद्य प्रयोगशालाओं को सहायक एनआरएल (एएनआरएल) के रूप में मान्यता दी। अधिसूचित एनआरएल/एएनआरएल की सूची सारणी-20 पर दी गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 6 एनआरएल के लिए ₹79 लाख की राशि जारी की गई।

क्र. सं.	प्रयोगशाला/संस्थान/संगठन का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22 में जारी की गई राशि (₹)
	सरकारी प्रयोगशालाएँ एनआरएल के रूप में	
1.	सीएसआईआर-केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूरु, कर्नाटक	5,00,000
2.	पंजाब बायोटेक्नोलॉजी इन्क्यूबेटर, मोहाली, पंजाब	21,74,343
3.	आईसीएआर- राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र, पुणे, महाराष्ट्र	10,00,000
4.	सेंटर फॉर एनालिसिस एंडल लर्निंग इन लाइवस्टॉक एंड फूड- राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आणंद, गुजरात	14,00,000
5.	सीएसआईआर-भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	10,00,000
	निजी प्रयोगशालाएँ एनआरएल के रूप में	
6.	एडवर्ड फूड रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर लिमिटेड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	18,30,900

5.4 भारतीय खाद्य प्रयोगशाला नेटवर्क (इन्फोल्नेट)

5.4.1 भारतीय खाद्य प्रयोगशाला नेटवर्क (इन्फोल्नेट) प्रयोगशाला प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) नामक एक केंद्रीकृत प्रणाली से जुड़ी प्रयोगशालाओं का एक ऑनलाइन नेटवर्क है। एफएसएसएआई ने अपने मौजूदा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को नया रूप दिया है और आसान रिपोर्टिंग प्रक्रिया और समान परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त सुविधाओं के साथ एक नया संस्करण यानी इन्फोल्नेट 2.0 विकसित किया है।

5.4.2 नए प्लेटफॉर्म में अनेक नयी सुविधाएं हैं जैसे एनएबीएल की वैधता समाप्ति के लिए अलर्ट प्रणाली, प्राप्त नमूने की तस्वीरों को अपलोड करने का विकल्प, डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित रिपोर्ट तैयार करना, निगरानी रिपोर्ट अपलोड करना आदि। इसमें इन्फोल्नेट को एफएसएसएआई की अन्य मुख्य आईटी प्रणालियों, जैसे फिक्स (खाद्य आयात निकासी प्रणाली), फोस्कोरिस (नियमित निरीक्षण और नमूनाकरण के माध्यम से खाद्य सुरक्षा अनुपालन), आदि से एकीकृत करने की भी सुविधा उपलब्ध है।

5.4.3 वर्तमान में, सभी मौजूदा और नई अधिसूचित प्रयोगशालाओं ने इन्फोल्नेट 2.0 पर जनशक्ति, एनएबीएल वैधता, प्रत्यायन का दायरा, प्रयोगशाला की मूलभूत जानकारी, उपकरण आदि के संबंध में अपना प्रोफाइल अपडेट किया है। प्रयोगशालाओं ने इन्फोल्नेट 2.0 पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्ट तैयार करना और अपलोड करना भी शुरू कर दिया है। इन्फोल्नेट 2.0 के एफएसएसएआई की अन्य आईटी प्रणालियों के साथ एकीकरण का कार्य प्रक्रियाधीन है और जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा।

5.5 पौष्टिकीकृत चावल में पोषणों के विश्लेषण के लिए विधि का मानकीकरण

5.5.1 मार्च, 2024 से सरकार की पीडीएस व अन्य खाद्य सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से आपूर्ति किए

जाने वाले चावल के अनिवार्य पौष्टिकीकरण पर माननीय प्रधान मंत्री के निर्देश के संदर्भ में, यह आवश्यक है कि खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का एक मजबूत और बड़ा नेटवर्क हो जिसके माध्यम से आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी12—तीनों पोषणों का विश्वसनीय और निरंतर परीक्षण किया जा सके, क्योंकि केवल पीडीएस के माध्यम से आपूर्ति किए जाने वाले पौष्टिकीकृत चावल की मात्रा प्रति वर्ष लगभग 2 करोड़ टन की रेंज में होगी।

5.5.2 देशभर में पौष्टिकीकृत चावल में पोषणों के परीक्षण के लिए समान और मानकीकृत विधि निर्धारित करने के लिए, एफएसएसएआई ने अपने अंतर्गत राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशालाओं में से एक यानी एडवर्ड फूड रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर लिमिटेड (ईएफआरएसी), कोलकाता को पौष्टिकीकृत चावल में पोषणों के विश्लेषण की परीक्षण पद्धति के मानकीकरण का काम सौंपा। इसके बाद ईएफआरएसी द्वारा मानकीकृत विधि को हस्तांतरित करने और विधि सत्यापन एवं प्रवीणता परीक्षण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एफएसएसएआई ने ईएफआरएसी द्वारा मानकीकृत पद्धति के संबंध में प्रयोगशालाओं की तैयारी के आधार पर कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 90 प्रयोगशालाओं (निजी और सरकारी) की पहचान की है।

5.5.3 पहले चरण में 55 प्रयोगशालाओं को शामिल किया गया है और अब तक 30 प्रयोगशालाओं द्वारा विधि सत्यापन और प्रवीणता परीक्षण (पीटी) सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। शेष प्रयोगशालाएं कार्यक्रम के विभिन्न चरणों में हैं और जल्द ही गतिविधियों को सफलतापूर्वक पूरा कर लेगी। यह प्रक्रिया चरणबद्ध रूप में जारी रहेगी और दिसंबर, 2022 तक पीटी कार्यक्रम के सफल समापन के लिए 90 प्रयोगशालाओं द्वारा सहभागिता अपेक्षित है। इस मानकीकृत विधि को एफएसएसएआई के मैनुअल ऑफ मेथड्स में भी जल्द से जल्द शामिल किया जाएगा।

5.6 प्रयोगशाला रेटिंग मैट्रिक्स

5.6.1 परीक्षण की गुणवत्ता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए प्रयोगशालाओं को प्रेरित करने हेतु एफएसएसएआई अपने द्वारा अधिसूचित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को उनके प्रदर्शन और परिणामों के अनुसार एफएसएस, अधिनियम 2006 के तहत रेट करने की योजना बना रहा है। एफएसएसएआई द्वारा प्रयोगशाला रेटिंग से राज्य प्राधिकारियों, एफबीओ और अन्य हितधारकों का प्रयोगशाला की परीक्षण क्षमता और परीक्षण परिणामों की विश्वसनीयता पर विश्वास भी बढ़ेगा।

5.6.2 इस संबंध में एफएसएसएआई द्वारा गठित एक समिति ने विस्तृत विचार-विमर्श के बाद अधिसूचित राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं और अन्य अधिसूचित प्रयोगशालाओं के लिए दो अलग रेटिंग मैट्रिक्स विकसित करने का निर्णय लिया। प्रक्रियाधीन मसौदा मैट्रिक्स के अंतर्गत विभिन्न मापदंडों, जैसे कि ढाँचागत उपलब्धता, परीक्षण क्षमता, श्रमशक्ति की उपलब्धता, इनफोनेट में सक्रिय भागीदारी, पीटी, प्रयोगशालाओं की आपसी तुलना, निगरानी, उन्नत उपकरणों की उपलब्धता और उपयोग, विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपस्थिति, आदि को ध्यान में रखा गया है।

5.7 राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं (एसएफटीएल) का अंतर (गैप) विश्लेषण

एफएसएसएआई ने भारत में राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से स्वतंत्र विशेषज्ञों के माध्यम से 76 राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं (एसएफटीएल) और 2 एफएसएसएआई के स्वामित्व वाली राष्ट्रीय खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का अंतर विश्लेषण किया है। अंतर विश्लेषण की रिपोर्ट

में बुनियादी ढांचे, उपकरण की स्थिति, श्रमशक्ति की उपलब्धता, प्रमाणित संदर्भ सामग्री (सीआरएम) और उपभोग्य सामग्रियों की उपलब्धता और खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के एनएबीएल दायरे की समीक्षा की गई। प्रमुख निष्कर्षों के आधार पर राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों के अंतर्गत विशिष्ट शीर्षों के तहत एसएफटीएल को निधियां प्रदान करके समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।

5.8 देश में खाद्य परीक्षण प्रणाली का सशक्तीकरण

5.8.1 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा “चल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं सहित देश में खाद्य परीक्षण प्रणाली के सशक्तीकरण” नामक केंद्रीय क्षेत्र योजना को दिनांक 31 अगस्त, 2016 से 3 साल की अवधि के लिए 481.95 करोड़ रुपये (₹400.40 करोड़—अनावर्ती, ₹81.55 करोड़—आवर्ती) की राशि सहित अनुमोदित की गई। सरकार ने इस योजना को कुछ अतिरिक्त घटकों और संशोधित वित्तीय परिव्यय के साथ 2022–23 तक बढ़ा दिया है।

5.8.2 केंद्रीय क्षेत्र योजना के महत्वपूर्ण घटकों और कार्यान्वयन की स्थिति का विवरण निम्नलिखित है:

(क) राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण

योजना के इस घटक के तहत लगभग 43 राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को प्रति एसएफटीएल ₹12 करोड़ की अनुमानित लागत से सुदृढ़ करना है, बशर्ते कि राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों की सरकारें इसके लिए तैयार हों। इस लागत में तीन उन्नत उपकरण (एचईई) अर्थात् जीसी-एमएसएमएस, आईसीपीएमएस और एलसी-एमएसएमएस लगाने के लिए भौतिक अवसंरचना के निर्माण/नवीकरण के लिए ₹50 लाख, एचईई की खरीद के लिए ₹8.50 करोड़ (जिसमें 7 वर्ष के लिए श्रमशक्ति तथा 5 वर्ष के लिए विस्तृत एएमसी शामिल है), उपभोग्य तथा आपात स्थितियों के लिए ₹60 लाख तथा सूक्ष्मजैविक प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए ₹3.00 करोड़ की लागत शामिल है। दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार 30 राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों में 41 एसएफटीएल को ₹327.02 करोड़ (एफएसडब्ल्यू को छोड़कर) की कुल अनुदान राशि जारी करके उनको सशक्त बनाया गया है। 2021–22 के दौरान ₹12.54 करोड़ का अनुदान जारी किया गया था जिसका विवरण सारणी-21 में दिया गया है।

(ख) रेफरल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण

एफएसएसआर के अनुसार अपेक्षित परीक्षण सुविधाओं और मौजूदा सुविधाओं के बीच के अंतर को कम करने के लिए प्रत्येक रेफरल प्रयोगशाला के उन्नयन हेतु उन्नत उपकरण खरीदने के लिए अनुमानित अनुदान ₹3.00 करोड़ है। वर्ष 2021–22 की स्थिति के अनुसार योजना के अंतर्गत 13 रेफरल प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए कुल ₹33.18 करोड़ का अनुदान दिया गया है, जिसमें से ₹5.53 करोड़ 2021–22 में जारी किए गए थे, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

रेफरल प्रयोगशालाओं का नाम और पता	जारी किया गया अनुदान (करोड़ ₹ में)	अनुमोदित उपकरण
पंजाब बायोटेक्नोलॉजी इन्व्यूबेटर (पीबीटीआई), मोहाली	0.77* (अतिरिक्त अनुदान)	आईसीपी-एमएस, एमडीएस, ईए-एलसी-आईआरएमएस

रेफरल प्रयोगशालाओं का नाम और पता	जारी किया गया अनुदान (करोड़ ₹ में)	अनुमोदित उपकरण
सीएफआरए— निपटेम, सोनीपत, हरियाणा	1.76	आईसीपीएमएस, आईसी—सीडी
आईआईएचआर, बेंगलुरु	3.00	एलसीएमएसएमएस, आईसी—आईसीपीएमएस
कुल	5.53 करोड़ रुपए	—————

(ग) चल खाद्य प्रयोगशालाओं के लिए सहायता

इस योजना के अंतर्गत देश भर के राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों में चल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं (एमएफटीएल), जिन्हें फूड सेपटी ऑन व्हील्स (एफएसडब्ल्यू) कहा जाता है, प्रदान की जा रही हैं। यह योजना न केवल दूरदराज के क्षेत्रों में खाद्य परीक्षण अवसंरचना की कमी का समाधान करती है बल्कि उपभोक्ताओं की बुनियादी विश्लेषणात्मक जरूरतों को भी पूरा करती है। विज्ञान दस्तावेज के अनुसार खाद्य परीक्षण, जागरूकता और क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए परिवर्तित एफएसडब्ल्यू नामक एफएसडब्ल्यू का एक नया संस्करण तैयार किया गया है। राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों को एक पूरी तरह से तैयार परिवर्तित एफएसडब्ल्यू (उपकरणों, हाथ से पकड़े जाने वाले कुछ यंत्र/ रेपिड परीक्षण किट्स और सूक्ष्मजैविक परीक्षण सहित) जिनकी लागत जीएसटी को छोड़कर, ₹37 लाख (लगभग) है, प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अलावा संचालन खर्च हेतु तीन साल के लिए ₹10 लाख/वर्ष/एफएसडब्ल्यू का आवर्ती अनुदान भी प्रदान किया जा रहा है। वर्ष के दौरान 83 और एफएसडब्ल्यू प्रदान की गयी। इस प्रकार, 31 मार्च, 2022 तक खरीदे और वितरित किए गए एफएसडब्ल्यू की कुल संख्या 173 है। इनमें से 97 वाहन केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत उपलब्ध कराए गए हैं। कुल एफएसडब्ल्यू का राज्य-वार वितरण सारणी-22 में दिया गया है।



आकृति 8—एफएसडब्ल्यू वैन का आंतरिक दृश्य



आकृति 9—एफएसडब्ल्यू का बाहरी दृश्य

(घ) खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की क्षमता का निर्माण

- (i) क्षमता निर्माण कौशल, वृत्तियों, क्षमताओं, प्रक्रियाओं और संसाधनों को विकसित और सुदृढ़ करने की एक प्रक्रिया है जो देश भर में खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन के आवश्यक घटक हैं। इस गतिविधि का परम उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं एनएबीएल से प्रत्यायन प्राप्त करें और उसे बनाए रखें और उन्हें देश की सर्वश्रेष्ठ प्रयोगशालाओं के बराबर लाया जाए। एफएसएसएआई द्वारा अधिसूचित सभी प्रयोगशालाएं, राज्य खाद्य प्रयोगशालाएं और रेफरल प्रयोगशालाएं इस पहल में भाग लेने के लिए योग्य हैं। देश में खाद्य विश्लेषकों का एक प्रभावी और योग्य नेटवर्क स्थापित करने के लिए अधिसूचित प्रयोगशालाओं और राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं को अधिक भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि ऐसी सभी प्रयोगशालाएं अपना काम कुशलतापूर्वक और बेहतर क्षमता के साथ करने के लिए आवश्यक कौशल, ज्ञान और विशेषज्ञता प्राप्त करें, उसे बेहतर करें और बनाए रखें।

भौतिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

- (ii) अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022 की अवधि के दौरान, विशेष रूप से राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के कर्मियों के लिए कुल 5 भौतिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम विभिन्न सरकारी संस्थानों और प्रयोगशालाओं में आयोजित किए गए थे। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 45 राज्य प्रयोगशाला कर्मियों ने भाग लिया।

ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम

- (iii) एफएसएसएआई द्वारा अपने तीन प्रशिक्षण केंद्रों अर्थात् (i) खाद्य सुरक्षा समाधान केंद्र (एफएसएससी), (ii) सूक्ष्मजैविक विश्लेषण प्रशिक्षण केंद्र (सी-मैट), (दोनों राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला गाजियाबाद में स्थित) और (iii) खाद्य सुरक्षा और अनुप्रयुक्त पोषण पर अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान (आईटीसी-एफएसएएन), मुम्बई के साथ मिलकर कुल 197 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम और सर्टिफिकेट कोर्स भी आयोजित किए गए थे। इनके अतिरिक्त राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशाला अर्थात् एनडीडीबी, आणंद, गुजरात ने भी मार्च, 2022 में ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों, एफएसएसएआई द्वारा अधिसूचित प्रयोगशालाओं और अन्य प्रयोगशालाओं, विभिन्न राज्यों/संघराज्य

क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों, केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों, उपभोक्ताओं, खाद्य कारोबारियों, छात्रों, आईएनएस-हमला के नौसेना केंटरिंग कर्मिकों आदि के लगभग 13,899 प्रतिभागियों ने इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।

- (iv) प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य विभिन्न मापदंडों जैसे सुरक्षा पहलुओं, पोषण संबंधी पहलुओं और भोजन की संरचना के परीक्षण में प्रयोग की जाने वाली विश्लेषणात्मक तकनीकों के बारे में ज्ञान प्रदान करना है। भोजन की संरचना में नमी, राख, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा शामिल है, जबकि सुरक्षा मापदंडों में विभिन्न खाद्य वस्तुओं में माइकोटॉक्सिन, कीटनाशकों के अवशिष्ट और धातु संदूषक/भारी धातुओं का उन्नत उपकरण (एचईई) का उपयोग करके विश्लेषण करना शामिल है, ताकि प्रयोगशाला कर्मियों के कौशल को विकसित किया जा सके।
- (v) मोटे तौर पर प्रशिक्षण में सूक्ष्मजीव विज्ञान में प्रयोगशाला संबंधी कौशल; सामान्य सूक्ष्मजैविकी प्रयोगशाला के उपकरणों को संचालित करना और अंशशोधन करना, कीटाणुनाशन; खाद्य उत्पादन वातावरण में रोगजनक से होने वाले संदूषण की स्थिति को संभालना; अवायवीय (अनैरोबिक) संवर्धन अनुप्रयोग आदि जैसे विषय शामिल थे। सामान्य विषयों पर भी प्रशिक्षण दिया गया जैसे कि न्यूट्रास्युटिकल्स और हेल्थ सप्लीमेंट्स उद्योगों के लिए कोविड संबंधी सुरक्षा दिशानिर्देश, रेपिड परीक्षण किट्स के माध्यम से भारत में खाद्य परीक्षण के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव, खाद्य विश्लेषण में उपयोग के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले साधन, एफएसएस अधिनियम, 2006 और एफएसएस नियम, 2011 के तहत नमूनाकरण और विश्लेषण के लिए नियामक प्रक्रिया आदि।

प्रशिक्षण कैलेंडर

- (vi) देश भर में राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में कार्यरत प्रयोगशाला कर्मियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए और साथ ही विभिन्न विषयों पर आगामी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में उन्हें अद्यतन रखने के लिए पहली बार एक प्रशिक्षण कैलेंडर (जनवरी, 2022 से जून, 2022) तैयार किया गया और एफएसएसएआई की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

आकृति 10—प्रयोगशाला कर्मी इत्यादि के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कुछ झलकियाँ



राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कोलकाता



आईटीसी-एफएसएन, मुम्बई



सीएसआईआर, लखनऊ



एफएसएससी, एनएफएल गाज़ियाबाद



सीईपीसीआई, केरल

5.9 खाद्य सुरक्षा मैजिक बॉक्स

एफएसएसएआई ने एक छोटे आकार और हल्के वजन का पोर्टेबल बॉक्स विकसित किया है, जिसे फूड सेफ्टी मैजिक बॉक्स (एफएसएमबी) कहा जाता है। इसमें कुछ मूलभूत रसायन, छोटे उपकरण और सुरक्षा यंत्र होते हैं। यह स्वयं करें पद्धति पर आधारित एक खाद्य सुरक्षा परीक्षण किट है और इसे स्कूल और कॉलेज के छात्रों, आंगनवाड़ी प्रशिक्षकों, आशा कार्यकर्ताओं आदि को विभिन्न खाद्य उत्पाद श्रेणियों में मिलावट के त्वरित परीक्षण में शिक्षित करने के लिए एक शैक्षणिक उपकरण बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इसके साथ एक मार्गदर्शन पुस्तिका भी है जिसमें चित्रों के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से विभिन्न खाद्य उत्पादों का परीक्षण दर्शाया गया है। इसके माध्यम से दूध में पानी, यूरिया, डिटेजेंट, स्टार्च, चूर्णित साबुन आदि; मसालों और खड़े मसालों में स्टार्च और कृत्रिम रंग; पेय पदार्थों में मिनरल एसिड, चीनी और शहद में मिलावट जैसी मिलावटों का पता लगाने के लिए 100 से अधिक सरल परीक्षण किए जा सकते हैं। एफएसएसएआई ने 14-27 नवंबर 2021 के दौरान प्रगति मैदान में आयोजित भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में मैजिक बॉक्स का प्रदर्शन किया ताकि आम जनता को और विशेष रूप से स्कूल जाने वाले बच्चों को खाद्य मिलावट के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके जो मिलावट की जांच करने के लिए घर पर विभिन्न विज्ञान आधारित परीक्षण कर सकते हैं।

5.10 जिला स्तर पर राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों में नमूना प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन

एफएसएसएआई ने 30 राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों के अभिहित अधिकारियों व खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को सुवाह्य चिल बॉक्स तथा बैकपैक शैली के प्रतिचयन बैग, वाहन-आरुढ़ योग्य कोल्डचेन दक्ष बक्से, डीप फ्रीजर और सामान्य भंडारण कैबिनेट प्रदान किए हैं जिससे कि भारत भर में कोल्ड चेन सुविधाओं सहित नमूना प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) का एक प्रभावी नेटवर्क बनाकर परिवहन और भंडारण के दौरान नमूनों को खराब होने से बचाया जा सके।

एमएमएस के घटक



कॉम्पैक्ट कैबिनेट चिलरफ्रीजर एम्बिएंट



वाहन आरुढ़ योग्य फ्रीजर यूनिट



सुवाह्य चिल बॉक्स



बैकपैक शैली के प्रतिचयन बैग

5.11.1 7वीं खाद्य विश्लेषक परीक्षा (एफएई)

एफएसएसएआई योग्य खाद्य विश्लेषकों की संख्या को बढ़ाने और प्राथमिक और रेफरल प्रयोगशालाओं के मानव संसाधन को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से खाद्य विश्लेषक परीक्षाएँ (एफएई) आयोजित करता है। 7वीं एफएई की लिखित परीक्षा 30 जुलाई, 2021 को 16 केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जहां कुल 521 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे। इस परीक्षा के परिणाम में 68 अभ्यर्थी प्रायोगिक परीक्षा में बैठने के योग्य पाए गए। प्रथम/द्वितीय/तृतीय कनिष्ठ विश्लेषक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पांच अभ्यर्थियों को भी प्रायोगिक परीक्षा में बैठने के लिए योग्य माना गया। निकट भविष्य में प्रायोगिक परीक्षाएँ आयोजित की जाएंगी।

5.11.2 चौथी कनिष्ठ विश्लेषक परीक्षा (जेएई)

खाद्य परीक्षण कर्मियों की कमी को ध्यान में रखते हुए और नए स्नातकोत्तरों को खाद्य उद्योग/खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं में भविष्य में नौकरी की संभावनाएँ बनाने और आवश्यक विश्लेषणात्मक अनुभव प्राप्त करने के बाद खाद्य विश्लेषण को एक पेशे के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु नियमित खाद्य विश्लेषक परीक्षा के साथ जेएई भी आयोजित किया जा रहा है। चौथा जेएई ऑनलाइन मोड के माध्यम से 7वें एफएई के साथ ही आयोजित किया गया था। जेएई के लिए कुल 569 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जिनमें से 96 अभ्यर्थियों को योग्य कनिष्ठ विश्लेषक घोषित किया गया। ये अभ्यर्थी खाद्य विश्लेषण में तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त करने के बाद सीधे खाद्य विश्लेषक परीक्षा की प्रायोगिक परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे।

5.12 खाद्य विश्लेषकों की अधिसूचना

एफएसएसएआई ने एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 45 के अंतर्गत 95 एफएसएसएआई अधिसूचित प्रयोगशालाओं में 140 खाद्य विश्लेषकों को अधिसूचित किया है ताकि अखिल भारतीय क्षेत्राधिकार सहित अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत कार्य किया जा सके।

5.13 निगरानी गतिविधियां

5.13.1 ट्रांस फैटी एसिड सर्वेक्षण, 2021

5.13.1.1 भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने 2022 तक देश को औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस-वसा से मुक्त करने के लिए औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस-वसा की सीमा को अधिकतम 2% तक कम करने का निर्णय लिया था। एफएसएसएआई ने 29 जून-2 जुलाई, 2021 के दौरान संपूर्ण भारत में ट्रांस फैटी एसिड सर्वेक्षण-2021 आयोजित किया था ताकि विभिन्न सामाजिक-आर्थिक परिवेशों और देश भर के चयनित शहरों में भारतीय खाद्य बाजारों की वास्तविकता को समझा जा सके।

5.13.1.2 34 राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों के 419 शहरों/जिलों से कुल मिलाकर 6,245 नमूने एकत्र किए गए। छह पूर्व-परिभाषित खाद्य श्रेणियों, जो नीचे उल्लिखित हैं, के तहत विभिन्न पैकेजबंद खाद्य पदार्थों के विविध और स्थानीय पैकेजबंद खाद्य नमूनाकरण सुनिश्चित करने के लिए यादृच्छिक आधार पर स्टोर/हाइपरमार्केट/किराने की दुकानों से पैकेजबंद उत्पादों के नमूने एकत्र किए गए थे (प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के सामने नमूनों की संख्या दी गई है) :

- श्रेणी 1— मिठाई, टॉपिंग और चॉकलेट: 1,051
- श्रेणी 2— तला हुआ भोजन: 1,061
- श्रेणी 3— बेकरी और मिष्ठान्न उत्पाद: 1,072
- श्रेणी 4— प्रशीतित खाद्य पदार्थ: 973
- श्रेणी 5— सम्मिश्रित खाद्य पदार्थ: 1,019
- श्रेणी 6— तेल, वनस्पति, शॉर्टनिंग्स और मार्जरीन: 1,069

5.13.1.3 एकत्र किए गए नमूनों को 08 एनएबीएल द्वारा प्रत्यायित प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया गया। ट्रांस-वसा की मात्रा ट्रांस फैटी एसिड (टीएफए) आइसोमर्स अर्थात एलेडेट और लिनोएलाइडियोएट के योग के आधार पर निर्धारित की गई और उसका मापन प्रसंस्कृत खाद्य नमूनों में वसा की मात्रा के रूप में किया गया। ट्रांस-फैट की जाँच के लिए सभी 6,245 नमूनों का विश्लेषण किया गया और एक्रिलामाइड की कुल मात्रा की जाँच के लिए 3,142 नमूनों का विश्लेषण किया गया।

5.13.1.4 ट्रांस फैटी एसिड सर्वेक्षण-2021 के प्रमुख निष्कर्ष

- श्रेणी 6 को छोड़कर, जिसमें तेल, वनस्पति, शॉर्टनिंग और मार्जरीन शामिल हैं, सभी 5 उत्पाद श्रेणियों में विश्लेषित कुल 5,176 नमूनों में से मात्र 0.4% नमूनों में 2% से अधिक ट्रांस-वसा पाया गया और 0.15% नमूनों में 3% से अधिक ट्रांस-फैट पाया गया।
- श्रेणी 6, जिसमें तेल, वनस्पति, शॉर्टनिंग और मार्जरीन शामिल हैं, 9.4% नमूनों में 2% से अधिक और 7.1% नमूनों में 3% से अधिक ट्रांस-वसा पाया गया।
- श्रेणी 6 के नमूनों में 2% से अधिक ट्रांस-वसा वाले अधिकांश नमूने घी और वनस्पति के थे और इस अध्ययन में विश्लेषित तेल के नमूनों में से लगभग 2% नमूनों में ट्रांस-वसा की मात्रा 2% से अधिक थी।
- महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा, बिहार, कर्नाटक, असम, पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम से लिए गए घी और वनस्पति के कई नमूनों में ट्रांस-फैट की मात्रा 2% से अधिक थी।
- तीन अलग-अलग उत्पाद श्रेणियों (श्रेणियाँ 2, 3 और 5) में विश्लेषित 3,142 नमूनों में से लगभग 22% नमूनों में एक्रिलामाइड की मात्रा 0.1 पीपीएम से अधिक थी और लगभग 3% नमूनों में एक्रिलामाइड की मात्रा 1 पीपीएम से अधिक थी।

5.13.2 संपूर्ण भारत में गुड़ और मसालों का सर्वेक्षण

राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षण डेटा के सृजन में सहायता करते हैं और जोखिम मूल्यांकन एवं नीति हस्तक्षेप के साथ-साथ नियामक कार्रवाई, मानक निर्धारण इत्यादि के लिए भी रास्ते खोलते हैं। एफएसएसएआई ने संपूर्ण भारत में दो सर्वेक्षण गतिविधियों का आयोजन किया, एक सर्वेक्षण फरवरी, 2022 में गुड़ पर (3060 नमूने एकत्र किए गए) किया गया और दूसरा मार्च, 2022 में चयनित मसालों पर (3582 नमूने लिए गए) किया गया। यह सर्वेक्षण 36 राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों के चयनित 250 शहरों/जिलों में किया गया था। चयनित शहरों/जिलों में से 50 शहरों/जिलों को

बढ़ी हुई जनसंख्या के आधार पर चुना गया और 20 शहरों/जिलों को विशेष वस्तु के उत्पादन के आधार पर चुना गया और देश के प्रत्येक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले 180 शहरों/स्थानों को यादृच्छिक रूप से चुना गया। डेटा और रिपोर्ट का विश्लेषण और संकलन पूरा होने के बाद परिणाम और निष्कर्ष सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होंगे। गैर-अनुरूपता के मामले में नियामक नमूनाकरण गतिविधियों के निष्पादन के लिए यह रिपोर्ट राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों को भेजी जाएगी और साथ ही संबंधित मंत्रालयों और विभागों को भी भेजी जाएगी ताकि एक समुचित कार्य योजना तैयार की जा सके।

5.12.3 वर्ष 2019–2021 में आयोजित डेस्कटॉप सर्वेक्षण

5.13.3.1 खाद्य में कीटनाशक अवशिष्टों पर डेस्कटॉप सर्वेक्षण

एफएसएसएआई ने जनवरी, 2019 से दिसंबर, 2020 तक की अवधि के लिए देश भर की विभिन्न एफएसएसएआई द्वारा अधिसूचित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं से प्राप्त विभिन्न खाद्य वस्तुओं के कीटनाशक अवशिष्ट परीक्षण डेटा का मिलान किया। इस कार्य का उद्देश्य था कि एफएसएसएआई द्वारा निर्दिष्ट अवशिष्ट की अधिकतम मात्रा (एमआरएल) के संबंध में कीटनाशकों की अनुमत मात्रा के अनुपालन की स्थिति का पता लगाया जा सके और उन खाद्य वस्तुओं का पता लगाया जा सके जिनमें खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम (एफएसएसआर) 2011 के उल्लंघन में प्रतिबंधित और ऑफ लेबल कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है। सर्वेक्षण के प्रमुख परिणाम निम्नानुसार हैं:

- 40 एफएसएसएआई अधिसूचित प्रयोगशालाओं (निजी, रेफरल, राज्य प्रयोगशालाओं आदि) से कुल 7,15,624 कीटनाशक अवशिष्ट डेटा प्राप्त हुआ था। इसमें से 7,05,906 (98.6%) कीटनाशक डेटा एफएसएसएआई के अंतर्गत अधिकतम अनुमत सीमा के संबंध में अनुरूप पाया गया और 9,718 कीटनाशक डेटा (1.35%) गैर-अनुरूप पाया गया।
- गैर-अनुपालन की स्थिति प्रमुख रूप से केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा में स्थित प्रयोगशालाओं में परीक्षित मसालों और खड़े मसालों और उसके बाद फलों और सब्जियों, अनाज और अनाज उत्पाद और बीवरेज के खाद्य नमूनों में पाई गई।
- विभिन्न राज्यों में स्थित प्रयोगशालाओं में परीक्षित नमूनों में से मुख्य रूप से चावल के नमूनों में, और उसके बाद जीरा, पानी, मछली और चाय के नमूनों में प्रतिबंधित कीटनाशक पाये गए।
- विभिन्न राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले जीरे में ऑफ लेबल कीटनाशकों का उपयोग सबसे अधिक और उसके बाद मिर्च पाउडर/साबुत, हल्दी पाउडर और किशमिश में पाया गया।

5.13.3.2 खाद्य में भारी धातुओं पर डेस्कटॉप सर्वेक्षण (वर्ष 2019–2021)

भारी धातुओं पर इस डेस्कटॉप सर्वेक्षण में, जनवरी, 2019 से दिसंबर, 2021 की अवधि के लिए देश भर में विभिन्न एफएसएसएआई द्वारा अधिसूचित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं से विभिन्न खाद्य वस्तुओं के परीक्षण डेटा प्राप्त किए गए थे। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य था कि विभिन्न खाद्य उत्पादों के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 के तहत निर्धारित

भारी धातुओं के अनुपालन की समग्र स्थिति का पता लगाया जा सके; विनियामक मात्राओं से अधिक पाई जाने वाली भारी धातुओं का पता लगाया जा सके; गैर-अनुरूप नमूनों में से उच्च जोखिम वाले खाद्य उत्पादों/श्रेणियों की सूची बनाई जा सके; और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में धातु-वार गैर-अनुपालन की स्थिति का पता चल सके। सर्वेक्षण के प्रमुख परिणाम निम्नानुसार हैं:

- 57 एफएसएसएआई अधिसूचित प्रयोगशालाओं (निजी, रेफरल, राज्य प्रयोगशालाओं आदि) से कुल 1,69,319 नमूनों का भारी धातु परीक्षण डेटा (9,21,631 डेटा बिन्दु) प्राप्त हुआ। इनमें से 1,389 नमूनों (0.82%) (लगभग 1853 डेटा बिंदुओं से युक्त) में भारी धातु की मात्रा उपर्युक्त एफएसएस विनियम, 2011 के तहत भारी धातु की अनुमत अधिकतम मात्रा से अधिक पाई गई।
- भारत भर में परीक्षित विभिन्न खाद्य उत्पादों के गैर-अनुरूप नमूनों में प्रमुख गैर-अनुपालन सीसा के संबंध में (37.6%) और उसके बाद आर्सेनिक (17.7%), और कैडमियम (10.0%) के संबंध में पाया गया। अधिकतम भारी धातु संबंधी गैर-अनुपालन पैकेजबंद पेय जल और उसके बाद हल्दी, दूध पाउडर, दालों और फलियों, सरसों के तेल, चीनी और मछली जैसे खाद्य उत्पादों में पाया गया।

उपरोक्त निष्कर्षों को संबंधित हितधारकों जैसे राज्य खाद्य आयुक्तों, उद्योग संघों और मंत्रालयों आदि के साथ साझा किया गया।

5.14 रैपिड विश्लेषणात्मक खाद्य परीक्षण किट, उपकरण या विधि (आरएएफटी)

5.14.1 खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण) प्रथम संशोधन विनियम के विनियम 2.4 के अनुसार एफएसएसएआई को रैपिड विश्लेषणात्मक खाद्य परीक्षण किट, उपकरण या विधि का अनुमोदन करने का अधिदेश है। इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा अधिकारियों (एफएसओ) या चल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा स्थल पर ही निरीक्षण करने के लिए सहूलियत प्रदान करना या खाद्य प्रयोगशाला में परीक्षण समय व लागत को कम करना है।

5.14.2 वर्ष 2021-22 के दौरान इस प्रकार के 19 आवेदनों की जांच हुई जिसमें से 10 को अंतिम रूप से स्वीकृत किया गया, 5 की अनुशंसा नहीं की गई और 04 को आवेदकों द्वारा वापिस ले लिया गया। आरएएफटी योजना के 2019 में चालू होने से लेकर अभी तक कुल 136 आवेदन आए जिसमें से 75 आवेदन को अंतिम रूप से अनुमोदित किया गया, 53 को अस्वीकृत किया गया और 07 को वापिस ले लिया गया। इस संबंध में पूर्ण जानकारी एफएसएसएआई की वेबसाइट पर <https://fssai.gov.in/cms/raft.php> लिंक पर उपलब्ध है।

5.15 एफएसएसएआई – एओएसी (इंडिया सेक्शन) प्रोफेश्येंसी टेस्टिंग (पीटी) कार्यक्रम, 2021

5.15.1 एफएसएसएआई अधिसूचित प्रयोगशालाओं के प्रदर्शन में निरंतर सुधार पर ध्यान देता है। एफएसएस (प्रयोगशालाओं की मान्यता और अधिसूचना) विनियम 2018 के खंड 9(1)(i) के अनुसार, गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करने के लिए प्रयोगशाला को स्वतंत्र और सक्षम प्रोफेश्येंसी टेस्टिंग प्रोवाइडर द्वारा आयोजित प्रोफिशियेंसी टेस्टिंग योजना (पीटी) में भाग लेकर अपने प्रदर्शन व अपने कर्मियों की तकनीकी क्षमता के आकलन करने की आवश्यकता होती है। एफएसएसएआई और एओएसी (इंडिया सेक्शन) ने 2021 में 17043:2010 आईईसी/आईएसओ प्रत्यायित स्वतंत्र प्रोफेश्येंसी टेस्टिंग

प्रोवाइडर के माध्यम से एफएसएसएआई द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं व अन्य प्रयोगशालाओं के लिए 05 पीटी कार्यक्रम आयोजित किए। इन में मूलभूत मापदंड, धातु संदूषक, विटामिन, माइकोटोक्सिन और कीटनाशक अवशिष्ट शामिल थे।

5.15.2 पीटी कार्यक्रमों के परिणाम

कुल मिलकर मूलभूत मापदंड के लिए 132 प्रयोगशालाओं ने भाग लिया। इसी प्रकार, धातु संदूषकों के लिए 103, विटामिन्स के लिए 69, माइकोटोक्सिन्स के लिए 101, कीटनाशक अवशिष्ट के लिए 107 प्रयोगशालाओं ने भाग लिया। इन पीटी कार्यक्रमों में प्रयोगशालाओं का प्रदर्शन संतोषजनक था।

5.16 बेसिक खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना के लिए मानक विनिर्देश

माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने 20 सितंबर, 2021 को 'बेसिक खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना के लिए मानक विनिर्देश' शीर्षक से दस्तावेज़ जारी किया। इस दस्तावेज़ में प्रयोगशाला की व्यवस्था, संगठनात्मक संरचना, वांछनीय योग्यता सहित श्रमशक्ति की आवश्यकता, भवन की रूप रेखा और लेआउट, तकनीकी विनिर्देश सहित उपकरणों की आवश्यकता, कर्मियों की सुरक्षा, और प्रयोगशालाओं को वित्तीय स्वायत्तता, आदि से संबंधित मूलभूत आवश्यकताएँ शामिल हैं। इस दस्तावेज़ का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करने के लिए खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला नेटवर्क को सुदृढ़ बनाना है। इन विनिर्देशों के माध्यम से अच्छी प्रयोगशाला रीतियाँ (जीएलपी) स्थापित होंगी और प्रयोगशालाओं के परीक्षण परिणामों में सटीकता बढ़ेगी। यह खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की 2006 नियामक अनुपालन प्रणाली के अनुरूप एक बेसिक खाद्य प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए एक मार्गदर्शन दस्तावेज़ के रूप में कार्य करेगा।

5.17 खाद्य नमूनों के परीक्षण शुल्क में संशोधन

5.17.1 एफएसएस (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण) विनियम, 2011 के खंड 2.3.1, उपखंड (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य प्राधिकरण के अनुमोदन से परीक्षण शुल्कों में संशोधन किया गया है जो 01 दिसंबर, 2021 से लागू हुए हैं। यह घरेलू और आयात नमूनों के लिए समान रूप से लागू हैं।

5.17.2 परीक्षण शुल्कों में संशोधन परीक्षण शुल्क समिति की सिफारिशों पर आधारित था जिसने उपकरणों की क्षमता, ढांचागत लागत, संचालन व्यय, प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए विश्लेषित किए जाने वाले मापदण्डों आदि के आधार पर एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया। इसलिए परीक्षण शुल्क संरचना को युक्तिसंगत बनाने के लिए परीक्षण शुल्क समिति ने विभिन्न उत्पाद श्रेणियों के लिए परीक्षण शुल्क में 6,000 रुपये से 19,000 रुपये तक के संशोधन का अनुमोदन किया जिसे राज्यों/संघशासित क्षेत्रों व अन्य हितधारकों से सलाह मशविरा करके अंतिम रूप दिया गया।

सारणी 16—उन प्रयोगशालाओं की सूची जिन्हें विमुक्त किया गया था और जिन्होंने एनएबीएल प्रत्यायन प्राप्त किया तथा वर्ष 2021-22 में पुनः अधिसूचित किया गया

क्र. सं.	प्रयोगशालाओं का नाम
1	खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला, गिंडी, तमिलनाडु
2	जिला खाद्य प्रयोगशाला, करनाल, हरियाणा
3	स्टेट फूड, वॉटर एंड एक्साइज लैबोरेटरी, चंडीगढ़, हरियाणा
4	जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर
5	रीजनल पब्लिक एनालिस्ट लैबोरेटरी, फतेहाबाद, आगरा, उत्तर प्रदेश
6	जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, सूरत नगर निगम, सूरत, गुजरात
7	कम्पोजिट टेस्टिंग लैबोरेटरी, सोलन, हिमाचल प्रदेश
8	खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला, मदुरई, तमिलनाडु
9	खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला, पलायमकोट्टई, तमिलनाडु
10	राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, रायपुर, छत्तीसगढ़
11	खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला, तंजावुर, तमिलनाडु
12	खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला, कोयंबटूर, तमिलनाडु
13	खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला, सेलम, तमिलनाडु
14	फूड एंड ड्रग लैबोरेटरी, गोवा

सारणी 17—वर्ष 2021-22 के दौरान अधिसूचित अन्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ

क्र. सं.	प्रयोगशाला का नाम
1.	खाद्य प्रयोगशाला (एफडीए), एसएसएस नगर, पंजाब
2.	जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर, राजस्थान
3.	जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, अजमेर, राजस्थान
4.	जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, भरतपुर, राजस्थान
5.	स्टेट फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लैबोरेटरी, रुद्रपुर, उत्तराखंड
6.	म्युनिसिपल एनालिस्ट लैबोरेटरी, मुंबई, महाराष्ट्र
7.	एएलएस टेस्टिंग सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक
8.	जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जम्मू, जम्मू-कश्मीर
9.	जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोटा, राजस्थान

क्र. सं.	प्रयोगशाला का नाम
10.	जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर, राजस्थान
11.	जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बांसवाड़ा, राजस्थान
12.	खाद्य सुरक्षा और मानक प्रयोगशाला, अलवर, राजस्थान
13.	जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, वडोदरा, गुजरात
14.	केंद्रीय प्रयोगशाला (खाद्य), कोलकाता, पश्चिम बंगाल
15.	राज्य जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोहिमा, नागालैंड
16.	एश्योरेंस लैबोरेटरी, एलटी फूड्स लिमिटेड, सोनीपत, हरियाणा
17.	जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर, राजस्थान
18.	रीजनल पब्लिक एनालिस्ट लैबोरेटरी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश
19.	काफ, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, एनडीडीबी परिसर, आणंद, गुजरात
20.	राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल, मध्य प्रदेश
21.	योंटस लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड, गुंटूर, आंध्र प्रदेश
22.	केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, पूसा, नई दिल्ली
23.	यूरेका एनालिटिकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक
24.	सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम लैबोरेटरी, वडोदरा, गुजरात
25.	वरदान एनवायरो लैब, गुरुग्राम, हरियाणा
26.	राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, नवी मुंबई, महाराष्ट्र
27.	राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भुवनेश्वर, ओडिशा
28.	राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, शिलांग, मेघालय
29.	कारगो इन्सपेक्टर्स एंड सुपरिन्टेंडेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, हावड़ा, पश्चिम बंगाल

सारणी 18—अधिसूचित प्राथमिक और रेफरल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की सूची

प्राथमिक खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ (एफएसएस अधिनियम की धारा 43(1) के अधीन)		
1	राज्य खाद्य प्रयोगशालाएँ	50
2	केंद्र सरकार के संस्थानों/स्वायत्त निकायों की प्रयोगशालाएँ	28
3	निजी प्रयोगशालाएँ	149
	कुल प्राथमिक खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ	227

रेफरल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ (एफएसएस अधिनियम की धारा 43(2) के अधीन)		
1	केंद्र सरकार के संस्थानों/स्वायत्त निकायों की प्रयोगशालाएँ	17
2	खाद्य प्राधिकरण की अपनी प्रयोगशालाएँ	03
	कुल रेफरल प्रयोगशालाएं	20

सारणी 19—देश में खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की राज्यवार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 43(1) के तहत अधिसूचित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं			एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 43(2) के तहत अधिसूचित रेफरल प्रयोगशालाएं
		सरकारी		निजी	
		राज्य	अन्य संस्थान		
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—
2	आंध्र प्रदेश	—	1	6	1
3	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—
4	असम	1	—	—	—
5	बिहार	—	—	—	—
6	चंडीगढ़	1	—	—	—
7	छत्तीसगढ़	—	—	—	—
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	—	—	1	—
9	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	1	1	18	—
10	गोवा	1	2	1	—
11	गुजरात	6	—	9	1
12	हरियाणा	2	1	15	1
13	हिमाचल प्रदेश	1	—	1	—
14	जम्मू—कश्मीर	2	1	—	—
15	झारखंड	—	—	1	—
16	कर्नाटक	—	—	15	2
17	केरल	3	6	6	2
18	लद्दाख	—	—	—	—
19	लक्षद्वीप	—	—	—	—
20	मध्य प्रदेश	1	—	7	—
21	महाराष्ट्र	3	3	24	4
22	मणिपुर	—	—	—	—

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 43(1) के तहत अधिसूचित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं			एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 43(2) के तहत अधिसूचित रेफरल प्रयोगशालाएं
		सरकारी		निजी	
		राज्य	अन्य संस्थान		
23	मेघालय	1	—	—	—
24	मिज़ोरम	—	—	—	—
25	नागालैंड	1	—	—	—
26	ओडिशा	1	—	1	—
27	पुदुचेरी	—	—	—	—
28	पंजाब	1	1	2	1
29	राजस्थान	9	1	5	—
30	सिक्किम	—	—	—	—
31	तमिलनाडु	6	1	16	2
32	तेलंगाना	1	—	9	3
33	त्रिपुरा	—	1	—	—
34	उत्तर प्रदेश	5	4	5	2
35	उत्तराखंड	1	—	1	—
36	पश्चिम बंगाल	2	5	4	1
	कुल	50	28	149	20

सारणी 20—अधिसूचित एनआरएल/एएनआरएल की सूची

क्र. सं.	प्रयोगशाला/संस्थान/संगठन का नाम	एनआरएल/एएनआरएल का कार्यक्षेत्र
एनआरएल के रूप में कार्य करने वाली सरकारी प्रयोगशालाएँ		
1.	सीएसआईआर—केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूरु, कर्नाटक	पोषण संबंधी जानकारी और लेबलिंग
2.	निर्यात निरीक्षण एजेंसी, कोच्चि, केरल	जीएमओ परीक्षण*
3.	पंजाब बायोटेक्नोलॉजी इनक्यूबेटर, मोहाली, पंजाब	शहद सहित मिठाईयाँ और मिष्ठान्न
4.	आईसीएआर—राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र, पुणे, महाराष्ट्र	कीटनाशक अवशिष्ट और मायकोटॉक्सिन्स
5.	आईसीएआर—सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, कोच्चि, केरल	मछली और मत्स्य उत्पाद
6.	पशुधन एवं आहार विश्लेषण तथा अध्ययन केंद्र—राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आणंद, गुजरात	डेयरी और डेयरी उत्पाद

क्र. सं.	प्रयोगशाला/संस्थान/संगठन का नाम	एनआरएल/एएनआरएल का कार्यक्षेत्र
7.	सीएसआईआर— इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	न्यूट्रास्युटिकल्स, प्रकार्यात्मक खाद्य और नवीन/उभरते खाद्य पदार्थों/खाद्य संघटकों का विष संबंधी मूल्यांकन/जोखिम मूल्यांकन
(*जीएमओ नियमों के कार्यान्वयन के अधीन)		
एनआरएल के रूप में कार्य करने वाली निजी प्रयोगशालाएँ		
8.	ट्रायलॉजी एनालिटिकल लैबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना	अनाज और दालें, मसाले और खड़े मसाले और संबंधित पीटी गतिविधियाँ
9.	एडवर्ड फूड रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर लिमिटेड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	वेटेरिनरी ड्रग अवशिष्ट, एंटीबायोटिक्स और हॉर्मोन्स
10.	विमता लैब्स लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना	जल, एल्कोहलीय और गैर-एल्कोहलीय बीवरेज
11.	फेयर लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम, हरियाणा	तेल और वसा
12.	नियोजेन फूड एंड ऐनिमल सिक्योरिटी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, कोच्चि, केरल	खाद्य एलर्जेन्स
एनआरएल (एएनआरएल) की आनुषंगिक सुविधा		
13.	निर्यात निरीक्षण एजेंसी (ईआईए), चेन्नई, तमिलनाडु	सूक्ष्मजैविक परीक्षण में पीटीपी के रूप में सहायता की सुविधा
14.	निर्यात निरीक्षण एजेंसी (ईआईए), कोलकाता, पश्चिम बंगाल	सभी खाद्य श्रेणियों में भारी धातुओं के क्षेत्र में पीटीपी के रूप में सहायता की सुविधा

सारणी 21—वर्ष 2021–22 में राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं के लिए जारी किया गया अनुदान

क्र. सं.	राज्य प्रयोगशाला	सीएसएस के तहत जारी किया गया कुल अनुदान (लाख रुपये में)
1.	असम (गुवाहाटी)	6.20
2.	बिहार (पटना)	2.06
3.	गोवा (बम्बोलिम)	4.25
4.	गुजरात (वडोदरा)	18.40
5.	गुजरात (राजकोट)	14.80
6.	हरियाणा (चंडीगढ़)	3.82
7.	हिमाचल प्रदेश (कंडाघाट)	2.00
8.	जम्मू-कश्मीर (जम्मू)	10.95
9.	जम्मू-कश्मीर (श्रीनगर)	10.95
10.	झारखंड (रांची)	3.70

क्र. सं.	राज्य प्रयोगशाला	सीएसएस के तहत जारी किया गया कुल अनुदान (लाख रुपये में)
11.	कर्नाटक (बेंगलुरु)	60.75
12.	केरल (तिरुवनंतपुरम)	2.50
13.	लद्दाख	3.50
14.	मध्य प्रदेश (भोपाल)	5.88
15.	मणिपुर (लैम्फेल)	2.40
16.	मेघालय (शिलांग)	3.20
17.	नागालैंड (कोहिमा)	8.30
18.	पुडुचेरी (गोरीमेडु)	13.00
19.	पंजाब (खरार)	2.00
20.	राजस्थान (जोधपुर)	4.40
21.	राजस्थान (उदयपुर)	4.40
22.	तमिलनाडु (चेन्नई)	12.80
23.	तमिलनाडु (मदुरई)	30.55
24.	त्रिपुरा (अगरतला)	3.00
25.	उत्तर प्रदेश (लखनऊ)	4.12
26.	उत्तराखंड (रुद्रपुर)	3.00
27.	पश्चिम बंगाल (कोलकाता)	5.45
28.	महाराष्ट्र (बीकेसी, मुंबई)	587.62
29.	राजस्थान (जयपुर)	1.00
30.	कर्नाटक (मैसूरु)	10.00
31.	सिक्किम (सिंगतम)	17.00
32.	पश्चिम बंगाल (सिलीगुड़ी)	307.31
33.	मिज़ोरम (आइज़ोल)	85.20
	एसएफटीएल के लिए कुल अनुदान	1254.51 लाख रुपये (12.54 करोड़ रुपये)

सारणी 22—फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स का राज्यवार वितरण

क्र. सं.	राज्य/संघराज्य क्षेत्र का नाम	स्वीकृत/वितरित किए गए एफएसडब्ल्यू की संख्या
1	अंडमान और निकोबार	2
2	अरुणाचल प्रदेश	3
3	असम	6
4	बिहार	5
5	चंडीगढ़	1
6	छत्तीसगढ़	9
7	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1
8	दिल्ली	3
9	गोवा	1
10	गुजरात	22
11	हरियाणा	5
12	हिमाचल प्रदेश	2
13	जम्मू-कश्मीर	8
14	झारखंड	3
15	कर्नाटक	4
16	केरल	12
17	मध्य प्रदेश	15
18	महाराष्ट्र	2
19	मणिपुर	2
20	मेघालय	4
21	मिज़ोरम	1
22	नागालैंड	1
23	ओडिशा	1
24	पुदुचेरी	1
25	पंजाब	7

क्र. सं.	राज्य/संघराज्य क्षेत्र का नाम	स्वीकृत/वितरित किए गए एफएसडब्ल्यू की संख्या
26	राजस्थान	9
27	सिक्किम	1
28	तमिलनाडु	2
29	तेलंगाना	5
30	त्रिपुरा	2
31	उत्तराखंड	1
32	उत्तर प्रदेश	18
33	पश्चिम बंगाल	14
	कुल	173

अध्याय-6

खाद्य आयात

6.1 विनियमात्मक ढाँचा

6.1.1 खाद्य उत्पादों के आयात का विनियमन खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 के तहत विहित खाद्य प्राधिकरण के अधिदेशों में से एक है। अधिनियम में यह स्पष्ट कहा गया है कि कोई व्यक्ति भारत में ऐसे खाद्य उत्पाद का आयात नहीं करेगा, जिससे अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बने नियमों और विनियमों का उल्लंघन हो। किसी भी खाद्य पदार्थ के आयात के लिए आयात लाइसेंस की आवश्यकता है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अनुसार केंद्रीय सरकार, विदेश व्यापार (विकास और विनियम) अधिनियम, 1992 (1992 का संख्यांक 22) के तहत किसी खाद्य वस्तु के आयात पर प्रतिषेध, प्रतिबंध अथवा उसे अन्यथा विनियमित करते समय इस अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बने नियमों और विनियमों के तहत खाद्य प्राधिकरण द्वारा विहित मानकों का अनुपालन करेगी।

6.1.2 भारत में आयातित खाद्य उत्पाद के विनियमन के लिए खाद्य प्राधिकरण ने दिनांक 9 मार्च, 2017 को खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) विनियम, 2017 अधिसूचित किए थे, जिनमें खाद्य आयात के लिए प्रक्रिया का विस्तृत विवरण दिया गया है जिससे खाद्य आयात की प्रक्रिया को आसानी से समझने योग्य बना दिया गया है।

6.2 प्रवेश के स्थान

आयातित खाद्य उत्पादों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई ने खाद्य आयात के प्रवेश के कुल 156 स्थानों [हवाई अड्डों/बंदरगाहों/अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी)/विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड)/भू सीमाशुल्क स्टेशनों (एलसीएस)] को अधिसूचित किया है। इन हवाई अड्डों/बंदरगाहों/आईसीडी/एसईजेड/एलसीएस पर अधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 के साथ पठित धारा 47(5) तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) विनियम, 2017 के विनियम 13(1) के तहत अधिसूचित किया गया है। 13 स्थानों अर्थात् चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, जेएनपीटी (नवी मुंबई), दिल्ली, कोच्चि, टुटिकोरिन, कृष्णापटनम्, मुंद्रा, कांडला, बेंगलूरु, हैदराबाद और विशाखापटनम् में एफ.एस.एस.ए.आई के अपने प्राधिकृत अधिकारी भी नियुक्त हैं, जो प्रवेश के 56 स्थानों का कार्य देखते हैं। प्रवेश के 100 अन्य स्थानों पर सीमा शुल्क अधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है।

6.3 जोखिम प्रबंधन प्रणाली

6.3.1 खाद्य आयात निर्मुक्ति प्रणाली (फिक्स) एक ऑनलाइन प्रणाली है, जो स्विफ्ट (सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड) के तहत सीमा शुल्क के आइस-गेट (इंडियन कस्टम्स) इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स/इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (ईसी/ईडीआई) गेटवे से जुड़ी है। खाद्य सुरक्षा और मानक

(आयात) विनियम, 2017 में जोखिम के आधार पर खाद्य वस्तुओं के चयनित प्रतिचयन और परीक्षण के उपबंध हैं। जोखिम का कुछ घटकों के आधार पर आकलन किया जाता है। तदनुसार, एफ.ए.एस.ए.आई ने खाद्य वस्तुओं में जोखिम प्रबंधन प्रणाली के मानदंड तय किए हैं।

6.3.2 जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) को सीमा शुल्क के आइसगेट के माध्यम से सीमा शुल्क द्वारा एफ.एस.एस.ए.आई के परामर्श से कतिपय मानदंडों जैसे खाद्य वस्तुओं की जोखिम श्रेणी, आयातक का अनुपालन इतिहास तथा मूल देश इत्यादि के आधार पर पहले ही लागू किया जा चुका है। एक ही मूल देश से एक ही आयातक द्वारा उच्च जोखिम की खाद्य वस्तुओं के आयात की स्थिति में पहली पाँच वाणिज्यिक खेपों का 100 प्रतिशत प्रतिचयन किया जाता है। खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमों के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुसार सभी मानकों के अनुरूप पाए जाने पर अगली 20 खेपों से 25 प्रतिशत नमूने लिए जाते हैं। सभी नमूने पास हो जाने पर बाद की खेपों से 5 प्रतिशत नमूने लिए जाते हैं। किसी भी चरण में नमूना फेल हो जाने पर आयातक का पूरा इतिहास शून्य हो जाता है तथा पूरी खेप का नमूना लेकर परीक्षण किया जाता है।

6.3.3 एक ही देश से एक ही आयातक द्वारा अल्प जोखिम की खाद्य वस्तुओं के आयात की स्थिति में पहली 5 खेपों का 100 प्रतिशत प्रतिचयन और परीक्षण किया जाता है। सभी नमूने खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम में विहित मानदंडों के अनुरूप पाए जाने पर बाद की सभी खेपों से 5 प्रतिशत नमूने लिए जाते हैं। किसी भी चरण में नमूना फेल हो जाने पर आयातक का पूरा इतिहास शून्य हो जाता है तथा पूरी खेप का नमूना लेकर परीक्षण किया जाता है।

6.4 'फिक्स' के तहत निर्मुक्ति प्रणाली

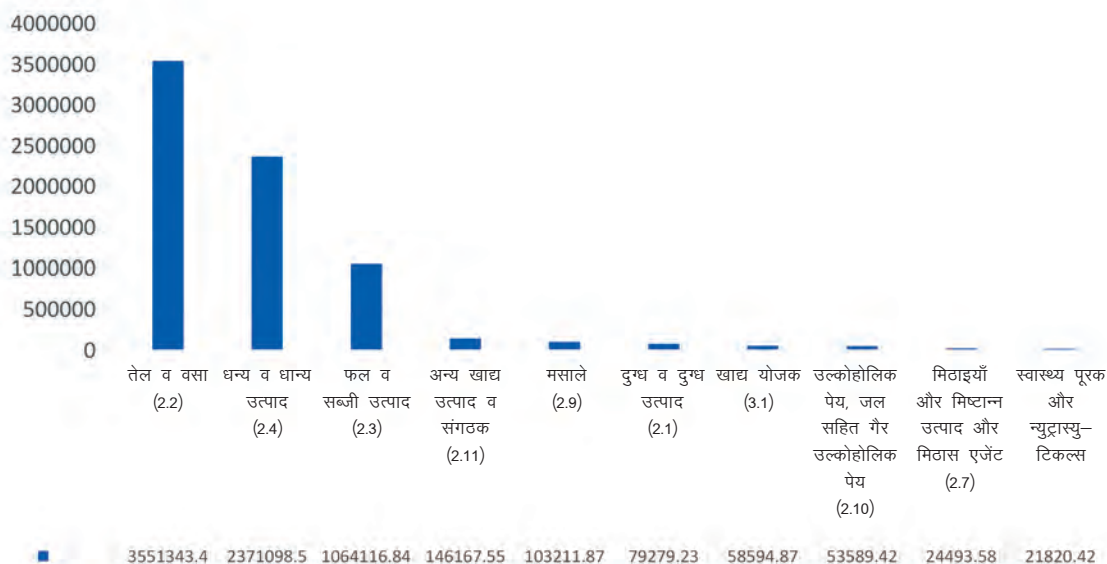
एफ.एस.एस.ए.आई की खाद्य आयात निर्मुक्ति प्रणाली एक कागज रहित प्रणाली है, जिसके तहत आयातित खाद्य वस्तुओं के आयात के स्थान पर पहुँचने पर तथा संबंधित सीमाशुल्क अधिकारियों से जाँच के आदेश प्राप्त होने के बाद खाद्य आयातक/सीएचए सीमाशुल्क द्वारा विहित समेकित घोषणा फॉर्म भरकर प्रस्तुत करता है तथा वह फॉर्म 'फिक्स' को अग्रेषित कर दिया जाता है। फिक्स पर आयातक द्वारा अनिवार्य प्रलेख (संघटकों की सूची, लेबल की नमूना प्रति, अंत्य उपयोग घोषणा, बिल ऑफ एंट्री, उत्पत्ति के देश संबंधी प्रमाण-पत्र, एफ.एस.एस.ए.आई लाइसेंस) तथा अन्य प्रलेख भी ऑनलाइन ही जमा कराने होते हैं। आयातक/सीएचए से इन प्रलेखों से संबंधित कोई भी संचार ऑनलाइन माध्यम से ही होता है। आयातक/सीएचए द्वारा प्रस्तुत सभी प्रलेखों की प्राधिकरण के प्राधिकृत अधिकारी (एओ) द्वारा जाँच की जाती है तथा आयातित खाद्य वस्तुओं की खाद्य सुरक्षा और मानक संबंधी विभिन्न विनियमों में विहित तथा स्थापित सुरक्षा और गुणता संबंधी मानदंडों के प्रति अनुरूपता की जाँच करने के लिए चाक्षुष निरीक्षण, प्रतिचयन तथा परीक्षण किया जाता है। नमूने के मानदंडों के अनुरूप पाए जाने पर 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' जारी हो जाता है अन्यथा अपालन रिपोर्ट जारी होती है, जिसे सीमा शुल्क को ऑनलाइन भेज दिया जाता है। उसकी प्रतिलिपि आयातक की बिन में भी डाल दी जाती है।

6.5 खाद्य आयात व्यापार सारांश

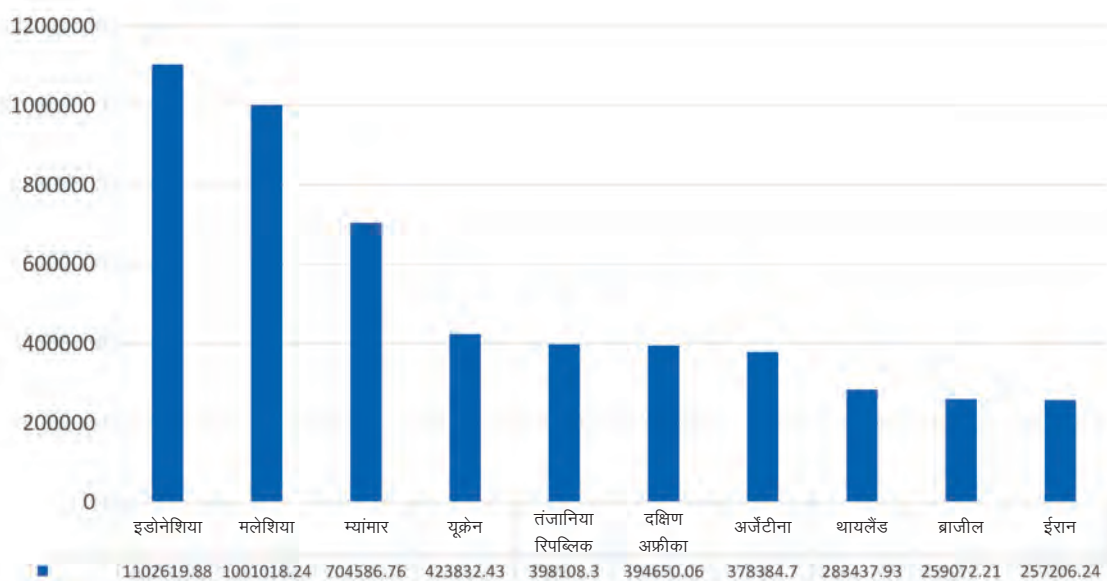
6.5.1 खाद्य आयात निर्मुक्ति प्रणाली (फिक्स) में उपलब्ध डेटा के अनुसार, वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में आयातित की जा रही मुख्य खाद्य श्रेणियाँ तेल और वसा; धान्य और धान्य उत्पाद; फल और सब्जी उत्पाद; अन्य खाद्य उत्पाद और संघटक; मसाले और कंडिमेंट्स; दूध और दुग्ध उत्पाद; खाद्य सहयोज्य; एल्कोहलीय पेय; जल सहित गैर एल्कोहलीय पेय; मिठाइयाँ और मिष्ठान्न उत्पाद और

मिठासकारी एजेंट; स्वास्थ्य पूरक और न्युट्रास्युटिकल्स हैं। मात्रा की दृष्टि से भारत को खाद्य पदार्थ निर्यात करने वाले मुख्य देश इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, यूक्रेन, तंजानिया रिपब्लिक, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, थाइलैंड, ब्राजील, इरान, मोजंबिक, यू.एस.ए, कनाडा, मिश्र और रूस हैं।

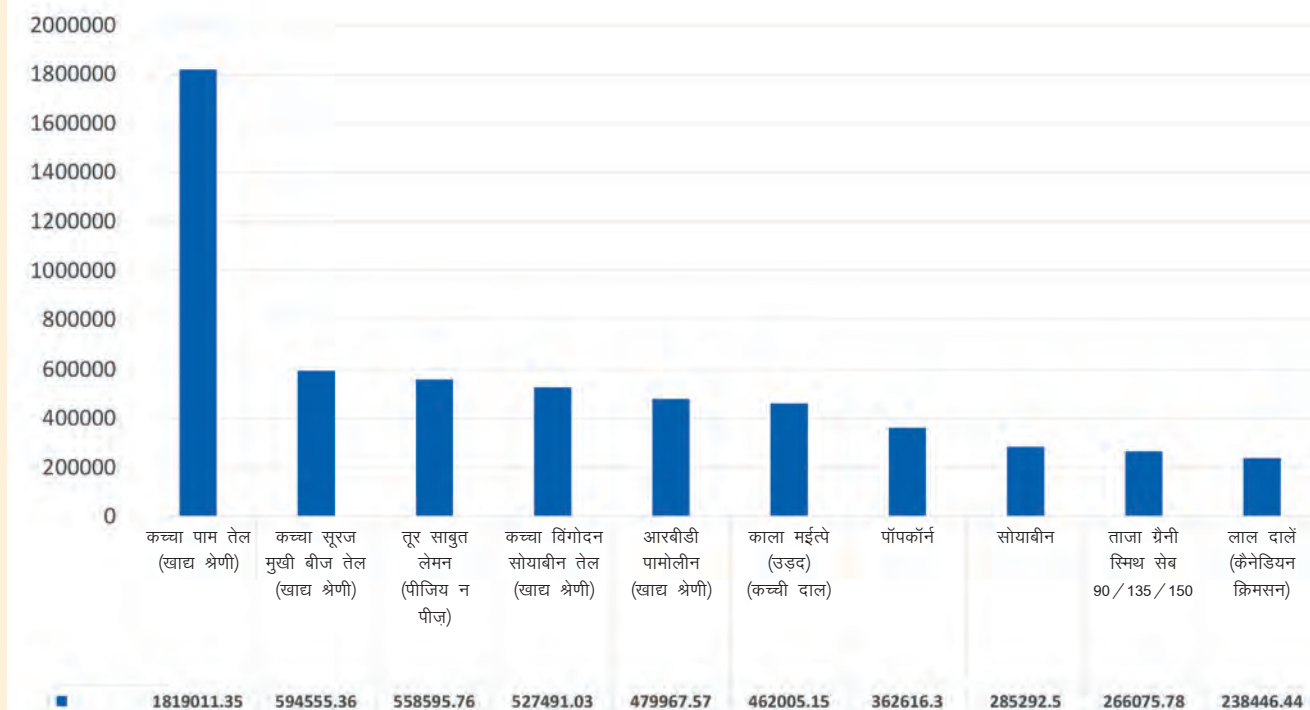
मुख्य 10 खाद्य श्रेणियाँ



मुख्य 10 निर्यातक देश



मुख्य 10 खाद्य उत्पाद (मात्रा में)



6.5.2 अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022 तक एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा लिए गए नमूने और जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण-पत्रों की संख्या सारणी-23 में दी गई है। एफ.एस.एस.ए.आई ने 74,12,411.80 मैट्रिक टन आयातित खाद्य उत्पादों की कुल 91,694 मदों को हैंडल किया और 73,57,847.25 मैट्रिक टन खाद्य उत्पादों की 89,885 मदों के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए गए।

6.6 वर्ष 2021-22 के दौरान व्यापार को सुचारु बनाने के लिए लिये गए निर्णय

- क. भारत में सुरक्षित खाद्य का आयात सुनिश्चित करते हुए कारोबार को आसान बनाने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई ने नए स्थानों अर्थात् बेंगलुरु, हैदराबाद और विशाखापटनम् में दिनांक 15 जुलाई, 2021 से ब्रांच/आयात कार्यालय बनाए हैं। आगे, इन स्थानों से संबंधित खाद्य आयात के नए प्रवेश स्थानों को सीमा शुल्क/से सीधे एफ.एस.एस.ए.आई के अंतर्गत ले लिया गया है।
- ख. दिनांक 1 सितंबर, 2021 से एन.एस.डी.एल की एस.ई.जेड ऑनलाइन प्रणाली को एफ.एस.एस.ए.आई की खाद्य आयात निर्मुक्ति प्रणाली (फिक्स) से जोड़ दिया गया है। प्रवेश के अधिसूचित एस.ई.जेड स्थानों पर फाइल किए गए खाद्य आयात के प्रवेश बिल अब एफ.एस.एस.ए.आई की खाद्य आयात निर्मुक्ति प्रणाली को सीधे बिना किसी बाधा के भेजे जा रहे हैं।
- ग. दिनांक 13 जुलाई, 2021 के आदेश द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों को कहा गया कि वे आयातित दालों और कच्चे तेल (खाद्य ग्रेड) की खेपों के संबंध में खाद्य आयात निर्मुक्ति प्रणाली पर कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर बिना देरी के करें और यदि आवश्यक हो तो खाद्य निर्मुक्ति त्वरित ढंग से करने के लिए खेपों की जाँच/चाक्षुष निरीक्षण/प्रतिचयन सप्ताहांत में भी किए जाएँ।

- घ. दिनांक 21 नवंबर, 2021 को एफ.एस.एस.ए.आई ने एक आदेश जारी किया था, जिस द्वारा उसने खाद्य आयात हेतु प्रवेश के सात अतिरिक्त स्थानों के लिए प्राधिकृत अधिकारी अधिसूचित किए थे। खाद्य आयात हेतु प्रवेश के नए स्थान नासिक, बरही-सोनीपत, गोलकगंज-असम, चेन्नई और हल्दिया हैं। आगे, रेवाड़ी (हरियाणा) आईसीडी में खाद्य आयात की मात्रा में कई गुणा वृद्धि को ध्यान में रखे हुए प्राधिकृत अधिकारी (दिल्ली), एफ.एस.एस.ए.आई-एनआर को खाद्य आयात निर्मुक्ति के प्रयोजन से आई.सी.डी रेवाड़ी (आईएनआरईए6) के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 47(5) तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) विनियम, 2017 के विनियम 13(1) के अनुसार दिनांक 11 जून, 2021 को अगले आदेश तक प्राधिकृत अधिकारी अधिसूचित किया गया। दिनांक 31 जनवरी, 2022 के आदेश द्वारा एफ.एस.एस.ए.आई के अधिकारियों को जेएनपीटी-एसईजेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया। इससे खाद्य आयात निर्मुक्ति प्रणाली के प्रवेश स्थानों की कुल संख्या 150 से बढ़कर 156 हो गई है।
- ङ. कच्चा काजू सीधे खाद्य वस्तु न होने तथा इसका प्रयोग काजू प्रसंस्करण इकाइयों द्वारा कच्ची सामग्री के रूप में किए जाने के कारण एफ.एस.एस.ए.आई ने अपने आदेश दिनांक 27 अक्टूबर, 2017 द्वारा कच्चे काजू की खेपों को तब तक बिना किसी रोक-टोक के आयात की अनुमति दी थी जब तक कच्चे काजू के मानक निर्धारित न कर दिए जाएँ। कच्चे काजू का आयात पर्याप्त मात्रा में होने के कारण दिनांक 18 जनवरी, 2022 के आदेश द्वारा यह तय किया गया कि कच्चे काजू के मानक निर्धारित होने तक इसे गैर-निर्दिष्ट खाद्य माना जाए और इसके मानक अंगीकृत किए जाएँ।
- च. दिनांक 30 नवंबर, 2021 को एफ.एस.एस.ए.आई ने आदेश द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों को सख्त निगरानी रखने और डी.जी.एफ.टी की आयात नीति, 2017, जिस द्वारा गाय का मांस और उसके उत्पादों का किसी भी रूप में आयात प्रतिबंधित है, के अनुपालन में गाय के मांस वाले उत्पादों अथवा संघटकों के किसी भी रूप में आयात के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी न करने को कहा गया।
- छ. व्यापार तथा कारोबार को और सुगम बनाने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई ने दिनांक 9 नवंबर, 2021 के निर्देश द्वारा निर्णय लिया कि ओरिजिन में बोटलबंद तथा थोक में प्राप्ति एल्कोहलीय पेयों, जिसमें एल्कोहल की मात्रा 10 प्रतिशत से अधिक हो और एल्कोहल पर समाप्ति की तिथि न हो, उसके संबंध में खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) विनियम, 2017 के अनुसार जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण-पत्र की वैधता 300 दिनों के लिए होगी। बंदरगाहों/सीमा शुल्क क्षेत्रों में 300 से अधिक दिनों से पड़ी खेपों के अनापत्ति प्रमाण-पत्र का पुनर्वैधीकरण करने के लिए चाक्षुष निरीक्षण शुल्क लेकर चाक्षुष निरीक्षण किया जा सकता है।

सारणी 23-1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि में एफआईसीएस के माध्यम से
खाद्य आयात निर्मुक्ति संबंधी डेटा

बंदरगाह	आयातित खाद्य वस्तुओं के मदों की संख्या	कुल मात्रा (मैट्रिक टन में)	जारी किए गए एनओसी	जारी किए गए एनओसी के तहत मात्रा (मैट्रिक टन में)
मुंबई जेएनपीटी- न्हावा शेवा	52240	2588431.00	51487	2572042.00
चेन्नई सी	11583	1409453.60	11484	1400777.47
मुंद्रा	8086	414891.02	7689	408494.55
दिल्ली	6364	44857.25	6227	43704.26
मुंबई एअर कार्गो	2942	1651.89	2909	1648.74
कोलकाता	2744	712299.29	2712	709579.70
कोच्चि बंदरगाह और हवाई अड्डा	1741	51053.73	1601	46752.59
टुटिकोरिन	1403	442855.25	1376	442016.17
दिल्ली एनसीआर	999	20617.89	982	19702.59
कांडला	874	827981.90	834	817338.23
बेंगलुरु	804	2262.58	706	2169.49
विशाखापटनम्	529	21621.21	528	21614.43
कृष्णापटनम्	522	846048.69	514	844897.39
हैदराबाद	385	896.18	377	885.85
चेन्नई एअर	243	64.23	241	64.09
चेन्नई आईसीडी	119	2652.02	110	2635.62
कोलकाता एअर	76	233.56	70	233.01
मुंबई बंदरगाह	40	24540.11	38	23290.11
कुल योग	91,694	74,12,411.80	89,885	73,57,847.25

खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण

7.1 खाद्यकर्मि प्रशिक्षण-खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन (फोस्टैक)

- 7.1.1** खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 16(3)(ज) के तहत एफ.एस.एस.ए.आई को अपने क्षेत्र में अथवा बाहर उन व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा और मानकीकरण में प्रशिक्षण देने का अधिदेश है, जो खाद्य व्यवसायकर्ता, कर्मचारी अथवा अन्य रूप में खाद्य कारोबार से पहले से जुड़े हैं अथवा इस क्षेत्र में आना चाहते हैं। इस अधिदेश के अनुसार एफ.एस.एस.ए.आई ने देश में खाद्यकर्मियों को प्रशिक्षण देने के लिए दिनांक 17 मई, 2017 को 'खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन' कार्यक्रम आरंभ किया। यह खाद्य कारोबारियों के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची-4 पर आधारित अच्छी स्वच्छता और उत्पादन रीतियों पर वृहद् स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है। फोस्टैक के अंतर्गत खाद्य क्षेत्रवार 19 अल्पकालिक नियमित पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, जो 4 से 12 घंटों की अवधि के होते हैं। नियमित पाठ्यक्रमों में खाद्यकर्मियों द्वारा अपनाए जाने के लिए कोविड-19 संबंधी निवारक उपायों पर मार्गदर्शन भी शामिल है। इस क्षमता-निर्माण पहल का ध्येय खाद्य कारोबारियों में स्वः-अनुपालन की संस्कृति पनपाना है। प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर खाद्यकर्मियों को खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षकों के रूप में प्रमाणित किया जाता है। यह अपेक्षा है कि अपने संगठन में जाकर वे खाद्य स्वच्छता और उत्पादन रीतियों पर अन्य खाद्यकर्मियों को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन देंगे।
- 7.1.2** फोस्टैक कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण, प्रशिक्षण सहयोगियों के सहयोग से आयोजित किए जाते हैं और प्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों विधियों से दिए जाते हैं। 31 मार्च, 2022 तक 262 प्रशिक्षण सहयोगियों तथा 2,186 प्रशिक्षकों को फोस्टैक पैनल में शामिल किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम तेजी से प्रगति कर रहा है तथा पिछले वर्ष मार्च, 2021 तक लगभग साढ़े पाँच लाख खाद्यकर्मियों को प्रशिक्षित कर दिया गया था। वर्ष 2021-22 के दौरान फोस्टैक कार्यक्रम के अंतर्गत 9,876 खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षक प्रशिक्षण आयोजित किए गए, जिनमें 3,63,677 खाद्यकर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस के अलावा, कोविड-19 खाद्य सुरक्षा दिशा-निर्देशों पर विशेष रूप से दो-दो घंटे के 106 प्रशिक्षण भी आयोजित किए गए, जिनमें 2,233 व्यक्तियों ने भाग लिया।
- 7.1.3** 2021-22 के दौरान खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षकों के लिए क्षेत्रवार फोस्टैक प्रशिक्षणों का विवरण नीचे सारणी-24 में दिया गया है:

सारणी 24—वर्ष 2021–22 के दौरान फोस्टैक प्रशिक्षणों का क्षेत्रवार विवरण

क्र. सं.	क्षेत्र	खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षक प्रशिक्षणों की संख्या	प्रशिक्षित खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षकों की संख्या
1	पशु मांस और मांस उत्पाद (बड़े पशु)	33	772
2	बेकरी (लेवल 1)	148	4796
3	बेकरी (लेवल 2)	59	1405
4	कैटरिंग (लेवल 1)	3793	156806
5	कैटरिंग (लेवल 2)	861	27752
6	खाद्य तेल	39	927
7	मछली और मत्स्य उत्पाद	38	730
8	स्वास्थ्य पूरक और न्यूट्रास्युटिकल्स (विशेष)	37	568
9	उत्पादन (लेवल 1)	746	19769
10	उत्पादन (लेवल 2)	1184	26888
11	दूध और दुग्ध उत्पाद	201	4223
12	कुक्कुट मांस और कुक्कुट उत्पाद (विशेष)	43	484
13	खुदरा और वितरण (लेवल 1)	1365	71302
14	खुदरा और वितरण (लेवल 2)	219	7368
15	भंडारण और परिवहन (लेवल 1)	10	83
16	भंडारण और परिवहन (लेवल 2)	143	4796
17	स्ट्रीट खाद्य बिक्री	909	33686
18	जल और जल-आधारित	48	1322
	योग	9,876	3,63,677

7.2 खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के साथ कार्य

7.2.1 'प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना (पीएमएफएमई)' को लागू करने के प्रयोजन से दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) के साथ एक समझौता किया गया, जो आत्म-निर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एक युगांतरकारी पहल है। यह देखा गया है कि बहुत से सूक्ष्म उद्योग खाद्य प्रसंस्करण का कार्य करते हैं। यह वर्ग असंगठित है तथा उचित मानकों, स्वच्छता, सुरक्षित पैकेजबंदी, अंतर्वेधी शक्ति आदि के अभाव में उपभोक्ताओं में इसकी साख कम है। इस समझौते का ध्येय ऐसी इकाइयों में उपभोक्ताओं का विश्वास जगाना और इस प्रकार राष्ट्र के आर्थिक विकास में योगदान देना है।

7.2.2 इस समझौते के तहत सहयोग के निम्नलिखित दो क्षेत्र होंगे —

(क) *खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन कार्यक्रम (फोस्टैक)*— सूक्ष्म स्तर की खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के खाद्यकर्मियों को अच्छी स्वच्छता तथा रख-रखाव संबंधी रीतियों, खाद्य परीक्षण प्रक्रियाओं तथा अन्य विनियमात्मक अपेक्षाओं के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण

के बाद उन्हें 'खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षक' का प्रमाण-पत्र दिया जाएगा। इस परियोजना के तहत फोस्टैक पाठ्यक्रम "आधारभूत उत्पादन" के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

(ख) सूक्ष्म उद्यमों का पंजीकरण और लाइसेंस— एफ.एस.एस.ए.आई. लाइसेंस तथा पंजीकरण के लिए आवेदनों की प्रक्रियाओं और अन्य संबंधित विनियमात्मक उपबंधों के बारे में जिला संसाधन व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने में सहायता करेगी, जो सूक्ष्म उद्यमों को लाइसेंस/पंजीकरण लेने में मदद करेंगे।

7.2.3 इस एमओयू से सूक्ष्म स्तर के संगठनों को खाद्य सुरक्षा पहलुओं, मानकों तथा विभिन्न विनियमों के बारे में जानकारी मिलेगी, जिससे खाद्य स्वच्छता और सुरक्षा के बारे में व्यापक धारणा आएगी।

आकृति 11— खाद्य संचालकों के प्रशिक्षण की कुछ छवियाँ



मध्याह्न भोजन संगठनों के लिए आधारभूत कैटरिंग संबंधी फोस्टैक कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण



माही डेयरी के लिए विशेष पाठ्यक्रम—दूध और दुग्ध उत्पाद के बारे में प्रशिक्षण

7.3 विनियमात्मक स्टॉफ प्रशिक्षण

- 7.3.1** खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 के अध्याय 2 के खंड 2.1.2 तथा 2.1.3 में विनियमात्मक कर्मियों, यथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, अभिहित अधिकारी का प्रशिक्षण विहित है। इस अधिदेश के अनुसार एफ.एस.एस.ए.आई ने 2016 में एक प्रशिक्षण नीति तैयार की थी। नीति के अनुसार विनियमात्मक स्टॉफ को परिचय प्रशिक्षण के साथ-साथ पुनश्चर्या प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त न्याय-निर्णयन अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है।
- 7.3.2** ऊपर उल्लिखित प्रशिक्षण नीति में निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में वर्ष 2021-22 के दौरान ऑनलाइन/ऑफलाइन विधि से 08 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए, जिनमें 535 विनियमात्मक कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। इन कार्यक्रमों के विवरण सारणी-25 में दिए गए हैं।

सारणी 25-वर्ष 2021-22 के दौरान विनियमात्मक कर्मियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण

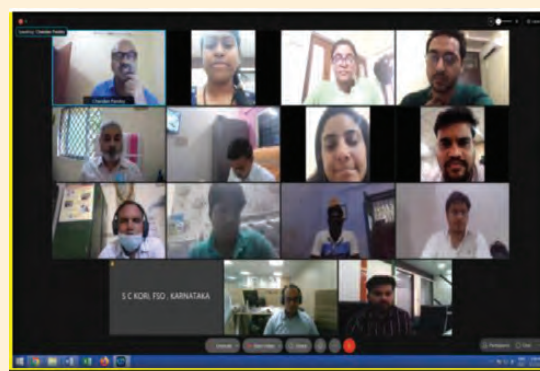
क्र. सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	तिथि(याँ)	भागीदारों की संख्या
1.	जम्मू और कश्मीर के विनियमात्मक कर्मियों (खाद्य सुरक्षा अधिकारियों/अभिहित अधिकारियों इत्यादि) के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (स्वास्थ्य पूरक, न्यूट्रास्युटिकल्स, विशेष आहार विषयक उपयोग के लिए खाद्य इत्यादि) विनियम, 2016 के बारे में प्रशिक्षण (ऑनलाइन)	22 अप्रैल, 2021	100
2.	केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों तथा गुजरात, तेलंगाना, पंजाब और उत्तरी रेलवे के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के लिए परिचय प्रशिक्षण कार्यक्रम (ऑनलाइन)	3 से 12 मई, 2021	32
3.	महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल के न्याय-निर्णयन अधिकारियों के लिए अनुकूलन प्रशिक्षण कार्यक्रम (ऑनलाइन)	3 से 4 अगस्त, 2021	70
4.	केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों तथा उत्तरी रेलवे, आंध्र प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के लिए परिचय प्रशिक्षण कार्यक्रम (ऑनलाइन)	20 से 29 सितंबर, 2021	86
5.	भारतीय रेलवे, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के अभिहित अधिकारियों के लिए परिचय/पुनश्चर्या प्रशिक्षण (कक्षा प्रशिक्षण)	25 से 29 अक्टूबर, 2021	26
6.	असम, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, तमिलनाडु, पंजाब, ओडिशा के अभिहित अधिकारियों के लिए परिचय-सह-पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम (ऑनलाइन)	17 से 21 जनवरी, 2022	32

क्र. सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	तिथि(याँ)	भागीदारों की संख्या
7.	बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोआ, मध्य प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब और राजस्थान के न्याय-निर्णयन अधिकारियों के लिए अनुकूलन प्रशिक्षण कार्यक्रम (ऑनलाइन)	27 से 28 जनवरी, 2022	139
8.	दिल्ली, मध्य रेलवे, गोवा, कर्नाटक, लद्दाख, लक्षद्वीप, ओडिशा, पंजाब, आरओएचएफडब्ल्यू- भुवनेश्वर तथा एफ.एस.एस.आई के केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के लिए परिचय प्रशिक्षण (ऑनलाइन)	2 से 11 मार्च, 2022	50
योग			535

आकृति 12—कुछ विनियामक प्रशिक्षणों की झलक



केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों तथा गुजरात, तेलंगाना, पंजाब और उत्तरी रेलवे के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के लिए परिचय प्रशिक्षण



केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों तथा उत्तरी रेलवे, आंध्र प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के लिए परिचय प्रशिक्षण



भारतीय रेलवे, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के अभिनामित अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय भारतीय रेलवे अकादमी, वडोदरा में परिचय/पुनश्चर्या प्रशिक्षण



दिल्ली, मध्य रेलवे, गोवा, कर्नाटक, लद्दाख, लक्षद्वीप, ओडिशा, पंजाब, आरओएचएफडब्ल्यू-भुवनेश्वर के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों तथा एफ.एस.एस.ए.आई के केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के लिए डीएफडीए, गोवा में परिचय (कक्षा) प्रशिक्षण की छवि

7.4 एफ.एस.एस.ए.आई के कार्मिकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण

7.4.1 वर्ष 2021-22 के दौरान एफ.एस.एस.ए.आई के कार्मिकों के लिए भी 08 प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑनलाइन/ऑफलाइन विधि से आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों का विवरण सारणी-26 में दिया गया है।

सारणी 26-एफ.एस.एस.ए.आई के कार्मिकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण

प्रशिक्षण कार्यक्रम	तिथि	भागीदारों की संख्या
"जीएफआर तथा क्रय नीति" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (ऑनलाइन)	28 अप्रैल, 2021	180
"नोटिंग और ड्रॉपिंग" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (ऑनलाइन)	30 अप्रैल, 2021	160
"आरटीआई अधिनियम, 2005" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (ऑनलाइन)	27 मई, 2021	175
"सार्वजनिक खरीदारी पर प्रशिक्षण सत्र (आधारभूत और एडवांस्ड)"- अरुण जेतली राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्था द्वारा (ऑनलाइन)	19 से 22 जुलाई, 2021	12
	26 से 28 जुलाई, 2021	13

प्रशिक्षण कार्यक्रम	तिथि	भागीदारों की संख्या
"यौन संवेदीकरण तथा 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण (निवारण, प्रतिषेध और शिकायत निपटान) अधिनियम, 2013' में भिन्न उपबंध" पर प्रशिक्षण सत्र (ऑनलाइन)	6 अगस्त, 2021	60
परिचय प्रशिक्षण कार्यक्रम (तीसरा बैच) (कक्षा प्रशिक्षण)	16 अगस्त से 04 सितंबर, 2021	85
आंतरिक वित्त, स्कंध (आईएफडब्ल्यू) के लिए दो-दिवसीय अनुकूलन प्रशिक्षण (कक्षा प्रशिक्षण)	29 से 30 नवंबर, 2021	14



आकृति 13—एफ.एस.एस.ए.आई के कार्मिकों के परिचय प्रशिक्षण के दौरान ग्रुप फोटो

अध्याय-8

सामाजिक और व्यवहारगत परिवर्तन तथा ईट राइट इंडिया पहल

8.1 ईट राइट इंडिया पहल के बारे में

- 8.1.1** भारत में खाद्यजनित बीमारियों, अल्प पोषण, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, मोटापे की बढ़ती समस्या तथा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग इत्यादि गैर-संचारी रोगों की बढ़ती घटनाओं के संदर्भ में सुरक्षित खाद्य और स्वास्थ्यकर आहार बहुत महत्वपूर्ण है। इसके परिपेक्ष में तथा सामाजिक और व्यवहारगत परिवर्तन लाने के लिए एफ.एस.एस.आई ने 'ईट राइट इंडिया' अभियान आरंभ किया है, जिसके अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और पोषण के संबंध में विनियमात्मक तथा गैर-विनियमात्मक दोनों तरह की विविध प्रकार की गतिविधियाँ शामिल हैं। मुख्य हितधारकों तथा नागरिकों को शामिल करते हुए यह अभियान 10 जुलाई, 2018 को शुरू किया गया था। यह अभियान जन स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने के सरकार के तीन मुख्य कार्यक्रमों अर्थात् स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत और पोषण अभियान के अनुरूप है। ईट राइट इंडिया अभियान का ध्येय सभी भारतीयों के लिए पर्यावरणीय दृष्टि से धारणीय रीतियों से उत्पादित सुरक्षित और पोषक आहार सुनिश्चित कराना है।
- 8.1.2** विनियमात्मक उपायों के अतिरिक्त खाद्य कारोबारियों द्वारा खाद्यसुरक्षा और स्वच्छता के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए बेंचमार्किंग और प्रमाणन के कई कार्यक्रम लागू किए गए हैं, जिनमें स्थानीय ढाबे, छोटे खाद्य विक्रेता, फल और सब्जी विक्रेता, स्ट्रीटफूड विक्रेता आदि असंगठित कारोबार शामिल हैं। पहल के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एफ.एस.एस.आई कई माध्यमों से कई प्रतियोगिताएँ और बहिरंग संपर्क कार्यक्रम आयोजित करती है। आगे, विविध प्रकार के समाजों को ध्यान में रखते हुए बेहतर पोषण के प्रयोजन से एफ.एस.एस.आई गोहूँ और चावल से लेकर मोटे अनाज तथा अन्य देशज संघटकों के विभिन्न प्रकार के साबुत अनाजों के सेवन को बढ़ावा दे रही है।
- 8.1.3** सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में खाद्य से संबंधित काम होने के कारण इस पहल के लिए 'समग्र सरकार दृष्टिकोण' अपनाया गया है। कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण संबंधी मंत्रालय एक ही मंच पर नियमित रूप से जुड़े हैं। साथ ही इस के पूरक के रूप में जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन के लिए 'समग्र समाज दृष्टिकोण' लागू किया गया है। खाद्य और पोषण के पेशेवरों का एक नेटवर्क बनाया गया है। खाद्य कारोबारों से जुड़ने के लिए उद्योग संघों के साथ सहभागिता तथा लोगों को सही पसंद करने में सोशल मीडिया, प्रतिष्ठित व्यक्तियों, उपभोक्ता संगठनों एवं विकास एजेंसियों के प्रभाव का लाभ उठाया जा रहा है।
- 8.1.4** ईट राइट इंडिया की विभिन्न पहलों पर सर्वसम्मति बनाने और कंवर्जेस लाने; ईट राइट इंडिया पहल के अंतर्गत शुरू किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग तथा उनके प्रभाव के आकलन

हेतु और आवश्यक मार्गदर्शन देने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई ने एक अंतरमंत्रालयी संचालन समिति बनाई है।

8.2 2021-22 के दौरान ईट राइट बेंचमार्किंग और प्रमाणन कार्यक्रमों के संबंध में प्रगति

जैसा कि निम्नलिखित पैराग्राफों में बताया गया है, ईट राइट इंडिया पहल के तहत सुरक्षित, स्वास्थ्यकर और सही खाद्य के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण प्रमाणन पहलों में पर्याप्त प्रगति की गई।

8.2.1 भोग (ईश को आनंददायी स्वच्छ भोग)

‘भोग’ धार्मिक स्थलों को अपने परिसर के खाद्यकर्मियों तथा आस-पास के क्षेत्रों में विक्रेताओं को सही खाद्य सुरक्षा तथा स्वच्छता के बारे में शिक्षित करके श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य तथा कल्याण को ध्यान में रखने के लिए प्रोत्साहित करने की एक पहल है। इस पहल के अंतर्गत जिन धार्मिक स्थानों पर प्रसाद तैयार/हैंडल किए जाते हैं, उनकी पहचान करके उनका ऑडिट किया जाता है तथा खाद्य हैंडल करने वाले व्यक्तियों को आधारभूत प्रशिक्षण दिया जाता है। सभी चरण सफलतापूर्वक पूरा करने पर पहचाने गए धार्मिक स्थल को मान्यता दे दी जाती है/प्रमाणित कर दिया जाता है। वर्ष के दौरान गुजरात, हिमाचलप्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़ तथा दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के 527 धार्मिक स्थलों को प्रमाणित किया गया।

8.2.2 ईट राइट कैंपस

‘ईट राइट कैंपस’ पहल का ध्येय स्कूलों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, कार्य-स्थलों, अस्पतालों, चाय बागानों इत्यादि स्थलों में सुरक्षित, स्वास्थ्यकर तथा सही भोजन को बढ़ावा देना है। चार विभिन्न मानदंडों के आधार पर बेंचमार्क बनाए गए हैं, जिनके अनुसार इन कैंपसों का आकलन किया जाता है तथा उन्हें ‘ईट राइट कैंपस’ के रूप में प्रमाणित किया जाता है। इन मानदंडों में खाद्य सुरक्षा उपाय, स्वास्थ्यकर तथा पर्यावरणीय दृष्टि से सही खाद्य का उपबंध सुनिश्चित कराना और सही खाद्य के चयन के लिए कैंपसों में व्यक्तियों में जागरूकता पैदा करना शामिल है। 2021-22 के दौरान कुल 710 कैंपसों को ‘ईट राइट कैंपस’ के रूप में प्रमाणित किया गया। इस पहल के अंग के रूप में पुलिस स्टेशन, जेल इत्यादि नई सेटिंग-आधारित वातावरणों को शामिल किया गया। दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा तथा भारतीय नौसेना के पोत, यथा आईएनएस कोलकाता, भी शामिल किए गए।

8.2.3 ईट राइट स्कूल

‘ईट राइट स्कूल’ कार्यक्रम का ध्येय खाद्य सुरक्षा, पोषण और स्वच्छता के बारे में स्कूली बच्चों तथा उनके माध्यम से समुदाय में जागरूकता पैदा करना है। क्योंकि खान-पान की आदतें जीवन के शुरुआत में पनपती हैं, इसलिए स्कूल के पठ्य तथा पाठ्येतर कार्यक्रमों में खाद्य तथा पोषण को पर्याप्त रूप से शामिल करना आवश्यक है। ईट राइट स्कूल कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 05 स्कूलों को प्रमाणित किया जा चुका है।

8.2.4 स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब

‘स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब’ लोकप्रिय स्ट्रीट फूड बेचने वाले विक्रेताओं/दुकानों/स्टालों (फाइन डाइनिंग

को छोड़कर) का एक ऐसा केंद्र है, जिनमें से 80 प्रतिशत या इससे अधिक दुकानों पर स्थानीय और क्षेत्रीय खाद्य मिलता है और जो सफाई और स्वच्छता संबंधी मूलभूत अपेक्षाओं का पालन करते हैं।

इस पहल का ध्येय स्ट्रीट फूड बिक्री में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता को उन्नत करना है, जिससे उपभोक्ताओं में सुरक्षित और स्वच्छ स्थानीय भोजन के प्रति विश्वास उत्पन्न हो। इसके क्रियान्वयन के मुख्य चरण हैं— संभावी केंद्र की पहचान करना, खाद्यकर्मियों को प्रशिक्षण देना और कमियों में सुधार के लिए ऑडिट करना। सभी चरणों के सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर पहचाने गए केंद्र को “स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब” के रूप में प्रमाणित किया जाता है। वर्ष के दौरान कुल 31 स्ट्रीट फूड हब प्रमाणित किए गए।

8.2.5 स्वच्छ और ताजा फल और सब्जी मंडी

स्वच्छ और ताजा फलों और सब्जियों की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने में और कम समय में इन जल्दी नष्ट होने वाले खाद्य की बिक्री एवं वितरण में स्थानीय खुदरा विक्रेता और बाजार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एफ.एस.एस.ए.आई ने “स्वच्छ और ताजा फल और सब्जी मंडी” का एक फ्रेमवर्क तैयार किया है। इस पहल के अंतर्गत फल और सब्जी मंडियों तथा विक्रेताओं में खाद्य सुरक्षा व स्वच्छता के दृष्टिकोण से राज्य एफडीए तथा एफ.एस.एस.ए.आई के पैनल में शामिल ऑडिट एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से कमियों का विश्लेषण किया जाता है, जिसके बाद उन्हें प्रशिक्षण और सहयोग दिया जाता है। तत्पश्चात मंडी का अंतिम ऑडिट और प्रमाणन किया जाता है। वर्ष 2021–22 के दौरान ऐसी 13 मंडियों को प्रमाणित किया गया।

8.2.6 ईट राइट स्टेशन

‘ईट राइट स्टेशन’ पहल का ध्येय यात्रियों, आगंतुकों तथा रेलवे कार्मिकों को सुरक्षित और स्वास्थ्यकर खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। मानदंडों को पूरा करने वाले रेलवे स्टेशनों को प्लेक और/अथवा श्रेष्ठता प्रमाण-पत्र के माध्यम से ‘ईट राइट स्टेशन’ के रूप में चिह्नित किया जाता है। वर्ष के दौरान 05 स्टेशनों को प्रमाणित किया गया।

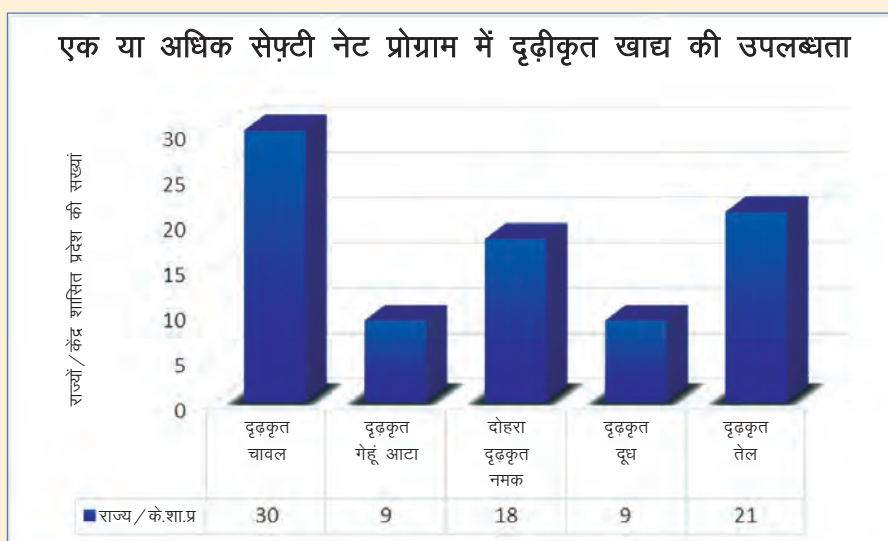
8.3 खाद्य पौष्टिकीकरण

8.3.1 खाद्य पौष्टिकीकरण संसाधन सेल देश के खुलेबाजार के साथ-साथ सरकारी सुरक्षा कार्यक्रमों में खाद्य पौष्टिकीकरण को वृहद स्तर पर बढ़ावा देने के सतत प्रयास कर रहा है। वर्ष 2021–22 के दौरान कोविड-19 महामारी के मद्देनजर ऑनलाइन वेबिनार, कार्यशालाएँ, सोशल मीडिया तथा ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। ये प्रयास विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत देश में पौष्टिकीकरण में तेजी लाने के लिए किए गए।

8.3.2 वस्तुस्थिति तथा क्रियान्वयन बाधाओं को जानने के लिए खाद्य पौष्टिकीकरण के लिए प्रत्येक राज्य/संघशासित क्षेत्र में राज्य नोडल अधिकारियों की पहचान की गई। राज्य/संघशासित क्षेत्र में सुरक्षा नेट कार्यक्रमों और खुले बाजारों में सूक्ष्म पोषकतत्वों और खाद्य पौष्टिकीकरण की स्थिति के रेडी रेकनर के रूप में प्रत्येक राज्य की फैक्ट शीट तैयार की गई। इस शीट को हर तिमाही अद्यतन किया जाता है। चर्चाओं और विचार-विमर्श के आधार पर राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को खाद्य पौष्टिकीकरण में तेजी लाने के लिए अपेक्षित सहयोग दिया जाएगा।

8.3.3 परामर्श और संवेदीकरण

(क) सुरक्षा नेट कार्यक्रम में तेजी लाना— पौष्टिकीकरण की स्थिति जानने और संबंधित राज्य/संघशासित क्षेत्र में खाद्य पौष्टिकीकरण में तेजी लाने के लिए कार्रवाई की मदों की पहचान करने के लिए संबंधित राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के सम्बद्ध मंत्रालयों (राज्य एफडीए, शिक्षा विभाग, सार्वजनिक और नागरिक आपूर्ति प्रभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग) की अंतर-विभागीय बैठकें की गईं। चर्चा के आधार पर कार्रवाई की मदों की पहचान की गई तथा कार्यक्रम में और तेजी लाने के लिए राज्य/संघशासित क्षेत्र के साथ संबंधित विकास सहयोगी जोड़े गए। विभिन्न राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में पौष्टिकीकृत खाद्यों की उपलब्धता की स्थिति निम्नानुसार है:

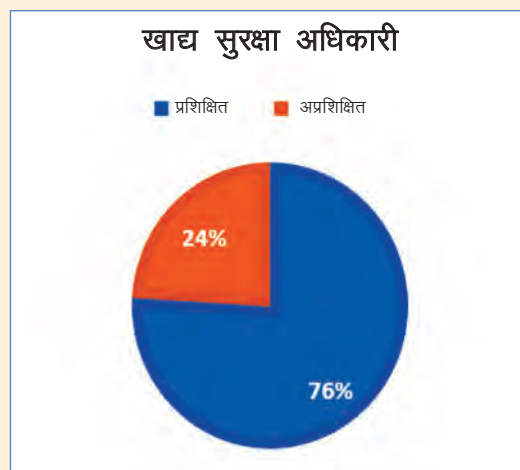
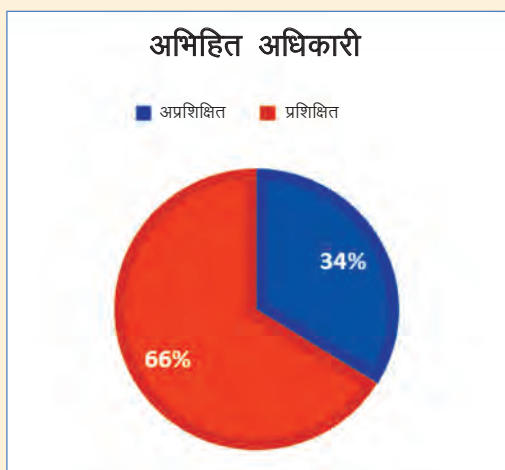


- (ख) पीडीएस व अन्य खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से 2024 तक पौष्टिकीकृत चावल के वितरण के संबंध में 75 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर माननीय प्रधान मंत्री की घोषणा के अनुपालन में चावल के पौष्टिकीकरण में तेजी लाने तथा उद्योग, विकास सहयोगियों और राज्य/संघशासित क्षेत्रों के हितधारकों के लिए राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न वेबिनार आयोजित किए गए। संसाधनों के विकास तथा प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई संबद्ध मंत्रालयों को तकनीकी सहयोग दे रही है।
- (ग) पौष्टिकीकृत चावल की गुणता सुनिश्चित करने के लिए फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (एफआरके) का उत्पादन उच्च जोखिम वाली वस्तु घोषित किया गया। परिणामस्वरूप खाद्य कारोबारी को गुणता आश्वासन प्रयोजन के लिए लाइसेंस देने से पहले स्थल का निरीक्षण अपेक्षित किया गया है।
- (घ) सरकारी कार्यक्रमों में पौष्टिकीकृत खाद्य के अंगीकरण के लिए प्रेरित करने तथा इस कार्य में आने वाली चुनौतियों को जानने के लिए जम्मू और कश्मीर तथा हरियाणा राज्यों का दौरा किया गया। इन राज्यों के दौरों में पौष्टिकीकरण के स्वेच्छक अंगीकरण के लिए उद्योग को संवेदी बनाना भी शामिल था।

(ड) खाद्य पौष्टिकीकरण में तेजी लाने के लिए पेशेवर संघों, यथा इंडियन फेडरेशन ऑफ कुलिनरी एसोशिएशन (आई.एफ.सी.ए), इंडियन मेडिकल एसोशिएशन (आई.एम.ए), द इंडियन एसोशिएशन फॉर पेरेंटैरल एंड एंटीरल न्यूट्रीशन (आई.ए.पी.ई.एन), इंडियन डाइटेटिक एसोशिएशन (आई.डी.ए) के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनके दौरान उन्हें अपने अनुसंधान, रोगी परामर्श, खाद्य प्रतिष्ठानों इत्यादि में खाद्य पौष्टिकीकरण अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।

8.3.4 खाद्य पौष्टिकीकरण पर प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण

(क) अभिहित अधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी-25 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों (एफएसओ) और अभिहित अधिकारियों (डीओ) के लिए खाद्य पौष्टिकीकरण पर ऑनलाइन सत्र आयोजित किए गए। आगे, खाद्य पौष्टिकीकरण पर प्रमाणन को पूरा करने के लिए एफएसओ और डीओ के लिए डिजिटल प्रशिक्षण माड्यूल उपलब्ध कराया गया, जिससे 1917 एफएसओ और 225 डीओ को प्रशिक्षण मिला।



(ख) फ्रंटलाइन वर्कर – खाद्य पौष्टिकीकरण के लाभ बताने के लिए 4 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों (पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह) के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं, मध्याह्न भोजन (एमडीएम) पर्यवेक्षकों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया गया। आगे, चुनौतियाँ जानने के लिए 3 राज्यों के फ्रंटलाइन वर्करों को ऑफलाइन प्रशिक्षण दिया गया। चावल के पौष्टिकीकरण को लेकर उत्पन्न भ्रांतियों के निराकरण के लिए 4 राज्यों के विकास सहयोगियों और उद्योग के सहयोग से पौष्टिकीकृत चावल पर प्रदर्श गतिविधियाँ तथा साथ-साथ फ्रंटलाइन वर्करों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

(ग) इंदौर में सितंबर, 2021 में ग्लोबल एलायंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रीशन (GAIN) तथा के.एच. पी.टी (KHPT) संगठनों के साथ संसाधन व्यक्तियों के लिए तेल पौष्टिकीकरण के बारे में क्षमता-निर्माण के लिए मास्टर पूल प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसके बाद रुचि सोया इंडस्ट्रीज, इंदौर में स्थल प्रशिक्षण दिया गया। एफ.एस.एस.ए.आई ने हाल के विकासों तथा खाद्य पौष्टिकीकरण और विनियमों के बारे में सत्र का आयोजन किया।

(घ) तेल और गेहूँ के आटे के पौष्टिकीकरण के संबंध में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन फूड

फोर्टिफिकेशन (सी.ई.एफ.एफ), निफटेम में गेन के साथ एक चार-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान खाद्य पौष्टिकीकरण विनियमों और उनके क्रियान्वयन के बारे में एक सत्र आयोजित किया गया। खाद्य पौष्टिकीकरण के क्रियान्वयन और गुणता आश्वासन के संबंध में खाद्य कारोबारियों की शंकाओं के समाधान के लिए एफ.एस.एस.ए.आई के कार्मिकों ने उनसे संवाद स्थापित किया।

(ड) उद्योग को खाद्य पौष्टिकीकरण के प्रति संवेदी बनाने के लिए हरियाणा तथा जम्मू और कश्मीर में कार्यशालाएँ की गईं। मणिपुर की 4 डेयरियों तथा जम्मू और कश्मीर की 5 डेयरियों के लिए दुग्ध पौष्टिकीकरण पर स्थल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

8.3.5 गुणता आश्वासन संबंधी कार्य

(क) फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (एफआरके) तथा पौष्टिकीकृत चावल के उत्पादकों के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएँ तैयार की गईं तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, एफसीआई, नीति आयोग, विकास सहयोगियों, राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्तों और उद्योग सहित सभी हितधारकों को वितरित की गईं।

(ख) देश में चावल के पौष्टिकीकरण में तेजी आने के साथ एफआरके उत्पादन क्षमता को चिन्हित करने तथा उसे समय-समय पर अद्यतन करने की आवश्यकता महसूस की गई। यथा दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार एफआरके के 154 उत्पादक हैं, जिनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 7,00,746 मैट्रिक टन है।

8.3.6 पौष्टिकीकृत उत्पादों के प्रति उपभोक्त जागरूकता तथा मांग का सृजन

- +F लोगो की पहचान तथा विटामिन ए और डी के लाभों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए जुलाई-अगस्त, 2021 में 40 शहरों में एक रेडियो अभियान चलाया गया, जिससे उपभोक्ताओं में पौष्टिकीकृत दूध की मांग बढ़े। इस अभियान का मुख्य संदेश पौष्टिकीकृत दूध के सेवन से दूध से 'थोड़ा और' पोषण प्राप्त करने पर केंद्रित था।
- जागरूकता-सृजन का कार्य सोशल मीडिया हैंडलों, रेडियो, प्रिंट तथा दूरदर्शन के माध्यम से किया गया। आउटलुक, अवेयर कंज्यूमर तथा डाउन टू अर्थ पत्रिकाओं में खाद्य पौष्टिकीकरण से संबंधित लेख प्रकाशित करवाए गए। 'द ग्रांड ट्रंक रसोई' शो में जी जेस्टि चैनल पर शेफ हरपाल सिंह सोखी द्वारा पौष्टिकीकृत खाद्य के उपयोग और उनके लाभ बताते हुए एक शोकेस आयोजित किया गया।
- राज्य-संचालित किरयाना की दुकानों को पौष्टिकीकृत खाद्य रखने तथा उपभोक्ताओं को इसके लाभों के प्रति संवेदी बनाने के लिए प्रवृत्त करने के प्रयास किए गए। नैफेड और केंद्रीय भंडार की 15 दुकानों पर उपभोक्ता जागरूकता के लिए एक-एक एम्बेसडर तैनात किया गया। दुहरे पौष्टिकीकृत लवण तथा पौष्टिकीकृत चावल के संबंध में प्रसार के लिए रेडियो स्पोर्ट बनाए गए तथा उन्हें दिल्ली एनसीआर में प्रमुख रेडियो नेटवर्कों के माध्यम से प्रसारित कराया गया।
- लोगों को पौष्टिकीकृत खाद्य की महत्ता के प्रति संवेदी बनाने, मिथकों के निराकरण तथा सुलभता में सुधार के लिए पाकविधि का डेमो दिया गया।

- सिंगरौली, मध्य प्रदेश में चावल के पौष्टिकीकरण के पायलट प्रोग्राम के प्रमोचन के दौरान, जो लगभग 15 लाख एनएफएसए लाभभोगियों तक पहुँचेगा, पौष्टिकीकृत चावल से पुलाव और खीर बनाने का डेमो दिया गया तथा उसका वितरण किया गया।
- राज्यों को प्रसार तथा प्रिंट, सोशल मीडिया और मास मीडिया में उपयोग के लिए खाद्य पौष्टिकीकरण संबंधी संचार सामग्री प्रेषित की गई।
- एफ.एस.एस.ए.आई ने खाद्य पौष्टिकीकरण को जन जागरूकता के प्रयोजन से 75 शहरों में आयोजित किए जा रहे ईट राइट मेला से जोड़ दिया है।
- कार्पोरेट संस्थाओं (महिंद्रा) और धार्मिक स्थलों (वैष्णोदेवी मंदिर बोर्ड तथा तमिलनाडु सरकारी मंदिर) को अपने खाद्यों की तैयारी में पौष्टिकीकृत वस्तुओं का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

8.4 सूचना, शिक्षा और संप्रेषण – ईट राइट को बढ़ावा देना

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को देश में सुरक्षित और स्वास्थ्यकर खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित कराने तथा जनता, उपभोक्ताओं, रुचि रखने वाली पार्टियों तथा सभी स्तरों की पंचायतों को उपयुक्त रीतियों और तरीकों से तीव्र, भरोसेमंद, उद्देश्यपरक और विशद सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के कदम उठाने का अधिदेश है। वर्ष के दौरान हितधारकों को सुरक्षित खाद्य तथा स्वास्थ्यकर आहारों के बारे में शिक्षित करने के प्रयोजन से विभिन्न आईईसी गतिविधियाँ की गईं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक तथा सोशल मीडिया सहित ऑनलाइन विधियों तथा समारोहों/प्रदर्शनियों सहित ऑफलाइन विधियों का प्रयोग करके संप्रेषण के विभिन्न चैनलों के माध्यम से विभिन्न लक्ष्य समूहों तक सूचना पहुँचाई गई, जिसका विवरण आगे दिया गया है।

8.5 खाद्य सुरक्षा और पोषण (नेटप्रोफेन)

8.5.1 नेटप्रोफेन खाद्य सुरक्षा और पोषण के क्षेत्र में कार्यरत पेशेवरों का नेटवर्क है। वर्तमान में निम्नलिखित आठ संघों के सदस्य इस नेटवर्क के अंग हैं –

- इंडियन डाइटेटिक एसोशिएशन (आई.डी.ए)
- न्यूट्रिशन सोसायटी ऑफ इंडिया (एन.एस.आई)
- इंडियन मेडिकल एसोशिएशन (आई.एम.ए)
- एसोशिएशन ऑफ फूड टेक्नोलॉजिस्ट्स एंड साइंटिस्ट्स (ए.एफ.एस.टी.आई)
- इंडियन फेडरेशन ऑफ कुलिनरी एसोशिएसंस (आई.एफ.सी.ए)
- एसोशिएशन ऑफ एनालाइटिकल केमिस्ट्स, इंडिया चैप्टर (एओएसी)
- इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोशिएशन (आई.पी.एच.ए)
- आई.ए.पी.ई.एन इंडिया एसोशिएशन

8.5.2 2021–22 के दौरान ईट राइट इंडिया के बारे में अनेक गतिविधियाँ की गईं। पिछली अवधि के दौरान केरल में 2 नए चैप्टर शुरू किए गए थे तथा वर्तमान में 18 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में 32

सिटी चैप्टर काम कर रहे हैं।

- 8.5.3** सभी नागरिकों के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्यकर आहार सुनिश्चित कराने के लिए आई.एम.ए स्टैंडिंग कमेटी तथा विभिन्न राज्य स्कंधों के मास्टर प्रशिक्षकों के लिए एक ऑफलाइन मास्टर प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। प्रशिक्षण में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006, खाद्य सुरक्षा आपात कार्यवाही प्रणाली, ईट राइट इंडिया की विभिन्न पहलों यथा ईट राइट कैपस, फोस्टैक, ईट राइट टूलकिट, तथा पौष्टिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया। क्योंकि डॉक्टरी पेशा आम लोगों से दैनंदिन आधार पर जुड़ा होता है तथा उसे लोगों की खान-पान की आदतों और संबंधित समस्याओं की बेहतर समझ है, सुरक्षित, स्वास्थ्यकर और सही आहारों के बारे में चर्चा समयोचित है।
- 8.5.4** आई.एफ.सी.ए के सहयोग से संघ के सदस्यों को ईट राइट इंडिया अभियान (ईआरआई) के प्रति संवेदी बनाने तथा ईआरआई की पहलों में और तेजी लाने में उनकी भूमिका के बारे में एक संवेदीकरण वेबिनार आयोजित किया गया।

8.6 ईट राइट इंडिया को बढ़ावा देने में आने वाली चुनौतियाँ/प्रतिस्पर्धाएँ

2021-22 के दौरान एफ.एस.एस.ए.आई ने उपभोक्ता जागरूकता के लिए कई ऑनलाइन चुनौतियाँ/प्रतिस्पर्धाएँ आयोजित की, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

8.6.1 ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज, 2021

एफ.एस.एस.ए.आई ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के अधीन स्मार्ट सिटीज मिशन के सहयोग से ईट राइट स्मार्ट सिटीज चैलेंज 15 अप्रैल, 2021 को शुरू किया, जिसका ध्येय शहरीस्तर पर ईट राइट इंडिया में तेजी लाना है। इस चुनौती को भारत के स्मार्ट शहरों द्वारा ईट राइट इंडिया के तहत विभिन्न पहलों के अंगीकरण और उनमें तेजी लाने के लिए उनके प्रयासों को मान्यता देने के रूप में तैयार किया गया है जिसमें खाद्य सुरक्षा और विनियमात्मक पर्यावरण को सशक्त बनाना, उपभोक्ताओं के मध्य जागरूकता उत्पन्न करना तथा उन्हें खाद्य की बेहतर पसंद करने के लिए प्रेरित करना शामिल है। इस चुनौती में 109 स्मार्ट शहरों ने हिस्सा लिया। शीर्ष 11 शहरों की घोषणा की गई और अब ये शहर चुनौती के अगले चरण में प्रवेश कर गए हैं, जिसमें पायलट चरण में आरंभ की गई परियोजनाओं में संधारणीय रीति से तेजी लाई जाएगी।

8.6.2 ईट राइट रिसर्च अवार्ड और अनुदान, 2021

एफ.एस.एस.ए.आई ने ईट राइट रिसर्च अवार्ड और अनुदान की शुरुआत 2 अक्टूबर, 2021 को खाद्य विनिर्मितियों और/अथवा प्रौद्योगिकियों (परिभाषित मानकों के अनुसार) को अद्यतन अथवा उन्नयन करने; उपभोक्ता जागरूकता तथा अधिक किस्म के सुरक्षित और स्वास्थ्यकर खाद्य की उपलब्धता के क्षेत्र में उच्च गुणता वाले अनुसंधान को प्रोत्साहित करने और मान्यता देने के लिए विभिन्न शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थाओं के साथ व्यापक सहयोग करने के प्रयोजन से की। प्राप्त कुल प्रविष्टियों की संख्या इस प्रकार है: अनुसंधान अवार्ड – 115; अनुसंधान संस्थागत अवार्ड-22; अनुदान-150, अवार्ड और अनुदान दोनों की प्रविष्टियों का आकलन प्रक्रियाधीन है तथा प्रत्येक श्रेणी के विजेताओं की घोषणा शीघ्र की जाएगी।

8.6.3 'प्रत्येक घ्रास में प्राकृतिक स्वाद' रेसिपी प्रतियोगिता

लोगों द्वारा शर्करा अथवा कृत्रिम मीठाकारकों के उपयोग के बिना तैयार की गई नवीन और स्वास्थ्यकर डेजर्ट रेसिपियाँ साझा करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए विश्व खाद्य दिवस, 2021 के अवसर पर एक स्वास्थ्यकर डेजर्ट रेसिपी प्रतियोगिता आरंभ की गई। यह चुनौती 28 अक्टूबर, 2021 से 30 नवंबर, 2021 तक आयोजित की गई और छात्रों, पेशेवरों तथा कुकिंग उत्साहियों से 304 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई। इनमें से 125 प्रविष्टियों को चुनकर उनकी एक ई-बुक बनाई गई।

8.6.4 इंडी-जीनियस फूड चैलेंज

मोटे अनाज को बढ़ावा देने के प्रयोजन से भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 'इंडी-जीनियस फूड चैलेंज' नाम से एक स्वास्थ्यकर रेसिपी प्रतियोगिता आरंभ की गई। इस चुनौती से न केवल लोग देशी मोटे अनाज के लाभों के प्रति संवेदी बने, बल्कि उन्हें नवीन ढंग से प्रयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित हुए। 75 सर्वोत्तम प्रविष्टियों को चुना गया।

8.6.5 तड़के बिना जायका

यह प्रतियोगिता लोगों को वसा के प्रयोग के बिना पारंपरिक भारतीय रेसिपी तैयार करने और साझा करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु दिनांक 17 फरवरी, 2022 को आरंभ की गई। कुल 140 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई, जिनका आकलन किया जा रहा है और परिणाम शीघ्र घोषित किए जाएंगे।



आकृति 14—चुनौतियों/प्रतियोगिताओं की शुरुआत

8.7 प्रदर्शनी/समारोह/व्यापार शो

- 8.7.1** विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 2021—वर्ष 2021 के विषय “स्वस्थ कल के लिए आज सुरक्षित खाद्य का सेवन” के अनुरूप विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस दिनांक 7 जून, 2021 को वर्चुली मनाया गया। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि खाद्य सुरक्षा सरकार, खाद्य कारोबार और उपभोक्ताओं की एक साझा जिम्मेदारी है तथा हमारे द्वारा सेवित खाद्य को सुरक्षित बनाए रखने में हरेक की भूमिका है। इस अवसर पर स्कूली बच्चों के लिए दूसरी ईट राइट रचनात्मकता चुनौती के दूसरे चरण के विजेताओं के परिणाम घोषित किए गए। एक रेपिड विश्लेषणात्मक परीक्षण किट ‘प्रीसिजन आयोडीन वैल्यू एनालाइजर (पीआईवीए)’ को भी मान्यता दी गई।
- 8.7.2** भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, 2021—एफ.एस.एस.ए.आई ने भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) द्वारा प्रगति मैदान, नई दिल्ली में दिनांक 14 नवंबर से 27 नवंबर, 2021 तक आयोजित भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, 2021 में भाग लिया, जिस दौरान इसने देश में खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराने की दृष्टि से विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों यथा खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली (फॉस्कोस), खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन (फोस्टैक), खाद्य परीक्षण और अन्य कार्यक्रमों का डेमो किया।



आकृति 15—भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, 2021 में एफ.एस.एस.ए.आई स्टॉल की झलक

8.7.3 एफ.एस.एस.ए.आई में माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का दौरा

दिनांक 20 सितंबर, 2021 को एफ.एस.एस.ए.आई के दौरे के दौरान डॉ. मनसुख मांडविया, माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने देश में खाद्य सुरक्षा पारितंत्र की पूर्ति के लिए 19 चल खाद्य परीक्षण वैन (चल खाद्य सुरक्षा) रवाना कीं। उन्होंने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 के विजेताओं को उनके प्रभावी कार्य के लिए प्रमाण-पत्र भी दिए। माननीय मंत्री ने इस अवसर पर कई पुस्तकों का अनावरण किया, जिनमें रेसिपी रविवार बुक, प्लांट प्रोटीन ब्रेकफास्ट रेसिपी बुक, घर की रसोई, इंडी-जीनियस रेसिपी बुक और खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता एवं खाद्य वस्तुओं में संदूषण में कमी करने संबंधी रीति संहिताओं का संकलन है। ये पुस्तकें यह सुनिश्चित करने के प्रयोजन से तैयार की गई हैं कि देश के लोग शरीर के सुचारु रूप से काम करते रहने के लिए स्वास्थ्यकर खान-पान, संतुलित भोजन की अवधारणा तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों की भूमिका को समझें।



आकृति 16—माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का एफ.एस.एस.ए.आई दौरा

8.7.4 एफ.एस.एस.ए.आई में माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री का दौरा

दिनांक 25 नवंबर, 2021 को एफ.एस.एस.ए.आई के दौरे के दौरान डॉ. भारती प्रविण पवार, माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने देश में खाद्य सुरक्षा पारितंत्र की पूर्ति के लिए 12 चल खाद्य परीक्षण वैन (चल खाद्य सुरक्षा) रवाना कीं। उन्होंने एफ.एस.एस.ए.आई की विभिन्न गतिविधियों और पहलों की समीक्षा भी की।



आकृति 17—माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री चल खाद्य सुरक्षा रवाना करती हुई

8.7.5 मेगा एक्सपो और विज्ञान पुस्तक मेला, 2022

एफ.एस.एस.आई ने जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम मैदान, नई दिल्ली में दिनांक 22–28 फरवरी, 2022 तक आयोजित मेगा एक्सपो और विज्ञान पुस्तक मेले में भाग लिया, जिस दौरान इसने आगंतुकों को खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली (फॉस्कोस), खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन (फोस्टैक) तथा ईट राइट इंडिया की अन्य पहलों का डेमो दिखाया गया।



आकृति 18—जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम मैदान, नई दिल्ली में आयोजित मेगाएक्सपो और विज्ञान पुस्तक मेला, 2022 के कुछ दृश्य

8.8 जागरूकता और संपर्क

8.8.1 स्वास्थ्य और तंदरुस्ती केंद्रों के लिए पोस्टर

ईट राइट इंडिया के तत्वाधान में 1,50,000 'हेल्थ व वेलनेस' केंद्रों (एच.डब्ल्यू.सी) में लगाने के लिए सुरक्षित खाद्य रीतियों और स्वास्थ्यकर आहारों के बारे में संदेशों के पोस्टर तैयार किए गए। ये पोस्टर एच.डब्ल्यू.सी में लक्षित आगंतुकों को ध्यान में रखते हुए जमीनी स्तर पर संपर्क के लिए तैयार किए गए।

8.8.2 ईट राइट मेला और वॉकेथोन

देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर 'आजादी का अमृत महोत्सव' मनाने के लिए एफ.एस. एस.ए.आई देश के 75 शहरों में 'ईट राइट मेला और ईट राइट वॉकेथोन' आयोजित कर रही है। इन समारोहों का उद्देश्य सुरक्षित, स्वास्थ्यकर और सही आहार के संदेश का प्रचार करना है। इसके अंतर्गत अनुकूलतम स्वास्थ्य और पोषण के लिए मोटे अनाज (millets) को पोषक अनाज के रूप में, तथा स्थानीय और मौसमी उत्पादों एवं विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्यकर तेलों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है। यह समारोह अगस्त, 2021 में आरंभ हुआ तथा वर्ष के दौरान ऐसे 24 आयोजन किए गए।



आकृति 19—ईट राइट मेला और वॉकेथोन के कुछ दृश्य

8.8.3 सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क

एफ.एस.एस.ए.आई ने खाद्य सुरक्षा और खान-पान की स्वस्थ आदतों पर परामर्शों सहित जन जागरूकता सामग्रियों तथा अन्य नियमित अपडेटों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों यथा फेसबुक,

इन्स्टाग्राम और ट्विटर का व्यापक रूप से प्रयोग किया। नागरिकों के लिए दैनंदिन पोस्टों के अतिरिक्त इंडीजीनियस फूड चैलेंज की मोटे अनाज-आधारित रेसिपियों, रेसिपी रविवार, प्रोटीन के लाभों, मानसून के दौरान सही खान-पान, स्वस्थ जीवन जीने के तरीके, लेश तत्वों और खनिजों इत्यादि के बारे में एक विशेष ऑनलाइन सीरीज आयोजित की गई।

8.8.4 दूरदर्शन/रेडियो के माध्यम से जागरूकता

ईट राइट इंडिया संबंधी तथा खाद्य कारोबारों के लाइसेंसिंग/पंजीकरण के संबंधी अन्य आवश्यक अपेक्षाओं के बारे में डीडी न्यूज, डीडी किसान और डीडी क्षेत्रीय केंद्रों पर विभिन्न स्करोल मैसेजों का प्रसारण कराया गया। आम जनता तथा समाज के विभिन्न वर्गों को ईट राइट इंडिया के बारे में संवेदी बनाने के लिए आल इंडिया रेडियो पर हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में संदेशों का प्रसारण कराया जा रहा है।

8.8.5 अन्य जागरूकता अभियान

8.8.5.1 उपभोक्ता जागरूकता उत्पन्न करने के लिए आई.आर.सी.टी.सी पर ईट राइट इंडिया के बारे में एक अभियान चलाया जा रहा है। आई.आर.सी.टी.सी की वेबसाइट और मोबाइल एप पर हिंदी और अंग्रेजी के बैनर संपूर्ण भारत आधार पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं।

8.8.5.2 खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा कनेक्ट एप्लीकेशन के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए लाइसेंसशुदा और पंजीकृत खाद्य कारोबारियों के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। इनसे संबंधित पाठ्य संदेश लगभग 40 लाख खाद्य कारोबारियों को भेजे गए।

8.8.5.3 विभिन्न ऑनलाइन पत्रिकाओं यथा इंडिया टुडे, न्यूफूड्स, स्पेक्ट्रम, और कंज्यूमर वॉयस इत्यादि में कुल 20 लेख प्रकाशित कराए गए।

8.9 संसाधन पुस्तकों और संप्रेषण सामग्रियों का विकास

8.9.1 वर्ष के दौरान 'आधारभूत खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने की मानक विशिष्टियाँ' और 'खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता पर रीति संहिता' नामक संसाधन सामग्रियाँ जारी की गईं। निम्न विवरणानुसार कई रेसिपी पुस्तिकाएँ भी जारी की गईं:

क. रेसिपी रविवार – रेसिपी रविवार पुस्तिका में शामिल रेसिपियाँ स्वास्थ्यकर, पोषक तथा विभिन्न परिवारों द्वारा आसानी से तैयार की जाने लायक हैं। ये रेसिपियाँ अक्टूबर, 2020 में आयोजित रेसिपी रविवार प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले विभिन्न व्यक्तियों द्वारा तैयार की गई थीं।

ख. घर की रसोई – स्वादिष्ट भी, स्वास्थ्यकर भी – एफ.एस.एस.ए.आई के 'ईट राइट कैम्पस' बनने के प्रयासों के अंग के रूप में कार्यालय में कार्यरत लोगों को खान-पान की स्वास्थ्यकर आदतें अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। 'घर की रसोई : स्वादिष्ट भी, स्वास्थ्यकर भी' नाम से दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 को एक स्वास्थ्यकर रेसिपी प्रतियोगिता आयोजित की गई। पुस्तिका में विजेता रेसिपियों का वर्णन है।

ग. इंडी-जीनियस रेसिपी बुक-इस पुस्तिका में भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्षों के उत्सव के अवसर पर आरम्भ की गई "इंडी-जीनियस फूड चैलेंज" नामक प्रतियोगिता की 75 विजेता रेसिपियाँ शामिल हैं। इस चुनौती से न केवल लोगों को देशी मोटे अनाजों और अन्य संघटकों

के लाभों के बारे में जानकारी मिली, बल्कि उनका नवीन ढंग से उपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहन मिला।

- घ. पादप प्रोटीन ब्रेकफास्ट रेसिपी पुस्तिका— इस पुस्तिका में प्रोटीन के पादप-आधारित स्रोतों से तैयार की गई रेसिपियाँ शामिल हैं। ये रेसिपियाँ पूर्व में आयोजित “पादप-प्रोटीन प्रचुर ब्रेकफास्ट रेसिपी प्रतियोगिता” के प्रतियोगियों द्वारा तैयार की गई थीं। इस पुस्तिका से उपयोगकर्ता को सूक्ष्म पोषक तत्वों तथा प्रोटीन के सुलभ स्रोतों की जानकारी मिलने में सहायता मिलेगी।

8.9.2 आम जनता की सुविधा के लिए इन ई-बुकों को वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया।



आकृति 20—सोशल मीडिया पोस्टों के कुछ चित्र

अध्याय-9

कोडेक्स

- 9.1** कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमिशन (सीएसी) संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की संयुक्त अंतर-सरकारी संस्था है, जिसके 189 सदस्य हैं (188 पदेन सदस्य देश और एक सदस्य संगठन (ई.यू))। कोडेक्स उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करने और व्यापार की उचित रीतियाँ सुनिश्चित करने हेतु सुमेलित अंतरराष्ट्रीय खाद्य मानक बनाने के लिए 1963 से कार्यरत है। भारत कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमिशन का 1964 से सदस्य है और अंतरराष्ट्रीय खाद्य मानक निर्धारण की प्रक्रिया में अपना योगदान देता रहा है। भारत कोडेक्स की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेता है और उन्हें आयोजित तथा सह-आयोजित करने में सहयोग करता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारण के समय भारत के मुद्दे भी ध्यान में रखे जाते हैं।
- 9.2** 2021-22 के दौरान एफ.एस.एस.ए.आई भारत के राष्ट्रीय कोडेक्स संपर्क बिंदु (एन.सी.सी.पी) के रूप में कार्य करती रही और इसने अंतरराष्ट्रीय मानकों के विकास में कोडेक्स के कार्य में सक्रिय रूप से भाग लिया, जो खाद्य उत्पादों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सुरक्षा और सही रीतियाँ सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमिशन की सहायक संस्थाओं की बैठकें वर्चुली हुईं।
- 9.3** जैसा कि नीचे सारणी-27 में दर्शाया गया है, भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न वर्चुल बैठकों में भाग लिया और भारत ने विशिष्ट प्रस्ताव रखे और/अथवा यह सुनिश्चित किया कि भारत के मुद्दों पर ध्यान दिया जाए।

सारणी 27-वर्ष 2021-22 के दौरान वर्चुली आयोजित कोडेक्स की बैठकें एवं उनमें भारत का योगदान

क्र. सं.	बैठक की तिथि(याँ)	बैठक का विषय/कोड	बैठक का परिणाम
1.	20.04.2021 से 29.04.2021	कोडेक्स मसाले और पाक जड़ी-बूटियाँ समिति का 5वाँ सत्र (सी.सी.एस.सी. एच.5)	➤ निम्न उल्लिखित नए कार्य प्रस्ताव अनुमोदित किए गए और इलेक्ट्रॉनी कार्यकारी दल गठित किए गए: • भारत की अध्यक्षता में छोटी इलायची का मानक मसौदा तैयार करना; और • भारत की सह-अध्यक्षता में हल्दी का मानक मसौदा तैयार करना। ➤ सूखे या निर्जलित अदरक, तुलसी, लौंग और मरुआ के मानकों का अंत्य अंगीकरण अनुशंसित किया।

क्र. सं.	बैठक की तिथि(याँ)	बैठक का विषय/कोड	बैठक का परिणाम
2.	03.05.2021 से 13.05.2021	खाद्य संदूषक कोडेक्स समिति का 14वाँ सत्र (सी.सी.एफ.14)	➤ भारत ने निम्नलिखित की अधिकतम सीमाएँ तय करने के लिए संशोधित प्रस्ताव तैयार करने हेतु ईडब्ल्यूजी की अध्यक्षता की: • 'तैयार खाद्य मूँगफली' में कुल एपलाटोक्सिन और संबंधित प्रतिचयन योजना; • मसालों में कुल एपलाटोक्सिन और ओक्राटोक्सिन 'ए'। ➤ भारत ने मकई दाने; मकई के आटे, दलिया, सूजी और फलेक; धान और पालिश किए हुए चावल; आगे प्रसंस्करण के लिए ज्वार तथा शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए धान्य-आधारित खाद्य में कुल एपलाटोक्सिन की अधिकतम सीमा तय करने का संशोधित प्रस्ताव तैयार करने व संबंधित प्रतिचयन योजना के लिए ईडब्ल्यूजी की ब्राजील के साथ सह-अध्यक्षता की। ➤ और अधिक डेटा प्रस्तुत करने संबंधी भारत की दखल के आधार पर उक्त पदार्थों में सीसे की प्रस्तावित अधिकतम सीमा का निर्धारण स्थगित कर दिया गया।
3.	17.05.2021 से 25.05.2021	कोडेक्स विश्लेषण और प्रतिचयन पद्धति समिति का 41वाँ सत्र (सीसीएमएस 41)	"अनिश्चितता मापन के मार्गदर्शी सिद्धांतों" के अंतिमित अंगीकरण के लिए अनुशंसा की गई।
4.	31.05.2021 से 08.06.2021	कोडेक्स खाद्य आयात और निर्यात निरीक्षण और प्रमाणन प्रणाली समिति का 25वाँ सत्र (सीसीएफआईसीएस 25)	➤ भारत ने "आयातित खाद्य के रद्द होने पर अपील प्रणाली मार्गदर्शन" तैयार करने संबंधी नए कार्य का प्रस्ताव रखा, जिस पर समिति ने सहमति व्यक्त की; ➤ "इलेक्ट्रॉनी प्रमाण-पत्रों के कागजरहित उपयोग संबंधी मार्गदर्शन", जिसमें सक्षम प्राधिकरणों के मध्य सरकारी प्रमाण-पत्रों के अंतरराष्ट्रीय कागजरहित आदान-प्रदान के लिए समयोचित, और सतत मार्गदर्शन है; तथा "स्वैच्छिक तृतीय पार्टी आश्वासनों के आकलन और उपयोग संबंधी मार्गदर्शन (वीपीटीए) कार्यक्रम" अंत्य अंगीकरण के लिए अनुमोदित किए गए।

क्र. सं.	बैठक की तिथि(याँ)	बैठक का विषय/कोड	बैठक का परिणाम
5.	12.07.2021 से 27.07.2021	खाद्य पदार्थों में पशु औषध अवशिष्ट कोडेक्स समिति का 25वाँ सत्र (सीसीआरवीडीएफ25)	➤ डाइप्लुबेंजुरॉन (प्राकृतिक अनुपात में समान—मांसपेशी और त्वचा); हैल्किनॉल (सूअर की मांसपेशी, त्वचा और वसा, लिवर तथा किडनी); और आईवरमेक्टिन (भेड़, सूअर और बकरी—वसा, किडनी, लिवर और मांसपेशी) के लिए अधिकतम अवशिष्ट सीमाओं का अंत्य अंगीकरण के लिए अनुशंसा की गई। ➤ भारत/फिलिपाइन्स ने झींगे की मांसपेशी में एथॉक्सीक्वीन (आहार सहयोज्य उपयोग) के लिए अधिकतम अवशिष्ट सीमा तय करने का प्रस्ताव रखा। भारत ने एथॉक्सीक्वीन को अवशिष्टों की पशु औषधियों की प्राथमिकता सूची में रखने का अनुरोध किया। डेटा प्राप्त किया जा रहा है।
6.	26.07.2021 से 03.08.2021	कोडेक्स कीटनाशक अवशिष्ट समिति का 52वाँ सत्र (सीसीपीआर52)	इस बात पर सहमति व्यक्त) की गई कि – - भारत अतिकालिक भंडारण के दौरान बहु-श्रेणी पेस्टीसाइडों की प्रमाणित संदर्भ सामग्री की शुद्धता और स्थिरता की मॉनिटरिंग पर चर्चा प्रलेख का और आगे विकास करने के लिए स्थापित ईडब्ल्यूजी की अध्यक्षता करे। - भारत 'जन स्वास्थ्य के कम चिंता वाले यौगिकों पर मार्गदर्शन' के बारे में पुनः गठित ईडब्ल्यूजी की सह-अध्यक्षता करे, जिन्हें सीएक्सएल निर्धारण से छूट दी जा सकती है अथवा जिनसे अवशिष्ट उत्पन्न नहीं होते हैं - भारत 'पेस्टीसाइड अवशिष्टों की पहचान, पुष्टि और परिमाण-निर्धारण (सीएक्सजी-56-2005) के लिए मास वर्णक्रममापन के उपयोग संबंधी मार्गदर्शनों में तथा खाद्य और चारे में पेस्टीसाइड अवशिष्टों की कार्यकारिता संबंधी मानदंडों पर मार्गदर्शनों में मास वर्णक्रममापन संबंधी उपबंधों की समीक्षा' पर पुनः गठित ईडब्ल्यूजी की सह-अध्यक्षता करे। - भारत 'सावधिक पुनरीक्षा के लिए निश्चित जन स्वास्थ्य चिंतारहित असमर्थित यौगिकों का प्रबंधन' पर स्थापित ईडब्ल्यू की सह-अध्यक्षता करे।

क्र. सं.	बैठक की तिथि(याँ)	बैठक का विषय/कोड	बैठक का परिणाम
7.	01.09.2021 से 10.09.2021	कोडेक्स खाद्य सहयोज्य समिति का 52वाँ सत्र (सीसीएफए52)	➤ सीसीएफए 52 के दौरान भारत की टिप्पणियों के आधार पर सूखी जड़ों, प्रकंदों और गाँठ-शुष्क अथवा निर्जलित अदरक के मानक मसौदे के खंड 4 'खाद्य सहयोज्य' में – कैल्सियम ऑक्साइड (आईएनएस 529) के प्रसंस्करण सहायक सामग्री के रूप में तथा सल्फर डाऑक्साइड (आईएनएस 220) के खाद्य सहयोज्य के रूप में उपबंध का अनुमोदन किया गया। ➤ कोडेक्स खाद्य सहयोज्य समिति ने कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमिशन द्वारा विचार के लिए अपनी उस अंतिमित रिपोर्ट का अंगीकरण किया, जिसमें की गई अनुशंसाओं के बारे में सर्वसम्मति की पुष्टि की गई तथा जिसमें कोडेक्स स्टेप प्रक्रिया में पहले ही शामिल 500 से अधिक खाद्य सहयोज्य हैं तथा 90 प्रस्तावित उपबंध हैं।
8.	20.09.2021 से 25.10.2021	कोडेक्स मछली और मत्स्य उत्पाद समिति का 35वाँ सत्र (सीसीएफएफपी35)	भारत ने "डिब्बाबंद सार्डाइन और सार्डाइन-किस्म के उत्पादों के मानकों में प्रस्तावित संशोधन" संबंधी एजेंडा की मद का समर्थन किया और उसमें योगदान दिया।
9.	27.09.2021 से 07.10.2021	कोडेक्स खाद्य लेबलिंग समिति (सीसीएफएल46) का 46वाँ सत्र	➤ भारत की अध्यक्षता में गैर-खुदरा धारकों की लेबलिंग के सामान्य मानक के साथ-साथ प्रक्रिया मैनुअल में परिणामी संशोधन अंतिम अंगीकरण के लिए अनुशंसित किए गए। ➤ सीसीएफएल 46 ने भारत की सह अध्यक्षता में प्रस्तावित 'इंटरनेट बिक्री/ई-कॉमर्स पर मसौदा मार्गदर्शन' तैयार करने के लिए ईडब्ल्यूजी पुनः गठित किया।
10.	04.10.2021 से 16.10.2021	सूक्ष्म जीवी प्रतिरोध पर कोडेक्स अंतरसरकारी तदर्थ कार्य बल (टीएफएमआर8) का 8वाँ सत्र	भारत ने एजेंडा की निम्नलिखित मदों का समर्थन किया और उनमें योगदान दिया : • खाद्यजनित सूक्ष्मजीवी प्रतिरोध कम करने और रोकने की पुनरीक्षित रीति संहिता (सीएक्स61-2005) • खाद्यजनित सूक्ष्मजीवी प्रतिरोध की समेकित मौनिटरी और निगरानी के मार्गदर्शी सिद्धांत।

क्र. सं.	बैठक की तिथि(याँ)	बैठक का विषय/कोड	बैठक का परिणाम
11.	18.10.2021 से 26.10.2021	कोडेक्स वसा और तेल समिति का 27वाँ सत्र (सीसीएफओ27)	➤ भारत ने कोडेक्स के मौजूदा नामोद्दिष्ट वनस्पति तेल के मानक में महुआ तेल के मानक को और अधिक विस्तारित करने का नया कार्य प्रस्ताव दिया। ➤ भारत ने ई.यू. मिश्र, सउदी अरब, यूगांडा, यू.एस.ए और डब्ल्यू.एच.ओ के साथ मिलकर ट्रांस फैटी अम्ल (टीएफए) कम करने अथवा पीएचओ समाप्त करने के लिए सीसीएफओ द्वारा हाथ में लिए जा सकने वाले संभावी कार्य के निपटान के लिए चर्चा प्रलेख तैयार करने में कनाडा की सहायता करने पर सहमति दी।
12.	28.10.2021 से 05.11.2021	कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमिशन की कार्यकारी समिति का 81वाँ सत्र (सीसीएकजीक्यू81)	कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमिशन की कार्यकारी समिति (सीसीएकजीक्यू81) के 81वें सत्र में जापान के सलाहकार के रूप में भारत ने कोडेक्स प्रसंस्कृत फल और सब्जी समिति के स्थगन, सीसीएससीएच की बैठकों की आवृत्ति, निर्जल अदरक में कैल्सियम ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के प्रयोग संबंधी मुद्दे हाथ में लिए।
13.	08.11.2021 से 14.12.2021	कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमिशन का 44वाँ सत्र (सीएसी44)	➤ नए कार्य के रूप में अनुमोदित— भारत की अध्यक्षता में छोटी इलायची के मानक का निर्धारण और भारत की सह-अध्यक्षता में हल्दी के मानक का निर्धारण। ➤ शुष्क अथवा शुष्कित अदरक, तुलसी, लोंग और मरुआ के मानकों का अंगीकरण किया। ➤ अनिश्चितता मापन संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों का अंगीकरण किया। ➤ इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण-पत्रों के कागजरहित उपयोग पर मार्गदर्शन तथा स्वैच्छिक तृतीय पार्टी आश्वासन (वीटीपीए) कार्यक्रमों के आकलन और प्रयोग संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों का अंगीकरण किया। ➤ खाद्य के गैर-खुदरा धारकों की लेबलिंग के सामान्य मानक; तथा प्रक्रिया मानक में परिणामी संशोधन का अंगीकरण किया।

क्र. सं.	बैठक की तिथि(याँ)	बैठक का विषय/कोड	बैठक का परिणाम
14.	19.11.2021 से 01.12.2021	कोडेक्स पोषण और विशेष आहार विषय उपयोग के लिए खाद्य समिति का 42वाँ सत्र (सीसीएनएफएसडीयू42)	भारत ने एजेंडा की निम्नलिखित मदों का समर्थन किया और उनमें योगदान दिया : - बड़े शिशुओं के लिए अनुवर्ती फॉर्मूला और योजित पोषक तत्वों सहित छोटे बच्चों के लिए पेय/उत्पाद अथवा छोटे बच्चों के लिए पेय के प्रस्तावित संशोधित मानक का मसौदा - योजित पोषक तत्वों सहित छोटे बच्चों के लिए पेय/उत्पाद अथवा छोटे बच्चों के लिए पेय के लिए विषय-क्षेत्र, विवरण और लेबलिंग का मसौदा (चरण 7 पर)
15.	28.02.2022 से 09.03.2022	कोडेक्स खाद्य स्वच्छता समिति का 52वाँ सत्र (सीसीएफएच52)	भारत ने एजेंडा की निम्नलिखित मदों का समर्थन किया और उनमें योगदान दिया— - सीसीएफएच52 ने जैविक खाद्यजनित रोगों के प्रबंधन के मसौदा मार्गदर्शी सिद्धांतों को सीएसी45 को अग्रेषित करने की सहमति दी। - सीसीएफएच52 ने “क्रांतिक नियंत्रण बिंदू निर्धारण के उपाय” सीएसी45 को अंगीकरण के लिए अग्रेषित करने की सहमति दी।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

10.1 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अनुरूप खाद्य प्राधिकरण को अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग में सुधार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता प्रदान करने का अधिदेश है। खाद्य प्राधिकरण अंतरराष्ट्रीय सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा मानकों पर किए गए कार्य के समन्वयन और अंतरराष्ट्रीय तकनीकी मानकों और घरेलू खाद्य मानकों के बीच अनुरूपता को बढ़ावा देगी। इस अधिदेश के अनुरूप एफ.एस.एस.ए.आई अपने अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्रभाग के माध्यम से विदेशों तथा उनकी एजेंसियों के साथ नियमित रूप से संवादरत रहती है और खाद्य, स्वच्छता अपेक्षाओं इत्यादि संबंधी अंतरराष्ट्रीय रूप से बेंचमार्क मानकों के निर्धारण में सहायता करने के लिए खाद्य सुरक्षा और पोषण के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएँ खोजने तथा उत्तम वैश्विक रीतियों के क्रियान्वयन की दिशा में कार्य कर रही है। व्यापार को आसान बनाने संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा की जाती है। दूसरी ओर ऐसे संवादों से दूसरे देशों को एफ.एस.एस.ए.आई के अधिदेश को बेहतर ढंग से समझने में भी सहायता मिलती है। 2021-22 के दौरान की गई महत्वपूर्ण गतिविधियों का विवरण इस अध्याय में दिया गया है।

10.2 वर्ष के दौरान विभिन्न देशों के व्यापार कार्मिकों/राजदूतावासों के साथ व्यापार को आसान बनाने के संबंध में निम्नलिखित बैठकें/सत्र आयोजित किए गए:

- दिनांक 17 सितंबर, 2021 को जापान के राजदूतावास के साथ भारत में जापानी साके (चावल की मदिरा) के आयात के संबंध में वर्चुअल बैठक हुई।
- दिनांक 17 नवंबर, 2021 को आस्ट्रेलिया के राजदूतावास के अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई, जिसमें वार्षिक जीन-परिवर्तित संबंधी स्टेटमेंट और एमओयू के बारे में चर्चा की गई।
- दिनांक 19 जनवरी, 2022 को आस्ट्रिया के राजदूतावास के अधिकारियों के साथ भारत में जैविक उत्पादों के आयात के संबंध में एक वर्चुअल बैठक हुई।
- दिनांक 22 मार्च, 2022 को इटली के व्यापार आयुक्त डॉ. एलेसांद्रो लिबरेटोरी के साथ भारत में जैविक उत्पादों के आयात के संबंध में चर्चा हुई।
- दिनांक 29 मार्च, 2022 को अर्जेंटाइना के राजदूत के साथ व्यापार को सुगम बनाने के संबंध में एक बैठक हुई, जिसमें कृषि उत्पादों के जीएमओ प्रमाणन, विदेशी खाद्य उत्पादकों के पंजीकरण और निरीक्षण, उत्पाद अनुमोदन पर ध्यान केंद्रित किया गया।

10.3 विचाराधीन समझौते ज्ञापन

एफ.एस.एस.ए.आई ने अब तक विभिन्न देशों की समकक्ष एजेंसियों के साथ सहयोग के समझौते किए हैं, अर्थात्,—

- खाद्य, पर्यावरण और व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा की फ्रांसीसी एजेंसी;

- डैनिश वटरीनरी और खाद्य प्रशासन (डीवीएफए), डेनमार्क;
- यूरोपीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण (ईएफएसए), ईयू;
- नीदरलैंड्स खाद्य और उपभोक्ता उत्पाद सुरक्षा प्राधिकरण (एनवीडब्ल्यूए);
- खाद्य प्रौद्योगिकी और गुणता नियंत्रण विभाग (डीएफटीक्यूसी), नेपाल;
- ए.एस.ए.ई. पुर्तगाल;
- उपभोक्ता संरक्षा और खाद्य सुरक्षा संघीय कार्यालय (बीवीएल), तथा जोखिम आकलन संघीय संस्था (बीएफआर), जर्मनी;
- खाद्य सुरक्षा आयोग, जापान; उपभोक्ता मामले एजेंसी, जापान; स्वास्थ्य, श्रम और कल्याण मंत्रालय; और कृषि, वानिकी तथा मत्स्य पालन मंत्रालय, जापान; और
- प्राथमिक उद्योग मंत्रालय, न्यूजीलैंड।

वर्तमान में एफ.एस.एस.ए.आई निम्नलिखित संगठनों के साथ समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के संबंध में चर्चा कर रही है :

- यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नारदर्न आयरलैंड की केंद्रीय खाद्य प्राधिकरण।
- कृषि, जल और पर्यावरण विभाग (डीएडब्ल्यूई), आस्ट्रेलिया।
- खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में आस्ट्रेलिया के खाद्य नियामक
- भूटान कृषि और खाद्य विनियामक प्राधिकरण (बीएफआरए)।

10.4 महत्वपूर्ण चर्चाएँ/बैठकें

- दिनांक 21 अप्रैल, 2021 को सुश्री इनोशी शर्मा, कार्यकारी निदेशक ने यूएन फूड सिस्टम पर दूसरे वर्चुल सत्र में भाग लिया।
- दिनांक 7 और 8 जुलाई, 2021 को एफ.एस.एस.ए.आई के अधिकारियों ने इंटरनैशनल आर्गेनाइजेशन ऑफ वाइन एंड वाइन (ओआईवी) के एक्सपर्ट ग्रुप के क्रमशः वर्चुल कमिशन-III और कमिशन-IV के साथ बैठकों में भाग लिया।
- न्यूजीलैंड के साथ पहले हस्ताक्षरित सहयोग के समझौते ज्ञापन के तत्वाधान में सितंबर, 2021 में खाद्य सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक तकनीकी अंतर-सत्र बैठक हुई।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफ.एस.एस.ए.आई ने दिनांक 27-28 सितंबर, 2021 में निर्माण भवन, नई दिल्ली में आयोजित यूएस-इंडिया हेल्थ डायलॉग में हिस्सा लिया।
- दिनांक 4 से 7 अक्टूबर, 2021 तक एफ.एस.एस.ए.आई तथा यूरोपीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण (ईएफएसए) के साथ डेटा संग्रहण और जोखिम आकलन क्षमता-निर्माण पर चर्चा हुई।
- दिनांक 18 नवंबर, 2021 को एफ.एस.एस.ए.आई और यू.एस.एफ.डी.ए. के अधिकारियों के मध्य भारतीय झींगे की सीफूड सेपटी के बारे में भौतिक बैठक हुई।
- दिनांक 11 फरवरी, 2022 को एफ.एस.एस.ए.आई के अधिकारियों ने ई.यू. सेमिनार ऑफ फॉर्म 2 फोर्क और ग्रीन डील में भाग लिया।

10.5 प्रशिक्षण/कार्यशाला/सेमिनार

वर्ष के दौरान एफ.एस.एस.ए.आई के अधिकारियों ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सेमिनारों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं/कोर्सों में भाग लिया :

- एफ.एस.एस.ए.आई के अधिकारियों ने ओआईई (द वर्ल्ड: आर्गेनाइजेशन फॉर एनीमल हेल्थ) के सहयोग केंद्रों द्वारा दिनांक 31 मई से 11 जून, 2021 तक आयोजित खाद्य सुरक्षा वेबिनार और जोखिम विश्लेषण के वर्चुअल कोर्स में भाग लिया।
- एफ.एस.एस.ए.आई के अधिकारियों ने दिनांक 16 से 20 अगस्त, 2021 तक खाद्य सुरक्षा में जोखिम आकलन और जोखिम संप्रेषण पर आयोजित 9वें बीएफआर (द जर्मन फेडरल इंस्टीट्यूट फॉर रिस्क असेसमेंट) समर अकेडमी की वर्चुअल बैठक में भाग लिया।
- एफ.एस.एस.ए.आई के अधिकारियों ने दिनांक 23 नवंबर, 2021 को एएमआर नैशनल एक्शन प्लान पर नैशनल स्टैकहोल्डर्स वर्कशॉप में हिस्सा लिया।
- एफ.एस.एस.ए.आई के अधिकारियों ने फेडरल ऑफिस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड फूड सेफ्टी (बीवीएल) द्वारा प्रायोजित खाद्य सुरक्षा, खाद्य प्रामाणिकता और जोखिम पर प्रशिक्षण कोर्स में भाग लिया।
- एफ.एस.एस.ए.आई के अधिकारियों ने दिनांक 24 फरवरी, 2022 को ई.एफ.एस.ए (यूरोपीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण): स्पिडो (साइंस स्टडीज एंड प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफिस) द्वारा आयोजित पशु कल्याण परामर्श बैठक/एक्सपोजर साइंस पर ऑनलाइन वर्कशाप में भी हिस्सा लिया।
- एफ.एस.एस.ए.आई के अधिकारियों ने मार्च-अप्रैल, 2022 में यूके-इंडिया ईओडीबी वर्कशॉप ऑन मार्किट सर्विलांस, रैपिड एलर्ट सिस्टम्स एंड रेग्युलेटरी इम्पैक्ट असेसमेंट (आरआईए) के 4 वर्चुअल सत्रों में भाग लिया।

अध्याय-11

एफ.एस.एस.ए.आई में डिजिटलाइजेशन, प्रौद्योगिकी का उपयोग और ई-शासन

11.1 एफ.एस.एस.ए.आई के आईटी प्रभाग की भूमिका और जिम्मेदारियाँ

भारत डिजिटल उपभोक्ताओं के सबसे बड़े और तेजी से बढ़ते जा रहे बाजारों में से एक है। भारत सरकार ने डिजिटल प्रगति के लिए अनेक पहल की हैं जिनमें विनियमों के यौक्तिकीकरण, अवसंरचना में सुधार, डिजिटल इंडिया की शुरुआत जो भारत की डिजिटल अर्थ-व्यवस्था को दुगुना करने की एक महत्वाकांक्षी पहल है, इत्यादि शामिल हैं। इससे सार्वजनिक संवाद में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है। डिजिटलाइजेशन लाने और उसे बढ़ावा देने की सरकार की दृढ़ इच्छा के अनुरूप एफ.एस.एस.ए.आई सहभागिताओं और अभिसरण के माध्यम से कार्य करते हुए कई प्रकार के सुधार करने, खाद्य सुरक्षा और पोषण को एक साथ लाने, तथा उपभोक्ता सशक्तीकरण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रही है। एफ.एस.एस.ए.आई का सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग विभिन्न हितधारकों को सभी प्रकार का आईसीटी सहयोग देने के लिए विविध प्रकार की अधिकांश अपेक्षाओं की पूर्ति की दिशा में और इसके सभी प्रभागों को अवसंरचनात्मक एवं हार्डवेयर सहयोग देने और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन/पोर्टल बनाने में सतत प्रयासरत है।

11.2 आईटी प्रभाग का मुख्य कार्य आईटी अवसंरचना का विकास करना, उसे नियोजित करना और उसके उचित प्रबंधन में सहयोग देना है, ताकि एफ.एस.एस.ए.आई के सभी प्रभागों के स्टॉफ, सहभागी संगठनों, खाद्य कारोबारों, उपभोक्ताओं तथा प्राधिकरण के अन्य हितधारकों के लिए वे आसानी से सुलभ हों। आईटी प्रभाग में लगभग 36 कार्मिक हैं, जिनमें विभिन्न स्तरों और कौशल के परियोजना कोऑर्डिनेटर, विषय विशेषज्ञ शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आईटी प्रभाग की मुख्य गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

11.3 एफ.एस.एस.ए.आई में आईटी अवसंरचना का सशक्तीकरण

11.3.1 आईटी अवसंरचना नई दिल्ली मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों सभी जगहों पर पर्याप्त रूप से सशक्त बनाई गई है।

11.3.2 एफ.एस.एस.ए.आई हाल ही में अपनी सभी वेबसाइटों को बीएसएनएल क्लाउड से सशक्त अवसंरचना के साथ टाटा क्लाउड पर ले आई है।

11.3.3 एनआईसी की 'मेघराज' राष्ट्रीय क्लाउड सेवा पर पहले ही होस्ट खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली (फॉस्कोस) पर उचित आपदा रिकवरी विशेषताओं सहित भरोसेमंद, लागत-प्रभावी और सशक्त अवसंरचना की सुविधा है।

11.3.4 एफ.एस.एस.ए.आई के मुख्यालय और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में वीडियो सम्मेलन की सुविधा है, जिसकी सहायता से उनका परस्पर एवं राज्य सरकारों के साथ आवश्यकतानुसार वीडियो सम्मेलन होता रहता है, जिससे सभी के मध्य बेहतर समन्वय होता है और दौरो की जरूरतें तथा लागत कम हुई हैं।

11.4 सिस्टम/सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन/पोर्टल

एफ.एस.एस.ए.आई में डिजिटलाइजेशन गतिविधि ने अपना ध्यान परिकल्पना से कृत्य में बदल लिया है, जिससे विभिन्न नए एप्लीकेशन पारितंत्र और नए डेटा पारितंत्र के सृजन में सहायता मिली है, जिनके परिणामस्वरूप इसके मॉडलों के अंगीकरण के लिए उपभोक्ताओं के लिए पारितंत्र के सृजन हेतु नए उत्पादों, सेवाओं, चैनलों और पोर्टलों का सृजन होगा। मुख्य डिजिटल पहलों में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, पोर्टल और माइक्रोसाइट का सृजन शामिल है—

- क. खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली (फॉस्कोस)
- ख. खाद्य आयात निर्मुक्ति प्रणाली (फिक्स)
- ग. इंडियन फूड लैबोरेटरीज नेटवर्क (इन्फोल्नेट)
- घ. खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन (फोस्टैक)
- ड. नियमित निरीक्षण और प्रतिचयन प्रणाली द्वारा खाद्य सुरक्षा अनुपालन (फॉस्कोरिस) एप
- च. ईट राइट इंडिया

उपर्युक्त मुख्य एप्लीकेशनों के रख-रखाव के अतिरिक्त वर्ष 2021-22 के दौरान निम्नलिखित पैराग्राफों में वर्णित अनेक अन्य कार्य भी आरंभ किए गए :

11.5 खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली (फॉस्कोस)

11.5.1 वर्ष 2011 से चालू खाद्य लाइसेंसिंग और पंजीकरण प्रणाली (एफएलआरएस) की जगह लेकर दिनांक 1 नवंबर, 2020 से अखिल भारतीय स्तर पर लागू की गई खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली (फॉस्कोस) ऑनलाइन लाइसेंसिंग प्लेटफॉर्मों से संबन्धित एक प्रमुख सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जिससे एफ.एस.एस.ए.आई की लाइसेंसिंग और पंजीकरण प्रणाली आसान बनी है। <https://fscos.fssai.gov.in/> पर उपलब्ध फॉस्कोस की शुरुआत सफलतापूर्वक की गई थी और वर्तमान में यह सुचारु रूप से कार्य कर रहा है। फॉस्कोस का सिस्टम ढाँचा अधुनातन प्रौद्योगिकी पर आधारित है। यह आसान, तीव्रतर और व्यापक है, जिस पर खाद्य कारोबारी लाइसेंस अथवा पंजीकरण आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें माइक्रोसर्विसेज का उपयोग किया गया है जिनसे यह कई स्वतंत्र सहयोगी संघटकों में बंट जाता है।

11.5.2 वर्ष 2021-22 के दौरान इस पोर्टल के प्रसंग में पूरे किए गए/विकास के अधीन कुछ महत्व विकास निम्नानुसार हैं :

- लाइसेंस और पंजीकरण आवेदन के साथ जीपीएस टैगिंग लाइव की गई।
- फॉस्कोस में इन्फोल्नेट नमूना परीक्षण जोड़ने का काम पूरा कर दिया गया है।
- फॉस्कोस तथा उपभोक्ता शिकायतों के सभी वेब पेज मोबाइल रिस्पॉन्सिव बना दिए गए हैं।
- फॉस्कोस में जोखिम-आधारित निरीक्षण लाइव किया गया है।
- एसएमएस सर्विस फेल होने पर वॉयस ओटीपी आरंभ किया गया है।

- फॉस्कोस के इंटीग्रेटिड डैशबोर्ड का विकास किया जा रहा है।
- फॉस्कोरिस तथा फूड सेप्टी कनेक्ट के लिए आईओएस एप बनाया जा रहा है।
- फॉस्कोस में आधार और पैन नम्बर का सत्यापन प्रक्रियाधीन है।

11.6 खाद्य आयात निर्मुक्ति प्रणाली (फिक्स)

11.6.1 खाद्य आयात निर्मुक्ति प्रणाली (फिक्स) भारत में आयातित खाद्य की निर्मुक्ति की प्रक्रिया के लिए एकीकृत वेब-आधारित प्रणाली है तथा यह सीमा शुल्क के आइसगेट से भी जुड़ी है। <https://fics.fssai.gov.in/> पर उपलब्ध फिक्स में खाद्य आयात चेतावनी प्रणाली (एफआईएस) का भी समावेश किया गया है, जिसकी सहायता से सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा खाद्य को पत्तन पर रद्द किया जा सकता है।

11.6.2 वर्ष 2021-22 के दौरान फिक्स के प्रसंग में कुछ महत्वपूर्ण कार्य निम्नानुसार हैं:

- नए फिक्स का विकास।
- आधारभूत खाद्य आयात निर्मुक्ति शुल्क का निर्धारण।
- विश्लेषिकी— खाद्य आयात निर्मुक्ति प्रणाली का डैशबोर्ड और रिपोर्टें।
- एनएफएल, कोलकाता में 80 प्रतिशत नमूनों के आबंटन का उपबंध।
- मुद्रा में कई प्राधिकृत अधिकारियों संबंधी उपबंध।
- जेएनपीटी में तकनीकी अधिकारी स्तर पर फेसलेस जाँच क्रियान्वित।

11.7 इंडियन फूड लैबोरेटरी नेटवर्क (इन्फोल्नेट)

11.7.1 खाद्य सुरक्षा किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक और स्वास्थ्य की प्राथमिकता होती है। इंडियन फूड लैबोरेटरी नेटवर्क (इन्फोल्नेट) किसी प्रकार के खाद्य नमूने का परीक्षण कार्य करने वाली सभी श्रेणियों की प्रयोगशालाओं को जोड़ने का एक आईटी समाधान है। इस प्रणाली (<https://infonet.fssai.gov.in>) से राज्यों को निगरानी गतिविधियों की आयोजना और क्रियान्वयन में सहायता मिलती है। नई विशेषताओं के साथ इन्फोल्नेट 2.0 शुरू किया गया है। इन्फोल्नेट पर सभी लॉग-इन पर नए विकल्पों का उपबंध है।

11.8 खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन (फोस्टैक) प्रशिक्षण पोर्टल

11.8.1 फोस्टैक जो <https://fostac.fssai.gov.in/fostac> पर उपलब्ध है, संपूर्ण खाद्य वैल्यू श्रृंखला के सभी खाद्य कारोबारियों (एफबीओ) के लिए खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन का पोर्टल है। प्रशिक्षण और प्रमाणन अब एफ.एस.एस.ए.आई का एक महत्वपूर्ण कार्य बन गया है। ऑनलाइन एसएनएफ संसाधनों के अतिरिक्त इसमें तीन प्रकार के प्रशिक्षण माड्यूल हैं अर्थात् आधारभूत, उन्नत और विशेष।

11.8.2 2021-22 के दौरान इस पोर्टल के संदर्भ में पूर्ण हुए कुछ महत्वपूर्ण कार्य निम्नानुसार हैं :

- फोस्टैक के नए पोर्टल का निर्माण।
- नए पोर्टल में क्षेत्रों के साथ नए कोर्सों की शुरुआत।
- एसएफवी और कोविड जागरूकता कोर्सों के अंतर्गत बहु-संख्या नामांकन का उपबंध।

11.9 खाद्य सुरक्षा मित्र (एफएसएम) योजना एफ.एस.एस.ए.आई के पंजीकरण/लाइसेंस के लिए आवेदन फाइल करने में खाद्य कारोबारियों की सहायता करने के लिए सहायकों का पारितंत्र तैयार करने की पहल है। एफएसएम को एक परीक्षा के बाद प्रमाणित किया जाता है। एफएसएम के पंजीकरण और उन्हें प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए एक नए एफएसएम पोर्टल <https://mitra.fssai.gov.in/mitra> की शुरुआत की गई है। दिनांक 1 दिसंबर, 2021 से ऑनलाइन परीक्षा भी आरंभ की गई है। एफएसएम पोर्टल पर एफएसएम प्रमाण-पत्र के नवीकरण का विकल्प भी है।

11.10 2021-22 के दौरान निम्नलिखित नए पोर्टल भी आरंभ किए गए:

- (i) चल खाद्य सुरक्षा— यह पोर्टल <https://infotrain.fssaigov.in/fsw/home> पर उपलब्ध है। इससे परीक्षण, प्रशिक्षण और जागरूकता उत्पन्न करने के संबंध में चल खाद्य सुरक्षा की कार्यकारिता मॉनिटरी तथा उसकी लाइव ट्रेकिंग में सहायता मिलती है।
- (ii) ईपास — <https://epaas.fssai.gov.in/login>। यह गैर-निर्दिष्ट खाद्य और खाद्य संघटकों के अनुमोदन के लिए इलेक्ट्रॉनी उत्पादन और दावा अनुमोदन एप्लीकेशन प्रणाली है।
- (iii) राज्य खाद्य परीक्षण लैबोरेटरी (एस.एफ.टी.एल) पोर्टल — तैयार किया जा रहा है।

11.11 सामाजिक संपर्क/डिजिटल कनेक्ट

11.11.1 पूर्व की भाँति अंत्य उपभोक्ता तक सीधी पहुँच बनाने के लिए कई नए संप्रेषण चैनल आरंभ किए गए। ये चैनल उपभोक्ता और एफ.एस.एस.ए.आई के मध्य सीधी कड़ी का काम करते हैं। अब एफ.एस.एस.ए.आई की सर्वाधिक प्रयुक्त चार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों — फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इन्स्टाग्राम पर पर्याप्त मौजूदगी है।

11.11.2 एफ.एस.एस.ए.आई का निशुल्क हेल्पलाइन डेस्क भी है और इसका हेल्पलाइन नम्बर कनेक्ट, माध्यमों से प्रसारित किया गया है। उपर्युक्त कई चैनलों से प्राप्त सभी शिकायतें/शंकाएँ वेब पोर्टल/मोबाइल एप फूड सेफ्टी कनेक्ट को स्वतः चली जाती हैं।

11.12 ईट राइट इंडिया अभियान

ईट राइट इंडिया अभियान का एक एकीकृत पोर्टल बनाया गया है, जिसका ध्येय समन्वित बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण के माध्यम से सुरक्षित खाद्य और स्वास्थ्यकर आहारों को बढ़ावा देकर लोगों का स्वास्थ्य और तंदरुस्ती सुनिश्चित करना है। ईट राइट इंडिया के सभी स्वतंत्र पोर्टल एफ.एस.एस.ए.आई के इस एकीकृत पोर्टल के तहत आ जाएँगे। ईट राइट पहल की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए गए नए कार्य निम्नानुसार हैं:

- ईट राइट चुनौती 2 पोर्टल की शुरुआत
- ईट राइट रिसर्च अवाडर्स और अनुदान पोर्टल की शुरुआत
- स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब पोर्टल का विकास।

11.13 एफ.एस.एस.ए.आई वेबसाइट

वेबसाइट डिजाइन के नवीनतम रुझानों को ध्यान में रखते हुए एफ.एस.एस.ए.आई की नए रूप वाली एकीकृत वेबसाइट का डिजाइन और विकास किया गया है। इसमें सूचना अधिक सुविधाजनक रूप में उपलब्ध है,

जिससे लोग इसमें जानकारी और डेटा आसानी से देख सकें। एफ.एस.एस.ए.आई के सभी एप और पहले इस एकीकृत वेबसाइट <https://fssai.gov.in> पर उपलब्ध हैं और आसानी से देखी जा सकती हैं।

11.14 आगे आने वाले कार्य

1. नई खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली (फॉस्कोस) में कुछ नई विशेषताएँ होंगी।
2. विभिन्न विशेषताओं के साथ आरंभ किए गए इन्फोलेट-2 में शीघ्र ही कुछ अन्य विशेषताएँ भी होंगी। हाथ के कार्यों में निगरानी पोर्टल और एल.आई.एम.एस से इन्फोलेट को जोड़ना भी शामिल है।
3. फॉस्कोस और फिक्स आधार के साथ जोड़े जाएँगे।

अध्याय-12

राजभाषा

- 12.1** भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अपने प्रारंभ से ही अपने सरकारी कार्य में हिंदी का प्रयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता को निभाने के लिए खाद्य प्राधिकरण द्वारा राजभाषा प्रभाग का गठन करके भारत सरकार की राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम, राजभाषा विभाग द्वारा जारी निर्देशों और वार्षिक कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
- 12.2** प्राधिकरण में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में किया गया है और इसकी बैठकें हर तिमाही नियमित रूप से की जाती हैं। इन बैठकों में अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी निर्देशों के अनुपालन की मॉनिटरिंग और इसके विभिन्न प्रभागों से प्राप्त तिमाही रिपोर्टों के आधार पर हिंदी के प्रयोग की समीक्षा की जाती है। प्राधिकरण के अधिकारी मंत्रालय तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में नियमित रूप से भाग लेते हैं।
- 12.3** प्राधिकरण में हिंदी जानने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को मूल रूप से हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हर तिमाही हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। 2021-22 के दौरान 4 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिनमें लगभग 65 अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। एक कार्यशाला में प्राधिकरण में नव-नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकारी कार्य हिंदी में करने का विशेष प्रशिक्षण दिया गया।
- 12.4** प्राधिकरण के रजिस्ट्रारों में प्रविष्टियाँ हिंदी में होती हैं। प्राधिकरण में सभी मुहरें, साइन बोर्ड, पत्र शीर्ष, नाम प्लेटें, विजिटिंग कार्ड आदि द्विभाषी हैं तथा इन्हें द्विभाषी बनाए रखने के लिए चेक-प्वाइंट्स बनाए गए हैं। प्राधिकरण से 'क' और 'ख' क्षेत्रों को जाने वाले लिफाफों पर पते हिंदी में लिखे जाते हैं। प्राधिकरण के सभी कंप्यूटरों में हिंदी में काम करने की सुविधा है। प्राधिकरण की अधिकांश वेबसाइट भी द्विभाषी है। प्राधिकरण की संपूर्ण प्रशिक्षण सामग्री द्विभाषी रूप में होने के साथ-साथ आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय भाषाओं में भी है। प्राधिकरण के सभी प्रोफॉर्म द्विभाषी हैं।
- 12.5** 2021-22 के दौरान प्राधिकरण ने हिंदी पुस्तकों पर पुस्तकों की खरीद पर कुल व्यय के 50 प्रतिशत व्यय के लक्ष्य के मुकाबले 99 प्रतिशत व्यय किया। प्राधिकरण में शब्दकोश और तकनीकी शब्दावलियाँ पर्याप्त मात्रा में खरीदकर अपने सभी प्रभागों को तथा पुस्तकालय में उपलब्ध कराई हैं। प्राधिकरण के सभी प्रभागाध्यक्षों और प्रभागों के लिए हिंदी का समाचार-पत्र मंगाया जाता है। इनके अतिरिक्त प्राधिकरण के पुस्तकालय में हिंदी की लगभग 15 पत्रिकाएँ तथा हिंदी का रोजगार समाचार-पत्र भी मंगाया जाता है। साथ ही प्राधिकरण ने 'हिंदी सहायिका' नाम से अपनी प्रभागीय हिंदी सहायिका भी प्रकाशित कराई है, जिसमें प्रभाग में प्रयुक्त होने वाले प्रोफॉर्म, शब्दावली, मानक मसौदे आदि शामिल हैं। प्राधिकरण द्वारा प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और होर्डिंगों में हिंदी भाषा का प्रयोग सरकारी नियमानुसार किया जाता है।
- 12.6** प्राधिकरण द्वारा नव-नियुक्तियों के समय भर्ती परीक्षाओं में प्रश्नों के उत्तर तथा साक्षात्कार और हिंदी में देने का विकल्प दिया जाता है। सभी सेवा पंजियों में प्रविष्टियाँ हिंदी में की जाती हैं।

- 12.7** प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी कार्य के प्रति प्रेरित करने के लिए हर वर्ष सितंबर माह में हिंदी पखवाड़ा भी नियमित रूप से मनाया जाता है। 2021-22 के दौरान यह पखवाड़ा 14 से 30 सितंबर, 2021 तक मनाया गया, जिसमें 5 हिंदी प्रतियोगिताएँ अर्थात् त्वरित हिंदी भाषण, हिंदी निबंध, हिंदी अनुवाद, हिंदी टिप्पणी और आलेखन तथा स्वरचित हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इनके अतिरिक्त प्रभागों के लिए भी वार्षिक हिंदी कार्य प्रभागीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में लगभग 90 अधिकारियों और कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। प्रत्येक प्रतियोगिता में 4000 रुपये का प्रथम पुरस्कार, 2500 रुपये का द्वितीय पुरस्कार, 1500 रुपये का तृतीय पुरस्कार और 750-750 रुपये के दो सांत्वना पुरस्कार दिए गए। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रशंसा-पत्र और नकद पुरस्कारों से सम्मानित करने के लिए 30 सितंबर, 2021 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अध्यक्षता में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया।
- 12.8** समीक्षागत वर्ष के दौरान प्राधिकरण के मुख्यालय में नव-नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के हिंदी भाषा, हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के ज्ञान संबंधी जानकारी भी इकट्ठी की गई।
- 12.9** प्राधिकरण में अक्टूबर-दिसंबर, 2021 तिमाही से “खाद्यांजलि” नामक हिंदी की 60 पृष्ठों की त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया गया। इस पत्रिका में प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के अतिरिक्त बाहर के प्रसिद्ध व्यक्तियों की प्रेरक, हिंदी भाषा, समसामयिक संदर्भों वाली और प्राधिकरण के विषयों से संबंधित रचनाएँ प्रकाशित की जाती हैं। साथ ही इसमें राजभाषा संबंधी निर्देशों-अनुदेशों का भी ज्ञान कराया जाता है। अपने प्रकाशन के थोड़े ही काल में इसने प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के दिल में जगह बना ली है और इससे उनमें हिंदी प्रयोग की अधिक ललक उत्पन्न हो रही है। परिणामस्वरूप प्राधिकरण में हर क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। समीक्षागत वर्ष के दौरान पत्रिका के दो अंक प्रकाशित किए गए।
- 12.10** 2021-22 के दौरान 60 विनियमों, वार्षिक रिपोर्ट, विभिन्न समितियों की रिपोर्टों के अलावा, मैनुअलों, प्रक्रिया साहित्य, सहायक साहित्य, धारा 3(3) के कागजात, बैठकों की कार्यसूचियों और कार्यवृत्तों, प्रेस नोटों, मानक मसौदों, परिपत्रों, ब्रोशरों, वेबसाइट सामग्री, आदेशों, दिशा-निर्देशों, पोस्टरों, विज्ञापनों, एटीएन, संदेशों आदि जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों के लगभग 4000 पृष्ठों का अनुवाद किया गया।
- 12.11** वर्ष के दौरान मंत्रालय और राजभाषा विभाग को हिंदी कार्यों की तिमाही रिपोर्टें नियमित रूप से भेजी गईं।
- 12.12** कुल मिलाकर प्राधिकरण ने अपने यहाँ राजभाषा कार्यान्वयन में तत्परता से कार्य करते हुए इसे नया आयाम दिया और अपने अधिकारियों तथा कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार से प्रेरित और प्रोत्साहित करना जारी रखा, जिनके परिणामस्वरूप हिंदी पत्राचार, हिंदी टिप्पण लेखन आदि में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। इस प्रकार प्राधिकरण हिंदी कार्य को बढ़ाने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है तथा भविष्य में यह इसे और अधिक बढ़ाने के लिए भी प्रयासशील है।

खाद्यांजलि

जनवरी-मार्च, 2022

ताजा सब्जियाँ और फल खाएँ



fssai

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

एफ.डी.ए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

विश्वास के प्रेरक, सुरक्षित और पोषक आहार के आश्वासक

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

आकृति 21-वर्ष 2021-22 के दौरान आरंभ की गई प्राधिकरण की त्रैमासिक हिंदी पत्रिका "खाद्यांजलि" के जनवरी-मार्च, 2022 अंक का कवर पेज

अध्याय-13

सूचना के अधिकार मामले

वर्ष 2021-2022 (01.04.2021-31.03.2022) का विवरण

1	अवधि के दौरान आरटीआई आवेदनों पर कार्रवाई का सारांश	अथ शेष	धारा 6(3) के अंतर्गत अन्य लोक प्राधिकरणों द्वारा अंतरित आवेदनों की संख्या	अवधि के दौरान प्राप्त आवेदन (अन्य लोक प्राधिकरणों को अंतरित आवेदनों सहित)	धारा 6(3) के अंतर्गत अन्य लोक प्राधिकरणों को अंतरित आवेदनों की संख्या	उन निर्णयों की संख्या, जिन द्वारा अनुरोध/ अपील को निरस्त किया गया	उन निर्णयों की संख्या, जिन द्वारा अनुरोध/ अपील को मान लिया गया	अंत शेष						
	अनुरोध	129	214	1386	163	42	1403	121						
	प्रथम अपील	42	—	148	—	5	122	63						
2	अनुशासनिक मामले		किसी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक मामले की संख्या				एक							
3	सीएपीआईओ/ सीपीआईओ /एए के रूप में अभिनामित कार्मिकों की संख्या		सीएपीआईओ की कुल संख्या		अभिनामित सीपीआईओ की कुल संख्या		अभिनामित अपील अधिकारियों की कुल संख्या							
			शून्य		24		24							
4	उन अवसरों की संख्या जब अनुरोध निरस्त करते समय विभिन्न उपबंधों का हवाला दिया गया आरटीआई अधिनियम, 2005 का संबंधित उपबंध													
	धारा 8(1)										धारा			
	क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ	9	11	24	अन्य
	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45
5	धारा 7(1) के तहत प्राप्त पंजीकरण शुल्क (रुपयों में)				धारा 7(3) के तहत प्राप्त अतिरिक्त शुल्क (रुपयों में)				धारा 20(1) के तहत सीआईसी के निर्देश के अनुसार वसूली गई दंड की राशि (रुपयों में)					
	रुपये 1910				रुपये 554				0					
6.	यदि लोक प्राधिकारी ने नागरिक द्वारा मांगी गई सूचना देने के लिए नियमों प्रक्रियाओं में कोई/विनियमों/ शून्य – (वर्णों में 500 अधिकतम) विवरण दें परिवर्तन किया हो तो उन परिवर्तनों का संक्षिप्त													
7.	ब्लॉक V (अनिवार्य घोषणा संबंधी विवरण)													
क	क्या धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत अनिवार्य घोषणा लोक प्राधिकरण की वेबसाइट पर डाली गई?				यदि 'क' का उत्तर 'नहीं' हो तो क्या घोषणा का अन्य कोई माध्यम है? यदि हाँ, तो विवरण दें।				यदि 'क' का उत्तर 'हाँ' है तो उस यूआरएल/वेब पेज का विवरण दें, जहाँ घोषणा डाली गई।					
	हाँ				लागू नहीं				https://www.fssai.gov.in/upload/uploadfiles/files/RTI-Information_Section_09_07_2021.pdf .					
ख	धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत अनिवार्य घोषणा को अपडेट करने की पिछली तिथि										09.07.2021			
ग	क्या अनिवार्य घोषणा को डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/6/20011–R, दिनांक 15.05.2013 के अनुसार तृतीय पार्टी द्वारा ऑडिट किया गया?										यदि 'ग' का उत्तर 'हां' हो तो उस यूआरएल/वेबपेज का विवरण दें, जहाँ ऑडिट रिपोर्ट पोस्ट की गई।			
	नहीं										—			



वित्तीय विवरणियाँ

वित्तीय वर्ष 2021–22

01–04–2021 से 31–03–2022

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

(खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण)

एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002



विषय-सूची

1.	तुलन पत्र	131
2.	आय-व्यय लेखा	132
3.	उपर्युक्त वित्तीय विवरणियों की अनूसूचियां	133
4.	प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	150
5.	महत्वपूर्ण लेखाकन नीतियां लेखों पर टिप्पणियां	152
6.	अनुबंध 1	156
7.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट	171

दिनांक 31-03-2022 को तुलन पत्र

(राशि रुपयों में)

कोर्पस/पूँजीगत निधि और देयताएं	अनूसूची	वर्तमान वर्ष (01.04.2021 से 31.03.2022)	पिछले वर्ष (01.04.2020 से 31.03.2021)
कोर्पस/पूँजीगत निधि	1	9,42,46,69,846	6,67,66,83,749
आरक्षित और अधिशेष	2	—	—
उद्दिष्ट/बंदोबस्ती निधि	3	—	—
जमानती ऋण और उधारी	4	—	—
गैर-जमानती ऋण और उधारी	5	—	—
आस्थगित ऋण देयताएं	6	—	—
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	7	45,48,39,047	75,45,45,201
योग		9,87,95,08,893	7,43,12,28,950
परिसंपत्तियाँ			
अचल संपत्तियां	8	24,44,46,922	23,07,31,708
निवेश — उद्दिष्ट/बंदोबस्ती निधि से	9	—	—
निवेश — अन्य	10	4,20,78,41,059	—
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	5,42,72,20,911	7,20,04,97,242
विविध व्यय		—	—
(बट्टे खाते न डाली गई अथवा समायोजित सीमा तक)		—	—
योग		9,87,95,08,893	7,43,12,28,950

(मनीष कुमार मिश्रा)
उप-निदेशक (वित्त)

(cdr. शरद अग्रवाल)
निदेशक (वित्त)

(अरुण सिंघल, आईएसएस)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक:

दिनांक 31-03-2022 को समाप्त वर्ष का आय-व्यय लेखा

(राशि रुपये में)

आय	अनुसूची	वर्तमान वर्ष (01.04.2021 से 31.03.2022)	पिछले वर्ष (01.04.2020 से 31.03.2021)
सेवाओं से आय	12	1,24,51,18,206	46,61,86,539
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त अनुदान/सब्सिडी	13	2,22,58,18,875	1,75,11,59,341
शुल्क/चंदा	14	—	—
निवेश से आय (निधियों को अंतरित उद्दिष्ट/बंदोबस्ती निधियों में निवेश से आय)	15	—	1,688
रायल्टी, प्रकाशनों इत्यादि से आय	16	—	—
अर्जित ब्याज	17	32,87,42,204	31,83,96,692
अन्य आय	18	3,46,16,575	2,96,21,910
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी) और चालू कार्य	19	—	—
योग (क)		3,83,42,95,859	2,56,53,66,170
व्यय			
स्थापना व्यय	20	52,56,42,113	24,40,97,021
प्रशासनिक इत्यादि व्यय	21	1,03,09,25,860	78,84,47,721
मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	22	14,82,94,495	7,17,99,928
अनुदानों/सब्सिडियों इत्यादि पर व्यय	23	—	4,64,595
मूल्यहास	24	3,74,42,584	3,59,56,198
ब्याज	25	—	9,76,41,290
योग (ख)		1,74,23,05,051	1,23,84,06,753
व्यय की तुलना में आय का अधिशेष (क-ख)		2,09,19,90,808	1,32,69,59,417
स्पेशल रिजर्व को अंतरित		—	—
सामान्य रिजर्व को/से अंतरित		—	—
अधिशेष/(घाटे) के रूप में कोर्पस/पूँजीगत निधि को ले जाई गई शेष राशि		2,09,19,90,808	1,32,69,59,417
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	26		
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां	27		

(मनीष कुमार मिश्रा)
उप-निदेशक (वित्त)

(cdr. शरद अग्रवाल)
निदेशक (वित्त)

(अरुण सिंघल, आईएसएस)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक:

दिनांक 31-03-2022 के तुलन पत्र की अंगस्वरूप अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

अनुसूची 1 – कोर्पस/पूँजीगत निधि	वर्तमान वर्ष (01.04.2021 से 31.03.2022)	पिछले वर्ष (01.04.2020 से 31.03.2021)
वर्ष के प्रारम्भ में शेष	6,67,66,83,749	4,80,37,34,124
जोड़ें: कोर्पस/पूँजीगत निधि को अंशदान घटाएँ उपयोग की गई आंतरिक निधि	(13,46,90,682)	
आय और व्यय लेखा	2,09,19,90,808	1,32,69,59,417
जोड़ें: पूँजी कोष का पूँजीकरण	79,06,85,971	52,25,25,057
जोड़ें: बंदोबस्ती निधि से अंतरित राशि	—	2,34,65,151
वर्ष के अंत में शेष	9,42,46,69,846	6,67,66,83,749
अनुसूची 2 – आरक्षित एवं अधिशेष	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1. पूँजीगत रिजर्व:		
पिछले लेखा के अनुसार	—	—
वर्ष के दौरान योग	—	—
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां	—	—
2. पुनर्मूल्यांकन रिजर्व:		
पिछले लेखा के अनुसार	—	—
वर्ष के दौरान योग	—	—
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	—	—
3. विशेष रिजर्व:		
पिछले लेखा के अनुसार	—	—
वर्ष के दौरान योग	—	—
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	—	—
4. जनरल रिजर्व:		
पिछले खाते के अनुसार	—	—
वर्ष के दौरान वृद्धि	—	—
कम: वर्ष के दौरान कटौती	—	—
कुल	—	—

दिनांक 31-03-2022 के तुलन पत्र की अंगस्वरूप अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

अनुसूची 3 – उद्दिष्ट/बंदोबस्ती निधियां	वर्तमान वर्ष (01.04.2021 से 31.03.2022)	पिछले वर्ष (01.04.2020 से 31.03.2021)
	अचल परिसंपत्ति निधि	अचल परिसंपत्ति निधि
क) निधियों का आदि शेष	—	—
ख) निधियों में योग		
i. दान/अनुदान	—	—
ii. निधियों के खाते से किए गए निवेश से आय	—	—
iii. अन्य जमा (कृपया बताएं)		
योग (क+ख)	—	—
ग) निधियों के उद्देश्यों हेतु उपयोग/व्यय		
i. पूँजीगत व्यय	—	—
— अचल परिसंपत्तियां	—	—
— अन्य	—	—
ii. राजस्व व्यय		
— वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि	—	—
— किराया	—	—
— अन्य प्रशासनिक व्यय	—	—
योग (ग)	—	—
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख-ग)	—	—

दिनांक 31-03-2022 के तुलन पत्र की अंगस्वरूप अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

अनुसूची 4 – जमानती ऋण और उधारी	वर्तमान वर्ष (01.04.2021 से 31.03.2022)	पिछले वर्ष (01.04.2020 से 31.03.2021)
1. केंद्रीय सरकार	—	—
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)	—	—
3. वित्तीय संस्थान		
क) मियादी ऋण	—	—
ख) उपार्जित और देय ब्याज	—	—
4. बैंक		
क) मियादी ऋण	—	—
उपार्जित और देय ब्याज	—	—
ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)	—	—
उपार्जित और देय ब्याज	—	—
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां	—	—
6. डिबैंचर और बॉन्ड	—	—
7. अन्य (उल्लेख करें)	—	—
योग	—	—

दिनांक 31-03-2022 के तुलन पत्र की अंगस्वरूप अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

अनुसूची 5 – गैर-जमानती ऋण और उधारी	वर्तमान वर्ष (01.04.2021 से 31.03.2022)	पिछले वर्ष (01.04.2020 से 31.03.2021)
1. केंद्रीय सरकार		
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)		
3. वित्तीय संस्थान		
4. बैंक		
क) मियादी ऋण		
ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)		
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां		
6. डिबैंचर और बॉन्ड		
7. फिक्स्ड डिपॉजिट		
8. अन्य (उल्लेख करें)		
कुल	—	—

अनुसूची – 6 आस्थगित ऋण देयताएं	वर्तमान वर्ष (01.04.2021 से 31.03.2022)	पिछले वर्ष (01.04.2020 से 31.03.2021)
क) उपस्करों और अन्य परिसंपत्तियों के रेहन से प्राप्त स्वीकरण	—	—
ख) अन्य	—	—
योग	—	—

दिनांक 31-03-2022 के तुलन पत्र की अंगस्वरूप अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

अनुसूची 7 – वर्तमान देनदारियां और प्रावधान	वर्तमान वर्ष (01.04.2021 से 31.03.2022)	पिछले वर्ष (01.04.2020 से 31.03.2021)
क. वर्तमान देनदारियां		
1. स्वीकृतियाँ	—	—
2. विविध देनदारियां		
क) वस्तुओं/सेवाओं के लिए (अनुसूची-7.1 के अनुसार)	22,77,69,274	11,04,58,635
ख) अन्य (अनुसूची-7.2 के अनुसार)	—	—
3. बयाना राशि जमा	12,85,233	11,39,910
4. निम्नलिखित पर उपाजित परंतु अदेय ब्याज		
क) जमानती ऋण/उधारियां		
ख) गैर-जमानती ऋण/उधारियां		
5. वैधानिक देयताएं		
क) अतिदेय	—	—
ख) अन्य (अगले वित्तीय वर्ष में देय माह के शुल्क एवं कर)	76,36,649	49,68,601
6. अन्य वर्तमान देयताएं		
क) वेतन से कटौतियां	69,81,450	63,98,284
ख) पुराने चेक	76,90,899	26,14,074
ग) प्राप्त सिक्योरिटी डिपोजिट	1,82,18,995	1,78,95,914
घ) बैंक द्वारा गलत क्रेडिट	—	7,05,000
ड) देय जीएसटी रिजर्व प्रभार और रिलीफ फंड	—	4,249
च) कर अधीक्षक गुवाहाटी	832	832
छ) भर्ती शुल्क संग्रह	7,58,53,151	
7. राज्य लाइसेंस और पंजीकरण निधि	—	
क) बीओबी में 39 वर्च्युल खाते	5,50,88,214	52,71,31,186
ख) सीएससी से प्राप्तियां	2,44,58,427	2,44,58,428
8. वर्ष के अन्त में अनुदान का अव्ययित शेष:		
क) वर्ष के अन्त में अनुदान का अव्ययित शेष	2,98,55,924	5,87,70,088
	—	
योग क)	45,48,39,047	75,45,45,201

दिनांक 31-03-2022 के तुलन पत्र की अंगस्वरूप अनुसूचियां

(राशि रुपये में)

ख. प्रावधान	वर्तमान वर्ष (01.04.2021 से 31.03.2022)	पिछले वर्ष (01.04.2020 से 31.03.2021)
1. कराधान के लिए	—	—
2. ग्रेच्युटी	—	—
3. अधिवर्षिता/पेंशन	—	—
4. संचित छुट्टी नकदीकरण	—	—
5. व्यापार वारंटिया/दावे	—	—
6. अन्य (बताएं)	—	—
योग (ख)	—	—
योग (क+ख)	45,48,39,047	75,45,45,201

(राशि रुपये में)

अनुसूची 7.1 – माल/सेवाओं के लिए विविध लेनदार	वर्तमान वर्ष (01.04.2021 से 31.03.2022)	पिछले वर्ष (01.04.2020 से 31.03.2021)
1 अधिसूचित प्राइवेट प्रयोगशालायों के दावे	22,37,65,954	10,19,53,111
2 आरब्रो फॉर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	2,19,233	2,19,233
3 एशियन साइंटिफिक इंडस्ट्रीज (दिल्ली)	2,56,409	2,56,409
4 135 शहर व जिला	—	35,00,000
5 सीएससी राज्य निधि वापिस की गयी	28,30,568	44,88,500
6 गुरुसन्स कम्यूनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड	—	35,382
7 ऑनलाइन ईट राइट क्विज	5,000	5,000
8 रिवाइवल	—	1,000
9 नेचर स्वीटनेस्स ईट राइट क्विज के विजेता	6,92,110	—
योग	22,77,69,274	11,04,58,635

(राशि रुपये में)

अनुसूची 7.2 – अन्य के लिए विविध देनदारियाँ	वर्तमान वर्ष (01.04.2021 से 31.03.2022)	पिछले वर्ष (01.04.2020 से 31.03.2021)
1 देय ब्याज व्यय	—	—
योग	—	—

अनुसूची 8 – अवल परिसंपत्तियां																
क्र. सं.	विवरण	मूल्य ह्रास की दर	ग्रॉस ब्लॉक				वर्ष के अंत में लागत/ मूल्यकन	यथा वर्ष के आरंभ में लागत/मूल्यकन	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष के अंत में लागत/ मूल्यकन	वर्ष के दौरान आदि शेष पर	वर्ष के दौरान कटौतियों पर	वर्ष के अंत तक योग	(राशि रुपयों में)		
			वर्ष के आरंभ 30.10.2021 तक जमा	वर्ष के दौरान योजन 30.10.2021 के बाद जमा	वर्ष के दौरान कटौतियां											
क. बिल्लिंग :-	क) क्षे. का. कोलकाता (सिविल और विद्युतीय कार्य)	10%	52,40,885	—	—	—	52,40,885	25,07,753	2,73,313	—	—	—	27,81,066	24,59,819	27,33,132	
	ख) क्षे. का. चेन्नई (सिविल और विद्युतीय कार्य)	10%	54,65,606	—	—	—	54,65,606	20,58,921	3,40,669	—	—	—	23,99,589	30,66,017	34,06,685	
	ग) मुख्य, एकद्वीप भवन (सिविल और विद्युतीय कार्य)	10%	2,30,79,990	—	—	—	2,30,79,990	75,40,499	15,53,949	—	—	—	90,94,448	1,39,85,542	1,55,39,491	
	घ) ऊपरी मंजिल (काष्ठ संरचना)	40%	2,57,80,953	—	—	—	2,57,80,953	2,18,42,785	15,75,267	—	—	—	2,34,18,052	23,62,901	39,38,168	
	ङ) जिम और डे-केयर बिल्डिंग	10%	2,33,49,743	—	—	—	2,33,49,743	44,36,451	18,91,329	—	—	—	63,27,780	1,70,21,963	1,89,13,292	
	च) एनएफएल, गाजियाबाद भवन	10%	6,45,10,492	—	—	—	6,45,10,492	93,54,022	55,15,647	—	—	—	1,48,69,669	4,96,40,823	5,51,56,470	
	छ) सीएचईबी/एनएमयू का काम प्रगति पर है	10%		45,90,000			45,90,000				2,29,500		2,29,500	43,60,500	—	
	ज) मुंबई बिल्डिंग (पीटीएच)	10%	1,91,41,211	—	—	—	1,91,41,211	32,03,593	15,93,762	—	—	—	47,97,355	1,43,43,856	1,59,37,618	
	ख. संयंत्र, मशीनरी और उपकरण	क) प्रयोगशाला उपकरण	15%	68,39,020	—	—	—	68,39,020	47,05,747	3,19,991	—	—	—	50,25,738	18,13,282	21,33,273
		ख) पानी की पाइपलाइन	15%	2,88,891	—	—	—	2,88,891	2,36,278	7,892	—	—	—	2,44,170	44,721	52,613
ग) मशीनरी और उपकरण		15%	6,69,61,995	20,81,343	—	—	6,90,43,338	1,54,37,989	77,28,601	3,12,201	—	—	2,34,78,791	4,55,64,547	5,15,24,006	
घ) मशीनरी और उपकरण (कोलकाता)		15%	25,43,961	32,43,214	4,75,930	—	62,63,105	1,90,797	3,52,975	5,22,177	—	—	10,65,948	51,97,157	23,53,164	
ङ) मशीनरी और उपकरण (मुंबई)		15%	12,09,651	—	—	—	12,09,651	90,724	1,67,839	—	—	—	2,58,563	9,51,088	11,18,927	
च) एलईडी फिटिंगे		15%	24,80,589	—	—	—	24,80,589	12,82,822	1,79,665	—	—	—	14,62,487	10,18,102	11,97,767	
छ) कागज कर्तन मशीन		15%	5,508	—	1,66,995	—	1,72,503	1,177	650	12,525	—	—	14,351	1,58,152	4,331	
ज) माछति सिगाज (2)		15%	15,11,028	—	—	—	15,11,028	7,81,419	1,09,441	—	—	—	8,90,860	6,20,168	7,29,608	
ग. फर्नीचर और फिक्स्चर		क) फर्नीचर और फिक्स्चर (चेन्नई)	10%	2,23,38,110	6,70,458	70,76,701	—	3,00,85,269	93,26,682	13,01,143	4,20,881	—	—	1,10,48,706	1,90,36,563	1,30,11,430
		ख) फर्नीचर और फिक्स्चर (कोचीन)	10%	2,25,834	37,47,785	16,024	—	39,89,643	11,292	21,454	3,75,580	—	—	4,08,326	35,81,316	2,14,544
	ग) फर्नीचर और फिक्स्चर (गुवाहाटी)	10%	—	—	8,100	—	8,100	—	—	405	—	—	405	7,695	—	
	घ) फर्नीचर और फिक्स्चर (मुंबाहाटी)	10%	2,37,946	23,305	3,51,640	—	6,12,891	11,897	22,605	19,913	—	—	54,415	5,58,476	2,26,051	
	ङ) फर्नीचर और फिक्स्चर (कोलकाता)	10%	—	1,88,390	38,59,501	—	40,47,891	—	—	2,11,814	—	—	2,11,814	38,36,077	—	
	च) फर्नीचर और फिक्स्चर (गाजियाबाद)	10%	34,102	—	26,00,000	—	26,34,102	1,705	3,240	1,30,000	—	—	1,34,945	24,99,157	32,399	
	छ) फर्नीचर और फिक्स्चर (मुंबई)	10%	2,13,752	—	—	—	2,13,752	10,688	20,307	—	—	—	30,995	1,82,757	2,03,066	
	ज) ऊपरी मंजिल (इंटीरियर फर्नीचर और फिक्स्चर)	10%	2,99,07,028	—	—	—	2,99,07,028	91,94,916	20,71,211	—	—	—	1,12,66,127	1,86,40,901	2,07,12,112	
	ङ. कार्यालय उपकरण	क) 1 इलेक्ट्रॉनी उपस्थिति रजिस्टर	15%	2,06,364	1,00,950	25,000	—	3,32,314	1,21,478	12,733	17,017	—	—	1,51,229	1,81,085	84,888
		ख) 2 फोटोकॉपी मशीन	15%	52,19,198	1,84,888	1,30,410	—	55,34,496	34,50,527	2,65,301	37,514	—	—	37,53,341	17,81,155	17,68,672
ग) 3 रेफ्रिजरेटर		15%	4,72,993	27,779	—	—	5,00,772	2,68,003	30,749	4,167	—	—	3,02,918	1,97,854	2,04,991	
घ) 4 रूम हीटर		15%	42,899	—	19,984	—	62,883	17,539	3,804	1,499	—	—	22,842	40,041	25,361	
ङ) 5 स्क्रीनिंग मशीन		15%	1,66,496	24,699	—	—	1,91,195	1,36,246	4,537	3,705	—	—	1,44,489	46,706	30,250	
च) 6 वैक्यूम क्लीनर		15%	7,790	—	—	—	7,790	6,682	166	—	—	—	6,849	941	1,108	
छ) 7 वीजीए स्विचर और स्पिटर		15%	2,33,188	—	—	—	2,33,188	1,43,907	13,392	—	—	—	1,57,299	75,889	89,281	
ज) 8 बोटल ट्विन फोन		15%	17,440	—	—	—	17,440	11,806	845	—	—	—	12,651	4,789	5,634	
घ) 9 मोबाइल फोन		15%	5,74,539	13,24,932	23,373	—	19,22,844	2,52,655	48,283	2,00,493	—	—	5,01,430	14,21,414	3,21,884	
ङ) 10 कोडलेस फोन / माइक्रोफोन		15%	11,46,706	—	80,535	—	12,27,241	4,01,716	1,11,749	6,040	—	—	5,19,504	7,07,737	7,44,990	
च) 11 फैक्स मशीन		15%	2,29,930	—	—	—	2,29,930	1,94,309	5,343	—	—	—	1,99,652	30,278	35,621	
छ) 12 गीजर		15%	59,022	—	—	—	59,022	26,599	4,863	—	—	—	31,462	27,560	32,423	
ज) 13 माइक्रोवेव		15%	58,509	30,889	—	—	89,398	24,833	5,051	4,633	—	—	34,518	54,880	33,676	
घ) 14 ऑयल फ्रील्ड रेडियेटर		15%	25,365	—	—	—	25,365	22,034	500	—	—	—	22,534	2,831	3,331	
ङ) 15 वॉल्टेज स्टेबिलाइजर		15%	44,538	10,135	—	—	54,673	25,257	2,892	1,520	—	—	29,669	25,004	19,281	
च) 16 वाटर डिस्पेंसर		15%	1,50,162	1,03,796	20,802	—	2,74,760	44,986	15,776	17,130	—	—	77,892	1,96,868	1,05,176	
ज) 17 ऑडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम		15%	18,17,526	—	—	—	18,17,526	12,44,407	85,968	—	—	—	13,30,375	4,87,151	5,73,119	

अनुसूची 8 – अचल परिसंपत्तियां		ग्रॉस ब्लॉक										मूल्यहास			नेट ब्लॉक		
क्र. सं.	विवरण	मूल्य ह्रास की दर	यथा वर्ष के आरंभ में लागत/मूल्यकन	वर्ष के दौरान योजन 30.10.2021 तक जमा	ग्रॉस ब्लॉक		वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष के अंत में लागत/मूल्यकन	यथा वर्ष के आरंभ में	वर्ष के दौरान आदि शेष पर	वर्ष के दौरान कटौतियों पर	वर्ष के अंत तक योग	यथा वर्तमान वर्ष के अंत में	यथा पिछले वर्ष के अंत में			
			30.10.2021	30.10.2021 के बाद जमा	वर्ष के दौरान कटौतियां												
		15%	26,72,500	—	—	—	—	26,72,500	14,61,211	1,81,693	—	16,42,904	10,29,596	12,11,289			
	18 वीडियो कांफ्रेंस सिस्टम	15%	54,39,508	1,19,904	1,69,971	—	—	57,29,383	29,57,366	3,72,321	30,733	33,60,421	23,68,962	24,82,142			
	19 एलसीडी / एलईडी टीवी	15%	25,88,875	—	—	—	—	25,88,875	22,37,315	49,734	—	22,87,049	2,81,826	3,31,561			
	20 प्लाना टीवी	15%	28,173	—	—	—	—	28,173	18,310	1,480	—	19,789	8,384	9,864			
	21 पंपसेट	15%	29,495	—	—	—	—	29,495	25,331	625	—	25,956	3,539	4,165			
	22 टाटा स्काई और ईपीआरएस सिस्टम	15%	8,61,793	—	—	—	—	8,61,793	6,84,337	26,619	—	7,10,956	1,50,837	1,77,457			
	23 सीमनहाईटेक पाथ 1150 डिजिटलएडऑप्टीप्वाइंट	15%	1,40,055	21,642	—	—	—	1,61,697	67,120	10,940	3,246	81,307	80,390	72,936			
	24 स्पीकर	15%	12,31,845	48,999	—	—	—	12,80,844	2,83,124	1,42,308	7,350	4,32,782	8,48,062	9,48,722			
	25 सीसीटीवी कैमरा	15%	94,911	—	4,80,000	—	—	5,74,911	71,422	3,524	36,000	1,10,946	4,63,966	23,490			
	26 डिजिटल कैमरा	15%	35,55,558	81,780	3,50,869	—	—	39,88,207	12,81,682	3,41,082	38,582	16,61,346	23,26,861	22,73,877			
	27 ऑफिस एप्लायस	15%	99,000	—	—	—	—	99,000	82,434	2,485	—	84,919	14,081	16,567			
	28 ब्ल्यू रे डिस्क स्प्रयर	15%	3,13,925	—	—	—	—	3,13,925	2,12,739	15,178	—	2,27,917	86,008	1,01,187			
	29 एलसीडी प्रोजेक्टर	15%	3,54,579	—	—	—	—	3,54,579	1,34,402	33,027	—	1,67,429	1,87,150	2,20,177			
	30 क्लर	15%	3,44,940	—	—	—	—	3,44,940	2,82,123	9,423	—	2,91,546	53,394	62,817			
	31 फ्रैकिंग मशीन	15%	1,52,267	—	—	—	—	1,52,267	1,01,155	7,667	—	1,08,822	43,445	51,112			
	32 विजिकूलर और डीप फ्रीजर	15%	1,73,738	33,988	95,850	—	—	3,03,576	43,451	19,543	12,287	75,281	2,28,295	1,30,287			
	33 फोन	15%	7,622	—	—	—	—	7,622	6,731	134	—	6,865	757	891			
	34 टाटा स्काई	15%	10,96,754	1,52,550	3,75,374	—	—	16,24,678	3,81,775	1,07,247	51,036	5,40,057	10,84,621	7,14,979			
	35 एअर कंडिशनर	15%	6,490	—	—	—	—	6,490	4,226	340	—	4,565	1,925	2,264			
	36 वॉयस रिकॉर्डर	15%	12,53,668	—	—	—	—	12,53,668	7,80,848	70,923	—	8,51,771	4,01,897	4,72,820			
	37 ट्रांसफार्मर	15%	55,968	—	—	—	—	55,968	24,175	4,769	—	28,944	27,024	31,793			
	38 बोरेवेल सबमर्सिबल	15%	7,87,055	—	—	—	—	7,87,055	2,18,408	85,297	—	3,03,705	4,83,350	5,68,647			
	39 जिम उपस्कर	15%	6,778	—	—	—	—	6,778	1,017	864	—	1,881	4,897	5,761			
	40 चिकित्सा उपकरण	15%	9,900	—	—	—	—	9,900	1,485	1,262	—	2,747	7,153	8,415			
	41 ट्रॉली बैग	15%	19,490	20,060	18,430	—	—	57,980	2,924	2,485	4,391	9,800	48,180	16,566			
	42 दीवार का पक्का	15%	—	11,500	—	—	—	11,500	—	—	1,725	1,725	9,775	—			
	43 सीलिंग फैन	15%	—	24,900	—	—	—	24,900	—	—	3,735	3,735	21,165	—			
	44 हवा शोधक	15%	—	8,000	—	—	—	8,000	—	—	1,200	1,200	6,800	—			
	45 पानी का शुधिकरण यंत्र	15%	—	—	2,461	—	—	2,461	—	—	185	185	2,276	—			
	46 हीटर	15%	—	—	23,000	—	—	23,000	—	—	1,725	1,725	21,275	—			
	47 मीडिया नियंत्रण प्रणाली	15%	—	—	14,460	—	—	55,468	—	—	7,236	7,236	48,232	—			
	48 सेनिटाइजर डिस्पेंसर	15%	—	41,008	—	—	—	2,400	—	—	360	360	2,040	—			
	49 वेटींग मशीन	15%	—	2,400	—	—	—	1,17,861	—	—	17,679	17,679	1,00,182	—			
	50 सफाई वाले लपेटने – योयस पर्दे	15%	—	1,17,861	—	—	—	16,75,305	—	—	—	2,51,296	14,24,009	—			
	51 जेनरेटर (डीजी सेट)	15%	—	16,75,305	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
च	कंप्यूटर परिसंपत्तियां																
	1 कंप्यूटर	40%	2,78,40,119	23,71,601	95,88,159	—	—	3,97,99,879	2,45,23,495	13,26,650	28,66,272	2,87,16,417	1,10,83,462	33,16,624			
	2 यूपीएस और बैटरी	40%	82,55,721	39,125	—	—	—	82,94,846	73,19,460	3,74,504	15,650	77,09,614	5,85,231	9,36,261			
	3 प्रिंटर और स्कैनर	40%	72,89,806	7,57,036	4,72,108	—	—	84,98,950	61,52,074	4,47,093	3,97,236	69,96,403	15,02,547	11,17,732			
	4 सिस्को 2821 सिस्कोरिटी बंडल	40%	1,71,306	—	—	—	—	1,71,306	1,64,723	2,633	—	1,67,356	3,950	6,583			
	5 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	40%	62,49,848	5,55,748	7,51,639	—	—	75,57,235	59,17,230	1,33,047	3,72,627	64,22,904	11,34,331	3,32,618			
	6 लायब्रेरी सॉफ्टवेयर सिस्टम	40%	2,28,800	—	—	—	—	2,28,800	2,28,766	13	—	2,28,780	20	34			
	7 नेटवर्किंग उपस्कर	40%	43,03,915	14,54,515	—	—	—	57,58,430	35,87,334	2,86,632	5,81,806	44,55,772	13,02,658	7,16,581			
	8 वेब कैम	40%	1,14,916	—	—	—	—	1,14,916	1,01,786	5,252	—	1,07,038	7,878	13,130			
	9 सर्वर	40%	1,27,34,397	69,998	—	—	—	1,28,04,395	1,22,74,626	1,83,908	27,999	1,24,86,534	3,17,861	4,59,771			
	10 सैन सिस्टम हार्ड वर्क	40%	35,78,379	—	—	—	—	35,78,379	31,49,403	1,71,590	—	33,20,993	2,57,386	4,28,976			
ज	पुस्तकालय की पुस्तकें	40%	51,46,703	—	—	—	—	51,46,703	49,00,902	98,320	—	49,99,222	1,47,482	2,45,800			
	योग (क)		40,90,37,757	1,93,70,483	3,17,87,315	—	—	48,01,95,555	17,83,06,048	3,01,83,515	72,59,089	21,57,48,634	24,44,46,922	23,07,31,731			
	पिछले साल		38,78,13,644	1,48,00,119	64,23,994	—	—	40,90,37,757	14,23,49,849	3,31,63,921	27,92,277	17,83,06,049	23,07,31,708	24,54,63,809			

दिनांक 31-03-2022 के तुलन पत्र की अंगस्वरूप अनुसूचियां

(राशि रुपये में)

अनुसूची 9 – उद्दिष्ट/बंदोबस्ती निधियों से निवेश	वर्तमान वर्ष (01.04.2021 से 31.03.2022)	पिछले वर्ष (01.04.2020 से 31.03.2021)
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	—	—
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	—	—
3. शेयर	—	—
4. डिबेंचर तथा बॉन्ड	—	—
5. सक्सिडियरियां तथा संयुक्त उद्यम	—	—
6. अन्य (उल्लेख करें)	—	—
योग	—	—

(राशि रुपये में)

अनुसूची 10 – निवेश अन्य	वर्तमान वर्ष (01.04.2021 से 31.03.2022)	पिछले वर्ष (01.04.2020 से 31.03.2021)
1 बैंकों की एफडी में निवेश	—	—
आईसीआईसीआई बैंक	4,45,94,849	—
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक	2,56,01,33,209	—
इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक	46,39,15,102	—
इंडसइंड बैंक	1,13,87,22,254	—
	—	—
2 साख पत्र (बीओबी)	4,75,646	—
कुल	4,20,78,41,059	—

दिनांक 31-03-2022 के तुलन पत्र की अंगस्वरूप अनुसूचियां

(राशि रुपये में)

अनुसूची 11 – वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम आदि	वर्तमान वर्ष (01.04.2021 से 31.03.2022)	पिछले वर्ष (01.04.2020 से 31.03.2021)
क. वर्तमान परिसंपत्तियां		
1. वस्तु सूची		
क) स्टोर तथा स्पेयर्स	—	—
ख) खुले औजार	—	—
ग) व्यापार में स्टॉक		
चालू कार्य	—	45,90,000
2. विविध लेनदारियां		
क) छह माह से अधिक अवधि से बकाया ऋण	—	—
3. हाथ में नकदी शेष (चेक/ड्राफ्ट और अग्रदाय सहित)	90,884	90,884
4. बैंक शेष		
क) अनुसूचित बैंकों में		
जमा खातों में	—	3,83,17,67,463
क्षेत्रीय कार्यालयों के बचत खातों में	53,03,22,337	11,05,15,311
मुख्यालय तथा अन्य के बचत खातों में	1,57,63,45,160	1,15,49,83,217
एफडी पर टीडीएस काटा गया	8,95,20,390	5,89,65,759
टीडीएस कटौती पर (एफडी के अलावा)	3,93,296	14,98,088
ख) गैर अनुसूचित बैंकों में		
चालू खातों में	—	—
जमा खातों में	—	—
बचत खातों में	—	—
5. डाकघर-बचत खाता	—	—
कुल (क)	2,19,66,72,068	5,16,24,10,722

दिनांक 31-03-2022 के तुलन पत्र की अंगस्वरूप अनुसूचियां

(राशि रुपये में)

अनुसूची 11 – वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम आदि (जारी)	वर्तमान वर्ष (01.04.2021 से 31.03.2022)	पिछले वर्ष (01.04.2020 से 31.03.2021)
ख) ऋण, अग्रिम तथा अन्य परिसंपत्तियां		
1. ऋण		
क) स्टाफ	—	—
ख) इसी तरह के क्रिया-कलापों/उद्देश्यों में रत अन्य इकाइयाँ	—	—
ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	—	—
2. नकद या अन्य रूप में या प्राप्त की जाने वाली कीमत के लिए वसूली योग्य अग्रिम या अन्य राशियां		
क) पूंजीगत खाते में	—	—
ख) पूर्व भुगतान	—	—
ग) अन्य	—	—
— प्रतिभूति राशियां	3,04,65,650	3,04,65,650
— केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (60% हिस्सेदारी)	6,01,18,779	11,01,18,779
— निर्यात निरीक्षण परिषद् (मुंबई)	—	—
वित्तीय वर्ष 2021-22 में दिया गया अग्रिम	1,36,48,13,675	—
वित्तीय वर्ष 2020-21 में दिया गया अग्रिम	1,06,98,88,387	1,12,97,25,051
वित्तीय वर्ष 2019-20 में दिया गया अग्रिम	29,58,00,575	31,66,21,924
वित्तीय वर्ष 2018-19 में दिया गया अग्रिम	2,04,61,897	2,04,61,897
वित्तीय वर्ष 2008-18 में दिया गया अग्रिम	3,64,06,994	3,64,06,994
अग्रिम किराया चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट	14,80,74,084	15,34,02,084
अग्रिम किराया जेएनपीटी, मुंबई	2,34,10,450	2,27,88,466
अग्रिम आय कर (अपील)	2,26,97,685	2,26,97,685
3. उपार्जित आय		
क) उद्दिष्ट/बंदोबस्ती निधियों में किए गए निवेश से		
ख) निवेशों से – एफडी	1,48,84,034	2,59,506
ग) ऋण तथा अग्रिम से	—	—
घ) अन्य	—	—
4. समायोजनीय जीएसटी	14,35,26,634	19,51,38,484
योग (ख)	3,23,05,48,844	2,03,80,86,520
योग (क+ख)	5,42,72,20,912	7,20,04,97,242

दिनांक 31-03-2022 के तुलन पत्र की अंगस्वरूप अनुसूचियां

(राशि रुपये में)

अनुसूची 12 – विक्रय/सेवाओं से आय	वर्तमान वर्ष (01.04.2021 से 31.03.2022)	पिछला वर्ष (01.04.2020 से 31.03.2021)
1) सेवाओं से आय		
क) लाइसेंस शुल्क		
(i) लाइसेंस शुल्क	43,26,38,238	31,64,73,377
(ii) लाइसेंस शुल्क (वार्षिक रिटर्न)	54,57,654	3,15,65,760
(iii) दंड (वार्षिक विवरणी)	1,67,500	17,46,100
(iv) पूर्व-मुद्रित पैकेजिंग सामग्री शुल्क	5,43,000	5,04,000
(v) राज्य लाइसेंस शुल्क (75%)	62,80,27,913	—
ख) नमूना परीक्षण शुल्क	5,99,47,500	33,37,268
ग) उत्पाद अनुमोदन शुल्क	7,00,000	36,50,000
घ) आयात शुल्क चाक्षुष निरीक्षण इत्यादि		
(i) चाक्षुष निरीक्षण शुल्क	11,65,00,000	9,50,96,033
(ii) प्रथम पुनरीक्षा शुल्क	1,12,000	1,37,16,001
(iii) द्वितीय पुनरीक्षा शुल्क	15,000	70,000
(iv) आयात निकासी शुल्क	10,08,500	—
ई) आवेदन प्रसंस्करण शुल्क	900	28,000
योग	1,24,51,18,206	46,61,86,539

(राशि रुपये में)

अनुसूची 13 – अनुदान/सब्सिडियाँ	वर्तमान वर्ष (01.04.2021 से 31.03.2022)	पिछला वर्ष (01.04.2020 से 31.03.2021)
1) केंद्रीय सरकार (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार)	2,17,29,00,000	1,73,92,00,000
2) उपयोग की गई आंतरिक निधि	2,42,53,866	—
3) सरकारी एजेंसियां		
4) संस्थान/कल्याण निकाय		
5) अंतर्राष्ट्रीय संगठन		
6) अन्य :		
जोड़ें: वर्ष की शुरुआत में अव्ययित शेष राशि	5,85,20,933	7,04,80,274
घटाएं: पिछले वर्ष के अंत में अनुदान की अव्ययित शेष राशि (अनुलग्नक-I)	(2,98,55,924)	(5,85,20,933)
योग	2,22,58,18,875	1,75,11,59,341

दिनांक 31-03-2022 के तुलन पत्र की अंगस्वरूप अनुसूचियां

(राशि रुपये में)

अनुसूची – 14 शुल्क/चंदा	वर्तमान वर्ष (01.04.2021 से 31.03.2022)	पिछले वर्ष (01.04.2020 से 31.03.2021)
1) प्रवेश शुल्क	—	—
2) वार्षिक शुल्क/चंदा		
3) सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क		
4) परामर्श शुल्क		
5) अन्य (उल्लेख करें)	—	
कुल	—	—

(राशि रुपये में)

अनुसूची 15 – निवेशों से आय	वर्तमान वर्ष (01.04.2021 से 31.03.2022)	पिछले वर्ष (01.04.2020 से 31.03.2021)
1) ब्याज		
क) सरकारी प्रतिभूतियों से	—	—
ख) अन्य बांडों/डिबेंचरों से	—	—
2) अन्य:		
— दंडात्मक ब्याज की वसूली	—	1,688
— निवेशों से ब्याज	—	—
योग	—	1,688
उद्दिष्ट/बंदोबस्ती निधियों को अंतरित	—	1,688

दिनांक 31-03-2022 के तुलन पत्र की अंगस्वरूप अनुसूचियां

(राशि रुपये में)

अनुसूची 16 – रॉयल्टी, प्रकाशन इत्यादि से आय	वर्तमान वर्ष (01.04.2021 से 31.03.2022)	पिछले वर्ष (01.04.2020 से 31.03.2021)
1 रॉयल्टी से आय	—	—
2 प्रकाशन से आय	—	—
3 अन्य (उल्लेख करें)	—	—
योग	—	—

(राशि रुपये में)

अनुसूची 17 – उपार्जित ब्याज	वर्तमान वर्ष (01.04.2021 से 31.03.2022)	पिछले वर्ष (01.04.2020 से 31.03.2021)
1 मियादी जमाओं पर		
क) अनुसूचित बैंकों में		
I आईसीआईसीआई बैंक	36,56,035	1,48,53,684
II एयू स्माल फाइनेंस बैंक	29,41,60,248	10,03,00,656
III इंडसइंड बैंक	4,25,174	7,72,22,670
आईसीआईसीआई बैंक	—	7,27,930
इक्विटास बैंक	—	84,30,144
यूनियन बैंक	—	3,20,40,883
बैंक आफ बड़ोदा	—	2,11,16,326
ख) ऑटोस्वीप से उपार्जित		4,42,63,375
2 बचत खातों पर		
क) अनुसूचित बैंकों (मुख्यालय) के साथ	80,35,032	82,35,558
ख) अनुसूचित बैंकों (आरओ और लैब्स) के साथ	1,14,78,995	1,12,05,466
3 ऋणों पर:	—	
क) कर्मचारियों/स्टॉफ को	—	
ख) अन्य को	—	
योग	32,87,42,204	31,83,96,692

दिनांक 31-03-2022 के तुलन पत्र की अंगस्वरूप अनुसूचियां

(राशि रुपये में)

अनुसूची 18 – अन्य आय	वर्तमान वर्ष (01.04.2021 से 31.03.2022)	पिछले वर्ष (01.04.2020 से 31.03.2021)
1 परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान से लाभ	—	—
क) अपनी परिसंपत्तियाँ	—	—
ख) अनुदान में या निशुल्क प्राप्त परिसंपत्तियां	—	—
2 विविध आय		
सीधी भर्ती शुल्क/खाद्य विश्लेषक परीक्षा शुल्क	—	24,40,491
प्रयोगशाला परीक्षण और ऑडिटिंग एजेंसी	8,63,600	2,45,000
पूराने अखबारों/रद्दी की बिक्री	14,249	9,75,000
निविदा फार्मों की बिक्री/आवेदन शुल्क	—	15,95,000
एफएफआरसी शेयर	—	94,49,811
आरटीआई शुल्क	1,584	3,448
पूर्व अवधि आय	76,65,233	
विविध आय	2,34,57,163	1,37,562
सीएससी ई गवर्नेंस	25,93,746	
दंड शुल्क	21,000	—
राफ्ट प्रमाणन	—	1,13,500
रॉकफेलर फाउंडेशन न्यूयॉर्क (पुरस्कार राशि)	—	1,46,62,098
योग	3,46,16,575	2,96,21,910

(राशि रुपये में)

अनुसूची 19 – तैयार माल के स्टॉक और चालू कार्य में वृद्धि/(कमी)	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
क) अंतिम स्टॉक		
तैयार माल	—	—
चालू कार्य	—	—
ख) घटाएं: आरम्भिक स्टॉक		
तैयार माल	—	—
चालू कार्य	—	—
निवल वृद्धि/(कमी) (क-ख)	—	—

(राशि रुपये में)

अनुसूची 20 – स्थापना व्यय	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
क) वेतन एवं मजदूरी	51,06,86,966	22,40,41,922
ख) भत्ते और बोनस	—	—
ग) छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	1,18,48,975	1,82,07,608
घ) चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति	31,06,172	18,47,491
योग	52,56,42,113	24,40,97,021

दिनांक 31-03-2022 के तुलन पत्र की अंगस्वरूप अनुसूचियां
(राशि रुपये में)

अनुसूची 21 – प्रशासनिक व्यय	वर्तमान वर्ष (01.04.2021 से 31.03.2022)	पिछले वर्ष (01.04.2020 से 31.03.2021)
1 बिजली और पावर	2,07,09,869	66,71,020
2 जल प्रभार	2,90,810	1,80,302
3 किराया, दरें और कर	87,29,050	6,08,01,638
4 डाक और संप्रेषण प्रभार	2,80,140	2,53,039
5 आपूर्ति व सामग्री	44,47,029	3,76,19,693
6 यात्रा और वाहन व्यय	97,65,445	1,90,67,723
7 सूचना प्रौद्योगिकी व्यय	4,82,34,546	3,23,95,772
8 सदस्यता शुल्क पर व्यय (कोडेक्स ट्रस्ट फंड को अंशदान)	33,300	18,30,885
9 ऑडिटर्स को पारिश्रमिक	—	4,64,300
10 विधिक और पेशेवर प्रभार	16,80,59,459	14,50,16,197
11 आईईसी और प्रचार पर व्यय	4,26,11,012	7,22,17,311
12 कार्यालय व्यय	6,85,23,290	2,18,01,014
13 प्रशिक्षण प्रभार	8,37,46,688	19,13,42,291
14 निगरानी	—	17,700
15 प्रवर्तन गतिविधियां	45,55,323	31,62,298
16 टेलीफोन और मोबाइलों पर व्यय	38,56,988	25,82,998
17 मनोरंजन पर व्यय	—	1,38,033
18 मोटर वाहन व्यय	81,25,631	1,87,06,340
19 पुस्तकालय व्यय	3,74,623	1,66,106
20 लिपिकीय व्यय	—	62,100
21 स्वस्थ भारत यात्रा व्यय	10,89,333	11,04,949
22 परीक्षण शुल्क	21,53,800	2,69,80,577
23 सम्मेलन, बैठक और संगोष्ठी व्यय	41,41,508	17,48,658
24 ईट राइट इंडिया चैलेंज	—	7,48,000
25 अग्रदाय व्यय	3,49,582	2,48,164
26 समाचार पत्र और पत्रिकाएं	—	1,93,443
27 आयात प्रभाग व्यय	—	55,100
28 सॉफ्टेल व्यय	22,62,54,126	—
29 बैंक शुल्क/शुल्क की वापसी	12,92,230	6,62,635
30 सेवा कर/जीएसटी	17,35,92,652	13,93,73,847
31 अन्य खर्च	14,97,09,426	28,35,588
कुल	1,03,09,25,860	78,84,47,721

(राशि रुपये में)

अनुसूची 22 – मरम्मत और रख-रखाव पर व्यय	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
मरम्मत और रख-रखाव		
I) ए.सी संयंत्र, कंप्यूटरों और अन्य उपकरणों की मरम्मत और उनका रख-रखाव	7,66,27,847	7,17,99,928
II) भवन की मरम्मत और उसका रख-रखाव	7,16,66,648	—
योग	14,82,94,495	7,17,99,928

दिनांक 31-03-2022 के तुलन पत्र की अंगस्वरूप अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

अनुसूची 23 – अनुदानों, सब्सिडि इत्यादि पर व्यय	वर्तमान वर्ष (01.04.2021 से 31.03.2022)	पिछले वर्ष (01.04.2020 से 31.03.2021)
क) संस्थाओं/संगठनों को दिए गए अनुदान	—	4,64,595
ख) संस्थाओं/संगठनों को दी गई सब्सिडियां	—	—
योग	—	4,64,595

(राशि रुपयों में)

अनुसूची 24 – मूल्यहास	वर्तमान वर्ष (01.04.2021 से 31.03.2022)	पिछले वर्ष (01.04.2020 से 31.03.2021)
अचल परिसंपत्तियों पर	3,74,42,584	3,59,56,198
योग	3,74,42,584	3,59,56,198
घटाएं : अचल परिसंपत्ति निधि को अंतरित	—	—
योग	3,74,42,583.58	3,59,56,198

(राशि रुपयों में)

अनुसूची 25 – दिया गया ब्याज	वर्तमान वर्ष (01.04.2021 से 31.03.2022)	पिछले वर्ष (01.04.2020 से 31.03.2021)
क) अन्य मियादी ऋणों पर	—	—
ख) अन्य ऋणों पर	—	—
ग) मंत्रालय को वापस किए गए अनुदानों पर ब्याज	—	9,76,41,290
योग	—	9,76,41,290

01.04.2021 से 31.03.2022 तक की अवधि की प्राप्तियां और भुगतान

क्र. सं.	प्राप्तियां	अनुसूची	वर्तमान वर्ष (01.04.2021 से 31.03.2022)	पिछला वर्ष (01.04.2020 से 31.03.2021)	क्र. सं.	प्राप्तियां	अनुसूची	वर्तमान वर्ष (01.04.2021 से 31.03.2022)	पिछला वर्ष (01.04.2020 से 31.03.2021)
I	आदि शेष क) हाथ में नकदी ख) बैंक शेष i) सेविंग बैंक खाते		90,884	90,884	I	व्यय क) स्थापना व्यय (अनुसूची 20 के अनुसार) ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 21 के अनुसार) ग) मरम्मत और रख-रखाव पर व्यय (अनुसूची 22 के अनुसार) घ) अन्य व्यय	32	56,57,36,722.00	20,15,73,836.00
II	प्राप्त अनुदान क) भारत सरकार से — स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ख) अन्य से	27	1,26,54,98,528	1,15,05,63,171			33	63,50,20,080.81	42,82,24,998.41
III	प्राप्त ब्याज बैंक जमा राशियों पर (ऑटोस्वीप) बैंक मियादी जमा राशियों (एफडीआर) पर बैंक जमा राशियों पर (सेविंग्स) बैंक जमा राशियों पर (एसबीवाई) दंडात्मक ब्याज (वसूली) अर्जित ब्याज केनरा 976 शाखाओं से प्राप्त ब्याज	28 29	2,85,29,00,000 —	2,08,65,00,000 1,87,35,043	II	दिए गए अनुदान ईट राइट इंडिया चैलेंज	34	6,46,80,375.00	8,05,51,640.00
IV	लाइसेंसधारियों से हुई आय — लाइसेंस शुल्क पहली समीक्षा शुल्क — दूसरी समीक्षा शुल्क — नमूना परीक्षण शुल्क नमूना परीक्षण शुल्क (बीओबी 7549 मुंबई) — उत्पाद अनुमोदन — आयात चार्ज पर निरीक्षण आयात निकासी शुल्क — भर्ती शुल्क एफएफआरसी अंश 1/3		46,61,00,663 1,12,000 15,000 5,99,47,500 — 7,50,000 11,65,00,000 10,08,500 7,59,99,651 —	35,13,94,233 1,37,16,001 70,000 8,37,618 3,39,48,000 36,50,000 2,89,27,533 — — 94,49,811 29	III	किए गए निवेश और डिपोजिट क) अपनी निधियों से (निवेश —मियादी जमा) पूँजीगत परिसंपत्तियाँ और चालू पूँजीगत कार्यों पर क) अचल परिसंपत्तियों की खरीद आपूर्तिकरताओं / अन्य को अग्रिम शुल्क और कर टेकदारों पर टीडीएस किराए पर टीडीएस पेशेवर (कार्मिकों) पर टीडीएस पेशेवरों पर टीडीएस वेतन पर टीडीएस फिक्स्ड डिपॉजिट पर टीडीएस सेवा कर जीएसटी (रिवर्स चार्ज) जीएसटी (सीजीएसटी और एसजीएसटी) जीएसटी —टीडीएस @2%	35	1,45,14,84,171.00	1,25,74,83,521.00
V	निवेश नकदीकरण		61,34,26,601	2,96,11,71,651	V		36	5,40,63,190	1,68,41,236
VI	प्राप्त टीडीएस: —अनुबंधों से फिक्स्ड डिपॉजिट पर टीडीएस		—	3,57,917	VII	अनुबंधकर्ताओं की ईएमडी/प्रतिभूति राशि		—	—
VII	समायोजित अग्रिम —आपूर्तिकर्ता अन्य नियमित निरीक्षण परिषद मुंबई —सीएसआईआर		9,11,260 1,69,92,517 51,751	31,46,517 56,85,425 —	IX	प्रत्यायित प्रयोगशालाएं		1,20,07,789	1,00,35,367
					X	शाखा / प्रयोगशालाएं	37	3,38,572	30,000
					XI	39 बीओबी में वरचुखल खाते		63,35,76,572	28,04,28,705
								15,30,85,536	41,41,47,610
								3,28,02,58,891	

वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 | 151

(अरुण सिंहल, आईएसएस)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

(cdr. शरद अग्रवाल)
निदेशक (वित्त)

(मनीष कुमार मिश्रा)
उप-निदेशक (वित्त)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय लेखों की अंगस्वरूप अनुसूचियां

अनुसूची 26 – महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. लेखांकन परंपरा

वित्तीय विवरणियाँ अन्यथा वर्णित न होने पर ऐतिहासिक लागत परंपरा और लेखांकन की उपार्जन पद्धति के आधार पर तैयार की जाती हैं।

2. राजस्व मान्यता

लाइसेंस शुल्क, उत्पाद अनुमोदन शुल्क और नमूना परीक्षण शुल्क इत्यादि को प्राप्ति अनुसार लेखों में लिया जाता है। अन्य आय को रिसीप्ट के आधार पर लिया जाता है। बचत बैंक खातों पर ब्याज को उपार्जन के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।

3. निवेश

“दीर्घकालीन निवेशों” के रूप में वर्गीकृत निवेश लागत आधार पर वहन किए जाते हैं। अस्थायी निवेश के अलावा अन्य ह्रास के लिए प्रावधान इस तरह के निवेश की लागत में किया जाता है। “चालू” वर्गीकृत निवेश न्यून लागत और उचित मूल्य पर वहन किए जाते हैं। ऐसे निवेशों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान प्रत्येक निवेश के लिए अलग से किया जाता है, समग्र रूप में नहीं। लागत में दलाली, अंतरण स्टाम्प जैसे अधिग्रहण व्यय शामिल होते हैं।

4. स्थाई परिसंपत्तियाँ

स्थायी परिसंपत्तियाँ अर्जन की लागत में संचित मूल्य ह्रास घटाकर आवक भाड़ा, शुल्क और करों और अर्जन से संबंधित आकस्मिक और आनुषांगिक खर्च शामिल करके दर्शायी जाती है। निर्माण वाली परियोजनाओं के संबंध में परिसंपत्तियों के मूल्य के भाग रूप में, संबंधित पूर्व-प्रचालन खर्च (समापन से पूर्व विशिष्ट परियोजना हेतु ऋण पर ब्याज सहित) को पूँजीकृत किया जाता है। कोर्पस निधि के अतिरिक्त गैर-मौद्रिक अनुदानों के माध्यम से प्राप्त स्थायी परिसंपत्तियाँ कैपिटल रिजर्व में जमा दर्शाते हुए उल्लिखित मूल्य पर पूँजीकृत की जाती है।

5. मूल्य ह्रास

मूल्य ह्रास का प्रावधान आयकर अधिनियम के प्रावधानों एवं लिखित मूल्य पद्धति के आधार पर और उनमें निर्दिष्ट दरों के अनुसार किया जाता है। वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों में वृद्धि या कमी के संबंध में मूल्य ह्रास पर तदनुसार किया जाता है।

6. सामग्रियों का मूल्य निर्धारण

स्टेशनरी, उपभोग्य वस्तुओं, प्रकाशन और अन्य स्टोर सामग्री की खरीद पर खर्च का लेखांकन राजस्व व्यय में किया जाता है।

7. विविध व्यय

आस्थगित राजस्व खर्च को इसके उपार्जन के वर्ष से 5 वर्ष से अधिक के बाद बट्टे खाते में डाला जाता है।

8. सरकारी अनुदान

- 8.1 सरकारी अनुदानों का लेखांकन वसूली के आधार पर किया जाता है। परंतु वित्तीय वर्ष से संबंधित अनुदान जारी होने की स्वीकृति 31 मार्च से पहले प्राप्त हो जाने और अनुदान वास्तव में अगले वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने पर उसका लेखांकन उपार्जन आधार पर किया जाता है और समान राशि को वसूली योग्य दर्शाया जाता है।
- 8.2 पूंजीगत प्रकृति के सरकारी अनुदानों को प्राप्ति आधार पर लिया जाता है और उन्हें निधि आधारित लेखांकन के अनुसार उद्दिष्ट/बंदोबस्ती निधि के अन्तर्गत पूंजीगत अनुदान के रूप में दर्शाया जाता है।
- 8.3 राजस्व खर्च को पूरा करने के लिए सरकारी अनुदानों को उपयोग की सीमा तक उस वर्ष की आय माना जाता है जिसमें वे प्राप्त हुए होते हैं।
- 8.4 नकद आधार पर संगणित अप्रयुक्त अनुदानों को आगे ले जाया जाता है और उन्हें तुलन पत्र में देयता के रूप में दिखाया जाता है।

9. विदेशी मुद्रा लेन-देन

- 9.1 विदेशी मुद्रा में लेन-देन का लेखांकन लेन-देन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है।
- 9.2 चालू परिसंपत्तियों, विदेशी मुद्रा ऋणों और चालू देयताओं को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है और परिणामतः लाभ हानि का, विदेशी मुद्रा देयता स्थिर परिसंपत्तियों से संबंधित होने पर स्थायी परिसंपत्तियों की लागत से समायोजन किया जाता है। उसे अन्य मामलों में राजस्व माना जाता है।

अनुसूची 27 – आकस्मिक देयताएँ और लेखों पर टिप्पणियाँ

क. आकस्मिक देयताएँ

1. आकस्मिक देयताएँ

- 1.1 ऋण न माने गए प्राधिकरण के विरुद्ध दावे – रु शून्य (गत वर्ष रु. शून्य)
- 1.2 निम्न के संबंध में :
 - प्राधिकरण द्वारा/की ओर से दी गई बैंक गारंटी – रु शून्य (गत वर्ष रु शून्य)
 - बैंको द्वारा डिस्काउंट किए गए बिल – रु शून्य (गत वर्ष रु शून्य)
- 1.3 निम्न के संबंध में विवादास्पद मांग :
 - आयकर – रु. 9.66 करोड़ (गत वर्ष रु . 9.66 करोड़)
 - बिक्री कर – रु. शेष (गत वर्ष रु शून्य)
 - निगम कर – रु. शेष (गत वर्ष रु शून्य)
- 1.4 आदेशों के गैर- निष्पादन पर पार्टियों के दावे, किंतु प्रविष्टि द्वारा विवादित (गत वर्ष रु शून्य)

2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएँ

पूँजीगत लेखा में निष्पादन हेतु शेष और गैर-प्रावधान वाले अनुबंधों का अनुमानित मूल्य – रु शून्य (पिछले वर्ष रु, शून्य)

ख. लेखों पर टिप्पणियां:

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अधीन स्थापित भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक वैधानिक प्राधिकरण है और पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है। अतएव इसकी लेखांकन नीतियाँ अधिकांशतः जीएफआर और आरएडंपी नियमों पर आधारित हैं। प्राधिकरण के लेखा सिद्धांत और नीतियाँ संक्षेप में निम्न प्रकार हैं:

1. चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम

प्रबंधन की राय में चालू परिसंपत्तियाँ, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य सामान्य कार्य— व्यवहार में वसूली होता है, जो कम से कम तुलन—पत्र में दर्शाई गई कुल राशि के बराबर होता है। वर्ष के दौरान अग्रिमों में वृद्धि मुख्य तौर पर कर्मचारियों/बाहर की पार्टियों को दिए गए अग्रिमों के कारण होती है।

कराधान

वित्तीय वर्ष 2014—15 में प्राधिकरण को AAAGF0023K. पैन नम्बर मिला।

फार्म जीएसटी आरईजी-06

वित्तीय वर्ष 2017—18 में प्राधिकरण को 07AAAGF0023K1ZV जीएसटी नम्बर मिला।

2. विदेशी मुद्रा में खर्च

2.1	सीआईएफ आधार पर परिकलित आयातों का मूल्य ::	
	तैयार माल की खरीद	शून्य
	कच्चा माल और कंपोनेंट (ट्रांजिगत सहित)	शून्य
	पूँजीगत माल	शून्य
	स्टोर, स्पेयर और उपभोज्य समान	शून्य
2.2	विदेशी मुद्रा में खर्च:	
	क) यात्रा	शून्य
	ख) वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को विदेशी मुद्रा में अदायगी और ब्याज का भुगतान	
	विदेशी मुद्रा में बैंक	
	ग) अन्य खर्च :	
	बिक्री पर कमीशन	शून्य
	कानूनी और प्रोफेशनल खर्च	शून्य
	विविध खर्च	शून्य
2.3	आय:	
	एफबीओ आधार पर निर्यातों का मूल्य	शून्य
	सेवाओं का मूल्य	शून्य

3. वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्राधिकरण के लिए लागू किए गए निर्धारित प्रारूप में की गई है।
4. **निधियों के स्रोत**
प्राधिकरण के बजट में निधियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है: —
 - i) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से निवल अनुदान
 - ii) विविध प्राप्तियाँ, जैसे लाइसेंस शुल्क, नमूना परीक्षण, शुल्क, बचत बैंक खातों पर ब्याज, मियादी जमा पर ब्याज और अन्य विविध प्राप्तियाँ इत्यादि।
5. आंकड़ों को निकटवर्ती रूपों में पूर्णांकित कर दिया गया है।
6. **स्थाई परिसंपत्ति निधि और भवन निधि**
लेखानुदानों से अर्जित पूंजीगत परिसंपत्तियों का स्थाई परिसंपत्तियों के अंतर्गत पूँजीकरण कोर्पस निधि के तहत अनुदान का पूँजीकरण करके और साथ-साथ वर्ष के लिए प्राप्त लेखानुदान को कम करके दिया गया है। तदनुसार स्थिर परिसंपत्तियों पर प्रभारित मूल्य हास को निधि-आधारित लेखांकन और मिलान धारणा के अनुसार संबंधित निधि को प्रभारित किया गया है।
7. आंकड़ों का निकटम रूपों तक पूर्णांकन किया गया है।
8. पिछले वर्ष के आँकड़ों को, जहाँ आवश्यक हो, एजीसीआर द्वारा निर्धारित और सुझाए गए तथा प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत प्रारूप के अनुसार पुनः समूहीकृत/पुनः तैयार किया गया है।
9. 1 से 27 तक अनुसूचियाँ संलग्न हैं और ये यथा 31-03-2022 के तुलन पत्र और उस तिथि को समाप्त वर्ष के आय और व्यय लेखा का अभिन्न अंग हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-2022 के दौरान पार्टियों को दिया गया अग्रिम

क्र. स.	पार्टियों के नाम	राशि
1	सीधि भर्ती	198,695
2	भारतीय गुणता परिषद (फेज 1)	14,280,000
3	सेंटर फॉर डेप्लोयमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग	951,300
4	पीबीबी गैंगटोक सिक्किम	500,000
5	चेन्नई कार्यालय को विशाखापट्टनम पोर्ट के लिए दी गई अग्रिम राशि	4,645,992
6	आईआईटीआर शाखा के निदेशक को परियोजना के लिए	500,000
7	श्री अखिलेश आर मोटावाला के नकदीकरण छोड़ने हेतु	40,000
8	खाद्य सुरक्षा आयुक्त, लद्दाख को दी गई अग्रिम राशि	4,256,000
9	पंजाब बायोटेक्नोलॉजी इनक्यूबेटर को दी गई अग्रिम राशि	833,000
10	हिमाचल प्रदेश राज्य को दी गई अग्रिम राशि	10,967,000
11	ओडिशा राज्य को दी गई अग्रिम राशि	6,938,000
12	गोआ एमओयू राज्य के लिए दी गई अग्रिम राशि	8,610,000
13	वर्ष 21-22 के दौरान कर्नाटक राज्य को दी गई अग्रिम जीआईए	73,033,000
14	वर्ष 21-22 के दौरान अंडमान व निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र को दिया गया अग्रिम जीआईए	8,389,000
15	उत्तराखंड राज्य को दिया गया अग्रिम	30,494,000
16	आईसीएआर-नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीट को दी गई अग्रिम राशि	500,000
17	खाद्य सुरक्षा की रक्तियों की पूर्ती के लिए मणिपुर राज्य को दी गई अग्रिम राशि	8,153,000
18	श्री पी कार्तिकेयन, डीडी को दी गई एलटीसी	148,356
19	आईसीएआर इकाई एनडीआरआई करनाल को दी गई अग्रिम राशि	500,000
20	आयुक्त, खाद्य एवं औषध नियंत्रण, गाँधीनगर, गुजरात को दी गई अग्रिम राशि	52,500
21	डॉ मनीषा नारायण व अन्य को यात्रा निगरानी के लिए दी गई अग्रिम राशि	66,771
22	आईसीएआर इकाई एनआरसी को अंगूर के लिए दी गई अग्रिम राशि	1,000,000
23	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टाक्सीकोलॉजी रिसर्च को दी गई अग्रिम राशि	1,000,000
24	पंजाब बायोटेक्नोलॉजी इनक्यूबेटर को दी गई अग्रिम राशि	1,154,058
25	त्रिपूरा राज्य को दी गई अग्रिम राशि	2,747,000
26	मध्य प्रदेश राज्य को दी गई अग्रिम राशि	14,978,000
27	धनजंय कुमार को दी गई अग्रिम एलटीसी	4,000
29	आईसीएआर-आईआईएचआर बैंगलोर को दी गई अग्रिम राशि	500,000
30	महालेखापरीक्षक युएस रायपुर	500,000
31	नागालैंड राज्य को दी गई अग्रिम राशि	15,434,000
32	मेघालय राज्य खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र	9,022,000
33	मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा आयुक्त को दी गई अग्रिम राशि	400,000

क्र. स.	पार्टियों के नाम	राशि
34	मध्य प्रदेश को दी गई अग्रिम राशि	400,000
35	आईसीएआर- सीआईएफटी को दी गई अग्रिम राशि	576,000
36	ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन	818,824
37	ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन	605,084
38	सीएसआईआर- राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली	116,769
39	खाद्य एवं उद्योग प्रशासन गाँधीनगर	80,000
40	एनआईटीईएम अग्रिम	1,707,730
41	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, जे एंड के को दिया गया अग्रिम	400,000
42	राजस्थान राज्य को दिया गया अग्रिम	53,842,000
43	अरुणाचल प्रदेश राज्य को दिया गया अनुदान	2,470,000
44	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ को दिया गया अनुदान	3,484,000
45	एनसीटी दिल्ली को दिया गया अग्रिम	6,141,000
46	ईएफआरएसी को दिया गया अग्रिम	732,000
47	एनआईटीईएम को दिया गया अग्रिम	17,672,648
48	गुजरात राज्य को दिया गया अग्रिम	73,760,000
49	आईसीएआर सीसीआरआई को दी गयी अंतिम किश्त	246,400
50	एनबीसीसी	40,000,000
51	इंडियन हेबीटेट सेंटर अग्रिम	90,000
52	सिक्किम राज्य	6,684,000
53	मिजोरम राज्य	9,841,000
54	खाद्य एवं औषध प्रशासन उज्जैन को दिया गया अग्रिम	200,000
55	आउटरीच एंड कम्युनिकेशन ब्यूरो को दिया गया अग्रिम	5,904
56	ईट राइट मेला वाकेथैन के लिए 14 शहरों को दिया गया अनुदान	2,773,572
57	संघ राज्य क्षेत्र जे एंड के	18,735,000
58	झारखंड राज्य	10,698,000
59	इंडियन हेबीटेट सेंटर को दी गई अग्रिम राशि	9,736
60	चिकित्सा विभाग, बिहार सरकार को दिया गया अग्रिम	200,000
61	6 विभिन्न सरकारी एजेंसियों को दिया गया अग्रिम	3,261,427
62	महाराष्ट्र पशु एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नागपुर को दी गई किश्त	500,000
63	नागालैंड सरकार को दी गई अग्रिम राशि	400,000
64	त्रिपुरा और सिक्किम सरकार को दी गई अग्रिम राशि	400,000
65	आईसीएआर- केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान	906,587
66	एमओयू संघराज्य क्षेत्र लक्ष्यद्वीप	2,371,000
67	सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्युटिंग	107,144

क्र. स.	पार्टियों के नाम	राशि
68	केरेला राज्य को दिया गया अनुदान	23,972,000
69	दूरदर्शन प्रसार भारती	55,356,750
70	सीएफटीआरआई मैसूर को दी गई अग्रिम राशि	500,000
71	सीडीएसी	100,000
72	सीएसआईआर-सीएफटीआरआई को दी गई अग्रिम राशि	103,500
73	सीएएलएफ, एनडीडीबी, आनंद गुजरात को दी अग्रिम राशि	92,700
74	सीएएलएफ, एनडीडीबी, आनंद गुजरात को दी अग्रिम राशि	500,000
75	पीबीटी, मोहाली को दी गई अग्रिम राशि	2,600,000
76	पीबीटी, मोहाली को दी गई अग्रिम राशि	5,109,247
77	ईट राइट मेला वाकेथैन के लिए 9 राज्यों को दिया गया अनुदान	1,800,000
78	ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन	37,474
79	राहुल मुकुन्दराओ वराहदपांडे को दी गई एलटीसी अग्रिम	19,073
80	खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं प्रधान सचिव को दिया गया अग्रिम	12,600,000
81	खाद्य सुरक्षा की रक्तियों को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश के साथ समझौता ज्ञापन	91,230,000
82	खाद्य सुरक्षा की रक्तियों को पूरा करने के लिए उत्तराखंड के साथ समझौता ज्ञापन	111,000
83	बिहार एमओयू राज्य को दी गई अग्रिम राशि	53,948,000
84	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, जम्मू का खाद्य सुरक्षा इको- एस ओटीएच सुदृढ़ीकरण	25,200,000
85	पश्चिम बंगाल राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति	4,200,000
86	हरियाणा राज्य को दी गई अग्रिम राशि	9,368,000
87	त्रिपुरा राज्य को दी गई अग्रिम राशि	138,000
88	मेघालय राज्य को दी गई अग्रिम राशि	147,000
89	ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन	51,422
90	असम राज्य को दिया गया अग्रिम	25,968,000
91	मेसर्स महेन्द्र एंड कम्पनी	6,947,546
92	हिमाचल प्रदेश जीआईए राज्य	92,000
93	जम्मू एंड कश्मीर जीआईए संघ राज्य क्षेत्र	1,008,000
94	तमिलनाडु राज्य को दिया गया एमओयू	34,521,000
95	दादर एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र को दिया गया एमओयू	6,575,000
96	मध्य प्रदेश राज्य को दी गई अग्रिम राशि	235,000
97	हरियाणा राज्य को दी गई अग्रिम राशि	222,000
98	पश्चिम बंगाल राज्य का एम ओ यू	97,833,000
99	ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन	29,565
100	मिजोरम राज्य को दी गई अग्रिम एमओयू	2,556,000
101	जिला अधिकारी / जिला मजिस्ट्रेट एवं सेटलमेंट को दी गई अग्रिम राशि	200,000

क्र. स.	पार्टियों के नाम	राशि
102	पदांकित अधिकारी एफएसडीए, भादोही, यू पी को दी गई अग्रिम राशि	201,016
103	उड़ीसा राज्य का एमओयू	4,624,600
104	पंजाब राज्य का एमओयू	13,665,720
105	अग्रिम	426,700
106	अग्रिम- महाराष्ट्र राज्य	122,442,000
107	आईआरसीटीसी इंटरनेट टिकटिंग भुगतान	22,811,760
108	पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र	7,611,000
109	डीआईआईएचआर को दी गई अग्रिम राशि	30,000,000
110	सिक्किम राज्य को दिया गया अग्रिम	629,000
111	कर्नाटक को दिया गया अग्रिम	3,030,000
112	बीओसी	19,711
113	बीओसी	13,142
114	पंजाब राज्य को दी गई एमओयू	128,000
115	मणिपुर राज्य को दिया गया एमओयू	111,000
116	अरुणाचल प्रदेश का राज्य एमओयू	1,647,500
117	गुजरात राज्य के पारिस्थितिकी तंत्र को दिया गया अग्रिम	3,128,000
118	आईसीएआर- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर	500,000
119	मेसर्स नेशनल कोमोडिटिस मेनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड	10,169,432
120	गोआ राज्य का अग्रिम	170,000
121	भारतीय मानक ब्यूरो	41,418
122	नागालैंड राज्य	532,000
123	कर्नाटक राज्य	12,600,000
124	झारखंड राज्य	237,000
125	राजस्थान राज्य का एमओयू अग्रिम	35,502,000
126	प्रसार भारती ईट राइट इंडिया का अग्रिम	9,390,066
127	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2,000,000
128	असम एफएसडब्ल्यू को दिया गया अनुदान	1,500,000
129	गोआ एफएसडब्ल्यू को दिया गया अनुदान	1,000,000
130	पश्चिम बंगाल को दिया गया अनुदान	11,000,000
131	झारखंड को दिया गया अनुदान	2,000,000
132	हरियाणा राज्य	3,000,000
133	मध्य प्रदेश को दिया गया अनुदान	4,000,000
134	राजस्थान को दिया गया अनुदान	1,000,000
135	गुजरात को दिया गया अनुदान	13,000,000

क्र. स.	पार्टियों के नाम	राशि
136	दिल्ली को दिया गया अनुदान	3,000,000
137	छत्तीसगढ़ को दिया गया अनुदान	4,000,000
138	छत्तीसगढ़ का राज्य एमओयू	10,970,000
139	महेंद्र एंड कम्पनी	4,631,697
140	एडवर्ड फूड रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर लिमिटेड	1,098,300
141	पंजाब का अनुदान	2,000,000
142	मेघालय का अनुदान	2,000,000
143	मणिपुर का अनुदान	1,000,000
144	चंडीगढ़ का अनुदान	1,000,000
145	तमिलनाडु का अनुदान	2,000,000
146	सिक्किम का अनुदान	1,000,000
147	कर्नाटक का अनुदान	1,000,000
148	प्रसार भारती एफएम रेनबो	929,420
149	आईआईएचएम बैंगलोर	18,375
150	महाराष्ट्र का अनुदान	2,000,000
151	राजस्थान का राज्य एमओयू	392,000
152	ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्प्यूनिकेशन	3,497,324
153	तमिलनाडु राज्य को दिया गया अनुदान	4,760,000
154	त्रिपुरा राज्य को दिया गया अनुदान	4,805,000
155	उत्तर प्रदेश राज्य को दिया गया अनुदान	1,200,000
156	उत्तराखंड राज्य को दिया गया अनुदान	1,120,000
157	पुदुचेरी राज्य को दिया गया अनुदान	980,000
158	पंजाब राज्य को दिया गया अनुदान	600,000
159	राजस्थान राज्य को दिया गया अनुदान	1,270,000
160	उड़ीसा का अनुदान	660,000
161	एजीलेंट टेक्नोलोजी इंडिया पीवीटी एलटीडी	12,131,254
162	मध्य प्रदेश राज्य को दिया गया अनुदान	700,000
163	केरेला राज्य को दिया गया अनुदान	1,220,000
164	कर्नाटक राज्य को दिया गया अनुदान	500,000
165	झारखंड राज्य को दिया गया अनुदान	700,000
166	जम्मू एंड कश्मीर राज्य को दिया गया अनुदान	720,000
167	हिमाचल प्रदेश राज्य को दिया गया अनुदान	620,000
168	हरियाणा राज्य को दिया गया अनुदान	820,000
169	गुजरात राज्य को दिया गया अनुदान	3,375,000

क्र. स.	पार्टियों के नाम	राशि
170	गोआ राज्य को दिया गया अनुदान	4,165,000
171	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	260,000
172	छत्तीसगढ़ राज्य	2,015,000
173	बिहार राज्य	690,000
174	असम राज्य	700,000
175	पश्चिम बंगाल	2,685,000
176	मणिपुर राज्य	850,000
177	नागालैंड राज्य	845,000
178	महाराष्ट्र राज्य	1,425,000
179	महालेखापरीक्षक यूएस रायचुर	500,000
180	राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड	900,000
181	नेटस्कोफेन	1,807,755
182	जम्मू एवं कश्मीर ईट राइट मेला	200,000
183	ब्युरो ऑफ आउटरीच कॉम को दिया गया अनुदान	19,711
184	सौमाल्य बैनर्जी को दी गई एलटीसी एडवांस की राशि	11,000
185	संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख को दी गई अग्रिम राशि	105,000
186	यूके राज्य को दी गई अग्रिम राशि	6,543,000
187	अरुणाचल प्रदेश राज्य को दी गई अग्रिम राशि	100,000
188	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ को दिया गया अग्रिम	1,740,000
		1,364,813,675

वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान पार्टियों को दिया गया अग्रिम

क्र. स.	पार्टियों के नाम	राशि
1	एनआईसीएसआई	17,394,908
2	लाल बहादुर शास्त्री प्रकाशन राष्ट्रीय अकादमी केन्द्र	368,493
3	नेशनल फूड फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल एनालाइसिस के निदेशक को दी गई अग्रिम राशि	81,317
4	उच्च श्रेणी के उपकरणों की खरीद हेतु आईआईएफटी बाह्य परियोजना के लिए दी गई अग्रिम राशि	8,120,588
5	उपकरणों की खरीद हेतु आईसीएआर-एनआरसीएम हैदराबाद को दी गई अग्रिम राशि	4,023,500
6	एफआईडी, एनपीडी और ईसीडी के साथ जीसी की खरीद हेतु	132,000,000
7	एफआईडी, एनपीडी और ईसीडी के साथ जीसी की खरीद हेतु	54,000,000
8	स्टफ एंड स्टॉक को दी गई अग्रिम राशि	158,591
9	खाद्य एवं औषध प्रशासन, नियंत्रक, नया रायपुर को अनुदान के रूप में दी गई अग्रिम	6,000,000
10	एफडीए गुजरात को दिया गया अग्रिम	49,560
11	आईसीएआर- नेशनल रेफरल लेबोरेटरी फॉर फिश को दिए गए अनुदान अग्रिम	2,500,000
12	बीआईएस को दिया गया अग्रिम	23,541
13	135 शहर	67,500,000
14	पोस्ट पेमेंट के लिए नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल	1,439,600
15	एनडीडीबी	104,351
16	डिस्ट्रिक्ट डुअल हेल्थ सोसाइटी बंसवारा को दिया गया अग्रिम अनुदान	6,400,000
17	विकास केन्द्र मेसर्स पुष्प सर्विस रु 80 लाख को दिया गया अग्रिम अनुदान	997,808
18	135 शहर	15,000,000
19	अहमदाबाद	6,800,000
20	आईटीसी मुम्बई	1,000,000
21	ए.सी मिश्रा और चंदन कुमार दास को दिया गया एलटीसी अग्रिम	55,500
22	तीन राज्यों हिमाचल प्रदेश / केरेला / मेघालय को दिया गया अग्रिम अनुदान	21,919,500
23	तीन राज्यों हिमाचल प्रदेश / केरेला / मेघालय को दिया गया अग्रिम अनुदान	34,305,000
24	तीन राज्यों हिमाचल प्रदेश / केरेला / मेघालय को दिया गया अग्रिम अनुदान	19,465,000
25	अरुणाचल प्रदेश को दिया गया अग्रिम अनुदान	4,259,500
26	मध्य प्रदेश को दिया गया अग्रिम अनुदान	92,682,000
27	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र को दिया गया अग्रिम अनुदान	17,239,000
28	उड़ीसा राज्य को दिया गया अग्रिम अनुदान	10,344,000
29	डिजिटल हस्ताक्षर हेतु जीएनवीएफसी लिमिटेड को दी गई अग्रिम राशि	19,420
30	सूक्ष्मजैविक प्रयोगशाला, सोलन की स्थापना के लिए अग्रिम अनुदान	5,000,000
31	त्रिपुरा, खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र हेतु अग्रिम अनुदान	3,790,350
32	त्रिपुरा, खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र हेतु अग्रिम अनुदान	12,804,500
33	135 शहर	10,500,000

क्र. स.	पार्टियों के नाम	राशि
34	सीएफएल/आरएफएल प्रयोगशाला में GSMSMS एवं LSMSMD की खरीद हेतु अग्रिम	34,936,798
35	श्री दिनेश कुमार, प्रशासनिक अधिकारी के लिए अग्रिम (50000)	50,000
36	आईसीएआर इकाई सीएफटी को मजबूत धातु के लिए अग्रिम अनुदान	400,000
37	प्रफुल्ल रंजनन एवं विनय तरुण को दिया गया अग्रिम अनुदान (30000+30000+30000)	60,000
38	नागालैंड को दिया गया अग्रिम अनुदान	5,995,000
39	अरविंद कुमार, प्र.अ. को दिया गया एलटीसी अग्रिम विशेष पैकेज ब्लॉक	60,000
40	एनआरएल (मैसूर) के रूप में विभिन्न गतिविधियों का संचालन करने के लिए सीएसआईआर-सीएफटीआरआई को दिया गया अग्रिम	269,889
41	एनआरएल (लखनऊ) के रूप में विभिन्न गतिविधियों का संचालन करने के लिए सीएसआईआर-सीएफटीआरआई को दिया गया अग्रिम	625,000
42	विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए पीबीटीआई मोहाली को दिया गया अग्रिम	625,000
43	जम्मू एवं कश्मीर राज्य को दिया गया अग्रिम अनुदान	22,563,500
44	पंजाब राज्य को दिया गया अग्रिम अनुदान	13,743,000
45	झारखंड राज्य को दिया गया अग्रिम अनुदान	20,585,500
46	उत्तर प्रदेश राज्य को दिया गया अग्रिम अनुदान	173,425,000
47	अनुदान के रूप में राज्य को दिया गया अग्रिम	32,669,000
48	अनुदान के रूप में राज्य को दिया गया अग्रिम	39,829,000
49	विनय कुमार तरुण को दिया गया एलटीसी अग्रिम (30000)	30,000
50	वर्ष 2020-21 एलटीसी विशेष नगद पैकेज ब्लॉक के लिए श्री अरविंद कुमार ए.डी सिविल को दिया गया अग्रिम	60,000
51	श्रीमती रेम्या के. कुमार को एलटीसी को-एसएच विशेष के रूप में दिया गया एलटीसी अग्रिम	40,000
52	छत्तीसगढ़ राज्य को अनुदान के रूप में दिया गया अग्रिम	18,290,000
53	कर्नाटक राज्य को अनुदान के रूप में दिया गया अग्रिम	21,118,000
54	श्री शरद अग्रवाल को दिया गया एलटीसी अग्रिम एवं कैश विशेष पैकेज 2020-21	40,000
55	गोआ राज्य को अनुदान के रूप में दिया गया अग्रिम	6,599,000
56	एनआईएफटीएम को परियोजना हेतु प्रथम किश्त के रूप में दिया गया अग्रिम	1,848,570
57	दिल्ली एनसीटी को अनुदान के रूप में दिया गया अग्रिम	5,845,000
58	एमओवी असम के लिए दिया गया अग्रिम	31,268,700
59	इंदरजीत हुरा को दिया गया एलटीसी अग्रिम	40,000
60	बीएसईएस यमुना पॉवर एलटीडी को एएमसी के रूप में दिया गया अग्रिम	354,000
61	त्रिवेंतपुरम को अनुदान के रूप में दिया गया अग्रिम	816,740
62	चंडीगढ़ को अनुदान के रूप में दिया गया अग्रिम	3,324,500
63	बिहार को अनुदान के रूप में दिया गया अग्रिम	24,108,000
64	हैदराबाद	5,000,000
65	उप निदेशक, एचएसएसपीएचएल पूणे, को दिया गया अग्रिम	6,288,624

क्र. स.	पार्टियों के नाम	राशि
66	एनडीडीबी	1,875,000
67	राजस्थान को दिया गया अग्रिम	10,469,000
68	सीएफडीए रायपुर को दिया गया अग्रिम	2,000,000
69	डीओ क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, को दिया गया अग्रिम	1,000,000
70	कामिनी	7,165,795
71	प्रकाशन के नियंत्रक	1,032,756
72	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी	570,000
73	आईसीएआर कोच्ची को अनुदान के रूप में दिया गया अग्रिम	8,821,295
74	आईआईसीटी / एनआईएफटीएम / सीएसआईएआर मैसूर / आईसीएआर कोच्ची / आईसीएआर मीट को दिया गया अग्रिम	2,288,829
75	उपरोक्त राज्यों को दिया गया अग्रिम	6,800,000
76	निफ्ट को दिया गया अग्रिम	111,864
77	राज्यों को अनुदान	500,000
		1,069,888,387

वित्तीय वर्ष 2019-2020 के दौरान पार्टियों को दिया गया अग्रिम

क्र. स.	पार्टियों के नाम	राशि
1	सुनिल बख्शी	80,000
2	आईसीएआर = सीआईबीए	147,463
3	सुश्री सुनीति टुटेजा (स्वीटजरलैंड)	26,900
4	बीएसईएस	119,000
5	डॉ अनिल चंद मिश्रा + सुश्री साक्षी पिपलियाल	199,899
6	सुश्री रीता तेवतिया अध्यक्ष + श्री बालम गिरी (स्वीडेन)	56,700
7	एनआईसीएसआई	37,425
8	सुश्री रीता तेवतिया, अध्यक्ष एवं श्री पी. कार्तिकेयन (जेनेवा)	171,000
9	एनआईसीएसआई	1,415,659
10	आईसीएआर ग्रेप्स पुणे	1,000,000
11	निर्यात एजेन्सी कोलकाता	400,000
12	निर्यात एजेन्सी चेन्नई	400,000
13	राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड	46,509
14	सीएसआईआर – आईआईटीआर	96,750
15	विमता लैब्स	1,000,000
16	सीएसआईआर – सीएफटीआरआई	377,886
17	फेयर लैब्स	1,000,000
18	नीओजेन फूड एंड एनीमल्स सिक्योरिटी इंडिया पीवीटी एलटीडी	1,000,000
19	ट्राइलोजी एनालिटिकल लैब	1,000,000
20	एनबीसीसी	97,500,000
21	एनआईएफटीएम हरियाणा	178,000
22	सीएफटीआरआई – मैसूर	160,500
23	नेशनल कोलेटरल मैनेजमेंट सर्विस	34,524
24	सीएसआईआर मैसूर	396,250
25	कामिनी कंस्ट्रक्शंस	3,581,496
26	बामर एंड लॉरी	2,500,000
27	कामिनी कंस्ट्रक्शंस	32,504,348
28	न्यु मोती बाग लेडीस क्लब	43,000
29	एडवर्ड फूड रिसर्च कोलकाता	1,000,000
30	एनआईसीएसआई	1,440,780
31	एनआईसीएसआई	3,333,264
32	एनआईसीएसआई	450,911
33	नेशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फूड टेक्नालॉजी	100,000
34	आईटीसी एफएसएएन	1,000,000

क्र. स.	पार्टियों के नाम	राशि
35	एनआईसीएसआई	4,336,273
36	एएफएसटी (आई) मैसूर	200,000
37	ईआईए कोच्ची	27,104
38	सीआईएफटी कोच्ची	217,326
39	सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कम्प्यूटिंग	1,243,164
40	डब्ल्यूएचओ कोडेक्स ट्रस्ट फंड	14,650
41	निदेशक एनएफएल गाजियाबाद	389,500
42	आईटीसी एफएसएन मुंबई	496,725
43	बीएसईएस	119,000
44	एनबीसीसी एलटीडी	128,054,212
45	श्री प्रमोद शाहजी एवं सुश्री अकांक्षा दुआ (यूएसए)	260,000
46	श्रीराम इन्सटीट्यूट	284,450
47	कोलकाता विश्वविद्यालय	140,600
48	सेंट्रल न्यू एजेन्सी	6,860
49	सीएफएल कोलकाता	6,212,447
	आईसीएआर सीआईएफटी केरेला	1,000,000
	कुल	29,58,00,575

वित्तीय वर्ष 2018-2019 के दौरान पार्टियों को दिया गया अग्रिम

क्र. स.	पार्टियों के नाम	राशि
1	सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लाइव स्टॉक	50,000
2	सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग	53,900
3	डाटा सेंटर एनडीसी	3,859,818
4	डीडीओ	11,800
5	आईसीएआर यूनिट सीआईएफटी कोच्ची	126,845
6	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ हैदराबाद	125,143
7	इंडीयन इंस्टिट्यूट ऑफ टोक्सीकोलॉजी रिसर्च	200,000
8	आईटीपीओ	414,180
9	मिराकी स्पोर्ट्स एंड इन्टरटेनमेंट पीवीटी. एलटीडी	50,000
10	एनबीसीसी एलटीडी	15,000,000
11	एनआईएफटीईएम कुंडली हरियाणा	170,000
12	ऑयल लेबरेटरी विभाग, कोलकाता	214,113
13	गुणवत्ता विश्लेषण प्रयोगशाला	186,098
	कुल	2,04,61,897

वित्तीय वर्ष 2008-2018 के दौरान पार्टियों को दिया गया अग्रिम

क्र. स.	पार्टियों के नाम	राशि
1	बी.एस.आचार्य, उप निदेशक, को दिया गया टीए अग्रिम	34,800
2	सुश्री के.के. जीथा, बर्लिन	76,523
3	श्री राजेश कुमार (नार्वे)	120,000
4	श्री बिमल कुमार दुबे, वाशिंगटन	133,464
5	श्री कुमार अनिल, सलाहकार (यूएसए)	39,913
6	सुश्री चित्रा बामोला, चीन	105,365
7	सुश्री सुनीति टुटेजा एवं हिना यादव, ऑस्ट्रेलिया	-686
8	श्री सुनील कुमार बख्शी, रोम, इटली	-150,509
9	अनीता माखीजानी एवं सुनील बख्शी	143,366
10	रुबीना शाहिन, जर्मनी	10
11	सिंगापुर का अधिकारिक दौरा	326,000
12	एस.एस राघव/अरुण सिंह/अर्चना	156
13	सुनील बख्शी को दिया गया एफटीए, 12-14 मई, 2017 इटली	2,325
14	सुनील बख्शी को जेनेवा दौरे के लिए दिया गया एफटीए	96,161
15	9 सदस्यों का पेरिस दौरा	11,288
16	5 अधिकारियों को दिया गया एफटीए	150,000
17	केन्द्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण समिति	35,000
18	सहायक निदेशक संपदा (कैश)	135,000
19	सहायक निदेशक संपदा (कैश)	15,000
20	अल्पकोर्ड नेटवर्क	10,114
21	नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल	7,080
22	बॉमर एंड लॉरी	1,920,048
23	बॉमर एंड लॉरी	3,000,000
24	बॉमर एंड लॉरी	129,906
25	एफसीआई, मुंबई	100,000
26	एफसीआई, मुंबई	100,000
27	विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (केलेंडर)	17,250
28	विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डायरी)	6,750
29	राजस्थान इलेक्ट्रानिक्स	49,328
30	सीपीडब्लूडी	162,104
31	प्रगति इंडियन ऑयल	22,576
32	प्रगति इंडियन ऑयल	21,840

क्र. स.	पार्टियों के नाम	राशि
33	सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ फिशरिज टेक.	150,000
34	एनआईसीएसआई	13,479
35	नेशनल इन्फॉरमेटिक्स सेंटर सर्विसेज	18,583
36	नेशनल इनफॉरमेटिक्स सेंटर सर्विसेज	144,786
37	मनुपात्रा इनफॉरमेशन सल्युशन्स	48,300
38	डिप्टी जेनरल, इंडियन काउंसिल	10,982
39	एमओएचएफडब्लू	7,650
40	पीसीआई एंड एच	2,000
41	मनुपात्रा	46,000
42	डाइरेक्टरेट ऑफ जेनेरल इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल	638
43	बाल पुस्तक न्यास	2,292
44	बाल पुस्तक न्यास	2,156
45	मनुपात्रा इनफॉरमेशन सोल्युशन पीवीटी एलटीडी	47,081
46	सेंटर फॉर साइंस एंड इनवाइरोमेंट	550
47	बी.एस.आचार्य	26,966
48	उदय नाथ खटुआ	13,122
49	विवेक सक्सेना	92,315
50	एवीपी पीवीटी एलटीडी	14,134
51	ऑल इंडिया फूड प्रोसेसिंग एसोसियेशन	2,167
52	प्राधिकृत अधिकारी चेन्नई	10,000
53	प्राधिकृत अधिकारी जेएनपीटी नाव सेवा	10,000
54	प्राधिकृत अधिकारी सी पोर्ट, चेन्नई	10,000
55	बैग फुल	1,200
56	खाद्य सुरक्षा आयुक्त, जम्मू एंड कश्मीर	245,073
57	कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंस्टिट्यूट	1,850,000
58	दक्ष एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी	264,900
59	दीन दयाल उपाध्याय	227,802
60	विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी)	4,456,977
61	उप निदेशक एसपीआईपीए, अहमदाबाद	1,002
62	फिक्की	
63	महासचिव, दिल्ली टेलीग्राफ एकादेमी	50,000
64	एच.एस.सी.सी इंडिया एलटीडी	16,414
65	इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑरगेनाइजेशन	200,000
66	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बैंगलोर	437,698

क्र. स.	पार्टियों के नाम	राशि
67	नेशनल इंस्टिट्यूट न्यूट्रिशन	4,743,444
68	एस.एस बिल्डकोन प्राईवेट लिमिटेड गाजियाबाद	200,000
69	राज्य स्वास्थ्य समाज (आईडीएसएस), जयपुर	456,400
70	यूएचएफडब्लूएस खाद्य सुरक्षा और मानक देहरादून	161,600
71	उप निदेशक चेन्नई	110,000
72	उप निदेशक (एफ एंड वीपी) एनबीसीसी	44,394
73	उप निदेशक, गुवाहाटी	10,000
74	उप निदेशक— कोलकाता	62,336
75	उप निदेशक मुंबई	90,000
76	एलटीसी अग्रिम	196,363
77	पितांबर सिंह	5,625
78	आर.बी. खोटकर	4,237
79	एस.के. हल्दर	10,000
80	एस.एस.तोमर	86,400
81	प्रकाशन नियंत्रक	224,400
82	विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय	47,575
83	विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय	4,647
84	विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय	200,326
85	विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय	42,279
86	विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय	5,205,514
87	विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय	1,014,261
88	इंडियन फूड पैकर	5,000
89	विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (केलेंडर)	85,860
90	भारतीय खेल प्राधिकरण	1,265,000
91	स्कॉच परामर्शी सेवाएं प्राईवेट लिमिटेड	138,000
92	इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑरगेनाइजेशन	50,000
93	विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय	58,374
94	एपीईडीए	63,000
95	एपीईडीए	94,500
96	आईसीएआर	199,881
97	भारतीय खेल प्राधिकरण	1,722,500
98	भारतीय खेल प्राधिकरण	11,939
99	स्कॉच परामर्शी	153,400
100	ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया	796,500

क्र. स.	पार्टियों के नाम	राशि
101	भारतीय खेल प्राधिकरण	265,500
102	एनएसएस इवेंट्स एंड इक्जीविशन	725,417
103	नेशनल प्रोडक्टीविटी काउंसिल	1,000
104	सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान	2,000
105	निदेशक,स्वास्थ्य सेवा (लक्ष्यद्वीप)	62,750
106	ग्रामिण प्रबंधन संस्थान, आनंद	35,955
107	एफडीए छत्तीसगढ़	67,250
108	दीन दयाल उपाध्याय संस्थान	57,000
109	पी. कार्तिकेयन, पुष्पींदर जीत,सुखमणि सिंह	10,605
110	श्री एस.सी. खुराना (नगद में)	19,388
111	एसएचएसबी एनआरएचएम-बी	64,400
112	एनआईपीएचएम	81,708
113	खाद्य एवं औषध प्रशासन के नियंत्रक	112,000
114	संचालक आरसीवीपी नोरोन्हा प्रशासन एकादमी, भोपाल	68,950
115	कनफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री	8,000
116	आईआईसीए	25,000
117	एनएबीएल हेतु डी ओ मुंबई	65,510
118	आर्थिक विकास संस्थान	235,000
119	एनआईपीएचएम	117,600
120	राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र (24-18 अप्रैल, 2017)	207,000
121	राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र (1-5 मई, 2017)	207,000
122	बीआईएस एनआईटीएस	5,849
123	एलपकोर्ड नेटवर्क एवं राष्ट्रीय उत्पादकता के संबंध में मदन जी की जापान यात्रा	17,768
124	राजभाषा (हिंदी विभाग) को दिया गया अग्रिम भुगतान	1,000
125	एनएबीएल नई दिल्ली	94,400
126	आर्थिक विकास संस्थान	235,000
127	निर्यात निरीक्षण एजेन्सी, मुंबई	117,500
128	प्रिथा त्रिपाठी	5,000
129	प्रिथा त्रिपाठी	6,500
130	सौमाल्या बैनर्जी	13,000
131	डिफेन्स फूड रिसर्च प्रयोगशाला	176,500
132	राष्ट्रीय खाद्य तकनीकी संस्थान	160,000
133	केन्द्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान	247,500
	कुल	36,406,994

Ceyf
- 7 NOV 2022

ए.एम.जी-IV/एस.ए.आर/भा.खा.सं.मा.प्रा./07-137/2022-23/ 742

दिनांक: 04.11.2022

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति, श्री अनिल सिंघल, भा.प्र.से., मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, एफ.डी.ए. भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002, को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-1100124 को भेजी जाए।

अनुलग्नक: यथोपरि

प्रोमी

(प्रोमी)

उप-निदेशक (ए.एम.जी-IV)

ए.एम.जी-IV/एस.ए.आर/भा.खा.सं.मा.प्रा./07-137/2022-23/

दिनांक:

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के वर्ष 2021-22 का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र सहित महानिदेशक (स्वायत्त निकाय), भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124 को अग्रेषित की जाती है।

यह पत्र महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय व्यय) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

अनुलग्नक: यथोपरि

- हस्ता -

(प्रोमी)

उप-निदेशक (ए.एम.जी-IV)

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के तहत 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (प्राधिकरण) के संलग्न तुलन पत्र, और उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखा और प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणियों का उत्तरदायित्व भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के प्रबंधन का है। हमारा उत्तरदायित्व इन वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के आधार पर अपनी राय प्रकट करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में केवल वर्गीकरण, उत्तम लेखांकन रीतियों से अनुरूपता, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण प्रतिमानों इत्यादि के संबंध में लेखांकन संव्यवहार पर भारत के नियंत्रक-महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां समाविष्ट हैं। विधि, नियमों एवं विनियमों (औचित्य और नियमशीलता) के अनुपालन में वित्तीय लेन-देनों और दक्षता-सह-निष्पादन संबंधी पहलू इत्यादि, यदि कोई हों, पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ निरीक्षण रिपोर्टों/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से अलग से रिपोर्ट की जाती हैं।

3. हमने यह लेखापरीक्षण भारत में सामान्यतः मान्य लेखांकन मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम लेखापरीक्षण का नियोजन और निष्पादन इस प्रकार करें कि हम तर्कसंगत रूप से आश्वासित हो सकें कि वित्तीय विवरणियों में गलत वस्तुपरक विवरण नहीं दिया गया है। लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर जाँच करना, धनराशि के समर्थन में साक्ष्य और वित्तीय विवरणियों में प्रकटीकरण शामिल होता है। लेखापरीक्षा में, प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा लगाए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के आकलन के साथ-साथ वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा किया गया लेखापरीक्षण हमारी राय के लिए उचित आधार प्रस्तुत करता है।

4. अपने लेखापरीक्षण के आधार पर हम प्रतिवेदित करते हैं कि:-

i) हमें वे सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण प्राप्त हो गए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर हमारे लेखापरीक्षण के लिए आवश्यक थीं;

ii) इस प्रतिवेदन में विनिर्दिष्ट तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा और प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित समान लेखा प्रारूप में तैयार किए गए हैं;

iii) हमारी राय में जैसा हमारी जाँच से देखने में आया है प्राधिकरण द्वारा समुचित लेखाबहियाँ और अन्य संबंधित अभिलेख बनाए रखे हैं।

iv) हम यह भी प्रतिवेदित करते हैं कि:

क. तुलन पत्र

क.1 कॉर्पस/पूँजीगत निधि और देयताएँ

क.1.1 वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान (अनुसूची-7) – ₹45.48 करोड़

क.1.1.1 प्राधिकरण ने विभिन्न शीर्ष अंतर्गत ₹2.66 करोड़ का प्रावधान नहीं किया है (मार्च माह के लिए अप्रैल 2022 में देय कर्मचारियों/संविदा पर कर्मचारियों इत्यादि का वेतन के – ₹236.05 करोड़, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कर्मचारियों को बोनस – ₹0.51 लाख, टेलीफोन व्यय – ₹0.21 लाख, मोटर वाहन व्यय – ₹0.28 लाख, कार्यालय व्यय – ₹15.39 लाख और सुरक्षा व्यय – ₹13.61 लाख)। इसके परिणामस्वरूप चालू देयताओं (प्रावधान) में और व्यय में ₹2.66 करोड़ कम दर्शाए गए हैं।

क.2 परिसंपत्तियाँ

क.2.1 निवेश (अन्य) (अनुसूची-10) – ₹420.78 करोड़

क.2.1.1 वार्षिक लेखा में प्राधिकरण ने ₹416.28 करोड़ का निवेश दर्शाया है, जबकि (अंकित मूल्य के अनुसार) वास्तव में राशि ₹395.00 करोड़ थी। हालांकि उपार्जित ब्याज निवेश का भाग नहीं है और अनुसूची – 11 (चालू परिसंपत्तियों) के अंतर्गत दर्शायी जानी चाहिए, प्राधिकरण ने उपार्जित ब्याज को निवेश के रूप में दर्शाया जिसके परिणामस्वरूप ₹21.28 करोड़ का अतिरिक्त निवेश प्रदर्शित किया गया। इस कारणवश निवेश में ₹21.28 करोड़ अधिक और चालू परिसंपत्तियों में ₹21.28 करोड़ कम दर्शाए गए।

क.2.2 चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम राशियाँ, इत्यादि (अनुसूची-11) – ₹542.72 करोड़

क.2.2.1 चालू परिसंपत्तियाँ (अनुसूची-11क) – ₹219.66 करोड़

क.2.2.1.1 उपर्युक्त में बैंक की शेष राशि के रूप में 'एफडी पर काटा गया टीडीएस – ₹8.95 करोड़' और ((एफडी से भिन्न) पर काटा गया टीडीएस – ₹4 लाख) शीर्षों के अंतर्गत ₹8.99 करोड़ शामिल हैं। हालांकि यह बैंक की शेष राशि का भाग नहीं है और इसे नकद या ऋण के रूप में वसूली योग्य अग्रिम राशियाँ और अन्य राशियाँ, अग्रिम राशियाँ और अन्य परिसंपत्तियाँ-अनुसूची 11(ख) के अंतर्गत "प्राप्य दावे" में दर्शाया जाना चाहिए। इस कारणवश चालू परिसंपत्तियाँ (अनुसूची – 11क) में ₹8.99 करोड़ अधिक और ऋण, अग्रिम राशियाँ और अन्य परिसंपत्तियाँ (अनुसूची – 11ख) में ₹8.99 करोड़ कम दर्शाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, चूंकि दोनों राशियाँ मीयादी जमा से संबंधित हैं, इन्हें लेखा में संयोजित आंकड़ों के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। इसके लिए संशोधन की आवश्यकता है।

क.2.2.2 ऋण, अग्रिम राशियाँ और अन्य परिसंपत्तियाँ (अनुसूची-11ख) – ₹323.05 करोड़

क.2.2.2.1 प्राधिकरण ने अनुसूची-11 (चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम राशियाँ, इत्यादि) में 'अग्रिम किराया चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट' और 'अग्रिम किराया जेएनपीटी मुंबई' शीर्षों के अंतर्गत क्रमशः ₹14.81 करोड़ और ₹2.34 करोड़ दर्शाया है। हालांकि वास्तव में प्राधिकरण ने चेन्नई और मुंबई के लिए क्रमशः ₹17.09 करोड़ और ₹2.53 करोड़ की राशि का एकमुश्त भुगतान करके दिनांक 29.01.2020 से दिनांक 28.01.2050 तक 30 वर्षों के लिए कार्यालयी कामकाज के लिए लीज के आधार पर (क्रमशः 1306 वर्ग मीटर और 11873 वर्ग फुट) भूमि क्षेत्र किराए पर लिया है। चूंकि प्राधिकरण ने भूमि का अधिग्रहण लीज के आधार पर किया है, यह राशि अनुसूची – 8 (स्थायी संपत्तियाँ) में दर्शायी जानी चाहिए और लीज की अवधि में इस राशि को चुकाया जाना चाहिए। अतः स्थायी परिसंपत्तियों में लीज राशि को शामिल न किए जाने के कारण चालू परिसंपत्तियाँ (अग्रिम राशियाँ) में ₹17.15 करोड़ अधिक और स्थायी परिसंपत्तियाँ (बिल्डिंग) में ₹17.15 करोड़ कम दर्शाए गए हैं।

इसके अतिरिक्त वास्तव में भुगतान की गई राशि और वार्षिक लेखा में दर्शायी गई राशि के बीच के अंतर का समाधान करने की आवश्यकता है।

क.2.2.2.2 प्राधिकरण ने एनबीसीसी को गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश में कार्यालय बिल्डिंग के निर्माण के लिए अग्रिम राशि के रूप में ₹28.05 करोड़ प्रदान किया है, जिसमें से एनबीसीसी ने ₹26.03 करोड़ का उपयोग कर लिया है। उपयोग में लाई गई यह राशि अनुसूची-8 (स्थायी परिसंपत्तियाँ) में प्रगतिधीन कार्य पूँजी के रूप में दर्शाने की आवश्यकता थी और तदनुसार अग्रिम राशियों का समायोजन किया जाना था। हालांकि प्राधिकरण ने इस राशि को अग्रिम राशि के रूप में दर्शाया है जिसके कारण चालू परिसंपत्तियाँ (अग्रिम राशियाँ) में ₹26.03 करोड़ की राशि अधिक और अनुसूची-8 में प्रगतिधीन कार्य पूँजी (स्थायी परिसंपत्तियाँ) ₹26.03 करोड़ कम दर्शायी गई है।

ख. आय और व्यय

ख.1 प्राधिकरण ने फर्नीचर, फिक्चर, एसी प्रणाली, एमएमयू भवन में लिफ्ट संबंधी कार्य के लिए ₹7.17 करोड़ रुपये खर्च किए और इसे अनुसूची 22 के अंतर्गत व्यय (लघु कार्य – सामान्य) में 'भवन की मरम्मत एवं रख-रखाव' के रूप में माना। इस कारणवश पूँजीगत परिसंपत्तियों में ₹7.17 करोड़ कम और व्यय में ₹7.17 करोड़ अधिक दर्शाए गए।

ग. सामान्य

ग.1 आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक 15 के उल्लंघन में लेखा में सेवानिवृत्ति संबंधी लाभों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

ग.2 प्राधिकरण को आयकर से छूट दी गई थी लेकिन इसने आयकर प्राधिकरण से अपनी आय से कटी हुई ₹8.99 करोड़ की टीडीएस राशि की वसूली के लिए कार्रवाई नहीं की। आयकर प्राधिकरण से राशि वापस प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

ग.3 2012-13 से अब तक प्राधिकरण ने रख-रखाव, बिजली व्यय और जल प्रभार के लिए सीडीएससीओ की ओर से ₹6.01 करोड़ के विभिन्न भुगतान किए थे, जिन्हें अनुसूची-11 में (ऋण, अग्रिम और करंट) में दर्शाया गया था। चूंकि वर्ष 2012-13

से यह संचित राशि वसूल करने योग्य है, अतः यह राशि सीडीएससीओ से वसूल की जाए।

ग.4 दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार, प्राधिकरण के पास 2008-09 से 2021-22 की अवधि से संबंधित ₹278.74 करोड़ के बकाया अग्रिम थे। इस संबंध में, 2019-2020 की अवधि के लिए कुछ समायोजन को छोड़कर शून्य समायोजन किया गया। अग्रिम के समायोजन के लिए इस पर विशेष ध्यान देने व प्रयास करने की आवश्यकता है।

ग.5 पुराने चेक का रद्द होना लंबित है

विभाग द्वारा जारी चेक प्राप्तकर्ता द्वारा तीन महीने की वैध अवधि के अन्दर नहीं भुनाए जाने की स्थिति में इसे रद्द कर दिया जाएगा तथा राशि नकदखाते में वापिस ली जानी चाहिए। हालाँकि, 2012-13 से 2020-21 के दौरान कुल ₹76.91 लाख के चेक थे जो जारी किए गए थे लेकिन अभी तक भुनाए नहीं गए थे और इस प्रकार वे पुराने हो गए हैं। इसलिए, प्राधिकरण इन चेकों को रद्द कर राशि को नकदखाते में वापस ले।

घ. सहायता अनुदान:

वर्ष 2021-22 के दौरान प्राधिकरण को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से ₹285.29 करोड़ की अनुदान सहायता प्राप्त हुई। वर्ष की शुरुआत में प्राधिकरण के पास वर्ष ₹5.87 करोड़ की अव्ययित राशि शेष है। प्राधिकरण ने 31 मार्च, 2022 तक ₹288.17 करोड़ की राशि का उपयोग किया और कुल ₹2.99 करोड़ अप्रयुक्त अनुदान अव्ययित शेष राशि के रूप में शेष रही।

ङ. प्रबंधन-पत्र

लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई कमियाँ प्राधिकरण के प्रबंधन (मेनेजमेंट) को अलग से जारी किए गए प्रबंधन-पत्र के माध्यम से सुधारात्मक कार्यवाई के लिए सूचित कर दी गई हैं।

च. जवाबी प्रतिक्रिया की कमी

प्राधिकरण का प्रबंधन विभाग (मेनेजमेंट) निर्धारित समय के अन्दर अलग मसौदा लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर जवाब देने में असफल रहा है।

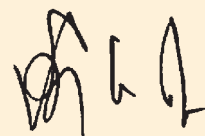
v. पूर्ववर्ती पैराग्राफों में हमारे अवलोकनों के अध्याधीन हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट में तुलन पत्र (बैलेंस शीट), आय एवं व्यय लेखा और प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा लेखाबहियों के अनुसार हैं।

vi. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, ऊपर कथित महत्वपूर्ण मामलों तथा इस ऑडिट रिपोर्ट के अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों के अध्याधीन लेखांकन नीतियाँ और लेखा-टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरणियाँ भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्त के अनुरूप सही और निष्पक्ष स्वरूप दर्शाते हैं।

क. जहां तक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार प्राधिकरण के मामलों के तुलन पत्र से संबंध है; और

ख. जहां तक संबंध उस तिथि को समाप्त वर्ष के अधिशेष आय एवं व्यय लेखा से है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से



(संजय कुमार झा)

लेखा परीक्षा महानिदेशक

(केन्द्रीय व्यय)

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 04.11.2022

अनुबंध

1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

प्राधिकरण में किसी भी प्रकार की आंतरिक लेखा परीक्षा विंग की स्थापना नहीं की गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020–21 तक प्राधिकरण की आंतरिक लेखा परीक्षा का संचालन किया गया था। 2014–15 से 2018–19 से यथा स्थिति के अनुसार 44 आंतरिक लेखा परीक्षा पैरा और 15 वैधानिक लेखा परीक्षा पैरा मौजूद हैं।

2. आंतरिक नियंत्रण पद्धति की पर्याप्तता

क) नकदखाते का रख-रखाव इलैक्ट्रानिक प्रारूप में किया जाता है।

ख) परिसम्पत्ति रजिस्टर विभिन्न सम्पत्तियों का कुल प्रगतिशील आँकड़ा नहीं दर्शाता तथा अनुसूची 8—स्थायी सम्पत्ती के अन्तर्गत दर्शाए गए निर्धारित प्रारूपों के अनुरूप नहीं बनाए रखा गया।

ग) अनुसूची-11 (चालू परिसम्पत्ति), के अन्तर्गत प्राधिकरण ने क्षेत्रीय कार्यालय बचत खाता में ₹53.03 की बैंक राशि दर्शायी है। हालाँकि 31.03.2022 तक प्राधिकरण के पास अलग-अलग बैंकों से बैंक बैलेंस प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं थे। इस का मिलान करने की आवश्यकता है।

घ) प्राधिकरण ने अन्य व्यय के संबंध में डीओ एफएसएसआई से प्राप्त राशि अर्थात् डीओ गुवाहाटी (7292) एवं डीओ मुम्बई केनेरा (8298) से ₹36,236 एवं ₹24,43,030 क्रमशः की पावती रशीद दर्शायी है। ऐसी प्रविष्टियों के विवरण प्राधिकरण के पास उपलब्ध नहीं थे। इस का मिलान करने की आवश्यकता है।

3. अचल परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की पद्धति

क्षेत्रीय कार्यालयों और प्राधिकरण के मुख्यालय के संबंध में स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन वर्ष 2021–22 तक किया गया।

4. वस्तुओं के भौतिक सत्यापन की पद्धति

वर्ष 2021–22 के लिए लेखन-सामग्रियों और अन्य उपभोग्य सामग्रियों जैसी वस्तुओं का भौतिक सत्यापन किया गया था। यद्यपि बहियों का भौतिक सत्यापन वर्ष 2020–21 (सितम्बर, 2021) में किया गया था।

5. वैधानिक देयताओं के भुगतान में नियमितता

यथा 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार, प्राधिकरण की कोई वैधानिक देयताएँ शेष नहीं हैं।



कार्यालय महानिदेशक लेखा परीक्षा (केन्द्रीय व्यय)
Office of the Director General of Audit, (Central Expenditure)
इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली 110 002
Indraprastha Estate, New Delhi -110 002

ए.एम.जी-IV/एस.ए.आर/भा.खा.सं.मा.प्रा./07-137/2022-23/ 740

दिनांक: 04.11.2022

सेवामें,

सचिव, भारत सरकार,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
निर्माण भवन, नई दिल्ली-110001.

(Handwritten Signature)
-7 NOV 2022

विषय : वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

मैं भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-22 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति उसके प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित संसद के पटल पर रखने के लिए संलग्न करती हूँ।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय, 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-1100124, को भेजी जाए।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाये कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनो के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय (Governing Body) द्वारा अनुमोदित अवश्य करा लिया जाये तथा यह भी सुनिश्चित करें कि 2021-22 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र को संसद के पटल पर रखने से पहले सभी पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र संसद के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके हों।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद एवं इसे जारी करने से सम्बन्धित सभी कार्यों को आपके निकाय द्वारा किया जाना ही अपेक्षित है। पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद जारी करते समय निम्नलिखित अस्वीकरण (disclaimer) अंकित करें।

“प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इस में कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।”

अनुलग्नक: यथोपरि।

भवदीया,
(Handwritten Signature)
(प्रोमी)

उप-निदेशक (ए.एम.जी-IV)



भारतीय खाद्य सुरक्षा और
मानक प्राधिकरण
FOOD SAFETY AND STANDARDS
AUTHORITY OF INDIA

विश्वास के प्रेरक, सुरक्षित और पोषक आहार के आश्वासक

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

Inspiring Trust, Assuring Safe & Nutritious Food

Ministry of Health and Family Welfare, Government of India

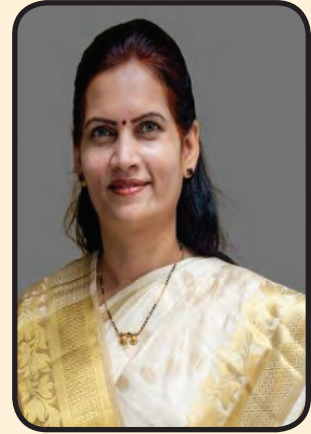
वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2021-22

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
Food Safety and Standards Authority of India



डॉ. मनसुख मांडविया
Dr. Mansukh Mandaviya
माननीय केन्द्रीय मंत्री
Hon'ble Union Minister

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
Ministry of Health & Family Welfare



डॉ. भारती प्रविण पवार
Dr. Bharati Pravin Pawar
माननीय राज्य मंत्री
Hon'ble Minister of State

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
Ministry of Health & Family Welfare

Table of Contents

Chaper No.	Subject	Page No.
1.	Overview	1
2.	Duties, Governance Structure and Human Resource	10
3.	Standards and Regulations	22
4.	Food Safety Compliance	42
5.	Food Testing & Surveillance	56
6.	Food Imports	80
7.	Food Safety Training and Capacity Building	86
8.	Social and Behavioural Change and Eat Right Initiative	93
9	Codex	108
10.	International Cooperation	114
11.	Digitalisation, Leveraging Technology and e-Governance at FSSAI	117
12	Rajbhasha	122
13	RTI Matters	125
14.	Financial Statements	127

List of Tables

Table No.	Subject	Page No.
Table 1	Progress on enforcement metrics for the year 2021-22	4
Table 2	Overview of duties & functions of the Food Authority	11
Table 3	Members, other than the Chairperson, of the Food Authority (Section 5)	12
Table 4	Ex-officio members of the Food Authority during the year 2021-22 under Section 5 (1) (a)	13
Table 5	Post-wise sanctioned strength of FSSAI	16
Table 6	List of Scientific Panels and number of meetings held during the year 2021-22	23
Table 7	Details of Working Groups	24
Table 8	List of Final Regulations notified during the year 2021-22	34
Table 9	List of draft regulations notified during the year 2021-22	35
Table 10	Research Projects closed during the year 2021-22	37
Table 11	Ongoing Research Projects	38
Table 12	NetSCoFaN groups and assigned food categories with financial support for Food-'O'-Copoeia monographs	39
Table 13	Details of administrative setup of enforcement machinery in States/UTs under FSS Act, 2006 (as on 31.03.2022)	50
Table 14	Details of samples analysed, found non-conforming and penal action taken during the year 2021-22	52
Table 15	Details of Inspections conducted through FoSCoRIS during the year 2021-22	54
Table 16	List of de-notified labs which obtained NABL Accreditation and were re-notified by FSSAI during 2021-22	71
Table 17	List of other Food Testing Laboratories notified during the year 2021-22	72
Table 18	List of Notified Primary and Referral Food Testing Laboratories	73
Table 19	State-wise number of Food Testing Laboratories in the Country	74

Table No.	Subject	Page No.
Table 20	List of notified NRLs/ANRLs	75
Table 21	Grant released to SFTLs during the year 2021-22	77
Table 22	State-wise distribution of Food Safety on Wheels	78
Table 23	Data of Food Import Clearance through FICS for the period 1st April, 2021 to 31st March, 2022	85
Table 24	Sector-wise details of FoSTaC Trainings during the year 2021-22	86
Table 25	Training Programmes for Regulatory personnel conducted during the year 2021-22	89
Table 26	Details of Training Programs for FSSAI's officials	91
Table 27	Codex meetings held virtually during the year 2021-22 and India's contribution.	108

List of Figures

Figure No.	Subject	Page No.
Figure 1	Composition of the Food Authority, 2021-22	13
Figure 2	Organisational structure of the Food Authority	15
Figure 3	FSSAI's Day Care Centre	19
Figure 4	Gym and Yoga facility	20
Figure 5	Scientific work at FSSAI vis-à-vis its statutory and non-statutory bodies	22
Figure 6	Launch of Portal for submission of declarations	28
Figure 7	Launch of Vegan logo by Hon'ble Minister for Health and FW	31
Figure 8	Internal view of the FSW Van	63
Figure 9	External view of the FSW Van	63
Figure 10	Some Glimpses of Training Programs for Laboratory Personnel etc.	65
Figure 11	Glimpses of Food Handlers' Training	88
Figure 12	Glimpses of a few Regulatory Trainings	90
Figure 13	Group Photo during Induction Training for FSSAI's officials (16th August – 04th September, 2021)	92
Figure 14	Launches of Challenges/Competitions	101
Figure 15	Glimpses of FSSAI's stall at India International Trade Fair, 2021	102
Figure 16	Hon'ble Union Minister of Health and Family Welfare during his visit to FSSAI	103
Figure 17	Hon'ble Minister of State for Health and Family Welfare flagging of Food Safety on Wheels	104
Figure 18	Glimpses of Mega Expo & Science Book Fair, 2022 at JLN Stadium Grounds, New Delhi	104
Figure 19	Glimpses of Eat Right Mela and Walkathon	105
Figure 20	Snapshots of some social media posts	107
Figure 21	Cover page of Khadyanjali Jan-March, 2022	124

Chapter-1

Overview

- 1.1** The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI in short), also referred to as the “Food Authority”, was established in September, 2008 under the Food Safety and Standards (FSS) Act, 2006 (Act no. 34 of 2006), primarily for laying down science-based standards for articles of food and to regulate their manufacture, storage, distribution, sale and import to ensure availability of safe and wholesome food for human consumption. Its detailed mandate is given in Section 16 of the FSS Act, 2006. The Act was operationalised with the notification of Food Safety and Standards Rules, 2011 and six Principal Regulations with effect from the 5th August, 2011. Since then, FSSAI has taken a long stride and has made considerable progress in meeting its mandate under the Act.
- 1.2** In line with the motto of ‘inspiring trust, assuring safe and nutritious food’, the Food Authority has worked relentlessly to fulfil its mandate through the following approach:
- setting globally benchmarked regulations and standards;
 - facilitating compliance through licensing/registration, inspection, sampling, audit, surveillance and improved laboratory network;
 - regulating imports for ensuring safety of imported food products;
 - building capacity of regulatory staff, laboratory personnel as well as food business operators and food handlers;
 - promote eat right initiatives in the true spirit of convergence;
 - embracing technology to streamline processes;
 - forging strategic partnerships to generate and exchange knowledge and best practices;
 - actively participate in Codex meetings and forge bilateral agreements with foreign governments and international organisations to promote co-ordination of work on food standards and other food related issues.

This chapter highlights an overview of the activities and achievements of FSSAI for the reporting year 2021-22 in alignment with the approach described above. The details are given in the relevant chapters.

- 1.3** The Food Authority met on five occasions during the year 2021-22 and took several important decisions. However, it continued to function with a truncated strength in the absence of appointment of Members against available vacancies under clauses (b), (c), (d), (e), (f) & (g)

of sub-section (1) of Section 5 of FSS Act, 2006. A few special invitees from industry and other sectors were, however, invited to ensure that deliberations in the Authority meetings were broad based and interactive.

- 1.4** Central Advisory Committee (CAC) advises the Food Authority on a number of issues and ensures close co-operation with various stakeholders such as food industry, consumer organizations, research institutions and States food authorities. The CAC met on four occasions during the year and discussed several important issues.
- 1.5** The Scientific Committee (SC), which is primarily responsible for providing scientific opinion to the Food Authority, held four meetings during the year and made various recommendations to the Food Authority.
- 1.6** 21 subject specific Scientific Panels (SPs) remained active during the year and cumulatively held 71 meetings and made recommendations on formulation of standards and other related matters relating to the respective subjects.
- 1.7** Eight Working Groups commissioned by the Scientific Committee to deal with specific issues held a total of fifteen meetings during the year.
- 1.8** FSSAI constantly works towards framing of new Regulations and review of existing Regulations as may be necessitated. During the year 2021-22, 11 final notifications and 17 draft notifications were issued. Final notifications involved a number of amendments to existing Regulations which primarily related to new/revised standards of various food products. However, Amendment Regulations also related to provision for labelling of Multi-Source Edible Oil; inclusion of registration and inspection of Foreign Food manufacturing facilities exporting food to India; use of non-transparent packaging material for packaged drinking water etc.
- 1.9** Draft regulations notified during the year for inviting comments from stakeholders included Principal Regulations on Vegan Food and Ayurveda Aahar. Vegan Food Regulation aims at certification of food of non-animal origin and use of Vegan Logo for such products. Ayurveda Aahar regulations recognises age old principles of Ayurveda and the Aahara prepared as per the ancient texts.
- 1.10** To expedite process of examination of applications for approval of products under Food Safety and Standards (Approval for Non-Specified Food and Food Ingredients) Regulations, 2017, the numbers of Expert Committee increased from three to six. The six Expert Committees held a total of 22 meetings during the year to consider the applications. As a result of examination of such applications, 66 applications were approved, while 30 applications were rejected.
- 1.11** The Expert Committee constituted under Food Safety and Standards (Advertising and Claims) Regulations, 2018 to consider applications for approval of non-standardised claims held four meetings and approved one claim. One more claim was approved after acceptance of the appeal.

- 1.12** FSSAI has issued Guidance Notes/Guidance documents to create awareness and better understanding among the public on issues of concern around food safety and provide information on specific foods or specific issues. During the year, 3 Guidance Notes on 'Display of Information in Food Service Establishments; 'elimination of trans fatty acids'; and 'Standard Operating Procedure for fixation of Maximum Residue Limits (MRLs) of pesticides in food commodities' were published. FAQs were also issued in respect of 'Food Safety and Standards (Health Supplements, Nutraceuticals, Food for Special Dietary Use, Food for Special Medical Purpose, Functional Food and Novel Food) Regulations, 2016 and on the issue whether use of iodised salt is mandatory in standardised products, which specify the use of Edible Common Salt?
- 1.13** Network of Scientific Cooperation for Food Safety and Applied Nutrition (NetSCoFAN) was established in January, 2020 as a network of research and academic institutions working in the area of food and nutrition. The NetSCoFAN currently comprises of 08 groups with 10 lead institutions working together with other partner institutions in different areas of food safety and concerns. During the year 2021-22, a total grant of ₹ 91,40,995 was given to 10 lead institutes for carrying out NetSCoFAN activities.
- 1.14** Under the Scheme for support to R&D projects having relevance to the FSSAI mandate and other emerging issues related to food safety, FSSAI has so far funded 23 joint projects out of which 16 projects have been completed while seven projects are currently at different stages of progression.
- 1.15** Food-'O'-Copoeia is a collection of food category-wise monographs that would be a single point reference for all applicable standards for a specific product category and, will be specifying complete standards, labelling and claim requirements, specific packaging requirements, any other regulatory provisions that need to be met for that product category. FSSAI awarded financial support to eight NetSCoFAN groups to develop the 17 monographs for various food categories. Total expenditure of ₹ 85 lakh was sanctioned for the purpose. FSSAI has received the first draft of monographs which are currently under examination.
- 1.16** FSSAI now has a sanctioned strength of 824 posts. A majority of these posts were sanctioned in 2018 only. The Recruitment Regulations for various posts in FSSAI were notified on 01 October, 2018 only. The process of recruitment against sanctioned posts on regular basis as per the provisions of the Recruitment Regulations was initiated thereafter. Results for 288 posts covered under 4 advertisements for filling up posts on direct recruitment basis, namely DR 01/2019, DR-02/2019, DR-03/2019 and DR-01/2020 have been declared and 266 selected persons have already joined while others are in process of joining. During 2021-22, FSSAI started second phase of direct recruitment covering 271 posts. Process of selection for these posts is underway.

In addition, FSSAI also advertised 72 posts for being filled up on deputation basis and two

posts on contract basis. The recruitment process for these posts is also underway.

- 1.17** During the year, FSSAI opened new branch/port offices at Visakhapatnam, Hyderabad, Bengaluru, Ahmedabad and JNPT, Mumbai. It was also decided to open branch/port offices at Indore and Nasik. One National Food Laboratory has also been established and made functional at JNPT, Mumbai while another is being established at Chennai Port Trust, Chennai.
- 1.18** States/UTs are an important partner and primarily responsible for ensuring compliance of the provisions of the FSS Act, 2006 and Rules and Regulations made thereunder. States/UTs continued to strengthen their administrative set up for enforcement. As on 31st March, 2022, States/UTs have appointed a total of 733 Adjudicating Officers, 690 Designated Officers (415 Full Time and 275 Part Time) and 2574 Food Safety Officers (2292 Full Time and 282 Part Time). Appellate Tribunals have been established in 33 States/UTs.
- 1.19** Due to continuous efforts made in this regard, the number of licenses and registrations issued to new FBOs increased substantially during 2021-22 compared to previous years.
- 1.20** Regular surveillance, monitoring, inspection and random sampling of food products continued to be undertaken by the food safety officials of respective States/UTs to check for compliance against the provisions of FSS Act, Rules and Regulations made thereunder. The details of samples of food analysed, found non-conforming and penal action taken against the defaulting Food Business Operators during the year 2021-22 is given in Table-1 below:

Table 1- Progress on enforcement metrics for the year 2021-22

S.No.	Enforcement Metric	Numbers
1	food samples analysed	1,44,345
2	total samples found non- conforming	32,934
a.	non-conforming samples-unsafe	4,890
b.	non-conforming samples-sub standard	16,582
c.	non-conforming samples-labelling defects/misleading/miscellaneous	11,462
3	number of civil cases launched	28,906
4	number of convictions in civil cases	19,437
5	amount of penalty imposed in civil cases	₹ 53,39,15,801
6	number of criminal cases launched	4946
7	number of convictions in criminal cases with fine and imprisonment	671
8	amount of penalty imposed in criminal cases	₹ 1,38,22,020
9	number of acquittals in criminal cases	87

- 1.21** FSSAI undertook a number of initiatives during 2021-22 to facilitate FBOs in matter of obtaining license and registration. These, inter-alia, included allowing migration of State license to Central license and vice-versa in case of change in license criteria without changing the license number; permitting shift of premises either intra-state or inter-state without change in license/

registration number; enabling FBOs to renew their license even after expiry etc.

- 1.22** FSSAI has developed a web based mobile app called 'Food Safety Compliance through Regular Inspection and Sampling' system (FoSCoRIS) for inspections and sampling to bring transparency. It is not only an empowering tool for inspection but also for monitoring, data collection and data analysis in real time basis. States have been advised to conduct inspection only through FoSCoRIS. As against 60,232 FoSCoRIS inspections conducted during 2020-21, the number of food businesses inspected through FoSCoRIS during 2021-22 increased to 2,19,775.
- 1.23** FSSAI has launched a State Food Safety Index (SFSI) to measure the performance of States on food safety and nudge them to perform better. This index is based on performance of States/UTs on five significant parameters, namely-Human Resource and Institutional Data; Compliance; Food Testing Infrastructure and Surveillance; Training and Capacity Building; and Consumer Empowerment. 3rd SFSI for the year 2020-21 was released on 20th September, 2021. Gujarat among the larger States, Goa among the smaller States and J&K among the UTs were the top rankers in the Index.
- 1.24** To strengthen food safety ecosystem in States/UTs, FSSAI has taken initiative from the year 2020-21 to provide technical and financial support to States/UTs under an MoU framework. For the year 2021-22, FSSAI received work plan proposals from 35 States and UTs. These proposals were finalised after discussion with the States/UTs and an amount of ₹ 95.48 Crore was released to these States/UTs.
- 1.25** Under Food Safety and Standards (Food Safety Auditing) Regulations, 2018, FSSAI has recognised 33 food safety auditing agencies for carrying out food safety audit with regard to compliance to the hygiene and sanitary requirements specified in Schedule 4 of Food Safety and Standards (Licensing and Registration) Regulations, 2011.
- 1.26** FSSAI continued to take steps to strengthen the food testing infrastructure during 2021-22. 39 State Food Testing labs, which were continuing under transition provision of Section 98 of the Act and had not taken any steps to seek NABL accreditation were discontinued in Dec, 2020 from the ambit of FSS Act. This coercive action has forced such labs to initiate steps to obtain NABL accreditation. During the year, 14 State Food Testing Labs obtained NABL accreditation and were recognised and notified under Section 43(1) of the FSS Act. 29 other laboratories were also notified for primary testing raising the total to 227 as on 31st March, 2022. Further, newly established National Food Laboratory, Navi Mumbai was also notified as Referral Lab raising the total to 20.
- 1.27** In order to have a uniform and standardised method for testing of fortificants in fortified rice across the country consequent upon decision of mandatory fortification of rice to be supplied through ICDS, MDM and PDS, steps were taken for standardisation of testing method and method verification and Proficiency testing by laboratories.
- 1.28** FSSAI conducted Gap Analysis of 76 State Food Testing Laboratories and 2 of its own labs

through independent experts. Based on the key findings, the gaps identified are being addressed by granting funds to SFTLs under specific heads under the MoUs being signed with States/UTs.

- 1.29** Under the Central Sector Scheme for “Strengthening of the Food Testing System in the Country including provision for Mobile Food Testing Labs” (SOFTeL) which was rolled out during 2016-17, a grant of ₹ 12.54 Crore was sanctioned/released towards strengthening of State Food Testing Laboratories (SFTLs) during the year. With this, as on 31st March, 2022, 41 SFTLs in 30 States/UTs have been strengthened with a total sanctioned/ released grant of ₹ 327.02 Crore. Further, a grant of ₹ 5.53 Crore was also released to 3 Referral Labs during the year for upgradation with high-end equipment raising the total approved grant for Referral labs to ₹ 33.18 Crore.
- 1.30** Under the Scheme, FSSAI has also been providing Mobile Food Testing Labs, called Food Safety on Wheels (FSW), costing appx. ₹ 37 lakhs (excluding GST) to States/UTs for undertaking testing, training and awareness activities in remote areas of the State. During the year, 83 more FSWs were provided raising the total to 173.
- 1.31** Another component of the Scheme relates to capacity building of laboratory personnel and other stakeholders in food testing and analysis. During the year, FSSAI conducted 5 physical training programs especially for personnel from State Food Testing Laboratories which were attended by 45 personnel. FSSAI also conducted 197 online training programs and certificate courses in coordination with its three training centres as well as NDDDB, Anand, which were attended by 13,899 participants.
- 1.32** FSSAI has been conducting Pan India surveys on different food products to assess the ground realities on compliance of FSS Regulations and take remedial actions based on the findings. During the year, FSSAI conducted Pan India surveys on Trans Fatty Acid, Jaggery and Spices. FSSAI also conducted Desktop surveys on Pesticide residues in food as well as Desktop survey on heavy metals in food.
- 1.33** Under the RAFT Scheme, FSSAI approves Rapid Analytical Food testing Kit, Equipment or Method to facilitate carrying out on the spot field testing by Food Safety Officers (FSOs) or Mobile Testing Labs or to improve speed and reduce testing costs in food laboratories. During the period, 19 such applications were scrutinized out of which 10 were finally approved and 05 were not recommended. 04 applications were withdrawn by the applicants. Since the inception of RAFT Scheme in 2019, FSSAI has approved 75 rapid food testing kits/equipments/methods.
- 1.34** A document titled “Standard Specifications for setting up of a Basic Food Testing Laboratory” was released by Hon’ble Union Health Minister Dr. Mansukh Mandaviya on 20th Sept, 2021. These specifications will lead to the Good Laboratory Practices (GLP) and enhance the accuracy of the testing result from the laboratories.

- 1.35** It is the responsibility of Food Authority to ensure safety of food imported into India. As on 31st March, 2022, the Food Authority was directly regulating food imports at 56 major points of entry at 13 locations through its own Authorised Officers. During the year, a total of 91,694 imported food items weighing 74,12,411.80 Metric Tonnes (MTs) were handled by FSSAI. On the basis of scrutiny, visual inspection and testing, NOCs were issued to 89,885 items, weighing 73, 57,847.25 MTs.
- 1.36** To ensure uninterrupted supply of imported crude oil (edible grade) and pulses in the country, Authorised Officers were directed vide Order dated 13th July, 2021 to facilitate and carry out food import clearance process on priority and, if required, on weekends also to expedite the clearance.
- 1.37** Considering its significant import, it was decided vide Order dated 18th January, 2022 that till such time the standards for raw cashew nuts are notified, it may be considered as “food not specified” and standards for the same may be adopted.
- 1.38** FSSAI’s flagship Food Safety Training and Certification (FoSTaC) programme initiated in 2017 for training and capacity building of food handlers in good hygiene and manufacturing practices based on Schedule 4 of FSS (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulations, 2011 is being held through online and offline(classroom) mode with the help of 262 empanelled Training Partners and 2,186 trainers. During the year 2021-22, 9876 trainings of food handlers were conducted in which 3,63,677 food handlers were trained. Further, 106 trainings of two hours duration specifically on Covid-19 food safety guidelines were also conducted in which 2,233 persons were trained.
- 1.39** For regulatory officials namely, Food Safety Officers, Designated Officers etc. FSSAI conducted eight training programs during 2021-22 in which 535 regulatory officials were trained. FSSAI also conducted eight training programmes for its own officials.
- 1.40** FSSAI signed an MoU with the Ministry of Food Processing Industries under which FSSAI would provide training to food handlers of micro level food processing units on good hygiene & manufacturing practices, food testing process and other regulatory requirements. MoU also provides for training of District Resource Persons on application procedure for obtaining FSSAI license or registration for such units.
- 1.41** FSSAI continued with its activities under Eat Right India Initiative to provide people safe food, healthy and sustainable diets. The Eat Right India adopts a judicious mix of regulatory, capacity building, collaborative and empowerment approaches to ensure that food people eat is safe and healthy. Important initiatives include Hygiene Rating Scheme, Blissful Offering to God (BHOG), Eat Right Home, Eat Right School, Eat Right Campus, Eat Right Station, Clean Street Food Hub, Clean Vegetable and Fruit Market, Repurpose Used Cooking Oil (RUCO) etc. During the year, considerable progress was made in each of these initiatives.

- 1.42** Various Information, Education and Communication (IEC) activities were undertaken during the year to educate stakeholders and consumers about Eat Right initiatives, food safety and essential elements of the FSS Act, Rules & Regulations. The Eat Smart Cities Challenge was launched to scale up the Eat Right India approach at city level. 109 smart cities participated in this challenge. Top 11 cities were announced and now these cities have entered the scale up stage of the Challenge wherein the projects undertaken at the pilot stage will be scaled up in a sustainable manner.
- 1.43** FSSAI also launched the Eat Right Research Awards and Grant to have a wider collaboration with various academic and research institutions to encourage and recognize high-quality research in the area of food safety.
- 1.44** Competitions and challenges such as 'Nature's Sweetness in every bite recipe competition' (recipes with less sugar), 'Indi-genius Food Challenge' (for promoting millets), 'Tadke Bina Zayka' (recipes using less oil and fat) were conducted to encourage people to come up with healthy recipes. Information on Eat right initiatives and other FSSAI programmes and activities were also disseminated to various target groups by using online channels of communication including print, electronic & social media as well as offline mediums including events/ exhibitions, melas and trade fairs etc. Many resource books and communication materials were launched. The e-Books were made available on the website for easy access by general public.
- 1.45** During the year, India continued to participate actively in the Codex work for development of international standards. India participated in 44th session of Codex Alimentarius Commission as well as meetings of its Executive Committee, other Committees, Sub-Committees and Working Groups, all of which were held in virtual mode. Codex Alimentarius Commission, in its 44th session, approved as new work the formulation of standard for small cardamom chaired by India and standard for turmeric co-chaired by India. The Commission also adopted standards for Dried or Dehydrated Ginger, Basil, Cloves and Oregano.
- 1.46** FSSAI has signed a number of cooperation agreements (MoUs) with various foreign governments/their agencies. During the year, follow up action was taken in respect of some of these existing MoUs. FSSAI is also in discussion with the Central Food Authorities of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; Department of Agriculture, Water and the Environment (DAWE), Australia; Austrian Food Regulator; and Bhutan Agriculture & Food Regulatory Authority (BAFRA) for signing of MoUs.
- 1.47** Several meetings were held between officials of FSSAI and representatives of Embassies of other countries to discuss trade facilitation issues. Discussions were also held with representatives of other countries on issues around food safety. FSSAI's Officials also participated in a number of seminars/workshops conducted by foreign entities.
- 1.48** FSSAI continues to leverage technology in a big way for disposal of its work and has a number of flagship systems such as FoSCoS, FICS, InFoLNet, FoSTaC etc. to support its key activities

and programmes. FSSAI's IT division ensured proper functioning of these systems. Many new features were added in FoSCoS. Further developments include new FICS and new FoSTaC. A number of new portals such as Food Safety Mitra, ePAAS, Food Safety on Wheels were also launched. An Integrated Portal on Eat Right India Movement has also been developed. All independent Eat Right initiatives portals will be brought under this integrated Portal of the FSSAI. All other principal activities of FSSAI are also being fully supported by systems and portals developed by the IT Division.

- 1.49** FSSAI continued to take steps to support increased use of Hindi in its working. Meetings of Official Language Implementation Committee are being held quarterly. Four workshops on official language were held and newly recruited officials as also other officials were encouraged to use Hindi in official work. Hindi Pakhwara was celebrated between 14th September to 28th September, 2021 with competitions on subjects such as noting and drafting in hindi, hindi essay, translation, hindi poetry and speech competitions. These competitions attracted large entries from the employees. Winners were given appreciation letters and cash prizes. A departmental hindi magazine 'khadyanjali ' was also launched and two quarterly publications for the period Oct-Dec, 2021 and Jan-March, 2022, respectively were published.

Chapter-2

Duties, Governance Structure and Human Resource

2.1 Enactment of Act

- 2.1.1** The work on consolidation of food laws into a single statute had been on the anvil for some time, especially after the Central Government declared its intent in the budget speech of then Hon'ble Finance Minister in 2002. The work pertaining to consolidation of various Acts and Orders governing food was entrusted to the Ministry of Food Processing Industries. The Food Safety and Standards Bill, 2005 was enacted as the Food Safety and Standards Act, 2006 (Act No. 34 of 2006) once it received the assent of the President of India on 23rd August 2006. Subsequently, the Act was published in the Gazette of India (Extraordinary) Part I, Section 1 on 24th August, 2006. Various provisions of the Act came into force on various dates through several notifications in this regard viz. notifications dated 15th October, 2007, 28th May, 2008, 18th November, 2008, 9th March, 2009, 31st July, 2009, 29th July, 2010 and 18th August, 2010.
- 2.1.2** The subject "Food Safety and Standards Act, 2006" was shifted to the Ministry of Health & Family Welfare from the Ministry of Food Processing Industries vide Cabinet Secretariat's notification under Govt. of India (Allocation of Business) Rules, 1961 dated 17th Sept, 2007.
- 2.1.3** Vide 'The Food Safety and Standards (Removal of Difficulties) Order, 2007 dated 15th October, 2007, in sub-section (1), in clause (c) of Section 6 of the Food Safety and Standards Act, 2006 relating to selection committee for selection of Chairperson and Members of the Food Authority, for the word 'Health', the words "Food Processing Industries" were substituted.
- 2.1.4** Sections 3, 5 and 6 of the Act were amended vide the Food Safety and Standards(Amendment) Ordinance, 2008 dated 7th February, 2008, which was replaced by the Food Safety and Standards(Amendment) Act, 2008 dated 28th March, 2008.
- 2.1.5** The passing of the Food Safety and Standards Act, 2006 (FSS Act) led to the establishment of the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) on 5th September, 2008. This decision marked a paradigm shift from a fragmented to a unified food regulatory ecosystem with a more holistic approach of ensuring safe and wholesome food as opposed to just prevention of adulteration.

2.2 Mandate of FSSAI

The Food Authority's mandate as envisaged in the FSS Act is to regulate manufacture, storage, distribution, sale and import of food to ensure availability of safe and wholesome food for human consumption and for matters connected therewith. The duties and functions of the Food Authority have been prescribed under Section 16 of the Act. An overview of the same is presented in Table-2 below:

Table 2 -Overview of duties & functions of the Food Authority

 Set Direction	 Science Based	 Strengthen Capacities	 Consumer Focused
- Set standards of identity for articles of food - Set standards for labelling and claims - Set limits for additives, contaminants, residues etc. - Develop guidelines for methods of sampling & analysis - Implement appropriate border controls for imported food items - Conduct risk analysis including assessment, management and communication of risks - Develop guidelines for laboratory accreditation & notification - Develop guidelines for accreditation of certification bodies - Conduct survey of enforcement and implementation of FSS Act	- Provide scientific advice and technical support for framing policies - Lead R&D activities in areas such as consumption and risk exposure, incidence and prevalence of biological risks, contaminants, rapid alert system etc. - Develop crisis management protocols for food safety - Develop framework for scientific cooperation, exchange of information and expertise, implementation of global best practices - Provide scientific advice and technical support to improve relations with international organizations	Provide training to strengthen capacities of staff of food authorities at national and state levels, food business operators and other stakeholders within the food safety ecosystem	- Provide appropriate, simple, timely information to consumers and relevant stakeholders - Communicate about opinions of scientific committees and panels in a timely manner - Share results of scientific studies - Disclose annual declarations of interest by Members of Food Authority, advisory committee, scientific committee and scientific panels etc. in relation to meeting agendas

 Set Direction	 Science Based	 Strengthen Capacities	 Consumer Focused
Guide state level authorities on matters related to food safety & standards	- Develop risk assessment methodologies - Promote consistency between international and domestic standards - Contribute to the development of international technical standards		

2.3 Composition of the Food Authority and its meetings during the year

2.3.1 As per Section 5 of the FSS Act, 2006, the Food Authority shall consist of a Chairperson and the following twenty-two members out of which one-third shall be women, namely-

Table 3 -Members, other than the Chairperson, of the Food Authority (Section 5)

Members from the Ministries and Departments of Central Government	7 members not below the rank of Joint Secretary to represent Ministries or Departments of Central Government dealing with Agriculture, Commerce, Consumer Affairs, Food Processing, Health, Legislative Affairs, Small scale industries who shall be members ex-officio
Representation from consumer, farmers' and retailers' organizations	2 representatives each from consumer organizations and farmers' organizations and 1 from retailers' organizations
Representation from States and UTs	5 members to be appointed every three years on rotation; one each in-seriatim from the zones specified in first schedule of the Act
Representation from Food Industry and Independent SMEs and Food Technologists or Scientists	a) 2 representatives from food industry including one from small scale industry b) 3 eminent food technologists or scientists

2.3.2 In addition, as per Section 9 of the Act, Chief Executive Officer of the FSSAI is the Member-Secretary of the Food Authority.

2.3.3 The Chairperson, the Chief Executive Officer and Members of the Food Authority are appointed by the Central Government. The Headquarter of the Authority is located at FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi-110002.

2.3.4 The composition of the Food Authority during the year 2021-22 was as follows:

Figure 1 - Composition of the Food Authority, 2021-22



Table 4-Ex-officio members of the Food Authority during the year 2021-22 under Section 5 (1) (a)

S.No.	Name	Designation	Ministry
1	Dr. Reeta Vasishta	Additional Secretary	Legislative Department, Ministry of Law & Justice
2	Dr. Mandeep Kumar Bhandari	Joint Secretary	Ministry of Health and Family Welfare
3	Shri Atish Chandra	Joint Secretary	Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
4	Shri Diwakar Nath Misra	Joint Secretary	Ministry of Commerce & Industry
5	Shri Anupam Mishra	Joint Secretary	Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
6	Ms. Reema Prakash	Joint Secretary	Ministry of Food Processing Industries
7	Smt. Alka Nangia Arora	Joint Secretary	Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises

2.3.5 During the year 2021-22, five meetings of the Food Authority were held as per details below:

Food Authority Meeting number	Date of the Meeting
34 th	23.04.2021
35 th	24.06.2021
36 th	23.09.2021
37 th	23.11.2021
38 th	02.03.2022

All the five meetings of the Food Authority were held in virtual mode.

2.3.6 As no members were appointed by the Central Government during 2021-22 under clauses (b), (c), (d), (e), (f) & (g) of sub-section (1) of Section 5 of FSS Act, 2006 consequent upon expiry of the term of the members in previous year(s), these meetings of the Food Authority were held with a truncated strength. However, to ensure that the deliberations remained broad based and interactive, there were special invitees from industry and consumer organisations namely, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI); Confederation of Indian Industry (CII); All India Food Processors' Association (AIFPA); and Mizoram Consumers' Union. Chairperson of Scientific Committee was also invited to attend these meetings. Commissioners of Food Safety Gujarat, J&K, Karnataka, Manipur, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu were also invited as special invitees in 34th to 37th meetings of the Authority. In the 38th meeting of the Authority, Commissioners of Food Safety from Kerala, Delhi, Jharkhand, Punjab and Meghalaya were invited as special invitees.

2.4 Central Advisory Committee (CAC)

2.4.1 Section 11 of the FSS Act, 2006 provides for establishment of the Central Advisory Committee (CAC) and Section 12 delineates its functions. The primary mandate of the Committee is to advise the Authority on the work programme, prioritization of work, identification of potential risks and knowledge management. The CAC ensures close co-operation and co-ordination among the Food Authority, the State enforcement agencies and the organizations operating in the field of food.

2.4.2 Central Advisory Committee was re-constituted vide Notification dated 5th July, 2019 for 3 years under Section 11 of Food Safety and Standards Act, 2006. During the year 2021-22, four meetings of CAC were conducted wherein besides officials from FSSAI, Food Safety Commissioners and other officials of States/UTs and representatives of various Ministries and Departments etc., participated and discussed food safety related issues.

2.5 Organizational Structure of the Food Authority

2.5.1 FSSAI has its Head Quarter at New Delhi. The Authority has Regional Offices located at Ghaziabad, Mumbai, Kolkata and Chennai. At the beginning of the year, FSSAI had branch/port offices at Guwahati, Kochi, Tuticorin, Krishnapatnam, Kandla and Mundra. During the year, FSSAI opened new branch/port offices at a few more places viz. Visakhapatnam, Hyderabad, Bengaluru, Ahmedabad, and Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT), Mumbai. Further, FSSAI also has three National Food Laboratories namely, NFL, Ghaziabad; NFL Kolkata (with extension counter at Raxaul); and NFL, JNPT Mumbai. NFL at JNPT, Mumbai was made functional during the year. One more National Food Laboratory at Chennai Port Trust, Chennai is expected to be made functional in the year 2022-23.

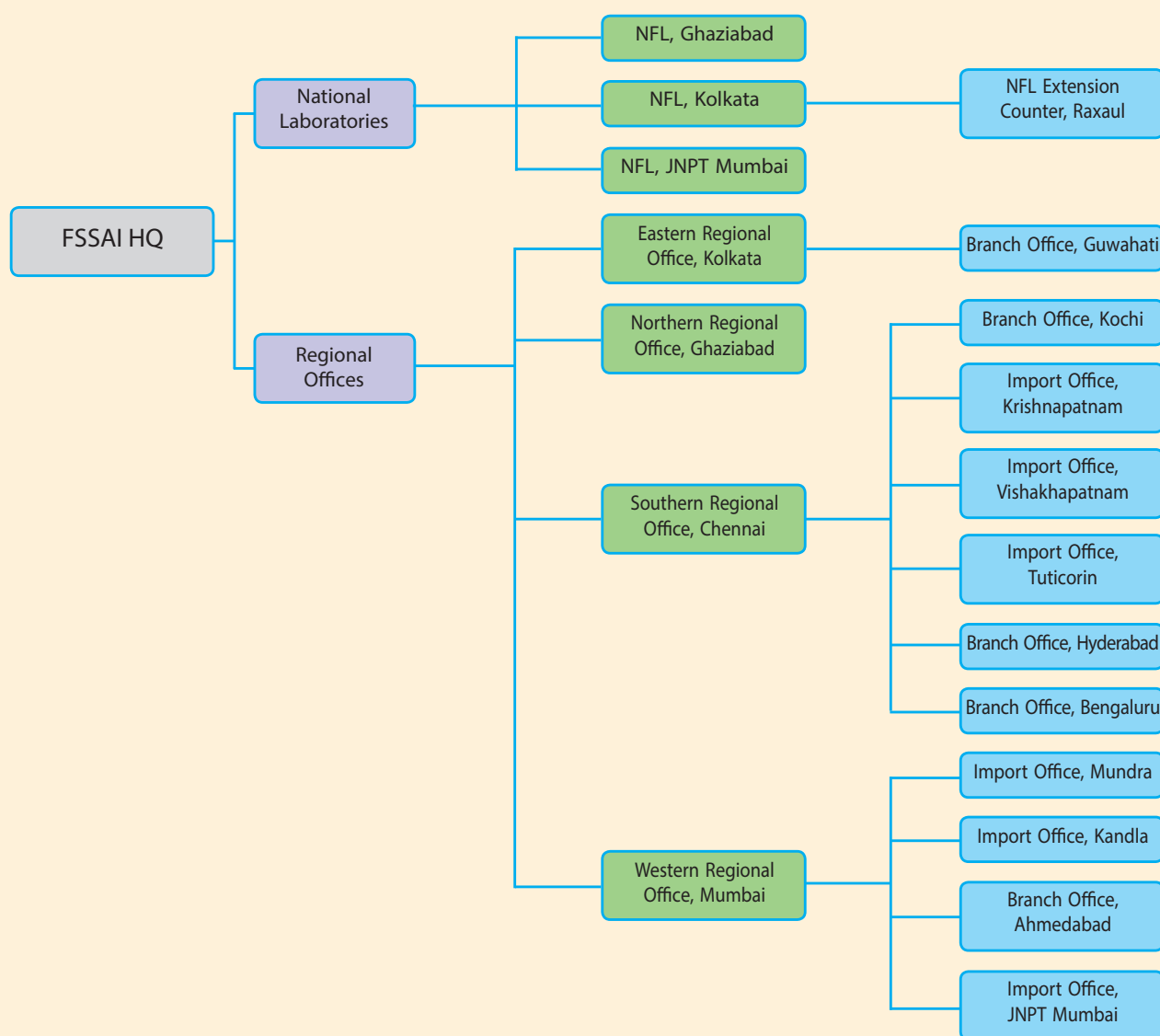


Figure 2 - Organisational structure of the Food Authority

2.5.2 During the year, the Food Authority approved opening of new branch office at Indore and import office at Nasik. These offices will become operational in near future.

2.6 Divisions of Food Authority at Headquarter

FSSAI has following Divisions at the Headquarter :

- Human Resources Division
- General Administration and Policy Coordination Division (also comprising Parliament, Legal, Official Language and RTI Branches)

- Social and Behavioural Change Division
- Information Technology Division
- Science & Standards Division-I
- Science & Standards Division-II
- Regulations Division
- Quality Assurance Division-I
- Quality Assurance Division-II
- Regulatory Compliance Division
- Training Division
- Trade and International Co-operation Division

2.7 Human Resource

2.7.1 Sanctioned Strength

FSSAI has a sanctioned strength of 824 posts at various levels. Post-wise details of all the sanctioned posts in FSSAI are given in Table-5 below:

Table 5 - Post-wise sanctioned strength of FSSAI

S. No.	Name of Post	Pay Level	Sanctioned Strength
1	Chairperson	17	1
2	Chief Executive Officer	15	1
3	Executive Director	14	2
4	Advisor	14	2
5	Director	13	16
6	Chief Technology Officer	13	1
7	Principal Manager	13	1
8	Joint Director	12	32
9	Deputy Director	11	44
10	Assistant Director	10	22
11	Assistant Director (T)	10	60
12	Food Analyst	10	10
13	Technical Officer	7	255
14	Central Food Safety Officer	7	74

S. No.	Name of Post	Pay Level	Sanctioned Strength
15	Assistant Director (OL)	10	1
16	Hindi Translator	6	3
17	Administrative Officer	8	25
18	Assistant	6	76
19	Junior Assistant Grade - I	4	12
20	Senior Private Secretary	8	7
21	Personal Secretary	7	17
22	Personal Assistant	6	39
23	Senior Manager (IT)	12	2
24	Manager (IT)	11	2
25	Deputy Manager (IT)	10	4
26	Assistant Manager (IT)	7	10
27	IT Assistant	6	6
28	Senior Manager	12	2
29	Manager	11	8
30	Deputy Manager	10	16
31	Assistant Manager	7	8
32	Junior Assistant Grade - II	2	12
33	Staff Car Driver (Ordinary Grade)	2	3
34	Multi Tasking Staff (MTS)	1	50
	Total		824

2.7.2 Recruitment Status in FSSAI

Direct Recruitment-The Recruitment Regulations for various sanctioned posts were notified on 1st October, 2018 and the process of recruitment as per the provisions of the Recruitment Regulations was initiated thereafter. Accordingly, applications for direct recruitment against various posts in the first phase were invited vide Advertisement No. DR-01/2019 dated 25th January, 2019, DR-02/2019 dated 26th March, 2019, DR-03/2019 dated 16th October, 2019 and DR-01/2020 dated 1st August, 2020. All the stages of selection process viz. scrutiny/Computer Based Test (CBT)/written examination/skill test/interview (as applicable) in respect of these advertisements have been completed. Based on results, a total of 266 candidates out of 288 posts have already joined the Authority and joining of the remaining candidates is under process.

FSSAI has started second phase of the recruitment for 271 posts vide Advertisement No. DR-01/2021 dated 16th April, 2021 and DR-02/2021 dated 13th October, 2021 for Senior Level Posts (Pay Level-11 and above) and DR-04/2021 dated 30th September, 2021 for Junior Level Posts (Pay Level-10 and below). All the stages of scrutiny/CBT/ written examination/skill test/interview (as applicable) of these advertisements are underway.

Deputation- Applications were also invited for filling up 72 posts on deputation basis vide Advertisement no. DEP-01/2021 dated 6th October, 2021. The recruitment is underway.

Contractual- Applications for two posts of Food Analyst purely on contract basis were invited vide Advertisement no. CONT-01/2022 dated 23rd February, 2022. The process of recruitment is underway.

2.7.3 Working strength

As on 31st March, 2022, FSSAI had a total working strength of 545 employees including 289 persons appointed on regular basis (direct recruitment/ absorption), 74 on deputation, 40 on deemed deputation basis and 142 on contract basis.

2.8 Internal Complaints Committee for women employees

In accordance with the Hon'ble Supreme Court Judgement in the Vishakha and others v State of Rajasthan (1997) case and the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, an Internal Complaints Committee (ICC) has been constituted in FSSAI and it is ensured that the same is effective and functional at all times. The Committee did not receive any complaint during the year 2021-22. However, there was correspondence in a sub-judice case which was promptly attended by the Committee. Training on the Sexual Harassment of Women Act and gender sensitization has been provided to the newly recruited employees.

2.9 Vigilance related matters

2.9.1 Vigilance Unit of FSSAI deals with complaints received through various sources against the employees of FSSAI at the Headquarter, Regional Offices and Laboratories under the guidelines issued by Central Vigilance Commission (CVC). The complaints /cases are investigated either by FSSAI or through independent agency (e.g. CBI). If, prima-facie, irregularities are attributed to an official(s), then further appropriate action regarding initiation of disciplinary proceedings is taken. Wherever required, CVC is also consulted as per the guidelines. During the period 2021-22, 116 complaints were processed / disposed of.

2.9.2 Vigilance Awareness Week, 2021 was observed from 26th October, 2021 to 1st November, 2021 at FSSAI (HQ) and all Regional Offices and Laboratories. This year, the

theme of Vigilance Awareness Week was “Independent India@75:Self Reliance with Integrity” (स्वतंत्र भारत @ 75% सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता). On this occasion, a pledge to maintain honesty, transparency and integrity in all spheres of life was administered to all officers and staff on 26th October, 2021. This was followed by a written quiz competition about the knowledge of employees on vigilance. A workshop/sensitization program was organized on 1st November, 2021 in which an external expert was invited for a talk on the theme of the Vigilance Awareness Week. On this occasion, cash prizes of ₹ 4,000/- to the participant in the quiz competition who stood first, ₹ 3,000/- to the participant who stood second, ₹ 2,000 to the participant who stood third, and two consolation prizes of ₹ 1,000/- each were awarded by the Chief Executive Officer.

2.10 Other Staff and General Services Matters

2.10.1 FSSAI's Day-Care Centre

FSSAI's Day Care Centre for kids-“Nanhe Kadam” is functioning at FSSAI Headquarter, FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi for facility of employees, especially women employees, working in FDA Bhawan and in other government offices in the neighbourhood.



Figure 3- FSSAI's Day Care Centre

2.10.2 Gym

A modern air-conditioned Gym is functional at FDA Bhawan premises to cater to the need of fitness conscious staff working in FSSAI Head Office and CDSCO and for the benefit of fitness enthusiasts of nearby area. Facility for conduct of yoga classes has also been created.

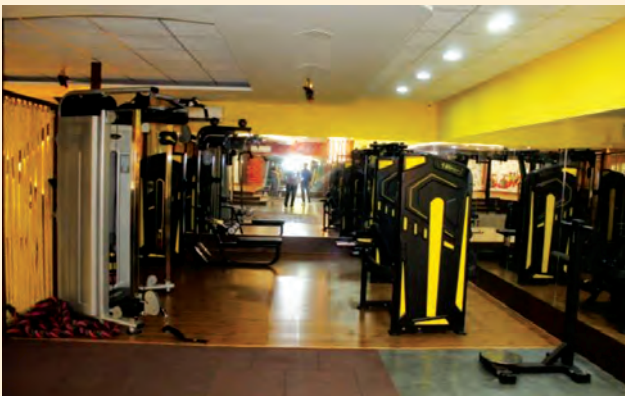


Figure 4 - Gym and Yoga facility

2.10.3 Medical facility

For benefit of staff working at FSSAI's Headquarters, a Specialist Medical Consultant has been engaged on a part-time basis (for two hours, twice in a week). Employees get free medical consultation from the Specialist. Some basic essential medicines, as prescribed by the Consultant Doctor, are also provided to the staff free of cost. This facility is especially beneficial for those employees who are not covered under CGHS.

2.11 Steps taken during 2021-22 for acquiring additional space for FSSAI's functional requirements

2.11.1 During the year 2021-22, FSSAI took over and occupied space at following places for meeting its functional requirements:

- (i) space measuring 2198 sq.ft. at 5th floor of DLB Building (Karmika Jyothi Bhavan), Port Area (Zone 1 A) at Visakhapatnam Port Trust was taken on lease from VPT from June, 2021 for a period of 10 years @ ₹ 4,30,911/- per year.
- (ii) space measuring 2423.96 sq.ft. @ at 4th floor, BSNL Telephone Exchange Vijayanagar, Bengaluru-560040 was taken on lease from BSNL @ monthly rent of ₹ 1,81,797/- for a period of three years w.e.f. 9th July, 2021 , extendable upto nine years.
- (iii) space measuring appx. 3000 sq.ft. at 2nd floor, Telephone Bhavan Administrative Building, C.G.Road, Ahmedabad was taken on lease from BSNL @ monthly rent of ₹ 2,49,000/- w.e.f. 01st December, 2021 for a period of 5 years, extendable by another 5 years.
- (iv) space measuring 4695 sq.ft. at 3rd floor, Central Park, Housefeed Complex Dispur, Guwahati was taken on lease from the Rubber Board @ monthly rent of ₹ 1,26,765/- w.e.f. 1st August, 2021 for a period of three years.

- 2.11.2** A multi-storeyed building (2 levels basement +Ground Floor+2 Floors) is being constructed at NFL, Ghaziabad complex creating space of approx. 60,000 sq ft at an estimated cost of ₹ 46.26 Crore. M/s NBCC India Limited is the Project Management Consultant for the project. The construction is in progress and is likely to be completed by September, 2022.
- 2.11.3** To cater to the increased strength at its Headquarter consequent upon joining of new recruits, the Ministry of Health and Family Welfare had allotted appx. 17,000 sq feet space at MMU Building, adjacent to FDA Bhawan, New Delhi. Possession of same was taken in August, 2020. Major portion of the space was renovated @ cost of ₹ 8.45 Crore and a few Divisions are already functioning from there. Remaining part of the space is being renovated at a cost of ₹ 2.51 Crore and is likely to be available for utilisation in a couple of months' time.

Chapter-3

Standards and Regulations

3.1 Overview of Scientific structure of FSSAI

The FSSAI's major scientific arms are the Scientific Committee (SC) and Scientific Panels (SPs). Both the bodies provide the necessary scientific opinion and assist in development of standards through a well-defined process. In addition to these two statutory scientific entities, the Food Authority has also established some non-statutory bodies which interface with the SC and SPs. The overall structure of science related works and the bodies associated with it are schematically indicated in the Figure-5 below:

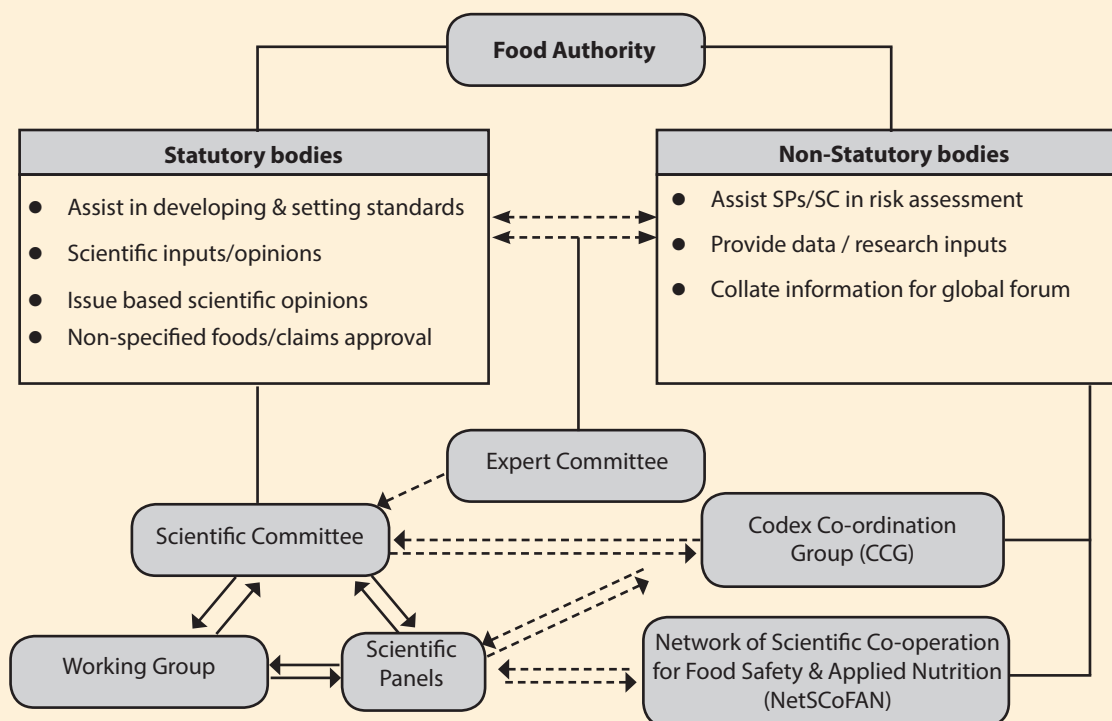


Figure 5 - Scientific work at FSSAI vis-à-vis its statutory and non-statutory bodies

3.2 Scientific Committee

Section 14 of the FSS Act, 2006 provides for the constitution of the Scientific Committee comprising the Chairpersons of the Scientific Panels and six independent scientific experts not belonging to any of the Scientific Panels. The Committee is responsible for providing scientific opinion to the Food Authority, general co-ordination necessary to ensure consistency of the

scientific opinion and in particular with regards to the adoption of working procedures and harmonisation of working methods of the Scientific Panels. The Scientific Committee provides opinions on multi-sectoral issues falling within the competence of more than one Scientific Panel and sets up working groups on issues which do not fall within the competence of any of the Scientific Panels. The Scientific Committee chooses a Chairperson from amongst its members.

During the year 2021-22, Scientific Committee held four meetings (38th to 41st SCM).

3.3 Scientific Panels

- 3.3.1** Section 13 of the FSS Act, 2006 provides for establishment of subject specific Scientific Panels which consist of independent scientific experts. The Scientific Panels act as the risk assessment bodies and give their scientific opinion.
- 3.3.2** The Food Authority has been empowered to reconstitute the Scientific Panels by adding new members or by omitting the existing members or by changing the name of the Panel as the case may be. The Scientific Panels choose a Chairperson from amongst its members.
- 3.3.3** At present there are 21 subject specific Scientific Panels. The details of the Scientific Panels and the number of meetings conducted by each Scientific Panel during the year are given in Table-6 below:

Table 6 –List of Scientific Panels and number of meetings held during the year 2021-22

S. No.	Scientific Panel	Number of meetings of the Panel
1	Food Additives, Flavourings, Processing Aids & Materials in Contact with Food	04
2	Pesticides Residues	05
3	Antibiotic Residues	-
4	Genetically Modified Organisms and Foods	03
5	Functional foods, Nutraceuticals, Dietetic Products and Other similar products	07
6	Biological Hazards	03
7	Contaminants in the Food Chain	03
8	Labelling and Claims/Advertisements	07
9	Method of Sampling and Analysis	04
10	Fish and Fisheries Products	02
11	Cereals, Pulses & Legume and their Products (including Bakery)	04
12	Fruits & Vegetables and their Products (including dried fruits and nuts)	02
13	Meat and Meat Products including Poultry	03

S. No.	Scientific Panel	Number of meetings of the Panel
14	Milk & Milk Products	02
15	Oils & Fats	03
16	Sweets, Confectionery, Sweeteners Sugar & Honey	03
17	Water (including flavoured water) & Beverages (non-alcoholic)	04
18	Nutrition and Fortification	03
19	Spices and Culinary Herbs	03
20	Packaging	02
21	Alcoholic Beverages	04
	Total	71

3.4 An Expert Committee has been constituted to develop mechanism for issuing no objection/pre-regulatory clearance to Food Business Operators for conducting human intervention studies on novel or non-specified food ingredients/products for generating efficacy and safety data in food. It met on two occasions.

3.5 Working Groups

Working Groups (WGs) are commissioned by the Scientific Committee, after due approval from the CEO, FSSAI to deal with specific matters or particularly matters which do not fall within the competence of any of the Scientific Panels; and/or to provide opinions on multi-sectoral issues falling within the competence of more than one SP. The SC, while commissioning a working group, defines the terms of reference (ToR), including the time-frame within which a task is to be accomplished, and also coordinates functioning of such WGs. The membership of WG is drawn from among the members of the Scientific Panels (SP) and Scientific Committee (SC) but it may also include relevant external experts who are not part of any of the SPs or SC. However, number of such external experts in a WG shall not exceed 50% of the total members of the WG. Chairperson of the WG is appointed by the SC from those who are either member of SC or SP. A number of working groups have been set up by the Scientific Committee. Relevant details are given in Table-7 below:

Table 7 - Details of Working Groups

S. No.	Details of Working Group	Work being handled by WG	Number of meetings held during the year
1	Working Group on Food Colours. [Constituted vide Order dated 05.07.2018].	Risk assessment of food colours, review of nomenclature, current permissible limits and existing standards of food colours.	01

S. No.	Details of Working Group	Work being handled by WG	Number of meetings held during the year
2	Working Group regarding formaldehyde related issues in fish and fisheries products. [Constituted vide Order dated 06.12.2019]	To study and review formaldehyde related issues in fish and fisheries products.	03
3	Working Group for Development of standards of fermented fish products. [Constituted vide Order dated 11.06.2021]	To develop standards for fermented fish products.	02
4	Working group on Processing Aids. [Constituted vide Order dated 24.11.2017].	To identify and recommend processing aids being used and likely to be used by the industries, recommend residue levels. To examine and recommend enzymes derived from genetically modified sources to be used as processing aids.	02
5	Working Group on Review of Flavours. [Constituted vide Order dated 01.05.2020]	To undertake review of flavouring substances for its safety and recommend a positive list of flavours.	01
6	Working Group on 'Development of standards for food additives and processing aids'. [Constituted vide Order dated 08.12.2020]	To collect available national and international standards/specifications of food additives and processing aids and prepare a comparative database. To develop India centric standard based on the collected information.	01
7	Working Group regarding Front of Pack Labelling. [Constituted vide Order dated 25.11.2019]	To review the threshold values of fat, sugar and salt for all food categories and sub-categories regarding Front of Pack Labelling.	04. Since dissolved

S. No.	Details of Working Group	Work being handled by WG	Number of meetings held during the year
8	Working Group on Methods of analysis for ingredients and products covered under Nutraceutical Regulations. [Constituted vide Order dated 10.09.2020]	Constituted to address concerns regarding methods of analysis related to ingredients/products falling under scope of the FSS (Health Supplements, Nutraceuticals, Food for Special Dietary Use, Food for Special Medical Purpose, Functional Food and Novel Food) Regulations, 2016.	01

3.6 Approval of Non-Specified Food/ Food Ingredients

3.6.1 The Food Safety and Standards (Approval for Non-Specified Food and Food Ingredients) Regulations, 2017 enable the Food Authority to approve any non-specified food (other than proprietary food) and food ingredients including novel foods, new food additives, and new processing aids and food ingredients consisting of or isolated from micro-organisms, bacteria, yeast, fungi or algae. The Expert Committees (ECs) are constituted to examine the applications (complete with scientific inputs about the product under consideration to be provided by the applicant) in accordance with provisions of the said above regulations.

3.6.2 To speed up the process of approval of non-specified food, three additional ECs were constituted vide Order dated 3rd September, 2021 raising the total to six.

3.6.3 To make the system more transparent, the Authority also revised the appeal procedure specified in the Food Safety and Standards (Approval for Non-Specified Food and Food Ingredients) Regulations, 2017, and has specified clear timelines.

3.6.4 During 2021-22, total 79 applications were received for approval of non-specified foods and food ingredients. Some applications were also pending at the commencement of the year. In this duration, the six Expert Committees held a total 22 meetings to consider the applications. As a result of such consideration, 66 applications were recommended for approval and 30 applications were rejected. 83 applications were either closed or withdrawn. During the year, approval was provided for 66 product(s)/ingredient(s).

3.7 Approval of Claims

3.7.1 The Food Safety and Standards (Advertising and Claims) Regulations, 2018 were notified to establish fairness in claims and advertisements of food products and make food businesses accountable for such claims/advertisements related to health and/or

nutritional benefit in order to protect consumer interests. The regulations, under its various schedules, clearly list claims that are permitted to be made by FBOs without seeking prior approval of the Food Authority. However, for non-standardised claims, the Expert Committee for approval of Claims examines the applications (and scientific evidence provided therein) that seek prior approval of a non- standardized claim.

3.7.2 During the period 2021-22, total eight applications were received. The Expert Committee held four meetings to consider the applications. As a result of such consideration, approval was given for one application. Further, approval was also given for one previous application after consideration of the appeal.

3.8 Manuals /Methods of Sampling and Analysis

3.8.1 Based on the recommendations of the Scientific Panel on Methods of Sampling & Analysis and Scientific Committee, following Manual & Methods of Analysis have been approved by the Food Authority during 2021-22:

- i. Revised Manual of Method of Analysis of Foods –Alcoholic Beverages.
- ii. Method for determination of Patulin in Apple and Apple Juice.
- iii. Method for determination of Niacin in Foodstuffs.

3.8.2 The complete list of Manuals/Methods of Sampling and Analysis is available at <https://fssai.gov.in/cms/manuals-of-methods-of-analysis-for-various-food-products.php>.

3.9 Frequently Asked Questions (FAQs)

3.9.1 During the year, following Frequently Asked Questions (FAQs) were prepared and uploaded on FSSAI website:

- i. FAQ on whether use of Iodised Salt is mandatory in standardized products, which specify the use of Edible Common Salt?
- ii. Frequently Asked Questions (FAQs) on the Food Safety and Standards (Health Supplements, Nutraceuticals, Food for Special Dietary Use, Food for Special Medical Purpose, Functional Food and Novel Food) Regulations, 2016. [Revised on: 08.10.2021]

3.9.2 FAQs on various Standards are available at <https://fssai.gov.in/cms/standardsfaq.php>

3.10 Guidance Notes

3.10.1 A few Guidance Notes/Documents were also uploaded on website of FSSAI for guidance of stakeholders:

- Guidance Note on Display of Information in Food Service Establishments (uploaded on 23.02.2022).
- Guidance Note on Trans Fatty Acids (uploaded on 03.03.2022).

- Guidance Document & Standard Operating Procedures for fixation of Maximum Residue Limits (MRLs) of pesticides in food commodities (uploaded on 16.03.2022).

3.10.2 A complete list of Guidance Notes/documents issued by FSSAI for information of stakeholders is available at <https://fssai.gov.in/cms/guidance-notes.php>.

3.11 Portal for Submission of Various Declarations

A Portal for submission of declarations regarding confidentiality, conflict and specific interest etc. was launched on 23rd August, 2021 by Chairperson, FSSAI. The said portal holds information regarding contact information of members, details of various meetings and also keeps records of the submitted forms related to confidentiality, conflict and specific interest etc. of the members of Scientific Panels, Scientific Committee, Working Groups, and Expert Committees etc. Through this portal, links are shared from an email eatright-india@fssai.gov.in. to members for submitting the forms before the meeting.



Figure 6 -Launch of Portal for submission of declarations

3.12 Advisories/Orders

Following advisories/orders were issued during 2021-22:

- Direction under Section 16 (5) of Food Safety and Standards Act, 2006 dated 2nd August, 2021 regarding Recommended Dietary Allowances (RDA).
- Direction under Section 16 (5) of Food Safety and Standards Act, 2006 dated 11th January, 2022 regarding use of Paullinia cupana (Guarana) as a source of caffeine.
- Direction under Section 16 (5) of Food Safety and Standards Act, 2006 dated 18th January, 2022 regarding operationalization of Draft Food Safety and Standards (Packaging) Amendment Regulations, 2022 regarding use of recycled plastics in food packaging.
- Direction under Section 16 (5) of Food Safety and Standards Act, 2006 dated 3rd February, 2022 regarding declaration of percentage (%) contribution to Recommended Dietary Allowance (RDA) for different age groups.

- Direction under Section 16 (5) of Food Safety and Standards Act, 2006 dated 29th March, 2022 regarding operationalization of FSS (Health Supplements, Nutraceuticals, Food for Special Dietary Use, Food for Special Medical Purpose and Prebiotic and Probiotic Food), Regulations, 2022 [FSS (Nutra) Regulations, 2022].
- Order dated 19th July, 2021 related to changes in the composition of Scientific Panels (SPs).
- Notice dated 27th July, 2021 regarding application related to genetically modified (GM) foods received under FSS (Approval for Non-Specified Food and Food ingredients) Regulations, 2017.
- Order dated 27th August, 2021 regarding Appeal Procedure related to Claims Approval.
- Clarification dated 16th November, 2021 regarding use of claims on Multi Source Edible Oil (MSEO) with respect to Food Safety and Standards (Advertising and Claims) Regulations, 2018.
- Order dated 15th December, 2021 regarding appeal procedure specified in Food Safety and Standards (Approval for Non-Specified Food and Food Ingredients) Regulations, 2017.
- Order dated 13th January, 2022 regarding use of names of probiotics specified under FSS (Health Supplements, Nutraceuticals, Food for Special Dietary Use, Food for Special Medical Purpose, Functional Food and Novel Food) first Amendment Regulations, 2021.
- Order dated 10th February, 2022 related to approved list of Inborn Errors of Metabolism (IEM) conditions as per the provision 16(1)(e) of FSS (Foods for Infant Nutrition) Regulations, 2020.
- Clarification dated 25th February, 2022 regarding Hypoallergenic infant milk substitutes specified under FSS (Foods for Infant Nutrition) Regulations, 2020.
- Order dated 29th March, 2022 regarding Implementation of FSS (Food for Infant Nutrition) Regulations, 2020.
- Standard Operating Procedures (SOP) for Aggregators or Intermediaries facilitating sales between farmers/small original producers and producer organizations and end consumers - Exempt entities.

3.13 New Regulations/Amendment notifications/draft amendment notifications published during the year 2021-22

3.13.1 In respect of Regulations, 11 final notifications and 17 draft notifications were issued during the period. A list of final notifications notified during the year is at Table-8. List of draft notifications notified during the year is at Table-9.

3.13.2 WTO-SPS/TBT notification

India is a signatory to the World Trade Organisation (WTO) and, in turn, to the Sanitary and Phyto-sanitary (SPS) and Technical Barrier to Trade (TBT) agreements. As required under these agreements, FSSAI has been constantly notifying its standards and regulations on WTO platform seeking comments and suggestions from the member

countries. 17 WTO notifications (SPS and TBT) have been notified during the year 2021-2022. Further, FSSAI continued to provide its technical inputs for framing India's responses to various SPS/TBT notifications of other countries under the WTO system.

3.14 New Principal Regulations

A. Draft FSS (Vegan Foods) Regulations, 2021

3.14.1 The draft notification of Food Safety and Standards (Vegan Foods) Regulations was published in Gazette of India on 06th September, 2021 and uploaded on FSSAI website on 08th September, 2021 giving 60 days' time for inviting comments/suggestions from stakeholders. The same was also notified to WTO-SPS members on 20th September, 2021 for submitting comments within 60 days. After examination of the various comments and suggestions, the Food Authority, in its 38th meeting held on 2nd March, 2022, approved the final (draft) notification for final notification with the approval of the Central Government.

3.14.2 Salient features of the Final (Draft) FSS (Vegan Foods) Regulations, 2021 are given below:

- "Vegan Food" means those foods or food ingredients (including additives, flavourings, enzymes and carriers) or processing aids that are not products of animal origin and in which, at no stage of production and processing, use has been made of ingredients (including additives, flavourings, enzymes and carriers) or processing aids that are of animal origin.
- The food products to be called 'Vegan', shall not have involved animal testing for any purpose including safety evaluation, unless mandated by any Regulatory Authority.
- All the packaging material used for vegan foods shall comply with the provision specified under packaging regulation, provided those materials are not of animal origin/derived.
- FBO shall ensure that all stages of production, processing and distribution shall be designed to take the appropriate precautions in conformity with GMPs in such a way to avoid the unintended presence of non-vegan substances. If the same production line is shared with non-vegan products/ingredients, thorough cleaning or comparable measures in conformity with GMPs shall be carried out before production of vegan products commences. This extends to all associated machinery, equipment, utensils and surfaces. Appropriate precautions in conformity with GMPs shall be taken before vegan products are prepared, produced or packaged.
- Traceability shall be established up to the manufacturer level. The FBO shall comply with any other requirements specified by the Food Authority to maintain the vegan integrity of the foods or food ingredients or products thereof from time to time.
- Vegan Food Compliance:

- o The Food Business Operator shall submit an application to the concerned licensing authority with all necessary details in a format as may be specified by Food Authority.
- o The Food Authority may specify guidelines for endorsement of vegan logo.
- Every package of vegan foods, after the approval, shall carry the logo as specified below:



The logo was unveiled by Hon'ble Minister of Health and Family Welfare on 20th September, 2021.



Figure 7- Launch of Vegan logo by Hon'ble Minister for Health and FW

B. FSS (Ayurveda Aahara) Regulations, 2022

3.14.3 In order to recognize India's age old principles of Ayurveda and the Aahara prepared as per ancient texts, FSSAI and Ministry of AYUSH decided to develop a stand-alone regulation for Ayurveda Aahara. In pursuance of same, draft FSS (Ayurveda Aahara)

Regulations, 2021 were notified on 30th June, 2021 for public comments and suggestions. The comments/suggestions received were further considered and deliberated in several rounds of Scientific Panel meetings in consultation with the Ministry of AYUSH before finalizing the regulations. The final (draft) regulations were placed in the 38th meeting of the Food Authority held on 2nd March, 2022 and were approved for final notification with approval of the Central Government.

3.14.4 Salient Features of Ayurveda Aahara Regulation

- “Ayurveda Aahara” means a food prepared in accordance with the recipes or ingredients or processes as per method described in the authoritative books of Ayurveda listed under ‘Schedule A’ of these regulations.
- These Regulations exclude:
 - Ayurvedic drugs or proprietary Ayurvedic medicines and medicinal products, cosmetics, narcotic or psychotropic substances, herbs listed under Schedule E-1 of D& C Act, 1940 and Rules 1945 thereunder.
 - Metals based Ayurvedic drugs or medicines, bhasma or pishti.
 - Any other ingredients notified by the Authority from time to time.
 - Food items in daily use (pulses, rice, flour, vegetables) without addition of Ayurveda ingredients; and
 - Foods intended for infants up to 24 months of age.
 - Addition of vitamins / minerals is not allowed .
- Labelling-
 - o The labelling, presentation and advertisement shall not claim that the Ayurveda Aahara has the property of preventing, treating or curing a human disease or refer to such properties.
 - o Label shall specify the intended purpose, target group, recommended duration of use.
 - o Carry word “Ayurveda Aahar” in close proximity to the product; and the specified logo in front of the pack of the label.



- o Statutory warning – ‘Only for Dietary Use’.
- o Precautions to be taken while consuming (side-effects, contraindications etc.).
- o Statement ‘the product required to be stored out of reach of children’.
- o a warning that the product is for oral consumption only and not for parenteral use.

3.15 NetSCoFAN

3.15.1 Network of Scientific Cooperation for Food Safety and Applied Nutrition (NetSCoFAN) was established in January, 2020 under Section 16(3)(e) of Food Safety and Standards Act, 2006 as a network of research and academic institutions working in the area of food and nutrition. NetSCoFAN currently comprises of eight groups of 10 Lead institutions working together with other partner institutions in different areas of food safety and concerns. During the year 2021-22, the revolving fund was shifted to annual grant, fixed at ₹ 20 lakhs. The annual grant was released in two tranches, the first being in April, 2021 and the second in October, 2021. The amount released in each tranche was ₹ 10 lakh (in case of a single lead institute for the group) or ₹ 5 lakh each (in case of groups with two lead institutions). A total grant of ₹ 91,40,995 was given to 10 lead institutes for carrying out NetSCoFAN activities during the year.

3.15.2 Research & Development/Surveys Projects under NetSCoFAN for Food Quality and Safety

FSSAI has sanctioned 23 projects under the Scheme of Research & Development/Surveys for food quality and safety. Out of these, 16 projects have been technically and financially closed. 6 of these projects were closed in previous year(s) while 10 were closed during the year 2021-22. Details of these 10 research projects closed during the year 2021-22 are given in Table-10. Details of ongoing 7 research projects are given in Table-11.

3.16 Food-‘O’-Copoeia

3.16.1 Food-‘O’-Copoeia is a collection of food category-wise monographs that would be a single point reference for all applicable standards for a specific product category; and, will be specifying complete standards, labelling and claim requirements, specific packaging requirements, any other regulatory provisions that need to be met for that product category. This would also provide the list of methods that a laboratory has to follow while analysing the samples of the specific food/food product category. This would contain a total of 16 product category specific monographs. There will also be one monograph which would contain all the general requirements to be met by all the food product categories. FSSAI awarded the financial support to eight NetSCoFAN

groups to develop these 17 monographs. A total expenditure of ₹ 85 lakh was approved of which 80% funds have been released. NetSCoFAN groups and assigned food categories with financial support for Food-'O'-Copoeia monographs are at Table-12.

3.16.2 An online portal for Food-O-Copoeia was also developed which helped the NetSCoFAN groups to enter the details of standards in the respective food categories. FSSAI has received the first draft of monographs which are currently under the examination.

Table 8– List of Final Regulations notified during the year 2021-22

S.No	Final Regulation	Notified on
1.	Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Third Amendment Regulations, 2021 related to Buffalo milk, exemption of imported expelled oil from refining, grapeseed oil, Soybean sauce, walnut kernel, Besan, Maize Starch, Yellow Pea Powder, Black, White & Green (BWG) peppers, Dried sage, Instant Tea in Solid form, Decaffeinated roasted and ground coffee-chicory mixture, Decaffeinated Instant coffee-chicory mixture, caloric and non-caloric sweeteners.	26.07.2021
2.	Food Safety and Standards (Fortification of Foods) Amendment Regulations, 2021 related to standards for fortified Milk Powder.	27.08.2021
3.	Food Safety and Standards (Labelling and Display) First Amendment Regulations, 2021 w.r.t. labelling of Multi-Source Edible Oil and revision of labelling requirements for sweeteners.	10.09.2021
4.	Food Safety and Standards (Fortification of Foods) Second Amendment Regulations, 2021 related to Tolerance limits of micronutrients.	27.09.2021
5.	Food safety and Standards (Organic Foods) First Amendment Regulations, 2021 relating to certain exemptions for Aggregators or intermediaries and labelling of In conversion products.	14.10.2021
6.	Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Fourth Amendment Regulations, 2021 related to standards for oat products and the amendment to tolerance limit of formulated supplements for children.	03.11.2021
7.	Food Safety and Standards (Import) Amendment Regulations related to inclusion of registration and inspection of Foreign Food manufacturing facilities.	03.11.2021

S.No	Final Regulation	Notified on
8.	Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Fifth Amendment Regulations, 2021 related to standards for raw edible oils, multi-source edible oil, dehydrated vegetables, protein-rich wheat flour, protein-rich refined wheat flour, multigrain flour, mixed millet flour, feed, honey, dried sweet basil leaves, non-caloric sweeteners in a returnable container, hemp seeds and seed products, microbiological standards of food grain products, etc.	15.11.2021
9.	Food Safety & Standards (Food Product Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2021 related to standards for Ghee and other Milk Fat Products.	27.12.2021
10.	Food Safety and Standards (Packaging) Amendment Regulations, 2022 related to non-transparent packaging material for water.	25.01.2022
11.	Food Safety and Standards (Import) Amendment Regulations, 2022 related to sampling of food imported for captive use or production of value added products for hundred per cent exports.	14.02.2022

Table 9- List of draft regulations notified during the year 2021-22

S.No	Draft Regulations	Notified on
1.	Draft Notification of Food Safety and Standards (Ayurveda Aahar) Regulations, 2021.	30.06.2021
2.	Draft Notification of Food Safety and Standards (Advertising and Claims) Amendment Regulations, 2021 related to claims regarding Virgin Coconut Oil, Chia Oil, Avacado Oil, Sunflower seed Oil-High Oleic Acid, and Safflower seed Oil-High Oleic Acid.	19.08.2021
3.	Draft Notification of Food Safety and Standards (Vegan Foods) Regulations, 2021.	06.09.2021
4.	Draft Notification of Food Safety and Standards (Packaging) Amendment Regulations, 2021 for insertion of new entries relating to Antimony and DEHP in Table 1 of Regulation 4, sub-regulation 4.	06.09.2021
5.	Draft Notification of Food Safety & Standards (Health Supplements, Nutraceuticals, Food for Special Dietary Use, Food for Special Medical Purpose, Functional food and Novel Food) Amendment Regulations, 2021.	06.09.2021
6.	Draft FSS (Prohibition and Restrictions on Sales) Amendment Regulations, 2021 with respect to manufacture, sale, storage or exhibition for sale of food for infant nutrition.	06.09.2021
7.	Draft Notification of Food Safety and Standards (Labelling and Display) Amendment Regulations, 2021 relating to the warning on the label of Pan Masala Products and nomenclature of various bread.	06.09.2021

S.No	Draft Regulations	Notified on
8.	Draft Notification of Food Safety and Standards (Approval for Non-Specified Food and Food Ingredients) Amendment Regulations, 2021 relating to procedure for grant of prior approval.	22.09.2021
9.	Draft Notification of Food Safety & Standards (Foods for Infant Nutrition) Amendment Regulations, 2021.	22.09.2021
10.	Draft Notification of Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Amendment Regulations, 2021 relating to replacement of the term 'Multi source edible vegetable oil' with 'Multi source edible oil' in sub-regulation 2.3.14 , clause (11).	22.09.2021
11.	Draft Notification of Food Safety and Standards (Labelling and Display) Amendment Regulations, 2021 relating to certain changes in various sub-regulations.	27.09.2021
12.	Draft Notification of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2021 relating to fowl eggs, lowering of fat content for double toned milk, limits of naturally occurring formaldehyde in finfish and shellfish, standards for basmati rice, etc.	14.10.2021
13.	Draft Notification of Food Safety & Standards (Genetically Modified or Genetically Engineered Foods) Regulations, 2021.	15.11.2021
14.	Draft Notification of Food Safety and Standards (Alcoholic Beverages) Amendment Regulations, 2021 relating to non-alcoholic counterpart of alcoholic beverage and flavoured beer.	22.11.2021
15.	Draft Notification of Food Safety and Standards (Advertising and Claims) Amendment Regulations, 2021 related to revision in respect of criteria, applicability and content claims.	27.12.2021
16.	Draft Notification of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2021 relating to inclusion of enzymes derived from genetically modified sources under processing aids (as approved in 32nd and 35th meetings of the Food Authority).	27.12.2021
17.	Draft Notification of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2021 related to Standards for Sheep Milk, oils, Desiccated coconut, Wheat Flour or Resultant Wheat flour, millets, Mithun (Bosfrontalis), Limit on reducing sugar in sugarcane Jaggery and Palmyrah Jaggery, Refined Iodized Salt, Low Sodium Salt, Dried Sweet Marjoram, Coconut Neera, Liquid nitrogen dosing in 'Natural Mineral Water' and 'Packaged Drinking Water', Substances added to Food, Microbiological Standards etc.	27.12.2021

Table10 - Research Projects closed during the year 2021-22

S.No.	Project Title	Institute Name	Project Investigator	Total Cost of the project (₹)
1	Kunitz Trypsin Inhibitor & Phytic Acid in Soybean: Assessment of methods of Estimation & Profiling.	ICAR-Indian Institute of Soyabean Research , Indore	Dr. Vineet Kumar	37,80,000
2	Validation and standardization of the GC analysis method given in ISO 17678:2010 for determination of milk fat purity in bovine milk other than cow's milk.	ICAR-National Dairy Research Institute, Karnal	Dr. Vivek Sharma	31,64,000
3	Functional components and antioxidants analysis of citrus fruit for its potential application in the food industry.	ICAR-Central Citrus Research Institute, Nagpur	Dr. Dinesh Kumar	35,84,000
4	Generation of Data on Pesticide Residues and Metal Contaminants in Edible Vegetable Oils of different regions.	CSIR-Indian Institute of Chemical Technology (CSIR- IICT), Hyderabad	Dr. B.L.A Prabhavathi	29,12,000
5	Assessment of the Quality of Vegetable Oils while frying and formulation of safety guidelines for fried oils for repeated frying.	CSIR-Indian Institute of Chemical Technology (CSIR- IICT), Hyderabad	Dr. M.S.L Karuna	22,92,000
6	Comparative studies of artificially ripened fruits for identification of changes in chemical composition and their residues.	CSIR-Indian Institute of Chemical Technology (CSIR- IICT), Hyderabad	Dr. U.V.R Vijaysarathi	37,16,000
7	Application of DNA Bar-coding to Detect Contamination and Substitution from Selected Herbal Products Available in the Market.	CSIR- North East Institute of Science & Technology (NEIST), Assam	Dr. Dipanwita Bani	50,00,000

S.No.	Project Title	Institute Name	Project Investigator	Total Cost of the project (₹)
8	Development of novel methodologies for the identification and quantification of oils in blended, interesterified and adulterated oils.	CSIR-Indian Institute of Chemical Technology (CSIR- IICT), Hyderabad	Dr. Sanjit Kanjilal	26,16,000
9	Species identification to check adulteration of cheaper quality meat in meat.	ICAR Unit, National Research Centre on Meat, Hyderabad	Dr. S. Vaithiyathan	40,50,000
10	Occurrence of Acryl Amide, a heat induced food toxicant in processed food products of India	CSIR – National Institute for Interdisciplinary Science and Technology (NIIST), Thiruvananthapuram	Dr. P Nisha	27,68,000

Table 11- Ongoing Research Projects

S.No.	Project Title	Institute Name	Project Investigator	Total Cost of the project (₹)
1	Development of Standard Protocols and Molecular tools for fish food authentication for food safety and quality assurance.	ICAR-Central Inland Fisheries Research Institute, Kochi.	Dr. Bimal Prasanna Mohanty	29,12,000
2	Nutritional quality and safety evaluation of common processed products of grapes.	ICAR- National Research Centre for Grapes, Pune.	Dr. Sharmishtha Naik and Dr. Ahmammed Shabeer.	30,74,000
3	Estimation of Carcinogenic and Mutagenic compounds in processed meat.	ICAR-National Research Centre on Meat, Hyderabad.	Dr. M.Muthukumar	49,00,000
4	Monitoring of heavy metal in finfish and shellfish species along the Indian Coast and possible mitigation measures.	ICAR- Central Institute of Fisheries Technology (CIFT), Kochi.	Dr. Satyen Kumar Panda	50,00,000
5	Short term study for generation of the occurrence data of heavy metals in chocolate and cocoa products.	National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management (NIFTEM), Sonipat.	Not Available	36,97,000

S.No.	Project Title	Institute Name	Project Investigator	Total Cost of the project (₹)
6	Natural levels of formaldehyde in freshly harvested finfish and shellfish species.	ICAR-Central Institute of Fisheries Technology (CIFT), Kochi.	Dr. Satyen Kumar Panda	54,00,000`
7	Evaluation of Genotoxic Potential of Ethoxyquin.	Indian Institute of Toxicological Research, Lucknow.	Dr. Kausar Ansari,	10,00,000

Table 12- NetSCoFaN groups and assigned food categories with financial support for Food-'O'-Copoeia monographs

S. No.	Name of the NetSCoFAN Group & Lead Institute (LI)	Food Categories including general requirements based	Pre paration of mono graph (₹)	Contingency per monograph (for digitizing and providing the soft versions of monographs as per template provided)	Updating (annual or biennial) per monograph	Total (₹)
1	Biological Group (BIG) LI: ICAR-Indian Veterinary Research Institute (IVRI), Izatnagar.	a) Dairy products and analogues, excluding products of food category. b) Prepared Foods.	7,20,000	80,000	2,00,000	10,00,000
2	Chemical Group (CHG) LI: CSIR- IITR	a) Fats and Oils and fat emulsions. b) Bakery Wares.	7,20,000	80,000	2,00,000	10,00,000
3	Nutrition & Claims Group (NCG) LI: ICMR-National Institute of Nutrition (NIN), Hyderabad.	a) Foodstuffs intended for particular nutritional uses; b) Sweeteners including honey	7,20,000	80,000	2,00,000	10,00,000

S. No.	Name of the NetSCoFAN Group & Lead Institute (LI)	Food Categories including general requirements based	Pre paration of mono graph (₹)	Contingency per monograph (for digitizing and providing the soft versions of monographs as per template provided)	Updating (annual or biennial) per monograph	Total (₹)
4	Foods of Animal Origin Group(FAG) LI:ICAR-National Research Centre on Meat (NRCM), Hyderabad	a) Meat & Meat Products including Poultry; b) Egg and egg products.	7,20,000	80,000	2,00,000	10,00,000
5	Food Testing Group (FTG) LI: ICAR- Central Institute of Fisheries Technology (CIFT), Kochi/ IIT- Gandhinagar	a) Fish and fish products, including molluscs, crustacean and echinoderms; b) Salt, Spices, soups, sauces, salads, protein products.	7,20,000	80,000	2,00,000	10,00,000
6	Water & Beverages Group (WBG) LI: CSIR- Indian Institute of Chemical Technology(IICT) Secunderabad.	a) Beverages excluding dairy products; b) Edible ices, sherbet and Sorbet.	7,20,000	80,000	2,00,000	10,00,000
7	Safer & Sustainable Packaging Group (SPG) LI: Indian Institute of Packaging (IIP), Mumbai	a) General requirement categories like labelling declarations, packaging. b) Ready to eat savouries.	7,20,000	80,000	2,00,000	10,00,000

S. No.	Name of the NetSCoFAN Group & Lead Institute (LI)	Food Categories including general requirements based	Pre paration of mono graph (₹)	Contingency per monograph (for digitizing and providing the soft versions of monographs as per template provided)	Updating (annual or biennial) per monograph	Total (₹)
8	Foods of Plant Origin Group(FPG) LI: National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management (NIFTEM)/CSIR-Central Food Technological Research Institute (CFTRI)	a) Fruits & Vegetables Products (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes and aloe Vera), seaweeds, nuts and seeds; b) Cereals & Cereal Products derived from cereal grains roots and tubers pulses legumes and pith or soft core of palm tree, excluding bakery wares of food category; and c) Confectionery	10,80,000	1,20,000	3,00,000	15,00,000
Total- Rupees Eighty Five Lakh Only					85,00,000	

Chapter-4

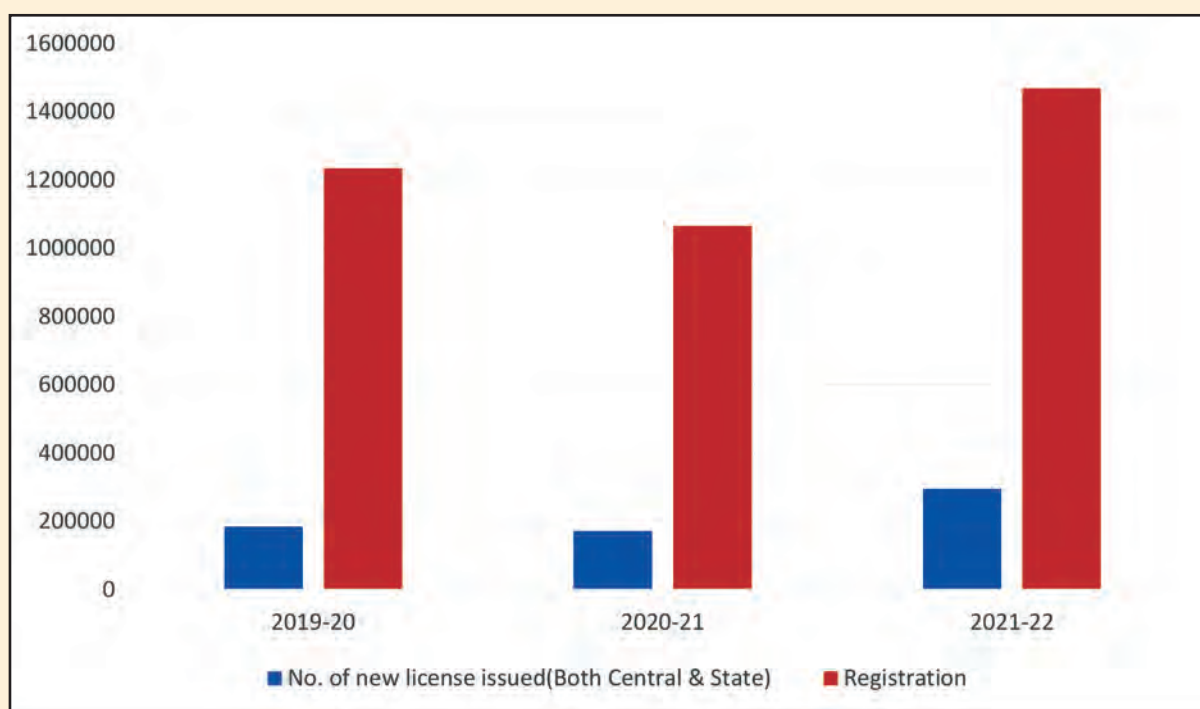
Food Safety Compliance

4.1 Licensing/Registration

- 4.1.1** All Food Business Operators (FBOs) in the country are required to be registered or licensed under Section 31 of the Food Safety & Standards Act, 2006 to commence or carry on any food business. The Food Safety and Standards (Licensing and Registration) Regulations, 2011 regulate the procedure for grant of licence and registration to FBOs. Eligibility criteria have been specified for issuance of Central Licence, State Licence and Registration. In case of Central/State Licence, a Unique Licence Number is granted for different kinds of businesses for carrying out food business at a particular premise for which licence has been granted. The FBOs are required to buy and sell food products only from, or to, licensed/registered vendors and maintain record thereof.
- 4.1.2** The eligibility criteria for Central or State Licence or Registration and documents required for obtaining Food License/Registration is available at FSSAI website <https://foscos.fssai.gov.in/business-eligibility>.
- 4.1.3** To facilitate and streamline the procedure for issuance of licence and registration, the manual procedure was replaced by FSSAI with an online Food License and Registration System (FLRS) in the year 2012 to serve as a single window for Central licence, State license and registration. FLRS was replaced with new online system called Food Safety and Compliance System (FoSCoS) which was made operational in all States/UTs with effect from 1st November, 2020 to address issue of its slowness. FoSCoS functions on cloud based server with upgraded software and hardware. Besides licensing and registration of FBOs, it is envisaged to be the one-stop 'Compliance Portal' for food safety through integration of various modules. Some of the modules such as Audit module, Inspection, Online Return filing module, Hygiene rating etc. have already been integrated with FoSCoS. FoSCoS essentially has the same flows as FLRS, so that users have convenience in using FoSCoS. One of the cardinal changes is the methodology of licensing for manufacturers which is now based on standardised product list. Mandatory documents have been rationalised and many paper based declarations have been replaced with online declaration. FoSCoS enhances the ease of doing business for the food business operators.
- 4.1.4** Despite the CoVID-19 pandemic, due to continuous surveillance and monitoring of food businesses by Central and State Designated Officers (DOs) and Food Safety Officers,

number of Central/State Licences issued to new FBOs during the year 2021-22 has increased considerably as compared to previous years. Comparative data of number of Central/State licences/registrations issued to new FBOs during the last three years i.e. 2019-20, 2020-21 and 2021-22 is as under:-

Year	Central License	State License	Registration
2019-20	6,814	1,78,721	12,34,424
2020-21	8,965	1,63,228	10,66,117
2021-22	14,852	2,81,132	14,68,421



4.2 Administrative setup of enforcement machinery in States/UTs

Chapter VII of the FSS Act, 2006 contains provisions relating to enforcement of the Act. The State/UT Governments are primarily responsible for the enforcement of the FSS Act, 2006 in their respective jurisdictions through the institution of the Commissioner of Food Safety. The team under the Commissioner of Food Safety includes Designated Officers (DOs) and Food Safety Officers (FSOs). Food Safety Commissioners (FSCs) in various States and UTs undertake the task of licensing /registration and enforcement through DOs and FSOs. Adjudicating machinery includes Adjudicating Officers (AOs) and Appellate Tribunals, besides Special Courts and Ordinary Civil Courts. The details of the administrative structure of enforcement machinery in various States/UTs are at Table-13.

4.3. Facilitating Licensing and Registration

FSSAI undertook a number of initiatives during 2021-22 to facilitate FBOs in matter of obtaining

license and registration. The initiatives include the following:

- Migration of State license to Central license and vice-versa in case of change in license criteria has been allowed without change in the license number.
- FBOs have been permitted to shift their premises either intra-state or inter-state without change in license or registration number.
- Enabling FBOs to renew their license even after expiry- Although 10 Emails/ SMS reminders are being sent to FBOs in a span of 6 months prior to expiry of license/ registration, some FBOs fail to renew their license/registration within the stipulated period. Till October, 2021, there was no provision to renew the license/registration, once it has expired. However, a provision has been made for FBOs to renew their food license/registration upto 6 months from the date of expiry (with penalty) to enable FBOs to continue with the same license/registration number after getting their license/ registration renewed.
- Petty Food Business Operators/Start-ups who are eligible for Registration Certificate, can now file application in an easy way through Food Safety Connect App.
- Manufacturers of traditional foods such as Sweets [Mithai] and Savouries [Namkeen] products were eligible for Central License only. Now, manufacturers of such products can also obtain State License or Registration or Central License as per the eligibility criteria.
- FSSAI has removed few kinds of businesses like Supplier, Marketer, Exporter (Domestic and Export) to avoid any ambiguity in selection of business activity while applying for license or registration.
- An SOP for updation of user credentials/ email and mobile number has been formulated for such FBOs who do not possess login credentials of FoSCoS.

4.4 Enforcement

4.4.1 The implementation and enforcement of FSS Act, 2006 and Rules and Regulations made thereunder primarily rests with the State/UT Governments. Regular surveillance, monitoring, inspection and random sampling of food products are undertaken by the officials of Food Safety Departments of the respective States/ UTs to check that the food products comply with the laid down standards. In cases where the food samples are found to be non-conforming, recourse is taken to penal provisions under Chapter IX of the FSS Act, 2006. Details of samples analysed, found non-conforming to the prescribed standards and norms and penal action taken during the year 2021-22 are at Table-14.

4.4.2 FSSAI issued a Notification dated 8th March, 2021 prohibiting blending of Mustard Oil for production of Multi Sourced Edible Vegetable Oil (MSEVO) w.e.f. 8th June, 2021. In order to ensure compliance of this prohibition by Food Business Operators, FSSAI, vide

letter dated 8th June, 2021, directed all States/UTs to carry out surveillance and targeted enforcement. The status of inspections carried out is as under:-

Total No. of FBOs manufacturing MSEVO (Central & States)	No. of FBOs inspected	FBOs not in operation	FBOs found to have switched over to blending of other oils	No. of FBOs found still carrying out Mustard Oil blending
620	620	55	565	0

4.4.3 The extant Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 specify standards for Coffee and Coffee-Chicory mixtures distinctly. It is specified that the coffee content in the Coffee-Chicory mixture shall not be less than 51 per cent by mass and every package containing a mixture of coffee and chicory shall declare on its label the percentage content of Coffee and Chicory. As per FSS (Packaging and Labelling) Regulations, 2011, Pre-packaged food shall not be described or presented on any label or in any labelling manner that is false, misleading or deceptive or is likely to create an erroneous impression regarding its character in any respect. Further, the FSS (Advertising and Claims) Regulations, 2018 stipulates that the term “pure” shall only be used to describe a single ingredient food to which nothing has been added. It was observed that the products available in the market are in violation of the above FSSR provisions and are either depicting Coffee-Chicory mixtures as Pure Coffee or are not declaring percentage content of coffee and chicory separately in the mixtures.

4.4.4 Accordingly, FSSAI vide letter dated 11th November, 2021, directed all States/UTs and Central licensing Authorities to ensure necessary compliance of the aforesaid provisions and take appropriate regulatory action against the FBOs for violating the FSS regulations w.r.t. standards of coffee and coffee-chicory mixture. All 42 Centrally licensed Food Business Operators engaged in manufacturing of Coffee-Chicory were identified and labelling compliance with regard to the product Coffee-Chicory by these FBOs was ensured.

4.4.5 Specified logo for milk and milk product

FSSAI has made it mandatory for all milk and milk products, including composite milk products, to have the ‘Milk logo’ (as below) and the milk analogues to have a declaration “Contains.....” and the blank to be filled with the name of the constituent that was not derived from milk along with its source. FBOs should comply with the standards in the regulation by 1st July, 2022.



- 4.4.6** FSSAI has developed 'Food Safety compliance through regular inspection and sampling system (FoSCoRIS)' and requested all States/UTs to adopt the same to bring transparency in food safety inspection and sampling. FoSCoRIS is a web based mobile app for inspections and sampling. It can be used with hand held devices like mobile phones, tablets and desktops as well. FoSCoRIS serves as an empowering tool not only for inspection but also for monitoring, data collection and data analysis in real time basis. FoSCoRIS enables Inspecting Officers to capture the images and upload the same in the system. It also enables higher authorities to view details of the officers conducting inspections, their geographical location, food premises being inspected etc. As against 60,232 FoSCoRIS inspections conducted during 2020-21, the number of food businesses inspected during 2021-22 increased to 2,19,775. The State-wise data of FoSCoRIS inspections conducted during 2021-22 is at Table-15.
- 4.4.7** Special enforcement drive to check the adulteration in the manufacturing of Tapioca Sago were conducted during November – December, 2021 especially in States of Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh and Telengana. During the drive, units of Tapioca Sago manufacturers were inspected and 135 legal samples of Tapioca Sago were lifted. Based on the inspection, 1,45,625 Kg of Sago and 752 litres of bleaching agent were seized. Moreover, based on outcomes of analysis report of legal samples, appropriate action will be initiated.
- 4.4.8** The Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011 were amended to stipulate that 'Food Products in which edible oils and fats are used as an ingredient shall not contain industrial trans fatty acids more than 2% by mass of the total oils/fats present in the product'. This provision is effective from 01st January, 2022. In order to ensure that the ibid prohibition is effectively enforced across the country with effect from 1st January, 2022, FSSAI vide letter dated 17th December, 2021, advised Commissioners of Food Safety of States/UTs and Central Licensing Authorities to carry out a 100% inspection of all such units which are licensed for manufacture/processing of vegetable oils/fats under their respective jurisdiction and check for compliance of the products being manufactured through surveillance samples.

4.4.9 FSSAI has decided to convene quarterly meetings with different sectors of the industry in order to understand and address their concerns and issues vis-à-vis regulatory changes, emerging issues, etc. and keep them abreast about related orders/directions issued by FSSAI specific to their sector. During 2021-22, four such meetings with representatives of different sectors such as wholesalers, transporters, re-packers, re-labellers, retailers, direct sellers, e-commerce establishments were conducted.

4.4.10 In order to improve interface with the States/UTs, FSSAI is conducting Video Conferencing (VC) sessions with the Food Safety Departments of States/UTs. During these sessions, state specific issues are discussed. During the year 2021-22, FSSAI conducted 35 Video Conference sessions with various States/UTs.

4.4.11 FSSAI has also increased interaction with States by participating in the State Level Advisory Committee meetings and through highest level visit of Chairperson/CEO to various States/UTs to discuss food safety issues and to take stock of implementation of various initiatives of FSSAI for improving the Food Safety eco-system.

4.5 Guidelines for collection of Used Cooking Oil (UCO)

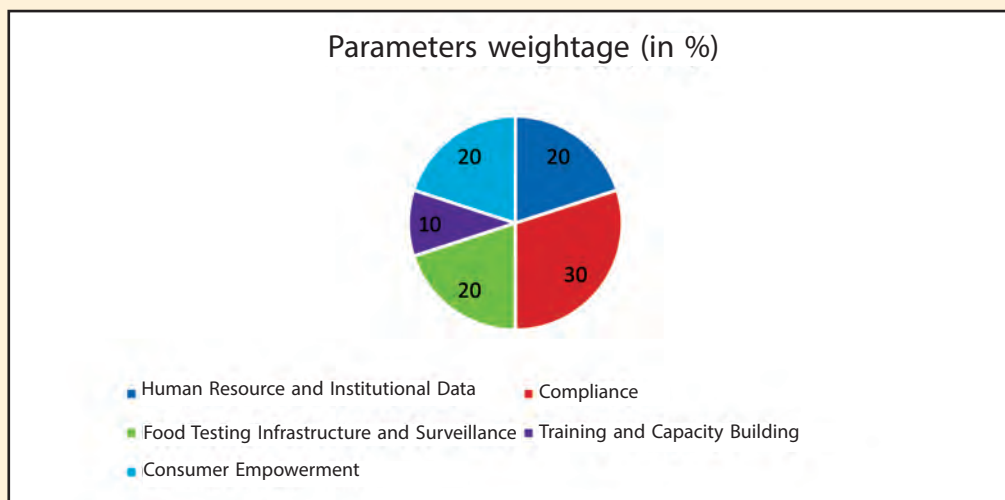
FSSAI has issued guidelines for collection of Used Cooking Oil (UCO) from Food Business Operators by Biodiesel Manufacturers. The guidelines provide terms and conditions for enrolment of Biodiesel Manufacturers for collection of Used Cooking Oil (UCO) from Food Business Operators (FBOs) through its authorised collection agencies. Till 31st March, 2022, FSSAI has enrolled 43 Biodiesel Manufacturers across the country for collection of Used Cooking Oil (UCO) from Food Business Operators.

4.6 Food Safety Mitra Scheme

Food Safety Mitra Scheme is an initiative of FSSAI seeking to create an ecosystem of facilitators assisting Food Business Operators (FBOs) in filing their application for FSSAI Registration/License. This initiative will remove the unscrupulous consultants and touts from the system and avoid exploitation of FBOs by offering standardized door-step services at low cost. For successful award of certification to Food Safety Mitra, FSSAI has introduced online examination w.e.f. 1st December, 2021.

4.7 State Food Safety Index (SFSI)

4.7.1 FSSAI has introduced State Food Safety Index to measure the performance of States/UTs on various parameters of Food Safety. The Index is a dynamic quantitative and qualitative benchmarking model that provides an objective framework for evaluating food safety across all States/UTs. This index is based on performance of State/UT on five significant parameters, namely; Human Resource and Institutional Data; Compliance; Food Testing Infrastructure & Surveillance; Training and Capacity Building; and Consumer Empowerment. Weightage pattern of these parameters are as under:



4.7.2 Every year, FSSAI releases the State Food Safety Index based on the overall performance of the States/ UTs in the previous financial year to create a positive competitive environment across the States/ UTs to meet the objectives of the Food Safety and Standards Act to provide safe food to general public at large. The first State Food Safety Index for the year 2018-19 was announced on the first-ever World Food Safety Day on 7th June, 2019. FSSAI released the 3rd State Food Safety Index for the year 2020-21 on 20th September, 2021. Among larger States, Gujarat secured first rank followed by Kerala and Tamil Nadu. Among Smaller States, Goa secured the first rank followed by Meghalaya and Manipur. Amongst the UTs, J&K got the first rank followed by A&N Islands and Delhi. The complete Index is available on FSSAI web link https://www.fssai.gov.in/upload/uploadfiles/files/Report_SFSI_20_09_2021.pdf

4.8 Status of signing of MoU between FSSAI and States/UTs for Strengthening of Food Safety Eco-system in the Country

FSSAI has signed Memorandums of Understanding (MoUs) with States/UTs for strengthening of Food Safety Eco-system in the country. Under the MoU frame work, financial and technical assistance is being provided to the States/UTs as per the approved work-plan proposals. During the year 2021-22, work plan proposals highlighting the key areas where both technical and financial support is required were received. The work plans were finalised after holding discussions with the respective State/UT and an amount of ₹ 95.48 Crore was released.

4.9 Empanelment of Food Safety Audit Agencies

To strengthen the food safety surveillance system, FSSAI has initiated audit of Food Business Operators through third party auditing agencies. Section 44 of the Food Safety and Standards Act, 2006 authorises the Food Authority to recognize an organization or an agency for carrying out food safety audit and checking compliance with the Food Safety Management Systems. Section 16(2)(c) of the Food Safety and Standards Act, 2006 empowers Food Authority to frame

regulations to specify the mechanisms and guidelines for accreditation of certification bodies engaged in certification of Food Safety Management Systems (FSMS) for food businesses. Accordingly, FSSAI notified Food Safety and Standards (Food Safety Auditing) Regulations, 2018 with effect from 28th August, 2018 and has recognized 33 food safety auditing agencies upto 31st March, 2022 under various scopes of auditing.

4.10 Hygiene Rating Scheme

4.10.1 The Hygiene Rating Scheme is a technology-driven, user-friendly Scheme where food establishments are given a rating on a scale of 1-5 (in smiley symbols) for their hygiene and food safety compliance. This scheme encourages food businesses to ensure high standards of hygiene and sanitation and allows consumers to make informed food choices. This scheme is currently applicable to

- Food Service Establishments (such as restaurants, cafes, diners and other eating-places)
- Sweet Shops,
- Bakeries and
- Meat Shops

4.10.2 Comprehensive checklists have been created based on the criteria a food business needs to meet the hygiene and sanitation standards as per Schedule-4 of FSS (Licencing and Registration of Food Businesses) Regulations, 2011. The food business is then audited based on this checklist and awarded a rating by a Hygiene Rating Audit Agency. A certificate is generated based on this rating which may be displayed for consumers at the premises. This helps consumers identify if the place is hygienic or not. A rating of 3 stars and above is considered a 'Good Rating'.

4.10.3 FSSAI has recognised 30 Third Party Audit Agencies and 12 other agencies for conducting Hygiene Rating Audits. There are more than 200 trained hygiene rating auditors conducting hygiene rating audits across the country. Quality Council of India (QCI) has developed a scheme for recognising Hygiene Rating Audit Agencies who will specifically be involved in conducting Hygiene Rating Audits in the country and scale up the process.

4.10.4 As on 31st March, 2022, 14,122 food establishments were successfully certified under the Hygiene Rating Scheme.

4.11 Surveillance by State authorities

Surveillance is an integral part of Regulatory Compliance and States/UTs regularly conduct surveillance activities and carry out intensive surveillance drives as per their surveillance plans. FSSAI has worked out an annual surveillance plan and shared with States/UTs. States/

UTs can make suitable changes and chalk out their own annual surveillance plan taking into account certain factors like geographical location, availability of food items, active/specific surveillance drives during festivals or specific occasions, degree of risk associated with food commodities etc. Based on the activities done in their respective areas, States and UTs are submitting surveillance reports to FSSAI from time to time. This plan has been followed up in various Central Advisory Committee meetings, Video Conferences, and other meetings with Food Safety Commissioners of States and UTs.

4.12 Grievance Redressal

FSSAI has a robust mechanism for handling a consumer complaint/concern. Complaints/Concerns of consumers and FBOs received by FSSAI through various channels (Web Portal & Mobile App, FSSAI Helpline, Emails, WhatsApp, Twitter, Facebook, INGRAM – National Consumer Helpline portal, PMOPG, posts etc.) are consolidated by FSSAI into a single portal i.e. Food Safety Connect Portal that is part of the online Food Safety Compliance System (FoSCoS). Consumers can also directly register their complaints and feedbacks on this portal about food safety issues related to adulterated food, unsafe food, substandard food, labelling defects in food and misleading claims & advertisements related to various food products. On successful registration of a food concern, a unique code is generated against each lodged complaint/concern no. which is conveyed via SMS on the mobile number provided at the time of registering the concern. This reference number can be used at a later time to track his/her concern in the online system. The FSSAI team, the State DOs/FSOs and the FBOs– all three stakeholders have online access to the grievances raised by consumers. The proper disposal of concerns is regularly monitored and taken up with Commissioners of Food Safety of States/UTs through Quarterly Reports, performance review of States/UTs and periodical Central Advisory Committee Meetings. Out of 3,920 consumer concerns/grievances raised on Food Safety Connect Portal, 2,834 consumer concerns were resolved and 1,086 consumer concerns are under different stages of investigation.

Table 13 – Details of Administrative Setup of enforcement machinery in States/UTs under FSS Act, 2006 (as on 31.03.2022)

Administrative Setup of enforcement machinery in States/UTs under FSS Act, 2006 (as on 31.03.2022)										
Sl. No.	State/ UT	FSC status	SLAC constituted	DLAC constituted	Appellate Tribunal	AOs	Designated Officers		Food safety Officers	
							Full Time	Part Time	Full Time	Part Time
1	Andaman & Nicobar Island	1	Yes	Yes	Yes	3	2	1	13	0
2	Andhra Pradesh	1	Yes	Yes	Yes	13	13	0	44	2
3	Arunachal Pradesh	1	Yes	Yes	Yes	25	1	24	3	0
4	Assam	1	Under process	No	Yes	33	6	1	24	0

Administrative Setup of enforcement machinery in States/UTs under FSS Act, 2006 (as on 31.03.2022)										
Sl. No.	State/ UT	FSC status	SLAC constituted	DLAC constituted	Appellate Tribunal	AOs	Designated Officers		Food safety Officers	
							Full Time	Part Time	Full Time	Part Time
5	Bihar	1	Yes	Yes	No	38	0	14	14	0
6	Chandigarh	1	Yes	Not required	Yes	1	1	0	5	0
7	Chhattisgarh	1	No	No	Yes	28	0	28	59	0
8	Dadara Nagar Haveli & Daman & Diu	1	Yes	No	Yes	3	3	0	3	0
9	Delhi	1	Yes	Under Process	Yes	11	8	0	20	0
10	Goa	1	Yes	Yes	Yes	2	1	0	38	0
11	Gujarat	1	Yes	Yes	Yes	33	25	13	183	0
12	Haryana	1	Under process	Under process	Yes	22	5	0	15	0
13	Himachal Pradesh	1	Yes	Yes	Yes	12	12	0	16	0
14	Jammu & Kashmir	1	Yes	Yes	Yes	23	21	0	71	0
15	Jharkhand	1	Yes	Yes	Yes	24	45	0	19	0
16	Karnataka	1	Yes	Yes	Yes	30	25	11	37	207
17	Kerala	1	Yes	Yes	Yes	27	12	0	119	0
18	Ladakh	1	Yes	Yes	Yes	2	1	0	1	2
19	Lakshadweep	1	Yes	NO	Yes	1	0	1	0	9
20	Madhya Pradesh	1	Yes	Yes	Yes	53	0	51	159	0
21	Maharashtra	1	Yes	Yes	Yes	7	43	64	208	0
22	Manipur	1	Yes	Yes	Yes	16	10	0	22	0
23	Meghalaya	1	Yes	Yes	Yes	11	3	9	5	7
24	Mizoram	1	Yes	Yes	NO	8	0	3	2	7
25	Nagaland	1	Yes	Yes	No	11	3	0	7	0
26	Odisha	1	Yes	Yes	Yes	36	3	34	65	0
27	Puducherry	1	Yes	No	Yes	2	1	0	1	0
28	Punjab	1	Yes	Yes	Yes	26	11	11	51	0

Administrative Setup of enforcement machinery in States/UTs under FSS Act, 2006 (as on 31.03.2022)										
Sl. No.	State/ UT	FSC status	SLAC constituted	DLAC constituted	Appellate Tribunal	AOs	Designated Officers		Food safety Officers	
							Full Time	Part Time	Full Time	Part Time
29	Rajasthan	1	Yes	Yes	Yes	40	0	0	0	48
30	Sikkim	1	Yes	Yes	Yes	4	3	0	4	0
31	Tamil Nadu	1	Yes	Yes	Yes	38	32	0	267	0
32	Telangana	1	No	No	Yes	31	9	0	36	0
33	Tripura	1	Yes	Yes	Yes	8	0	10	3	0
34	Uttar Pradesh	1	Yes	Yes	Yes	75	74	0	615	0
35	Uttarakhand	1	Yes	Yes	Yes	13	14	0	20	0
36	West Bengal	1	Yes	Yes	Yes	23	28	0	143	0
	Total					733	415	275	2292	282

Note: FSC=Food Safety Commissioner, AO=Adjudicating Officer, SLAC=State Level Advisory Committee, DLAC-District Level Advisory Committee.

Table 14 -Details of samples analysed, found non-conforming and penal action taken during the year 2021-22

Annual Public Laboratory Testing Report of Enforcement Sample (FY 2021-22)																			
S. No.	Name of State/UT	No. of Samples lifted	No. of Samples Analysed	No. of Samples wherein Analysis Report Awaited	No. of Samples found Non-Conforming		Non Conforming Samples			Details of Civil Cases					Details of Criminal Cases				
					From Samples lifted in previous year but Analysis Report declared this year	From samples lifted and analysed this year	Unsafe	Sub Standard	Labelling defects/ Misleading/ Miscellaneous	No. of Cases Launched	No of Cases decided		No of pending cases		No. of Cases Launched	No of Cases decided			No. of Pending Cases
											Convicted	Penalties Raised (₹)	In AO Court	In Appellate Tribunal		Convicted with fine & Imprisonment	Acquitted	Penalties Raised (₹)	
1	Andaman & Nicobar Islands	850	850	0	0	4	0	4	0	6	5	65000	0	0	0	0	0	0	0
2	Andhra Pradesh	5290	5290	45	5	528	128	167	238	271	484	7313178	1285	87	41	6	13	200000	635
3	Arunachal Pradesh	330	108	222	1	1	0	0	2	0	0	0	4	0	1	0	1	0	5
4	Assam	523	520	0	2	64	11	37	18	25	5	70000	185	0	3	0	0	0	18
5	Bihar	2140	555	1585	17	0	3	9	5	23	75	1735000	565	0	9	0	0	0	165
6	Chandigarh	388	388	0	1	27	4	17	7	95	60	975000	36	8	61	1	0	30000	111
7	Chhattisgarh	1437	1436	1	20	160	16	103	61	118	90	1214000	375	24	39	6	0	20000	312
8	Dadra Nagar Haveli & Daman & Diu	250	234	29	0	0	0	0	0	10	7	238500	3	0	0	0	0	0	0
9	Delhi	1956	1956	0	5	213	52	58	108	196	89	3919500	473	12	48	27	2	1968000	134

Annual Public Laboratory Testing Report of Enforcement Sample (FY 2021-22)

S. No.	Name of State/UT	No. of Samples lifted	No. of Samples Analysed	No. of Samples wherein Analysis Report Awaited	No. of Samples found Non-Conforming		Non Conforming Samples			Details of Civil Cases					Details of Criminal Cases				
							Unsafe	Sub Standard	Labelling defects/ Misleading/ Miscellaneous	No. of Cases Launched	No of Cases decided		No of pending cases		No. of Cases Launched	No of Cases decided			No. of Pending Cases
					From Samples lifted in previous year but Analysis Report declared this year	From samples lifted and analysed this year							In AO Court	In Appellate Tribunal					
											Convicted	Penalties Raised (₹)				Convicted with fine & Imprisonment	Acquitted	Penalties Raised (₹)	
10	Goa	200	200	0	0	14	1	5	8	9	2	60000	12	2	4	0	0	0	6
11	Gujarat	16022	13663	2359	67	757	62	482	280	626	668	39693358	2474	531	79	14	2	327500	499
12	Haryana	4344	4235	109	96	1086	113	600	469	587	78	9081400	1057	22	60	21	1	70000	321
13	Himachal Pradesh	1923	1745	205	14	294	11	91	206	248	249	3249100	203	2	15	0	3	0	52
14	Jammu & Kashmir	9265	8109	1838	240	1495	29	1047	659	2244	1931	13910840	3829	45	34	4	5	115000	185
15	Jharkhand	706	175	531	0	85	24	28	33	67	42	919500	273	0	15	8	0	70000	107
16	Karnataka	5965	5844	121	0	150	13	76	61	147	125	1734600	173	0	13	0	0	0	221
17	Kerala	7890	7855	35	64	861	460	238	227	599	237	7470700	1471	32	361	10	4	306000	1348
18	Ladakh	66	47	47	0	19	0	4	15	19	12	113000	5	0	0	0	0	0	0
19	Lakshadweep	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Madhya Pradesh	15355	16059	3409	889	2011	109	1315	1476	2786	2030	69280500	2548	512	169	72	8	764500	953
21	Maharashtra	13118	9580	3538	320	1134	377	546	531	1587	787	19160750	4085	89	272	12	0	33000	7981
22	Manipur	314	236	78	0	3	1	1	1	0	1	40000	0	0	0	1	0	3000	0
23	Meghalaya	309	70	239	0	5	0	1	4	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6
24	Mizoram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Nagaland	157	127	30	0	14	0	8	6	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0
26	Odisha	1168	1168	0	0	260	66	135	59	63	52	562000	98	0	43	0	0	0	76
27	Puducherry	5	5	0	0	2	0	2	0	2	2	10000	0	0	0	0	0	0	0
28	Punjab	6768	6768	0	0	1059	81	538	440	784	0	9781600	1147	36	63	8	6	76000	407
29	Rajasthan	12879	10386	2493	0	2891	409	1747	735	1125	626	13101075	499	360	33	1	0	66020	131
30	Sikkim	66	66	0	5	0	1	0	4	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0
31	Tamil Nadu	19858	16363	8478	1033	2745	946	626	2206	3121	2884	30086000	1804	37	837	360	27	7863000	2249
32	Telangana	3077	3077	0	0	353	72	181	100	281	77	877600	204	0	32	0	1	0	31
33	Tripura	51	31	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
34	Uttar Pradesh	26934	21987	10029	5372	7781	1842	7929	3382	13221	8585	291746400	27307	1505	2694	118	13	1660000	9714
35	Uttarakhand	2397	2511	800	205	355	17	517	26	574	182	6086700	922	29	13	1	0	200000	52
36	West Bengal	3380	2701	679	67	140	42	70	95	63	52	1420500	43	5	7	1	1	50000	6
Total	165381	144345	36920	8423	24511	4890	16582	11462	28906	19437	533,915,801	51095	3338	4946	671	87	13,822,020	25730	

Includes data from samples tested in both Public and Private labs.

Table 15- Details of Inspections conducted through FoSCoRIS during the year 2021-22

States/UTs	Central Licensed FBOs	State Licensed FBOs	Registered FBOs	Total
Andaman And Nicobar Islands	3	952	1491	2446
Andhra Pradesh	160	42	4	206
Arunachal Pradesh	1	40	10	51
Assam	115	2898	73	3086
Bihar	16	104	5	125
Chandigarh	5	1258	25	1288
Chhattisgarh	13	5070	660	5743
Dadra & Nagar Haveli & Daman and Diu	2	285	321	608
Delhi	26	851	78	955
Goa	22	181	935	1138
Gujarat	123	12111	1997	14231
Haryana	16	3466	1357	4839
Himachal Pradesh	9	1232	1049	2290
Jammu & Kashmir	10	4321	15719	20050
Jharkhand	3	1116	159	1278
Karnataka	132	2091	2924	5147
Kerala	110	3397	3394	6901
Ladakh	1	68	356	425
Lakshadweep	0	0	0	0
Madhya Pradesh	91	4979	1566	6636
Maharashtra	175	11198	5421	16794
Manipur	4	240	624	868
Meghalaya	3	0	1	4
Mizoram	0	0	0	0
Nagaland	2	13	19	34
Odisha	22	1816	850	2688

States/UTs	Central Licensed FBOs	State Licensed FBOs	Registered FBOs	Total
Puducherry	4	4	0	8
Punjab	37	1377	446	1860
Rajasthan	33	257	192	482
Sikkim	4	245	187	436
Tamil Nadu	106	51218	7745	59069
Telangana	105	8	140	253
Tripura	3	555	22	580
Uttarakhand	7	2526	830	3363
Uttar Pradesh	101	13941	26807	40849
West Bengal	74	9471	436	9981
Total Inspections	1,538	1,37,331	75,843	2,14,712
Inspections conducted by Railways and Airport authorities				5063
	Grand Total			2,19,775

Chapter-5

Food Testing and Surveillance

5.1 Notification of Food Testing Laboratories

5.1.1 As per Chapter VIII, Section 43 of the Food Safety and Standards Act, 2006, FSSAI is to foster an ecosystem for testing of food at food laboratories for compliance with the food safety standards.

5.1.2 As an integral part of the food regulatory set up, the food testing ecosystem has to serve the following major functions:

- Analyze and test foods/food commodities (domestic as well as imported) against the prescribed quality and safety parameters and enable enforcement of food laws/regulations.
- Assist in market surveillance activities to ensure that the food products being sold are standardized and are sold in compliance of the standards prescribed.
- Be a part of the risk assessment framework including those during food related incidences and in turn aid in development of food standards or guidance documents.
- Be an integral part of the network to harmonize, develop or validate testing methods.
- Create awareness about food testing and food standards, especially among the consumers.

The food testing laboratories can be used by the regulators, consumers and food business operators to ensure compliance of food laws at all levels.

5.1.3 As per Section 43 (1) of FSS Act, 2006, the Food Authority may notify food laboratories and research institutions accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories or any other accreditation agency for the purpose of carrying out analysis of samples by the Food Analysts under the Act.

5.1.4 As per Section 43 (2) of FSS Act, 2006, the Food Authority shall, establish or recognize by notification, one or more referral food laboratory or laboratories to carry out the functions entrusted to the referral food laboratory by the Act or any rules and regulations made thereunder.

- 5.1.5** In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of Section 16 read with Section 43 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India has notified the Food Safety and Standards (Recognition and Notification of Laboratories) Regulations, 2018 in November, 2018. The *ibid* Regulations cover all the procedural requirements for the recognition and notification for laboratories such as types of laboratories, criteria for recognition and notification, renewal, audit & investigation, obligations of the laboratories, suspension, de-recognition, audits, etc.
- 5.1.6** In order to foster ease of doing business, to bring about transparency, and to have a proper system for reviewing and monitoring the activities of food laboratories on a single platform and thereby improving the quality of food testing in the country, the Food Authority is now recognizing food laboratories only through the unified approach of laboratory accreditation/recognition/ approval system of National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL), which also has other regulators viz. Export Inspection Council (EIC), The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), Tea Board and Indian Oilseed and Produce Export Promotion Council (IOPEPC).
- 5.1.7** The State Food Testing Laboratories (SFTLs) which were present during the erstwhile Prevention of Food Adulteration Act (PFA) regime continued under transition provision of Section 98 of FSS Act, 2006 for more than 10 years mostly without having NABL accreditation which is the primary criteria to be a food laboratory under FSS Act, 2006. However, despite the repeated requests and reminders, some of the States/UTs had not initiated the process for obtaining NABL accreditation. Therefore, 39 SFTLs were discontinued from the ambit of Section 98 of FSS Act, 2006, with effect from 18th December, 2020 with the observations that the labs will be re-instated as and when they obtain NABL accreditation. Out of the 39 SFTLs, 14 SFTLs obtained NABL accreditation during this period and were notified under Section 43(1) of FSS Act, 2006 as per list at Table-16.
- 5.1.8** Apart from the above, 29 other laboratories were also notified as food testing laboratories during 2021-22 u/s 43 (1) of FSS Act, 2006 for primary testing of food samples as per list at Table-17.
- 5.1.9** Further, National food Laboratory, Navi Mumbai has also been notified as a Referral Laboratory under Section 43 (2) of FSS Act, 2006.
- 5.1.10** As on 31st March, 2022, the Food Authority has a network of 227 laboratories for primary testing, recognized & notified under Section 43(1) of FSS Act, 2006 and 20 laboratories for appellate (Referral) testing recognized & notified under Section 43(2) of FSS Act 2006. The sector-wise composition of all the laboratories recognized and notified by FSSAI is at Table-18.

5.1.11 State-wise number of FSSAI notified laboratories, State/Public Food Laboratories, Referral laboratories is at Table-19.

5.2 Food laboratories under the direct control of Food Authority

5.2.1 Three out of the 20 Referral laboratories are under the direct control of FSSAI viz., National Food Laboratory-Ghaziabad (NFL-G), National Food Laboratory-Kolkata (NFL-K) and National Food Laboratory, JNPT, Navi Mumbai (NFL-JNPT). NFL-G and NFL (JNPT) have been developed as state-of-the-art model food testing laboratory on public-private-partnership (PPP) mode. Likewise, NFL-K is also being renovated and upgraded as state-of-the-art model food laboratory. FSSAI is also coming up with one more National Food Laboratory soon, at Chennai Port Trust (CPT), Chennai in PPP mode. Private Partners at NFLs JNPT and CPT are responsible for meeting all the capital and operational expenses for running the labs on revenue sharing basis.

5.2.2 National Food Laboratory, Ghaziabad

The National Food Laboratory, Ghaziabad (NFL), earlier known as Food Research & Standardization Laboratory (FRSL), was established in December 1971. The laboratory was functioning under the Directorate General of Health Services (DGHS) under the Ministry of Health and Family Welfare till 2011. Thereafter, it came under the jurisdiction of Food Safety & Standards Authority of India (FSSAI). The Laboratory was renovated and operationalized under a unique Public-Private-Partnership (PPP Model). The Laboratory was renamed to “National Food Laboratory, Ghaziabad” on 10th September, 2018. NFL is an NABL accredited Laboratory in the field of both chemical and biological food testing covering a total 1965 parameters in its scope of accreditation. The laboratory has end-to-end most of the analytical capability to test any food samples for compliance as per FSS Act and Rules/Regulations. It also houses state-of-the-art collaborative training centers viz., Food Safety Solution Centre (FSSC) and Centre for Microbiological Analysis Training (C-MAT). NFL Ghaziabad is functioning as Primary as well as Referral Food Laboratory under the Food Safety and Standards Act 2006. Apart from testing the samples, NFL-G also undertakes Research and Development work for standardisation of testing methods for food products and food additives. It also conducts training programmes for food regulatory staff of the various States and UTs in the area of food adulteration monitoring, food safety and food analysis. NFL has validated 33 methods for analysing the Food Adulteration in different matrices. NFL has also analysed a total 1564 legal and surveillance samples, along with the commercial samples in the financial year 2021-22.

5.2.3 National Food Laboratory, Kolkata

National Food Laboratory, Kolkata (NFL), formerly known as Central Food Laboratory,

was established in June, 1955 as first Food laboratory under the provision of Prevention of Food Adulteration Act, 1954 and PFA Rules, 1955. The laboratory was functioning under the Directorate General of Health Services (DGHS) under the Ministry of Health and Family Welfare till 2009. Thereafter, it came under the jurisdiction of Food Safety & Standards Authority of India (FSSAI). National Food Laboratory (NFL), Kolkata is functioning as Primary as well as Referral Food Laboratory under the Food Safety and Standards Act 2006. The laboratory has a Quality Management System in place and is accredited by NABL in compliance to ISO/IEC 17025:2017. Apart from routine analysis of referral samples as a Referral laboratory, it is also analyzing samples of imported food products, surveillance food samples, and food samples received from other government agencies. NFL also imparts training to Food Analysts, Food Safety Officers etc.

5.2.4 National Food Laboratory, Navi Mumbai

The National Food Laboratory, Navi Mumbai, which is situated in JNPT Township Sheva, Navi Mumbai has started functioning in January, 2022 in PPP mode with Vimta Labs Limited. This laboratory is accredited by NABL in the field of both chemical & biological food testing. This laboratory is having facilities for testing of chemical, nutritional and microbiological aspect of food analysis. This laboratory is also having high end equipments like LC-MS, ICP-MS, AAS, GC-MS, HPLC, FTIR to test the food samples in almost all matrices for both chemical and biological disciplines. NFL is analysing approximately 2000 samples per month. This laboratory is functioning under PPP model in revenue sharing basis with Vimta Labs Limited with strength of 52 trained and qualified technical and administrative staff along with the support staff.

5.3 National Reference Laboratory

5.3.1 As per Regulation 3 of Food Safety and Standards (Recognition and Notification of Laboratories) Regulations, 2018, the Food Authority may recognize any notified food laboratory or Referral food laboratory as National Reference Laboratory (NRL) for the purpose of developing methods of testing, validation, proficiency testing and Training. Under the said regulation, FSSAI recognized 12 notified food laboratories as NRLs and 2 notified Food Laboratories as ANRLs in 2019 for a period of 3 years. A list of notified NRLs/ANRLs is at Table-20. During the financial year 2021-22, a sum of ₹ 79 lakh was released to 6 NRLs as below:

S. No.	Name of the Laboratory/ Institution/Organization	Amount released in the financial year 2021-22
Government Laboratories as NRL		
1.	CSIR-Central Food Technological Research Institute, Mysuru, Karnataka	5,00,000

S. No.	Name of the Laboratory/ Institution/Organization	Amount released in the financial year 2021-22
2.	Punjab Biotechnology Incubator, Mohali, Punjab	21,74,343
3.	ICAR-National Research Centre For Grapes, Pune, Maharashtra	10,00,000
4.	Centre for Analysis and Learning in Livestock and Food – National Dairy Development Board, Anand , Gujarat	14,00,000
5.	CSIR-Indian Institute of Toxicology Research, Lucknow, Uttar Pradesh	10,00,000
Private Laboratories as NRL		
6.	Edward Food Research & Analysis Centre Limited, Kolkata, West Bengal	18,30,900

5.4 Indian Food Laboratory Network (InFoLNet)

- 5.4.1** The Indian food laboratory network (InFoLNet) is an online network of labs connected to a centralized system called Lab Management System (LMS). FSSAI has revamped its existing online platform and come up with a new version i.e. InFoLNet 2.0 with added features for easy reporting process and to get uniform test reports.
- 5.4.2** New platform have features such as alert system for NABL validity expiry, option to upload photographs of sample received, generation of digitally signed report, upload surveillance reports etc. It also has a provision for integration of InFoLNet to other FSSAI core IT systems, such as FICS (Food Import Clearance system), FoSCoRIS (Food Safety Compliance through Regular Inspections and Sampling), etc.
- 5.4.3** Currently, all the existing and newly notified laboratories have updated their profile on INFoLNet 2.0 w.r.t manpower, NABL validity, scope of accreditation, basic details of the laboratory, equipment etc. Laboratories have also started generating and uploading the reports online on InFoLNet 2.0 portal. The process of integration of InFoLNet 2.0 with other IT system of FSSAI is under process and will be completed soon.

5.5 Standardization of method for analysis of fortificants in fortified rice

- 5.5.1** In reference to the Hon'ble PM's directive on mandatory fortification of rice to be supplied through PDS and other food security schemes of the Government by March, 2024, it becomes important to have a robust and large network of the Food Testing Labs that can be put in place for reliable and consistent testing of all the three fortificants, viz., Iron, Folic acid and Vitamin B12 as the quantum of fortified rice being supplied through the PDS itself would be in the range of about 20 Million Tonnes every year.

5.5.2 In order to have a uniform and standardized method for testing of fortificants in fortified rice across the country, FSSAI assigned the work of standardization of testing method of analysis of fortificants in fortified rice to one of the National Reference Laboratories of FSSAI i.e Edward Food Research & Analysis Centre Limited (EFRAC), Kolkata. Subsequently, to transfer the method standardized by EFRAC and initiate the process of method verification and Proficiency testing, FSSAI has identified 90 Labs (Private and Government) for participation in the programme based on the readiness of the laboratories on the method standardized by EFRAC.

5.5.3 In the first phase, 55 labs have been included and till date successful completion of method verification and Proficiency Testing (PT) is achieved by 30 labs. Remaining labs are under different stages of the program and will successfully complete the activities soon. This exercise will continue in phases and 90 labs are expected to be on-board for successful completion of Proficiency Testing Program by Dec., 2022. The standardized method will also be incorporated in the FSSAI Manual of Methods at the earliest.

5.6 Laboratory rating matrix

5.6.1 In order to motivate the laboratories to maintain high standards of testing the quality and efficiency of testing, FSSAI is planning to rate the FSSAI notified food testing laboratories under FSS, Act 2006 in accordance to their performance and output. The lab rating by FSSAI will also boost the confidence of State Authorities, FBOs and other stakeholders on the testing competency of the laboratory and credibility of test results.

5.6.2 In this regard, a committee constituted by FSSAI, after detailed deliberation, decided to develop two different rating matrices for notified State Food Testing Laboratories and other notified laboratories. The draft matrices, which are under process, take into account various parameters, such as availability of infrastructure, testing capabilities, manpower availability, active participation in INFoINET, PTs, inter laboratory comparison, surveillance, availability and utilization of high-end equipment, attendance in different training programmes, etc.

5.7 Gap Analysis of State Food Testing Laboratories (SFTLs)

FSSAI has conducted Gap Analysis of 76 State Food Testing Laboratories (SFTLs) and 2 FSSAI owned National Food Testing laboratories through independent experts with an objective to strengthen State Food testing Laboratories in India. The report of GAP Analysis reviewed the infrastructure, equipment status, and manpower availability, availability of Certified Reference Materials (CRMs) and consumables and NABL scope of food testing laboratories. Based on the key findings, the issues are being addressed by granting funds to SFTLs under specific heads under the MoUs being signed with States/UTs.

5.8 Strengthening of the Food Testing System in the Country

5.8.1 A Central Sector Scheme for “Strengthening of the Food Testing System in the Country including provision for Mobile Food Testing Laboratories” was approved by the Ministry of Health and Family Welfare with an outlay of ₹ 481.95 Crore (₹400.40 Crore– Non-recurring, ₹ 81.55 Crore– Recurring) on 31st August, 2016 for a period of 3 years. The Govt. has further extended the Scheme till 2022-23 with few additional components and a revised financial outlay.

5.8.2 The details of important components and status of implementation of the Central Sector Scheme is given below:

(A) Strengthening of State Food Testing laboratories

Under this component of the Scheme, 43 State Food Testing Laboratories (SFTLs) were required to be strengthened at an estimated cost of more than ₹ 12 Crore per SFTL, subject to the readiness of the State/UT Governments. This cost included ₹ 50 Lakh towards creation/renovation of physical infrastructure for installation of three high-end equipment (HEEs) viz. GC-MSMS, ICPMS and LC-MSMS, ₹ 8.50 Crore for procurement of HEEs (including 7 years’ manpower and 5 years’ CAMC), ₹ 60 lakhs towards consumables and contingencies and ₹ 3.00 Crore for setting up of a microbiology laboratory. As on 31st March, 2022, 41 SFTLs in 30 States/UTs have been taken up for strengthening with total released grant of ₹ 327.02 Crore (excluding FSW). During 2021-22, a grant of ₹12.54 Crore was released as per details in Table-21.

(B) Strengthening of Referral Food Testing Laboratories

The estimated grant for upgradation of each referral laboratory for bridging the gap in the existing and required test facilities as per FSSRs is ₹ 3 Crore for procurement of advanced equipment. As on 2021-22, 13 Referral Laboratories have been taken up for strengthening under the Scheme with total grant of ₹ 33.18 Crore, of which ₹5.53 Crore was released in 2021-22 as per details below:

S. No.	Name and Address of the Referral Labs	Grant released (₹ In Crore)	Equipment approved
1	Punjab Biotechnology Incubator (PBTI), Mohali	0.77* (*Additional Grant)	ICP-MS, MDS, EA-LC-IRMS
2	CFRA- NIFTEM, Sonipat, Haryana	1.76	ICPMS, IC-CD
3	IIHR, Bangalore	3.00	LCMSMS, IC-ICPMS
	Total	₹ 5.53 Cr.	-----

(C) Support for Mobile Food Laboratories

- (i) Under the Scheme, Mobile Food Testing Laboratories (MFTL), referred to as Food Safety on Wheels (FSW), are being provided in States/UTs across the country. This scheme not only addresses the issues regarding lack of food testing infrastructure in the remote areas but also catering to the basic analytical needs of consumers. Towards scaling up of food testing, awareness and capacity building as per the vision document, a new version of FSW called modified FSW has been designed. A fully fabricated modified FSW (along with equipment, a few hand-held devices/rapid kits and microbiological testing) costing ~₹37 lakhs (apprx.), excluding GST, is being provided to States/UTs. Besides, a recurring grant of ₹ 10 lakh/year/FSW for three years towards operational expenses is also being provided. During the year, 83 more FSWs were provided to States/UTs. Thus total number of FSW procured and delivered as on 31st March, 2022 is 173. 97 of these vehicles have been provided under the Central Sector Scheme. State-wise distribution of total FSWs is placed at Table-22.



Figure 8- Internal view of the FSW Van



Figure 9 -External view of the FSW Van

(D) Capacity Building of Food Testing Laboratories

- (i) Capacity Building is a process of developing and strengthening the skills, instincts, abilities, processes and resources that are essential components of strengthening and up-gradation of food testing laboratories in the country. The ultimate objective of this activity is to ensure that all the state food testing laboratories obtain and maintain NABL accreditation and are brought on par with the best laboratories in the Country. All the FSSAI Notified Laboratories, State Food Laboratories and Referral Laboratories are eligible to participate in this initiative. In order to establish an effective and qualified network of Food Analysts in the country, more participation is encouraged from Notified Laboratories and State Food Laboratories so that all such laboratories obtain, improve, and retain the skills, knowledge and expertise needed to do their jobs efficiently and with an enhanced capability.

Physical Training Programs

- (ii) During the period i.e. April, 2021 to March, 2022, a total of 5 physical training programs were organized especially for the personnel from State Food Testing Laboratories. These training programs were conducted at various Government Institutes and Laboratories. 45 state laboratory personnel attended these training programs.

Online Training Programs

- (iii) In all, 197 Online training programs and certificate courses were also organized by FSSAI in co-ordination with its three training centres viz. (i) Food Safety Solution Centre (FSSC), (ii) Centre for Microbiological Analysis Training (C-MAT) both situated at National Food Laboratory Ghaziabad and (iii) International Training Centre on Food Safety and Applied Nutrition (ITC-FSAN), Mumbai. Apart from these, National Reference laboratory i.e. NDDB, Anand, Gujarat also conducted online training programs in March, 2022. Approximately 13,899 participants from States/UTs, FSSAI Notified laboratories and other laboratories, Food Safety Officers of various States/ UTs, Central Food Safety Officers, Consumers, Food Business Operators, Students, Navy catering staff of INS Hamla etc. attended these training programs.
- (iv) The main objective of training programs is to impart knowledge about analytical techniques used in the testing of various parameters such as safety aspects, nutritional aspects, and proximate composition of Food. The proximate composition of food include moisture, ash, lipid, protein and carbohydrate content while the safety parameters include analysis of mycotoxins, pesticides residues and metal contaminants/heavy metals in various food commodities using High End Equipment (HEE) so as to enhance the skills of laboratory personnel.

- (v) Broadly, the trainings included topics like Laboratory Skills in Microbiology; Handling of common Microbiological Lab Equipment & Calibration; sterilization; handling a pathogen contamination situation in the food production environment; anaerobic culturing applications etc. Trainings were also given on general topics such as COVID safety guidelines for Nutraceuticals and Health Supplements Industries, revolutionizing the food testing scenario in India with Rapid Test Kits, Quality Tools used in food analysis, regulatory procedure for sampling and analysis under FSS Act, 2006 & FSS Rules, 2011 etc.

Training Calendar

- (vi) For the first time, a training calendar (January, 2022 to June, 2022) for conducting hands-on-training programmes was developed and uploaded on FSSAI website to cater to the need of training requirements of laboratory personnel working in State Food Testing Laboratories across the country as well as to keep them updated with the upcoming training programmes on various topics.

Figure 10- Some Glimpses of Training Programs for Laboratory Personnel etc.



National Food Laboratory, Kolkata



ITC-FSAN, Mumbai



CSIR-IITR, Lucknow



FSSC, NFL Ghaziabad



CEPCI, Kerala

5.9 Food Safety Magic Box

FSSAI has developed a small sized, light weight portable box called Food Safety Magic Box (FSMB) containing a few basic chemicals, small instruments and safety gadgets. It is a Do-it-yourself food safety testing kit and aims to be a pedagogical tool to educate school and college students, Anganwadi trainers, ASHA workers etc in rapid testing of adulterants in different food product categories. It also has a companion guidance book that illustrates testing across various food products in a very simple way through pictures. It can perform more than 100

easy tests to determine adulterants like water, urea, detergents, starch, pulverised soap etc. in milk; starch and artificial colours in spices and condiments; mineral acid in beverages, adulteration in sugar and honey. FSSAI conducted public demonstration of Magic Box during India International Trade Fair at Pragati Maidan held from 14-27th November 2021 to sensitize general masses towards food adulteration, particularly aiming school going children who can perform various science based tests at home to check adulteration.

5.10 Implementation of Sample Management System in States/UTs at district level

FSSAI has provided Portable Chill Boxes, Backpack-style Sampling Bags, Vehicle Mountable Cold-chain enabled Boxes, Deep Freezers and normal storage cabinets to Food Safety Officers and Designated Officers of 30 States/UTs to create an effective network of Sample Management System (SMS) with cold chain facilities across India so as to prevent the deterioration of samples during transport and storage.

SMS Components



Compact cabinet chiller, Freezer, Ambient



Vehicle mounted freezer unit



Portable chill box



Back pack

5.11 Food Analyst Examination (FAE)/Junior Analyst Examination (JAE)

5.11.1 7th Food Analyst Examination (FAE)

FSSAI regularly conducts Food Analyst Examinations (FAE) to increase the pool of qualified Food Analysts and to augment human resource requirement of the primary and referral laboratories. Theory paper of 7th FAE was held on 30th July, 2021 at 16 Centers where a total of 521 candidates appeared. On the results of this examination, 68 candidates were found eligible for appearing in practical examination. Five candidates who had cleared 1st/2nd/3rd Junior Analyst Examination were also considered eligible for appearing in practical examination. The practical examinations will be conducted in near future.

5.11.2 4th Junior Analyst Examination (JAE)

Keeping in view of the scarcity of food testing personnel and to encourage the fresh

post-graduates to have future job prospects in food industry/ food testing laboratories and take up Food Analysis as a profession after acquiring required analytical experience, JAE are also being conducted along with the regular Food Analyst Examination. 4th JAE was conducted simultaneously with 7th FAE through online mode. A total of 569 candidates appeared for JAE of which 96 candidates were declared as qualified Junior Analysts. These candidates, upon acquiring three-year experience in the analysis of food, will be eligible for appearing directly in the practical examination for Food Analyst Examination.

5.12 Notification of Food Analysts

FSSAI has notified 140 Food Analysts in 95 FSSAI notified laboratories under Section 45 of FSS Act, 2006 for the purposes of performing functions under the Act and Rules & Regulations framed thereunder with All India Jurisdiction.

5.13 Surveillance Activities

5.13.1 Trans Fatty Acid Survey, 2021

5.13.1.1 Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) had decided to reduce the limit of industrially produced trans-fats, to not more than 2% to make the country free from the industrially produced trans- fats by 2022. FSSAI conducted the PAN-India Trans Fatty Acid Survey-2021 during 29th June - 2nd July, 2021 to understand the ground realities of the Indian food markets from varied socio-economic neighbourhoods and the selected cities across the nation.

5.13.1.2 In all, 6,245 samples were collected from 419 cities/districts across 34 States/UTs. Samples of packaged products were collected from stores/hypermarkets/grocery shops on a random basis to ensure diverse and local packaged food sampling from different strata of food markets under six pre-defined food categories (number of samples given against each product category) mentioned below:

- Category 1-Sweets, Toppings and Chocolates: 1,051
- Category 2-Fried Foods: 1,061
- Category 3-Bakery and Confectionary products: 1,072
- Category 4-Frozen Foods: 973
- Category 5-Composite Foods: 1,019
- Category 6-Oils, Vanaspati, Shortenings and Margarine: 1,069

5.13.1.3 The samples collected were tested by 8 NABL accredited labs. The trans-fat content was determined based on the sum of Trans Fatty Acid (TFA) isomers, i.e. Elaidate and Linoelaidioate, and calculated in terms of fat content in the processed food samples.

All the 6,245 samples were analysed for trans-fat, while 3,142 samples were analysed for total acrylamide content.

5.13.14 Key findings of the Trans Fatty Acid Survey -2021

- Except category 6, which comprises of Oils, Vanaspati, Shortenings & Margarine, the trans-fat content of more than 2% was found only in 0.4% samples out of the total of 5,176 samples analyzed across all the five product categories, while 0.15% samples contained more than 3% trans-fat across products in these five categories.
- In the category 6 comprising of Oils, Vanaspati, Shortenings and Margarine, 9.4% samples had trans-fat content of more than 2% and 7.1% samples had trans-fat content of more than 3%.
- Ghee and Vanaspati samples accounted for most of the category 6 samples having more than 2% trans-fat content, while about 2% of oil samples analyzed in this study had trans-fat content of more than 2%.
- Many Ghee and Vanaspati samples picked up from Maharashtra, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Jharkhand, Gujarat, Chhattisgarh, Haryana, Bihar, Karnataka, Assam, Punjab, Telangana, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Nagaland, Sikkim had trans-fat content of more than 2%.
- About 22% samples out of the 3,142 samples analyzed across the three different product categories (Categories 2, 3 and 5) had more than 0.1 ppm of acrylamide content, while about 3% of the samples had more than 1ppm acrylamide content.

5.13.2 PAN-India Jaggery and Spice Surveillance

National-level Surveys aid in generation of data and opening avenues for regulatory action, standard setting, besides facilitating risk assessment and policy intervention. FSSAI conducted two PAN-India surveillance activities, one on Jaggery (3060 samples collected) in February, 2022 and another on selected Spices (3582 samples lifted) in March, 2022. The surveillance was carried out in select 250 cities/districts from 36 States/UTs. Out of the selected cities/districts, 50 cities/districts were finalized based on increased population and 20 cities/districts were selected based on the production of the selected commodity and the 180 cities/locations were randomly selected representing each zone of the Country. The results & findings will be available in the public domain after the completion of the analysis and compilation of the data & reports. The report will also be shared with States/UTs for taking regulatory sampling activities in case of non-conformance and with the concerned Ministries and Departments so that a proper action plan could be prepared.

5.12.3 Desktop Surveys conducted in the year 2019-2021

5.13.3.1 Desktop Survey on Pesticide residues in food

FSSAI collated the pesticide residue testing data of various food commodities obtained from different FSSAI notified food testing laboratories across the country for the period January, 2019 to December, 2020. The purpose of this task was to determine the compliance status of permitted pesticides with respect to maximum residue levels (MRLs) specified by FSSAI and also to identify the food commodities where banned and off label pesticides are being used in violation of Food Safety and Standards Regulations (FSSR) 2011. The key outcomes of the survey are as follows:

- Total 7,15,624 pesticides residue data was received from 40 FSSAI notified labs (private, referrals, state labs etc.). Out of this, 7,05,906 (98.6%) pesticides data were found compliant and 9,718 pesticide data (1.35%) was found non-compliant with respect to the maximum limits permitted under FSSAI.
- The major non-compliance was observed in the food samples tested in labs situated at Kerala, Karnataka, Maharashtra and Haryana in samples belonging to spices and condiments followed by fruits and vegetables, cereals and cereal product and beverages.
- Presence of banned pesticides was found in samples tested in labs situated in various States, mainly in samples of rice followed by cumin, water, fish and tea.
- The use of off label pesticides was found maximum in cumin followed by chilli powder/whole, turmeric powder, raisins from various States/UTs.

5.13.3.2 Desktop Survey on Heavy metals in food (year 2019-2021)

In this desktop survey for the Heavy Metals, testing data of various food commodities was obtained from different FSSAI notified food testing laboratories across the country for the period January, 2019 to December, 2021. The purpose of this survey was to determine the overall compliance status of heavy metals prescribed under Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011 for different food products; to identify the heavy metals found above regulatory limits; to identify list of high risk food products/ categories out of non-compliant samples; and metal-wise non-compliance in different regions of India. The key outcomes of the survey are as follows:

- Heavy metal testing data of total 1,69,319 samples (consisting of 9,21,631 data points) were received from 57 FSSAI notified labs (private, referrals, state labs etc.). Out of this, 1,389 samples (0.82%) (consisting of approx. 1853 data points) were found having heavy metal content above the maximum limit permitted under above mentioned FSS Regulations, 2011.

- Out of non-conforming samples, major non-compliance was observed for lead (37.6%) followed by arsenic (17.7%), and cadmium (10.0%) in different food products tested across India. The maximum heavy metal non-compliance was found in the food products such as packaged drinking water followed by turmeric, milk powder, pulses & legumes, mustard oil, sugar and fish.

The above findings were shared with the relevant stakeholders such as State Food Commissioners, Industry Associations, and Ministries etc.

5.14 Rapid Analytical Food Testing (RAFT) Kit/Equipment/Method

5.14.1 Regulation 2.4 of Food Safety and Standards (Laboratory and Sample Analysis) First Amendment Regulations, 2020 mandates FSSAI to approve Rapid Analytical Food testing Kit, Equipment or Method. The purpose is to facilitate carrying out on-the-spot field testing by Food Safety Officers (FSOs) or Mobile Testing Labs or to improve speed and reduce testing costs in food laboratories.

5.14.2 During the year 2021-22, 19 such applications were scrutinized out of which 10 were finally approved, 05 were not recommended and 04 were withdrawn by applicants. Since the inception of RAFT Scheme in 2019, a total of 136 applications have been scrutinized of which 75 were finally approval, 53 were rejected and 07 were withdrawn. The complete information related to RAFT Scheme is available on the website of FSSAI at link: <https://fssai.gov.in/cms/raft.php>.

5.15 FSSAI – AOAC (India Section) Proficiency Testing (PT) Program 2021

5.15.1 FSSAI focuses on continuous improvement in the performance of notified laboratories. In order to achieve quality assurance, under clause 9(1)(i) of FSS (Recognition and Notification of Labs) Regulations, 2018, a laboratory is required to assess its performance and technical competence of its personnel through participation in Proficiency Testing (PT) Scheme conducted by independent and competent Proficiency Testing Provider (PTP). FSSAI and AOAC (India Section) through an independent ISO/IEC 17043:2010 accredited PT Provider conducted five PT programs in the year 2021 for FSSAI recognized food testing Laboratories including State Food Testing Laboratories. These PT Programs covered basic parameters, metal contaminants, vitamins, mycotoxins and pesticide residues.

5.15.2 Outcome of the PT Programs

In all, 132 laboratories participated in PT program for basic parameters, 103 laboratories for metal contaminants, 69 laboratories for vitamins, 101 laboratories for mycotoxins, 107 for pesticide residues. The performance of laboratories was found satisfactory in these PT programs.

5.16 Standard Specifications for setting up of a Basic Food Testing Laboratory

The document titled “Standard Specifications for setting up of a Basic Food Testing Laboratory” was released by Hon’ble Union Health Minister Dr. Mansukh Mandaviya on 20th Sep., 2021. This document comprises of the basic requirements of a laboratory set-up, organization structure, manpower requirement with desirable qualification, building design and layout, equipment requirement with technical specification, personnel safety, and financial autonomy to laboratories, etc. The objective of this document is to strengthen the food testing laboratory network to ensure food safety and quality assurance. These specifications will lead to the Good Laboratory Practices (GLP) and enhance the accuracy of the testing result of, the laboratories. It acts as a guidance document for setting up a basic food laboratory to support the regulatory compliance system of the food Safety and Standards Act, 2006.

5.17 Revision of Testing Fees of Food Samples

5.17.1 In exercise of the powers conferred by sub-clause (3) of clause 2.3.1 of the Food Safety and Standards (Laboratory and Sample Analysis) Regulations, 2011, FSSAI has revised the testing charges with the approval of the Food Authority. The revised charges are uniformly applicable for both domestic and import samples with effect from 1st December, 2021.

5.17.2 The revision in the testing charges was based on the recommendations of the testing fee committee which took a holistic view on the capacity utilization of equipment, infrastructural costs, operational expenses, parameters to be analyzed for each product category etc. Therefore, in order to rationalize the testing fee structure, testing fee committee recommended revision of rates along with the differential testing charges ranging from ₹ 6,000 to ₹19,500 for different product categories, which were finalized after due consultation with States/ UTs as well as other stakeholders.

Table 16- List of denotified labs which obtained NABL Accreditation and were re- notified by FSSAI during the year 2021-22

S. No.	Name of Laboratories
1	Food Analysis Laboratory, Guindy, Tamil Nadu
2	District Food Laboratory, Karnal, Haryana
3	State Food, Water & Excise Laboratory, Chandigarh, Haryana
4	Public Health Laboratory, Srinagar, J&K
5	Regional Public Analyst Laboratory, Fatehabad, Agra, Uttar Pradesh
6	Public Health Laboratory, Surat Municipal Corporation, Surat, Gujarat
7	Composite Testing Laboratory, Solan, Himachal Pradesh

S. No.	Name of Laboratories
8	Food Analysis Laboratory, Madurai, Tamilnadu
9	Food Analysis Laboratory, Palayamkottai, Tamil Nadu
10	State Food Testing Laboratory, Raipur, Chhattisgarh
11	Food Analysis Laboratory, Thanjavur, Tamil Nadu
12	Food Analysis Laboratory, Coimbatore, Tamil Nadu
13	Food Analysis Laboratory, Salem, Tamil Nadu
14	Food & Drug Laboratory, Goa

Table 17- List of other Food Testing Laboratories notified during 2021-22

S. No.	Name of Laboratories
1.	Food Laboratory (FDA), SAS Nagar, Punjab
2.	Public Health Laboratory, Udaipur, Rajasthan
3.	Public Health Laboratory, Ajmer, Rajasthan
4.	Public Health Laboratory, Bharatpur, Rajasthan
5.	State Food and Drug Testing Laboratory, Rudrapur, Uttarakhand
6.	Municipal Analyst Laboratory, Mumbai, Maharashtra
7.	ALS Testing Services India Private Limited, Bengaluru, Karnataka
8.	Public Health Laboratory, Jammu, J&K
9.	Public Health Laboratory, Kota, Rajasthan
10.	Public Health Laboratory, Jodhpur, Rajasthan
11.	Public Health Laboratory, Banswara, Rajasthan
12.	Food Safety & Standards Lab, Alwar, Rajasthan
13.	Public Health Laboratory, Vadodara, Gujarat
14.	Central Laboratory (Food), Kolkata, West Bengal
15.	State Public Health Laboratory, Kohima, Nagaland
16.	Assurance Laboratory, LT Foods Limited, Sonipat, Haryana
17.	Public Health Laboratory, Bikaner, Rajasthan

S. No.	Name of Laboratories
18.	Regional Public Analyst Laboratory, Varanasi, Uttar Pradesh
19.	CALF, National Dairy Development Board, NDDB Campus, Anand, Gujarat
20.	State Food Testing Laboratory, Bhopal, Madhya Pradesh
21.	Yontus Life Sciences Pvt Ltd, Guntur, Andhra Pradesh
22.	Central Revenues Control Laboratory, Pusa, New Delhi
23.	Eureka Analytical Services Pvt. Ltd., Bengaluru, Karnataka
24.	Central Excise & Custom Laboratory, Vadodara, Gujarat
25.	Vardan Enviro Lab, Gurugram , Haryana
26.	National Food Laboratory, Navi Mumbai, Maharashtra
27.	State Food Testing Laboratory, Bhubaneswar, Odisha
28.	State Food Testing Laboratory, Shillong, Meghalaya
29.	Cargo Inspectors & Superintendence Company Pvt. Ltd., Howrah, West Bengal

Table 18- List of Notified Primary and Referral Food Testing Laboratories

Primary Food Testing Laboratories(under Section 43(1) of FSS Act 2006)		Number of labs
1	State Food Laboratories	50
2	Labs of Central Government Institutes/Autonomous Bodies	28
3	Private Laboratories	149
Total Primary Food Testing Laboratories		227
Referral Food Testing Laboratories (under Section 43(2) of FSS Act 2006)		
1	Labs under Central Government Institutes/Autonomous Bodies	17
2	Food Authority's Own Laboratories	03
Total Referral Laboratories		20

Table 19- State-wise number of Food Testing Laboratories in the Country

S. No.	State/UT	Food Testing labs notified under Section 43(1) of FSS Act, 2006			Referral Laboratories notified under Section 43(2) of FSS Act, 2006
		Government		Private	
		State	Other Institutions		
1	Andaman & Nicobar Islands	-	-	-	-
2	Andhra Pradesh	-	1	6	1
3	Arunachal Pradesh	-	-	-	-
4	Assam	1	-	-	-
5	Bihar	-	-	-	-
6	Chandigarh	1	-	-	-
7	Chhattisgarh	-	-	-	-
8	Dadara& Nagar Haveli and Daman & Diu	-	-	1	-
9	GNCT of Delhi	1	1	18	-
10	Goa	1	2	1	-
11	Gujarat	6	-	9	1
12	Haryana	2	1	15	1
13	Himachal Pradesh	1	-	1	-
14	Jammu & Kashmir	2	1	-	-
15	Jharkhand	-	-	1	-
16	Karnataka	-	-	15	2
17	Kerala	3	6	6	2
18	Ladakh	-	-	-	-
19	Lakshadweep	-	-	-	-
20	Madhya Pradesh	1	-	7	-
21	Maharashtra	3	3	24	4

S. No.	State/UT	Food Testing labs notified under Section 43(1) of FSS Act, 2006			Referral Laboratories notified under Section 43(2) of FSS Act, 2006
		Government		Private	
		State	Other Institutions		
22	Manipur	-	-	-	-
23	Meghalaya	1	-	-	-
24	Mizoram	-	-	-	-
25	Nagaland	1	-	-	-
26	Odisha	1	-	1	-
27	Puducherry	-	-	-	-
28	Punjab	1	1	2	1
29	Rajasthan	9	1	5	-
30	Sikkim	-	-	-	-
31	Tamil Nadu	6	1	16	2
32	Telangana	1	-	9	3
33	Tripura	-	1	-	-
34	Uttar Pradesh	5	4	5	2
35	Uttarakhand	1	-	1	-
36	West Bengal	2	5	4	1
	Total	50	28	149	20

Table 20 – List of notified NRLs/ANRLs

S. No.	Name of the Laboratory/ Institution/ Organization	Specific area for which declared as NRL/ANRL
Government Laboratories as NRL		
1.	CSIR-Central Food Technological Research Institute, Mysuru , Karnataka	Nutritional information and labelling
2.	Export Inspection Agency, Kochi, Kerala	GMO testing*
3.	Punjab Biotechnology Incubator, Mohali, Punjab	Sweets & Confectionary including Honey

S. No.	Name of the Laboratory/ Institution/ Organization	Specific area for which declared as NRL/ANRL
4.	ICAR-National Research Centre For Grapes, Pune, Maharashtra	Pesticides Residues and Mycotoxins
5.	ICAR-Central Institute of Fisheries Technology, Kochi, Kerala	Fish & Fish Products
6.	Centre for Analysis and Learning in Livestock and Food–National Dairy Development Board, Anand , Gujarat	Dairy & Dairy Products
7.	CSIR-Indian Institute of Toxicology Research, Lucknow, Uttar Pradesh	Toxicological evaluation/risk assessment of nutraceuticals, functional foods and novel/emerging foods/ food ingredients
(*subject to implementation of GMO regulations)		
Private Laboratories as NRL		
8.	Trilogy Analytical Laboratory Pvt. Ltd., Hyderabad, Telangana	Mycotoxins in cereals & pulses, spices & condiments and related PT activities
9.	Edward Food Research & Analysis Centre Limited, Kolkata, West Bengal	Veterinary drug residues, antibiotics & hormones
10.	Vimta Labs Limited, Hyderabad, Telangana	Water, Alcoholic and Non-Alcoholic Beverages
11.	Fare Labs Pvt. Ltd., Gurugram, Haryana	Oils and Fats
12.	Neogen Food & Animal Security (India) Private Limited, Kochi, Kerala	Food Allergens
Ancillary facility of NRLs (ANRLs)		
13.	Export Inspection Agency (EIA), Chennai, Tamil Nadu	Support facility as PTP in microbiological testing
14.	Export Inspection Agency (EIA), Kolkata, West Bengal	Support facility as PTP in the area of heavy metals in all food categories

Table 21- Grant released to SFTLs during the year 2021-22

S.No.	State Laboratory	Total Released Grants under CSS (₹ in Lakhs)
1.	Assam (Guwahati)	6.20
2.	Bihar (Patna)	2.06
3.	Goa (Bambolim)	4.25
4.	Gujarat (Vadodara)	18.40
5.	Gujarat (Rajkot)	14.80
6.	Haryana (Chandigarh)	3.82
7.	Himachal Pradesh (Kandaghat)	2.00
8.	J & K (Jammu)	10.95
9.	J & K (Srinagar)	10.95
10.	Jharkhand (Ranchi)	3.70
11.	Karnataka (Bengaluru)	60.75
12.	Kerala(Thiruvananthapuram)	2.50
13.	Ladakh	3.50
14.	Madhya Pradesh (Bhopal)	5.88
15.	Manipur (Lamphel)	2.40
16.	Meghalaya (Shilong)	3.20
17.	Nagaland (Kohima)	8.30
18.	Puducherry (Gorimedu)	13.00
19.	Punjab (Kharar)	2.00
20.	Rajasthan (Jodhpur)	4.40
21.	Rajasthan (Udaipur)	4.40
22.	Tamil Nadu (Chennai)	12.80
23.	Tamil Nadu (Madurai)	30.55

S.No.	State Laboratory	Total Released Grants under CSS (₹ in Lakhs)
24.	Tripura (Agartala)	3.00
25.	Uttar Pradesh (Lucknow)	4.12
26.	Uttarakhand (Rudrapur)	3.00
27.	West Bengal (Kolkata)	5.45
28.	Maharashtra (BKC, Mumbai)	587.62
29.	Rajasthan (Jaipur)	1.00
30.	Karnataka (Mysuru)	10.00
31.	Sikkim (Singtam)	17.00
32.	West Bengal (Siliguri)	307.31
33.	Mizoram (Aizwal)	85.20
	Total grant for SFTLs	1254.51 lakhs (₹ 12.54 Crore)

Table 22 -State-wise distribution of Food Safety on Wheels

S. No.	Name of the State/UT	No. of FSW sanctioned / delivered
1	Andaman & Nicobar	2
2	Arunachal Pradesh	3
3	Assam	6
4	Bihar	5
5	Chandigarh	1
6	Chhattisgarh	9
7	Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu	1
8	Delhi	3
9	Goa	1

S. No.	Name of the State/UT	No. of FSW sanctioned / delivered
10	Gujarat	22
11	Haryana	5
12	Himachal Pradesh	2
13	Jammu & Kashmir	8
14	Jharkhand	3
15	Karnataka	4
16	Kerala	12
17	Madhya Pradesh	15
18	Maharashtra	2
19	Manipur	2
20	Meghalaya	4
21	Mizoram	1
22	Nagaland	1
23	Odisha	1
24	Puducherry	1
25	Punjab	7
26	Rajasthan	9
27	Sikkim	1
28	Tamil Nadu	2
29	Telangana	5
30	Tripura	2
31	Uttarakhand	1
32	Uttar Pradesh	18
33	West Bengal	14
	Total	173

Chapter-6

Food Imports

6.1 Regulatory framework

6.1.1 Regulation of import of food products is one of the mandates of Food Authority prescribed under Section 25 of the Food Safety and Standards (FSS) Act 2006. According to it, no person shall import into India any article of food in contravention of the Act or any rules and regulations made thereunder. There is requirement of import license for importing any food product. As per FSS Act, the Central Government shall, while prohibiting, restricting or otherwise regulating import of articles of food under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), follow the standards laid down by the Food Authority under the provisions of the Act and Rules and regulations made thereunder.

6.1.2 For regulating the imported food products into India, Food Authority had notified the FSS (Import) Regulations, 2017 on 9th March, 2017, wherein complete procedure of food import has been encapsulated, thus making the food import clearance easier to comprehend.

6.2 Points of Entry

To ensure the safety of imported food products, FSSAI has notified Authorised Officers (AO) at total 156 food import entry points [Airports/Ports/Inland Container Depots(ICDs)/Special Economic Zones(SEZs)/Land Customs Stations(LCSs)]. The officials at these Airports/ Ports/ICD/ SEZ/LCS have been notified by FSSAI as Authorised Officer under Section 25, read with Section 47(5), of FSS Act 2006 and Regulation 13(1) of FSS (Import) Regulations, 2017. Also, FSSAI has its own Authorized officers present at 13 locations, namely- Chennai, Kolkata, Mumbai, JNPT (Navi Mumbai), Delhi, Kochi, Tuticorin, Krishnapatnam, Mundra, Kandla, Bengaluru, Hyderabad & Vishakhapatnam covering 56 points of entry (PoEs). At another 100 points of entry, Customs Officers have been notified as Authorised Officer.

6.3 Risk Management System

6.3.1 The Food Import Clearance System (FICS) of FSSAI is an online system which is integrated with the Customs ICE-GATE (Indian Customs Electronic Commerce/Electronic Data interchange (EC/EDI) Gateway) under SWIFT (Single Window Interface for Facilitating Trade). The FSS (Import) Regulations, 2017 provides for selective sampling & testing of food articles on the basis of risk profiles which is assessed on a combination of factors and, accordingly, FSSAI has set the parameters for RMS to be applicable in Food Items.

6.3.2 The Risk Management System (RMS) has already been implemented by the Customs through Custom's ICEGATE in consultation with FSSAI based on certain criteria like risk category of the food items, compliance history of the importers and country of origin etc. In case of import of high risk food items from the same country of origin and by the same importer, 100% sampling and testing is done for first five commercial consignments. If all the samples are in conformance to the standards laid down under FSS Regulations, then 25% sampling is done for next 20 consignments. If the samples are cleared in all the cases, 5% sampling is done in all subsequent consignments. In case of sample failure at any stage, the complete history of the importer becomes zero and the consignments are then again subjected to 100% sampling and testing.

6.3.3 In case of import of low risk food items from the same country of origin and by the same importer, 100% sampling and testing is done for first five commercial consignments. If all the samples are in conformance to the standards laid down under FSS Regulations, then 5% sampling is done for all subsequent consignments. In case of sample failure at any stage, the complete history of the importer becomes zero and the consignments are then again subjected to 100% sampling and testing.

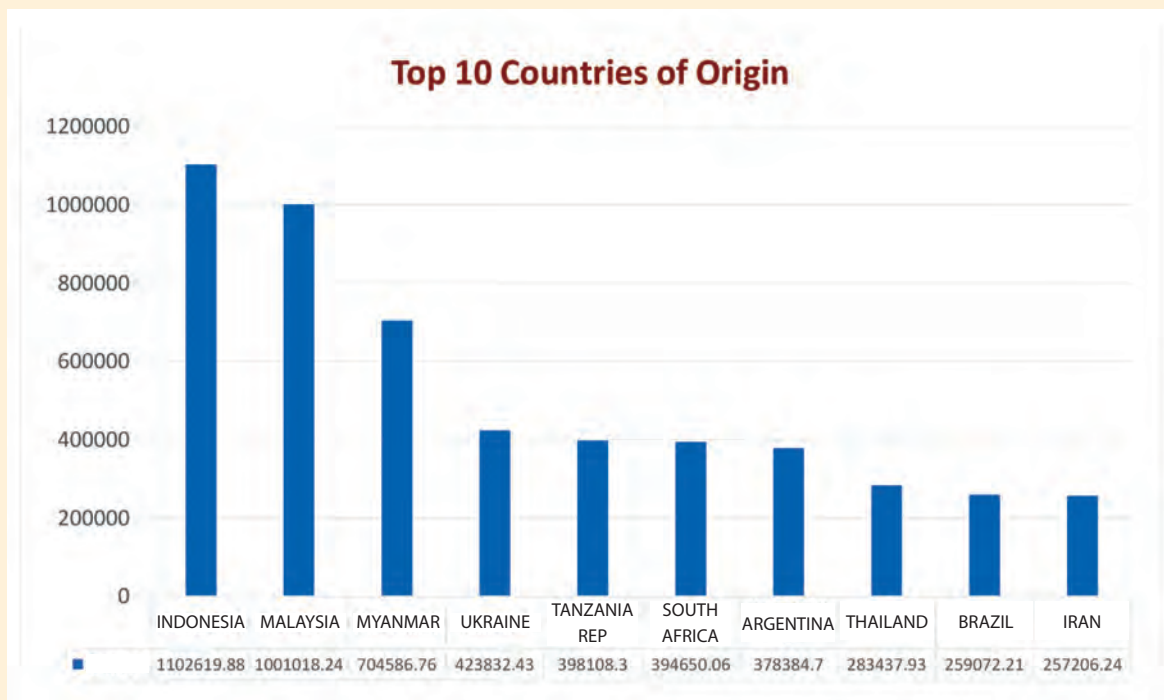
6.4 Clearance process under FICS

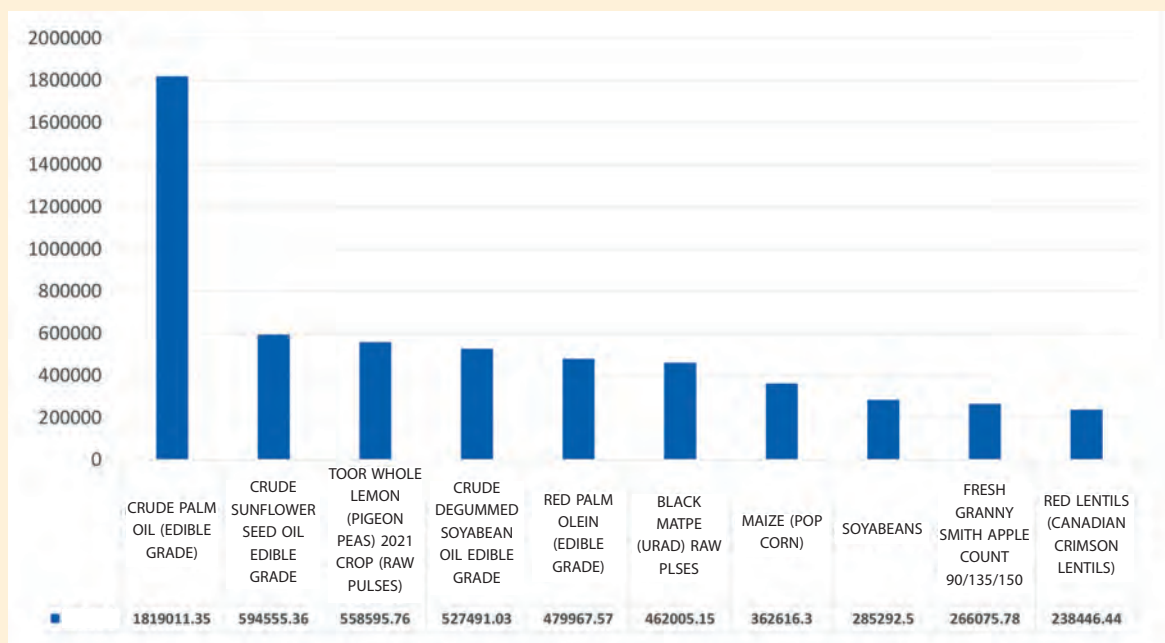
The Food Import Clearance System (FICS) of FSSAI is a paperless process wherein the Food Importer/CHA, upon arrival of the imported food articles at the point of entry and after receiving examination order from the Customs Authorities concerned, files an Integrated Declaration form as specified by the Customs and the form is forwarded in FICS. Importer also uploads mandatory documents (Ingredient List, Specimen copy of label, End Use Declaration, Bill of Entry, Country of Origin Certificate, FSSAI License) and other essential documents in FICS. Any communication with Importer/CHA with regard to these documents takes place online. All the documents submitted by the Importer/CHA are scrutinized by FSSAI's Authorised Officer and visual inspection, sampling and testing is done in order to determine whether the imported food products conform to the safety and quality standards established and laid down under various Food Safety and Standards Regulations. If sample is found conforming, No Objection Certificate (NOC) is generated while in case of non-conformance Non-Conforming Report (NCR) is generated. NOC or NCR, as the case may be, is transmitted to the Customs online for further action. Copy is also endorsed in Importer bin.

6.5 Food Import Trade summary

6.5.1 As per data available in Food Import Clearance System (FICS), during the year 2021-22, major food categories being imported in India are Oils and Fat; Cereal & Cereal Products; Fruits & Vegetables Products; Other Food Products and Ingredients; Spices and Condiments; Milk & Milk Products; Food Additives; Alcoholic Beverages; Non-Alcoholic Beverages including water; Sweets, Confectionery Products and Sweetening Agents;

Health Supplements and Nutraceuticals. Top countries exporting food commodities to India in terms of quantity are Indonesia, Malaysia, Myanmar, Ukraine, Tanzania Rep, South Africa, Argentina, Thailand, Brazil, Iran, Mozambique, U.S.A, Canada, Egypt and Russia.





6.5.2 The details regarding the number of samples drawn & NOCs issued by FSSAI for the period April, 2021 to March, 2022 are at Table-23. A total of 91,694 items containing 74,12,411.80 Metric Tonne(MT) of imported food products, were handled by FSSAI. With regard to NOCs, 89,885 items, weighing 73,57,847.25 MTs of food were issued No-objection certificate.

6.6 Important decisions taken for facilitation of smooth trade during the year 2021-22

- To facilitate ease of doing business while ensuring the mandate of safe food imports in India, FSSAI, has established branch/import offices at new locations namely, Bengaluru, Hyderabad and Vishakhapatnam w.e.f. 15th July, 2021. Further, new food import entry points pertaining to these locations have been brought under direct control of FSSAI from Customs officials.
- Integration of SEZ Online of NSDL with Food Import Clearance System (FICS) of FSSAI has been carried out from 1st September, 2021. The Bill of Entry for food import filed at notified SEZ PoEs is now seamlessly transmitted to FSSAI for food import clearance purposes.
- Authorised Officers were directed vide Order dated 13th July, 2021 to facilitate and carry out food import clearance process on priority without delay for consignments of imported pulses and crude oil (edible grade) and if required, scrutiny/visual inspection/sampling to be carried out on weekends also to expedite the clearance.
- FSSAI had issued an Order dated 21st November, 2021 notifying Authorised Officers at seven additional food import entry points as mentioned in the order. New Food Import entry points have been notified at Nashik, Barhi-Sonipat, Golakganj-Assam,

Chennai and Haldia. Further, in view of manifold increase in volume of food imports at Rewari ICD (Haryana), an Order dated 11th June, 2021 was issued for notification of AO (Delhi), FSSAI-NR as Authorised Officer at ICD Rewari (INREA6) for food import clearance purpose till further orders, in terms of the provisions contained in Section 47(5) of FSS Act, 2006 and Regulation 13 (1) of FSS (Import) Regulation, 2017. Also Orders dated 31st January, 2022 was issued notifying FSSAI Officials as Authorised Officer at JNPT-SEZ. With this notification, total number of food import entry points has now increased from 150 to 156.

- e. As the raw cashew nut is not an edible item directly and it is used by cashew processing units as raw material, FSSAI vide order dated 27th October, 2017 had allowed the raw cashew nut consignment without any detention till such time standards of raw cashew nut were notified. Considering significant import of raw cashew nut, it has been decided vide Order dated 18th January, 2022 that till such time the standards for raw cashew nuts are notified, it may be considered as 'food not specified' and standards for the same may be adopted.
- f. FSSAI issued an Order dated 30th November, 2021 directing Authorised Officers to keep a strict vigil and not to issue NOC to products or ingredients containing beef in any form in compliance to DGFT Import Policy, 2017 wherein beef and beef products in any form are prohibited for imports.
- g. To further facilitate trade and ease of doing business reforms, FSSAI has decided vide directions dated 9th November, 2021, that for the imported consignments of alcoholic beverages bottled in origin & in bulk, containing more than 10 percent alcohol which does not have an expiry date, the NOC issued as per the FSS (Import) Regulations, 2017, shall have a validity of 300 days. For consignments lying at ports/Customs area beyond 300 days, visual inspection may be carried out for re - validation of NOC on payment of visual inspection fee.

Table 23 -Data of Food Import Clearance through FICS for the period 1st April, 2021 to 31st March, 2022

Port	No. of Food Items Imported	Total Quantity (Metric Tonne)	Number of NOCs issued	Quantity covered under NOCs issued (Metric Tonne)
Mumbai-JNPT NhavaSheva	52240	2588431.00	51487	2572042.00
Chennai Sea	11583	1409453.60	11484	1400777.47
Mundra	8086	414891.02	7689	408494.55
Delhi	6364	44857.25	6227	43704.26
Mumbai Air Cargo	2942	1651.89	2909	1648.74
Kolkata	2744	712299.29	2712	709579.70
Kochi Sea & Air Port	1741	51053.73	1601	46752.59
Tuticorin	1403	442855.25	1376	442016.17
Delhi NCR	999	20617.89	982	19702.59
Kandla	874	827981.90	834	817338.23
Bengaluru	804	2262.58	706	2169.49
Vishakhapatnam	529	21621.21	528	21614.43
Krishnapatnam	522	846048.69	514	844897.39
Hyderabad	385	896.18	377	885.85
Chennai Air	243	64.23	241	64.09
Chennai ICD	119	2652.02	110	2635.62
Kolkata Air	76	233.56	70	233.01
Mumbai Sea Port	40	24540.11	38	23290.11
Grand Total	91,694	74,12,411.80	89,885	73,57,847.25

Chapter-7

Food Safety Training and Capacity Building

7.1 Training of Food handlers-Food Safety Training & Certification (FoSTaC)

7.1.1 Section 16 (3) (h) of FSS Act 2006 mandates FSSAI to provide, whether within or outside their area, training programmes in food safety and standards for persons who are or intend to get involved in food businesses, whether as food business operators or employees or otherwise. In terms of this mandate, FSSAI launched its flagship 'Food Safety Training & Certification' programme on 17th May, 2017 to train food handlers in the country. It is a large scale training programme for food business operators on good hygiene and manufacturing practices based on Schedule 4 of Food Safety & Standards (Licensing and Registration) Regulations, 2011. There are 19 sector-specific short-period regular FoSTaC courses of 4-12 hours duration. The regular courses also have a component of Covid-19 guidelines on preventive measures to be adopted by food handlers. Objective of this capacity building initiative is to inculcate a culture of self-compliance among the FBOs. Upon successful completion of training, food handlers are certified as Food Safety Supervisor. They are expected to provide guidance and training to other food handlers in the organisation on aspects of good hygiene and manufacturing practices.

7.1.2 The programme started growing organically and till last year i.e. March, 2021, nearly five and half lakh food handlers were trained. The trainings are being managed by Training Partners and delivered by the trained trainers through online and offline mode. Till 31st March, 2022, 262 Training Partners and 2,186 trainers were empanelled under the FoSTaC programme. During the year 2021-22, 9,876 Food Safety Supervisor trainings were conducted under FoSTaC Programme in which 3,63,677 food handlers were trained. Further, 106 trainings of two hour duration exclusively on Covid-19 food safety guidelines were also conducted in which 2,233 people participated.

7.1.3 Details of Sector-wise FoSTaC trainings for Food Safety Supervisors held during 2021-22 are given at Table-24.

Table 24- Sector-wise details of FoSTaC Trainings during the year 2021-22

S No.	Sector	Number of Food Safety Supervisors Trainings	Number of Food Safety Supervisors Trained
1	Animal Meat & Meat Products (Large Animals)	33	772

S No.	Sector	Number of Food Safety Supervisors Trainings	Number of Food Safety Supervisors Trained
2	Bakery (Level 1)	148	4796
3	Bakery (Level 2)	59	1405
4	Catering (Level 1)	3793	156806
5	Catering(Level 2)	861	27752
6	Edible Oil	39	927
7	Fish & Fishery Products	38	730
8	Health Supplements & Nutraceuticals (Special)	37	568
9	Manufacturing (Level 1)	746	19769
10	Manufacturing (Level 2)	1184	26888
11	Milk & Milk Products	201	4223
12	Poultry Meat & Poultry Products (Special)	43	484
13	Retail and Distribution (Level 1)	1365	71302
14	Retail and Distribution (Level 2)	219	7368
15	Storage and Transport (Level 1)	10	83
16	Storage and Transport (Level 2)	143	4796
17	Street Food Vending	909	33686
18	Water & Water Based	48	1322
	Total	9,876	3,63,677

7.2 Engagement with Ministry of Food Processing Industry (MoFPI)

7.2.1 An MoU has been signed with Ministry of Food Processing Industries (MoFPI) on 01st October, 2021 for implementing the 'Prime Minister Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) Scheme' which is a landmark initiative under 'Aatm Nirbhar Bharat Abhiyaan'. It has been observed that a major section of micro-enterprises is involved in food processing. This section is unorganized and has less credibility among consumers as it lacks maintenance of proper standards, hygiene, safe packaging, penetrating power etc. The scope of this MoU is to build the consumer's trust and subsequently lead to the economic growth of the nation.

7.2.2 Under this MoU, there will be two areas of association: -

- Food Safety Training and Certification Programme (FoSTaC)-Food handlers of micro level food processing units will be provided training on Good Hygiene & Manufacturing Practices, food testing process and other regulatory requirements and post training, the food handlers will be given 'Food Safety Supervisor' Certificate. Under this project, the training would be provided on the FoSTaC course "Basic Manufacturing" with special focus to various sectors.

- (b) Registration & License of the Micro Enterprises-FSSAI would provide support in training of District Resource Persons on application procedure for license or registration and other related regulatory provisions which, in turn, would support the Micro-enterprises to get the license/registration.

7.2.3 This MoU will equip the micro level organizations with the knowledge on food safety aspects, standards and different regulations which would provide them a comprehensive idea about food hygiene and safety.

Figure 11- Glimpses of Food Handlers' Training



Training Under FoSTaC program of Basic Catering for Noon Meal Organizers



Training for Special Course- Milk and Milk related products for Mahi Dairy

7.3 Training of Regulatory Staff

7.3.1 Clauses 2.1.2 and 2.1.3 of Chapter 2, Food Safety and Standards Rules, 2011 underline the need of training for Regulatory personnel such as Food Safety Officers and Designated Officers. Considering this mandate, FSSAI devised a Training Policy in 2016. Under this

policy, Induction as well as Refresher training is being provided to regulatory officials. In addition, Orientation Training is also being provided to Adjudicating Officers.

7.3.2 Following the guidelines laid down in the training policy mentioned above, eight training programs were organised and executed through online/offline mode during the year 2021-22 in which 535 regulatory officials were trained. The details of these programs are at Table-25.

Table 25– Training Programmes for Regulatory personnel conducted during the year 2021-22

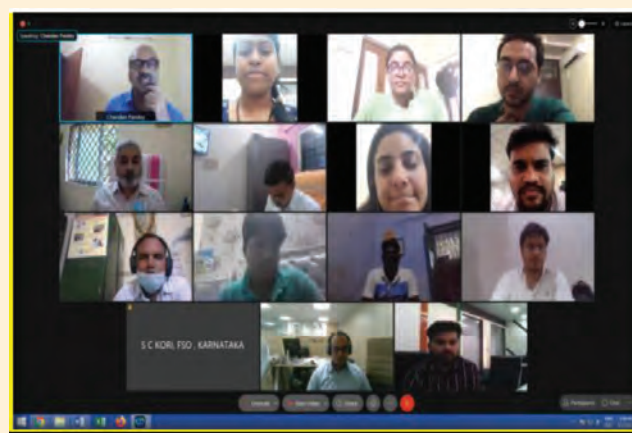
S. No.	Name of Training Programme	Date(s)	No. of participants
1.	Training on Food Safety and Standards (Health supplements, Nutraceuticals, Food for special dietary uses etc.) Regulations, 2016 for regulatory personnel (FSOs/DOs etc.) of Jammu and Kashmir (online).	22 nd April, 2021	100
2.	Induction Training Programme for CFSOs and FSOs of Gujarat, Telangana, Punjab and Northern Railway (online).	3 rd to 12 th May, 2021	32
3.	Orientation Training Programme for Adjudicating Officers of Maharashtra, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Tripura, and West Bengal (online).	3 rd to 4 th August, 2021	70
4.	Induction Training Programme for CFSOs and FSOs of Northern Railway, Andhra Pradesh, Punjab, Karnataka, Chhattisgarh, Uttar Pradesh and West Bengal (online).	20 th to 29 th September, 2021	86
5.	Induction/Refresher Training for Designated Officers of Indian Railway, Karnataka, Maharashtra and Uttar Pradesh (classroom).	25 th to 29 th October, 2021	26
6.	Induction cum Refresher Training Programme for Designated Officers' of Assam, Sikkim, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Tamil Nadu, Punjab, Odisha (online).	17 th to 21 st January, 2022	32

S. No.	Name of Training Programme	Date(s)	No. of participants
7.	Orientation Training Programme for Adjudicating Officers' of Bihar, Chandigarh, Chhattisgarh, Delhi, Goa, Madhya Pradesh, Mizoram, Nagaland, Punjab and Rajasthan (online).	27 th to 28 th January, 2022	139
8.	Induction Training for Food Safety officers of Delhi Central Railway, Goa, Karnataka, Ladakh, Lakshadweep, Odisha, Punjab, ROHFW-Bhubaneswar and CFSO of FSSAI (Classroom).	2 nd to 11 th March, 2022	50
		Total	535

Figure 12 - Glimpses of a few Regulatory Trainings



Induction Training of FSOs & CFSOs of Gujarat, Telangana, Punjab and Northern Railway



Induction Training of FSOs & CFSOs of Northern Railway, Andhra Pradesh, Punjab, Karnataka, Chhattisgarh, Uttar Pradesh and West Bengal



Induction/Refresher Training for Designated Officers of Indian Railway, Karnataka, Maharashtra and Uttar Pradesh at National Academy of Indian Railways, Vadodara



Glimpses of Induction (Classroom) Training for FSOs of Delhi, Central Railway, Goa, Karnataka, Ladakh, Lakshadweep, Odisha, Punjab, ROHFW-Bhubaneswar and CFSO of FSSAI at DFDA, Goa

7.4 Training conducted for FSSAI's Officials

7.4.1 During 2021-22, eight training programs for FSSAI's officials were also organised through online/offline mode. The details of these programs are given in Table-26.

Table 26 - Details of Training Programs for FSSAI's officials

Name of Training Programme	Date	No. of participants
Training session on "GFR & Purchase Policy" (online).	28 th April 2021	180
Training sessions on "Noting & Drafting" (online).	30 th April 2021	160
Training session on "RTI Act, 2005" (online).	27 th May 2021	175
Training session on "Public Procurement (Basic and Advanced) by Arun Jaitley-National Institute Financial Management" (online).	19 th to 22 nd July 2021	12
	26 th to 28 th July 2021	13

Name of Training Programme	Date	No. of participants
Training session on "Gender sensitization and different provisions under the "Sexual harassment of women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013" (online).	6 th August 2021	60
Induction Training Programme (Third Batch) (classroom).	16 th August – 04 th September 2021	85
Two-day Orientation Training Programme for IFWs (Internal Finance wing) (classroom).	29 th to 30 th November, 2021.	14



**Figure 13- Group Photo during Induction Training for FSSAI's officials
(16th August – 04th September, 2021)**

Chapter-8

Social and Behavioural Change & Eat Right India initiative

8.1 About Eat Right India Initiative

- 8.1.1** Safe foods and healthy diets are critical in the context of India's high burden of food borne diseases, under-nutrition, micro-nutrient deficiencies and growing incidence of obesity and non-communicable diseases (NCDs) like hypertension, diabetes, heart related diseases etc. In view of this and to bring about social and behavioural change, FSSAI has launched 'Eat Right India' Movement covering a wide spectrum of activities, both regulatory and non-regulatory on food safety and nutrition. This movement was launched on 10th July, 2018 by engaging with key stakeholders and citizens. This initiative aligns with Government's focus on public health through its three key programmes, namely, Swachh Bharat Mission, Ayushman Bharat and Poshan Abhiyaan. The Eat Right India movement envisions safe and nourishing food for all Indians produced in environmentally sustainable systems.
- 8.1.2** Apart from regulatory measures, several benchmarking and certification programs have been introduced to ensure compliances of food safety and hygiene standards by the Food Business Operators, including in unorganised businesses like local dhabas, petty food vendors, fruits and vegetable sellers and street food vendors etc. To create awareness around the initiative, FSSAI is organising several competitions and outreach activities through various mediums. Further, FSSAI is promoting consumption of a variety of whole grains ranging from wheat and rice to millets and other indigenous grains for better nutrition, keeping the diversity of the population in mind.
- 8.1.3** Given that various Government Ministries and Departments are related to food, a 'Whole of Government Approach' has been adopted for the initiative. Ministries like Agriculture, Food Processing, Science and Technology and Environment have been regularly engaged with on a common platform. To complement this, a 'Whole of Society Approach' has been taken for implementation at the ground level. A network of professionals in food and nutrition has been created. Partnering with industry associations to connect with food businesses and leveraging the power of social media, celebrities, consumer organizations and development agencies to nudge people's choices in the right direction is being done.

8.1.4 FSSAI constituted an Inter-Ministerial Steering Committee to create convergence and consensus on various Eat Right India initiatives; monitoring & impact evaluation and extending necessary guidance for effective implementation and scaling-up of various programmes to be undertaken under the Eat Right India initiative.

8.2 Progress in respect of Eat Right benchmarking and certification programmes during the year 2021-22

Considerable progress was made in respect of many of the important certification initiatives for safe, healthy and sustainable food under Eat Right Initiative as discussed in succeeding paragraphs.

8.2.1 BHOG (Blissful Hygienic Offering to God)

BHOG is an initiative to encourage Places of Worship to ensure the health and welfare of the pilgrims, by educating food handlers in the premises and vendors in the surrounding area about proper food safety and hygiene. Under this initiative, places of worship where offerings are cooked/ handled are identified, audited, and basic training is imparted to the food handlers. After successful completion of all the steps, the identified place of worship is recognized/ certified. During the year, 527 places of worship in various States/UTs, including Gujarat, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Meghalaya, Odisha Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Chandigarh and Delhi, were certified.

8.2.2 Eat Right Campus

The 'Eat Right Campus' initiative aims to promote safe, healthy and sustainable food in campuses such as schools, universities, colleges, workplaces, hospitals, tea estates etc. across the country. Benchmarks have been created on four different parameters based on which campuses are evaluated and certified as 'Eat Right Campus'. These parameters include food safety measures, steps to ensure provision of healthy and environmentally sustainable food and building awareness among the individuals in the campus to make the right food choices. During 2021-22, a total of 710 Campuses were certified as 'Eat Right Campus'. Some of the new settings-based environments like Police Stations, Jails etc. were covered as part of this initiative. Legislative Assembly of Delhi and UP and Indian Navy Ships such as INS Kolkata were also covered.

8.2.3 Eat Right School

Eat Right School program aims at creating awareness about food safety, nutrition & hygiene among school children, and through them among the community at large. Since, food habits are developed early in life, adequate coverage of food and nutrition both in curriculum and extracurricular activities at the school level is essential. A total of 5 Schools have been certified under this programme so far.

8.2.4 Clean Street Food Hub

A Clean Street Food Hub (CSFH) is defined as a hub or cluster of vendors/shops/stalls selling popular street foods or other meals, 80 per cent or more of which represent local and regional cuisines and meet the basic hygiene and sanitary requirements (excludes fine dining). This initiative aims to upgrade food safety and hygiene in street food vending which will in turn build trust among consumers for a safe and hygienic local eating experience. Key steps for implementation are identification of potential hub, training of food handlers and audit for improvement of gaps. After successful completion of all the steps, the identified cluster is certified as “Clean Street Food Hub”. A total of 31 street food hubs were certified during the year.

8.2.5 Clean and Fresh Fruit & Vegetable Market

To ensure their continuous availability, local retailers, markets play a vital role in the sale and distribution of these highly perishable foods in less time. FSSAI has developed the framework for “Clean and Fresh Fruits & Vegetables Market”. The initiative includes pre- audit of fruits and vegetable markets and its vendors jointly by State FDA and FSSAI empanelled auditing agency for gap analysis followed by training, handholding, final audit, and certification of market at later stages. In 2021-22, a total of 13 such markets have been certified.

8.2.6 Eat Right Station

The Eat Right Station initiative of FSSAI is designed to enable the Railways to ensure that safe and wholesome food is served to the passengers, visitors and railway officials. Stations that fulfil benchmark criteria are recognized as Eat Right Stations through plaques and/or certificates. During the year, 5 Stations have been certified as Eat Right Station.

8.3 Food Fortification

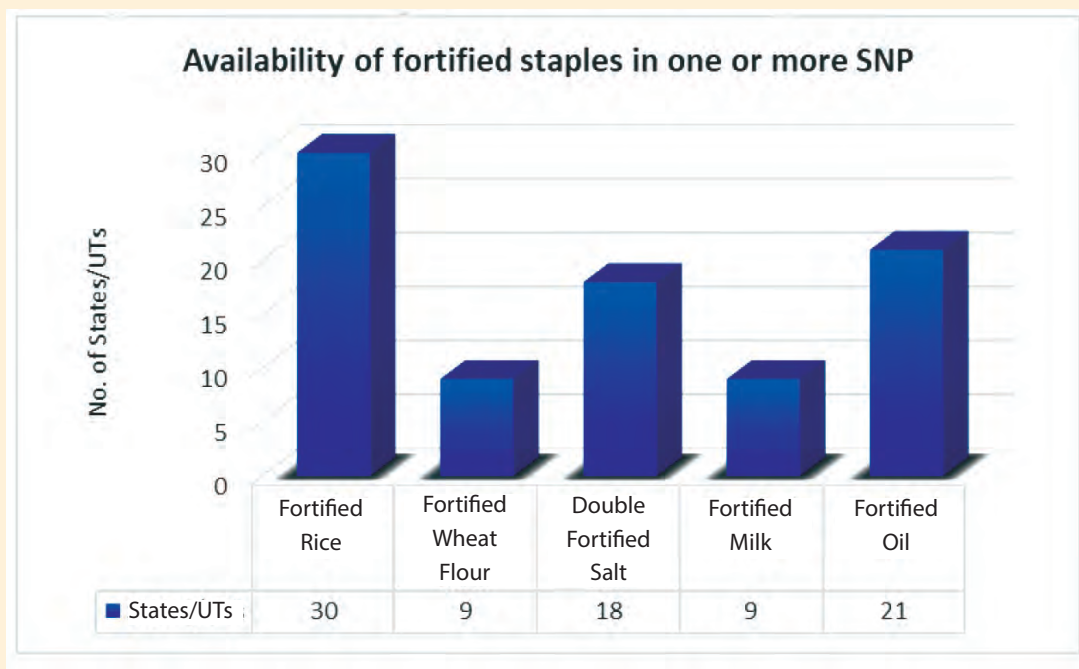
8.3.1 Food Fortification Resource Cell has been making continuous efforts to promote large-scale food fortification across the country in the open market as well as the government safety net programs. During the year, as a result of the COVID- 19 pandemic, there was a shift towards virtual meetings, workshops, webinars and social media and online awareness generation. Efforts were focused under different heads to scale up food fortification in the country.

8.3.2 To understand the status and on-ground implementation bottlenecks, state nodal officers on food fortification were identified in each State/UT. A State fact-sheet for every State/UT was developed, which acts as a ready-reckoner of micronutrient and food fortification status in safety net programs and open markets in the State/UT. The State

fact-sheet is being updated quarterly and based on the discussions and deliberations, the States/UTs will be provided required support for scaling up food fortification.

8.3.3 Advocacy and Sensitisation

- (a) Safety Net Program scale-up- Inter-departmental meetings with line Ministries (State FDA, Education Department, Public and Civil Supplies Division and WCD Department) of the respective States/UTs were conducted to discuss the status of fortification and to identify action points to scale up food fortification in the concerned State/UT. Based on discussions, actionable points were identified and relevant development partners were connected with the State/UT for further scale-up. The status of availability of fortified staples in various States/UTs is as follows:



- (b) Following the Prime Minister's announcement on the 75th Independence day of India for distribution of fortified rice in ICDS, MDM and PDS by 2024, various national level webinars were conducted to scale up rice fortification and to sensitise multiple stakeholders from the industry, development partners and State/UT Governments. FSSAI is supporting line Ministries by providing technical assistance in developing resources and conducting training and capacity building.
- (c) To ensure the quality of Fortified Rice Kernel (FRK), manufacturing FRK was declared a high-risk commodity. Consequently, site inspection is required before issuance of licence to the FBO for quality assurance purposes.

- (d) A state visit was made to Jammu & Kashmir and Haryana to advocate adoption of fortified staples in Government run programs and to understand the challenges. The State visits also included sensitization of industry for the voluntary adoption of fortification.
- (e) To scale up food fortification, sensitization activities were conducted for professional associations like Indian Federation of Culinary Associations (IFCA), Indian Medical Association (IMA), The Indian Association for Parenteral and Enteral Nutrition (IAPEN), Indian Dietetic Association (IDA) motivating them to include food fortification in research, counselling of patients, food establishments etc.

8.3.4 Training and Capacity Building on food fortification

- (a) Designated Officers and Food Safety Officers- Online sessions for training of Food Safety Officers (FSOs) and Designated Officers (DOs) on food fortification were conducted for 25 States/UTs. Further, a digital training module was made available for FSOs and DOs to complete certification on food fortification which facilitated training of 1917 FSOs and 225 DOs.



- (b) Frontline workers- Online training was conducted for Anganwadi workers, ASHA workers, Mid-Day Meal (MDM) Supervisors in 4 States/UTs to explain the benefits of food fortification (West Bengal, Karnataka, Lakshadweep, and Andaman & Nicobar Island). Further, to understand the challenges, offline training of frontline workers was done in 3 States. In order to bust the myths around rice fortification, demonstration activities on fortified rice were organised with support of development partners and industry in 4 States along with training sessions to frontline workers.
- (c) A Master Pool Training for resource persons to build capacity on oil fortification was convened along with Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) and

KHPT organisations in Indore in September 2021. This was followed by on-site training at Ruchi Soya Industries in Indore. FSSAI conducted a session on recent advancements and in food fortification and regulation.

- (d) A four day training program was conducted at Centre of Excellence on Food Fortification (CEFF), NIFTEM on oil and wheat flour fortification along with GAIN. A session on food fortification regulations and implementation was conducted during the training program. FSSAI officials interacted with FBOs to address their queries with regards to implementation and quality assurance of food fortification.
- (e) To sensitize the industry for adoption of food fortification, workshops were done in Haryana and Jammu & Kashmir. On-site training programmes were conducted on milk fortification for four dairies in Manipur and five dairies in Jammu and Kashmir.

8.3.5 Steps towards Quality Assurance

- Standard Operating Procedures were developed for Fortified Rice Kernel and Fortified Rice manufacturers and disseminated among all stakeholders including Department of Food and Public Distribution, FCI, NITI Aayog, development partners, State Food Safety Commissioners and Industry.
- As rice fortification scaled up across the country, a need was felt to map the FRK production capacity and update it periodically. There are 154 FRK manufacturers as on 31st March 2022 with 7,00,746 MT per annum capacity.

8.3.6 Consumer Awareness and Demand Generation for fortified products

- A radio campaign was conducted in July-August, 2021 across 40 cities to generate awareness on +F logo identification, benefits of vitamin A and D leading to demand generation of fortified milk among consumers. The core message of the campaign focused on 'ThodaAur' nutrition from milk by consumption of fortified milk.
- Awareness generation was done through social media handles, radio, print and television. Articles on food fortification were published in the Outlook Magazine, Aware Consumer Magazine and Down to Earth Magazine. A showcase was conducted on channel Zee Zest in the show 'The Grand Trunk Rasoi' with Chef Harpal Singh Sokhi using fortified staples and its benefits.
- Efforts were made to motivate State-run grocery stores to include fortified staples in the store and sensitise consumers about its benefits. One ambassador each was placed at 15 NAFED and Kendriya Bhandar outlets for consumer awareness. Radio spots were developed for IEC on double fortified salt and fortified rice and the same were disseminated through leading radio networks in Delhi NCR.

- Cooking demonstration activities were conducted to sensitise people about the importance of fortified staples, burst myths and improve acceptability.
- Demonstration activities of pulao and kheer recipes from fortified rice along with its distribution was done in Singrauli , Madhya Pradesh during the launch of rice fortification pilot program which will reach approx. 1.5 million NFSA beneficiaries.
- Cooking demonstration activities using fortified rice were conducted in 4 districts of Jammu & Kashmir along with sensitisation and training of more than 1000 ICDS and MDM officials.
- Communication material on food fortification was shared with the States for dissemination and use via print, social and mass media.
- For mass awareness generation, FSSAI integrated food fortification with the Eat Right Mela being organised in 75 cities.
- Corporate institutions (Mahindra) and Places of Worship (Vaishno Devi Shrine Board and Tamil Nadu Government temples) were encouraged to include fortified staples in their food preparations.

8.4 Information, Education and Communication –Promoting eat right.

Under Food Safety and Standards Act, 2006, the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) is mandated to ensure safe and wholesome food across the country and to take all such steps to ensure that the public, consumers, interested parties and all levels of panchayats receive rapid, reliable, objective and comprehensive information through appropriate methods and means. During the year, various IEC activities were undertaken to facilitate and educate stakeholders about safe food and healthy diets. Information was disseminated amongst various target groups by utilizing different channels of communication using both online modes including print, electronic & social media and offline mediums including events/exhibitions. Details are given in succeeding paragraphs.

8.5 Food Safety & Nutrition (NetProFaN)

8.5.1 NetProFaN is a network of professionals working in the field of food safety and nutrition. Currently, members from the following eight associations are a part of this network –

- Indian Dietetic Association (IDA)
- Nutrition Society of India (NSI)
- Indian Medical Association (IMA)
- Association of Food Technologists and Scientists (AFSTI),
- Indian Federation of Culinary Associations (IFCA)
- Association of Analytical Chemists, India Chapter (AoAC)

- Indian Public Health Association (IPHA)
- IAPEN India Association

8.5.2 During 2021-22, many activities on the theme of Eat Right India were conducted. Two new chapters in Kerala were launched in the last term and currently, 32 City chapters are functional across 18 States/UTs.

8.5.3 An offline master training workshop was conducted for the IMA Standing Committee and the master trainers from various State Chapters towards ensuring safe and healthy diets for all citizens. The training focused on the FSS Act, 2006, food safety emergency response system, various Eat Right India initiatives such as Eat Right campus, FOSTAC, Eat Right Toolkit, and fortification. Since the medical fraternity is connected with the people on a day-to-day basis and have a better understanding of their eating behaviours and associated problems, discussions about safe, healthy and sustainable diets is timely and appropriate.

8.5.4 A sensitisation webinar with IFCA was organised to sensitise the members of the Association regarding Eat Right India (ERI) movement and their role in further scaling up the ERI initiatives.

8.6 Challenges/Competitions to promote Eat Right India

During 2021-22, FSSAI conducted a number of online challenges/ competitions for consumer awareness. The details are given hereunder:

8.6.1 Eat Smart Cities Challenge, 2021

The Eat Smart Cities Challenge was launched by FSSAI on 15th April, 2021 in association with the Smart Cities Mission under the aegis of Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) to scale up the Eat Right India approach at city level. This challenge is envisioned as a competition among cities to recognize their efforts in adopting and scaling up various initiatives under Eat Right India by strengthening the food safety and regulatory environment, building awareness among the consumers and urge them to make better food choices in India's smart cities. 109 smart cities had participated in this challenge. Top 11 cities were announced and now these cities have entered the scale up stage of the Challenge wherein the projects undertaken at the pilot stage will be scaled up in a sustainable manner.

8.6.2 Eat Right Research Awards and Grants, 2021

FSSAI launched the Eat Right Research Awards and Grant on 2nd October, 2021 to have a wider collaboration with various academic and research institutions to encourage and recognize high-quality research in the area of food safety and nutrition with a view to update or upgrade food formulations and/or technologies (as per the standards defined); consumer awareness and availability of more variants of safe and healthy food. Total entries received are: Research Awards-115; Research Institutional Awards-22;

Grants-150. Evaluation for both Awards and Grants is under process and winners in each category will be announced soon.

8.6.3 Nature's Sweetness in every bite recipe competition

A healthy dessert recipe contest was launched on the occasion of World Food Day, 2021 to encourage people to share their innovative and healthy dessert recipes that are prepared without the use of sugar or artificial sweeteners. The challenge was held from 28th October, 2021 to 30th November, 2021 and 304 entries were received from students, professionals and cooking enthusiasts. A total of 125 entries were shortlisted and made into an e-book.

8.6.4 Indi-genius Food Challenge

A healthy recipe contest named "Indi-Genius Food Challenge", was launched on the occasion of 75 years of India's independence to promote millets. The challenge not only sensitized people to learn about the benefits of indigenous millets and other ingredients but also encouraged them to use them innovatively. 75 best entries were selected.

8.6.5 Tadke Bina Zayka

This competition was launched on 17th February, 2022 to encourage people to prepare and share traditional Indian recipes without the use of visible fat. A total of 140 entries have been received. The evaluation process is underway and results will be announced soon.



Figure 14 -Launches of Challenges/Competitions

8.7 Exhibition/Events/ Trade Shows

8.7.1 World Food Safety Day, 2021- In alignment with the 2021 year's theme, "Safe food today for a healthy tomorrow", the World Food Safety Day was celebrated virtually on 7th June, 2021. It was highlighted that food safety is a shared responsibility between the Government, food businesses and consumers and everyone has a role to play to ensure food we consume is safe and healthy. On this occasion, the winners of second phase of the Eat Right Creativity challenge for school children were announced. A rapid testing kit 'Precision Iodine Value Analyzer (PIVA)' was also recognized.

8.7.2 India International Trade Fair, 2021- FSSAI participated in the India International Trade Fair, 2021 organized by the India Trade Promotion Organisation (ITPO) from 14th November to 27th November, 2021 at Pragati Maidan, New Delhi demonstrating various online platforms like Food Safety Compliance System (FoSCoS), Food Safety Training and Certification (FoSTaC), Food Testing and other programs to ensure compliance of food safety standards in the country.



Figure15 - Glimpses of FSSAI's stall at India International Trade Fair, 2021

8.7.3 Hon'ble Union Minister of Health and Family Welfare visit to FSSAI

On his visit to FSSAI on 20th September, 2021, Dr. Mansukh Mandaviya, Hon'ble Union Minister of Health and Family Welfare flagged off 19 Mobile Food Testing Vans (Food Safety on Wheels) to supplement the food safety ecosystem across the country. He also felicitated the winners of State Food Safety Index for the year 2020-21 for their impressive performance. Hon'ble Minister unveiled several books during this occasion, namely-Recipe Ravivaar Book, Plant Protein Breakfast Recipe Book, Ghar Ki Rasoi, Indigenius Recipes Book and Collection of Books on Code of practices for Safe and Hygiene Practices & reduction in contamination in food items. These books intend to ensure that people in our country understand the concept of healthy eating, balanced diet and role of micro-nutrients for proper functioning of our bodies.



Figure 16 - Hon'ble Union Minister of Health and Family Welfare during his visit to FSSAI

8.7.4 Visit of Hon'ble State Minister of Health and Family Welfare to FSSAI

During her visit to FSSAI on 25th November, 2021, Dr. Bharati Pravin Pawar, Hon'ble Minister of State for Health and FW, flagged off 12 Mobile Food Testing Vans (Food Safety on Wheels) to supplement the food safety ecosystem across the country. She also took a review of the functioning of various activities and initiatives undertaken by FSSAI.



**Figure 17 - Hon'ble Minister of State for Health and Family Welfare
flagging of Food Safety on Wheels**

8.7.5 Mega Expo & Science Book Fair, 2022

FSSAI participated in the Mega Expo & Science Book Fair from 22-28 February, 2022 at Jawahar Lal Nehru Stadium Grounds, New Delhi demonstrating Food Safety Compliance System (FoSCoS), Food Safety Training and Certification (FoSTaC), Food Testing and other Eat Right India initiatives to engage the visitors.



Figure 18- Glimpses of Mega Expo & Science Book Fair, 2022 at JLN Stadium Grounds, New Delhi

8.8 Awareness and Outreach

8.8.1 Posters for Health and Wellness Centres

Under the aegis of Eat Right India, posters containing messages on tips related to safe food practices and healthy diets were designed for display at 150,000 Health and Wellness Centres (HWCs). These posters have been designed keeping in mind the target audience at the HWCs for better outreach at the grass root level.

8.8.2 Eat Right Mela and Walkathon

To celebrate 'AzadiKaAmritMahotsav', FSSAI is organizing "Eat Right Melas and Eat Right Walkathon" in 75 cities across India to commemorate 75 Years of India's Independence. The events aim to propagate the message of Safe, Healthy and Sustainable diets. It promotes millets as a nutri-cereal, local & seasonal produce and variety of healthy oils for optimal health and nutrition. The event kick-started in August 2021 and during the year, 24 such events were organized.



Figure 19 - Glimpses of Eat Right Mela and Walkathon

8.8.3 Social Media Outreach

FSSAI extensively used its public awareness material including tips on food safety and healthy eating habits and other regular updates through different social media platforms like Facebook, Instagram & Twitter. A special online series on millets based recipes of the Indi-genius Food Challenge, Recipe Ravivaar, benefits of protein, eat

right during monsoon, ways to live a healthier life, trace elements and minerals etc. was organized in addition to every day's posts for citizen engagement.

8.8.4 Awareness via TV/Radio

Various scroll messages on Eat Right India and other necessary requirements related to licensing/ registration of food businesses were telecast on DD News, DD Kisan and DD Regional Kendras. To sensitize the general public and various strata of society about Eat Right India, messages in Hindi, English and regional languages are being relayed over All India Radio.

8.8.5 Other Awareness campaigns

8.8.5.1 A campaign is being run on IRCTC for the promotion of Eat Right India to create consumer awareness. Banners are being displayed on IRCTC's website and mobile app in Hindi and English on PAN India basis.

8.8.5.2 A campaign is being run for licensed and registered FBOs for creating awareness related to Food Safety and Hygiene, Food Safety Connect Application. Text messages related to these were sent to approximately 40 lakh FBOs.

8.8.5.3 A total of 20 articles were featured in various online magazines like India Today, NuFFoods Spectrum, and Consumer Voice etc.

8.9 Development of resource books and communication materials

8.9.1 During the year, resource materials namely, 'Standard Specifications for Setting up a Basic Food Testing Laboratory' and 'Code of Practices on Food Safety and Hygiene' were released. Number of recipe books were also released as described below:

- a. *Recipe Ravivaar*- The recipes included in the 'Recipe Ravivaar' book are healthy, nutritious and easily replicable across various family settings. These recipes were prepared by various contributors of the Recipe Ravivaar contest, introduced in October, 2020.
- b. *Ghar Ki Rasoi – Tasty Bhi, Healthy Bhi*- As a part of FSSAI's effort to be an 'Eat Right Campus', those working there were engaged and encouraged to incorporate healthy eating habits. A healthy recipe contest- 'Ghar ki Rasoi: Tasty bhi, Healthy bhi' was organized on 16th October, 2020. The winning recipes are featured in this book.
- c. *Indi-genius Recipes Book*- This book contains 75 winning recipes of the contest named "Indi-Genius Food Challenge", launched on the occasion of 75 years of India's independence. The challenge not only sensitized people to learn about the benefits of indigenous millets and other ingredients but also encouraged them to use them innovatively.

- d. *Plant Protein Breakfast Recipe Book*- This book is a compilation of recipes made from plant-based sources of protein shared by the contestants of the “Plant Protein Rich Breakfast Recipe Competition”, held earlier. This book will help a user understand the importance of macronutrients and the kinds of easily available sources of protein.

8.9.2 The eBooks were made available on the website for easy access by the general public.

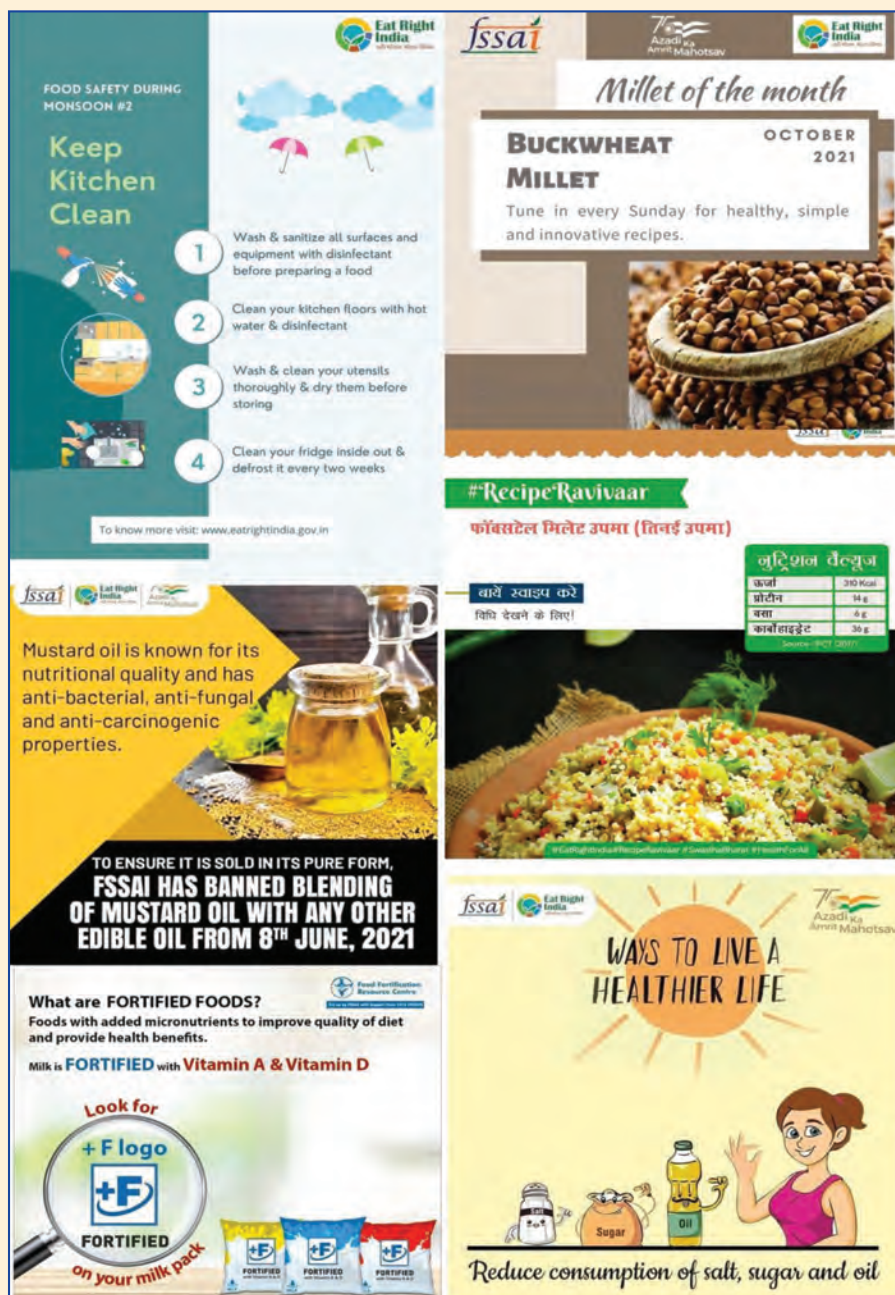


Figure 20-Snapshots of some social media posts

Chapter-9

Codex

- 9.1** The Codex Alimentarius Commission (CAC) is a joint inter-governmental body of the Food and Agriculture Organization (FAO) and World Health Organisation (WHO) of the United Nations with 189 Members [188 Member countries and one Member Organization (EU)]. Codex has worked since 1963 to create harmonized international food standards to protect the health of consumers and ensure fair trade practices. India is a member of Codex Alimentarius Commission since 1964 and continues to be a partner in the international food standards development process. India actively participates in the Codex meetings and cooperates in hosting and co-hosting Codex Committee meetings to ensure that India's concerns/issues are taken into consideration while developing international standards.
- 9.2** During 2021-22, FSSAI continued to function as the National Codex Contact Point (NCCP) of India, and participated actively in the Codex work for development of international standards that are fundamental to ensuring safety and fair practices in international trade of food products. The meetings of the subsidiary bodies of the Codex Alimentarius Commission took place virtually.
- 9.3** The Indian delegation attended various virtual meetings as indicated in Table -27 and India made specific proposals and/or ensured that India's concerns were addressed.

Table 27-Codex meetings held virtually during the year 2021-22 and India's contribution

S. No.	Date(s) of Meeting	Meeting Title/Code	Outcome of the Meeting
1	20.04.2021 to 29.04.2021.	5 th session of Codex Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH5).	➤ New work proposals as indicated below were approved and electronic working groups(EWGs) were established: ➤ to prepare a draft standard for small cardamom chaired by India; and ➤ to prepare a draft standard for turmeric co-chaired by India ➤ Recommended final adoption of standards for Dried or Dehydrated Ginger, Basil, Cloves and Oregano.

S. No.	Date(s) of Meeting	Meeting Title/Code	Outcome of the Meeting
2	03.05.2021 to 13.05.2021.	14 th session of Codex Committee on Contaminants in Foods (CCCF14).	➤ India chaired the EWG to prepare revised proposals for Maximum Limits (MLs) for : ➤ total aflatoxins in 'Ready-To-Eat Peanuts' and associated sampling plan; ➤ total aflatoxins and Ochratoxin A in spices. ➤ India co-chaired the EWG with Brazil to prepare a revised proposal for MLs for total aflatoxins in maize grain and flour, meal, semolina and flakes derived from maize; husked and polished rice; sorghum grain destined for further processing and cereal based food for infants and young children, as well as associated sampling plans. ➤ The proposed MLs for Lead for above products were adjourned based on the India's intervention for submitting more data.
3.	17.05.2021 to 25.05.2021.	41 st session of Codex Committee on Methods of Analysis and Sampling (CCMAS41).	The "Guidelines on Measurement of Uncertainty" were recommended for final adoption.
4.	31.05.2021 to 08.06.2021.	25 th session of Codex Committee on Food Import and Export Inspection and Certification Systems (CCFICS25).	➤ India proposed new work to develop "Guidance on Appeals mechanism in the context of rejection of imported food", which was agreed to by the Committee; ➤ The "Guidance on paperless use of electronic certificates", which provides timely, and consistent guidance for international paperless exchange of official certificates among Competent Authorities; and "Guidelines for the assessment and use of voluntary Third Party Assurance (vTPA) programmes" were recommended for final adoption.

S. No.	Date(s) of Meeting	Meeting Title/Code	Outcome of the Meeting
5.	12.07.2021 to 27.07.2021.	25 th session of Codex Committee on Residues of Veterinary Drugs in Foods (CCRVDF25).	➤ MRLs for diflubenzuron (salmon-muscle plus skin in natural proportion); halquinol (in swine -muscle, skin plus fat, liver and kidney); and ivermectin (sheep, pigs and goats-fat, kidney, liver and muscle) were recommended for final adoption. ➤ India/Philippines proposed to establish MRL for Ethoxyquin (feed additive use) in shrimp muscle. India requested to retain Ethoxyquin in the priority list of veterinary drugs of residues. Data is being generated.
6.	26.07.2021 to 03.08.2021.	52 nd session of Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR52).	It was agreed that: • India may chair the EWG established to further develop the discussion paper on Monitoring the purity and stability of certified reference material of multi-class pesticides during prolonged storage. • India may co-chair the EWG re-established on 'Guidelines for compounds of low public health concern' that may be exempted from the establishment of maximum levels or do not give rise to residues. • India may co-chair the EWG re-established on "Review of mass spectrometry provisions in the guidelines on the use of mass spectrometry for the identification, confirmation and quantitative determination of pesticide residues (CXG 56-2005) and the guidelines on performance criteria of pesticide residues in food and feed". • India may co-chair the EWG established on "Management of unsupported compounds without public health concern scheduled for periodic review".

S. No.	Date(s) of Meeting	Meeting Title/Code	Outcome of the Meeting
7.	01.09.2021 to 10.09.2021.	52 nd session of Codex Committee on Food Additives (CCFA52).	➤ During CCFA52, based on comments of India, the provision for calcium oxide (INS 529) as a processing aid and sulphur dioxide (INS 220) as a food additive under Section 4 “Food Additives” of draft standard for dried roots, rhizomes and bulbs – dried or dehydrated ginger was approved. ➤ The Codex Committee on Food Additives adopted its final report confirming consensus reached on recommendations that included over 500 food additive provisions already in the Codex step procedure and 90 proposed provisions for consideration by the Codex Alimentarius Commission.
8.	20.09.2021 to 25.10.2021.	35 th session of Codex Committee on Fish and Fishery Products (CCFFP35).	➤ India supported and contributed on agenda item on “Proposed amendment of the Standard for Canned Sardines and Sardine-Type Products”.
9.	27.09.2021 to 07.10.2021.	46 th session of Codex Committee on Food Labelling (CCFL46).	➤ The general standard for labelling of non-retail containers (chaired by India) alongwith consequential amendment to the Procedural Manual was recommended for final adoption. ➤ CCFL46 re-established EWG with India as one of the co-chair for development of proposed ‘Draft Guidelines on Internet Sales/E-Commerce’.
10.	04.10.2021 to 16.10.2021.	8 th session of Ad hoc Codex Intergovernmental Task Force on Antimicrobial Resistance (TFAMR8).	India supported and contributed on following agenda items: • Revised Code of Practice to Minimize and Contain Foodborne Antimicrobial Resistance (CXC 61-2005). • Guidelines on Integrated Monitoring and Surveillance of Foodborne Antimicrobial Resistance.

S. No.	Date(s) of Meeting	Meeting Title/Code	Outcome of the Meeting
11.	18.10.2021 to 26.10.2021.	27 th session of Codex Committee on Fats and Oils (CCFO27).	➤ India submitted new work proposal to elaborate standards for Mahua oil, within an existing Codex standard for Named vegetable oils. ➤ India along with EU, Egypt, Saudi Arabia, Uganda, USA and WHO agreed to help Canada in preparation of a discussion paper to address the possible work that CCFO could undertake to reduce Trans Fatty Acids or eliminate Partially Hydrogenated Oils
12.	28.10.2021 to 05.11.2021.	81 st session of Executive Committee of the Codex Alimentarius Commission (CCEXEC81).	As advisor to Japan in the 81 st session of Executive Committee of the Codex Alimentarius Commission (CCEXEC81), India had taken up the issue on adjournment of Codex Committee on Processed Fruits and Vegetables (CCPFV), frequency of conducting CCSCCH meetings, use of Calcium Oxide and sulphur Dioxide in dehydrated ginger.
13.	08.11.2021 to 14.12.2021.	44 th session of Codex Alimentarius Commission (CAC44).	➤ Approved as new work- standard for small cardamom chaired by India and standard for turmeric co-chaired by India. ➤ Adopted standards for Dried or Dehydrated Ginger, Basil, Cloves and Oregano. ➤ Adopted the Guidelines on Measurement of Uncertainty. ➤ Adopted the Guidance on paperless use of electronic certificates and Guidelines for the assessment and use of voluntary Third Party Assurance (vTPA) programmes. ➤ Adopted the general standard for the labelling of non-retail containers of foods; and consequential amendment to the Procedural Manual.

S. No.	Date(s) of Meeting	Meeting Title/Code	Outcome of the Meeting
14.	19.11.2021 to 01.12.2021.	42 nd session of Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses (CCNFSDU42).	India supported and contributed on following agenda items: - Proposed draft revised standards for follow up formula for older infants and drink/product for young children with added nutrients or drink for young children. - Draft scope, description and labeling for drink/product for young children with added nutrients or drink for young children (at Step 7).
15.	28.02.2022 to 09.03.2022.	52 nd session of Codex Committee on Food Hygiene (CCFH52).	India supported and contributed on following agenda items: - CCFH52 agreed to forward the draft Guidelines for the Management of Biological Food borne outbreaks to CAC45 for adoption. - CCFH52 agreed to forward the "Tools to Determine the Critical Control Points (CCPs)" to CAC45 for adoption.

Chapter-10

International Cooperation

10.1 Under FSS Act, 2006 the Food Authority is required to provide scientific and technical assistance to the Central Government and the State Governments for improving cooperation with international organizations. The Food Authority shall also promote co-ordination of work on food standards undertaken by international governmental and non-governmental organizations and promote consistency between international technical standards and domestic food standards. In line with this mandate, FSSAI, through its International Cooperation Division, is regularly interacting with foreign countries and its agencies and working to explore the possibilities of collaborations in various areas of food safety and nutrition for helping develop internationally benchmarked standards of food, sanitary requirements etc. and implementation of best global practices. Issues relating to trade facilitation are also discussed. On the otherhand, such interactions also help other countries in better understanding of FSSAI's mandate. A brief of important activities carried out during 2021-22 is given in this chapter.

10.2 Following Trade Facilitation Meetings/Sessions were held with Trade officials/ Embassies of various countries during the year :

- A virtual meeting took place on 17th September, 2021 with Embassy of Japan in regard to import of Japanese Sake (Rice Wine) into India.
- Meeting with officials of Australian Embassy was held on 17 November, 2021, wherein issues on annual Genetically Modified Statement and MoU were discussed.
- A Virtual meet with Officials of Austrian Embassy was held on 19th January, 2022 regarding import of organic food products into India.
- Discussions were held with Italian Trade Commissioner, Dr. Alessandro Liberatori on 22nd March, 2022 in reference to import of organic products to India.
- A Trade Facilitation Meeting with Argentine Ambassador was held on 29th March, 2022 focusing on GMO Certification for Agricultural Products, Registration and Inspection of Foreign Food Manufacturers, Product approval.

10.3 Memorandums of Understanding under consideration

FSSAI has so far entered into Cooperation agreements with the 9 counterpart agencies in various countries namely:

- French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety (ANSES), France;
- Danish Veterinary and Food Administration (DVFA), Denmark;
- European Food Safety Authority (EFSA), EU;
- Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA);
- Department of Food Technology and Quality Control (DFTQC), Nepal;
- The Economic and Food Safety Authority (ASAE), Portugal;
- The Federal Office of Consumer Protection and Food Safety (BVL), and The Federal Institute for Risk Assessment (BfR), Germany
- The Food Safety Commission of Japan; The Consumer Affairs Agency of Japan; Ministry of Health, Labour and Welfare; and Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, Japan; and
- Ministry of Primary Industries, New Zealand

FSSAI is currently in active discussion with following organisations for signing MoUs :

- The Central Food Authorities of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
- Department of Agriculture, Water and the Environment (DAWE), Australia.
- Austrian Food Regulator in areas of food safety.
- Bhutan Agriculture & Food Regulatory Authority (BAFRA)

10.4 Important Discussions/ meetings

- Ms Inoshi Sharma, Executive Director attended the 2nd Virtual session on UN Food System Summit held on 21st April, 2021.
- Officials from FSSAI participated in the International Organisation of Vine and Wine (OIV) Expert groups' virtual Commission III and Commission IV meetings held on 7th and 8th July, 2021, respectively.
- Under the aegis of the cooperation agreement already signed with New Zealand, a technical inter-sessional meeting was held in September, 2021 to discuss issues relating to food safety.
- CEO, FSSAI participated in the Fourth U.S.– India Health Dialogue held in Nirman Bhawan, New Delhi, from September 27-28, 2021.

- A discussion between FSSAI and European Food Safety Authority (EFSA) on data collection and risk assessment capacity building was held from 4th to 7th October, 2021
- Physical meeting between FSSAI & USFDA officials was held on 18th November, 2021 with an agenda to discuss seafood safety of Indian shrimp.
- FSSAI official attended EU Seminar of Farm 2 Fork & Green Deal on 11th February, 2022.

10.5 Trainings/Workshops/ Seminars-

During the year, Officials from FSSAI participated in various international seminars /training programmes/workshops/courses-

- Officials from FSSAI participated in the virtual Food Safety Webinar and risk analysis course conducted by OIE (the World Organisation for Animal Health), collaborating centres held from 31st May to 11th June, 2021.
- Officials from FSSAI participated in the 9th BfR (the German Federal Institute for Risk Assessment) Summer Academy on risk assessment and risk communication in food safety held virtually from 16th to 20th August, 2021.
- Officials of FSSAI attended National Stakeholders Workshop on AMR National Action Plan on 23rd November, 2021.
- Officials from FSSAI took part in Federal Office of Consumer Protection and Food Safety (BVL) sponsored ITS Food 2022 training course on food safety, food authenticity and risk management.
- Officials from FSSAI also took part in EFSA (European Food Safety Authority): SPIDO (Science Studies and Project Identification & Development Office) consultation on animal welfare / online workshop on Exposure Science on 24th February, 2022.
- FSSAI attended 4 session virtual UK-India EoDB Workshop on Market Surveillance, Rapid Alert Systems and Regulatory Impact Assessment (RIA) in month of March-April, 2022.

Chapter-11

Digitalisation, Leveraging Technology & e-Governance at FSSAI

11.1 Role and Responsibilities of the IT Division of the FSSAI

India is one of the largest and fastest-growing markets for digital consumers. India's government has done much to encourage digital progress, from rationalizing regulations to improving infrastructure to launching Digital India, an ambitious initiative to double the size of the country's digital economy and has brought a paradigm shift in engaging with citizens. In line with the government's strong intent of creating and promoting digitalisation, FSSAI has been leveraging technology to enable a series of reforms, bringing food safety and nutrition together, focusing on consumer empowerment, while rapidly working through partnerships and convergence. Information Technology (IT) Division of the FSSAI is on a constant endeavour to cater to the most of its diverse requirements to provide all kind of ICT support to various stakeholders and all divisions of the FSSAI in infrastructural support, hardware support and in development of software application/portal support.

11.2 The main task of the IT Division is to develop, deploy and support IT infrastructure that ensures ease of access for internal staff of all divisions of the FSSAI, partner organizations, food businesses, consumers and other stakeholders of the Authority. IT Division comprises of about 36 personnel that includes Project Coordinators, domain expertise at various levels and with a variety of skill-sets etc. Brief account of various activities undertaken by IT Division during the year 2021-22 is summarised in succeeding paragraphs.

11.3 Strengthening of IT Infrastructure in FSSAI

11.3.1 IT infrastructure has been significantly strengthened both at New Delhi headquarters and at Regional Offices.

11.3.2 FSSAI has recently migrated all websites from BSNL cloud to Tata cloud with robust infrastructure.

11.3.3 At National Cloud Services 'Meghraj' of NIC, the Food Safety Compliance System (FoSCoS) application already hosted onto National Cloud 'Meghraj' provides a reliable, cost-effective and robust infrastructure with proper disaster recovery functionalities.

11.3.4 FSSAI Headquarters and Regional Offices are now equipped with Video-conferencing facility; and regular video conferencing is being conducted internally and with officials

of the State Governments, as and when required resulting in better co-ordination amongst all and has reduced both travel needs and cost.

11.4 System/ Software Applications / Portals

Digitalization in FSSAI has stepped up its focus — from concept to commission- resulting in creation of various new application ecosystems, new data ecosystem which in turn will spur new products, services, channels and portals to create ecosystem for consumers to adapt its models. Key digital initiatives include introduction of Software Applications, Portals and Micro-sites –

- a. Food Safety Compliance System (FoSCoS)
- b. Food Import Clearance System (FICS)
- c. Indian Food Laboratories Network (INFoLNET)
- d. Food Safety Training and Certification (FoSTaC)
- e. Food Safety Compliance through Regular Inspection & Sampling System (FoSCoRIS) APP
- f. Eat Right India

Beside sustaining above mentioned major applications, many new tasks were rolled out during the year 2021-22 as discussed in succeeding paragraphs.

11.5 Food Safety Compliance System (FoSCoS)

11.5.1 Food Safety Compliance System (FoSCoS), which is operational Pan-India w.e.f 1st November 2020 replacing existing Food Licensing and Registration System (FLRS) in operation since 2011, is a major software application which is an online licensing platform that facilitates Licensing and Registration System of the FSSAI. FoSCoS, available at <https://foscoss.fssai.gov.in/>, was launched successfully and is running smoothly at present. The system architecture of FoSCoS is based on state-of-the-art technology. It is simpler, faster and comprehensive that enables FBOs to obtain license or registration with ease. It uses Microservices that allows it to break into number of independent collaborating components.

11.5.2 Some of the important developments in respect of this portal completed/under development in the year 2021-2022 are :

- GPS tagging to licence and registration application made live.
- Integration of InFolNet sample testing in FoSCoS has been completed.

- All web pages of FoSCoS and Consumer Grievance have been made mobile responsive.
- Risk based inspection is made live in FoSCoS.
- OTP on voice if SMS service fails has been developed
- Integrated Dashboard of FoSCoS is under development.
- iOS app for FoSCoRIS and Food Safety Connect is under development.
- Aadhaar and Pan number verification in FoSCoS is under process

11.6 Food Import Clearance System (FICS)

11.6.1 The Food Import Clearance System (FICS), available at <https://fics.fssai.gov.in/>, is an Integrated Web based System for the process of clearance of imported food into India and is also integrated with Customs ICEGATE system. The Food Import Alert System (FIAS) has been also embedded into FICS, that enables Custom Officers for food rejection at Ports.

11.6.2 Some of the important developments in respect of FICS in the year 2021-2022 are:

- Development of New FICS.
- Development of Basic Food Import Clearance Fees.
- Analytics - Dashboards & Reports of Food Import Clearance System.
- Provision for 80% allocation of samples at NFL, Kolkata.
- Multiple Authorised Officer provision at Mundra.
- Faceless scrutiny at TO level implemented for JNPT.

11.7 Indian Food Laboratory Network (INFoLNET)

11.7.1 Food Safety is an important social and health priority for any country. Indian Food Laboratory Network (INFoLNET) is an IT solution for integrating all categories of Labs which are involved in any type of food sample testing. This system (<https://infonet.fssai.gov.in>) helps in planning and execution of surveillance activities by the States. INFoLNET 2.0 has been launched with various new features. Provision has been made for new options at all logins at INFoLNET.

11.8 Food Safety Training and Certification (FoSTaC) Training Portal

11.8.1 FoSTaC (available at <https://fostac.fssai.gov.in/fostac>) is the food safety training and certification portal for all Food Business Operators (FBOs) across the food value chain.

Training and Certification has now become a key function of FSSAI. In addition to the online SNF resources, it has three types of training modules viz. Basic, Advance and Special.

11.8.2 Some of the important developments in respect of this portal completed in the year 2021-2022 are:

- Development of New FoSTaC portal.
- Introduction of new courses along with sectors under new portal.
- Provision for Bulk enrolment under courses SFV and Covid awareness.

11.9 Food Safety Mitra (FSM)

Food Safety Mitra Scheme is an initiative of FSSAI seeking to create an ecosystem of facilitators assisting Food Business Operators (FBOs) in filing their application for FSSAI Registration/ License. FSM are certified after they undergo an examination. A new FSM portal <https://mitra.fssai.gov.in/mitra> has been launched for registration and issuance of certificate to FSM. An online examination has also been introduced with effect from 1st December, 2021. FSM portal also has renewal option of FSM certificate.

11.10 Following new portals have also been launched during the year 2021-22:

- (i) Food Safety on Wheels (FSW)- This portal is available at <https://infotrain.fssaigov.in/fsw/home>. It helps to monitor the performance of the food safety on wheels regarding testing, training and awareness and live tracking of location of FSW.
- (ii) ePAAS - <https://epaas.fssai.gov.in/login>. It is an electronic Product & Claim Approval Application System for approval of non - specified food and food ingredients.
- (iii) State Food Testing Laboratory (SFTL) portal-work in progress.

11.11 Social Outreach/Digital Connect

11.11.1 As in the past, many new communication channels have been introduced to reach end-consumers directly, which act as a direct link between consumer and the FSSAI. Now, FSSAI has a considerable presence on Facebook, Twitter, YouTube and Instagram- four of the most widely used social media platforms.

11.11.2 FSSAI has also toll-free helpline desk and its helpline number has been circulated through the connect mediums. All the complaints/queries coming from the above mentioned multiple channels are being auto-redirected to web portal/ mobile APP- Food Safety Connect.

11.12 Eat Right India Movement

An Integrated Portal on Eat Right India Movement has been developed that aims to ensure health and well-being of people by promoting safe food and healthy diets through coordinated multi-sectoral approach. All independent Eat Right initiatives portals will be brought under this integrated Portal of the FSSAI. New developments to cater to specific Eat Right initiatives include:

- Launch of Eat Right Challenge 2 Portal
- Launch of Eat Right Research Awards and Grant Portal
- Development of Clean Street Food Hub Portal

11.13 FSSAI Website

A new look integrated website of the FSSAI has been designed and developed looking into latest trends in the website design. Information has been structured in a more convenient way so that citizens can search for information and data in effective way. All applications and initiatives of the FSSAI can be easily accessed through this integrated website available at <https://fssai.gov.in>.

11.14 Work in pipeline

1. The new Food Safety Compliance System (FoSCoS) application will have some new releases to come.
2. InFolNet 2.0 which has been launched with various new features will have more releases soon. Work in progress also includes development of Surveillance portal and Integration of InFolNet with LIMS
3. Aadhaar authentication will be integrated with FoSCoS and FICS.

Chapter-12

Rajbhasha

- 12.1** Since its inception, Food Safety and Standards Authority of India is committed to use of Hindi in its official work. To fulfil its commitment, Food Authority has established Official Language Division and Government of India's Official Language Policy, Official Language Act, Official Language Rules, Orders issued by Official Language Department and Annual Plan is being implemented.
- 12.2** Official Language Implementation Committee under Chairpersonship of Chief Executive Officer, FSSAI has been constituted and its meetings are being held quarterly on a regular basis. In these meetings, besides other things, enforcement of official orders and quarterly reports from various Divisions on use of Hindi are being monitored. Officers of FSSAI regularly participate in meetings convened by the Ministry and Nagar Official Language Coordination Committee.
- 12.3** Hindi Workshop is being held every quarter to motivate Hindi knowing officers and staff to use Hindi in official work. During 2021-22, 4 such workshops were held in which 65 officers and staff participated. In one workshop, newly appointed officers and staff were given special training on use of Hindi in official work.
- 12.4** Entries in FSSAI's Registers are being made in Hindi. All Stamps, Sign Boards, Letter Heads, Name Plates, Visiting Cards are bilingual and a check point have been established to ensure it. Address on envelope of letters sent to 'A' and 'B' Area States are written in Hindi. All Computers in use in FSSAI have facility to work in Hindi. Website of FSSAI is also mostly bilingual. Authority's entire training material is bilingual and even in regional languages on need basis. All the Proforma are also bilingual.
- 12.5** During 2021-22, FSSAI 's expenditure on purchase of Hindi books reached 99% of total expenditure on purchase of books against the target of 50%. Dictionaries and Technical Glossaries have been purchased in adequate numbers and provided to various Divisions and also made available in the Library. Hindi newspapers are provided to Divisional Heads and the Divisions. Besides, FSSAI's Library subscribes to nearly 15 Hindi magazines and Rozgar Samachar (in Hindi). In addition, Authority has published Divisional 'Hindi Sahayika' in which Proforma, words, standard drafts etc. used in Division have been included. The Authority uses Hindi in Print, electronic medium and in hoardings as per Government's rules .
- 12.6** At the time of making new appointments, the Authority provides option to candidates to answer questions in the recruitment examinations in Hindi and to have Interviews in Hindi. Entries in Service Books are being made in Hindi.

- 12.7** To encourage Officers and staff of FSSAI to do official work in Hindi, Hindi Pakhwada is being organised in the month of September every year. During 2021-22, this Pakhwada was organised between 14-30 September, 2021 in which 5 Hindi competitions, namely, extempore Hindi speech; Hindi essay; Hindi translation; Hindi noting and drafting and self-created Hindi poetry recital were organised. Besides, for Divisions, annual Hindi work Divisional Competition was also organised. In these Competitions, nearly 90 officers and staff participated enthusiastically. In each competition, First Prize of ₹ 4000, Second Prize of ₹ 2500, Third prize of ₹ 1500 and two consolation prizes of ₹ 750 each were awarded. A Prize distribution function was organised on 30th September, 2021 under Chairpersonship of Chief Executive Officer, FSSAI to give Certificates and cash prizes to winners of the various competitions.
- 12.8** During the year under review, information was also obtained about knowledge of Hindi, Hindi Typing and Hindi Stenography of the newly appointed Officers and staff in FSSAI's headquarters.
- 12.9** The Authority has started publication of a quarterly Hindi magazine 'Khadyanjali' with 60 pages commencing from the October-December, 2021 quarter. Articles in Hindi by Officers and staff of FSSAI and external prominent persons on motivational themes, Hindi language, relevant current issues and issues relating to FSSAI's functioning are included in this publication. Besides, information about official language policies and instructions is also included. In a short period, this magazine has created a niche in hearts of the officers and staff and is generating urge among them to use Hindi. Consequently considerable progress has been made in use of Hindi in every sphere of Authority's functioning. During the year under review, two issues of the magazine were published.
- 12.10** During 2021-22, apart from translation of 60 Regulations, Annual Report, Report of various Committees, work relating to translation of such other important documents as manuals, procedural literature, supplementary literature, documents related to Section 3(3), agenda and minutes of various meetings, press notes, draft standards, circulars, brochures, website material, orders, directions, posters, advertisements, ATN, messages etc. running into 4000 pages was completed.
- 12.11** During the year, quarterly reports were regularly forwarded to the Ministry and the Official Language Department.
- 12.12** Overall, the Authority through prompt implementation of the Official Language in its work has given it a new dimension and kept encouraging and motivating its officers and staff which has resulted in substantial progress in Hindi correspondence, Hindi noting etc. The Authority is, thus, committed to encourage use of Hindi in official work and is committed to enhance it further in future.

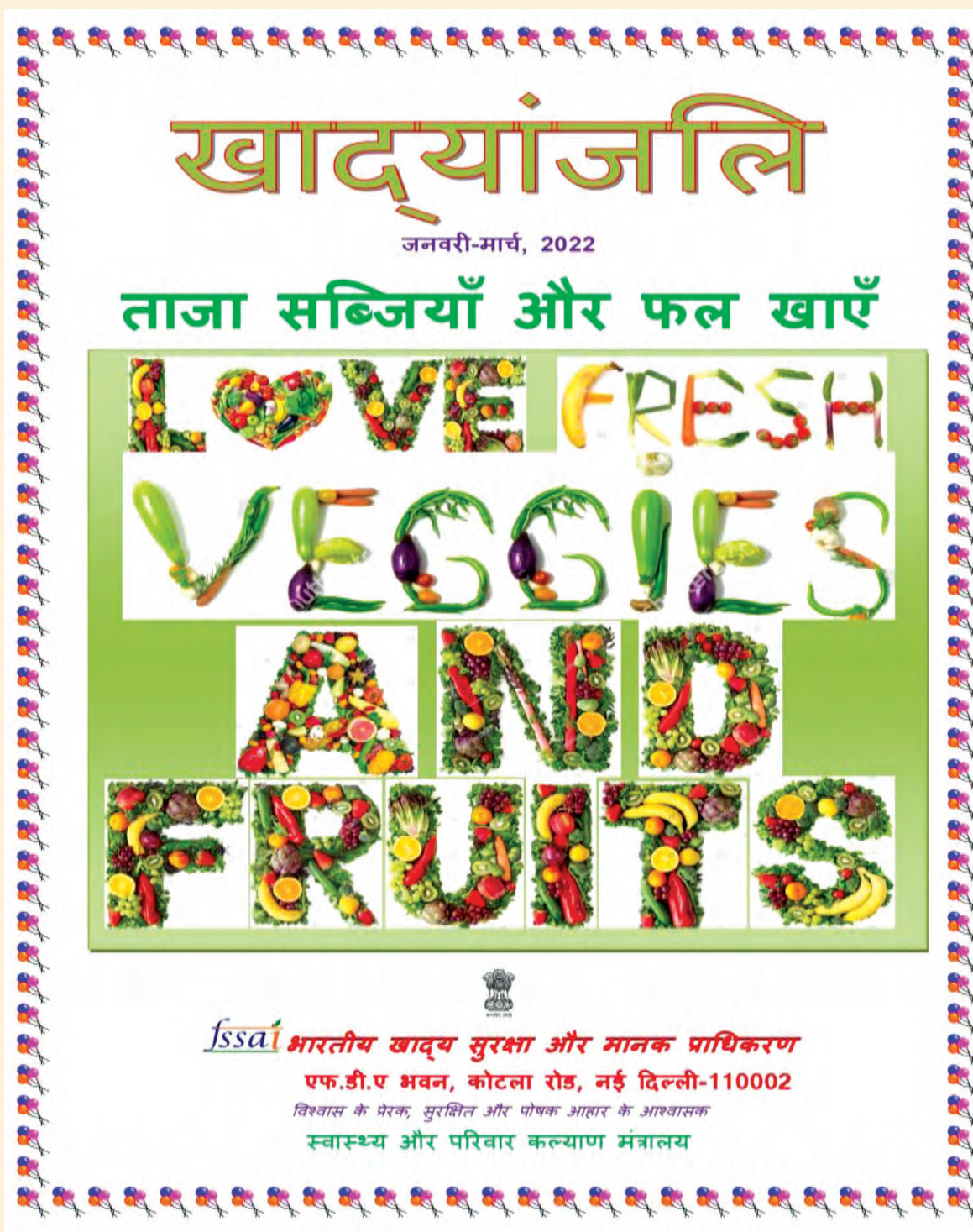


Figure 21 - Cover page of Khadyanjali Jan-March, 2022

Chapter-13

RTI Matters

Details for the Year 2021-22 (01.04.2021-31.03.2022)

1	Summary of handling of RTI applications during the period				Opening Balance		No. of applications received as transfer from other public authorities u/s 6(3)			Applications received during the period (including cases transferred to other PAs)			No. of cases transferred to other public authorities u/s 6(3)		Decisions where requests/appeals rejected		Decisions where requests/appeals accepted		Closing balance	
	Requests				129		214			1386			163		42		1403		121	
	First Appeals				42		-			148			-		5		122		63	
2	Disciplinary cases				No. of cases where disciplinary action taken against any officer												One			
3	No. of officials designated as CAPIOs/CPIOs/AAs				Total No. of CAPIOs designated				Total No. of CPIOs designated				Total No. of AAs designated							
					Nil				24				24							
4	No. of times various provisions were invoked while rejecting requests Relevant Sections of RTI Act 2005																			
	Section 8 (1)											Sections								
	a	b	c	d	e	f	g	H	i	j	9	11	24	others						
	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45					
5	Registration Fee Collected (in Rs.) u/s 7 (1)					Addl. Fee collected in Rs. u/s 7(3)					Penalty Amount Recovered (in Rs.) as directed by CIC u/s 20 (1)									
	₹ 1910					₹ 554					0									
6	If the Public Authority made any changes in regard to its rules/regulations/procedures as a result of requested information by the citizens, please provide the summarized details of the changes (max. 500 chars) - NIL																			
7	Block V (Details regarding Mandatory Disclosures)																			
A	Is the Mandatory Disclosure under Section 4 (1) (b) posted on the website of public Authority?					If Answer of (A) is No- Is there any other medium of dissemination? Provide details below.					If Answer of (A) is Yes- Provide the details/URL of webpage, where the disclosure is posted.									
	Yes					N.A					https://www.fssai.gov.in/upload/uploadfiles/files/RTI_Information_Section_09_07_2021.pdf									
B	Last date of updating of Mandatory disclosure under section 4 (1) (b)										09.07.2021									
C	Has the mandatory disclosure been audited by third party as per DOPT OM No. 1/6/20011-R dated 15.05.2013?										If Answer of (C) is Yes- Provide the details/ URL of webpage, where the Audit report is posted.									
	No										-									



FINANCIAL STATEMENTS

FINANCIAL YEAR 2021-22

01.04.2021 TO 31.03.2022

Food Safety and Standards Authority of India

(A Statutory Authority established under the Food Safety & Standards Act, 2006)

FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi-110 002

Contents

1.	Balance Sheet	131
2.	Income & Expenditure Account	132
3.	Schedules to the above Financial Statements	133
4.	Receipts and Payment Account	150
5.	Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	152
6.	Annexure I	156
7.	Separate Audit Report of Comptroller & Auditor General of India	171

BALANCE SHEET AS ON 31-03-2022

(Amount in Rs.)

CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES	Schedule	Current Year (01.04.2021 to 31.03.2022)	Previous Year (01.04.2020 to 31.03.2021)
CORPUS/CAPITAL FUND	1	9,42,46,69,846	6,67,66,83,749
RESERVES AND SURPLUS	2	-	-
EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	3	-	-
SECURED LOANS AND BORROWINGS	4	-	-
UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	5	-	-
DEFERRED CREDIT LIABILITIES	6	-	-
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS	7	45,48,39,047	75,45,45,201
TOTAL		9,87,95,08,893	7,43,12,28,950
ASSETS			
FIXED ASSETS	8	24,44,46,922	23,07,31,708
INVESTMENTS-FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	9	-	-
INVESTMENTS-OTHERS	10	4,20,78,41,059	-
CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	11	5,42,72,20,911	7,20,04,97,242
MISCELLANEOUS EXPENDITURE		-	-
(TO THE EXTENT NOT WRITTEN OFF OR ADJUSTED)		-	-
TOTAL		9,87,95,08,893	7,43,12,28,950

(Manish Kumar Mishra)
Deputy Director (Finance)

(Cdr. Sharad Aggarwal)
Director (Finance)

(Arun Singhal, IAS)
Chief Executive Officer

PLACE : NEW DELHI
DATE :

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON 31-03-2022

(Amount in Rs.)

INCOME	Schedule	Current Year (01.04.2021 to 31.03.2022)	Previous Year (01.04.2020 to 31.03.2021)
Income from Services	12	1,24,51,18,206	46,61,86,539
Grants/Subsidies from Ministry of Health & Family Welfare	13	22,258,18,875	1,75,11,59,341
Fees/ Subscriptions	14	-	-
Income from Investments (Income on Invest. from earmarked/ endow. funds transferred to funds)	15	-	1,688
Income from Royalty, Publication etc.	16	-	-
Interest Earned	17	32,87,42,204	31,83,96,692
Other Income	18	3,46,16,575	2,96,21,910
Increase/(decrease) in stock of Finished goods and work in progress	19	-	-
TOTAL (A)		3,83,42,95,859	2,56,53,66,170
EXPENDITURE			
Establishment Expenses	20	52,56,42,113	24,40,97,021
Administrative Expenses etc.	21	1,03,09,25,860	78,84,47,721
Repair & Maintenance Expenses	22	14,82,94,495	7,17,99,928
Expenditure on Grants, Subsidies etc.	23	-	4,64,595
Depreciation	24	3,74,42,584	3,59,56,198
Interest	25	-	9,76,41,290
TOTAL (B)		1,74,23,05,051	1,23,84,06,753
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		2,09,19,90,808	1,32,69,59,417
Transfer to Special Reserve		-	-
Transfer to/from General Reserve		-	-
BALANCE BEING SURPLUS/(DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/ CAPITAL FUND		2,09,19,90,808	1,32,69,59,417
Significant Accounting Policies	26		
Contingent Liabilities and Notes On Accounts	27		

(Manish Kumar Mishra)

Deputy Director (Finance)

(Cdr. Sharad Aggarwal)

Director (Finance)

(Arun Singhal, IAS)

Chief Executive Officer

PLACE : NEW DELHI

DATE :

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2022

(Amount in Rs.)

SCHEDULE 1 - CORPUS/CAPITAL FUND:	Current Year (01.04.2021 to 31.03.2022)	Previous Year (01.04.2020 to 31.03.2021)
Balance as at the beginning of the year	4,80,37,34,124	3,03,13,11,342
Add: Contributions towards Corpus/Capital Fund		
Less: Internal Funds Utilized	(13,46,90,682)	
Income and Expenditure Account	2,09,19,90,808	1,32,69,59,417
Add: Capitalization of Capital Fund	79,06,85,971	52,25,25,057
Add: Amount transferred from Endowment fund	-	2,34,65,151
BALANCE AS AT THE YEAR - END	9,42,46,69,846	6,67,66,83,749

SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS:	Current Year	Previous Year
1. Capital Reserve:		
As per last Account	-	-
Addition during the year	-	-
Less:Deductions during the year	-	-
2. Revaluation Reserve:		
As per last Account	-	-
Addition during the year	-	-
Less:Deductions during the year	-	-
3. Special Reserves:		
As per last Account	-	-
Addition during the year	-	-
Less: Deductions during the year	-	-
4. Opening Bank Balance added during the year:		
As per last Account		-
Addition during the year		-
Less:Deductions during the year		-
TOTAL	-	-

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2022

(Amount in Rs.)

SCHEDULE 3 - EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	Current Year (01.04.2021 to 31.03.2022)	Previous Year (01.04.2020 to 31.03.2021)
	Fixed Asset Fund	Fixed Asset Fund
a) Opening balance of the funds	-	-
b) Additions to the Funds:		
i. Donations/Grants	-	-
ii. Income from Investments made on account of funds	-	-
iii. Other additions (specify nature)		
TOTAL (a+b)	-	-
c) Utilisation/Expenditure towards objectives of funds		
i. Capital Expenditure	-	-
- Fixed Assets	-	-
- Others	-	-
ii. Revenue Expenditure		
- Salaries, Wages and allowances etc.	-	-
- Rent	-	-
- Other Administrative expenses	-	-
Total	-	-
TOTAL (c)	-	-
NET BALANCE AS AT THE YEAR-END (a+b-c)	-	-

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2022

(Amount in Rs.)

SCHEDULE 4 - SECURED LOANS AND BORROWINGS	Current Year (01.04.2021 to 31.03.2022)	Previous Year (01.04.2020 to 31.03.2021)
1. Central Government	-	-
2. State Government (Specify)	-	-
3. Financial Institutions		
a) Term Loans	-	-
b) Interest accrued and due	-	-
4. Banks		
a) Term Loans	-	-
- Interest accrued and due	-	-
b) Other Loans (specify)	-	-
- Interest accrued and due	-	-
5. Other Institutions and Agencies	-	-
6. Debentures and Bonds	-	-
7. Others (specify)	-	-
TOTAL	-	-

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2022

(Amount in Rs.)

SCHEDULE 5 - UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	Current Year (01.04.2021 to 31.03.2022)	Previous Year (01.04.2020 to 31.03.2021)
1. Central Government		
2. State Government (Specify)		
3. Financial Institutions		
4. Banks:		
a) Term Loans		
b) Other Loans(specify)		
5. OtherInstitutions and Agencies		
6. Debentures and Bonds		
7. Fixed Deposits		
8. Others (Specify)		
TOTAL	-	-

SCHEDULE 6 - DEFERRED CREDIT LIABILITIES:	Current Year (01.04.2021 TO 31.03.2022)	Previous Year (01.04.2020 TO 31.03.2021)
a) Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets	-	-
b) Others	-	-
TOTAL	-	-

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2022

(Amount in Rs.)

SCHEDULE 7 - CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	Current Year (01.04.2021 to 31.03.2022)	Previous Year (01.04.2020 to 31.03.2021)
A. CURRENT LIABILITIES		
1. Acceptances	-	-
2. Sundry Creditors		
a) For Goods/Services (as per Schedule-7.1)	22,77,69,274	11,04,58,635
b) Others (as per Schedule-7.2)	-	-
3. Earnest Money Deposits	12,85,233	11,39,910
4. Interest accrued but not due on:		
a) Secured Loans/borrowings		
b) Unsecured Loans/borrowings		
5. Statutory Liabilities:		
a) Overdue	-	-
b) Others (Duties & Taxes for the Month payable in next F.Y)	76,36,649	49,68,601
6. Other current Liabilities:		
a) Deductions from Salaries	69,81,450	63,98,284
b) Stale Cheques	76,90,899	26,14,074
c) Security Deposits Received	1,82,18,995	1,78,95,914
d) Wrong Credits by Bank	-	7,05,000
e) GST Reverse Charges & Relief Fund Payable	-	4,249
f) Superintendent of Tax Guwahati	832	832
g) Recruitment Fees collection	7,58,53,151	
7. State License and Registration Fund :	-	
a) 39 Virtual Accounts at BOB	5,50,88,214	52,71,31,186
b) Receipts from CSC	2,44,58,427	2,44,58,428
8. Unspent balance of the grant at the end of the year:		
a) Unspent Grant at the end of the year	2,98,55,924	5,87,70,088
	-	
TOTAL (A)	45,48,39,047	75,45,45,201

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2022

(Amount in Rs.)

B. PROVISIONS	Current Year (01.04.2021 to 31.03.2022)	Previous Year (01.04.2020 to 31.03.2021)
1. For Taxation		-
2. Gratuity	-	-
3. Superannuation/Pension	-	-
4. Accumulated Leave Encashment	-	-
5. Trade Warranties/Claims	-	-
6. Others (Specify)	-	-
TOTAL (B)	-	-
TOTAL (A+B)	45,48,39,047	75,45,45,201

SCHEDULE 7.1 - SUNDRY CREDITORS FOR GOODS/SERVICES	Current Year (01.04.2021 to 31.03.2022)	Previous Year (01.04.2020 to 31.03.2021)
1 Accredited private laboratories claims	22,37,65,954	10,19,53,111
2 Arbro Pharmaceuticals Limited (LC)	2,19,233	2,19,233
3 Asian scientific industries (LC)	2,56,409	2,56,409
4 135 cities and district	-	35,00,000
5 CSC State Funds Returned	28,30,568	44,88,500
6 Gurusons Communication Pvt Ltd	-	35,382
7 Online eat right quiz	5,000	5,000
8 REVIVAL	-	1,000
9 Eat Right India Quiz Winners of Nature Sweetness	6,92,110	-
TOTAL	22,77,69,274	11,04,58,635

SCHEDULE 7.2 - SUNDRY CREDITORS FOR OTHERS	Current Year (01.04.2021 to 31.03.2022)	Previous Year (01.04.2020 to 31.03.2021)
1 Interest Expenses Payable	-	-
TOTAL	-	-

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2022

ISCHEDULE 8 - FIXED ASSETS										(Amount in Rs.)						
Sl. No	Description	Rate of Dep.	GROSS BLOCK			DEPRECIATION			Total up to the year-end	NET BLOCK						
			Cost/valuation As at beginning of the year	Additions upto 03.10.2021	Addition After 03.10.2021	Deductions during the year	Cost/valuation at the year-end	As at the beginning of the year		On opening balance during the year	On additions during the year	On deductions during the year	As at the Current year-end	As at the Previous year-end		
A.	Building:-															
		a)	RO, Kolkata (Civil & Electrical Work)	10%	52,40,885	-	-	-	52,40,885	25,07,753	2,73,313	-	27,81,066	24,59,819	27,33,132	
		b)	RO, Chennai (Civil & Electrical Work)	10%	54,65,606	-	-	-	54,65,606	20,58,921	3,40,669	-	23,99,589	30,66,017	34,06,685	
		c)	HQ, FDA Bhawan (Civil & Electrical Work)	10%	2,30,79,990	-	-	-	2,30,79,990	75,40,499	15,53,949	-	90,94,448	1,39,85,542	1,55,39,491	
		d)	Top Floor (Wooden Structure)	40%	2,57,80,953	-	-	-	2,57,80,953	2,18,42,785	15,75,267	-	2,34,18,052	23,62,901	39,38,168	
		e)	Gym and Day Care Building	10%	2,33,49,743	-	-	-	2,33,49,743	44,36,451	18,91,329	-	63,27,780	1,70,21,963	1,89,13,292	
		f)	NFL Ghaziabad Building	10%	6,45,10,492	-	-	-	6,45,10,492	93,54,022	55,15,647	-	1,48,69,669	4,96,40,823	5,51,56,470	
B.	Plant, Machinery & Equipments	g)	CHEB /MMU Work in Progress	10%		45,90,000		45,90,000			2,29,500		2,29,500	43,60,500	-	
		h)	Building at Mumbai (PTH)	10%	1,91,41,211	-	-	-	1,91,41,211	32,03,593	15,93,762	-	47,97,355	1,43,43,856	1,59,37,618	
		a)	Lab Equipments	15%	68,39,020	-	-	-	68,39,020	47,05,747	3,19,991	-	50,25,738	18,13,282	21,33,273	
		b)	Water Pipeline	15%		2,88,891	-	-	2,88,891	2,36,278	7,892	-	2,44,170	44,721	52,613	
		c)	Machinery & Equipment	15%	6,69,61,995	20,81,343	-	-	6,90,43,338	1,54,37,989	77,28,601	3,12,201	-	2,34,78,791	4,55,64,547	5,15,24,006
		d)	Machinery & Equipment (Kolkata)	15%	25,43,961	32,43,214	4,75,930	-	62,63,105	1,90,797	3,52,975	5,22,177	-	10,65,948	51,97,157	23,53,164
C.	Maruti Ciaz (2)	e)	Machinery & Equipment (Mumbai)	15%	12,09,651	-	-	-	12,09,651	90,724	1,67,839	-	2,58,563	9,51,088	11,18,927	
		f)	LED Fittings	15%	24,80,589	-	-	-	24,80,589	12,82,822	1,79,665	-	14,62,487	10,18,102	11,97,767	
		g)	Paper Shredding Machine	15%	5,508	-	1,66,995	-	1,72,503	1,177	650	12,525	-	14,351	1,58,152	4,331
				15%	15,11,028	-	-	-	15,11,028	7,81,419	1,09,441	-	8,90,860	6,20,168	7,29,608	
				10%	2,23,38,110	6,70,458	70,76,701	-	3,00,85,269	93,26,682	1,30,143	4,20,881	-	1,10,48,706	1,90,36,563	1,30,11,430
				10%	2,25,834	37,47,785	16,024	-	39,89,643	11,292	21,454	3,75,580	-	4,08,326	35,81,316	2,14,544
				10%		-	8,100	-	8,100	-	-	405	-	405	7,695	-
D.	Furnitures & Fixtures			10%	2,37,946	23,305	3,51,640	-	6,12,891	11,897	22,605	19,913	-	54,415	5,58,476	2,26,051
				10%		1,88,390	38,59,501	-	40,47,891	-	-	2,11,814	-	2,11,814	38,36,077	-
				10%	34,102	-	26,00,000	-	26,34,102	1,705	3,240	1,30,000	-	1,34,945	24,99,157	32,399
				10%	2,13,752	-	-	-	2,13,752	10,688	20,307	-	30,995	1,82,757	203,066	
				10%	2,99,07,028	-	-	-	2,99,07,028	91,94,916	20,71,211	-	1,12,66,127	1,86,40,901	2,07,12,112	
				10%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15%	2,06,364	1,00,950	25,000	-	3,32,314	1,21,478	12,733	17,017	-	1,51,229	1,81,085	84,888
E.	Office Equipments	1	Electronic Attendance Machine	15%	52,19,198	1,84,888	1,30,410	-	55,34,496	34,50,527	2,65,301	37,514	-	37,53,341	17,81,155	17,68,672
		2	Photocopy Machine	15%	4,72,993	27,779	-	-	5,00,772	2,68,003	30,749	4,167	-	3,02,918	1,97,854	2,04,991
		3	Refrigerator	15%	42,899	-	19,984	-	62,883	17,539	3,804	1,499	-	22,842	40,041	25,361
		4	Room Heater	15%	1,66,496	24,699	-	-	1,91,195	1,36,246	4,537	3,705	-	1,44,489	46,706	30,250
		5	Scanning Machine	15%	7,790	-	-	-	7,790	6,682	166	-	-	6,849	941	1,108
		6	Vacuum Cleaner	15%	2,33,188	-	-	-	2,33,188	1,43,907	13,392	-	1,57,299	75,889	89,281	
		7	VGA Switcher & Splitter	15%	17,440	-	-	-	17,440	11,806	845	-	12,651	4,789	5,634	
		8	Beetel Twin Phones	15%	5,74,539	13,24,932	23,373	-	19,22,844	2,52,655	48,283	2,00,493	-	5,01,430	14,21,414	3,21,884
		9	Mobile Phones	15%	11,46,706	-	80,535	-	12,27,241	4,01,716	1,11,749	6,040	-	5,19,504	7,07,737	7,44,990
		10	Cordless Phones/ Micro Phone	15%	2,29,930	-	-	-	2,29,930	1,94,309	5,343	-	1,99,652	30,278	35,621	
		11	Fax Machines	15%	59,022	-	-	-	59,022	26,599	4,863	-	-	31,462	27,560	32,423
		12	Gyser	15%	58,509	30,889	-	-	89,398	24,833	5,051	4,633	-	34,518	54,880	33,676
		13	Micro Wave	15%	25,365	-	-	-	25,365	22,034	500	-	-	22,534	2,831	3,331
		14	Oil Field Radiator	15%	44,538	10,135	-	-	54,673	25,257	2,892	1,520	-	29,669	25,004	19,281
		15	Voltage Stabilizer	15%	1,50,162	1,03,796	20,802	-	274,760	44,986	15,776	17,130	-	77,892	1,96,868	105,176
		16	Water Dispenser	15%	18,17,576	-	-	-	18,17,576	12,44,407	85,968	-	13,30,375	4,87,151	5,73,119	
	Audio Conference System	15%														

SCHEDULE 8 - FIXED ASSETS											(Amount in Rs.)			
Sl. No	Description	Rate of Dep.	GROSS BLOCK					DEPRECIATION			NET BLOCK			
			Cost/valuation As at beginning of the year	Additions during the year upto 03.10.2021	Addition After 03.10.2021	Deductions during the year	Cost/valuation at the year-end	As at the beginning of the year	On opening balance during the year	On additions during the year	On deductions during the year	Total up to the year-end	As at the Current year-end	As at the Previous year-end
	18 Video Conference System	15%	26,72,500	-	-	-	26,72,500	14,61,211	1,81,693	-	-	16,42,904	10,29,596	12,11,289
	19 LCD/LED TV	15%	54,39,508	1,19,904	1,69,971	-	57,29,383	29,57,366	3,72,321	30,733	-	33,60,421	23,68,962	24,82,142
	20 Plasma TV	15%	25,68,875	-	-	-	25,68,875	22,37,315	49,734	-	-	22,87,049	2,81,826	3,31,561
	21 Pumpset	15%	28,173	-	-	-	28,173	18,310	1,480	-	-	19,789	8,384	9,864
	22 Tata Sky & EPRS System	15%	29,495	-	-	-	29,495	25,331	625	-	-	25,956	3,539	4,165
	23 Siemen Hi Path 1150 Digital & Optipoint	15%	8,61,793	-	-	-	8,61,793	6,84,337	26,619	-	-	7,10,956	1,50,837	1,77,457
	24 Speaker	15%	1,40,055	21,642	-	-	1,61,697	67,120	10,940	3,246	-	81,307	80,390	72,936
	25 CCTV Camera	15%	12,31,845	48,999	-	-	1,2,80,844	2,83,124	1,42,308	7,350	-	4,32,782	8,48,062	9,48,722
	26 Digital Camera	15%	94,911	-	-	4,80,000	574,911	71,422	3,524	36,000	-	1,10,946	4,63,966	23,490
	27 Office Appliances	15%	3,55,558	81,780	3,50,869	-	39,88,207	12,81,682	3,41,082	38,582	-	16,61,346	23,26,861	22,73,877
	28 Blue Ray Disc Player	15%	99,000	-	-	-	99,000	82,434	2,485	-	-	84,919	14,081	16,567
	29 LCD Projector	15%	3,13,925	-	-	-	3,13,925	2,12,739	15,178	-	-	2,27,917	86,008	1,01,187
	30 Cooler	15%	3,54,579	-	-	-	3,54,579	1,34,402	33,027	-	-	1,67,429	1,87,150	2,20,177
	31 Franking Machine	15%	3,44,940	-	-	-	3,44,940	2,82,123	9,423	-	-	2,91,546	53,394	62,817
	32 Viscocooler & Deep Freezer	15%	1,52,267	-	-	-	1,52,267	1,01,155	7,667	-	-	1,08,822	43,445	51,112
	33 Phone	15%	1,73,738	33,988	95,850	-	3,03,576	43,451	19,543	12,287	-	75,281	2,28,295	1,30,287
	34 TATA Sky	15%	7,622	-	-	-	7,622	6,731	134	-	-	6,865	757	891
	35 Air Conditioner	15%	10,96,754	1,52,550	3,75,374	-	16,24,678	3,81,775	1,07,247	51,036	-	5,40,057	10,84,621	7,14,979
	36 Voice Recorder	15%	6,490	-	-	-	6,490	4,226	340	-	-	4,565	1,925	2,264
	37 Transformer	15%	12,53,668	-	-	-	12,53,668	7,80,848	70,923	-	-	8,51,771	4,01,897	4,72,820
	38 Borewell Summer Sevel	15%	55,968	-	-	-	55,968	24,175	4,769	-	-	28,944	27,024	31,793
	39 Gym Equipments	15%	7,87,055	-	-	-	7,87,055	2,18,408	85,297	-	-	3,03,705	4,83,350	5,68,647
	40 Medical Instruments	15%	6,778	-	-	-	6,778	1,017	864	-	-	1,881	4,897	5,761
	41 Trolley Bags	15%	9,900	-	-	-	9,900	1,485	1,262	-	-	2,747	7,153	8,415
	42 Wall Fan	15%	19,490	20,060	18,430	-	57,980	2,924	2,485	4,391	-	9,800	48,180	16,566
	43 Ceiling Fan	15%	-	11,500	-	-	11,500	-	-	1,725	-	1,725	9,775	-
	44 Air Purifier	15%	-	24,900	-	-	24,900	-	-	3,735	-	3,735	21,165	-
	45 Water Purifier	15%	-	8,000	-	-	8,000	-	-	1,200	-	1,200	6,800	-
	46 Heater	15%	-	-	2,461	-	2,461	-	-	185	-	185	2,276	-
	47 Media Control System	15%	-	-	23,000	-	23,000	-	-	1,725	-	1,725	21,275	-
	48 Sanitizer Dispenser	15%	-	41,008	14,460	-	55,468	-	-	7,236	-	7,236	48,232	-
	49 Weighting Machine	15%	-	2,400	-	-	2,400	-	-	360	-	360	2,040	-
	50 Roller Blinds	15%	-	1,17,861	-	-	1,17,861	-	-	17,679	-	17,679	100,182	-
	51 Generator (DG Set)	15%	-	16,75,305	-	-	16,75,305	-	-	2,51,296	-	2,51,296	14,24,009	-
F.	Computer Peripherals													
	1 Computer & Laptops	40%	2,78,40,119	23,71,601	95,88,159	-	3,97,99,879	2,45,23,495	13,26,650	28,66,272	-	2,87,16,417	1,10,83,462	33,16,624
	2 UPS & Battery	40%	82,55,721	39,125	-	-	82,94,846	73,19,460	3,74,504	15,650	-	77,09,614	5,85,231	9,36,261
	3 Printer & Scanner	40%	72,69,806	7,57,036	4,72,108	-	84,98,950	61,52,074	4,47,093	3,97,236	-	69,96,403	1,50,247	11,17,732
	4 Cisco 2821 Security Bundle	40%	1,71,306	-	-	-	1,71,306	164,723	2,633	-	-	1,67,356	3,950	6,583
	5 Computer Software	40%	62,49,848	5,55,748	7,51,639	-	75,57,235	59,17,230	1,33,047	3,72,627	-	64,22,904	1,13,431	3,32,618
	6 Library Software System	40%	2,28,800	-	-	-	2,28,800	2,28,766	13	-	-	2,28,780	20	34
	7 Networking Equipment	40%	43,03,915	14,54,515	-	-	57,58,430	35,87,334	2,86,632	5,81,806	-	44,55,772	13,02,658	7,16,581
	8 Web Cam	40%	114,916	-	-	-	114,916	101,786	5,252	-	-	107,038	7,878	13,130
	9 Server	40%	1,27,34,397	69,998	-	-	1,28,04,395	1,22,74,626	1,83,908	27,999	-	1,24,86,534	3,17,861	4,59,771
	10 San System Hard Disk	40%	35,78,379	-	-	-	35,78,379	31,49,403	1,71,590	-	33,20,993	2,57,386	4,28,976	
G.	Library books													
	TOTAL (A)	40%	51,46,703	-	-	-	51,46,703	49,00,902	98,320	-	-	49,99,222	1,47,482	2,45,800
	Previous Year		40,90,37,757	1,93,70,483	3,17,87,315	-	46,01,95,555	17,83,06,048	3,01,83,515	72,59,069	-	21,57,48,634	24,44,46,922	23,07,31,731
			38,78,13,644	1,48,00,119	64,23,994	-	40,90,37,757	14,23,49,849	3,31,63,921	27,92,277	-	17,83,06,049	23,07,31,708	24,54,63,809

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2022

(Amount in Rs.)

SCHEDULE 9 - INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	Current Year (01.04.2021 to 31.03.2022)	Previous Year (01.04.2020 to 31.03.2021)
1. In Government Securities	-	-
2. Other approved Securities	-	-
3. Shares	-	-
4. Debentures and Bonds	-	-
5. Subsidiaries and Joint Ventures	-	-
6. Others (to be specified)	-	-
TOTAL	-	-

SCHEDULE 10 - INVESTMENTS - OTHERS	Current Year (01.04.2021 to 31.03.2022)	Previous Year (01.04.2020 to 31.03.2021)
1 Investments in Bank FDR	-	-
ICICI Bank	4,45,94,849	-
AU Small Finance Bank	2,56,01,33,209	-
Equitas Small Finance Bank	46,39,15,102	-
IndusInd Bank	1,13,87,22,254	-
	-	-
2 Letter of Credit (BOB)	4,75,646	
TOTAL	4,20,78,41,059	-

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2022

(Amount in Rs.)

SCHEDULE 11 CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	Current Year (01.04.2021 to 31.03.2022)	Previous Year (01.04.2020 to 31.03.2021)
A. CURRENT ASSETS:		
1. Inventories		
a) Stores and Spares	-	-
b) Loose Tools	-	-
c) Stock-in-trade		
Work-in-progress	-	45,90,000
2. Sundry Debtors		
a) Debts Outstanding for a period exceeding six months	-	-
3. Cash balances in hand (including cheques/drafts and imprest)	90,884	90,884
4. Bank Balances:		
a) With Scheduled Banks:		
- On Deposit Accounts	-	3,83,17,67,463
- On Regional Offices Saving Accounts	53,03,22,337	11,05,15,311
- On Saving Accounts with Headquarter & Others	1,57,63,45,160	1,15,49,83,217
- TDS Deducted on F.D's	8,95,20,390	5,89,65,759
- TDS Deducted on (other than FD)	3,93,296	14,98,088
b) With non-scheduled Banks:		
- On Current Accounts	-	-
- On Deposit Accounts	-	-
- On Saving Accounts	-	-
5. Post Office-Savings Accounts	-	-
TOTAL (A)	2,19,66,72,068	5,16,24,10,722

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2022

(Amount in Rs.)

SCHEDULE 11 CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC. (Contd.)	Current Year (01.04.2021 to 31.03.2022)	Previous Year (01.04.2020 to 31.03.2021)
B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS		
1. Loans		
a) Staff	-	-
b) Other Entities engaged in activities/objectives similar to that of the Entity	-	-
c) Other(specify)	-	-
2. Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received		
a) On Capital Account	-	-
b) Prepayments	-	-
c) Others	-	-
- Security Deposits	3,04,65,650	3,04,65,650
- Central Drugs Standards Control Organisation (60% Share)	6,01,18,779	11,01,18,779
- Export Inspection Council (Mumbai)	-	-
- Advance given in the F.Y 2021-2022	1,36,48,13,675	-
- Advance given in the F.Y 2020-2021	1,06,98,88,387	1,12,97,25,051
- Advance given in the F.Y 2019-2020	29,58,00,575	31,66,21,924
- Advance given in the F.Y 2018-2019	2,04,61,897	2,04,61,897
- Advance given during F.Y 2008-2018	3,64,06,994	3,64,06,994
- Advance Rent Chennai Port Trust	14,80,74,084	15,34,02,084
- Advance Rent JNPT Mumbai	2,34,10,450	2,27,88,466
- Advance Income Tax (Appeal)	2,26,97,685	2,26,97,685
3. Income Accrued		
a) On Investments from Earmarked/Endowment Funds		
b) On Investments - FD	1,48,84,034	2,59,506
c) On Loans & Advances		-
d) Others		
4. GST Adjustable	14,35,26,634	19,51,38,484
TOTAL(B)	3,23,05,48,844	2,03,80,86,520
TOTAL(A+B)	5,42,72,20,912	7,20,04,97,242

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2022

(Amount in Rs.)

SCHEDULE 12 - INCOME FROM SALES/SERVICES	Current Year (01.04.2021 to 31.03.2022)	Previous Year (01.04.2020 to 31.03.2021)
1) Income from Services		
a) Licence Fee		
i) Licence Fee	43,26,38,238	31,64,73,377
ii) Licence Fees (Annual Return)	54,57,654	3,15,65,760
iii) Penalty (Annual Return)	1,67,500	17,46,100
iv) Pre-Printed Packaging Material Fees	5,43,000	5,04,000
v) State Licence Fees (75%)	62,80,27,913	-
b) Sample Testing Fee	5,99,47,500	33,37,268
c) Product Approval Fee	7,00,000	36,50,000
d) Import Fees Visual Inspection etc		
i) Visual Inspection Fees	11,65,00,000	9,50,96,033
ii) First Review Fees	1,12,000	1,37,16,001
iii) Second Review Fees	15,000	70,000
iv) Import Clearance Fees	10,08,500	-
e) Application Processing Fees	900	28,000
TOTAL	1,24,51,18,206	46,61,86,539

(Amount in Rs.)

SCHEDULE 13 - GRANTS/SUBSIDIES	Current Year (01.04.2021 to 31.03.2022)	Previous Year (01.04.2020 to 31.03.2021)
1) Central Government (Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India)	2,17,29,00,000	1,73,92,00,000
2) State Government	2,42,53,866	-
3) Government Agencies		
4) Institutions/ Welfare Bodies		
5) International Organisations		
6) Others :		
Add: Unspent balance at the beginning of the year	5,85,20,933	7,04,80,274
Less: Unspent balance of grant at the end of the year	(2,98,55,924)	(5,85,20,933)
TOTAL	2,22,58,18,875	1,75,11,59,341

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2022

(Amount in Rs.)

SCHEDULE 14 - FEES/SUBSCRIPTION	Current Year (01.04.2021 to 31.03.2022)	Previous Year (01.04.2020 to 31.03.2021)
1) Entrance Fees	-	-
2) Annual Fees/ Subscription		
3) Seminar/Program Fees		
4) Consultancy Fees		
5) RTI Fees	-	
TOTAL	-	-

(Amount Rs.)

SCHEDULE 15 - INCOME FROM INVESTMENTS	Current Year (01.04.2021 to 31.03.2022)	Previous Year (01.04.2020 to 31.03.2021)
1) Interest		
a) On Govt. Securities	-	-
b) Other Bonds/Debentures	-	-
2) Others:		
- Penal Interest Recovered		1,688
- Interest from investments		-
TOTAL		1,688
TRANSFERRED TO EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS		1,688

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2022

(Amount in Rs.)

SCHEDULE 16 - INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATIONS ETC.		Current Year (01.04.2021 to 31.03.2022)	Previous Year (01.04.2020 to 31.03.2021)
1	Income from Royalty	-	-
2	Income from Publication	-	-
3	Others (Specify)	-	-
TOTAL		-	-

SCHEDULE 17 - INTEREST EARNED		Current Year (01.04.2021 to 31.03.2022)	Previous Year (01.04.2020 to 31.03.2021)
1	On Term Deposits		
	a) With Scheduled Banks		
	I ICICI Bank	36,56,035	1,48,53,684
	II AU Small Finance Bank	29,41,60,248	10,03,00,656
	III Indusind Bank	4,25,174	7,72,22,670
	ICICI Bank	-	7,27,930
	Equitas Bank	-	84,30,144
	Union Bank	-	3,20,40,883
	Bank of Baroda	-	2,11,16,326
	b) Earned from Autosweep	1,09,86,720	4,42,63,375
2	On Savings Accounts:		
	a) With Scheduled Banks (HQ)	80,35,032	82,35,558
	b) With Scheduled Banks (RO's & Labs)	1,14,78,995	1,12,05,466
3	On Loans:		-
	a) Employees/Staff		-
	b) Others		-
TOTAL		32,87,42,204	31,83,96,692

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2022**(Amount in Rs.)**

SCHEDULE 18 - OTHER INCOME		Current Year (01.04.2021 to 31.03.2022)	Previous Year (01.04.2020 to 31.03.2021)
1	Profit on Sale/disposal of Assets		
	a) Owned Assets	-	-
	b) Assets acquired out of grants, or received free of cost	-	-
2	Miscellaneous Income		
	-Direct Recruitment Fees/ Food Analyst Exam Fees	-	24,40,491
	-Lab Testing & Auditing Agency	8,63,600	2,45,000
	-Sale of old Newspapers/Scrap	14,249	9,75,000
	-Sale of Tender Form/Application Fees	-	15,95,000
	-FFRC Share	-	94,49,811
	-RTI Fees	1,584	3,448
	-Prior Period Income	76,65,233	
	-Misc Income	2,34,57,163	1,37,562
	-CSC E Governance	25,93,746	
	-Penal Fees	21,000	-
	-RAFT Certification	-	1,13,500
	-Rockefeller Foundation Newyork (Prize Money)	-	1,46,62,098
TOTAL		3,46,16,575	2,96,21,910

SCHEDULE 19 - INCREASE/(DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS &		Current Year (01.04.2021 to 31.03.2022)	Previous Year (01.04.2020 to 31.03.2021)
WORK IN PROGRESS			
a)	Closing Stock		
	- Finished Goods	-	-
	- Work in Progress	-	-
b)	Less: Opening Stock		
	- Finished Goods	-	-
	- Work in Progress	-	-
NET INCREASE/(DECREASE) (a-b)		-	-

SCHEDULE 20 - ESTABLISHMENT EXPENSES		CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a)	Salaries and Wages / Bouns	51,06,86,966	22,40,41,922
b)	Allowances and Bonus	-	-
c)	Leave Salary and Pension Contribution	1,18,48,975	1,82,07,608
d)	Reimbursement of Medical Claims	31,06,172	18,47,491
TOTAL		52,56,42,113	24,40,97,021

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2022

(Amount in Rs.)

SCHEDULE 21 - ADMINISTRATIVE EXPENSES		Current Year (01.04.2021 to 31.03.2022)	Previous Year (01.04.2020 to 31.03.2021)
1	Electricity and Power	2,07,09,869	66,71,020
2	Water charges	2,90,810	1,80,302
3	Rent, Rates and Taxes	87,29,050	6,08,01,638
4	Postage and Communication Charges	2,80,140	2,53,039
5	Supply and Material	44,47,029	3,76,19,693
6	Travelling and Conveyance Expenses	97,65,445	1,90,67,723
7	Information Technology Expenses	4,82,34,546	3,23,95,772
8	Subscription Expenses (Contribution to Codex Trust Fund)	33,300	18,30,885
9	Auditors Remuneration	-	4,64,300
10	Legal & Professional Charges	16,80,59,459	14,50,16,197
11	IEC & Publicity Expenses	4,26,11,012	7,22,17,311
12	Office Expenses	6,85,23,290	2,18,01,014
13	Training Charges	8,37,46,688	19,13,42,291
14	Surveillance	-	17,700
15	Enforcement Activities	45,55,323	31,62,298
16	Telephone & Mobile Expenses	38,56,988	25,82,998
17	Entertainment Exp	-	1,38,033
18	Motor Vehicle Expenses	81,25,631	1,87,06,340
19	Library Expenses	3,74,623	1,66,106
20	Clerkage Expenses	-	62,100
21	Swasth Bharat Yarta Expenses	10,89,333	11,04,949
22	Testing Fees	21,53,800	2,69,80,577
23	Conference, Meeting & Seminar Exp.	41,41,508	17,48,658
24	EAT Right India Challenge	-	7,48,000
25	Imprest Expenses	3,49,582	2,48,164
26	Newspaper & Magazines	-	1,93,443
27	Import Division Expenses	-	55,100
28	Softel Exp.	22,62,54,126	-
29	-Bank Charges / 'Refund of Fees Charges	12,92,230	6,62,635
30	-Service Tax/GST	17,35,92,652	13,93,73,847
31	-Other Expenses	14,97,09,426	28,35,588
TOTAL		1,03,09,25,860	78,84,47,721

SCHEDULE 22 -Repair & Maintenance Expenses		Current Year (01.04.2021 to 31.03.2022)	Previous Year (01.04.2020 to 31.03.2021)
Repair & Maintenance			
i)	Repair and Maintenance of AC Plant, Computers & Other Equipments	7,66,27,847	7,17,99,928
ii)	Repair & Maintenance of Building	7,16,66,648	-
TOTAL		14,82,94,495	7,17,99,928

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2022

(Amount in Rs.)

SCHEDULE 23 - EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.	Current Year (01.04.2021 to 31.03.2022)	Previous Year (01.04.2020 to 31.03.2021)
a) Grants Given to Institutions/Organisation	-	4,64,595
b) Subsidies given to Institutions/Organisations	-	-
TOTAL	-	4,64,595

SCHEDULE 24 - DEPRECIATION	Current Year (01.04.2021 to 31.03.2022)	Previous Year (01.04.2020 to 31.03.2021)
On Fixed Assets	3,74,42,584	3,59,56,198
TOTAL	3,74,42,584	3,59,56,198
Less: Transferred to Fixed Asset Fund	-	-
TOTAL	3,74,42,583.58	3,59,56,198

SCHEDULE 25 - INTEREST PAID	Current Year (01.04.2021 to 31.03.2022)	Previous Year (01.04.2020 to 31.03.2021)
a) On Fixed Loans	-	-
b) On Other Loans	-	-
c) Interest on Grants Refunded to Ministry	-	9,76,41,290
TOTAL	-	9,76,41,290

RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE PERIOD 01.04.2021 TO 31.03.2022

(Amount in Rs.)

S.No.	RECEIPTS	Schedule No.	Current Year (01.04.2021 to 31.03.2022)	Previous Year (01.04.2020 to 31.03.2021)	Schedule	PAYMENTS	Schedule No.	Current Year (01.04.2021 to 31.03.2022)	Previous Year (01.04.2020 to 31.03.2021)
I	Opening Balance a) Cash in hand b) Bank Balances Saving Bank Accounts		90,884	90,884	I	Expenses a) Establishment Expenses (Corresponding to Schedule 20) b) Administrative Expenses (Corresponding to Schedule 21) c) Repair & Maintenance Expenses (Corresponding to Schedule 22) d) Other Expenses	32	56,57,36,722.00	20,15,73,836.00
II	Grants Received a) From Government of India - Ministry of Health & Family Welfare b) From Others	27	1,26,54,98,528	1,15,05,63,171			33	63,50,20,080.81	42,82,24,998.41
		28	2,85,29,00,000	2,08,65,00,000			34	6,46,80,375.00	8,05,51,640.00
		29	-	1,87,35,043			35	1,45,14,84,171.00	1,25,74,83,521.00
III	Interest Received On Bank Deposits (Autosweep) On Bank Deposits (FDR) On Bank Deposits (Savings) On Bank Deposits (SBY) Penal Interest (Recovered) Interest Accrued Canara 976 Interest Received from Branches		1,85,083 11,34,98,113 1,73,01,071 - - 5,782 52,37,420	4,42,63,375 16,28,64,823 91,77,680 7,27,930 1,688 - -	II III IV	Grants Given EAT Right India Challenge Investments and deposits made a) Out of Own Funds (Investments - FD) Expenditure on Fixed Assets & Capital Work in Progress a) Purchase of Fixed Assets		- 84,99,11,917 5,40,63,190	7,51,000 36,42,600,000 1,68,41,236
IV	Income received from Licencee's - Licence Fees - 1st Review Fees - 2st Review Fees - Sample Testing Fees - Sample Testing Fees (BOB 7549 Mumbai) - Product Approval - Import Visual Inspection - Import Clearance Fees - Recruitment Fees FFRC SHARE 1/3		46,61,00,663 1,12,000 15,000 5,99,47,500 - 7,50,000 11,65,00,000 10,08,500 7,59,99,651 -	35,13,94,233 1,37,16,001 70,000 8,37,618 3,39,48,000 36,50,000 2,89,27,533 - 94,49,811 2,96,11,71,651	V VI	Advances to Suppliers/Others Duties & Taxes -TDS on Contractors -TDS on Rent -TDS on Professional (Staff) -TDS on Professional -TDS on Salary -TDS on Fixed Deposits -Service Tax -GST (Reverse Charge) -GST (CGST and SGST) -GST-TDS @2%		- 68,90,215 66,522 70,36,713 85,22,619 2,18,21,280 99,46,210 - 1,76,167 - 1,20,07,789	- 45,45,738 1,87,989 69,23,265 40,41,641 1,39,33,675 1,18,43,312 13,93,73,847 2,62,764 29 1,00,35,367
V	Encashment of Investment		61,34,26,601	2,96,11,71,651	VII	Contractor's EMD/ Security Deposits		3,38,572	30,000
VI	TDS Received: -on Contractors -TDS on FD		- -	3,57,917 807	IX	Accredited Laboratories		63,35,76,572	28,04,28,705
VII	Advances Adjusted -Suppliers/Others -Export Inspection Council Mumbai -CSIR		9,11,260 1,69,92,517 51,751	31,46,517 56,85,425 -	X XI	Branch/Laboratories 39 Virtual Accounts at BOB	37	15,30,85,536 3,28,02,58,891	41,41,47,610

SCHEDULES FORMING PART OF THE FINANCIAL ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31-03-2022

SCHEDULE 26 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. ACCOUNTING CONVENTION

The financial statement are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and on the accrual method of accounting.

2. REVENUE RECOGNITION

License Fees, Product Approval Fees and Sample Testing Fees etc. are recognized as and when received. Other Income is recognized on receipts basis. Interest on saving bank accounts is accounted on accrual basis.

3. INVESTMENTS

Investment classified as “long term investments” are carried at cost. Provision for decline, other than temporary, is made in carrying cost of such investments. Investments classified as “Current” are carried at lower of cost and fair value. Provision for shortfall on the value of such investments is made for each investment considered individually and not on a global basis. Cost includes acquisition expenses like brokerage, transfer stamps.

4. FIXED ASSETS

Fixed Assets are stated at cost of acquisition less accumulated depreciation inclusive of inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to the acquisition. In respect of projects involving construction, related pre-operational expenses (including interest on loans for specific project prior to its completion), forming part of the value of the assets capitalized.

Fixed Assets received by way of non-monetary grants, other than towards the Corpus fund, are capitalized at values stated, by corresponding credit to capital Reserve.

5. DEPRECIATION

Depreciation is provided as per the provisions of Income Tax Act and based upon written down value method & as per rates specified therein.

In respect of additions to / deductions from fixed assets during the year, depreciation is considered accordingly.

6. VALUATION OF INVENTORIES

Expenditure on purchase of stationary, consumables, publication, and other stores is accounted as revenue expenditure.

7. MISCELLANEOUS EXPENDITURE

Deferred revenue expenditure is written off over a period of 5 years from the year it is incurred.

8. GOVERNMENT GRANTS

- 8.1** Government Grants are accounted on realization basis. However, where a sanction for release of grant pertaining to the financial year is received before 31st March and the grant is actually received in the next financial year, the grant is accounted on accrual basis and an equal amount is shown as recoverable.
- 8.2** Government Grants of capital nature are recognized on receipts basis and shown as capital grants under Earmarked/ Endowment fund in consistent with fund based accounting.
- 8.3** Government grants for meeting revenue expenditure are treated, to the extent utilized, as income of the year in which they are realized.
- 8.4** Unutilized grants computed on Cash Basis are carried forward and= exhibited as a liability in the balance sheet.

9. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

- 9.1** Transactions denominated in foreign currency are accounted at the exchange rate prevailing at the date of the transaction.
- 9.2** Current assets, foreign currency loans and current liabilities are converted at the exchange rate prevailing as at the year end and the resultant gain/loss is adjusted to cost of fixed assets, if the foreign currency liability relates to fixed assets, and in other cases is considered to revenue.

SCHEDULE 27 – CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

A. CONTINGENT LIABILITIES

1. CONTINGENT LIABILITIES

- 1.1** Claims against the Authority not acknowledged as (Previous year Rs. NIL)
debts – Rs. NIL
- 1.2** In respect of:
- Bank guarantees given by /on behalf of the Authority (Previous year Rs. NIL)
– Rs. NIL
 - Bills discounted with banks– Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)
- 1.3** Disputed demands in respect of:
- Income-tax – Rs. Rs. 9.66 Crore (Previous year Rs. 9.66 Crore)
 - Sales-Tax – Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)
 - Municipal Tax – Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)
- 1.4** In respect of claims from parties for non-execution of (Previous year Rs. NIL)
orders, but contested by the Entry Rs. NIL

2. CAPITAL COMMITMENTS

Estimated value of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (net of advances) Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)

B. NOTES TO ACCOUNTS

Food Safety and Standards Authority of India is a Statutory Authority established under Food Safety & Standards Act, 2006 under the Administrative control of the Ministry of Health & Family Welfare and is fully financed by Govt. of India, therefore, its accounting policies are mostly based on GFR's & R&P Rules. The accounting principles and policies of the authority in brief are as under:

1. CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

In the opinion of the management, the current assets, loans and advances have a value on realization in the ordinary course of business, equal at least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet. Increase in advances during the year is mainly on account of advances given to employees/ outside parties.

TAXATION

In the F.Y 2014-15 the Authority has obtained the PAN number i.e **AAAGF0023K**.

FORM GST REG-06

In the F.Y 2017-18 the Authority has obtained the GST number i.e **07AAAGF0023K1ZV**.

2. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

2.1 Value of imports calculated on C.I.F. Basis:

Purchase of finished goods	NIL
Raw Materials & Components (Including in transit)	NIL
Capital Goods	NIL
Stores, Spares and Consumables	NIL

2.2 Expenditure in foreign Currency:

a) Travel	NIL
b) Remittances and Interest payment to Financial Institutions/ Bank in Foreign Currency	NIL
c) Other expenditure:	
Commission on sales	NIL
Legal and Professional Expenses	NIL
Miscellaneous Expenses	NIL

2.3 Earnings:

Value of exports on FOB basis	NIL
Value of Services	NIL

3. The presentation of the financial statements is based upon the prescribed format given by CAG applicable to the Authority.

4. SOURCE OF FUNDS

The receipts of funds in the budget of the authority are classified as under: -

- i) Net grant from Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
- ii) Misc. Receipts like License Fee, Sample Testing Fee, Interest on saving bank accounts, Interest on Fixed Deposits and other miscellaneous receipts, etc.

5. FIXED ASSET FUND & BUILDING FUND

The capital assets acquired out of grant-in-aid has been capitalized under fixed assets by capitalizing grant under Corpus Fund by simultaneously reducing the grant in aid received for the year and accordingly, the depreciation charged on the fixed assets has been charged to the corresponding fund in accordance with fund based accounting and matching concept.

6. Figures are rounded off to the nearest rupees.
7. Figures of the previous year have been regrouped/rearranged and recasted wherever considered necessary in lines with format prescribed and suggested by AGCR adopted by the Authority.
8. Schedule 1 to 27 are annexed to and form an integral part of the Balance Sheet as at 31-03-2022 and the Income and Expenditure account for the year ended on that date.

ADVANCES GIVEN TO PARTIES FOR THE YEAR 2021-22

S. No.	Particulars	Amount
1	DIRECT RECRUITMENT	198,695
2	QUALITY COUNCIL OF INDIA (phase1)	14,280,000
3	CENTRE FOR DEPLOYMENT OF ADVANCED COMPUTING	951,300
4	PBB GANGTOK SIKKIM	500,000
5	ADVANCE TO CHENNAI OFFICE FOR VISAKHAPATNAM PORT	4,645,992
6	DIRECTOR IITR BRANCH FOR PROJECT	500,000
7	LEAVE ENCASHMENT SH AKHILESH R MOTAWALA	40,000
8	ADVANCE TO COMMISSIONER FOOD SAFETY LADAKH	4,256,000
9	ADVANCE TO PUNJAB BIOTECHNOLOGY ICUBATOR	833,000
10	ADVANCE TO STATE OF HIMACHAL PRADESH	10,967,000
11	ADVANCE STATE OF ODISHA	6,938,000
12	ADVANCE STATE OF GOA MOU	8,610,000
13	ADVANCE GIA TO THE STATE OF KARNATAKA DURING 21-22	73,033,000
14	ADVANCE GIA TO THE UT OF ANDAMAN & NICOBAR DURING 21-22	8,389,000
15	ADVANCE TO STATE OF UTTRAKHAND	30,494,000
16	ADVANCE TO ICAR-NATIONAL RESEARCH CENTRE ON MEAT	500,000
17	ADVANCE TO STATE OF MANIPUR TO ADDRESS GAPS IN FOOD SAFETY	8,153,000
18	Advance LTC Sh P Karthikyen DD FSSAI	148,356
19	ADVANCE TO ICAR UNIT NDRI KARNAL	500,000
20	ADVANCE COMMISSIONER FOOD AND DRUG CONTROL GANDHINAGAR GUJRAT	52,500
21	TOUR SURVEILLANCE ADVANCE TO DR MANISHA NARAYAN,& Others	66,771
22	ADVANCE TO ICAR UNIT NRC FOR GRAPES	1,000,000
23	ADVANCE TO INDIAN INSTITUTE OF TOXICOLOGY RESEARCH	1,000,000
24	ADVANCE TO PUNJAB BIOTECHNOLOGY ICUBATOR	1,154,058
25	ADVANCE TO STATE OF TRIPURA	2,747,000
26	ADVANCE TO STATE OF MADHYA PRADESH	14,978,000
27	LTC ADVANCE DHANANJAY KUMAR	4,000
29	ADVANCE TO ICAR-IIHR BANGALORE	500,000
30	COMPTROLLER UAS RAIPUR	500,000
31	ADVANCE TO STATE OF NAGALAND	15,434,000
32	STATE OF MEGHALAYA FOOD SAFETY ECOSYSTEM	9,022,000
33	ADVANCE TO COMMISSIONER FOOD SAFETY MADHYA PRADESH	400,000

S. No.	Particulars	Amount
34	ADVANCE TO MADHYA PRADESH	400,000
35	ADVANCE ICAR-CIFT	576,000
36	BUREAU OF OUTREACH & COMM.	818,824
37	BUREAU OF OUTREACH & COMM.	605,084
38	CSIR-NATIONAL PHYSICAL LAB, NEW DELHI	116,769
39	FOOD & DRUG ADMINISTRATION GANDHINAGAR	80,000
40	NIETEM ADVANCE	1,707,730
41	ADVANCE TO HEALTH AND MEDICAL EDU. DEPTT. J&K	400,000
42	ADVANCE TO STATE OF RAJASTHAN	53,842,000
43	GRANT TO STATE OF ARUNACHAL PRADESH	2,470,000
44	GRANT TO UT OF CHANDIGARH	3,484,000
45	ADVANCE TO NCT OF DELHI	6,141,000
46	ADVANCE TO EFRAC	732,000
47	NIETEM ADVANCE	17,672,648
48	ADVANCE TO STATE OF GUJRAT	73,760,000
49	ADVANCE TO ICAR CCRI FINAL INTALLMENT	246,400
50	NBCC	40,000,000
51	INDIA HABITAT CENTRE ADVANCE	90,000
52	STATE OF SIKKIM	6,684,000
53	STATE OF MIZORAM	9,841,000
54	ADVANCE TO FOOD AND DRUGS ADM UJJAIN	200,000
55	ADVANCE TO BUREAU OF OUTREACH AND COMM	5,904
56	GRANT TO 14 CITIES FOR WALKTHON EAT RIGHT MELA	2,773,572
57	UT OF J&K	18,735,000
58	STATE OF JHARKHAND	10,698,000
59	INDIA HABITAT CENTRE ADVANCE	9,736
60	ADVANCE TO HEALTH DEPTT., GOVT OF BIHAR	200,000
61	ADVANCE TO DIFFERENT 6 GOVT AGENCIES	3,261,427
62	MAHARASHTRA ANIMAL AND FISHERY SCIENCES UNIVERSITY NAGPUR 2ND INSTALLMENT	500,000
63	ADVANCE TO GOVT OF NAGALAND	400,000
64	ADVANCE TO GOVT OF TRIPURA and SIKKIM	400,000
65	ICAR- CENTRAL INSTITUTE OF FISHERIES TECHNOLOGY	906,587
66	MOU UT OF LAKSHADWEEP	2,371,000
67	CENTRE FOR DEVELOPEMENT OF ADVANCED COMPUTING	107,144

S. No.	Particulars	Amount
68	GRANT TO STATE OF KERALA	23,972,000
69	DOORDARSHAN PRASHAR BHARTI	55,356,750
70	ADVANCE TO CFTRI, MYSURU	500,000
71	CDAC	100,000
72	ADVANCE TO CSIR-CFTRI	103,500
73	ADVANCE TO CALF, NDDDB, ANAND GUJRAT	92,700
74	ADVANCE TO CALF, NDDDB, ANAND GUJRAT	500,000
75	ADVANCE TO PBTI, MOHALI	2,600,000
76	ADVANCE TO PBTI MOHALI	5,109,247
77	ADVANCE TO 9 STATES FOR WALKATHON AND EAT RIGHT MELA	1,800,000
78	BUREAU OF OUTREACH & COMM.	37,474
79	LTC ADVANCE RAHUL MUKUNDRAO WARHADPANDE	19,073
80	ADVANCE TO COMMISSIONER OF FOOD SAFETY AND PRINCIPAL SECRETARY	12,600,000
81	MOU WITH UP TO ADDRESS GAPS IN FOOD SAFETY	91,230,000
82	MOU WITH UTTRAKHAND TO ADDRESS GAPS IN FOOD SAFETY	111,000
83	ADVANCE TO STATE OF BIHAR MOU	53,948,000
84	OTH STRENGTHENING OF FOOD SAFETY ECO-S, HEALTH AND MEDICAL EDUCATION DEPTT, JAMMU	25,200,000
85	WEST BENGAL STATE HEALTH AND FAMILY WELFARE SAMITY	4,200,000
86	ADVANCE TO STATE OF HARYANA	9,368,000
87	ADVANCE TO STATE OF TRIPURA	138,000
88	ADVANCE TO STATE OF MEGHALAYA	147,000
89	BUREAU OF OUTREACH & COMM.	51,422
90	ADVANCE TO STATE OF ASSAM	25,968,000
91	M/S MAHENDRA AND COMPANY	6,947,546
92	GIA STATE OF HIMACHAL PRADESH	92,000
93	GIA UT OF JAMMU AND KASHMERE	1,008,000
94	MOU TO THE STATE OF TAMIL NADU	34,521,000
95	MOU TO THE UT OF DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU	6,575,000
96	ADVANCE TO STATE OF MP	235,000
97	ADVANCE TO STATE OF HARYANA	222,000
98	MOU STATE OF WEST BENGAL	97,833,000
99	BUREAU OF COMMUNICATION	29,565
100	ADVANCE MOU TO THE STATE OF MIZORAM	2,556,000
101	ADVANCE TO ZILA ADHIKARI/ZILA MAGISTRATE AND SETTLEMENT	200,000

S. No.	Particulars	Amount
102	ADVANCE DESIGNATED OFFICER FSDA, BHADOHI UP	201,016
103	MOU STATE OF ODISHA	4,624,600
104	MOU STATE OF PUNJAB	13,665,720
105	ADVANCE	426,700
106	ADVANCE -STATE OF MAHARASHTRA	122,442,000
107	IRCTC INTERNET TICKETING DISBURSEMENT	22,811,760
108	UT OF PUDCHERRY	7,611,000
109	ADVANCE TO DIIHR	30,000,000
110	ADVANCE TO SIKKIM	629,000
111	ADVANCE TO KARNATAKA	3,030,000
112	BOC	19,711
113	BOC	13,142
114	MOU TO STATE OF PUNJAB	128,000
115	MOU TO STATE OF MANIPUR	111,000
116	MOU STATE OF ARUNACHAL PRADESH	1,647,500
117	ADVANCE TO STATE OF GUJRAT ECOSYSTEM	3,128,000
118	ICAR-INDIAN INSTITUTE OF HORTICULTURE	500,000
119	M/S NATIONAL COMMODITIES MANAGEMENT SERVICES LTD	10,169,432
120	STATE OF GOA ADVANCE	170,000
121	BUREAU OF INDIAN STANDARDS	41,418
122	STATE OF NAGALAND	532,000
123	STATE OF KARNATAKA	12,600,000
124	STATE OF JHARKHAND	237,000
125	ADVANCE MOU TO THE STATE OF RAJASTHAN	35,502,000
126	ADVANCE TO PRASAR BHARTI EAT RIGHT INDIA	9,390,066
127	STATE OF ANDAMAN AND NICOBAR	2,000,000
128	GRANT TO ASSAM FSW	1,500,000
129	GRANT TO GOA FSW	1,000,000
130	GRANT TO WEST BENGAL	11,000,000
131	GRANT TO JHARKHAND	2,000,000
132	STATE OF HARYANA	3,000,000
133	GRANT TO MP	4,000,000
134	GRANT TO RAJASTHAN	1,000,000
135	GRANT TO GUJRAT	13,000,000

S. No.	Particulars	Amount
136	GRANT TO DELHI	3,000,000
137	GRANT TO CHHATTISGARH	4,000,000
138	MOU STATE OF CHHATTISGARH	10,970,000
139	MAHENDRA AND COMPANY	4,631,697
140	EDWARD FOOD RESEARCH & ANALYSIS CENTRE LIMITED	1,098,300
141	GRANT TO PUNJAB	2,000,000
142	GRANT TO MEGHALAYA	2,000,000
143	GRANT TO MANIPUR	1,000,000
144	GRANT TO CHANDIGARH	1,000,000
145	GRANT TO TAMILNADU	2,000,000
146	GRANT TO SIKKIM	1,000,000
147	GRANT TO KARNATAKA	1,000,000
148	PRASAR BHARTI FM RAINBOW	929,420
149	IHM BANGALORE	18,375
150	GRANT TO MAHARASTRA	2,000,000
151	MOU STATE OF RAJASTHAN	392,000
152	ADVANCE TO BUREAU OF OUTREACH AND COMM	3,497,324
153	GRANT TO STATE OF TAMIL NADU	4,760,000
154	GRANT TO STATE OF TRIPURA	4,805,000
155	GRANT TO STATE OF UTTAR PRADESH	1,200,000
156	GRANT TO STATE OF UTTARAKHAND	1,120,000
157	GRANT TO STATE OF PUDUCHERRY	980,000
158	GRANT TO STATE OF PUNJAB	600,000
159	GRANT TO STATE OF RAJASTHAN	1,270,000
160	GRANT TO ODISHA	660,000
161	AGILENT TECHNOLOGIES INDIA PVT LTD	12,131,254
162	GRANT TO STATE OF MADHYA PRADESH	700,000
163	GRANT TO STATE OF KERELA	1,220,000
164	GRANT TO STATE OF KARNATAKA	500,000
165	GRANT TO STATE OF JHARKHAND	700,000
166	GRANT TO STATE OF J&K	720,000
167	GRANT TO STATE OF HIMACHAL PRADESH	620,000
168	GRANT TO STATE OF HARYANA	820,000
169	GRANT TO STATE OF GUJARAT	3,375,000

S. No.	Particulars	Amount
170	GRANT TO STATE OF GOA	4,165,000
171	UT OF DELHI	260,000
172	STATE OF CHATTISGARH	2,015,000
173	STATE OF BIHAR	690,000
174	STATE OF ASSAM	700,000
175	STATE OF WEST BENGAL	2,685,000
176	STATE OF MANIPUR	850,000
177	STATE OF NAGALAND	845,000
178	STATE OF MAHARASHTRA	1,425,000
179	COMPTROLLER UAS RAICHUR	500,000
180	NATIONAL DAIRY DEVELOPMENT BOARD	900,000
181	NETSCOFAN	1,807,755
182	EAT RIGHT MELA JAMMU AND KASHMIR	200,000
183	GRANT TO BUREAU OF OUTREACH COMM	19,711
184	LTC ADVANCE TO SOUMALYA BANERJEE	11,000
185	ADVANCE TO UT OF LADAKH	105,000
186	ADVANCE TO STATE OF UK	6,543,000
187	ADVANCE TO STATE OF ARUNACHAL PRADESH	100,000
188	ADVANCE TO UT OF CHANDIGARGH	1,740,000
	TOTAL	1,36,48,13,675

ADVANCES GIVEN TO PARTIES FROM F.Y 2020-2021

S No	NAME OF PARTIES	AMOUNT
1	NICSI -	17,394,908
2	Lal Bahadur Shastri Central of Publication national Academy	368,493
3	Advance payment to the Director National food Lab for Microbiological analysis	81,317
4	Advance to IIFT External project towards procurement of High and Equipment	8,120,588
5	Advance to ICAR-NRCM Hyderabad on A/C of procurement of equipment	4,023,500
6	Procurement of GC with FID, NPD and ECD	132,000,000
7	Procurement of GC with FID, NPD and ECD	54,000,000
8	Advance to stuff & Stock in A/C of	158,591
9	Advance as Grants to controller Food and Drugs Administration Naya Raipur	6,000,000
10	Advance to FDA Gujrat	49,560
11	Advance as Grants to ICAR as National Referral laboratory for Fish	2,500,000
12	Advance to BIS	23,541
13	135 cities	67,500,000
14	National Productivity Council towards post payment	1,439,600
15	NDDB	104,351
16	Advance as Grants to District Dual Health Society Banswara	6,400,000
17	Advance pay to centre for Development for 80 lacs mspushup service	997,808
18	135 cities	15,000,000
19	AHMEDABAD	6,800,000
20	ITC MUMBAI	1,000,000
21	LTC Advance to Sh. A. C. Mishra and Sh. Chandan Kr Das (Rs 40,000 + 15,500)	55,500
22	Advance as Grant to three State HP/Kerala/Meghalaya	21,919,500
23	Advance as Grant to three State HP/Kerala/Meghalaya	34,305,000
24	Advance as Grant to three State HP/Kerala/Meghalaya	19,465,000
25	Advance as Grant to Arunachal Pradesh	4,259,500
26	Advance as Grant to Madhya Pradesh	92,682,000
27	Advance as Grant to State Andaman & Nicobar	17,239,000
28	Advance as Grant to Odisha State	10,344,000
29	Advance to GNVFC Ltd. For digital signature	19,420
30	Advance as grant for setting up of Microbiological lab.Solan	5,000,000

S No	NAME OF PARTIES	AMOUNT
31	Advance as grant to Tripura on account of Food Ecosystem	3,790,350
32	Advance as grant to Tripura on account of Food Ecosystem	12,804,500
33	135 cities	10,500,000
34	Advance to CFL/RFL Lab pure towards the procurement of GSMSMS ans LSMSMD	34,936,798
35	Advance to Sh. Dinesh Kumar, AO (50000)	50,000
36	Advance as Grant to ICAR unit CFT for heavy Metal	400,000
37	LTC Advance to PrafulRanjan& Vinay Tarun (30000+30000+30000)	60,000
38	Advance as Grant to Nagaland	5,995,000
39	LTC Advance special package block 47 2020-21, Arvind kumar, AO	60,000
40	Advance to CSIR-CFTRI to conduct the various activities as NRL (Mysore)	269,889
41	Advance to CSIR-CFTRI to conduct the various activities as NRL (Lucknow)	625,000
42	Advance to PBTI Mohali to conduct various activities	625,000
43	Advance as Grant to State Jammu & Kashmir	22,563,500
44	Advance as Grant to State Punjab	13,743,000
45	Advance as Grant to State Jharkhand	20,585,500
46	Advance as Grant to State Uttar Pradesh	173,425,000
47	Advance to State as Grant	32,669,000
48	Advance to State as Grant	39,829,000
49	LTC Advance Vinay Kumar Tarun (30000)	30,000
50	Advance to Sh.Arvindkumar A. D. Civil LTC special cash package Block for 2020-21	60,000
51	LTC Advance to Smt. Remya K. Kumar as LTC Co-sh special	40,000
52	Advance as Grant to State Chhatisgarh	18,290,000
53	Advance as Grant to State Karnataka	21,118,000
54	LTC Advance Sh. SharadAggarwal,and Cash special package 2020-21	40,000
55	Advance as Grant to State GOA	6,599,000
56	Advance to NIFTEM as being the 1st installment release for the project	1,848,570
57	Advance as grant to the NCT of Delhi	5,845,000
58	Advance for MOV Assam	31,268,700
59	LTC Advance to InderJeetHura	40,000
60	Advance to BSES Yamuna Power Ltd as AMC	354,000
61	Advance as grant Thirventapuram	816,740
62	Advance as Grant to Chandigarh	3,324,500

S No	NAME OF PARTIES	AMOUNT
63	Advance as Grant to Bihar	24,108,000
64	HYDERABAD	5,000,000
65	Advance to Dy Director HSSPHL Pune	6,288,624
66	NDDDB	1,875,000
67	Advance to Rajasthan	10,469,000
68	Advance to CFDA Raipur	2,000,000
69	Advance to DO Regional office Mumbai	1,000,000
70	KAMINI	7,165,795
71	Controller of publication	1,032,756
72	Lal Bahadur Shastri National Academy	570,000
73	Advance as grant ICAR Cochin	8,821,295
74	Advance as grant IICT/NIFTM/CSIR Mysur/ICAR Cochin/ICAR Meat	2,288,829
75	Advance as grant to above state	6,800,000
76	Advance to NIFT	111,864
77	State as Grant	500,000
	Total	1,069,888,387

ADVANCES GIVEN TO PARTIES FROM F.Y 2019-2020

S. NO.	NAME OF PARTIES	AMOUNT
1	Sunil Bakshi	80,000
2	ICAR = CIBA	147,463
3	Ms. Suniti Toteja (Switzerland)	26,900
4	BSES	119,000
5	Dr. Anil Chand Mishra + Ms. Saksee Pipliyal (Canada)	199,899
6	Ms. Rita Teaotia CP + Sh. Balam Giri (Sweden)	56,700
7	NICSI	37,425
8	Ms. Rita Teaotia CP + Sh. P. Karthikyan (Geneva)	171,000
9	NICSI	1,415,659
10	ICAR Grapes Pune	1,000,000
11	Export Agency Kolkata	400,000
12	Export Agency Chennai	400,000
13	National Dairy Development Boards	46,509
14	CSIR-IITR	96,750
15	Vimta Labs	1,000,000
16	CSIR-CFTRI	377,886
17	Fare Labs	1,000,000
18	Neogen Food & Animals Security India Pvt Ltd	1,000,000
19	Trilogy Analytical Lab	1,000,000
20	NBCC	97,500,000
21	NIFTM Haryana	178,000
22	CFTRI-Mysore	160,500
23	National Collateral Management Service	34,524
24	CSIR Mysore	396,250
25	Kamini Construction	3,581,496
26	Balmer & lawrie Co Ltd	2,500,000
27	Kamini Constructions	32,504,348
28	New Moti Bagh Ladies Club	43,000
29	Edward Food Research Kolkata	1,000,000
30	NICSI	1,440,780
31	NICSI	3,333,264
32	NICSI	450,911
33	National Instt. of Food Technology	100,000
34	ITC FSAN	1,000,000

S. NO.	NAME OF PARTIES	AMOUNT
35	NICSI	4,336,273
36	AFST (I) MYSURU	200,000
37	EIA Kochi	27,104
38	CIFT Kochi	217,326
39	Centre for Development of advance Computing	1,243,164
40	WHO Codex Trust Fund	14,650
41	Director NFL Ghaziabad	389,500
42	ITC FSAN Mumbai	496,725
43	BSES	119,000
44	NBCC Ltd	128,054,212
45	Sh. Pramod Shahaji + Ms. Akansha Dua (USA)	260,000
46	Shriram Institute	284,450
47	University of Kolkata	140,600
48	Central Newa Agency	6,860
49	CFL Kolkata	6,212,447
50	ICAR CIFT Kerla	1,000,000
	TOTAL	29,58,00,575

ADVANCES GIVEN TO PARTIES FROM F.Y 2018-2019

S. No.	NAME OF PARTIES	Balance
1	CENTRE FOR ANALYSIS AND LIVE STOCK	50,000
2	CENTRE FOR DEVELOPMENT OF ADVANCED COMPUTING	53,900
3	DATA CENTRE NDC	3,859,818
4	DDO	11,800
5	ICAR UNIT CIFT COCHIN	126845
6	INDIAN INSTITUTE OF HYDERABAD	125,143
7	INDIAN INSTITUTE OF TOXIXIOLOGY RESEARCH	200,000
8	ITPO	414,180
9	MERAKI SPORTS & ENTERTAINMENT PVT. LTD	50,000
10	NBCC LTD	15,000,000
11	NIFTEM KUNDLI HARYANA	170,000
12	OIL LABORATORY DEPTT, KOLKATTA	214,113
13	QUALITY EVALUATION LAB	186,098
	TOTAL	20,461,897

ADVANCES GIVEN TO PARTIES FROM F.Y 2008 to 2018

S. No.	NAME OF PARTIES	Balance
1	TA Advance to B S Acharya Dy Director	34,800
2	Ms. K.K Jitha, Berlin	76,523
3	Sh. Rajesh Kumar (Norway)	120,000
4	Sh. Bimal Kumar Dubey, Washington	133,464
5	Sh. Kumar Anil Advisor (USA)	39,913
6	Ms. Chitra Bamola, Chaina	105,365
7	Mrs Suneeti Toteja & Heena Yadav, Australia	-686
8	Sh Sunil Kumar Bakshi, Rome Italy	-150,509
9	Anita Makhijani and Sunil Bakshi	143,366
10	Rubeena Saheen, Germany	10
11	5 officials trip to singapore	326,000
12	S S Ragav/Aruna Singh/Archna	156
13	FTA to Sunil Bakshi, 12-14 May 2017, Italy	2,325
14	FTA to Sh Sunil Bakshi visit to Geneva	96,161
15	9 Members Peris visit	11,288
16	FTA to 5 officials	150,000
17	Central Govt. Employees welfare association	35,000
18	Assistant Director Estates (Cash)	135,000
19	Assistant Director Estates (Cash)	15,000
20	Alpcord Network	10,114
21	National Productivity Council	7,080
22	Balmer & Lawrie	1,920,048
23	Balmer & Lawrie	3,000,000
24	Balmer & Lawrie	129,906
25	FCI, Mumbai	100,000
26	FCI, Mumbai	100,000
27	Directorate of Advertisement and Visual Publicity (Callender)	17,250
28	Directorate of Advertisement and Visual Publicity (Diary)	6,750
29	Rajasthan Electronics	49,328
30	CPWD	162,104
31	Pragati Indian Oil	22,576
32	Pragati Indian Oil	21,840
33	Central Institute of Fisheries Tech	150,000
34	NICSI	13,479

S. No.	NAME OF PARTIES	Balance
35	National Informatics Centre Services	18,583
36	National Informatics Centre Services	144,786
37	Manupatra Information Solutions	48,300
38	Deputy General Indian Council	10,982
39	MOHFW	7,650
40	PCIM&H	2,000
41	Manupatra	46,000
42	Directorate of General India Council of Medical	638
43	Children Books Trust	2,292
44	National Books trust	2,156
45	Manupatra Information Solution Pvt. Ltd	47,081
46	Centre for Science and Environment	550
47	B.S Acharya	26,966
48	Uday Nath Khatua	13,122
49	VivekSaxena	92,315
50	ABP PVT LTD.	14,134
51	ALL INDIA FOOD PROCESSING ASSOCIATION	2,167
52	AUTHORISED OFFICER CHENNAI	10,000
53	AUTHORISED OFFICER JNPT NHAVA SHEVA.	10,000
54	AUTHORISED OFFICER SEA PORT CHENNAI.	10,000
55	BAG FULL	1,200
56	COMMISSIONER OF FOOD SAFETY, J&K	245,073
57	CONFEDERATION OF INDIAN INSTT	1,850,000
58	DAKSH EDUCATION & WELFARE SOCIETY	264,900
59	DEEN DYAL UPADHYAY	227,802
60	DIRECTORATE OF ADVERTISING AND VISUAL PUBLICITY (DAVP)	4,456,977
61	DY DIRECTOR SPIPA, AHMEDABAD	1,002
62	FICCI	79,750
63	GENERAL SECRETARY DELHI TELEGRAPH ACADEMY	50,000
64	H.S.C.C. INDIA LTD	16,414
65	INDIA TRADE PROMOTION ORGANISATION	200,000
66	INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT BANGALORE.	437,698
67	NATIONAL INSTITUTE NUTRITION	4,743,444
68	S.S. BUILDCON PVT LTD GHAZIABAD	200,000

S. No.	NAME OF PARTIES	Balance
69	STATE HEALTH SOCIETY (IDSL) JAIPUR	456,400
70	UAHFWS FOOD SAFETY& STANDARDS DEHRADUN	161,600
71	DEPUTY DIRECTOR CHENNAI	110,000
72	DEPUTY DIRECTOR (F&VP) NBCC	44,394
73	DEPUTY DIRECTOR GUWAHATI	10,000
74	DEPUTY DIRECTOR - KOLKATA	62,336
75	DEPUTY DIRECTOR MUMBAI	90,000
76	LTC ADVANCE	196,363
77	PITAMBER SINGH	5,625
78	R.B. KHOTKAR	4,237
79	S.K HALDAR	10,000
80	S.S. TOMAR	86,400
81	Controller of Publication	224,400
82	Directorate of Advertising and Visual Publicity	47,575
83	Directorate of Advertising and Visual Publicity	4,647
84	Directorate of Advertisement and Visual Publicity	200,326
85	Directorate of Advertisement and Visual Publicity	42,279
86	Directorate of Advertisement and Visual Publicity	5,205,514
87	Directorate of Advertising and Visual Publicity	1,014,261
88	Indian Food packer	5,000
89	Directorate of Advertising and Visual Publicity	85,860
90	Sports Authority of India	1,265,000
91	Skotch Consultancy Services Pvt. Ltd	138,000
92	Indian Trade Promotion Organization	50,000
93	Directorate of Advertising and Visual Publicity	58,374
94	APEDA	63,000
95	APEDA	94,500
96	ICAR	199,881
97	Sports Authority of India	1,722,500
98	Sports Authority of India	11,939
99	Skotch Consultancy	153,400
100	Trade Promotion Council of India	796,500
101	Sports Authority of India	265,500
102	NNS Events & Exhibition	725,417

S. No.	NAME OF PARTIES	Balance
103	National Productivity Council	1,000
104	Institute of Secretariat Training and Management	2,000
105	Director of health Services (Lakshyadeep)	62,750
106	Institute of Rural Management Annad	35,955
107	FDA Chattisgarh	67,250
108	Deen Dayal Upadhyaya Inst.	57,000
109	P. Kartikeyan, PushpinderJeet, Sukhmani Singh	10,605
110	Shri S.C. Khurana (In cash)	19,388
111	SHSB NRHM -B	64,400
112	NIPHM	81,708
113	Controller Food and Drugs Adminsitration	112,000
114	Sanchalak RCVN Noronha Prashasan Academy, Bhaopal	68,950
115	Confederation of Indian Industry	8,000
116	IICA	25,000
117	D O Mumbai for NABL	65,510
118	Institute of Economic Growth	235,000
119	NIPHM	117,600
120	National Research Centre for Graps (24-18 April 2017)	207,000
121	National Research Centre for Graps (1-5 May 2017)	207,000
122	BIS NITS	5,849
123	Alpcord Network + National productivity in relation to Japan Tour of Madan Ji	17,768
124	Advance payment to rajbhasa (Hindi Division)	1,000
125	NABL New Delhi	94,400
126	Institute of Economic Growth	235,000
127	Export Inspection Agency , Mumbai	117,500
128	Pritha Tripathi	5,000
129	Pritha Tripathi	6,500
130	Soumalya Banerjee	13,000
131	Defence food Research Laboratory	176,500
132	National Institute of Food Tech	160,000
133	Central Institute of fisheries Tech.	247,500
	TOTAL	36,406,994

Ceyf
- 7 NOV 2022

ए.एम.जी-IV/एस.ए.आर/भा.खा.सं.मा.प्रा./07-137/2022-23/ 742

दिनांक: 04.11.2022

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति, श्री अनिल सिंघल, भा.प्र.से., मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, एफ.डी.ए. भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002, को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-1100124 को भेजी जाए।

अनुलग्नक: यथोपरि

प्रोमी

(प्रोमी)

उप-निदेशक (ए.एम.जी-IV)

ए.एम.जी-IV/एस.ए.आर/भा.खा.सं.मा.प्रा./07-137/2022-23/

दिनांक:

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के वर्ष 2021-22 का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र सहित महानिदेशक (स्वायत्त निकाय), भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124 को अग्रेषित की जाती है।

यह पत्र महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय व्यय) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

अनुलग्नक: यथोपरि

- हस्ता -

(प्रोमी)

उप-निदेशक (ए.एम.जी-IV)

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the accounts of the Food Safety & Standards Authority of India for the year ended 31 March 2022.

We have audited the attached Balance Sheet of the Food Safety & Standards Authority of India (Authority) as at 31 March 2022. Income & Expenditure Account and Receipts & Payment Account for the year ended on that date under Section 19 (2) of the Comptroller & Auditor General's Duties & Conditions of service) Act. 1971. These financial statements are the responsibility of the management of Food Safety & Standards Authority of India. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through inspection Reports/CAG's Audit Report separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining on a test basis, evidences supporting the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

i. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

ii. The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payment Account dealt with by this report have been drawn up in the uniform format of accounts approved by the Ministry of Finance, Government of India;

iii. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Authority in so far as it appears from our examination of such books;

iv. We further report that;

A. Balance Sheet

A.1 Corpus/Capital Fund and Liabilities

A.1.1 Current Liabilities & Provisions (Schedule-7) - ₹45.48 crore

A.1.1.1. The Authority has not made provision of ₹2.66 crore under the various heads (salary of staff/contractual staff etc. for the month of March payable in April 2022- ₹236.05 crore, bonus to staff for the financial year 2020-21 - ₹0.51 lakh, telephone expenses - ₹0.21 lakh, motor vehicle expenses - ₹0.28 lakh, office expenses - ₹15.39 lakh and security expenses - ₹13.61 lakh). This has resulted in understatement of Current Liabilities (Provisions) and understatement of Expenditure by ₹2.66 crore.

A.2 Assets

A.2.1 Investment (Other) (Schedule - 10) - ₹420.78 crore

A.2.1.1 In Annual Accounts, the Authority has shown investment of ₹416.28 crore, whereas, in actual (as per face value) the amount was ₹395.00 crore. Though, the accrued interest is not the part of investment and should be reflected under Schedule - 11 (Current Assets), the Authority included the accrued interest as investment resulted in depiction of excess investment by ₹21.28 crore. This has resulted in overstatement of Investment and understatement of Current Assets by ₹21.28 crore.

A.2.2 Current Assets, Loans and Advances, etc. (Schedule - 11) - ₹542.72 crore

A.2.2.1 Current Assets (Schedule - 11A)- ₹219.66 crore

A.2.2.1.1 Above includes ₹8.99 crore under the heads 'TDS Deducted on F.D's - ₹8.95 crore' and (TDS Deducted on (other than FD) - ₹4 lakh) as Bank Balances. However, it does not form a part of Bank Balances and need to be shown in 'Claims Receivable' under Advances and other amounts recoverable in cash or in kind of Loans, Advances and Other Assets-Schedule 11(B). This has overstatement of Current Assets (Schedule - 11A) and understatement of Loans. Further as both the amount pertain to TDS deducted on fixed deposits these should be shown as clubbed figure in accounts. This needs rectification.

A.2.2.2 Loans, Advances and Other Assets (Schedule - 11B) - ₹323.05 crore

A.2.2.2.1 In Schedule - 11 (Current Assets, Loans Advances, etc.), the Authority has shown ₹14.81 crore and ₹2.34 crore under the heads 'Advance Rent Chennai Port Trust' and 'Advance Rent JNPT Mumbai', respectively. However, in actual, the Authority has hired land area (1306 sq. mtr. and 11873 sq. ft, respectively) on lease basis for their office space for 30 years w.e.f. 29.01.2020 to 28-01-2050 by paying the lump sum amount of ₹17.09 crore and ₹2.53 crore for Chennai and Mumbai, respectively. As the Authority has acquired land on lease basis, thus this amount should be reflected in Schedule - 8 (Fixed Assets) and amount should be amortised over the period of lease. Thus, non-inclusion of lease amount in Fixed Assets resulted in overstatement of Current Assets (Advances) and understatement of Fixed Assets (Building) by ₹17.15 crore.

Further, the difference in amount actually paid and shown in the annual accounts needs to be reconciled.

A.2.2.2.2 The Authority has given advances to NBCC amounting to ₹28.05 crore for construction of office building at Ghaziabad, Uttar Pradesh, out of which NBCC has utilised ₹26.03 crore. As this utilised amount was required to be shown as Capital work-in-Progress in Schedule - 8 (Fixed Assets) and advances should be adjusted accordingly. However, the Authority has still shown this amount as advances which has resulted in overstatement of Current Assets (Advances) and understatement of Capital work-in- Progress in Schedule - 8 (Fixed Assets) by ₹26.03 crore.

B. Income & Expenditure

B.1 The Authority spent ₹7.17 crore on account of expense for the furniture, fixture, AC system, lift work in MMU Building and treated it as expenditure (Minor Work - General) under Schedule - 22 as 'Repair & Maintenance of Building' instead of capitalization of the same. This has resulted in understatement of Capital Assets and overstatement of Expenditure by ₹7.17 crore.

C. General

C.1 No provision for retirement benefits has been made in the accounts in contravention of Accounting Standard 15 issued by ICAI.

C.2 The Authority was exempted from income tax, however, it did not take action to recover the TDS amounting to ₹8.99 crore deducted from its income from income tax authority. Effort should be made to get the amount refunded from the income tax Authority.

C.3 The Authority had made various payments on behalf of CDSCO on account of maintenance, electricity expenses and water charges amounting to ₹6.01 crore since 2012-13 which were shown in schedule-11 (Loan, Advances and Current Assets). As this accumulated amount is recoverable since 2012-13, the same amount may be recovered from CDSCO.

C.4 As on 31.03.2022, the Authority had outstanding advances amounting to ₹278.74 crore pertaining to the period from 2008-09 to 2021-22. In this regard, except few adjustments for the period 2019-21, nil adjustments were made. This needs special attention and efforts for adjustment of advances.

C.5 State cheque pending cancellation

When a cheque issued by the department is not encashed by the receiver within the validity period of three months the same shall be cancelled and amount should be taken back in the cash book. However, there were cheques worth Rs.76.91 lakh which were issued during 2012-13 to 2020-21 but not yet encashed and thus have become state. Therefore, Authority shall cancel these cheques and take the amount back in the cashbook.

D. Grants-in-aid:

The authority received grants-in-aid of ₹285.29 crore from Ministry of Health and Family Welfare during the year 2021-22. It had unspent balance of ₹5.87 crore at the beginning of the year. The Authority could utilise a sum of ₹288.17 crore, leaving an unspent balance of ₹2.99 crore as unutilised grant, as on 31 March 2022.

E. Management Letter

Deficiencies which have not been included in the audit report have been brought to the notice of the Authority's management through a management letter issued separately for remedial/corrective action.

F. Lack of Response

The management of the Authority had failed to give reply to the draft Separate Audit Report within the prescribed period.

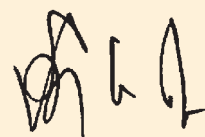
v. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt by this report are in agreement with the books of accounts.

vi. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India;

a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Food Safety and Standards Authority as at 31 March 2022 and

b. In so far as it relates to Income and Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of C&AG of India



(Sanjay Kumar Jha)
Director General of Audit
(Central Expenditure)

Place: New Delhi

Date: 04.11.2022

Annexure

1. Adequacy to Internal Audit System

No internal audit wing is established in the Authority. The internal audit was conducted by Ministry of Health and Family Welfare up to 2020-21. There are 44 internal Audit paras and 15 statutory Audit paras outstanding since 2014-15 to 2018-19.

2. Adequacy of Internal Control System

a) Cash book is maintained in electronic format. T

b) The assets register did not show the progressive total of the various Assets and not maintained in the prescribed formats shown under Schedule 8 - Fixed Assets.

c) In Schedule - 11 (Current Assets), the Authority has shown bank balances worth ₹53.03 crore as 'On Regional Offices Savings Account'. However, bank balance certificates as on 31.03.2022 from respective banks were not available with the Authority. This needs to be reconciled.

d) The Authority has shown Other Expenses worth ₹36,236/- and ₹24,43,030/- as receipt from Do Guwahati (7292) and Do Mumbai Canara (8298), respectively on account of being amount received from DO FSSAI. The details of such entries were not available with the Authority. This needs to be reconciled.

3. System of Physical verification of fixed assets

Physical verification of fixed assets in respect of Authority's headquarter was conducted up to the year 2021-22.

4. System of physical verification of inventory

Physical verification of inventory like stationery and other consumables was conducted for the year 2021-22. However, last Physical Verification of Books was conducted for the year 2021-21 (in September 2021).

5. Regularity in payment of statutory dues

No statutory liability of the Authority is outstanding as on 31.03.2022.



कार्यालय महानिदेशक लेखा परीक्षा (केन्द्रीय व्यय)
Office of the Director General of Audit, (Central Expenditure)
इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली 110 002
Indraprastha Estate, New Delhi -110 002

ए.एम.जी-IV/एस.ए.आर/भा.खा.सं.मा.प्रा./07-137/2022-23/ 740

दिनांक: 04.11.2022

सेवामें,

सचिव, भारत सरकार,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
निर्माण भवन, नई दिल्ली-110001.

(Signature)
-7 NOV 2022

विषय : वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-22 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति उसके प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित संसद के पटल पर रखने के लिए संलग्न करती हूँ।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय, 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-1100124, को भेजी जाए।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाये कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय (Governing Body) द्वारा अनुमोदित अवश्य करा लिया जाये तथा यह भी सुनिश्चित करें कि 2021-22 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र को संसद के पटल पर रखने से पहले सभी पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र संसद के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके हों।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद एवं इसे जारी करने से सम्बन्धित सभी कार्यों को आपके निकाय द्वारा किया जाना ही अपेक्षित है। पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद जारी करते समय निम्नलिखित अस्वीकरण (disclaimer) अंकित करें।

“प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इस में कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।”

अनुलग्नक: यथोपरि।

भवदीया,
(Signature)
(प्रोमी)

उप-निदेशक (ए.एम.जी-IV)



सत्यमेव जयते



भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)
(Ministry of Health and Family Welfare)

एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002
FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi-110002

पोर्टल: fssai.gov.in हेल्पलाइन: 1800-11-2100
PORTAL: fssai.gov.in FSSAI HELPLINE: 1800-11-2100

Rakmo Press Pvt. Ltd., New Delhi-110020



www.fssai.gov.in



[@FoodsafetyinIndia](https://www.youtube.com/@FoodsafetyinIndia)



[@fssaiindia](https://twitter.com/fssaiindia)



[FSSAI](https://www.facebook.com/FSSAI)